NOT TO BE ISSUED
FOR REFERNCE ONLY.

त्रयोदश माला, खंड 5, अंक 18

सोमवार, 17 अप्रैल, 2000
28 चैत्र, 1922 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)




PARLIAMENT LIBRARY
No. D 61
Date 10/4/2001

(खंड 5 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

## सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

---

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

# विषय-सूची

*[त्रयोदश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2000/1922 (शक)]*

**अंक 18, सोमवार, 17 अप्रैल, 2000/28 चैत्र, 1922 (शक)**


| विषय | कालम |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखित उत्तर** | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 323 | 3–32 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 324 से 340 | 32–116 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 3429 से 3658 | 116–395 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र.** | 396 |
| **विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति.** | 396 |
| **संचार सम्बन्धी स्थायी समिति** | |
| छठे से ग्यारहवां प्रतिवेदन | 397 |
| **रेल संबंधी स्थायी समिति** | |
| पहला प्रतिवेदन | 398 |
| **समितियों के लिए निर्वाचन** | |
| (एक) रबड़ बोर्ड | 398 |
| (दो) कॉफी बोर्ड | 399 |
| (तीन) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण | 400 |
| **अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी** | |
| स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में | 400 |
| **मंत्री द्वारा वक्तव्य** | |
| कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि | 450 |
| श्री राम नाईक | |
| **नियम 377 के अधीन मामले.** | 474–479 |
| (एक) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बिंदकी रोड रेलवे क्रासिंग पर उपरिपुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता | |
| डा. अशोक पटेल | 474 |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

| विषय | | कालम |
|---|---|---|
| (दो) | पानीपत और गोहाना-दिल्ली के बीच और रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री किशन सिंह सांगवान | 474 |
| (तीन) | राजस्थान में सवाई माधोपुर को गंगापुर से बरास्ता करौली, धौलपुर रेल मार्ग द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता | |
| | श्रीमती जसकौर मीणा | 475 |
| (चार) | पटना और हावड़ा के बीच गया, शेखपुरा और किऊल (बिहार) होते हुए एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री राजो सिंह | 476 |
| (पांच) | उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रोजा विद्युत परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री जितेन्द्र प्रसाद | 476 |
| (छह) | सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली राज-सहायता को बहाल किए जाने तथा केरल राज्य के लिए चावल के राशन कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री टी. गोविन्दन | 477 |
| (सात) | दिविसीमा द्वीप पर तटबंध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता | |
| | प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु | 478 |
| (आठ) | बिहार के जहानाबाद जिले में रामपुर चौरम में हुए नरसंहार से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान किए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री अरूण कुमार | 478 |
| (नौ) | बिहार में अमनौर-सोनोहू-परसा और तरैया-अमनौर-मढ़ौरा/नगरा, मशरक राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने तथा उनके रख-रखाव के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता | |
| | श्री राजीव प्रताप रुडी | 479 |

**राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव**

| | |
|---|---|
| डा. नीतिश सेनगुप्ता | 480 |
| श्री मणिशंकर अय्यर | 495 |
| श्री वैको | 549 |

## लोक सभा

**सोमवार, 17 अप्रैल, 2000/28 चैत्र, 1922 (शक)**

*लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई*

**[अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* **हुए]**

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव** (संभल): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वकील लोग 50 दिन से हड़ताल कर रहे हैं और आज महिला वकील आमरण अनशन पर बैठ गयी हैं। इन 50 दिनों में जनपदीय न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट तक की पूरी व्यवस्था भंग हो गयी है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन 50 दिनों के बाद देश की महिलाएं भी आमरण अनशन पर बैठ गयी हैं। इसलिए सारी कार्यवाही रुकवाकर सबसे पहले वकीलों की समस्या पर बहस करायी जाये।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** आज पहला दिन है। अब हम प्रश्न काल शुरु करेंगे। मुलायम सिंह यादव जी, आप इसे प्रश्न काल के बाद उठाएं।

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव:** हमें खुशी है कि माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। यह विषय केवल वकीलों से ही संबंधित नहीं है वरन् इसका संबंध गरीबों और आम जनता से भी है, इसलिए वकीलों की समस्या पर ध्यान दिया जाए।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं प्रश्न-काल के पश्चात् आपको अनुमति दूंगा। आप इसे तब उठा सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव:** सरकार की साजिश सारी व्यवस्था क़ो नष्ट करने की है। इसलिए आपसे अपील है कि आप स्वयं दखल देकर, सारी कार्यवाही रोक कर, वकीलों की समस्या पर चर्चा करायें। आप स्वयं भी वकील रह चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं माननीय सदस्यगण से अपने स्थान ग्रहण करने का अनुरोध कर रहा हूँ। हम प्रश्न काल के बाद इस पर चर्चा करेंगे। मैं आपको अनुमति दूंगा।

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव:** मेरा निवेदन है कि वकीलों की समस्या का समाधान किया जाये।

*[अनुवाद]*

**श्री रूपचन्द पाल:** अध्यक्ष महोदय, सारे देश में वकील हड़ताल पर हैं। हमने प्रश्न काल के स्थगन हेतु नोटिस दिया है।

**अध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव:** वकीलों को पीटा जा रहा है *...(व्यवधान)* उनकी समस्या पर यहां चर्चा करायी जाये।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया अपने स्थान पर बैठिए। प्रश्न सं. 321, अब श्री नवल किशोर राय बोलेंगे।

**श्री माधवराव सिंधिया:** महोदय, मैं एक ऐसे मुद्दे पर बोलना चाहूंगा, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण और तात्कालिक है। विपक्ष के नेता ने सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्यों में तीव्र वृद्धि के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव रखा है *...(व्यवधान)*

नियंत्रित मूल्यों में वृद्दि से कृषक समाज गरीबी की रेखा के नीचे बसर करने वाले, मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए भी एक असहनीय स्थिति उत्पन्न हो गई है *...(व्यवधान)* विपक्ष के नेता ने नियंत्रित मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हेतु स्थगन प्रस्ताव रखा है *...(व्यवधान)* हमने प्रश्न काल के स्थगन हेतु भी एक नोटिस दिया है। हम इस मामले, स्थगन प्रस्ताव पर और प्रश्न काल के स्थगन के बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय:** स्थगन प्रस्ताव को पहले ही अस्वीकार किया जा चुका है। इसे आप शून्य काल के दौरान उठा सकते हैं। मैं आप सभी को अनुमति दे सकता हूँ।

*...(व्यवधान)*

**श्री पी.एच. पांडियन:** मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है।

**अध्यक्ष महोदय:** मैं शून्य काल में आपको अनुमति दूँगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** सभी स्थगन प्रस्ताव रद्द कर दिये गये हैं। आप इसे शून्य काल में उठा सकते हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री नवल किशोर राय ने जो कुछ कहा, उसके सिवाय कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** मैं अब नहीं अपितु शून्य काल के दौरान आप सभी को अनुमति दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मुलायम सिंह जी, कृपया पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग करें। कृपया इसे समझिए।

---

**पूर्वाह्न 11.07 बजे**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*[हिन्दी]*

### पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और आपूर्ति

***321. श्री नवल किशोर राय+:**
**डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रयास किये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत और मांग का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और खपत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है?

*[अनुवाद]*

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक):** (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) जी हां।

(ख) और (ग) पेट्रोलियम उत्पादों की मांग अर्थव्यवस्था में विकास द्वारा शासित होती है। पेट्रोलियम उत्पादों की खपत आर्थिक विकास का संकेतक है। पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में, सभी क्षेत्रों के लिए उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, मांग के अनुरुप वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ सरकार पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण करने और व्यर्थ एवं अकुशल खपत कम करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है।

संरक्षण प्रयासों के कारण आवर्ती बचत निम्नानुसार होने का अनुमान है:

| वर्ष | मात्रा हजार टनों में | मूल्य करोड़ रुपये में |
|---|---|---|
| 1996-97 | 1236 | 675 |
| 1997-98 | 1497 | 863 |
| 1998-99 | 1768 | 1049 |

(घ) और (ङ) निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के संबंध में कोई पृथक आकलन नहीं किया गया है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(च) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत की वार्षिक वृद्धि की दर निम्नानुसार रही है:

| वर्ष | वृद्धि की दर (1 प्रतिशत) |
|---|---|
| 1996-97 | 6.0 |
| 1997-98 | 6.5 |
| 1998-99 | 7.4 |

वर्ष 1999-2000 के लिए आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

**श्री नवल किशोर राय:** अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि पेट्रोलियम उत्पादों की खपत आर्थिक विकास का संकेतक है। मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या निजी और सरकारी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत और मांग का आकलन किया गया है? इसके उत्तर में सरकार ने बताया है कि इस प्रकार का कोई आकलन नहीं हुआ जबकि 90 के दशक के प्रारम्भिक वर्ष में खपत की बढ़ोत्तरी तीन प्रतिशत थी। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह सब क्या है? मुलायम सिंह यादव जी, कृपया पीठासीन अधिकारी को सहयोग दें। श्री नवल किशोर राय ने जो कहा है, उसके अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने स्पष्ट कहा है कि सभी स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए गए हैं। मैं शून्य काल में आपको अनुमति दूँगा।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री नवल किशोर राय:** मंत्री जी के उत्तर के अनुसार 90 के दशक से तीन फीसदी से बढ़ कर 6 से 7 फीसदी की खपत में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि आर्थिक विकास की संकेतक है। आर्थिक विकास की दर साढ़े तीन फीसदी, साढ़े चार फीसदी और कभी पांच फीसदी यानी हमेशा औसतन 5 फीसदी विकास की वृद्धि रही है। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री बरार, मैं शून्य-काल के दौरान आपको अनुमति दूंगा। आप शून्य काल के दौरान इसे उठा सकते हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय-** आप सभा को परेशान न करें। आप कृपया अपने स्थान पर जायें।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह सब क्या है? मैं शून्य काल के दौरान आपको अनुमति दूँगा। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय:** श्री राय, आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

*[हिन्दी]*

**श्री नवल किशोर राय:** मेरा पूरक प्रश्न यह है कि सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के खपत का अलग अलग आकलन नहीं कराया है। सरकार ने आर्थिक विकास की स्थिति को माना है। यह आर्थिक विकास की दर 5 प्रतिशत है और उसमें 5 प्रतिशत की खपत की बढ़ोत्तरी हुई है *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं शून्य काल के दौरान आपको अनुमति दूंगा, अभी नहीं। कृपया समझने का प्रयास करें।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री नवल किशोर राय:** अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जानकारी दी गई है, उसमें बताया गया है कि सरकारी क्षेत्र में अधिक खपत है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में अलग अलग आकलन नहीं कराने के क्या कारण हैं और इस खपत को कम करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र का अलग अलग ब्यौरा क्या है? *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं आपसे पुन: अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपने स्थान पर चले जायें। प्रश्न काल में व्यवधान उत्पन्न न करें। मैं शून्य काल के दौरान आपको अनुमति दूंगा।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री नवल किशोर राय:** मैं जानना चाहता हूं कि सरकार सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र का अलग अलग आकलन कराना चाहती है या नहीं, यदि नहीं करानी चाहती हैं तो क्यों? इस प्रश्न का भाग दो यह है कि सरकार ने खपत कम करने के लिए जो हैं, उसका विवरण नहीं दिया है। मैं जानना चाहता कौन से प्रयास खपत कम करने के लिए सरकार ने किये हैं?

**श्री राम नाईक:** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत ज्यादा होगी, उतना अपना *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह ज्यादती है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री बरार, कृपया अपने स्थान पर जायें।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम नाईक:** अध्यक्ष महोदय, जितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत ज्यादा होगी, उतना ज्यादा आर्थिक विकास में गति की है और इसलिए 1996-97 में 79.3 प्रतिशत उत्पादन की खपत थी, जबकि बीते साल में 90.6 मीट्रिक टन खपत हुई है। इसमें 4.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है और हम जितना ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का खपत करेंगे *...(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, देश के आर्थिक विकास में उतना ज्यादा योगदान होगा। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यगण, अभी नेताओं की एक बैठक हुई थी। हमने निर्णय किया है कि सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभा में चर्चा होनी चाहिए। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। कृपया अपने स्थान पर जाइये। प्रश्न काल के पश्चात् मैं आप सभी को अनुमति दूंगा। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह सभा में बोलने का उचित तरीका नहीं है। कृपया बात समझिए।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह सब क्या है? आप नेताओं का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम नाईक:** देश के आर्थिक विकास के अलग अलग मापदंड होते हैं, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कितनी खपत है वह भी एक इंडीकेटर है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अपने देश में हाइड्रो पावर प्रति व्यक्ति केवल 113 है जबकि प्राकृतिक 927 है यानी 9 गुणा ज्यादा है। जापान में यह 2520 है, इंग्लैंड में 2719 है, जर्मनी में 2539 है। इसलिए देश के आर्थिक विकास का मापदंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज है। उसके लिए जितनी भी आवश्यकता होती है, जितनी डिमांड होती है, वह सारा का सारा सप्लाई करते रहते हैं। उससे देश की प्रगति हो रही है।

**श्री नवल किशोर राय:** अध्यक्ष महोदय, शोर में सवाल का जवाब सुन नहीं पाये हैं, जो माननीय मंत्री जी ने बताया है, वह सुनाई नहीं दे रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपने पहले पूरक प्रश्न में जानना चाहता था कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का अलग-अलग आकलन नहीं कराने का क्या कारण है, क्या यह आप आगे कराने वाले हैं। जहां तक मुझे सुनाई दिया है इसका उत्तर नहीं आया है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। सारा राष्ट्र हमें देख रहा है कि हम सभा में किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैं आप सभी को शून्य काल के दौरान अनुमति दूँगा।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं स्पष्ट कह चुका हूँ कि सभी स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये गये हैं। मैं शून्य काल के दौरान अनुमति दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया:** मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं यह चाहता हूँ कि आप कोई भी निर्णय लेने से पहले इस स्थगन प्रस्ताव को पेश करने वाले को अपना पक्ष रखने की अनुमति दें। आपको विपक्ष के नेता की बात अवश्य सुननी चाहिए और केवल तभी निर्णय करना चाहिए। आप पहले उनकी बात सुनिए और तत्पश्चात् निर्णय दीजिए। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रश्न काल को स्थगित किये जाने संबंधी सूचनाएं अस्वीकार कर दी गई हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया:** फिर आपको उनकी बात सुननी चाहिए *...(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर अनेक स्थगन प्रस्ताव हैं *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह क्या है? यदि इतने अधिक सदस्य एक साथ बोलेंगे, तो मैं सभा को कैसे चलाऊंगा?

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, क्या प्रश्न काल के बाद आप हमें सुनेंगे? *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री राजेश पायलट:** यदि आप यह कहते हैं कि यह विचाराधीन है और प्रश्न काल के पश्चात् इस पर निर्णय किया जायेगा तो यह ठीक है। परंतु आप यह नहीं कह सकते कि आपने अब इसे अस्वीकृत कर दिया है।

**श्री माधवराव सिंधिया:** महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव के लिए नहीं, अपितु प्रश्न काल को स्थगित करने संबंधी नोटिस अस्वीकृत किए हैं *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मदन लाल खुराना:** आप क्वेश्चन ऑवर के बाद बोल लीजिए।

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** यह अति महत्वपूर्ण मामला है। हमने सुना है कि सभी स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए गए हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे पास उन पर चर्चा करने का अवसर नहीं है। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री सोमनाथ चटर्जी, मैं प्रश्न काल के स्थगित करने के बारे में आपसे कह चुका हूँ।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मदन लाल खुराना:** क्वश्चन ऑवर महत्वपूर्ण है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** यह भी इम्पोर्टेन्ट है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मैं प्रश्न काल के स्थगित किये जाने के बारे में पहले ही बता चुका हूँ।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम नाईक:** अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न पूछा है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री माधवराव सिंधिया** (गुना): क्या आपने प्रश्न काल स्थगित कर दिया है। आपने कहा है कि स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है। स्थगन प्रस्ताव संबंधी निर्णय आपके द्वारा बाद में अवश्य लिया जाना है। क्या यह ठीक है? *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** जी हां।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम नाईक:** अध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्राइवेट कंजम्पशन और गवर्नमैंट कंजम्पशन की सैपरेट फीगर क्यों नहीं रखी है, माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक आवश्यकता है कि टोटल कंजम्पशन कितना होता है, देश के लिए जितना आवश्यक है, वह हम दे देते हैं। सरकार की

कंजम्पशन में किस प्रकार इकोनोमी करनी है, वह एक दूसरा विषय है और दूसरे विषय में कंजर्वेशन में हमने कितना बचाया है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आपको सैपरेटली बोलना है, आप बैठ जाइये। कृपया समझने का प्रयास कीजिए कि यह प्रश्न काल है।

**श्री राम नाईक:** कंजर्वेशन में देश का पैसा कैसे बचाया है, इसका उत्तर हमने यह दिया है कि वर्ष 1996-97 में 675 करोड़ बचाया, 1997-98 में 863 करोड़ और 1998-99 में ...*(व्यवधान)* वर्ष 1998-99 में 1049 करोड़ हमने बचाया है। ...*(व्यवधान)* अलग-अलग प्रकार के उपाय करके हम पैट्रोल बचाने की कोशिश करते रहते हैं।

**मायावती:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ...यू के बारे में कुछ बोलना चाहती हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** अभी नहीं, आप क्वश्चन ऑवर के बाद बोलियेगा।

**कुमारी मायावती:** हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार इस बारे में कोई आश्वासन देगी ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** अभी क्वश्चन ऑवर चल रहा है, आप इसके बाद बोल सकती हैं।

**कुमारी मायावती:** सर, मैं भी जानती हूं कि यह क्वश्चन ऑवर है ...*(व्यवधान)*

**श्री नवल किशोर राय:** अध्यक्ष महोदय, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पाद की खपत का अलग-अलग आकलन क्यों नहीं किया गया? ...*(व्यवधान)* उसका क्या कारण है, इसका मुझे उत्तर नहीं मिला है। इसके साथ मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया समझिए। इसकी एक प्रक्रिया है।

*[हिन्दी]*

आप समझ नहीं रही हैं। यह प्रोसीजर है और प्रोसीजर को हम कैसे डायवर्ट करें।

...*(व्यवधान)*

**कुमारी मायावती:** मैं आपसे रिक्वैस्ट करूँगी। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप जीरो ऑवर में बोल सकती हैं।

...*(व्यवधान)*

**कुमारी मायावती:** क्या क्वश्चन ऑवर के बाद सरकार लोक सभा में संविधान रिव्यू के बारे में जवाब देगी? ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय :** जीरो ऑवर में आपको बोलने का मौका देंगे।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप जीरो ऑवर में रेज कर सकती हैं।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप समझिए और क्वश्चन ऑवर को चलने दीजिए।

**श्री नवल किशोर राय:** मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि उत्पादन कम होने के कारण खपत आपूर्ति और मांग में संतुलन नहीं रहता इसलिए पिछले वित्तीय वर्ष में पेट्रोलियम उत्पादों का आयात 54 मिलियन टन हुआ और इस वर्ष 72 मिलियन टन होने का अनुमान है। अपने देश के पेट्रोलियम उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास शोध कार्यों से, सर्वेक्षण से और नये तकनीकी विकास से करना चाहिए, ऐसा सरकार समय-समय पर बताती भी रही है। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जो आयात बढ़ रहे हैं, उसमें संतुलन नहीं होने के कारण मूल्य पर भी असर पड़ता है और मूल्य वृद्धि से सभी लोगों का प्रति माह का बजट बिगड़ जाता है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या-क्या शोध कार्य और उपाय किये हैं जिससे उत्पादन बढ़े और आयात कम हो। इसके साथ-साथ आपूर्ति और मांग के बीच में संतुलन कायम हो, यह हम जानना चाहते हैं।

**श्री राम नाईक:** इससे पहले हम डीजल, पेट्रोल बड़े पैमाने पर आयात करते थे लेकिन गये दो साल में देश की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई है, वह कितनी बढ़ाई है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। 1998-99 में सारी रिफाइनिंग कैपेसिटी 69.14 मिलियन मीट्रिक टन थी। केवल गये साल यानी 1999-2000 में हमने 43.40 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ाई है। यानी 112.54, इतनी हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी है। रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ने के कारण हमको आगे डीजल, पेट्रोल आयात नहीं करना पड़ेगा। देश की आवश्यकता के अनुसार हम क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कर सकते हैं। स्थिति तो यह है कि इस साल हम पेट्रोल एक्सपोर्ट करेंगे इसलिए पेट्रोल और डीजल का शार्टेज नहीं रहेगा। केवल क्रूड ऑयल हम विदेश से आयात करेंगे। इसके जरिये एक बड़ा काम यह होगा कि देश की पूंजी काफी बढ़ सकती है।

इन्होंने दूसरा सवाल यह पूछा था कि आप निजी उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? आज हम जो 70 परसेंट रिक्वायरमैंट के हिसाब से इम्पोर्ट करते हैं उसमें केवल 30 परसेंट क्रूड ऑयल और बाकी पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पाद होता है, वह बढ़ाने के लिए हमने आज तक हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में 25 एक्सप्लोरेशन ब्लाक्स कांट्रेक्ट पर दिये हैं। जनवरी महीने में हमने यह तय किया था और 12 अप्रैल को हमने कांट्रेक्ट पर साइन किया है। बड़े पैमाने पर ऑफ-शोर और गहरे समुद्र में नयी खोज करने के लिए हमने कांट्रेक्ट दिये हैं। मैं आशा करता हूं कि इसके साथ-साथ देश का क्रूड ऑयल और गैस का अपना उत्पाद है, वह निश्चित तौर पर अच्छे ढंग से बढ़ेगा।

**श्री नवल किशोर राय:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। शोरगुल के कारण बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं हुई। मेरे पहले पूरक प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं आया। हमने पूछा था कि निजी और सरकारी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का अलग-अलग आकलन क्यों नहीं करते, उसका क्या कारण है? इसका स्पष्ट उत्तर नहीं आया। दूसरा प्रश्न मैंने यह पूछा था कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए शोध कार्य के संबंध में सरकार की क्या राय है और शोध संस्थान कितने खोले गये हैं? शोध संस्थानों के माध्यम से क्या क्या विकास हुए हैं? मेरे पूरक प्रश्नों की जो मूल भावना थी, उस पर स्पष्टीकरण नहीं आया।

**श्री राम नाईक:** मैंने स्पष्ट किया है लेकिन दुबारा स्पष्ट करना चाहूंगा कि रिफाइनरी को हिन्दी में शोध कार्य बोला जाता है। गए साल में अपने देश को कुल मिलाकर 43.4 मिलियन मीटरिक टन रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई। पहले केवल 69.14 थी। इसका मतलब इस समय देश की रिफाइनिंग कैपेसिटी 112.54 मिलियन मीटरिक टन है। इसलिए अब देश रिफाइनिंग के मामले में इंडीपैंडेंट हो गया है। माननीय सदस्य का यह सवाल भी था कि सरकार कितनी खपत करती है, निजी क्षेत्र कितनी खपत करता है और उसके आंकड़े क्यों नहीं रखे जाते। उसका एक मुख्य कारण यह है कि पैट्रोलियम मिनिस्ट्री को इसकी विशेष आवश्यकता नहीं होती क्योंकि जो भी ग्राहक आएगा, हमारा काम उसे पैट्रोल, डीजल देना है। जितना पेट्रोल, डीजल कन्ज्यूम होगा वही देश की प्रगति का इंडीकेशन होता है। लेकिन उसमें वेस्टफुल ऐक्सपैंडीचर न हो, इसलिए हमने क्या-क्या प्रयास किये हैं, उसकी जानकारी मैंने दी है। ...*(व्यवधान)*

**डा. सुशील कुमार इन्दौरा:** आज देश में पैट्रोलियम और उसके उत्पाद ईंधन के मुख्य स्रोत हैं। इनकी मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम उसकी आपूर्ति नहीं कर पाते जिसका नतीजा यह निकलता है कि गाहे बगाहे हमें उसकी कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं जिसका असर न केवल कृषि व्यवसाय और इंडस्ट्री पर पड़ता है, क्योंकि ये जहां ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, जब पैट्रोलियम और उसके उत्पाद की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके साथ-साथ उसके प्रोडक्ट्स, चाहे वे कृषि क्षेत्र में हों या इंडस्ट्री के क्षेत्र में, उससे उसके भाव बढ़ते हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। आम उपभोक्ता पर भी इसका असर पड़ता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी ईंधन पॉलिसी बनाई गई है या बनाई जाएगी जिससे न केवल अर्थव्यवस्था में सुधार हो बल्कि आम उपभोक्ता को भी अच्छा फायदा मिल सके? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि इन्होंने सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र का जवाब दिया है, क्या ये इस बात का ब्यौरा देंगे कि पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो खर्च सरकारी क्षेत्र में है, वह ज्यादा है या निजी क्षेत्र का ज्यादा है और वे इसमें कितना कंट्रोल कर सकते हैं।

**श्री राम नाईक:** अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा कि पैट्रोलियम के संदर्भ में हमारी नीति क्या है। मैं सदन को बताना चाहता हूं, अगले 25 सालों के लिए, पैट्रोलियम के बदले में प्रॉपर शब्द हाईड्रो कार्बन है, हाईड्रो काबन क्षेत्र में हमारी आगे की 25 साल की नीति क्या है, यह तय करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप की कमेटी बनाई थी। फाईनैंस मिनिस्टर उसके अध्यक्ष थे। मैं भी उसका सदस्य था। ऐक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री जसवंत सिंह और प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन श्री पंत उसके सदस्य थे और श्री सिंह उसके सैक्रेटरी थे। हमने सारे क्षेत्रों से बातचीत करते हुए 23 मार्च को हाईड्रो कार्बन विजन 2025, इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार की है। वह प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की है और आज ही 12.00 बजे मैं सदन की जानकारी के लिए भी वह रिपोर्ट यहां प्रस्तुत करने वाला हूं। उसके जरिए आपको उस रिपोर्ट की आगे की नीति की जानकारी मिलेगी। यदि सदन समय निकाले तो मैं उस पर बहस भी चाहता हूं क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर राजनीति से परे होकर हम चर्चा कर सकते हैं। हम उस पर चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं। दूसरा उनका भाग सप्लाई के बारे में था। जितनी मांग है, वह हम पूरी कर रहे हैं और अपने यहां जितना उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं होता इसलिए विदेशों से 70 प्रतिशत इम्पोर्ट करते हैं, यह मैंने बताया।

विदेशों में जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसके कारण यहां पर कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। विदेश में फरवरी, 1999 में क्रूड आयल की कीमत 3210 थी, वह बढ़कर 8300 से ज्यादा हो गई, माने 5000 रुपये की बढ़ोत्तरी एक साल के अन्दर हुई। उसके लिए जैसे विदेश में कीमतें बढ़ती हैं और वे कीमतें अपने हाथ में नहीं होती हैं, अपने हाथ में अपनी आवश्यकता के अनुसार इम्पोर्ट करना ही होता है। इसलिए डिमांड और सप्लाई के कारण जो कीमतें बढ़ने का होता है, वह अपने देश में नहीं है। जितनी डिमांड है, वह हम पूरी करते हैं और उसके कारण कीमतों में

वृद्धि नहीं हो रही है। कीमतों में जो वृद्धि हो रही है, उसका कारण एक जो मैंने बताया कि हम विदेश से बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट करते हैं और वहां कीमतें बढ़ती हैं। दूसरा ऐसा है कि कुछ पहले से सरकार ने निर्णय किया कि इसके बारे में जो सब्सिडी है, वह सब्सिडी धीरे-धीरे समाप्त करेंगे। यह निर्णय तो जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्णय लिया था। यूनाइटिड फ्रंट सरकार ने उस पर फैसला किया...

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** काफी समय के पश्चात्, उन्हें बोलने का अवसर मिला है।

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय:** राम नाईक जी, सिम्पल सप्लीमेंटरी कंजम्पशन के बारे में है कि गवर्नमेंट का कितना है, प्राइवेट सैक्टर का कितना है?

**श्री राम नाईक:** मैंने पहले ही कहा कि इस प्रकार का स्टेटिस्टिक्स अलग से नहीं रखा जाता है। यह मैंने पहले ही कहा है।

**श्री राशिद अलवी:** अध्यक्ष जी, मुझे यह पूछना है कि क्या सरकार को यह मालूम है कि जिन देशों के अंदर अल्कोहल ज्यादा पैदा होता है, खास तौर से यूनाइटिड स्टेट्स के अन्दर 10 परसेण्ट एल्कोहल पैट्रोल के अन्दर मिलाते हैं, जिससे कीमत भी घटती है और पोल्यूशन भी कम होता है। ब्राजील के अन्दर करीब-करीब 25 परसेंट एल्कोहल पैट्रोल के अन्दर मिलाया जाता है, जिससे पोल्यूशन भी घटता है और कीमत भी घटती है। क्या सरकार ऐसा विचार कर रही है, बहुत दिनों से इस पर चर्चा भी हो रही है, इस पर सरकार विचार कर रही है या नहीं कर रही है और क्यों नहीं कर रही है? हमारे यहां तो एल्कोहल बहुत पैदा होता है, उससे पोल्यूशन भी घटेगा और कीमत भी घटेगी और हमें इम्पोर्ट भी कम करना पड़ेगा।

**श्री राम नाईक:** सरकार इस पर केवल विचार नहीं कर रही है, इस सरकार ने इसके बारे में फैसला लिया है। गये महीने में हमने इससे संबंधित जितने क्षेत्र हैं, उनकी एक मीटिंग की और उसमें से हिन्दुस्तान के जो दो प्रमुख शुगरकेन प्रोड्यूसिंग राज्य हैं, एक महाराष्ट्र और दूसरा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक और महाराष्ट्र में दो गैसोलीन एल्कोहलयुक्त बनाने के लिए हमने पायलट प्रोजैक्ट लेने का तय किया है और उसके अनुसार हम काम करेंगे। यह चर्चा हमारे देश में 1997 से चली थी, लेकिन अब तक निर्णय नहीं लिया गया था। हमने गये महीने में निर्णय लिया है। मैं सदन को भी कहूंगा कि पायलट प्रोजैक्ट की यशस्विता, सफलता होने के बाद हम यदि सब जगह पर इसका उपयोग करते हैं तो देश के किसानों को भी गन्ने का अधिक मूल्य मिल सकता है और पोल्यूशन भी कम हो सकता है। यह अच्छा विषय है, जिसमें हमने फैसले किये हैं और यदि पायलट प्रोजैक्ट सफल हो जाते हैं तो तुरन्त सारे देश में हम इसका उपयोग कर सकेंगे।

*[अनुवाद]*

**श्री जे.एस. बराड़:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी है। वह जानते हैं कि पंजाब में भटिंडा में 16,000 करोड़ रुपये का तेलशोधक कारखाना परियोजना है। दो वर्ष पहले यह वायदा किया गया था कि यह दो वर्षों में पूरी हो जायेगी। मंत्री जी उस परियोजना में क्या प्रगति हुई है?

**श्री राम नाईक:** वह परियोजना सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित हो गई है।

*[हिन्दी]*

इसमें एक जोइंट वेंचर बनाने की बात थी। जहां तक हमारे देश की आयल कम्पनीज की सारी तैयारी हो गई है। जो जोइंट वेंचर विदेश से आना है, उनके साथ डिस्कशन चल रहा है और इसमें पंजाब के एम.पीज. ने भी हमें सुझाव दिया था, पंजाब के मुख्य मंत्री ने भी हमें कहा था कि जब तक जोइंट वेंचर का पार्टनर तय नहीं होता है, तब तक क्या आप अपनी आयल कम्पनी का काम शुरू करेंगे। उसके लिए हमने 300 करोड़ से प्रारम्भ में काम शुरू करने का फैसला किया है।

*[अनुवाद]*

मैं गत सप्ताह इसकी स्वीकृति दे चुका हूं। उस धनराशि से, यह काम जल्दी ही पंजाब में शुरू हो जायेगा।

**श्री रूपचन्द पाल:** माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि गत वर्ष 1999-2000 में डीजल आवश्यकता का 13 प्रतिशत आयात किया गया था। क्या मैं जान सकता हूँ ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** आप सभा में अन्य सदस्यों की उत्सुकता भी देख सकते हैं। वे अनुपूरक प्रश्न पूछने में अधिक रूचि रखते हैं। कृपया इसे समझिए।

**श्री रूपचन्द पाल:** डीजल आवश्यकता का तेरह प्रतिशत आयात किया गया था। यह कहा जा रहा है कि वर्ष 2000-2001 के लिए पेट्रोल और डीजल दोनों की जो आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है उससे यह पता चलता है कि कोई आयात नहीं किया जायेगा।

क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूँ कि देश के विभिन्न भागों में उत्पादन क्षमता की संभावनाओं के बारे में कोई गणना की गई है और इन उत्पादन इकाइयों के सामने आ रही गंभीर कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाये गये हैं?

**श्री राम नाईक:** हमने गत वर्ष जो 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुआ डीजल का आयात किया था, क्योंकि इसी दौरान कुछ नए तेल शोधक कारखानों ने काम करना शुरू कर दिया। अब वे पूरे जोर शोर से काम कर रहे हैं। मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूँ कि वर्तमान तेलशोधक क्षमता 112.54 मिलियन मीट्रिक टन है। अतः, इससे इस वर्ष न तो डीजल अथवा पेट्रोल का आयात करने की आवश्यकता होगी। मैंने पहले भी यही कहा है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। सभी तेल शोधक कारखाने अपनी अधिकतम क्षमता से काम कर रहे हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है और इस तरह की कोई कमी भी नहीं है।

## विदेशी सहयोग वाली विद्युत परियोजनाएं

***322. श्री बी. वेंकटेस्वरलु:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं योजना अवधि के दौरान राज्य सरकारों ने विदेशी सहयोग से विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं और इन्हें पूरा करने के लिए क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इनसे विद्युत उत्पादन की स्थिति में कितना सुधार होने की संभावना है?

*[हिन्दी]*

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***विवरण***

(क) से (ग) जी, हां। 59 निजी विद्युत परियोजनाएं ऐसी हैं जिनमें विदेशी कम्पनियों का निवेश शामिल है और जिनके लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति अपेक्षित है। नौवीं योजनावधि (1997-2002) के प्रथम तीन वर्षों के दौरान इनमें से 20 परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन 20 परियोजनाओं की मुख्य-मुख्य विशेषताएं और राज्य-वार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | क्षमता (मे.वा.) | विद्युत क्रय समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि | तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की तिथि | क्रियान्वयन कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | भद्रावती टीपीएस (मै. सेंट्रल इंडिया पावर, महाराष्ट्र) | 1072 | 3.8.1998 | 29.12.1994 | वित्तीय समापन से 42-48 माह |
| 2. | दुबुरी टीपीपी यूनिट-1 व 2 (मै. कलिंग पावर कार्पोरेशन) उड़ीसा | 500 | 10.11.1997 | 29.4.1999 | वित्तीय समापन से 33-36 माह |
| 3. | गौरीपुर टीपीपी (मै. गौरीपुर पावर कंपनी) पश्चिम बंगाल | 150 | 15.10.1998 | 19.4.1999 | वित्तीय समापन से 32 माह |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | रोजा टीपीपी (मै. इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर) उत्तर प्रदेश | 567 | 24.9.1998 | 19.9.1997 | वित्तीय समापन से 40 माह |
| 5. | श्रीनगर एचईपी (मै. डंकन्स नार्थ हाइड्रो पावर कं. लि.) उत्तर प्रदेश। | 330 | 28.8.1998 | 26.11.1999 | वित्तीय समापन से 62 माह |
| 6. | भिलाई टीपीपी (मै. भिलाई पावर सप्लाई कंपनी) मध्य प्रदेश। | 574 | 17.11.1997 | 3.10.1997 | वित्तीय समापन से 39 माह |
| | ौठमपुर डीजीपीपी (मै. शपूरजी पलोनजी पावर कं. लि.) मध्य प्रदेश | 119.7 | 18.11.1997 | 10.2.1998 | वित्तीय समापन से 14-17 माह |
| 8. | रतलाम डीजीपीपी (मै. जीवीके पावर (रतलाम) मध्य प्रदेश | 118.63 | 18.11.1997 | 10.2.1998 | वित्तीय समापन से 14-17 माह |
| 9. | विजाग -टीपीएस (मै. एचएनपीसीएल) आंध्र प्रदेश | 1040 | 15.4.1998 | 25.7.1996 | वित्तीय समापन से 38-44 माह |
| 10. | रामागुण्डम विस्तार (मै. बीपीएल ग्रुप) आंध्र प्रदेश (आईसीबी रूट पर) | 520 | 29.1.1999 | 26.6.1997 | वित्तीय समापन से 33-39 माह |
| 11. | कृष्णापट्टनम "बी" टीपीपी (बीबीआई पावर कृष्णापट्टनम कं.) आंध्र प्रदेश (आईसीबी रूट पर) | 520 | 9.7.1999 | 16.6.1998 | वित्तीय समापन से 36-42 माह |
| 12. | नागार्जुन टीपीपी (मै. नागार्जुन पावर कार्पो. लि.) कर्नाटक | 1015 | 23.7.1999 | 29.4.1999 | वित्तीय समापन से 38-42 माह |
| 13. | बंगलौर सीसीपीपी (मै. पीन्या पावर (कर्नाटक) | 107.6 | 22.10.1999 | 20.9.1999 | वित्तीय सम्पन से 19 माह |
| 14. | नार्थ मद्रास टीपीएस-2 (मै. वीडियोकोन पावर) तमिलनाडु | 1050 | 2.2.1998 | 3.4.1996 | वित्तीय समापन से 42-46 माह |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | तूतीकोरिन टीपीपी चरण-4 (मै. स्पिक) तमिलनाडु | 525 | 12.2.1998 | 31.7.1997 | वित्तीय समापन से 39 माह |
| 16. | नार्थ मद्रास टीपीपी (मै. त्रि-शक्ति एनर्जी प्रा. लि.), तमिलनाडु | 525 | 19.7.1999 | 31.7.1998 | वित्तीय समापन से 37 माह |
| 17. | समयनल्लूर डीजीपीपी (मै. बालाजी पावर), तमिलनाडु | 106 | 21.5.1998 | 10.2.1998 | वित्तीय समापन से 14-17 माह |
| 18. | समलपट्टी डीजीपीपी (मै. समलपट्टी पावर कं लि.), तमिलनाडु। | 106 | 22.5.1998 | 10.2.1998 | वित्तीय समापनन से 14-17 माह |
| 19. | जायमकोंडम टीपीपी (मै. जायमकोंडम लिग्नाइट पावर कार्पोरेशन लि.) तमिलनाडु (आईसीबी रूट पर) | 500 | 15.6.1998 (अवार्ड की तिथि) | | प्रवर्तकों द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु अपनी सम्पूर्ण विस्तृत परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अभी प्रस्तुत की जानी शेष है। |
| 20. | एन्नौर सीसीजीटी (मै. दक्षिण भारत एनर्जी कंसोर्टियम), तमिलनाडु (आईसीबी रूट पर) | 1884.64 | 28.12.1998 | | प्रवर्तकों द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु अपनी सम्पूर्ण विस्तृत परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अभी प्रस्तुत की जानी शेष है। |

(घ) इन 20 परियोजनाओं के चालू हो जाने पर 11330 मे.वा. अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता उपलब्ध हो जाएगी।

*[अनुवाद]*

**श्री बी. वेंकटेस्वरलु:** यह एक स्थापित तथ्य है कि देश में बिजली की भारी कमी है। उत्पादन कुल मांग के बराबर नहीं है। इन खामियों के लिए उत्तरदायी अन्य कई कारणों में से उत्पादन के लिए की गई योजना व पूर्ति और मांग के बीच असंतुलन, आवेदनों के निपटान और इस तरह की परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब आदि है। इस संबंध में दी गई सूचना ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री वेंकटेस्वरलु आप प्रश्न काल में पढ़ नहीं सकते हैं। आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** वे केवल टिप्पणियों का उल्लेख कर रहे हैं।

**प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** महोदय, यह उनका पहला प्रश्न है।

**श्री बी. वेंकटेस्वरलु:** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार एकल खिड़की के जरिए आवेदन की तिथि और सभी प्रकार की स्वीकृतियों को देने में समय के फासले को कम करने पर विचार कर रही है ताकि उत्पादन में तेजी लाई जा सके और बिजली की मांग को जल्दी पूरा किया जा सके।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती जयवन्ती मेहता:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि मांग और आपूर्ति के बीच में काफी अंतर है। कई परियोजनाएं लंबित हैं, उनके बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है। मैं इस सवाल के जवाब में बताना चाहती हूं कि भारत सरकार की तरफ से निश्चित रूप से इस संबंध में ठोस कदम उठाये जा

रहे हैं। उन कमियों को उठाने की दृष्टि से हमने कुछ निर्णय भी किए हैं। जैसे पिछली 26 फरवरी को सभी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई थी। उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह बताया गया कि रिफार्म्स और रिस्ट्रक्चर के लिए केन्द्र सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। उसके आधार पर राज्यों के विद्युत बोर्डों में सुधार लाने के लिए प्रयास किया जाएगा। आज राज्यों के विद्युत बोर्डों का वित्तीय स्थिति समाधानकारक नहीं है। इसलिए इस सम्मेलन में रिफार्म्स और रिस्ट्रक्चर के लिए प्रस्ताव पारित किया, जिससे इनमें सुधार लाने के प्रयास किये जा सकें।

*[अनुवाद]*

**श्री बी. वेंकटेस्वरलु:** महोदय, आंध्र प्रदेश में बिजली की भारी कमी है और राज्य सरकार बिजली की मांग को पूरा करने अन्य राज्यों से बिजली की खरीद भी कर रही है। विद्युत द्वारा पहले स्वीकृत तीन परियोजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा, इस संबंध में अंतिम निर्णय करने की अविलम्ब आवश्यकता है।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री वेंकटेस्वरलु आप कृपया समझिए कि प्रश्न विदेशी सहयोग वाली विद्युत परियोजनाओं के बारे में है।

**श्री बी. वेंकटेस्वरलु:** महोदय, आंध्र प्रदेश में तीन परियोजनाएं हैं अर्थात् कृष्णापटनम, विजाग टीपीएस और रामागुंडम। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय वित्तीय संस्थानों और आवेदकों को आमने-सामने चर्चा के लिए बुलाएगी और राज्य सरकार के हित में इन परियोजनाओं के वित्तीय पोषण को अंतिम रूप देगी।

**अध्यक्ष महोदय:** उत्तर भी प्रश्न पर निर्भर करता है।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती जयवन्ती मेहता:** माननीय सदस्य ने आंध्र प्रदेश की तीन योजनाओं के बार में जो सवाल पूछा है जिसमें विदेशी निवेश का संबंध होने के कारण विवरण में वह बातें रखी गयी हैं। मैं कहना चाहूंगी कि भारत सरकार की तरफ से तो हमने क्लीयरेंस दे दी है लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से, आंध्र प्रदेश की सरकार की तरफ से इसको (ईएससीआरओ के बारे में कोई निर्णय भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

**श्री जितेन्द्र प्रसाद:** अध्यक्ष महोदय, उत्तर में कहा गया है कि 20 नयी इकाइयां स्थापित की जा रही हैं जिनमें दो उत्तर प्रदेश में हैं। एक रोसा में और दूसरी श्रीनगर में। उत्तर में कहा गया है कि यह योजना 40 महीने के बाद जब फाइनेंशियल क्लोजर हो जायेगा तब पूरी होंगी। ये इकाइयां 10-12 वर्ष पहले स्वीकृत हुई थी। आज उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह फाइनेंशियल क्लोजर कब तब सरकार हासिल कर पायेगी, उसके हासिल करने में क्या-क्या दिक्कते हैं और अगर फाइनेंशियल क्लोजर नहीं होगा तो क्या काम नहीं होगा? इन दोनों प्रोजैक्ट्स का स्टेटस क्या है और कब तक यह फाइनेंशियल क्लोजर पूरा कर लेंगे और कब तक दोनों इकाइयां शुरू होंगी?

**श्रीमती जयवन्ती मेहता:** अध्यक्ष महोदय, जो रोसा की योजना है उसके बारे में अभी तक इसक्रो तो स्टेट ने दिया है लेकिन कोल मंत्रालय के साथ उनकी बातचीत जारी है। राज्य सरकार ने जानकारी भारत सरकार को नहीं दी है इसलिए वित्तीय समापन करने के लिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है।

**श्री जितेन्द्र प्रसाद:** अध्यक्ष जी, पिछले दो वर्ष से यही उत्तर आ रहा है।

**श्रीमती जयवन्ती मेहता:** जो जिम्मेदारी राज्य सरकारों ने उठानी है उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती। इसलिए राज्य सरकार ने कोल मंत्रालय के साथ जो बातचीत करनी है, कुछ सप्ताह में वह पूरी करके बताने वाले हैं। श्रीनगर एच.ई.पी. के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में मैं कह सकती हूं कि हमने टी.ई.सी. उन लोगों को दे दी है। उसके पश्चात आगे की कार्यवाही राज्य सरकार को करनी है और उसके हम इंतजार में हैं। तीसरा, भिलाई के बारे में मैं कह सकती हूं कि भिलाई के बारे में इसक्रो नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार से इसक्रो मिलने के बाद उसको कमीशन किया जा सकता है। *...(व्यवधान)* इस विषय में मैं कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से इस योजना के बारे में विचार करने के लिए आपने सवाल पूछा है उसमें निश्चित रूप से कुछ समय में इन 20 योजनाओं के बारे में *...(व्यवधान)*

**श्री मुलायम सिंह यादव:** यह कोई जवाब हो गया, यह जवाब का कौन सा तरीका है। आप समय दीजिए, एक महीना, दो महीना या तीन महीना, दो साल से यही जवाब चल रहा है।

**श्रीमती जयवन्ती मेहता:** अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकारों की तरफ से क्लीयरेंस आने के बाद भारत सरकार तुरन्त कार्रवाई करेगी।

**श्री मुलायम सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि सदन चलने दीजिए। ऐसा जवाब आने पर कैसे सदन चलेगा?

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूरी:** आपके मुख्यमंत्रित्व काल की यह योजना थी लेकिन उस समय आपने कुछ नहीं किया। *...(व्यवधान)*

**श्री मुलायम सिंह यादव:** आप सुधारवादी हैं तो अब इसे सुधार दें। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री खारबेल स्वाइं:** महोदय प्रश्न का भाग (घ) विद्युत उत्पादन में सुधार से संबंधित है। लेकिन माननीय सदस्य जिन्होंने प्रश्न पूछा है, ने भारत में बिजली की कमी की स्थिति के बारे में भी मामला उठाया है। मेरा प्रश्न यह है: राज्य विद्यत बोर्डों के गैर-कार्यनिष्पादन के कारण या मुख्य कारक क्या हैं? क्या यह प्रेषण और वितरण में नुकसान या बिजली की चोरी के कारण हैं? भारत में बिजली की चोरी की वार्षिक मात्रा क्या है? क्या माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देंगे?

**अध्यक्ष महोदय:** यह बिल्कुल अलग प्रश्न है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया समाप्त करें। यह विदेशी सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाओं से संबंधित है।

**श्री खारबेल स्वाइं:** महोदय, प्रश्न सं. 329 भी इसी विषय से संबंधित है। मंत्री महोदय ने इसके लिए भी तैयारी की होगी। उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय:** जी नहीं।

**श्री खारबेल स्वाइं:** महोदय, मेरे पास अभी एक इससे संबंधित प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय:** अभी नहीं।

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत परियोजनाओं (आईपी.पीज) द्वारा विद्युत-उत्पादन का लक्ष्य 28,000 मेगावाट निर्धारित किया गया है। मंत्री महोदय ने जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बताया है, 59 परियोजनाओं में से 20 परियोजनाएं ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई थीं जब लक्ष्य 28,000 मेगावाट का निर्धारित किया गया था, क्या कारण है कि इन 20 परियोजनाओं की स्थापना के बाद भी केवल 11,330 मेगावाट विद्युत उत्पदन का लक्ष्य ही प्राप्त किया गया? सरकार इस अन्तर को कैसे पूरा करेगी और इसमें क्या कठिनाईयां और बाधाएं हैं अंतराष्ट्रीय विद्युत परियोजनाएं क्यों स्थापित नहीं की जा रही हैं और परियोजनाओं को स्वीकृत नहीं किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती जयवन्ती मेहता:** अध्यक्ष महोदय, सरकार के समक्ष सबसे बड़ी कठिनाई यदि कोई है तो आर्थिक वित्तीय व्यवस्था की है। राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों की जो बिगड़ती स्थिति है, उसकी वजह से उनकी तरफ से जो एस्क्रो मिलना चाहिए या किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए, वह पूरा प्राप्त नहीं हो रहा है। इस कारण भारत सरकार इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में असमर्थ है। जब यह व्यवस्था पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम इन योजनाओं को हाथ में ले सकते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि करीब 59 योजनाएं थीं और उनमें से 20 परियोजनाओं के माध्यम से 11 हजार 330 मेगावाट की मंजूरी दी। बाकी को इसलिए मंजूरी नहीं दी कि इनवैस्टिगेशन के बाद भी राज्य सरकारों की तरफ से एस्क्रो या किसी प्रकार के वित्तीय सहयोग की कोई आगे प्रगति नहीं हुई। इस कारण हम अनुमति नहीं दे सके।

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य:** आप 8,000 मेगावाट से अधिक का अन्तर कैसे पूरा करेंगे?

*[हिन्दी]*

गैप कैसे फिलअप होगा?

*[हिन्दी]*

**श्रीमती जयवन्ती मेहता:** जैसे ही राज्य सरकारों की तरफ से आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाएगी, भारत सरकार उन पर निर्णय ले सकेगी।

*[अनुवाद]*

**डा. जयवन्त रंगपी:** महोदय मंत्री महोदय द्वारा उल्लिखित 20 परियोजनाओं की सूची में, एक भी परियोजना पूर्वोत्तर से नहीं है। हर कोई जानता है कि पूर्वोत्तर में पनबिजली की क्षमता या सम्भावना है। एक तरफ तो पूर्वोत्तर में कोई निजी भागीदारी नहीं है, जैसा कि आपके उत्तर से स्पष्ट होता है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि राज्य विद्युत बोर्डों का निजीकरण किया जाए।

साथ ही, आप पूर्वोत्तर में पनबिजली क्षमता का दोहन करने के लिए निजी प्रस्ताव नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, पूर्वोत्तर में पनबिजली क्षमता का उपयोग करने की सरकार की नीति क्या है?

*[हिन्दी]*

**श्रीमती जयवन्ती मेहता:** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके अनुसार मैं कहना चाहूंगी कि यह भारत सरकार की नीति है कि थर्मल से ज्यादा हाइड्रो पावर उत्पादन किया जाये। आपने जो बात कही, वह बिल्कुल सही है कि पूर्वांचल में सभी छोटे छोटे राज्यों में हाइड्रो पावर जैनरेट करने की क्षमता अधिक है। उस दृष्टि से उस कार्यक्रम को लेने के लिए निपको (एन ई पी सी को) के माध्यम से निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं लेकिन निपको के माध्यम से उस कार्यक्रम में लेने के लिए अभी हमारे प्रयास जारी हैं। जैसाकि माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या निजी निवेश करने वाले लोग नहीं आ रहे हैं तो [illegible] बारे में मैं यह जरूर कह सकती हूं कि यदि उसमें निजी [illegible] वाला तैयार होता है तो सरकार की तरफ से इसमें [illegible] रुकावट नहीं है। मैं यह भी बताना चाहूंगी कि पूर्वांचल के छोटे छोटे राज्यों के लिए हाइड्रो पावर को अधिक से अधिक जैनरेट करने के लिए जो क्षमता है, उसका उपयोग करने के लिए हमारा इरादा है। जो वहां पर सरप्लस बिजली है, उसको दक्षिण भारत की तरफ पावर ग्रिड में ला रहे हैं और इसके लिए योजना बनाने के लिए प्रयास जारी हैं और कुछ क्रियान्वित भी हो रहा है। उसमें जो भी अधिक बिजली का प्रावधान होगा, उसका फायदा पूरे राष्ट्र को हो सकता है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हाइड्रो पावर को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देकर अधिक बिजली जैनरेट करने के लिए नीति ले आने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में सोच सकते हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** महोदय, मंत्री महोदय पूर्वोत्तर का महत्व स्वीकार करती हैं। राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, पूर्वोत्तर पीछे है क्योंकि इसकी पूरी तरह उपेक्षा की गई है। अब, ऐसा लगता है कि सरकार की पूर्वोत्तर में अपनी कोई परियोजना नहीं चल रही है। क्या हम बिजली की पूर्ति के लिए केवल निजी क्षेत्र पर ही निर्भर होने जा रहे हैं और सरकार को पूर्वोत्तर से कोई सरोकार नहीं है? यह क्या है? यह उनकी अपनी जिम्मेदारी का पूरा त्याग करना है।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती जयवन्ती मेहता:** अध्यक्ष महोदय, यह सवाल विदेशी निवेश के बारे में है, यदि माननीय सदस्य हाइड्रो पावर के बारे में अलग से प्रश्न पूछेंगे तो उसका पूरा जवाब दिया जायेगा।

*[अनुवाद]*

## गंगा कार्य योजना की समीक्षा

***323. श्री राजैया मल्याला:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गंगा कार्य योजना की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गंगा कार्य योजना के शेष भाग को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू):** (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*विवरण*

(क) और (ख) जी हां, गंगा कार्य योजना और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की विभिन्न स्तरों पर नियमित पुनरीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कार्यक्रम की पुनरीक्षा करता है। सदस्य, योजना आयोग के अधीन गठित निगरानी समिति और सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन गठित संचालन समिति कार्यक्रम की तिमाही आधार पर पुनरीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त, गंगा कार्य योजना चरण-1 का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, रुड़की विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ हाईजिन एण्ड पब्लिक हैल्थ, कलकत्ता द्वारा संयुक्त रूप से मध्यावधिक मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट से पता चला है कि आर्गेनिक तत्वों के निस्तारण में कमी से गंगा कार्य योजना चरण-1 के अंतर्गत जल गुणता का उचित स्तर प्राप्त करने का पहला कदम प्राप्त कर लिया गया है। यहां यह भी बता दिया जाए कि गंगा कार्य योजना चरण-1 की जैसी संकल्पना की गई थी और जैसे इसे लागू किया गया है, यह अन्य नदी बेसिनों पर लागू करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम है। मूल्यांकन रिपोर्ट में कार्यक्रम की कुछ कमियों का उल्लेख किया गया है और इन्हें बाद की नदी कार्य योजनाओं में उपयुक्त सुधार के लिए ध्यान में रख लिया गया है। इसमें आर्गेनिक तत्वों के निस्तारण में कमी, गंगा कार्य योजना चरण-1 के अंतर्गत निर्मित सीवेज एवं अवरोधत ढांचों की नियमित सफाई की आवश्यकता, सभी स्तरों पर तैनात स्टाफ के लिए नियमित प्रशिक्षण, स्रोत वसूली विकल्पों का विश्लेषण आदि शामिल हैं।

हार्वड इंस्टीट्यूट आफ इन्टरनेशनल डिवेलपमेंट के सुविख्यात विशेषज्ञ द्वारा स्थानीय भारतीय संस्थानों अर्थात् इंस्टीट्यूट आफ

इकनामिक ग्रोथ, नई दिल्ली, इंडियन टोक्सीकोलोजी रिसर्च सैंटर, लखनऊ और आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ हाइजिन एण्ड पब्लिक हैल्थ, कलकत्ता के सहयोग से गंगा कार्य योजना चरण-I का लागत लाभ विश्लेषण भी किया गया था। इस अध्ययन का मोटे तौर पर निष्कर्ष यह था कि गंगा कार्य योजना चरण-I की अनेक कमियों के बावजूद इससे भारत को महत्वपूर्ण लाभ हुआ है। कन्नौज और वाराणसी के बीच नदी के प्रदूषित क्षेत्र, जहां स्नान श्रेणी मानकों का उल्लंघन हो रहा है, गंगा कार्य योजना चरण-I के कारण उन्हीं शहरों में यह 437 किलोमीटर के स्थान पर कम से कम 740 किलोमीटर होता। लागत और लगने वाला समय दोनों के हिसाब से यदि देखा जाए तो गंगा कार्य योजना चरण-1 विश्व की अन्य मुख्य नदियों की तुलना में बेहतर है। अध्ययन से पता चला है कि गंगा कार्य योजना चरण-I की आंतरिक प्राप्ति दर सार्वजनिक क्षेत्र परियोजना की अपेक्षित 10% दर से अधिक है।

(ग) 1985 में शुरू की गई गंगा कार्य योजना चरण-I स्कीम 31.3.2000 से बन्द हो गई है। तथापि अप्रैल 1993 और अक्तूबर 1996 के बीच अनुमोदित गंगा कार्य योजना चरण-II, जिसमें यमुना, गोमती, दामोदर और गंगा की मुख्य सहायक नदियां शामिल है, पर इस समय कार्य हो रहा है और इसके 10वीं योजना के अंत में पूरा होने की सम्भावना है।

*[अनुवाद]*

**श्री राजैया मल्याला:** महोदय, यह प्रश्न मांग के प्रदूषत जल को साफ करने के बारे में है। गंगा कार्य योजना वर्ष 1985 में शुरु की गई थी, लेकिन उत्तर में यह बताया गया है कि गंगा कार्य योजना चरण-I, जिसे 1985 में शुरु कया गया था, बन्द हो गई है और गंगा कार्य योजना चरण-II का क्रियान्वयन जारी है। गंगा नदी का जल दिन-प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। कानपुर के चमड़े के कारखाने भी गंगा के जल को प्रदूषत कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किये जा रहे हैं कि औद्योगिक कचरे से नदी प्रदूषित न हो। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस नदी को प्रदूषित करने वाले उद्योगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और कितने उद्योगों में औद्योगिक कचरे को साफ करने के संयंत्र लगाए गए हैं।

**श्री टी.आर. बालू:** भारत सरकार ने जानबूझकर 1985 में गंगा नदी को साफ करने का निर्णय लिया था। इसलिए एक कार्य योजना की परिकल्पना की गई, अर्थात् गंगा कार्य योजना चरण-I, इस परियोजना की लागत 462 करोड़ रु. आंकी गई थी। आज, की तारीख तक इस पर कुल खर्च 452 करोड़ रु. है। इस संबंध में कुल 261 स्कीमों में से 258 स्कीमें पहले ही पूरी हो गई हैं। बिहार में केवल दो और पश्चिम बंगाल में केवल एक स्कीम पूरी होनी हैं। मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल एक महीने के अन्दर इसे पूरा कर लेगी।

बिहार इन्हें पूरा करने में दो या तीन महीने लेगी। अन्तरराष्ट्रीय नदियों जैसे टेम्स, रिने और दनूबे, नदियों को साफ करने में तीस वर्षों का समय लगा जबकि गंगा नदी को साफ करने में हमने केवल 15 वर्ष का समय लिया। टेम्स नदी की लम्बाई केवल 250 कि.मी. है जबकि गंगा नदी की लम्बाई 2,500 कि.मी. है। इसका अर्थ यह हुआ कि टेम्स नदी की लम्बाई गंगा नदी की लम्बाई का एक दसवां भाग है। हम कह सकते हैं कि टेम्स नदी पूरी तरह 100 वर्षों के बाद साफ हो सकी क्योंकि सालमन मछली 100 वर्षों के पश्चात् ही पुन: दिखाई दी *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें।

**श्री टी.आर. बालू:** जहां तक गंगा नदी को साफ करने का संबंध है, कुछ प्रचलनात्मक और रखरखाव की समस्याएं हैं। प्रचलनात्मक और रखरखाव की प्रक्रिया बिहार में उचित नहीं है और कुछ सीमा तक यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। हमने यह मामला उठाया है और हम राज्य सरकारों के लगातार सम्पर्क में हैं। हमारे अधिकारी राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि रखरखाव के कार्य को उचित रूप से शुरू किया जा सके। वस्तुत:, सौ प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है, लेकिन शुद्ध उपलब्धियां या इसकी कार्यक्षमता केवल 35 प्रतिशत है, जिसका कारण अधिक जनसंख्या का होना है। आंकड़े वे नहीं हैं जो हमने 1985-2000 के लिए अनुमान लगाये थे।

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया प्रश्न का उत्तर देते समय कम समय लें क्योंकि समय कम है।

**श्री राजैया मल्याला:** मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि उपलब्धि केवल 30 प्रतिशत है।

**श्री टी.आर. बालू:** यह 35 प्रतिशत है।

**श्री राजैया मल्याला:** 30 अथवा 35 प्रतिशत में अधिक अन्तर नहीं है।

**श्री टी.आर. बालू:** यह उपलब्धि भी काफी है।

**श्री राजैया मल्याला:** मंत्रालय द्वारा उन उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जिन्होंने अनुदेशों का पालन नहीं किया है।

*[हिन्दी]*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:** अध्यक्ष महोदय, इसी पर मेरा मामला भी बहुत महत्वपूर्ण है।

**अध्यक्ष महोदय:** अभी माननीय सदस्य सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं।

[अंग्रेजी]

मंत्री महोदय को उत्तर देने दें, यह क्या है?

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:** सर, 15 साल से मंत्री जी बता रहे हैं कि गंगा की सफाई हो रही है।

**अध्यक्ष महोदय:** यह प्रोसीजर नहीं है।

*[अनुवाद]*

**श्री टी.आर. बालू:** केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड ने कुल मिलाकर ...रण करने वाली इकाईयों की पहचान की है। 91 इकाईयों ...शोधन संयंत्र स्थापित किए हैं और वे सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, 32 इकाईयां बन्द हो गई हैं। 64 इकाईयां, जहां शोधन संयंत्र स्थापित किये गये थे, सफलतापूर्वक काम नहीं कर रहीं और उनके विरुद्ध पहले ही कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है।

**श्री कमलनाथ:** महोदय, गंगा कार्य योजना श्री राजीव गांधी द्वारा परिकल्पित और शुरू की गई की जब वे प्रधानमंत्री थे और जिस योजना की उन्होंने परिकल्पना की थी उस पर निश्चित रूप से काफी ध्यान दिया गया था। गंगा कार्य योजना चरण-I अनेकों समीक्षाओं से गुजरा। जब गंगा कार्य योजना-II बनाया और अनुमोदित किया गया, यह निर्णय लिया गया था कि गंगा कार्य योजना चरण-II को भी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के साथ समेकित किया जाएगा। जैसा कि हमें उत्तर में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण है, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी आखिरी बैठक कब आयोजित की गई थी। दूसरा, गंगा कार्य योजना चरण-I के मूल्यांकन पर कतिपय कमियां पाई गईं जैसे मलव्ययन शोधन संयंत्रों का राज्य सरकारों द्वारा रखरखाव नहीं किया जा रहा है। उसके बारे में क्या किया जा रहा है?

**श्री टी.आर. बालू:** मॉनीटरिंग तंत्र में तीन चरण हैं। एक है एन आर सी ए अर्थात् राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और जिसमें उ.प्र., पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्यमंत्री और इन राज्यों के पर्यावरण मंत्री सदस्य होते हैं। यह प्राधिकरण हर चीज को देखती है। 1997 के दौरान इसकी आठ बैठकें आयोजित की गयीं। इसके अलावा, योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग समिति भी है।

**मध्याह्न 12.00 बजे**

इसकी 43 बैठकें हुई हैं। विभाग के सचिव की अध्यक्षता में विषय-निर्वाचन (स्टीयरिंग कमेटी) 28 बार बैठी है। एन सी आर ए की पिछली बैठक 1997 में हुई थी और विषय-निर्वाचन समिति की बैठक 1999 में हुई थी और मॉनिटरिंग समिति की पिछली बैठक 7 मार्च, 2000 को आयोजित की गई थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

*[हिन्दी]*

**पेट्रोल और डीजल की खपत, उत्पादन और आयात**

***324. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:**
**श्री अब्दुल हमीद:**

**क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) वर्तमान में देश में पेट्रोल और डीजल की वार्षिक खपत कितनी है;**

**(ख) क्या उपलब्ध पेट्रोल और डीजल की मात्रा देश में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;**

**(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;**

**(घ) प्रतिवर्ष पेट्रोल और डीजल का कितनी मात्रा में आयात किया जाता है;**

**(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है;**

**(च) क्या तेल उत्पादन के लिए कोई विदेशी सहायता भी ली जा रही है; और**

**(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक):** (क)से (घ) वर्ष, 1999-2000 में देश में पेट्रोल तथा डीजल की खपत क्रमश: 5.9 मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) तथा 39.5 मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) होने का अनुमान है पेट्रोल

की अपेक्षित मात्रा का उत्पादन स्वदेशी तौर पर किया जाता है। जबकि डीजल की मांग का एक भाग आयातों के माध्यम से पूरा किया जा रहा था। 1999-2000 के दौरान डीजल की जरूरत का लगभग 13 प्रतिशत आयात किया गया था।

चूंकि कच्चे तेल को पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्गत संसाधित करने के लिए शोधन क्षमता में विगत वर्ष के दौरान काफी वृद्धि हुई है। इसलिए वर्ष 2000-2001 के लिए पेट्रोल तथा डीजल के किन्हीं आयातों के विषय में विचार नहीं किया गया है। फिर भी कच्चे तेल का आयात जारी रहेगा।

(ङ) शोधन क्षमता में वृद्धि से वर्तमान में देश में कच्चे तेल के पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्गत संसाधित करने के लिए पर्याप्त सामर्थ्य विद्यमान है। वर्ष, 2000-2001 के दौरान अतिरिक्तत कच्चे तेल की लगभग 27 मिलियन मीट्रिक टन मात्रा संसाधित की जाएगी।

साथ ही पेट्रोल तथा डीजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं। पेट्रोल में सीसे के अंश को 1 फरवरी, 2000 से पूर्णतया बाहर निकाल दिया गया है। डीजल में गंधक के अंश को कम करने के लिए लगभग 5600 करोड़ रुपये की कुल लागत पर नौ डीजल हाइड्रो डि-सल्फराइजेशन संयत्र चालू किए गए हैं। इससे 1 जनवरी, 2000 से समस्त देश में अधिकतम 0.25 प्रतिशत गंधक अंश वाले डीजल की आपूर्ति सुसाध्य हुई है।

(च) और (छ) सरकारी नीति के अंतर्गत कच्चे तेल के उत्पादन के लिए एक वैश्विक निविदा प्रक्रिया की व्यवस्था है, जिसमें भारतीय एवं विदेश दोनों ही, सरकारी कंपनियां एवं निजी कंपनियां प्रतिभागिता कर सकती हैं। तथापि, तेल के उत्पादन के लिए ऋण, अनुदान अथवा परियोजना सहायता के रूप में कोई विदेशी सहायता नहीं मांगी जा रही है।

*[अनुवाद]*

**एल.पी.जी. और मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि**

***325. श्री शिवाजी माने:**
**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एल.पी.जी, मिट्टी के तेल और विमान ईंधन की कीमतों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसका औचित्य क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना वार्षिक लाभ होने की संभावना है;

(घ) एल.पी.जी. और मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप इनमें दी जाने वाली राज सहायता में कितनी कमी की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार गरीब और माध्यम वर्ग के परिवारों के हितों की रक्षा करने के लिए इन उत्पादों की कीमतों की गई वृद्धि को वापस लेने का है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कितनी बार वृद्धि की गई और इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक):** (क) जी हां। सरकार ने 22-23 मार्च, 2000 की अर्ध रात्रि से एल.पी.जी. (पैक्ड घरेलू) के भण्डार, स्थल तक के मूल्य में 30 रुपये प्रति सिलेन्डर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल में 2.50 रुपये प्रति लीटर तथा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ए टी एफ) में 2.00 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है।

(ख) मूल्यों में संशोधित कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में तीव्र वृद्धि के कारण तेल पूल खाते में बढ़ते हुए घाटे को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। ये वृद्धियां पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए नवम्बर, 1997 में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों अनुरूप है।

(ग) से (च) तेल पूल खाते में अनुमानित घाटा वार्षिक आधार पर लगभग 5400 करोड़ रुपये तक कम हो जाएगा। बिक्री मूल्यों में हाल के संशोधन के फलस्वरूप एल पी जी (पैक्ड घरेलू) तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल पर राजसहायता क्रमश: 30 रुपये प्रति सिलेन्डर व 2.50 रुपये प्रति लीटर कम कर दी गई है। मूल्यों में वृद्धि वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के भण्डार स्थल तक के मूल्यों में संशोधनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

*विवरण*

*मुख्य नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण स्थल तक के मूल्य दर्शाने वाला विवरण*

| निम्न तारीख को | एम एस 87 रुपये/लीटर | एच एस डी रुपये/लीटर | एस के ओ (घरेलू) रुपये/लीटर | एलपीजी (पै. घरेलू) रुपये/कि.ग्रा. | रुपये/सिलिंडर | ए टी एफ (घरेलू) रुपये/लीटर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.97 | 16.06 | 6.57 | 2.00 | 6.90 | 98.01 | 10.84 |
| निम्न तारीख को संशोधन किया गया | | | | | | |
| 2.9.97 | 17.06 | 8.37 | | 7.96 | 113.01 | |
| 7.11.97 | | 7.92 | | | | |
| 25.12.97 | | 8.00 | | | | |
| | | 7.84 | | | | |
| | | 7.65 | | | | |
| 3.6.98 | 15.80 | | | | | |
| 20.5.98 | | 7.54 | | | | |
| 9.1.99 | | 6.72 | | | | |
| 1.2.99 | | | | 8.94 | 127.01 | |
| 28.2.99 | 15.40 | 6.62 | | 8.73 | 124.01 | 10.76 |
| 20.4.99 | | 6.88 | | | | |
| 6.10.99 | | 9.63 | | | | |
| 23.3.2000 | 15.40 | 9.63 | 4.50 | 10.85 | 154.01 | 12.76 |

टिप्पणी: भंडारण स्थल तक के मूल्य में शुल्क, भाड़ा, स्थानीय उदग्रहण आदि सम्मिलित नहीं है।

एम एस- मोटर स्पिरिट
एच एस डी - हाई स्पीड डीजल
एस के ओ (घरेलू) - सुपर करोसान आयल (घरेलू)
एल पी जी (पैक्ड) (घरेलू)- तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (पैक्ड-घरेलू)
ए टी एफ (घरेलू) - एविएशन टर्बाईन फ्यूल (घरेलू)

## पनबिजली परियोजनाएं

*326. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास कर्नाटक और अन्य राज्यों में पन बिजली परियोजाओं को लगाने हेतु कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(ख) इन प्रस्तावित परियोजनाओं से सृजित होने वाली क्षमताओं का ब्यौरा क्या है और इनके लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्नाटक में पन बिजली परियोजनाओं को लगाने की जिम्मेवारी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन.एच.पी.सी.) को सौंपी गई है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) और (ख) कर्नाटक का जल विद्युत परियोजना का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के पास स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है। तथापि, जल विद्युत स्कीम कर्नाटक राज्य सरकार

को इस अनुरोध के साथ लौटा दी गई है कि संबंधित राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने के बाद स्कीमों को पुन: प्रस्तुत किया जाए। इस स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जहां तक राज्यों का संबंध है 1050 मे.वा. कुल क्षमता के लिए पांच जल विद्युत परियोजनाएं के.वि.प्रा. की तकनीकी - आर्थिक स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में कुल 49185 मे.वा. क्षमता के लिए 90 जल विद्युत स्कीमों को विभिन्न निवेश सुनिश्चित किए जाने के बाद तथा अंतर्राज्यीय मुद्दे, जहां विद्यमान हो। सुलझाए जाने के पश्चात् पुन: प्रस्तुत किए जाने के लिए परियोजना प्राधिकारियों को लौटा दिया गया है।

(ग) और (घ) तमिलनाडु सरकार और कर्नाटक सरकार ने कावेरी नदी में जल विद्युत परियोजनाओं का विकास करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जिन्हें अंतर्राज्यीय विवादों के कारण स्वीकृति प्रदान नहीं का जी सकी। इसे मद्देनजर रखते हुए विद्युत मंत्रालय ने दोनों राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों की समीक्षा करने तथा कावेरी नदी की असमुपयोजित जल विद्युत शक्यता का ईष्टतम समुपयोजन करने के लिए एक योजना तैयार करने हेतु नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (एनएचपीसी) से कहा है। तदनुसार एनएचपीसी ने ईष्टतम विकास हेतु एक योजना तैयार की है। जिसमें कुल मिलाकर 1140 मे.वा. क्षमता के लिए चार जल विद्युत परियोजनाओं नामश: शिवसमुद्रम (270 मे.वा.) मेकादातु, (550 मे.वा.), (रसीमनान 200 मे.वा.) तथा होगेलक्कल (120 मे.वा.) की परिकल्पना की गई है जो कि क्रमश: 2450 मे.वा. ऊर्जा का उत्पादन करेगी। कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार इन परियोजनाओं से विद्युत की भागेदारी हेतु पारस्परिक रूप से एक संतोषजनक समझौते पर पहुंचने की शर्त पर इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन, प्रचालन और अनुरक्षण करने के लिए एनएचपीसी तैयार है। विद्युत मंत्रालय और एनएचपीसी राज्य सरकारों के साथ मामले पर विचार-विमर्श कर रहा है ताकि विद्युत की हिस्सेदारी के मामले पर एक पारस्परिक संतोषजनक समझौते पर पहुंचा जा सके।

***विवरण-I***

*पुन: प्रस्तुत किए जाने हेतु लौटाई गयी कर्नाटक की जल विद्युत बहुउद्देशीय स्कीम*

| क्र. सं. | स्कीम का नाम | अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.) | डीपी आर प्राप्ति की तिथि | वापसी की तारीख | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | महादायी | 2×10+2×12.5 +2×150=345 | 8/91 | 3/92 | गोवा के साथ अंतर्राज्यीय घटक शामिल है। |
| 2. | कबीना बांध | 1×20 =20 | 8/79 | 5/90 | कावेरी बेसिन में स्थित अंतर्राज्यीय घटक शामिल है। |
| 3. | कटला एवं पलना | काली नदी बेसिन में विद्युत की वृद्धि | 11/85 | 10/87 | गोवा के साथ अंतर्राज्यीय घटक शामिल है। |
| 4. | शिवसमुद्रम सिजनल | 2×135 =270 | 10/87 | 10/88 | कावेरी बेसिन में स्थित अंतर्राज्यीय घटक शामिल है |
| 5. | मेंकादातू-1 एवं 2 चरण | 1-180 +चरण -11-180 =360 | 10/96 | 10/96 | कावेरी बेसिन में स्थित तमिलनाडु के साथ अंतर्राज्यीय घटक शामिल है |
| 6. | ऊपरी कृष्ण-1 (अलमट्टी) | 4×70+1×17 =297 | 10/96 | 10/96 | आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ अंतर्राज्यीय घटक शामिल है |
| 7. | तट्टीहल्ला अभिवृद्धि स्कीम | अभिवृद्धि स्कीम | 8/98 | 9/99 | के.वि.प्रा. की संस्तुति आवश्यक नहीं है। क्योंकि परियोजना भी 250 करोड़ रुपये से कम की है। |

*विवरण-II*

*तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु लंबित जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा*

| | राज्य/परियोजना | क्षमता (मे.वा.) | प्राप्ति की तिथि | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | धामवाडी सुण्डा एचईपी | 2×352= 70 मे.वा. | 2/99 | अस्थायी परियोजना मूल्यांकन समिति की 13.2.2000 को बैठक हुई। |
| 2. | उहल एचईपी चरण -3 | 2×50= 100 मे.वा. | 11/99 | जांचाधीन |
| 3. | श्रीनगर एचईपी (निजी) | 5×66 मैं.वा. =330 मे.वा. | 3/2000 | नवीन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जांचाधीन है। |
| | ...रली पीएसएस | 2×200 =400 मे.वा. | 9/99 | महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वीकृति 31.5.2000 तक प्रदान की जाएगी। |
| 5. | बालीमेला एचईपी | 2×75 =150 मे.वा. | 5/98 25.10.1999 | केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की 25.10.1999 को बैठक हुई। अंतर्राज्यीय मुद्दों को सुलझाने के बाद औपचारिक स्वीकृति जारी की जाएगी। |
| | | जोड़: 1050 मे.वा. | | |

**पंजाब की विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान और हरियाणा का हिस्सा**

***327. श्री गिरधारी लाल भार्गव:**
**कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब की विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन की हिस्सेदारी से संबंधित राजस्थान और हरियाणा के दावों को लेकर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की सरकारों के बीच आपस में समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से इस मुद्दे का हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) से (ग) आनन्दपुर साहिब जल विद्युत परियोजना, मुकेरियां जल विद्युत परियोजना, अपर बारी -दोआबा कैनाल (यूबीडीसी) चरण-2 और शाहपुर कंडी जल विद्युत स्कीम में उत्पादित विद्युत की हिस्सेदारी के लिए पंजाब, हरियाणा, और राजस्थान के दावों से संबंधित मुद्दे का समाधान करने के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और केन्द्र सरकार के मध्य एक समझौता 10.05.1984 को तैयार किया गया था ताकि इन परियोजनाओं में हरियाणा और राजस्थान की हकदारी के प्रश्न पर और प्रत्येक राज्य के हिस्से का निर्धारण करने के लिए इस प्रकार की भागीदारी होने के मामले में इसे उच्चतम न्यायालय को भेजा जा सके।

सर्वमान्य समाधान पर पहुंचने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने संबंधित राज्यों के साथ अनेक बैठकें बुलाई थी। तथापि, किसी परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सकता।

तत्पश्चात् अक्तूबर, 1997 और फरवरी, 1999 में आयोजित उत्तर-क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में भी इस विषय पर चर्चा की गई थी। 28.2.1999 को आयोजित बैठक में यह संकल्प लिया गया था कि सभी संबंधित घटकों की गहराई से अध्ययन करने के लिए

तथा पारस्परिक सहमति योग्य पैरामीटरों पर सर्वसम्मति तैयार करने के लिए उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के संबंधित मंत्रियों तथा मुख्यमंत्रियों का अलग से सम्मेलन बुलाया जाएगा।

उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के मंत्री/मुख्यमंत्रियों की एक बैठक अप्रैल, 1999 में बुलाने का कार्यक्रम था। तथापि, पंजाब में त्रिशतवर्षीय समारोहों और आम चुनाव की उत्तरवर्ती घोषणा के कारण बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। अब इस बैठक को बुलाने का प्रस्ताव किया गया है। तत्पश्चात् बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आगे कदम उठाए जायेंगे।

## चालू परियोजनाएं

***328. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश में चल रही परियोजनाओं की हाल में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों और उनकी प्राप्ति के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000-2001 और अगली पंचवर्षीय योजना के लिए सामान्यत: राज्यों में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बनाई गई और अंतिम रूप दी गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सन् 2000-2001 के दौरान विभिन्न राज्यों में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में सड़कों का विस्तार करने और उनका उन्नयन करने हेतु विश्व बैंक के ऋण और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/निजी वित्तीय संगठनों से मिलने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह):** (क) और (ख) चालू परियोजनाओं की प्रगति की निरन्तर समीक्षा की जाती है। 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और एशियाई विकास बैंक तथा ओवरसीज इकानामिक को-आपरेशन फंड द्वारा वित्त पोषित 35 परियोजनाओं का विभिन्न स्तरों पर कार्य चल रहा था। जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिल्ली-कलकत्ता-चेन्नई-मुम्बई-दिल्ली को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज और श्रीनगर से कन्या कुमारी तक उत्तर दक्षिणी तथा सिलचर से पोरबंदर तक पूर्व पश्चिमी गलियारे की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का हिस्सा बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर 4 लेन/6 लेन बनाने का कार्य पूरा करने का आदेश दिया गया है। वर्ष 2000-2001 के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओ के ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गये हैं। महाराष्ट्र की परियोजनाओं सहित स्वर्णिम चतुर्भुज से संबंधित शेष परियोजनाओं को वर्ष 2003 तक पूरा करने का प्रस्ताव है। उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारे की शेष परियोजनाएं जिनमें महाराष्ट्र में अवस्थित परियोजनाएं शामिल हैं, के संबंध में प्राथमिकता दिए जाने के अध्ययन किए जा रहे हैं। इन अध्ययनों के आधार पर शेष लम्बाई को वर्ष 2009 तक पांच चरणों में शुरू करके पूरा करने को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान विदेशी वित्त पोषण से शुरू की जाने वाली संभावित परियोजनाएं इस प्रकार हैं:-

**(1) विश्व बैंक:**

| क्र. सं. | निर्माण पैकेज | रा.रा. | राज्य | लंबाई (कि.मी.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पैकेज-II-क 393.00 कि.मी. से 470.00 कि.मी. तक(बरास्ता सिकन्दरा-बारा सड़क) | 2 | उ.प्र. | 61.6 |
| 2. | पैकेज-II-ग 38.00 से 115.00 कि.मी. तक | 2 | उ.प्र. | 77.0 |
| 3. | पैकेज-III-क 115 कि.मी. से 158.00 कि.मी. तक | 2 | उ.प्र. | 43.0 |
| 4. | पैकेज-III-ग 245.00 कि.मी. से 317.00 कि.मी. तक | 2 | उ.प्र. | 72.0 |
| 5. | पैकेज I-ख-ख 65 कि.मी. से 110.00 कि.मी. तक | 2 | बिहार | 45.0 |
| 6. | पैकेज IV-घ 140.00 कि.मी. से 180 कि.मी. तक | 2 | बिहार | 40.0 |
| 7. | पैकेज V-क और ग, 180 कि.मी. से 240.00 कि.मी. तक और 320.00 कि. मी. से 398.00 कि.मी. तक | 2 | बिहार | 138.75 |
| | जोड़ | | | 477.35 |

उत्तर प्रदेश और बिहार में इन परियोजनाओं पर संभवत: 2428 करोड़ रु. की लागत आएगी। तथापि, विश्व बैंक के साथ ऋण संबंधी वार्ताएं अभी शुरू होनी हैं।

**(2) एशियाई विकास बैंक परियोजना**

गुजरात और महाराष्ट्र राजमार्ग -8 के सूरत-मनोर खंड का सुधार ए.वि.बैंक की सहायता से शुरू करने का प्रस्ताव है। इस खंड की कुल लम्बाई 176 कि.मी. (गुजरात में 120 कि.मी. और महाराष्ट्र में 56 कि.मी.) है और इसकी अनुमानित लागत 700 करोड़ रु. है। प्रस्तावित ऋण के लिए ए.वि.बैंक के अनुमोदन की अभी प्रतीक्षा है।

*विवरण-I*

*वास्तविक और वित्तीय प्रगति दर्शाने वाला विवरण*

| क्र.सं. | रा.रा. | राज्य | खंड | वास्तविक प्रगति | | वित्तीय प्रगति (करोड़ रुपये) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | लक्ष्य% | उपलब्धि% | लक्ष्य | उपलब्धि |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 8 | हरियाणा और राजस्थान | गुडगांव (36.63 कि.मी.) से कोटपुतली (162.50 कि.मी.) तक दिल्ली- जयपुर सड़क का सुधार | 38.7 | 40.5 | 117.1 | 113.1 |
| 2. | 2 | पश्चिम बंगाल और बिहार | रानीगंज (475 कि.मी.) से पानागढ़ (516 कि.मी.) तक सुधार | 39.6 | 33.9 | 53.8 | 48.0 |
| 3. | 2 | बिहार | बारवाअड्डा (398.75 कि.मी.) से बराकर (441.44 कि.मी.) तक सुधार | 41.4 | 28.0 | 51.2 | 39.3 |
| 4. | 9 | आंध्र प्रदेश | नंदीगामा (217.00 कि.मी.) से विजयवाड़ा (265.00 कि.मी.) तक सुधार | 46.0 | 40.4 | 32.1 | 27.3 |
| 5. | 5 | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा (3.4 कि.मी.) से इल्लुरू (75.0 कि.मी.) तक सुधार | 45.6 | 41.7 | 94.8 | 80.9 |
| 6. | 1 | पंजाब | जालंधर बाइपास 372.700 कि.मी. से 387.100 कि.मी. | 5.00 | 4.69 | 10.82 | 9.03 |
| 7. | 1 | हरियाणा | दिल्ली सीमा से समलखा 29.295 कि.मी. से 44.00 कि.मी. | 5.00 | 5.09 | 7.30 | 6.24 |
| 8. | 3 | उ.प्र. | आगरा-ग्वालियर खंड 8 कि.मी. से 24 कि.मी. | 5.00 | 6.91 | 7.22 | 6.83 |
| 9. | 3 | राजस्थान | आगरा-धौलपुर खंड 41.00 कि.मी.से 52.00 कि.मी. | 5.00 | 2.94 | 3.60 | 2.69 |
| 10. | 3 | मध्य प्रदेश | 60.00 कि.मी. से 70.00 कि.मी. (चम्बल सीमा से मुरैना की ओर) | 5.00 | 0.20 | 2.05 | 0.00 |
| 11. | 7 | महाराष्ट्र | नागपुर-अदिलाबाद 9.200 कि.मी. से 22.30 कि.मी. और 24.61 कि.मी. से 35.00 कि.मी. | 5.00 | 7.89 | 11.98 | 13.65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 7 | आंध्र प्रदेश | नागपुर-हैदराबाद खंड 447 कि.मी. से 464 कि.मी. | 5.00 | 0.84 | 6.96 | 4.47 |
| 13. | 7 | आंध्र प्रदेश | हैदराबाद-बंगलौर खंड 22.300 कि.मी. से 34.800 कि.मी. | 5.00 | 2.99 | 4.71 | 3.53 |
| 14. | 7 | कर्नाटक | हैदराबाद-बंगलौर (देवनहल्ली के पास) 524.00 कि.मी. से 527.00 कि.मी. 535.00 कि.मी. से 538.00 कि.मी. और 539.00 कि.मी. एक 538 कि.मी. | 5.00 | 2.00 | 3.68 | 1.83 |
| 15. | 7 | तमिलनाडु | हाथीपल्ली-होसुर खंड 33.015 कि.मी. से 48.600 कि.मी. | 5.00 | 2.00 | 6.61 | 3.30 |
| 16. | 7 | तमिलनाडु | सलेम बाइपास 199.2 कि.मी. से 207.600 कि.मी. | 5.00 | 4.45 | 3.77 | 3.10 |
| 17. | 7 | तमिलनाडु | करूर बाइपास करूर आर ओ बी सहित | 7.78 | 2.9 | 12.49 | 5.81 |
| 18. | 7 | तमिलनाडु | तोपरघाट का 156-163.4 कि.मी. को चार लेन बनाना | 5.00 | 2.00 | 4.41 | 2.10 |
| 19. | 14 | गुजरात | 340 कि.मी. से 350 कि.मी. (पालनपुर के पास) | 5.00 | 5.73 | 3.14 | 2.78 |
| 20. | 25 | उ.प्र. | लखनऊ-कानपुर खंड 11.380 कि.मी. से 21.800 कि.मी. | 5.00 | 0.20 | 2.87 | 2.87 |
| 21. | 25 | उ.प्र. | लखनऊ-कानपुर खंड 59.500 कि.मी. से 75.500 कि.मी. | 5.00 | 2.00 | 3.98 | 4.40 |
| 22. | 31 | बिहार | पूर्णिया-गयाकोटा 410 कि.मी. से 419 कि.मी. और 470 से 476.150 कि.मी | 4.00 | 2.00 | 10.74 | 5.72 |
| 23. | 31 | प. बंगाल | दलखोला से इस्लामपुर उपखंड 1 (447 कि.मी. से 470 कि.मी.) | 5.00 | 2.00 | 12.37 | 6.59 |
| 24. | 31 | प. बंगाल | दलखोला से इस्लामपुर उपखंड 2 (476.150 कि.मी. से 470 कि.मी.) | 5.00 | 0.20 | 7.68 | 7.67 |
| 25. | 24 | उ.प्र. | मुरादाबाद बाइपास | 22.41 | 19.38 | 25.89 | 23.47 |
| 26. | 8 | राजस्थान | जयपुर बाइपास (फेज-1) | 67.4 | 67.4 | 44.00 | 44.00 |
| 27. | 8 | राजस्थान | किशनगढ़ में आर ओ बी | पूरा | पूरा | बी ओ टी | बी ओ टी |
| 28. | 4 और 45 | तमिलनाडु | चेन्नई बाइपास (फेज -1) | 54.00 | 42.00 | 28.75 | 28.75 |
| 29. | 6 | मध्य प्रदेश | दुर्ग बाइपास | | | बी ओ टी | बी ओ टी |
| 30. | 8क | गुजरात | समख्याली-गांधीधाम 306 कि.मी. से 324 कि.मी. तक | 86.00 | 75.00 | 30.00 | 28.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 8क | गुजरात | समख्याली-गांधीधाम 334 कि.मी. से 346 कि.मी. तक | 33.00 | 15.00 | 18.00 | 9.00 |
| 32. | 8क | गुजरात | समख्याली-गांधीधाम 346 कि.मी. से 36.162 कि.मी. तक | 34.00 | 25.00 | 13.00 | 11.00 |
| 33. | 5 | उड़ीसा | चार लेन को चौड़ा करना और जगतपुर-चांदीखोल खंड (33 कि.मी.) को सुदृढ़ करना | शून्य | शून्य | 11.00 | 11.00 |
| 34. | 24 | उ.प्र. | 4लेन को सुदृढ़ करना और गाजियाबाद-हापुड़ और हापुड़ बाइपास(32.36 कि.मी.) को सुदृढ़ करना | 16.00 | 13.00 | 26.9 | 26.9 |
| | 5 | आंध्र प्रदेश | 4 लेन को चौड़ा करना और कृष्णा नदी पर बने पुल सहित विजयवाड़ा-चिल्कालुरीपेट (83.75 कि.मी.) को सुदृढ़ करना | 22.00 | 16.00 | 62.5 | 62.5 |

*विवरण-II*

*2000-2001 के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाएं*

**(क) उत्तर दक्षिण और पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर (चरण-II)**

| क्र.सं. | राज्य | रा.रा. सं. | खंड | लम्बाई (कि.मी.) | 4लेन/6लेन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | जम्मू और कश्मीर | 1क | जम्मू-पठानकोट खंड 80.00 कि.मी. से 97.20 कि.मी | 17 | 4लेन |
| 2. | पंजाब | 1क | जालंधर-पठानकोट खंड 4.23 कि.मी. से 26.00 कि.मी. | 22 | 4लेन |
| 3. | हरियाणा | 1 | 44.00 कि.मी. से 66.00 कि.मी. | 22 | 4 लेन से 6 लेन |
| 4. | दिल्ली | 1 | 16.50 कि.मी. से 29.295 कि.मी | 13 | 4 लेन से 6 लेन |
| 5. | उत्तर प्रदेश और राजस्थान | 3 | आगरा-धौलपुर खंड 24.00 कि.मी. से 41.00 कि.मी. | 18 | 4लेन |
| 6. | मध्य प्रदेश | 3 | 70.00 कि.मी. से 85.00 कि.मी | 15 | 4लेन |
| 7. | मध्य प्रदेश | 3 | 85.00 कि.मी. से 103.00 कि.मी | 18 | 4लेन |
| 8. | महाराष्ट्र | 7 | नागपुर-आदिलाबाद खंड 36.60 कि.मी. से 64.00 कि.मी. | 28 | 4लेन |
| 9. | आंध्र प्रदेश | 7 | नागपुर-हैदराबाद खंड 464.00 कि.मी. से 474.00 कि.मी. और हैदराबाद-बंगलौर खंड 10.00 कि.मी. से 22.30 कि.मी. | 22 | 4लेन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | कर्नाटक | 7 | हैदराबाद-बंगलौर खंड 551.00 कि.मी. से 539.00 कि.मी. और 535.00 कि.मी. से 527.00 कि.मी. | 20 | 2लेन 6 लेन |
| 11. | तमिलनाडु | 7 | बी.एस.एम. खंड 163.40 कि.मी. से 180.00 कि.मी. | 17 | 4लेन |
| 12. | तमिलनाडु | 7 | बी.एस.एम. खंड 180.00 कि.मी. से 199.20 कि.मी. | 19 | 4लेन |
| 13. | तमिलनाडु | 7 | नामाक्कल बाइपास | 8.4 | 4लेन |
| 14. | केरल | 47 | 332.60 कि.मी. से 316.00 कि.मी. (अलुंवा से अंगामली) | 17 | 4लेन |
| 15. | उत्तर प्रदेश | 25 | लखनऊ-कानपुर खंड 21.80 कि.मी. से 44.00 कि.मी. | 22 | 4लेन |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 25 | लखनऊ-कानपुर खंड 44.00 कि.मी. से 59.50 कि.मी. | 16 | 4लेन |
| 17. | गुजरात | 8ख | गोंडल से रीबदा 143 कि.मी. से 160.00 कि.मी. | 17 | 4लेन |
| 18. | गुजरात | 14 | 350.00 कि.मी. से 370.00 कि.मी. (पलानपुर के समीप) | 20 | 4लेन |
| 19. | बिहार | 31 | 419.00 कि.मी. से 447.00 कि.मी. | 28 | 4लेन |
| 20. | असम | 37 | 146.00 कि.मी. से 156.00 कि.मी. | 10.5 | 4लेन |
| (ख) | स्वर्णिम चतुर्भुज | | | | |
| 1. | उत्तर प्रदेश | 2 | आगरा-सिकन्दरा(199.66 कि.मी. से 398 कि.मी.) | 193 | 4लेन |
| 2. | उत्तर प्रदेश | 2 | सिकन्दरा-खागा (393-470 कि.मी. और 470-115 कि.मी.) | 190 | 4लेन |
| 3. | उत्तर प्रदेश | 2 | खागा-वाराणसी(115 कि.मी. से 317 कि.मी.) | 202 | 4लेन |
| 4. | उत्तर प्रदेश और बिहार | 2 | वाराणसी-औरंगाबाद (317 से 319 कि.मी. और 0 से 180 कि.मी.) | 182 | 4लेन |
| 5. | बिहार | 2 | औरंगाबाद-बरवाअड्डा (180 कि.मी. से 389.75 कि.मी.) | 219 | 4लेन |
| 6. | पश्चिम बंगाल | 2 | पानागढ़-पलसीत | 69 | 4लेन |
| 7. | पश्चिम बंगाल | 2 | पलसीत-धनकुनी | 65 | 4लेन |
| 8. | पश्चिम बंगाल | 2 | विवेकानन्द पुल | 6 | 4लेन |
| 9. | पश्चिम बंगाल | 2 | धनकुनी-खड़गपुर | 113 | 4लेन |
| 10. | पश्चिम बंगाल और उड़ीसा | 5 और 60 | खड़गपुर-चंडीखोल | 250 | 4लेन |
| 11. | उड़ीसा | 5 | भुवनेश्वर-खुर्दा | 30 | 4लेन |
| 12. | उड़ीसा | 5 | खुर्दा-आंध्र प्रदेश/उड़ीसा सीमा | 70 | 4लेन |
| 13. | आंध्र प्रदेश | 5 | इच्छापुरम-विशाखापत्तनम | 110 | 4लेन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | आंध्र प्रदेश | 5 | अंकापल्ली-तुनी | 60 | 4लेन |
| 15. | आंध्र प्रदेश | 5 | तुनी-राजामुंदरी | 50 | 4लेन |
| 16. | आंध्र प्रदेश | 5 | राजामुंदरी-इलूरू | 120 | 4लेन |
| 17. | आंध्र प्रदेश | 5 | चिलुरीपेट-नेल्लौर | 175 | 4लेन |
| 18. | आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु | 5 | नेल्लौर-चेन्नई | 155 | 4लेन |
| 19. | दिल्ली और हरियाणा | 8 | दिल्ली-गुड़गांव | 21 | 8 लेन |
| 20. | राजस्थान | 8 | जयपुर-बाइपास (चरण-II) | 38 | 2 लेन |
| | राजस्थान | 8 | जयपुर-किशनगढ़ | 93 | 4लेन |
| 22. | गुजरात | एन.ई-1 | अहमदाबाद-वदोदरा (चरण-II) | 50 | 4लेन |
| 23. | महाराष्ट्र | 4 | पुणे-सतारा-महाराष्ट्र सीमा | 100 | 4लेन |
| 24. | कर्नाटक | 4 | हवेरी-हरिहर | 58 | 4लेन |
| 25. | कर्नाटक | 4 | तुमकुर-नीलामंगलम | 45 | 4लेन |
| 26. | कर्नाटक और तमिलनाडु | 7 | होसुर-कृष्णगिरि | 45 | 4लेन |
| 27. | महाराष्ट्र | 6 | अमरावती बाइपास | 18 | 4लेन |
| 28. | महाराष्ट्र | 4 | वेस्टरली डाइवर्जन (पुणे बाइपास) | 34 | 4लेन |
| 29. | महाराष्ट्र और गुजरात | 8 | सूरत-मेनर | 176 | 4लेन |
| 30. | गुजरात | एन.ई-1 | अहमदाबाद-वदोदरा (चरण-1) | 43 | 4लेन |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 27 | यमुना पर नैनी पुल | 6 | 4लेन |

**सरकारी और निजी कम्पनियों की विद्युत परियोजनाएं**

***329. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को राज्यों से प्राप्त निजी और सरकारी कम्पनियों की विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव का उनकी क्षमता सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी विद्युत परियोजनाओं के आवेदनों पर कार्रवाई की गई और इनमें से कितनी परियोजनाएं अस्वीकृत की गई और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आगामी तीन वर्षों के दौरान सम्भावित कुल मेगावाट विद्युत की कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में विद्युत की कमी को पूरा करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) ने दिनांक 1.4.97 से 31.3.2000 के अवधि के दौरान स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से 32 प्रस्ताव तथा राज्य सरकारों (रा.वि.बो. सहित) और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से 55 प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है। इनमें से कुल मिलाकर 16249 मे.वा. क्षमता की 31 स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति

प्रदान कर दी गई थी और कुल मिलाकर 19929 मे.वा. की 38 स्कीमों को साविधिक अपेक्षाओं की अनुपालना न होने तथा अपूर्ण डीपीआर प्रस्तुत किए जाने के कारण परियोजना प्राधिकारियों को लौटा दी गई है। कुल 5242 मे.वा. क्षमता के लिए 18 परियोजनाओं की वर्तमान में संवीक्षा की जा रही है। परियोजना प्राधिकारियों को लौटाई गई 38 परियोजनाओं का कारण सहित ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ग) आगामी तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 में प्रत्याशित व्यस्ततमकालीन कमी (मे.वा.) का ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है।

(घ) कमी को पूरा करने तथा देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- बढ़ा हुआ क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम।
- अंतर्राज्यीय और अंत:क्षेत्रीय विद्युत अंतरण।
- विद्यमान विद्युत उत्पादन स्टेशनों का आर एंड एम।
- मांग पक्ष प्रबंधन के लिए उपायों को प्रोत्साहन।
- विद्युत प्रणाली में पारेषण एवं रूपांतरण क्षमता की वृद्धि।
- पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी।

***विवरण-I***

*के.वि.प्रा. द्वारा 1997-98 से 1999-2000 तक प्राप्त राज्य-वार विद्युत स्कीमों का ब्यौरा*

(31.3.2000 के अनुसार)

| राज्य | के.वि.प्रा. स्कीमें | | वापिस की गई स्कीमें | | जांचाधीन स्कीमें | | कुल प्राप्त की गई स्कीमें | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं. | मे.वा. | सं. | मे.वा. | सं. | मे.वा. | सं. | मे.वा. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| हिमाचल प्रदेश | 4 | 1312 | 1 | 260 | 2 | 186 | 7 | 1758 |
| पंजाब | – | – | 2 | 87 | 1 | 500 | 3 | 587 |
| राजस्थान | 5 | 2493 | – | – | 1 | 71 | 6 | 2564 |
| उत्तर प्रदेश | 3 | 1954 | 2 | 1020 | – | – | 5 | 2974 |
| दिल्ली | 1 | 339 | 2 | 771 | – | – | 3 | 1110 |
| गुजरात | 3 | 1550 | 2 | 1000 | 2 | 256 | 7 | 2806 |
| मध्य प्रदेश | 3 | 2449 | 5 | 1890 | 2 | 703 | 10 | 5042 |
| महाराष्ट्र | 1 | 250 | 5 | 2310 | 1 | 400 | 7 | 2960 |
| आंध्र प्रदेश | 3 | 1512 | 3 | 800 | 1 | 520 | 7 | 2832 |
| कर्नाटक | 2 | 1123 | 7 | 3130 | 4 | 800 | 13 | 5053 |
| केरल | – | – | – | – | 1 | 128 | 1 | 128 |
| तमिलनाडु | 1 | 1873 | 2 | 2500 | 2 | 358 | 5 | 4731 |
| बिहार | – | – | 2 | 486 | 1 | 1320 | 3 | 1806 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उड़ीसा | 1 | 500 | 1 | 4320 | – | – | 2 | 4820 |
| डीवीसी | – | – | 1 | 1000 | – | – | 1 | 1000 |
| असम | – | – | 2 | 175 | – | – | 2 | 175 |
| सिक्किम | 1 | 510 | – | – | – | – | 1 | 510 |
| मणिपुर | 1 | 90 | – | – | – | – | 1 | 90 |
| मिजोरम | 1 | 210 | – | – | – | – | 1 | 210 |
| अरूणाचल प्रदेश | – | – | 1 | 180 | – | – | 1 | 180 |
| मेघालय | 1 | 84 | – | – | – | – | 1 | 84 |
| | 31 | 16249 | 38 | 19929 | 18 | 5242 | 87 | 41420 |

*विवरण-II*

*तीन वर्षों में (31.3.2000 की स्थितिनुसार) प्राप्त 87 परियोजनाओं में से उन 38 परियोजनाओं का ब्यौरा जिन्हें सांविधिक अपेक्षाओं की अनुपालना न किए जाने/अपूर्ण डीपीआर के कारण परियोजना प्राधिकारियों को लौटाया गया है।*

| क्र.सं. | परियोजना का नाम/ क्रियान्वयन एजेंसी | अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.) | के.वा.प्रा. को वापसी की तिथि | संक्षिप्त स्थिति/लम्बित निवेश |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **हिमाचल प्रदेश** | | | | |
| 1. | कुठेर (एच) | 260 | 12/98 | वित्त पोषण सुनिश्चित न किए जाने और एचपीएसईबी द्वारा आईपीपी के माध्यम से परियोजना क्रियान्वित करने की आयोजना बनाने के कारण दिनांक 21.2.2000 को लौटा दी गई । |
| **पंजाब** | | | | |
| 2. | मुकेरियां चरण-2 (एच) पंजाब रा.वि.बो. | 12.5 | 12/97 | पुन: प्रस्तुतिकरण हेतु 1.6.99 को लौटा दी गई। लम्बित निवेश हैं: भूमि की उपलब्धता, जल की उपलब्धता एमओईएफ स्वीकृति, आर एंड आर प्लान, अंतर्राज्यीय स्वीकृति इत्यादि। |
| 3. | यूबीडीसी चरण-3 (एच) पंजाब सरकार | 75 | 6/99 | पुन: प्रस्तुतिकरण हेतु 26.7.99 को लौटा दी गई। लम्बित निवेश हैं: भूमि की उपलब्धता, जल की उपलब्धता एमओईएफ स्वीकृति, आर एंड आर प्लान, अंतर्राज्यीय स्वीकृति इत्यादि। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **उत्तर प्रदेश** | | | | |
| 4. | किशाऊ बांध (एच)<br>सिंचाई विभाग,<br>उत्तर प्रदेश। | 600 | 6/98 | 22.7.99 को लौटा दी गई। लम्बित निवेश हैं: जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति, एमओईएफ स्वीकृति, अंतर्राज्यीय समझौता, जल विज्ञान और विद्युत शक्यता अध्ययन आदि। |
| 5. | लखवर व्यासी एमपीपी(एच)<br>सिंचाई विभाग,<br>उत्तर प्रदेश | 420 | 9/99 | दिनांक 8.10.99 को इस अनुरोध के साथ लौटा दी गई है कि परियोजना प्राधिकारी के.वि.प्रा. की आवश्यकता के अनुरूप विद्युत उत्पादन भाग के लिए डीपीआर प्रस्तुत करेंगे। |
| **दिल्ली** | | | | |
| 6. | बवाना सीसीजीटी(टी)<br>(मैं.रिलायंस दिल्ली पावर प्रा. लि.) | 421 | 9/97 | 19.12.97 को लौटा दी गई।<br>लम्बित निवेश हैं: ईधन लिंकेज/ परिवहन जल उपलब्धता/भूमि की उपलब्धता,धारा-18ए के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति। |
| 7. | नई दिली टीपीएस(टी)<br>(मै. अपोलो एनर्जी प्रा.लि.) | 350 | 9/98 | 19.11.98 को लौटा दी गई। लम्बित निवेश हैं : भूमि की उपलब्धता, धारा-18ए के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति। |
| **गुजरात** | | | | |
| 8. | हजीरा सीसीपीपी (टी)<br>चरण-2<br>(मै. एस्सार पावर लि.) | 500 | 12/98 | इसके संबंध में के.वि.प्रा. में कार्रवाई नहीं की जा रही है और<br>दिनांक 15.2.99 को आईपीपी द्वारा धारा-18ए के अंतर्गत राज्य सरकार की समिति तथा विद्युत खरीदने के लिए जीओजी वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् स्कीम की जांच शुरू की जाएगी। |
| 9. | सिक्का टीपीएस विस्तार (टी)<br>जीईबी | 500 | 7/99 | 7.9.99 को लौटा दी गई।<br>लम्बित निवेश हैं: भूमि की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, एमओईएफ स्वीकृति, ईधन लिंकेज, एसपीसीबी स्वीकृति, टीएफपी, सुनिश्चित सम्पूर्ण लागत, एनएए की एनओसी इत्यादि। |
| **मध्य प्रदेश** | | | | |
| 10. | संजय गांधी टीपीएस (टी)<br>विस्तार, चरण-2<br>एमपीईबी | 500 | 12/97 | 27.1.99 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: भूमि उपलब्धता, जल उपलब्धता, एमओईएफ स्वीकृति, एनएए की एनओसी, टीएपफची, सुनिश्चित सम्पूर्ण लागत। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11. | मारा पीएसएस (एच) एमपीईबी | 450 | 12/97 | 5.1.99 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: भूमि उपलब्धता, जल उपलब्धता, एमओईएफ स्वीकृति, अंतर्राज्यीय स्वीकृति इत्यादि। |
| 12. | बिनौदा पीएसएस एमपीईबी | 600 | 1/98 | 1.1.99 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: भूमि उपलब्धता, जल उपलब्धता, एमओईएफ स्वीकृति, अंतर्राज्यीय स्वीकृति इत्यादि। |
| 13. | कान्हां एचईपी (एच) (एमपीईबी/सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र) | 90 | 3/98 | 24.8.99 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: भूमि उपलब्धता, जल उपलब्धता, आर एंड आर प्लान, एमओईएफ स्वीकृति, अंतर्राज्यीय स्वीकृति इत्यादि। |
| | कोरबा पूर्व टीपीपी चरण-2 (मै.मध्य भारत पावर कार्पोरेशन) | 250 | 3/98 | 12.5.98 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: धारा-18ए के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति, एमओयू की पुन: विधिमानता, जल उपलब्धता, कोल लिंकेज भूमि उपलब्धता, एसपीसीबी का एनओसी |
| **महाराष्ट्र** | | | | |
| 15. | भुसावल विस्तार (टी) एमएसईबी | 1000 | 2/98 | 17.4.99 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: जल उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता, एमओईएफ स्वीकृति, ईंधन उपलब्धता/परिवहन, एसपीसीबी का एनओसी, एनएए का एनओसी, आर एंड आर प्लान, राख उपयोगिता योजना इत्यादि |
| 16. | मलशेज घाट पीएसएस (एच) महाराष्ट्र सरकार | 600 | 11/97 | 5.1.99 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: जल उपलब्धता, एमओईएफ स्वीकृति, अंतर्राज्यीय स्वीकृति इत्यादि। |
| 17. | चन्द्रपुर टीपीएस (टी) एमएसईबी | 60 | 10/98 | 27.1.99 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: जल उपलब्धता, एमओईएफ स्वीकृति, कोयला प्रयोग हेतु सीआईएल का एनओसी, एसपीसीबी का एनओसी, एनएए का एओसी, राख प्रबंधन योजना, एवं परियोजना का औचित्य। |
| 18. | पारस टीपीएस विस्तार (टी) एमएसईबी | 250 | 8/98 | 30.9.98 को लौटा दी गई। लम्बित निवेश हैं: भूमि उपलब्धता, एमओईएफ स्वीकृति, ईंधन लिंकेज/परिवहन, एनएए की एनओसी की पुन: विधिमानता। राख प्रबंधन योजना। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 19. | उरान सीसीजीटी (टी) एमएसईबी | 400 | 10/98 | 29.12.98 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: एमओईएफ की स्वीकृति, फ्यूल लिंकेज/परिवहन, एनएए का एनओसी, जल उपलब्धता, एसपी सीबी की एनओसी, टीईपी इत्यादि। |
| **आंध्र प्रदेश** | | | | |
| 20. | पुलिचिंटाला (एच) एपीएसईबी | 60 | 9/97 | एपीएसईबी द्वारा समेकित प्रचालन कार्यशील तालिकाओं को अंतिम रूप प्रदान न करने के कारण 11.3.99 को लौटा दी गई, लंबित निवेश हैं: एमओईएफ की स्वीकृति तथा धारा-29(3) की अनुपालना। |
| 21. | कोठागुडम टीपीपी(टी) एपीएसईबी | 500 | 5/97 | 29.7.99 को लौटा दी गई क्योंकि स्कीम का क्रियान्वयन निजी पार्टी द्वारा किया जाता है जिसका कि अभी चयन किया जाना है। अन्य अनिवार्य निदेशों को भी सुनिश्चित नहीं किया गया था। |
| 22. | जेगरूपाडु सीसीपीपी-2 (टी) (मै.जीवीके इंडिया लि.) | 240 | 12/97 | 10.3.98 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: धार-18ए के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति, ईंधन लिंकेज/परिवहन एमओईएफ स्वीकृति, निश्चित सम्पूर्ण लागत, निकासी प्रणाली, एमओपी एंड एनजी द्वारा ईंधन लिंकेज आवंटित नहीं किया गया। |
| **कर्नाटक** | | | | |
| 23. | बंगलौर टीपीपी (टी) (मै. पुलाकेशी पावर कं.) | 500 | 9/97 | 18.12.97 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: डीपीआर/लागत की सिफारिश, ईंधन लिंकेज/परिवहन, एसपीसीबी का एनओसी, एमओईएफ की स्वीकृति, निश्चित सम्पूर्ण लागत, निकासी प्रणाली, जल उपलब्धता, एनएए का एनओसी इत्यादि। |
| 24. | रायचूर टीपीपी (टी) (मै. कुतुब पावर कं.लि.) | 420 | 11/97 | 24.2.98 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: राज्य सरकार की डीपीआर लागत की सिफारिश, ईंधन लिंकेज/परिवहन, एसपीसीबी का एनओसी, एमओईएफ स्वीकृति, जल उपलब्धता, टीएफपी, निश्चित सम्पूर्ण लागत आदि |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 25. | मैसूर टीपीपी (टी) (मै. मैसूर पावर जेनरेशन लि.) | 1000 | 9/97 | 17.2.98 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: राज्य सरकार की डीपी आर/लागत की स्वीकृति, ईंधन लिंकेज/ परिवहन, एसपीसीबी का एनओसी, निश्चित सम्पूर्ण लागत, जल उपलब्धता, धारा-18ए के अंतर्गत राज्य सरकार को अनुज्ञप्ति। |
| 26. | रायचूर टीपीपी यू-7 (केपीसीएल) (टी) | 210 | 8/98 | 12.10.98 को लौटा दी गई। लंबित निवेश ईंधन लिंकेज/परिवहन, एसपीसीबी का एनओसी, एमओईएफ स्वीकृति, निश्चित सम्पूर्ण लागत, जल उपलब्धता एवं विद्युत निकासी प्रणाली। |
| 27. | विजयनगर टीपीपी (टी) (केपीसीएल) | 500 | 6/98 | 25.8.98 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: धारा-18ए के अंतर्गत राज्य सरकार की अनुज्ञप्ति, ईंधन लिंकेज/परिवहन, एसपीसीबी का एनओसी, एमओईएफ स्वीकृति, जल उपलब्धता, रखा स्वीकृति, एनएए का एनओसी, निकासी प्रणाली इत्यादि। |
| 28. | तट्टीहल्ला संवर्धन स्कीम (एच) (केपीसीएल) | - | 8/98 | 30.9.99 को लौटा दी गई क्योंकि स्कीम की लागत 250 करोड़ रुपये से कम थी। |
| 29. | मीन शिवापुर कन्नूर, एलएनजी आधारित सीसीपीपी (टी) (मै. वेस्को पावर जेनरेशन लि.) | 500 | 6/99 | 6.9.99 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: राज्य सरकार की डीपी आर/लागत की स्वीकृति, एमओईएफ स्वीकृति, जल उपलब्धता, एनएए का एनओसी, धारा-18ए के अंतर्गत राज्य सरकार की अनुज्ञप्ति इत्यादि। |
| **तमिलनाडु** | | | | |
| 30. | एन्नौर सीसीजीटी (टी) | 1500 | 6/97 | 28.10.97 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: ईंधन लिंकेज/परिवहन, जल उपलब्धता, निश्चित सम्पूर्ण लागत, एनएए का एनओसी, एमओइएफ स्वीकृति, रक्षा स्वीकृति, एसपीसीबी का एनओ सी, निकासी प्रणाली। |
| 31. | कट्टूपल्ली सीसीपीपी (टी) (मै. चेन्नई पावर जेनरेशन लि.) | 1000 | 12/99 | 27.3.2000 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: ईंधन उपलब्धता/परिवहन, धारा-18ए के अंतर्गत राज्य सरकार की अनुज्ञप्ति, निश्चित संपूर्ण लागत, निकासी प्रणाली, एसपीसीबी का एनओसी, एमओईएफ, स्वीकृति आदि। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **बिहार** | | | | |
| 32. | कनहर पीएसएस (एच) (बीएचपीसीएल) | 300 | 5/99 | 21.7.99 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: भूमि उपलब्धता, जल उपलब्धता, एमओईएफ स्वीकृति, अंतरराज्यीय सीडब्ल्यूसी स्वीकृति, धारा 18ए के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति, टीपीपी, चालू मूल्य स्तर नवीन डीपीआर पर आधारित इत्यादि। |
| 33. | शंख चरण-2एचईपी (एच) (बीएचपीसीएल) | 186 | 12/99 | 13.1.2000 को लौटा दी गई। क्योंकि बीएचपीसीएल द्वारा भेजी गई नवीन डीपीआर वैसी ही थी जैसी कि पूर्व में के.वि.प्रा./सीडब्ल्यूसी टिप्पणियों को ध्यान में न रखते हुए 12/97 में पहले भेजी गई थी। बीएचपीसीएल द्वारा अद्यतन मूल्य स्तर पर आधारित नवीन डीपीआर प्रस्तुत की जानी है। |
| **उड़ीसा** | | | | |
| 34. | हिरमा टीपीपी (टी) | 4320 | 9/98 | 30.11.98 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: राज्य सरकार की डीपीआर/लागत की सिफारिश, ईंधन लिंकेज.एमओईएफ स्वीकृति, टीएफपी, निकासी प्रणाली, परियोजना मेगा परियोजनाओं में भी सूचीबद्ध है जिसके लिए के.वि.प्रा. द्वारा टीईसी की आवश्यकता नहीं होगी। |
| **डीवीसी** | | | | |
| 35. | मैथान आबीटीपीपी (टी) | 1000 | 10/97 | 2.2.99 को लौटाई गई थी क्योंकि परियोजना को बीएसईबी के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करके क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया गया था। अन्य लंबित निवेश हैं एमओई एफ की स्वीकृति, निश्चित सम्पूर्ण लागत, वित्तीय पैकेज आदि। |
| **असम** | | | | |
| 36. | लोअर कोपिली एचईपी | 150 | 6/97 | 21.7.97 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: धारा-18ए के अंतर्गत भारत सरकार की सहमति। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 37. | लकवा वेस्ट हीट (टी) (एएसईबी) | 25 | 12/98 | स्कीम पर टिप्पणियां एएसईबी को भेज दी गई थी क्योंकि लागत 250 करोड़ रुपये से कम थी। |
| **अरूणाचल प्रदेश** | | | | |
| 38. | रंगानदी चरण-2 एचईपी (नीपको) | 180 | 4/98 | 5.6.98 को लौटा दी गई। लंबित निवेश हैं: धारा-18ए के अंतर्गत भारत सरकार की सहमति, एमओईएफ स्वीकृति, भूमि और जल उपलब्धता, अंतर्राज्यीय स्वीकृति, सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकृति, निश्चित सम्पूर्ण लागत इत्यादि। |
| | | जोड़ | 19929 मे.वा. | |

***विवरण-III***

*वर्ष 2000-01 में विद्युत की प्रत्याशित स्थिति*

*(मध्यवर्ती मूल्यांकन -28097.2 मे.वा.)*

| क्षेत्र/राज्य/ संघ शासित क्षेत्र | व्यस्ततम-कालीन मांग (मे.वा.) | व्यस्ततम-कालीन उपलब्धता (मे.वा.) | आधिक्य/ कमी (मे.वा.) | आधिक्य/ कमी % | ऊर्जा आव-श्यकता | ऊर्जा उपल-ब्धता | आधिक्य/ कमी (मि.यू.) | आधिक्य/ कमी % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| हरियाणा | 4259 | 1942 | -2317 | -54.4 | 22644 | 12664 | 9980 | -44.1 |
| हिमाचल प्रदेश | 750 | 513 | -237 | -31.6 | 3517 | 2958 | -559 | -15.9 |
| जम्मू व कश्मीर | 1476 | 821 | -655 | -44.4 | 6463 | 5172 | -1291 | -20.0 |
| पंजाब | 5515 | 3675 | -1840 | -33.4 | 30233 | 25529 | -4705 | -15.6 |
| राजस्थान | 5218 | 2417 | -2801 | -53.7 | 29655 | 15780 | -13875 | -46.8 |
| उत्तर प्रदेश | 10442 | 5895 | -4547 | -43.5 | 56440 | 42461 | -13979 | -24.8 |
| चण्डीगढ़ | 170 | 58 | -112 | -66.1 | 850 | 448 | -402 | -47.3 |
| दिल्ली | 3253 | 1995 | -1258 | -38.7 | 19352 | 15235 | -4117 | -21.3 |
| जोड़ (उ.क्षे.) | 29603 | 18076 | -11527 | -38.9 | 189154 | 126009 | -43145 | -25.5 |
| गुजरात | 7618 | 6107 | -1511 | -19.8 | 46049 | 44895 | -1154 | -2.5 |
| मध्य प्रदेश | 6606 | 4140 | -2466 | -37.3 | 39931 | 28225 | -11707 | -29.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 12460 | 10735 | -1725 | -13.8 | 78586 | 68790 | -9796 | -12.5 |
| गोवा | 278 | 294 | 16 | 5.6 | 1373 | 2335 | 962 | 70.0 |
| दमन व दीव | 92 | 7 | -85 | -92.5 | 560 | 50 | -510 | -91.0 |
| दादर व न.ह. | 139 | 11 | -129 | -92.4 | 876 | 77 | -799 | -91.2 |
| जोड़ (प.क्षे.) | 26924 | 21937 | -4987 | -18.5 | 167375 | 149311 | -18064 | -10.8 |
| आंध्र प्रदेश | 7064 | 5852 | -1213 | -17.2 | 42710 | 32973 | -9737 | -22.8 |
| कर्नाटक | 5141 | 3967 | -1174 | -22.8 | 29543 | 24398 | -5145 | -17.4 |
| केरल | 2983 | 2353 | -630 | -21.1 | 14632 | 13009 | -1623 | -11.1 |
| तमिलनाडु | 6270 | 4991 | -1279 | -20.4 | 38447 | 32236 | -6211 | -16.2 |
| पाण्डिचेरी | 325 | 121 | -204 | -62.9 | 1908 | 928 | -981 | -51.4 |
| जोड़ (द.क्षे.) | 20746 | 17704 | -3043 | -14.7 | 127240 | 106724 | 20516 | -16.1 |
| बिहार | 2186 | 1746 | -441 | -20.2 | 11492 | 12428 | 936 | 8.1 |
| उड़ीसा | 2912 | 2590 | -322 | -11.1 | 17859 | 13657 | -4202 | -23.5 |
| पश्चिम बंगाल | 4236 | 3240 | -996 | -23.5 | 22137 | 22877 | 740 | 3.3 |
| सिक्किम | 43 | 73 | 30 | 68.6 | 124 | 556 | 432 | 348.1 |
| डीवीसी | 2347 | 1870 | -477 | -20.3 | 12746 | 13462 | 716 | 5.6 |
| जोड़ (पू.क्षे.) | 11166 | 10097 | -1070 | -9.6 | 64358 | 67649 | 3291 | 5.1 |
| अरूणाचल प्रदेश | 84 | 55 | -29 | -34.2 | 307 | 360 | 53 | 17.3 |
| असम | 937 | 607 | -330 | -35.3 | 4710 | 3815 | -895 | -19.0 |
| मणिपुर | 174 | 69 | -105 | -60.1 | 629 | 416 | -213 | -33.9 |
| मेघालय | 132 | 216 | 84 | -63.6 | 600 | 685 | 85 | 14.1 |
| मिजोरम | 130 | 48 | -82 | -63.4 | 449 | 233 | -216 | -48.1 |
| नागालैण्ड | 64 | 66 | 2 | 2.8 | 251 | 299 | 48 | 19.0 |
| त्रिपुरा | 169 | 101 | -68 | -40.3 | 642 | 576 | -67 | -10.4 |
| जोड़ (उ.पू.क्षे.) | 1610 | 1253 | -357 | -22.2 | 7588 | 6975 | -613 | -8.1 |
| अंडमान व निकोबार | 37 | 21 | -16 | -43.0 | 163 | 81 | -82 | -50.1 |
| लक्षद्वीप | 7 | 5 | -2 | -33.8 | 25 | 19 | -6 | -25.3 |
| अखिल भारत | 90093 | 69091 | -21002 | -23.3 | 535903 | 456768 | -79135 | -14.8 |

नोट:- 1. 15वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार मांग।

2. केन्द्रीय परियोजनाओं की ठानाबंटित विद्युत को केवल क्षेत्रीय योग में गिना गया है।

3. नौवीं योजना के दौरान 28097 मे.वा. की मध्यवर्ती क्षमता अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए ऊपर उल्लिखित विद्युत आपूर्ति स्थिति का आंकलन किया गया है।

*2001-02 में विद्युत आपूर्ति की प्रत्याशित स्थिति*

(मध्यवर्ती पूर्वानुमान- 28097.2 मे.वा.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हरियाणा | 4540 | 2273 | –2267 | –49.9 | 24182 | 15213 | -8969 | –37.1 |
| हिमाचल प्रदेश | 809 | 1043 | 234 | 28.9 | 3826 | 4074 | 248 | 6.5 |
| जम्मू व कश्मीर | 1615 | 1026 | -589 | -36.5 | 7074 | 5810 | -1264 | -17.9 |
| पंजाब | 5814 | 3961 | -1853 | -31.9 | 31997 | 26421 | -5576 | -17.4 |
| राजस्थान | 5606 | 2847 | -2759 | -49.2 | 31881 | 17776 | -14105 | -44.2 |
| [illegible]देश | 11280 | 6393 | -4887 | -43.3 | 61066 | 43442 | -17624 | -28.9 |
| चण्डीगढ़ | 177 | 70 | -107 | -60.3 | 888 | 475 | -413 | -46.6 |
| दिल्ली | 3481 | 2193 | -1288 | -37.0 | 20735 | 15659 | -5076 | -24.5 |
| जोड़ (उ.क्षे.) | 31735 | 20822 | -10913 | -34.4 | 181649 | 135176 | -46473 | -25.6 |
| गुजरात | 8070 | 6438 | -1632 | -20.2 | 48777 | 46322 | -2456 | -5.0 |
| मध्य प्रदेश | 6953 | 4764 | -2189 | -31.5 | 42028 | 30307 | -11721 | -27.9 |
| महाराष्ट्र | 13147 | 12042 | -1105 | -8.4 | 82921 | 72176 | -10745 | -13.0 |
| गोवा | 296 | 300 | 4 | 1.4 | 1461 | 2359 | 898 | 61.4 |
| दमन व दीव | 98 | 9 | -89 | -90.7 | 599 | 59 | -540 | -90.1 |
| दादर व नगर हवेली | 150 | 14 | -136 | -90.7 | 946 | 88 | -858 | -90.7 |
| जोड़ (प.क्षे.) | 28430 | 24322 | -4109 | -14.5 | 176732 | 156621 | -20111 | -11.4 |
| आंध्र प्रदेश | 7483 | 6881 | -602 | -8.0 | 45226 | 40045 | -5182 | -11.5 |
| कर्नाटक | 5422 | 4489 | -933 | -17.2 | 31208 | 27557 | -3651 | -11.7 |
| केरल | 3226 | 2413 | -813 | -25.2 | 15756 | 13163 | -2594 | -16.5 |
| तमिलनाडु | 6598 | 5218 | -1380 | -20.9 | 40456 | 34500 | -5956 | -14.7 |
| पाण्डिचेरी | 345 | 121 | -224 | -64.9 | 2025 | 944 | -1081 | -53.4 |
| जोड़ (द.क्षे.) | 21975 | 19547 | -2428 | -11.0 | 134671 | 119522 | -15149 | -11.2 |
| बिहार | 2325 | 1827 | -498 | -21.4 | 12222 | 12707 | 485 | 4.0 |
| उड़ीसा | 3072 | 2590 | -482 | -15.7 | 18836 | 13810 | -5026 | -26.7 |
| पश्चिम बंगाल | 4517 | 3276 | -1241 | -27.5 | 23595 | 24434 | 839 | 3.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सिक्किम | 46 | 73 | 27 | 57.6 | 133 | 563 | 430 | 323.5 |
| डीवीसी | 2478 | 1870 | -608 | -24.5 | 13457 | 13468 | 11 | 0.1 |
| जोड़ (पू.क्षे.) | 11846 | 10214 | -1632 | -13.8 | 68243 | 69661 | 1418 | 2.1 |
| अरूणाचल प्रदेश | 94 | 116 | 22 | 23.2 | 346 | 603 | 257 | 74.3 |
| असम | 986 | 750 | -236 | -24.0 | 4976 | 4585 | -392 | -7.9 |
| मणिपुर | 193 | 93 | -100 | -52.0 | 703 | 511 | -192 | -27.4 |
| मेघालय | 140 | 240 | 100 | -71.6 | 638 | 783 | 145 | 22.7 |
| मिजोरम | 141 | 61 | -80 | -56.5 | 505 | 289 | -216 | -42.7 |
| नागालैण्ड | 68 | 83 | 15 | 22.2 | 268 | 462 | 194 | 72.4 |
| त्रिपुरा | 186 | 123 | -63 | -33.7 | 712 | 667 | -45 | -6.4 |
| जोड़ (उ.पू.क्षे.) | 1722 | 1610 | -122 | -6.5 | 8148 | 8704 | 556 | 6.8 |
| अंदमान व निकोबार | 41 | 41 | 0 | 0.0 | 180 | 180 | 0 | 0.0 |
| लक्षद्वीप | 8 | 8 | 0 | 0.0 | 27 | 27 | 0 | 0.0 |
| अखिल भारत | 95757 | 76563 | -19194 | -20.0 | 569650 | 489891 | -79759 | -14.0 |

नोट:- 1. 15वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार मांग।

2. केन्द्रीय परियोजनाओं की अनाबंटित विद्युत को केवल क्षेत्रीय योग में गिना गया है।

3. नौवीं योजना के दौरान 28097 मे.वा. की मध्यवर्ती क्षमता अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए ऊपर उल्लिखित विद्युत आपूर्ति स्थिति का आंकलन किया गया है।

*वर्ष 2002 -03 में विद्युत की प्रत्याशित स्थिति*

*(एसओजी/चालू एवं के.वि.प्रा. से स्वीकृति प्राप्त स्कीमें)*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हरियाणा | 4816 | 2211 | -2605 | -54.1 | 25778 | 15108 | -10670 | -41.4 |
| हिमाचल प्रदेश | 878 | 1306 | 428 | 48.8 | 4170 | 7001 | 2831 | 67.9 |
| जम्मू व कश्मीर | 1749 | 1119 | -630 | -36.0 | 7693 | 6763 | -930 | -12.1 |
| पंजाब | 6132 | 4139 | -1993 | -32.5 | 33757 | 27932 | -5826 | -17.3 |
| राजस्थान | 6001 | 3431 | -2570 | -42.8 | 34272 | 22352 | -11920 | -34.8 |
| उत्तर प्रदेश | 12073 | 6879 | -5194 | -43.0 | 65463 | 46728 | -18735 | -28.6 |
| चण्डीगढ़ | 185 | 79 | -106 | -57.5 | 928 | 550 | -378 | -40.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *दिल्ली* | *3719* | *2317* | *-1402* | *-37.7* | *22186* | *16826* | *-5360* | *-24.2* |
| जोड़ (उ.क्षे.) | 33860 | 22657 | -11203 | -33.1 | 194247 | 151067 | -43180 | -22.2 |
| गुजरात | 8530 | 6568 | -1962 | -23.0 | 51557 | 47196 | -4362 | -8.5 |
| मध्य प्रदेश | 7353 | 5867 | -1486 | -20.2 | 44445 | 38675 | -5770 | -13.0 |
| महाराष्ट्र | 14048 | 12807 | -1241 | -8.8 | 88601 | 83931 | -4670 | -5.3 |
| गोवा | 314 | 334 | 20 | 6.5 | 1555 | 2659 | 1104 | 71.0 |
| व दीव | 106 | 9 | -97 | -91.4 | 653 | 66 | -587 | -89.8 |
| नगर हवेली | 162 | 14 | -148 | -91.5 | 1022 | 98 | -924 | -90.4 |
| जोड़ (प.क्षे.) | 30210 | 26353 | -3857 | -12.8 | 187833 | 178277 | -9556 | -5.1 |
| आंध्र प्रदेश | 7901 | 7337 | -565 | -7.1 | 47826 | 41111 | -6715 | -14.0 |
| कर्नाटक | 5739 | 4321 | -1418 | -24.7 | 33080 | 26251 | -6829 | -20.6 |
| केरल | 3437 | 2910 | -527 | -15.3 | 16859 | 17235 | 376 | 2.2 |
| तमिलनाडु | 6942 | 5401 | -1541 | -22.2 | 42568 | 36178 | -6390 | -15.0 |
| पाण्डिचेरी | 369 | 126 | -243 | -66.0 | 2167 | 968 | -1199 | -55.3 |
| जोड़ (द.क्षे.) | 23227 | 20558 | -2669 | -11.5 | 142500 | 125267 | -17233 | -12.1 |
| बिहार | 2476 | 1909 | -567 | -22.9 | 13016 | 13713 | 697 | 5.4 |
| उड़ीसा | 3348 | 2598 | -750 | -22.4 | 20531 | 13824 | -6707 | -32.7 |
| पश्चिम बंगाल | 4774 | 3532 | -1242 | -26.0 | 25093 | 24605 | -488 | -1.9 |
| सिक्किम | 49 | 73 | 24 | 48.0 | 142 | 564 | 422 | 297.3 |
| डीवीसी | 2651 | 1870 | -781 | -29.5 | 14399 | 13469 | -931 | -6.5 |
| जोड़ (पू.क्षे.) | 12666 | 10559 | -2107 | -16.6 | 73181 | 70654 | -2327 | -3.2 |
| अरूणाचल प्रदेश | 103 | 117 | 14 | 13.7 | 386 | 689 | 303 | 78.5 |
| असम | 1045 | 739 | -306 | -29.2 | 5299 | 4582 | -717 | -13.5 |
| मणिपुर | 214 | 94 | -120 | -56.0 | 782 | 548 | -235 | -30.0 |
| मेघालय | 150 | 242 | 92 | 61.1 | 685 | 821 | 136 | 19.8 |
| मिजोरम | 160 | 70 | -90 | -56.1 | 581 | 318 | -263 | -45.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नागालैण्ड | 72 | 84 | 12 | 16.8 | 286 | 489 | 203 | 71.1 |
| त्रिपुरा | 203 | 125 | -78 | -38.5 | 783 | 702 | -81 | -10.3 |
| जोड़ (उ.पू.क्षे.) | 1855 | 1619 | -237 | -12.7 | 8802 | 9037 | 235 | 2.7 |
| अंदमान व निकोबार | 45 | 37 | -8 | -17.6 | 199 | 166 | -33 | -16.4 |
| लक्षद्वीप | 9 | 5 | -4 | -47.8 | 29 | 19 | -10 | -34.8 |
| अखिल भारत | 101872 | 81788 | -20084 | -19.7 | 606791 | 534687 | -72104 | -11.9 |

टिपणी:- 1. 15वें ईपीएस के अनुसार मांग

2. केन्द्रीय परियोजनाओं की अनाबंटित विद्युत को केवल क्षेत्रीय योग में गिना गया है।

**कम्पनियों के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय संवीक्षा**

***330. श्री अन्नासाहेब एम.के.पाटील:**
**श्री सुबोध मोहिते:**

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायलय और उच्च न्यायलयों के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए कंपनियों के लिए पर्यावरणीय संवीक्षा अनिवार्य करने हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा वर्तमान कंपनियों और नई कंपनियों द्वारा किए गए जाने वाले वर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल):** (क) से (ग) एक उपबन्ध (खंड 173 (1) (च) को कम्पनी विधेयक, 1997 में शामिल कर लिया गया है जिसके अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा "यथा निर्धारित तरीके से पर्यावरण के संरक्षण के लिए उठाए गए मानदण्डों" के बारे में एक रिपोर्ट साधारण बैठक में कम्पनी के समक्ष रखे जाने वाले प्रत्येक तुलन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी।

कम्पनी विधेयक, 1997 के पारित होने के बाद सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले इन मानदण्डों के बारे में तरीके को निर्धारित करेंगी। फिलहाल, यह विधेयक गृह मामलों संबंधी विभाग की स्थायी समिति को भेजा गया है।

(घ) सरकार द्वारा (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) विद्यमान कम्पनियों तथा नई कम्पनियों से पर्यावरणीय प्रदूषण को जांच करने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित है:-

1. प्रदूषण की जांच करने के लिए निस्सारी तथा उत्सर्जन के मानकों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

2. उद्योगों को समयबद्ध आधार पर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगाने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं और व्यतिक्रमी यूनिटों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

3. आस पास की वायु तथा जल गुणवत्ता मानकों को अधिसूचित कर दिया गया है।

4. प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों को लगाने तथा उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

5. प्रदूषण के प्रभाव के बारे में जनता की जानकारी के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है।

**सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए आबंटन**

***331. श्री विलास मुत्तेमवार:**
**श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) *नौवीं योजना अवधि* के दौरान सड़क परिवहन क्षेत्र के प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को योजना आयोग द्वारा कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया और वास्तव में उनको कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ किए गए आबंटन का पूरी तरह उपयोग किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) राज्य-वार शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 2000-2001 केदौरान आबंटित धनराशि का पूरी तरह उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्री ( श्री राजनाथ सिंह ):** (क) योजना आयोग ने सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए समग्र नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 60.00 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की है। योजना आयोग द्वारा कोई राज्य वार आबंटन नहीं किया गया फिर भी स्कीमों के लिए राज्य सरकारों के लिए आबंटित और जारी की गई धनराशि इस प्रकार है:-

**स्कीम का नाम**

| 1. राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त स्कीम | | | 2. वाहन प्रदूषण जांच उपस्कर | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष | आबंटन | लाख (करोड़ रुपये) | वर्ष | आबंटन | व्यय (लाख रुपये) |
| 1997-98 | 2.50 | 0.50 | 1997-98 | 1,50 | 30.33 |
| 1998-99 | 2.50 | 2.00 | 1998-99 | 1,50 | 64.20 |
| 1999-2000 | 3.00 | 2.75 | 1999-2000 | 1,00 | 49.72 |
| 2000-2001 | 4.00 | | 2000-2001 | 1,00 | |

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त स्कीम के मामले में राज्य सरकारों की ओर से अपने प्रस्ताव पेश करने में देरी के कारण राज्य सरकारों को आबंटित धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया है। इसी तरह वाहन प्रदूषण जांच उपस्कर की खरीद में धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए है कि इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को पहले उपस्कर खरीदने होते हैं और तब वे उपस्कर लागत के 75% की प्रतिपूर्ति की पात्र होती हैं। चूंकि राज्य सरकारों को उपस्कर पहले खरीदने होते हैं और उसके बाद ही वे प्रतिपूर्ति का दावा कर सकती हैं इसलिए उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित धनराशि का उपयोग नहीं हो पाया है।

(घ) परियोजनाओं/व्यय के राज्य-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

**स्कीम का नाम**

| 1. राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त स्कीम | | | 2. वाहन प्रदूषण जांच उपस्कर | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष | राज्य | धनराशि (लाख रुपये) | वर्ष | राज्य | धनराशि (रुपये) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1997-98 | नागालैण्ड | 25.00 | 1997-98 | मेघालय | 2,97,440,00 |
| | त्रिपुरा | 25.00 | | बिहार | 19,91,268,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | दिल्ली | 25.00 | | त्रिपुरा | 7,44,090.00 |
| | सिक्किम | 25.00 | 1998-99 | केरल | 34,34,250.00 |
| | अरूणाचल प्रदेश | 25.00 | | गोवा | 1,54,983.00 |
| | मेघालय | 25.00 | | मिजोरम | 1,50,000.00 |
| | मणिपुर | 25.00 | | असम | 26,80,600.00 |
| | पांडिचेरी | 25.00 | 1999-2000 | तमिलनाडु | 49,72,436.00 |
| | चंडीगढ़ | 25.00 | | | |
| | बिहार | 25.00 | | | |
| 1999-2000 | कर्नाटक | 25.00 | | | |
| | हिमाचल प्रदेश | 25.00 | | | |
| | गुजरात | 25.00 | | | |
| | हरियाणा | 25.00 | | | |
| | असम | 25.00 | | | |
| | पश्चिम बंगाल | 25.00 | | | |
| | उत्तर प्रदेश | 25.00 | | | |
| | मध्य प्रदेश | 25.00 | | | |
| | मिजोरम | 25.00 | | | |
| | तमिलनाडु | 25.00 | | | |
| | राजस्थान | 25.00 | | | |

(ङ) वर्ष 2000-2001 के लिए आवंटित धनराशि के उपयोग के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

1. **राष्ट्रीय राजमार्ग गश्त स्कीम:** वित्त वर्ष 2000-20001 के लिए इस स्कीम के अंतर्गत 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अधकतम सड़क दुर्घटना वाले चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपस्कर (अर्थात् 16 टन की एक क्रेन और एक एम्बुलेंस) के प्रचालन और संचालन के लिए गैर सरकारी संगठनों और आटोमोबाइल निर्माताओं को शामिल करके समग्र धनराशि के उपयोग का प्रस्ताव है।

(2) **प्रदूषण जांच उपस्कर की खरीद के लिए केन्द्रीय सहायता स्कीम:** वित्त वर्ष 2000-2001 में 1.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। राज्य सरकारों को अपेक्षित उपस्कर की खरीद के लिए प्रेरित करके समग्र धनराशि के उपयोग का प्रस्ताव है।

*[हिन्दी]*

**पारेषण और वितरण के दौरान क्षति**

*332 **श्री सुकदेव पासवान:**
**श्री शंकर सिंह वाघेला:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत के पारेषण और वितरण के कारण हो रही क्षति का कोई आंकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत की क्षति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों द्वारा सूचित आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1997-98 के दौरान अखिल भारतीय पारेषण एवं वितरण हानि 24% थी।

(ख) राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) पारेषण एवं वितरण हानियां विद्युत के रूपान्तरण, पारेषण र वितरण के लिए डिजाईन, उपस्करों और कंडक्टरों में ऊर्जा के अपव्यय के कारण होती है। लाइनों की बेहतर डिजाईन, वितरण ट्रांसफार्मरों के पुन: आवंटन कैपेसिटरों की अधिष्ठापना तथा उच्चतर क्षमता के ट्रांसफार्मरों के उपयोग से तकनीकी हानियों को ईष्टतम स्तरों तक कम किया जा सकता है। तकनीकी हानियों के अतिरिक्त ऊर्जा की चोरी, दोषपूर्ण मीटर रीडिंग संबंधी गलतियों और गैर-मीटरीकृत आपूर्ति के कारण होने वाली वाणिज्यिक और अनगिनत हानियों में भी सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा करके तथा सभी उपभोक्ताओं की शतप्रतिशत मीटरिंग करके कमी की जा सकती है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। निम्नलिखित उपायों का सुझाव प्रदान किया गया है:-

- प्रचालन वोल्टता का उच्चीकरण।
- एल.टी. लाइनों की लम्बाई में कमी
- भार केन्द्रों के समीप ट्रांसफार्मर लगाना।
- उपभोक्ता परिसरों के समीप कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों को अपनाना।
- शंट कैपेसिटरों की अधिष्ठापना।
- निर्माण और प्रचालन तकनीकी में सुधार

26.2.2000 को आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था। पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जायेंगे।

- सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा।
- दिसंबर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं के 100% मीटरिंग का समयबद्ध कार्यक्रम।
- विशेष समय-सीमा के भीतर विद्युत चोरी में कमी लाना और अंतत: पूर्ण रूप से बिजली चोरी को समाप्त करना।
- सब-स्टेशन को प्राथमिकता आधार पर एक सीमा मानते हुए उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना/उन्नयन करना।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रणाली सुधार परियोजनाएं आरंभ करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम राज्य विद्युत बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। विद्युत वित्त निगम शहरी क्षेत्रों में प्रणाली सुधार परियोजनाओं के लिए और कैपेसिटरों तथा मीटरों की अधिष्ठापना के लिए भी राज्य विद्युत बोर्डों को निधियां प्रदान कर रहा है।

त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीटीपी) के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष से विशेष परियोजनाओं को आरंभ करके उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सशक्तीकरण और उन्नयन के लिए संयुक्त रूप से अनुदान और ऋण के माध्यम से अतिरिक्त वित्त पोषित सहायता भी उपलब्ध होगी। योजना आयोग द्वारा विद्युत मंत्रालय के साथ परामर्श करके एपीडीपी स्कीम के क्रियान्वयन हेतु रूपात्मकताओं को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

***विवरण***

*वर्ष 1997-98 के दौरान राविबो/विद्युत विभागों में रूपान्तरण, पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत(वाणिज्यिक हानियों जैसी चोरी इत्यादि सहित)*

| क्षेत्र | राविबो/विद्युत विभाग | 1997-98 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| उत्तरी क्षेत्र | 1. हरियाणा | 33.04 |
| | 2. हिमाचल प्रदेश | 19.20 |
| | 3. जम्मू व कश्मीर | 47.48 |
| | 4. पंजाब | 17.90 |
| | 5. राजस्थान | 26.46 |
| | 6. उत्तर प्रदेश | 25.00 |
| | 7. चण्डीगढ़ | 14.95 |
| | 8. डीवीबी (दिल्ली) | 46.86 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| पश्चिमी क्षेत्र | 1. गुजरात | 19.66 |
| | 2. मध्य प्रदेश | 19.08 |
| | 3. महाराष्ट्र | 17.73 |
| | 4. दादर एवं नगर हवेली | एन.ए. |
| | 5. गोवा | 23.39 |
| | 6. दमन एवं दीव | 11.27 |
| दक्षिणी क्षेत्र | 1. आंध्र प्रदेश | 31.76 |
| | 2. कर्नाटक | 18.56 |
| | 3. केरल | 17.87 |
| | 4. तमिलनाडु | 17.00 |
| | 5. लक्षद्वीप | 15.83 |
| | 6. पाण्डिचेरी | 13.79 |
| पूर्वी क्षेत्र | 1. बिहार | 25.41 |
| | 2. उड़ीसा (ग्रिडको) | एन.ए. |
| | 3. सिक्किम | 20.13 |
| | 4. पश्चिम बंगाल | 20.34 |
| | 5. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 20.51 |
| उत्तर-पूर्वी क्षेत्र | 1. असम | 30.05 |
| | 2. मणिपुर | 21.50 |
| | 3. मेघालय | 17.93 |
| | 4. नागालैंड | 29.50 |
| | 5. त्रिपुरा | 29.75 |
| | 6. अरूणाचल प्रदेश | 30.99 |
| | 7. मिजोरम | 47.00 |
| (अखिल भारत यूटिलिटी) | | 24.44 |

*आंकड़े अनंतिम है जैसा कि रा. वि. बोर्डों/विद्युत विभागों द्वारा सूचित किया गया है।

#आकलित आँकड़े

/जैसा कि योजना आयोग को प्रस्तुत वार्षिक संसाधन दस्तावेज में सूचित किया गया है।

एन.ए.- रा.वि. बोर्डों/विद्युत विभागों द्वारा सूचना अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

*[अनुवाद]*

## राज्य बिजली बोर्डों को घाटा

***333. श्री खारबेल स्वाइं:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश के सभी बिजली बोर्डों को कितना घाटा हुआ है;

(ख) ऐसे घाटे होने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) कृषि क्षेत्र को राजसहायता और प्रति राजसहायता दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) देश में रा.वि. बोर्डों की वार्षिक वाणिज्यिक हानियां (बिना आर्थिक सहायता के) वर्ष 1985-86 में 1565 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1997-98 में 10684 करोड़ रुपये हो गई है। यह वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है।

(ख) रा. वि. बोर्डों की हानियों के मुख्य घटक चोरी, अधिक पारेषण एवं वितरण हानियां तथा अस्थिर क्रॉस सब्सिडी है जिससे आपूर्ति की लागत और राजस्व संग्रहण के बीच अंतर अधिक हो जाता है। कुछ राज्यों में ताप विद्युत संयंत्रों की क्षमता भी कम है।

(ग) विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा-59 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ का निर्धारण रा.वि. बोर्डों द्वारा संबंधित राज्य सरकार के समग्र दिशा-निर्देशों के अंतर्गत किया जाएगा और कृषि क्षेत्र के लिए क्रॉस सब्सिडी और सब्सिडी के घटक टैरिफ निर्धारित करते समय संबंधित राज्य सरकार की वर्तमान में जारी नीति पर निर्भर करेगी। वर्ष 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा उपभोक्ताओं की श्रेणियों के बीच क्रॉस सब्सिडी की अनुमति प्रदान की जा सकती है। तथापि, कोई भी क्षेत्र आपूर्ति की 50% औसत लागत (विद्युत उत्पादन जमा पारेषण एवं वितरण की लागत) कृषि क्षेत्र का टैरिफ 50 पैसे प्रति कि.वा. घं. से कम नहीं होगा जोकि अधिकतम तीन वर्षों में 50% औसत लागत तक लाई जाएगी। तथापि, केवल असम, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मेघालय और उड़ीसा का वर्ष 1998-99 में 50 पैसे प्रति यूनिट से अधिक टैरिफ था। 16 रा.वि.बो. के वार्षिक लेखों के अनुसार वर्ष 1997-98 के लिए

औसत आपूर्ति लागत के प्रति कृषि क्षेत्र औसतन वसूली का अनुपात 0.10 था। जबकि वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए यही अनुपात क्रमशः 1.40 और 1.42 था।

(घ) भारत सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों के सुधार कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई है ताकि वे वाणिज्यिक लाइनों पर कार्य कर सकें। 26.2.2000 को आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि दृढ़ निश्चय और आवश्यकता के अनुरूप सुधार किए जाने चाहिए । सुधार नीति के ये मुख्य घटक हैं:-

(1) सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा।

(2) दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं के 100% मीटरिंग का समयबद्ध कार्यक्रम।

(3) विशेष समय-सीमा के भीतर विद्युत चोरी में कमी लाना और अंततः पूर्ण रूप से बिजली चोरी को समाप्त करना।

(4) सब-स्टेशन को प्राथमिकता आधार पर एक सीमा मानते हुए सब-पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना/उन्नयन करना।

यदि विद्यमान अधिनियम, के तहत् उपरोक्त प्राप्त होने योग्य प्रतीत नहीं होता है तो वितरण का निजीकरण/सह-निजीकरण/निगमीकरण करना पड़ेगा।

### गन्ने में अल्कोहल का उत्पादन

***334. प्रो उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वाहनों के ईंधन में एक संयोजी के रूप में प्रयोग करने हेतु गन्ने से अल्कोहल बनाने के लिए कोई प्रायोगिक परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इन प्रायोगिक परियोजनाओं को स्थापित किया जाएगा;

(ग) ऐसे प्रायोगिकी प्रयोजनाओं की स्थापना हेतु राज्यों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(घ) ऐसी प्रायोगिक परियोजनाओं में अनुमानतः कितना निवेश होने की संभावना है;

(ङ) इस योजना को क्रियान्वित करने की समय सारणी क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक):** (क) और (ख) सरकार का एथनोल मिश्रित वाहन-ईंधन का उपयोग करने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी करने तथा इसके प्रचालनीय एवं वित्तीय पहलुओं की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रशासनिक परियोजनाएं चलाने का प्रस्ताव है।

(ग) यह केवल एक प्रायोगिक अध्ययन है तथा इसके लिए चयनित राज्य दो प्रमुख गन्ना उगाने वाले राज्य हैं।

(घ) और (ङ) इन पहलुओं की अभी पुष्टि होनी है।

*[हिन्दी]*

### रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र

***335. श्री ब्रज मोहन रामः**
**श्री कोडीकुनील सुरेशः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) देश में इस समय कार्य कर रहे रसोई गैस बाटलिंग संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार उनकी क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न स्थानों पर कोई गैस बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार इन संयंत्रों की स्थापना हेतु पता लगाए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक):** (क) एल पी जी भरण संयंत्र, नजदीकी खपत क्षेत्रों में डिब्बा बंद एल पी जी की मांग संभाव्यता के विषय में विचार करने के पश्चात तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर स्थापित किए जाते हैं।

(ख) से (घ) देश में विभिन्न राज्यों में 1 जनवरी, 2000 को विद्यमान एवं प्रस्तावित एल पी जी भरण संयंत्रों का उनकी क्षमता समेत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

*विवरण*

*01 जनवरी, 2000 को राज्य-वार भरण क्षमता*

(आँकड़े टी एम टी पी ए में)

| भरण संयंत्र | तेल कंपनी | 1 जनवरी, 2000 को विद्यमान भरण 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार | 8वींयोजना के तहत नए संयंत्र (शेष) | 9वीं योजना के तहत क्षमता वृद्धियां (शेष) | 1 अप्रैल, 2002 को योजनाबंद्ध भरण क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **आन्ध्र प्रदेश** | | | | | |
| विजयवाड़ा | आई ओ सी | 22 | | | 22 |
| चेरलापली | एच पी सी | 88 | | | 88 |
| कोंडापल्ली | एच पी सी | 44 | | | 44 |
| विशाख | एच पी सी | 44 | | | 44 |
| चेरलापल्ली | आई ओ सी | 44 | | 12 | 56 |
| कुरनूल | बी पी सी | 22 | | | 22 |
| गुड्डाप्पा | आई ओ सी | 44 | | | 44 |
| चेरलापल्ली | बी पी सी | 44 | | | 44 |
| काकीनाडा/राजामुन्द्री | बी पी सी | | | 44 | 44 |
| खम्माम | एच पी सी | | | 10 | 10 |
| विजाग | एच पी सी | | | 44 | 44 |
| तिमारपुर | आई ओ सी | 44 | | | 44 |
| विजाग | आई ओ सी | | | 54 | 54 |
| चेरलापल्ली | आई बी पी | | | 10 | 10 |
| काकीनाडा | एच पी सी | | | 22 | 22 |
| उप जोड़ | | 396 | 0 | 196 | 592 |
| **अरूणाचल प्रदेश** | | | | | |
| | आई ओ सी | | 5 | | 5 |
| **असम** | | | | | |
| बोंगाईगांव | आई ओ सी | 22 | | | 22 |
| आयल दुलियाजान | आई ओ सी | 25 | | | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **जम्मू-कश्मीर** | | | | | |
| जम्मू | एच पी सी | 26 | | 8 | 34 |
| पैमपोर | एच पी सी | 10 | | | 10 |
| लेह | आई ओ सी | 0 | 3 | | 3 |
| जम्मू | आई ओ सी | | 22 | | 22 |
| उप जोड़ | आई ओ सी | 36 | 25 | 8 | 69 |
| **कर्नाटक** | | | | | |
| बंगलौर | आई ओ सी | 34 | | 44 | 78 |
| | एच पी सी | 34 | | | 34 |
| | एच पी सी | 22 | | | 22 |
| हुबली | एच पी सी | 44 | | | 44 |
| मंगलौर | बी पी सी | 44 | | | 44 |
| बेलगाम | आई ओ सी | 12 | | | 12 |
| मंगलौर | एच पी सी | 34 | | | 34 |
| बंगलौर | एच पी सी | | | 22 | 22 |
| बेलैरी | एच पी सी | | | 10 | 10 |
| बंगलौर | बी पी सी | | | 44 | 44 |
| धारवाड | बी पी सी | | | 22 | 22 |
| मैसूर | बी पी सी | | | 10 | 10 |
| शिमोगा | आई ओ सी | | | 66 | 66 |
| उप जोड़ | | 224 | 0 | 218 | 442 |
| **केरल** | | | | | |
| कोचीन | आई ओ सी | 44 | | 44 | 44 |
| त्रिवेन्द्रम | बी पी सी | 44 | | | 44 |
| कालीघाट | आई ओ सी | 22 | | | 22 |
| पालघाट | एच पी सी | 34 | | | 34 |
| क्वीलोन | आई ओ सी | 12 | | | 12 |
| कोचीन | बी पी सी | | | 22 | 22 |
| उप जोड़ | | 156 | 0 | 66 | 222 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **मध्य प्रदेश** | | | | | |
| भोपाल | आईओसी | 88 | | | 88 |
| भीटोनी | बीपीसी | 44 | | | 44 |
| मंगलीया | एचपीसी | 34 | | 10 | 44 |
| रायपुर | एचपीसी | 44 | | | 44 |
| पीतमपुर | बीपीसी | 22 | | | 22 |
| ग्वालियर | बीपीसी | | 10 | | 10 |
| बीना | बीपीसी | | 10 | | 10 |
| भोपाल | बीपीसी | | | 22 | 22 |
| भोपाल | एचपीसी | | | 44 | 44 |
| जबलपुर | एचपीसी | | | 44 | 44 |
| उज्जैन | आई ओ सी | | | 78 | 78 |
| बिलासपुर | आई ओ सी | | | 44 | 44 |
| गुना | आई ओ सी | | | 22 | 22 |
| उप योग | | 232 | 20 | 264 | 516 |
| **महाराष्ट्र** | | | | | |
| मुंबई* | बीपीसी | 122 | | | 122 |
| उरन | बीपीसी | 132 | | | 132 |
| जलगांव | बीपीसी | 44 | | | 44 |
| शोलापुर | बीपीसी | 44 | | | 44 |
| मुंबई* | एचपीसी | 65 | | | 65 |
| औरंगाबाद | एचपीसी | 44 | | | 44 |
| चन्द्रपुर | एचपीसी | 44 | | | 44 |
| खापरी | एचपीसी | 44 | | | 44 |
| मिरज | एचपीसी | 44 | | | 44 |
| चकन | एचपीसी | 44 | | | 44 |
| पुणे | आईओसी | 22 | | | 22 |
| मनमाड | आईओसी | 34 | | 10 | 44 |
| अकोला( धनाज) | आईओसी | 44 | | | 44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| बुलदाना | बीपीसी | | 6 | | 6 |
| वासिया/वीरार | बीपीसी | | | 34 | 34 |
| कल्याण | बीपीसी | | | 34 | 34 |
| नासिक | बीपीसी | | | 22 | 22 |
| पुणे | बीपीसी | | | 44 | 44 |
| सतारा | बीपीसी | | | 22 | 22 |
| कोल्हापुर | बीपीसी | | | 22 | 22 |
| नागपुर | बीपीसी | | | 22 | 22 |
| | एचपीसी | | | 44 | 44 |
| शालापुर | एचपीसी | | | 10 | 10 |
| नानदेद | एचपीसी | | | 10 | 10 |
| अकोला | एचपीसी | | | 10 | 10 |
| मुंबई/वीरर | एचपीसी | | | 22 | 22 |
| उसार | एचपीसी | 44 | | | 44 |
| नागपुर | आईओसी | | | 22 | 22 |
| नासिक | आईबीपी | | | 10 | 10 |
| मुंबई/पालघर | आईबीपी | | | 10 | 10 |
| उप योग | | 771 | 6 | 348 | 1125 |
| मेघालय | आईओसी | | 5 | | 5 |
| मणिपुर | आईओसी | | 10 | | 10 |
| मिजोरम | आईओसी | | 5 | | 5 |
| **नागलैंड** | | | | | |
| दीमापुर | आईओसी | | 5 | | 5 |
| **उड़ीसा** | | | | | |
| बालासोर | आईओसी | 44 | | | 44 |
| खुर्दा | बीपीसी | 10 | | | 10 |
| खुर्दा रोड़ | एचपीसी | 44 | | | 44 |
| झरसुगुदा | आईओसी | | | 22 | 22 |
| हल्दियागदा | आईओसी | | | 10 | 10 |
| उपयोग | | 98 | 0 | 32 | 130 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **पंजाब** | | | | | |
| जालंधर | आईओसी | 68 | | | 68 |
| लालरू | बीपीसी | 88 | | | 88 |
| होशियारपुर | एचपीसी | 22 | | | 22 |
| पटियाला | आईओसी | | 34 | 44 | 78 |
| भटिंडा | बीपीसी | | | 22 | 22 |
| राजपुरा | एचपीसी | | | 22 | 22 |
| उपयोग | | 178 | 34 | 88 | 300 |
| **राजस्थान** | | | | | |
| सवाई माधोपुर | आईओसी | 44 | | | 44 |
| अजमेर | आईओसी | 22 | | | 22 |
| जयपुर | बीपीसी | 10 | | | 10 |
| जोधपुर | एचपीसी | 22 | | | 22 |
| उदयपुर | बीपीसी | 10 | | | 10 |
| बीकानेर | आईओसी | 22 | | | 22 |
| जयपुर | आईओसी | | | 44 | 44 |
| बीकानेर | बीपीसी | 10 | | | 10 |
| अजमेर | बीपीसी | | | 44 | 44 |
| कोटा | एचपीसी | | | 44 | 44 |
| अजमेर | एचपीसी | | | 22 | 22 |
| जयपुर | एचपीसी | | | 22 | 22 |
| झुनझूनू | आईओसी | | | 22 | 22 |
| भीलवाड़ा | आईओसी | | | 22 | 22 |
| उपयोग | | 140 | 0 | 220 | 360 |
| **सिक्किम** | | | | | |
| रोंगपो | आईओसी | 5 | 0 | 0 | 5 |
| उप योग | | 5 | 0 | 0 | 5 |
| **तमिलनाडु** | | | | | |
| कोयम्बटूर | बीपीसी | 68 | | | 68 |
| तूतीकोरीन | बीपीसी | 20 | | | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| एमआरएल | बीपीसी | 75 | | | 75 |
| सलेम | आईओसी | 34 | | | 34 |
| त्रिची | आईओसी | 22 | | | 22 |
| गुम्मीडीपूनडी | बीपीसी | 44 | | | 44 |
| इन्नोर | आईओसी | | 66 | | 66 |
| गुम्मीडीपूनडी | एचपीसी | 34 | | | 34 |
| मदुरै | आईओसी | 22 | | | 22 |
| मईलादथाराई | आईओसी | 6 | | | 6 |
| थान्जौर | बीपीसी | | 22 | | 22 |
| इलाइनगुडी | आईओसी | | 10 | | 10 |
| मन्नारगुडी | आईओसी | | | 6 | 6 |
| इरूगुर | एचपीसी | | | 10 | 10 |
| इन्नोर | एचपीसी | | | 10 | 10 |
| मदुरै | एचपीसी | 10 | | | 10 |
| इरोदे | आईओसी | | | 34 | 34 |
| कोयम्बटुर/धर्मापुर | आईओसी | | | 34 | 34 |
| *चेनगलपेट* | *आईओसी* | | | *44* | *44* |
| नागपट्टिनम | आईबीपी | | | 10 | 10 |
| उपयोग | | 335 | 98 | 148 | 581 |
| **त्रिपुरा** | | | | | |
| बिशालगढ़ | आईओसी | 5 | 0 | 0 | 5 |
| **उत्तर प्रदेश** | | | | | |
| कानपुर | आईओसी | 64 | | 0 | 64 |
| मथुरा | आईओसी | 88 | | | 88 |
| इलाहाबाद | आईओसी | 34 | | | 34 |
| हल्द्वानी | आईओसी | 22 | | | 22 |
| हरिद्वार | आईओसी | 22 | | | 22 |
| वाराणसी | आईओसी | 44 | | | 44 |
| त्रिसुनदी | आईओसी | 12 | | | 12 |
| बरेली | बीपीसी | 10 | | | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| लखनऊ | बीपीसी | 22 | | | 22 |
| कसना | एचपीसी | 44 | | | 44 |
| उन्नाव | एचपीसी | 26 | | 8 | 34 |
| गोरखपुर | एचपीसी | 22 | | | 22 |
| फरूखाबाद | आईओसी | 22 | | | 22 |
| सुल्तानपुर | बीपीसी | 6 | | | 6 |
| सलेमपुर | बीपीसी | 22 | | | 22 |
| झांसी | बीपीसी | | 10 | 12 | 22 |
| लोनी | बीपीसी | | | 44 | 44 |
| रूरकी | बीपीसी | 22 | | | 22 |
| गोरखपुर | बीपीसी | | | 10 | 10 |
| कानपुर/औरैया | बीपीसी | | | 22 | 22 |
| नैनी | बीपीसी | 22 | | | 22 |
| जगदीशपुर | एचपीसी | | | 34 | 34 |
| लोनी | एचपीसी | | | 22 | 22 |
| काशीपुर | आईओसी | | | 68 | 68 |
| मुजफ्फरनगर | आईओसी | | | 44 | 44 |
| लोनी | आईओसी | | | 88 | 88 |
| गोंडा | आईओसी | | | 34 | 34 |
| लखनऊ | आईओसी | | | 34 | 34 |
| अलीगढ़ | आईओसी | | | 22 | 22 |
| इटावा | आईओसी | | | 34 | 34 |
| शाजहानपुर | आईओसी | | | 34 | 34 |
| बलिया | आईओसी | | | 12 | 12 |
| खीरी | आईओसी | | | 22 | 22 |
| मुगलसराय | आईबीपी | | | 10 | 10 |
| उपयोग | | 504 | 10 | 554 | 1068 |
| **पश्चिम बंगाल** | | | | | |
| कल्यानी | आईओसी | 44 | | | 44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| दुर्गापुर | आईओसी | 64 | | 24 | 88 |
| हल्दिया | आईओसी | 20 | | | 20 |
| पहारपुर | एचपीसी | 44 | | | 44 |
| उलुबरिया | बीपीसी | 44 | | | 44 |
| बज बज | आईओसी | 44 | | | 44 |
| दुर्गापुर | बीपीसी | | 10 | 12 | 22 |
| रायगंज | बीपीसी | 10 | | | 10 |
| चन्दननगर | आईओसी | | | 88 | 88 |
| ——— | आईओसी | | | 22 | 22 |
| | आईओसी | | | 22 | 22 |
| कलकत्ता | एचपीसी | | | 34 | 34 |
| बुर्द्धवान | एचपीसी | | | 10 | 10 |
| हल्दिया | आईबीपी | | | 10 | 10 |
| उपयोग | | 270 | 10 | 222 | 502 |
| योग-राज्य | | 4506 | 309 | 2732 | 7547 |
| संघ राज्य क्षेत्र | | | | | |
| पांडिचेरी | आईओसी | 10 | | | 10 |
| **अंडमान और निकोबार** | | | | | |
| पोर्ट ब्लेयर | आईओसी | 0 | 5 | | 5 |
| योग-संघ राज्य क्षेत्र | | 10 | 5 | 0 | 15 |
| कुल योग | | 4516 | 314 | 2732 | 7562 |

× निम्नांकित स्थानों पर स्थान परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भरण संयंत्र

- ओआईएल, दुलियाजान (25 टीएमटीपीए) (डिग्बोई) (आईओसी-एओडी)
- बीपीसीआर, मुंबई(122 टीएमटीपीए) कल्यान(34 टीएमटीपीए), वसाई/वीरार(44 टीएमटीपीए), उसार (नया-44एमटीपीए)
- एचपीएफआर, मुंबई (65 टीएमटीपीए) विद्यमान उसार संयंत्र पर क्षमता विस्तार

*[अनुवाद]*

**उच्च न्यायिक प्रशासन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति**

***336 सरदार बूटा सिंह:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संगठनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों से संबंधित लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय विधि, न्याय और कम्पनी कार्य आयोग में सभापति, सदस्य, अंशकालिक सदस्य और सदस्य-सचिव के पदों पर कुल कितने व्यक्तियों की

नियुक्ति की गई और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग उक्त पदों पर नियुक्त किये गये और पदों की कुल संख्या में उनका प्रतिशत कितना था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल):** (क) से (ग) इस मंत्रालय में निम्नलिखित आयोग/संगठन कार्य कर रहे हैं:-

(1) भारत का विधि आयोग

(2) संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग

(3) आय-कर अपील अधिकरण

(4) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

(5) विदेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड

(6) भारत निर्वाचन आयोग

(7) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग

(8) कंपनी विधि बोर्ड

(9) भारत का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय

गत पांच वर्षों के दौरान आय-कर अपील अधिकरण में 56 सदस्य नियुक्त किए गए थे जिनमें से 11 सदस्य अनुसूचित जाति और 3 सदस्य अनुसूचित जनजाति के थे। पूर्वोक्त कुल पदों की संख्या की बाबत प्रतिशतता क्रमश: 19.64% और 5.36% थी। पूर्वोक्त संगठनों/आयोगों, आय-कर अपील अधिकरण को छोड़कर की दशा में, अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति के मामले में आरक्षण का उपबंध नहीं है। तथापि विगत पांच वर्षों के दौरान, विदेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड की दशा में, 8 नियुक्तियों में से 3 नियुक्तियां अनुसूचित जाति और एक नियुक्ति अनुसूचित जनजाति में से की गई थी; कंपनी विधि बोर्ड की दशा में, 6 नियुक्तियां की गई थी जिनमें से एक नियुक्ति अनुसूचित जाति में से की गई थी और एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। किन्तु उसने कार्यभार ग्रहण नहीं किया । निर्वचन आयोग कि दशा में, एक सदस्य अनुसूचित जनजति का है; एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की दशा में, 7 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी किन्तु उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई भी नहीं था तथा भारत के विधि आयोग की दशा में 9 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी, जिनमें से एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति का था। इसलिए, इस मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को हमेशा पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रयास किया जाता रहा है।

**प्रमुख पत्तनों का विस्तार किया जाना**

*337. **श्री वैको:**
**डा. नीतिश सेन गुप्ता:**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निकट भविष्य में प्रमुख पत्तना के विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सार्वजनिक निवेश बोर्ड के पास लंबित पड़ा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी तथा इस विस्तार कार्य के पूर्ण होने की लक्षित तिथि क्या है;

(ङ) अनुमानित निवेश और संसाधन जुटाये जाने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या नदी के साथ-साथ और आगे दक्षिण की ओर नन्दीग्राम और खेजूरी पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में हल्दिया पत्तन पर भी सुविधाएं बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह):** (क) और (ख)विभिन्न योजना स्कीमों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के निवेश से विद्यमान महापत्तनों में अतिरिक्त क्षमता सृजित करने के लिए कदप उठाए गए हैं। चेन्नई से 25 कि.मी. उत्तर में इन्नौर नामक स्थान पर एशियाई विकास बैंक की सहायता से 950 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक नये पत्तन का निर्माण किया जा रहा है। जिसकी क्षमता 16 मिलियन टन कोयला हैंडल करने की होगी। 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2000) के दौरान महापत्तनों में कुल 157 मिलियन टन की क्षमता की वृद्धि किए जाने की उम्मीद है।

(ग) और (घ) इस समय दो परियोजनाएं अर्थात् चेन्नई के निकट इन्नौर में एक नए पत्तन के निर्माण के लिए संशोधित लागत अनुमान और मुम्बई पत्तन में मेरीन आयल टर्मिनल की सात सब-

मेरीन पाइप-लाइनों को प्रतिस्थापित करने का संशोधित लागत अनुमान सार्वजिनक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) के पास लम्बित है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य की तारीखें क्रमश: जून, 2000 और जुलाई, 2000 हैं।

पी.आई.बी. की स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती। तथापि, पी आई बी की स्वीकृति शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) 9वीं, पंचवर्षीय योजना के दौरान महापत्तनों के लिए 8543 करोड़ रुपये का निवेश करने की परिकल्पना की गई है जिसमें से 1645 करोड़ रुपये बजटीय सहायता के रूप में उपलब्ध ...एगी और शेष 6898 करोड़ रु. की राशि महापत्तनों के और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आई ई बी आर) से ...रा का जाएगी। इसके अतिरिक्त लगभग, 8000 करोड़ रुपये का निवेश निजी क्षेत्र की सहभागिता के जरिए जुटाने का लक्ष्य है।

(च) और (छ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[हिन्दी]*

**नई प्रौद्योगिकियां और अंकीय सूक्ष्मतरंग प्रणाली**

***338. श्री शिवराज सिंह चौहान:**
**श्रीमती शीला गौतम:**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार प्रसारण नेटवर्क में नई प्रौद्योगिकी और अंकीय सूक्ष्मतरंग प्रणाली को लगाने के लिए भारत स्थित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई प्रौद्योगिकियों और अंकीय सूक्ष्मतरंगी प्रणाली का ...ता लगाने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(घ) इन नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने से दूरसंचार का कितने क्षेत्रों में विस्तार होने और कितने लोगों को लाभ मिलने की संभावना है; और

(ङ) इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान):** (क) से (ङ) सरकार का दूरसंचार प्रसारण नेटवर्क में नई प्रौद्योगिकी और अंकीय सूक्ष्मतरंग प्रणाली को लगाने के लिए भारत स्थित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नई प्रौद्योगिकियां आधुनिकतम होनी चाहिए, जिन क्षेत्रों में उपस्कर लगाए जाने हैं वहां के लिए उपयुक्त, परियात आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम और लागत प्रभावी होनी चाहिए।

दूरसंचार सेवा विभाग (डीटीएस) नेटवर्क के लिए चुनी गई प्रौद्योगिकियां अर्थात ऑप्टिकल फाइबर पर सिन्क्रोनस डिजिटल हियरार्की (एसडीएच) डेन्स वेवलेंथ डिविजन मल्टिप्लैक्सिंग (डीडब्ल्यूडीएम) प्रणालियां तथा एसडीएच माइक्रोवेव प्रणालियां हमारे देश के सभी हिस्सों तक विश्वस्तरीय दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने में संचार सेवा के लिए सहायक होंगी। इन प्रौद्योगिकियों का लाभ यह होगा कि वॉइस, फैक्स, डाटा तथा इंटरनेट सेवा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दूरसंचार सेवा विभाग के नेटवर्क का विस्तार होगा।

नई प्रौद्योगिकियां तथा डिजिटल माइक्रोवेव के निष्पादन संबंधी कार्य योजना इस प्रकार हैं:-

(1) संचार सागर चरण-1 परियोजना के अंतर्गत लगभग 17,000 रूट कि.मी. को कवर करते हुए 2.5 जीबीपीएस (गीगा बिट्स प्रति सैकंड) एसडीएच ऑप्टिकल फाइबर प्रणालियों की 10 रिंगों का निष्पादन चल रहा है तथा 6 रिंगें वर्ष 1999-2000 के दौरान चालू की गई।

(2) संचार सागर चरण-2 परियोजना के अंतर्गत 2.5 जीबीपीएस प्रणालियों की 30 रिंगें मार्च, 2001 तक चालू करने की योजना है।

(3) 20 जीबीपीएस डीडब्ल्यूडीएम प्रणालियों के लगभग 3000 रूट कि.मी. वर्ष 2000-2001 के लिए योजना है।

(4) 155 एम बी पी एस (मेगा बिट्स प्रति सेकेण्ड) एसडीएच डिजिटल माइक्रोवेव प्रणालियां व्यापक स्तर पर शामिल की जा रही है और पिछले दो वर्षों के दौरान 500 से अधिक टीआर (ट्रांसमीटर-रिसीवर) चालू किए गए हैं।

*[अनुवाद]*

**गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का निधि कम्पनियों में परिवर्तन**

***339. श्री किरीट सोमैया:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कई निधि कम्पनियां भोले-भाले निवेशकों या जमाकर्ताओं के हजारों करोड़ रुपये लेकर गायब हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन निधि कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या हाल ही में कई गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने स्वयं को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निधि कम्पनियों में परिवर्तित किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी पंजीकृत और कार्यरत कम्पनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कम्पनियों के पंजीयक ने इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के निधि कम्पनियों में परिवर्तित होने के कारणों की कोई जांच कराई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निधि कम्पनियों के कुशलतापूर्वक विनियमन हेतु कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इन कम्पनियों के कार्यकरण को नियंत्रित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल):** (क) और (ख) कई मामलों में, सरकार का ध्यान में यह आया है कि जमाकर्ताओं ने सहायता के लिए कम्पनी विधि बोर्ड से सम्पर्क स्थापित किया है। कुछ मामलों में सरकार को भी कुछ निधि कम्पनियों के विरूद्ध जमाराशियों के गैर-भुगतान के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, सरकार द्वारा प्रमुख निधि कम्पनियों के इन मामलों में की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (च) जी नहीं, सरकार ने 1996 से किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी को निधि के रूप में अधिसूचित नहीं किया है।

(छ) से (झ) सरकार ने 23.3.2000 को एक नौ सदस्यीय समिति का गठन किया है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इसकी अध्यक्षता श्री पी. सबानायगम करेंगे। समिति अपनी रिपोर्ट तीन महीने के अन्दर प्रस्तुत करेगी। समिति निधियों की कार्यप्रणाली, इसके आपरेशनल डायनामिक्स के विभिन्न पहलुओं की गहराई से जांच करेगी और उपयुक्त कारपोरेट पद्धति के आधार पर निधि कम्पनियों के विकास के लिए उपयुक्त रूपरेखा का सुझाव देगी।

*विवरण*

| कम्पनी के नाम जिनके विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थी | सरकार द्वारा की गई कार्रवाई |
|---|---|
| मैसर्स कुबेर म्यूचुअल बेनीफिट्स लिमिटेड, मेरठ तथा मैसर्स त्रिकोण म्यूचुअल बेनीफिट लिमिटेड, लखनऊ। | कम्पनियों का कम्पनी अधिनियम, 1956 धारा 209क के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट में उपलब्ध सूचना के आधार पर दोनों ही कम्पनियों की निधि के रूप में अधिसूचना क्रमश: अधिसूचना सं. सा का नि 226 (अ) दिनांक 26.3.1999 व सा का नि 282 (अ) दिनांक 23.4.1999 द्वारा रद्द कर दी गई थी। |
| मैसर्स अलवरपेट बेनीफिट फंड लिमिटेड, चेन्नै | सरकार द्वारा दायर की गई याचिका पर कम्पनी विधि बोर्ड ने अपने दिनांक 6.10.1999 के आदेश के द्वारा निधि कम्पनी में तीन सरकारी निदेशकों को नियुक्त किया है। |
| मैसर्स आर बी एफ निधि लिमिटेड, चेन्नै | कम्पनी विधि बोर्ड ने सरकार द्वारा दायर की गई याचिका पर कम्पनी के पहले के निदेशक मंडल को इसके दिनांक 18.1.2000 के आदेश के द्वारा अधिक्रमण करते हुए एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 निदेशकों को नियुक्त किया है। |
| मैसर्स थिरू-वि-का-नगर बैनीफिट लिमिटेड, चेन्नै | सरकार ने दिनांक 1.11.1999 की अधिसूचना सं. सा का नि 737 (अ) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। |
| मैसर्स इनकैन म्यूचुअल बैनीफिट लिमिटेड, लखनऊ | कम्पनी विधि बोर्ड ने जमाराशियों के भुगतान के लिए एक आदेश पारित कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक इसका अनुपालन न होने पर आवश्यक कार्रवाई आरंभ करेगा। |

*[हिन्दी]*

## गंगा में प्रदूषण

*340. **श्री बृजलाल खाबरी:**
**श्री चिन्मयानन्द स्वामी:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गंगा को प्रदूषण रहित बनाने हेतु कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या अभी भी अनेक कारखाने गंगा नदी में प्रदूषण [illegible] और यदि हां, तो इसके संबंध में सरकार द्वारा क्या [illegible] उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत स्थापित उपचार संयंत्रों के वांछित परिणाम नहीं प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू):** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों अर्थात् यमुना, गोमती और दामोदर की सफाई के लिए जारी की गई कुल धनराशि नीचे दिए अनुसार है:

| | |
|---|---|
| 1997-1998 | 85.60 करोड़ रुपए |
| 1998-1999 | 90.01 करोड़ रुपए |
| 1999-2000 | 89.05 करोड़ रुपए |
| जोड़ | 264.66 करोड़ रुपए |

(ख) गंगा नदी के किनारे स्थित 187 अभिनिर्धारित अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में, 91 यूनिटों में बहि:स्राव शोधन संयंत्र संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं, 32 यूनिट बंद कर दी गई हैं और 64 यूनिटों में बहि:स्राव शोधन संयंत्र संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, जिन पर पर्यावरणीय कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) गंगा कार्य योजना के चरण-I में गंगा के किनारे स्थित शहरों में इस समय उत्पन्न हो रहे प्रदूषण के केवल लगभग 35 प्रतिशत का समाधान किया गया है। शेष प्रदूषण को गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण में लिया गया है, बिहार और काफी हद तक उत्तर प्रदेश में परसम्पत्तियों के परिचालन और रखरखाव की समस्याओं के बावजूद जहां पर गंगा कार्य योजना चरण-1 को पूरा कर लिया गया है और इसे चालू किया गया है, नदी जल गुणता में सुधार लक्षित हुआ है। तथापि, नदी जल गुणता में पूरी तरह सुधार की आशा गंगा कार्य योजना चरण-II के पूरा होने के पश्चात ही की जा सकती है।

## टेलीफोन कोटा

3429. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:**
**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:**
**श्रीमती जयश्री बैनर्जी:**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विवेकाधीन कोटा के अंतर्गत प्राथमिकता आधार पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने के वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान तथा आज की तारीख तक प्रत्येक राज्य तथा जबलपुर जिले से टेलीफोन कनेक्शन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य विशेषकर राजस्थान तथा उक्त जिले में उक्त अवधि के दौरान इस कोटे के अंतर्गत कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन लंबित रहे हैं तथा कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं; और

(ङ) शेष आवेदनों को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) मौजूदा नियमों की प्रतिलिपी विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) प्राप्त किये गए आवेदन-पत्रों का हिसाब नहीं रखा जाता ।

(ग) से (ङ) जिन आवेदन-पत्रों को मंजूरी दी गयी है उनके संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

*विवरण*

सं. 11-04/98-पीएचपी दिनांक 24 सितंबर,1998

*कार्यालय आदेश*

विषय:- **बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन-विवेकाधीन कोटा**

बिना बारी के टेलीफोनों का कोटा निम्नलिखित प्रतिशतता के अनुसार निम्नलिखित स्तर पर आवंटित किया जाएगा:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | संचार मंत्री | 1.00% |
| 2. | संचार राज्य मंत्री | 0.50% |
| 3. | अध्यक्ष (दूरसंचार आयोग) | 0.25% |

प्रतिशतता की गणना पूर्ववर्ती वर्ष में वास्तविक रूप से जारी की गई डी ई एल (सीधी एक्सचेंज लाइनों) की संख्या के अनुसार की जाएगी। दिनांक 16.7.96 के परिपत्र सं. 1-44/96-सीएबी के तहत गठित की गई बिना बारी के टेलीफोन आबंटन समिति तत्क्षण भंग मान ली गयी है।

2. विवेकाधीन कोटा उपर्युक्त उल्लिखित बिना बारी के टेलीफोन आबंटन समिति (जो अब समाप्त हो गई) द्वारा अपनाए जाने वाले मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार लागू होगा। तथापि, मार्ग-निर्देशों में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं:-

(1) मौजूदा पात्रता वाली श्रेणियों में सामाजिक कार्यकत्ताओं तथा पत्रकारों की श्रेणी जोड़ दी गई है।

(2) वरि. नागरिक माने जाने वाले नागरिकों के लिए पात्रता की आयु 70 वर्ष के बजाय 65 वर्ष होगी।

3. बिना बारी के टेलीफोन आबंटन करने के मामलों पर पी एच पी अनुभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी और एडीजी(पीएचपी) नोडल अधिकारी होंगे जो सभी रिकार्ड रखेंगे।

4. टी ए सी के अनुसार 100 कनेक्शनों (अधिकतम) टी ए सी कोटा कायम रहेगा। जहां तक संसद सदस्यों के लिए कोटा का संबंध है यह माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सभापति, राज्य सभा के निर्देशों के अनुसार होगा। बशर्ते कि कोर्ट आदेश यदि कोई हो।

5. किसी भी हाल में कुल मिलाकर कुल कोटा की श्री विनोद चौधरी बनाम एमटीएनएल के सी डब्ल्यू नं. 713/91 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित बिना बारी के आबंटन की समग्र सीमा पूर्ववर्ती वर्ष में समूचे देश में स्वीकृत किए गए कनेक्शनों की कुल सं. के 3% भाग से अधिक नहीं होगा।

6. बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन आवेदकों के पंजीकरण के पश्चात् ही संस्थापित किए जाएगे।

7. इन आदेशों को तत्काल लागू किया जाता है।

8. इसे संचार मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह.
(पी के राय)
सहा. महानिदेशक (पीएचपी)

**कार्यालय आदेश**

**विषय: टेलीफोनों के लिए बिना बारी के कनेक्शन-विवेकाधीन कोटा।**

सचिव, डी टी एस के पद के सृजन के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए सचिव डीटीएस और अध्यक्ष (दूरसंचार आयोग) द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग निम्नलिखित सीमा तक किया जाएगा:-

| | |
|---|---|
| (1) अध्यक्ष (दूरसंचार आयोग) | 0.125 प्रतिशत |
| (2) सचिव डी टी एस | 0.125 प्रतिशत |

उक्त निर्णय 24.9.98 के कार्यालय आदेश सं. 11-4/98 पीएचपी में आशिक आशोधन करके लिया गया है। बाकी की अन्य शर्तें वही रहेंगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इसे संचार मंत्री के अनुमोदन से जारी किया गया है।

ह./-
(पी.के.राय)
सहा. महानिदेशक (पीएचपी)

**बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शनों का आबंटन करने के लिए**

(क) कैंसर, गंभीर गुर्दे की बिमारी, लिवर की बिमारी जैसी लंबी और गंभीर बिमारी से ग्रस्त आवेदक।

(ख) विधवाएं जो वास्तव में विपरीत समाजिक स्थितियों में रह रही हैं।

(ग) प्राकृतिक आपदाओं और मानव-निर्मित महाविपत्ति के शिकार व्यक्तियों जिनके पास टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसमें आतंकवादी धमकियों के मामले भी शामिल होने चाहिए।

(घ) भारत के वरिष्ठ नागरिक (65 वर्ष तथा उससे ऊपर)

(ङ) श्रमसाध्य प्रकृति के कार्य वाले जन सेवक परन्तु उनके मालिक द्वारा उनके निवास पर टेलीफोन प्रदान नहीं किया गया है।

(च) सांविधिक, सरकारी सहायता प्राप्त और सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं।

(छ) विकलांग व्यक्तियों को (समान) अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 में परिभाषित विकलांग व्यक्ति (अधिक विकलांग को वेटेज देना)

(ज) कोई विशेष मामला जिस पर विशेष विचार विमर्श करना हो, उसके कारण सिद्ध हो गए हों। और उन्हें लिखित रूप से रिकार्ड किया गया हो।

(झ) उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर राष्ट्र का गौरव बढ़ाया हो बशर्ते कि उन्होंने संबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हों।

(ञ) समाज सेवक और संवाददाता।

दिनांक 24.9.98 के कार्यालय आदेश सं. 11-4-98- पीएचपी के तहत यथा संशोधित।

सं. 7-2/98-पीएचपी 22 दिसम्बर, 1998

परिपत्र

सेवा में,

सभी दूरसंचार सर्किलों/जिलों के मुख्य महाप्रबंधक
एमटीएनएल दिल्ली/मुंबई के मुख्य महाप्रबंधक
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एमटीएनएल नई दिल्ली

विषय: संसद सदस्यों द्वारा संस्तुत बिना-बारी के टेलीफोन कनेक्शन का नियंत्रण

जैसा कि आप इस तथ्य से अवगत हैं कि माननीय संसद सदस्यों को बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन संस्तुत करने संबंधी विशेषाधिकार को पुन: प्रभावी बनाने संबंधी माननीय लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय 1998 के ओपी सं. 11507 में वर्गीस जार्ज प्रति यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के मामले में केरल उच्च न्यायालय से न्यायाधीन हो गया था। केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम स्थगनादेश की एक प्रति इस कार्यालय के दिनांक 31.7.1998 के पत्र सं. के माध्यम से भी संबंधित व्यक्तियों को भेज दी गई थी।

2. सभी संबंधित व्यक्तियों को यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त 1998 का ओपी सं. 11507 के बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.12.1998 को अपना निर्णय दे दिया है। माननीय केरल उच्च न्यायालय ने, माननीय संसद सदस्यों द्वारा संस्तुत बिना बारी के टेलोफोन कनेक्शनों के संचालन के लिए कड़ाई से अपनाए जाने वाले निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं:-

1. संसद सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन उन लोक सभा/राज्य सभा सदस्यों के चुनाव-क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को ही दिए जाएंगे।

2. माननीय संसद सदस्यों को अपने द्वारा दिए गए संस्तुत-पत्रों में एक विवरण/प्रमाण पत्र देना होगा कि संबंधित व्यक्ति को टेलीफोन की शीघ्र आवश्यकता है।

3. बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन उन्हीं व्यक्तियों को दिए जाएंगे जिनका नाम मौजूदा प्रतीक्षा-सूची में है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को बिना बारी टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिया जोगा जिसने टेलीफोन के लिए अपना नाम पंजीकृत नहीं करवाया है।

3. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिन व्यक्तियों को संसद सदस्य कोटे से बिना बारी टेलीफोन कनेक्शन दिया गया है। उनके नाम जारी दिशा निर्देशों के साथ प्रकाशित किए जाने चाहिए।

4. यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय संसद सदस्यों द्वारा संस्तुत किए जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों के वार्षिक कोटे को प्रति कलेण्डर वर्ष 25 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है।

5. उपर्युक्त उपबंध तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

6. 1998 के कलैण्डर वर्ष के दौरान संसद सदस्यों द्वारा संस्तुत बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन 31.12.1998 तक की तिथि की बजाय, 31.3.1999 तक मान्य होंगे।

7. माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश, अपने सर्किल/जिलों से संबंधित सभी माननीय संसद सदस्यों (लोक सभा/राज्य सभा) के ध्यान में लाए जाएं।

इसे माननीय संचार मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह.
(पी.के. राय)
सहा. महानिदेशक (पीएचए)

सं. 5-02/2000 पी एच पी 1 मार्च, 2000

परिपत्र

विषय:- संचार मंत्रालय की सलाहकार समिति/संसदीय समिति बिनबारी प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी हेतु कोटा।

माननीय संसद सदस्यों (लोक सभा/राज्य सभा) को एक कैलेंण्डर वर्ष में बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शनों की अनुशंसा करने का कोटा 25 से 50 टेलीफोन बढ़ा दिया गया था। यह हमारे दिनांक 22.12.98 के परिपत्र संख्या 7-2/98-पी एच पी के अंतर्गत सभी मुख्य महाप्रबंधकों को परिचालित कर दिया गया था। इस कोटा के परिशोधन के फलस्वरूप माननीय संसद सदस्यों को उपलब्ध अतिरिक्त कोटा में परिशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई थी दिनांक 21.7.93 के परिपत्र संख्या 16-59/91-पी एच ए का अवलोकन करें)जो संचार मंत्रालय की सलाहकार समिति और/अथवा संसदीय समिति के सदस्य हैं।

2. अब यह निर्णय लिया गया है। कि माननीय संसद सदस्यों को उपलब्ध अतिरिक्त कोटा जो संचार मंत्रालय के सलाहकार समिति और/अथवा संसदीय समिति के सदस्य भी हैं अपने-अपने संबंधित चुनाव क्षेत्रों के भीतर एक कैलेंडर वर्ष में संशोधित 30 (तीस) टेलीफोन मान्य है। यह संशोधित अतिरिक्त कोटा चालू वर्ष अर्थात वर्ष 2000 से चालू होगा।

3. अत: यह अनुरोध भी किया जाता है कि इसे अपने सर्किल में संबंधित सभी माननीय संसद सदस्यों के ध्यान में लाया जाए।

4. यह परिपत्र तथा दिनांक 22.12.98 के पूर्व परिपत्र संख्या 7-2/98-पीएच पी के जारी होने के फलस्वरूप दिनांक 21.7.93 के परिपत्र संख्या-16-59/71- पी एच ए का अधिक्रमण किया जाता है। इसे माननीय संचार मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह.
(पी.के. राय)
सहा. महानिदेशक (पीएचपी)

सेवा में,

सभी मुख्य महाप्रबंधक।
दूरसंचार सर्किल/टेलीफोन डिसट्रिक्ट।
मुख्य महाप्रबंधक, एम टी एन एल, दिल्ली/मुम्बई।
मुख्य प्रबंध निदेशक, एम टी एन एल नई दिल्ली।

*[अनुवाद]*

**सतना में भूमिगत केबल बिछाना**

**3430. श्री रामानन्द सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सतना शहर और अन्य जिलों में भूमिगत केबल बिछाये जाने में मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल, भोपाल द्वारा की जा रही है अनियमितताओं और निर्धारित मानदंडों का पालन न किए जाने के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कार्य रोकने का कोई आदेश जारी किया है क्योंकि केबल बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढे भरे नहीं गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ठेकेदारों द्वारा केबल बिछाने के कार्य के संबंध में कोई जांच की हैं;

(च) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) जी हाँ, सर्किल में 24.01.2000 को ''देशबन्धु'' समाचार-पत्र को कटिंग सहित एक शिकायत प्राप्त हुई थी। सतना शहर और सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में 31.01.2000 को टेलीफोन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई।

(ख) यह शिकायत सतना शहर और सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में केबल बिछाने में हुई अनियमितताओं से संबंधित थी। उल्लेखनीय है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जोड़ते समय ज्वाइंट इंडीकेटर और सीमेन्ट रिंग्स प्रदान नहीं किए गए तथा बिछायी गई ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर-नीचे ब्रिक्स नहीं दिए गए, अत: केबल बिछाने के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एवं (च) केबल बिछाने के काम की स्वीकृति जांच विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार की जाती है। सर्किल सतर्कता अधिकारी ने केबल बिछाने के काम का निरीक्षण भी किया और मानकों के अनुसार उसे सही पाया।

(छ) उपर्युक्त भाग (ङ एवं च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**भारतीय वन सेवा के अधिकारी**

**3431. श्री महेश्वर सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या यह सच है कि सिक्किम वन विभाग के कतिपय वरिष्ठ भारतीय वन सेवा के अधिकारियों पर उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक धन और सम्पति रखने के विरूद्ध आरोप लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक क्या कार्रवाई की गई है और सी.बी.आई. से इसकी जांच कराने के आदेश न देने के क्या कारण हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) से (ग) जी, हाँ। सिक्किम संवर्ग के भारतीय वन सेवा के अधिकारी श्री टांका राम शर्मा और श्री सोना टीसेरिंग भूटिया द्वारा आय से अधिक संपत्ति रखने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। सिक्किम राज्य सरकार के सतर्कता विभाग द्वारा शिकायतों की विधिवत जांच की गई थी तथा अधिकारियों को निर्दोष ठहराया गया था। अत: केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच आवश्यक नहीं होगी।

**रोहरू में खराब दूरसंचार सेवाएं**

**3432. श्री सुरेश चन्देल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के सीनियर सिटीजन्स वेल्फेयर काउन्सिल, रोहरू से खराब दूरसंचार सेवाओं के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्तव्य निर्वाह करने में लापरवाही बरतने के दोषी पाए गए अधिकारियों तथा वहां अबाधित दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) जी हाँ।

(ख) श्री के.सी. कैथ, महासचिव, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद, रोहरू, जिला शिमला से निम्नलिखित के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था:-

(1) रोहरू उप-मंडल में खराब दूरसंचार सेवाएं।

(2) रोहरू से शिमला तक ग्रूप डायलिंग सुविधा की अनुपलब्धता।

(3) बकाया बिलों के भुगतान न किए जाने के कारण काटे गए रोहरू एक्सचेंज के टेलीफोन नं. 48157 को पुन: जोड़ना।

(ग) महाप्रबंधक, शिमला 16.11.1999 को अभ्यावेदन के सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया था। चूंकि कोई भी कर्मचारी कर्तव्य पालन का निर्वाह न करने का दोषी नहीं पाया गया अत: कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

**तटीय विनियमन जोन में संशोधन**

**3433. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय के तटीय विनियमन जोन (सी आर जैड) 1991 में संशोधन द्वारा खतरनाक सामग्री के भंडारण और निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने पर सरकार की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सागरीय-जीवन का संरक्षण करने के लिए कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तटीय विनियमन क्षेत्र (सी आर जैड) में 13 श्रेणी के पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की अनुमति है। भंडारण के ऐसे

प्रस्तावों पर भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाता है। पर्यावरणीय मंजूरी देते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि परियोजना में जरूरी पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय/प्रशमन उपाय शामिल किए जाएं ताकि सागरीय जीवन की सुरक्षा की जा सके।

**महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा लेखन सामग्री की खरीद**

**3434. श्री रघुनाथ झा:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानमर टेलीफोन निगम लि. सरकार के आदेशानुसार लेखन सामग्री साफ-सफाई और अन्य संबंधित मदों की खरीद केन्द्रीय भंडार से करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपना बाजार अथवा मोती नगर में स्थित थोक बिक्री केन्द्र उक्त सरकारी आदेश के संदर्भ में सरकारी खरीदारी करने के लिए अधिकृत बिक्री केन्द्र हैं;

(घ) यदि नहीं, तो महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत स्रोतों से खरीदारी करने के क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे कि महानगर टेलीफोन निगम लि. गुणवत्ता वाले उत्पादों की खरीद सर्वाधिक प्रतियोगी दरों पर केन्द्रीय भण्डार अथवा अन्य अधिकृत एजेंसियों से तुरन्त शुरू करें?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) और (ख) जी हां, अधिकांशतया ऐसी सामग्रियों की खरीद इन स्रोतों से की जाती है। तथापि, भारी मात्रा में इन मदों की खरीद के लिए एमटीएनएल की खरीद नीति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। केन्द्रीय भंडार तथा सुपर बाजार भी इन निविदाओं में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे मेलिंग लिस्ट में हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) रिकार्ड के अनुसार ऐसी कोई खरीद नहीं की गई है।

(ङ) एमटीएनएल की खरीद नीति के अनुसार खुली निविदा जारी करके बहुत ही प्रतियोगी मूल्य पर खरीद की जा रही है। जिसमें केन्द्रीय भंडार तथा सुपर बाजार भी भाग ले सकते हैं।

**विदेशी कम्पनियों द्वारा मेगा पावर प्रोजेक्ट लगाया जाना**

**3435. श्री अधीर चौधरी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विकसित देशों ने और बड़ी विदेशी पावर कम्पनियों ने भारत में मेगा पावर प्रजेक्ट लगाने की अपनी इच्छा जाहिर की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत में मेगा पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए उनको अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इससे किस सीमा तक बिजली की कमी को पूरा किया जा सकेगा?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 1998 में घोषित संशोधित मेगा विद्युत नीति के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में मेगा विद्युत परियोजनाओं के रूप में कुछ विद्युत परियोजनाओं को अभिज्ञात किया गया है। इस नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आई.सी.बी.) प्रक्रिया के माध्यम से जहाँ तक संभव हो निजी क्षेत्र में अभिज्ञात परियोजनाओं को ठेका प्रदान किया जाएगा। गुजरात में पिपावाव मेगा विद्युत परियोजना (2000 मे.वा.) के संबंध में आई.सी.बी. प्रक्रिया पहले ही चालू की जी चुकी है। उड़ीसा में हिमरा विद्युत परियोजना (6×660 मे.वा.) जिसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 1994 में किए गए थे, को समझौता प्रक्रिया पर हांगकांग की मै. सी.ई.पी.ए. द्वारा विकसित किया जा रहा है। कुछ विदेशी तथा भारतीय कम्पनियों ने पिपावाव परियोजना का विकास करने में अभिरूचि दशाई है।

(ख) पिपावाव परियोजना का विकास करने के लिए निम्नलिखित विदेशी कम्पनियों ने अभिरूचि दर्शाई है:-

| क्रम सं. | विदेशी कम्पनी का नाम | देश | मेगा विद्युत परियोजना जिसके लिए अभिरूचि दशाई गई |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | इलेक्ट्रिक डि फ्रांस (ई.डी.एफ.) | फांस | पिपावाव |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | एनरान इंटरनेशनल | यू.एस.ए. | पिपावाव |
| 3. | नेशनल पावर | यू.के. | पिपावाव |
| 4. | ए.बी.बी. इनर्जी वेनचर | स्वीडन | पिपावाव |
| 5. | इंटरगेन | यू.के. | पिपावाव |
| 6. | शेल | हॉलैंड | पिपावाव |
| 7. | ब्रिटिश गैस | यू.के | पिपावाव |
| 8. | बैरार्नवर्क ए.जी. | जर्मनी | पिपावाव |
| | टीएनबीई (टैंगा नेशनल बरहद इंजीनियर्स) | मलेशिया | पिपावाव |
| | सी.एल.पी.इंटरनेशल | चीन | पिपावाव |
| 11. | सी.ई.पी.ए. एशिया | हांगकांग | पिपावाव |

(ग) जैसा कि पहले ऊपर उल्लिखित है, उडीसा में हिमरा मेगा विद्युत परियोजना का विकास करने के लिए प्रवर्तक के रूप में मै. सी.ई.पी.ए. को पहले ही अभिज्ञात किया जा चुका है। पिपावाव परियोजना को स्थापित करने के लिए चयनित विकासकर्ता को अनुमति प्रदान करने का निर्णय वरीय बोलीदाता की चयन प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात् ही लिया जाएगा।

(ङ) अभिज्ञात मेगा विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 15,000 से 20,000 मे.वा. की अतिरिक्त क्षमता जोड़े जाने की संभावना है और इसी सीमा तक विद्युत की कमी को दूर किया जा सकता है।

*[हिन्दी]*

**चम्बल नदी की सफाई**

**3436. श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोटा (राजस्थान) में चम्बल नदी की सफाई के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को किस तिथि को मंजूरी दे गई थी;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च आने की संभावना है;

(घ) योजना के प्राक्कलित खर्च में राज्य सरकार की क्या भागीदारी है;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने अपने हिस्से की राशि आवंटित की है और काम शुरू किया है; और

(च) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बाबू लाल मरांडी ):** (क) से (ग) जी हां, कोटा (राजस्थान) में चम्बल नदी की सफाई, जुलाई 1995 में अनुमोदित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का ही एक भाग है। स्कीम में सीवेज का अवरोधन, दिशापरिवर्तन और उपचार काष्ठ आधारित उन्नत शवदाहगृह, अल्प लागत के शौचालय, नदी घाट का विकास और जन जागरूकता के कार्य शामिल हैं। कार्य की अनुमोदित लागत 12.44 करोड़ रुपये है।

(घ) से (च) भूमि की लागत को छोड़कर स्कीम के लिए पूरी राशियां भारत सरकार द्वारा दी गई है। जहां, कहीं आवश्यक होगा भूमि की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। कोटा शहर के लिए अल्प लागत के शौचालय, घाट विकास और शवदाह गृह के घटकों को 63.85 लाख रुपये की लागत पर मंजूर किया गया है। कोटा में कार्यों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को 37 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। राज्य सरकार के हिस्से की आवश्यकता केवल सीवेज उपचार के घटक के लिए भूमि अधिग्रहण के समय अपेक्षित होगा। इस स्कीम का मार्च, 2005 में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है।

*[अनुवाद]*

**तमिलनाडु में पी.सी.ओ.**

**3437. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या ये बूथ उचित और संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ बंद कर दिए गए;

(ङ) इसके कारण कितना नुकसान हुआ; और

(च) सरकार द्वारा राज्य में विशेषकर शिवगंगा और रामनाड जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के सूचारू कार्यकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) दिनांक 29.2.2000 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में कार्यरत सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की संख्या 65154 है।

(ख) और (ग) ये पी सी ओ संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

(घ) अधिकांश पी सी ओ देय राशि का भुगतान न करने/ शर्तों का उल्लघंन करने के कारण तथा कुछ मामलों में फ्रेन्चाइजियों के अनुरोध करने पर बंद किए जाते हैं। ये पी सी ओ भुगतान मिलने/इनको पुन: चालू करने संबंधी अपील के बाद मामलों के गुण-दोष के आधार पर दुबारा चालू कर दिए जाते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान 653 पी सी ओ बंद किए जा चुके हैं।

(ङ) इन पी सी ओ को बंद करने की वजह से कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि प्रयोक्ताओं के पास अन्य पीसीओ प्रयोग करने का विकल्प है।

(च) पी सी ओ को सुचारूरूप से कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है।

(1) जब कभी भी किसी पी सो ओ से शिकायत मिलती हैं इन शिकायतों पर तत्काल कार्यवाई की जाती है।

(2) वरिष्ठ अधिकारी तथा सतकर्ता अधिकारी भी इस पी सी ओ की समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक जांच करते हैं।

(3) पी सी ओ के सुचारुरूप से कार्यकरण हेतु पारेषण मीडिया का उन्नयन किया गया है। शिवगंगा तथा रामनाद जिलों में पारेषण मीडिया को 72% तक उन्नयित कर दिया गया है ताकि पी सी ओ संतोषजनक रूप से कार्य कर सकें। शेष 28% मीडिया को चालू वित्त वर्ष के दौरान उन्नयित किए जाने की आशा हैं।

*[हिन्दी]*

**सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा**

**3438. श्री मानसिंह पटेल:**
**श्री हरिभाई चौधरी:**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में जिलावार कितनी ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान जिलावार कितनी ग्राम पंचायतों को यह सुविधा उपलब्ध करायी जाने का विचार है;

(ग) राज्य की शेष ग्राम पंचायतों को उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य में बेहतर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) गुजरात में 12,396 ग्राम-पंचायतों को सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा दी गई है। जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) शेष 1,092 ग्राम-पंचायतों को मार्च, 2002 तक क्रमिक रूप से शामिल किया जाएगा। वर्ष-वार विवरण अभी तक नहीं किए गए हैं। इन ग्राम-पंचायतों को निजी स्थिर-सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।

(घ) गुजरात में सभी इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं। एस टीडी - सेवाओं में सुधार हेतु विश्वसनीय माध्यम क्रमिक रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों हेतु नई प्रौद्योगिकियां शुरू की जा रही हैं। दोष-दर में कमी हेतु अनुरक्षण में सुधार किया गया हैं।

*विवरण*

| क्र.सं. | जिले का नाम | सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा युक्त ग्राम-पंचायत | कवर किए गए जाने वाले शेष ग्राम-पंचायत |
|---|---|---|---|
| 1. | अहमदाबाद | 613 | 27 |
| 2. | गांधीनगर | 70 | 0 |
| 3. | अमरेली | 530 | 26 |
| 4. | बरूच | 684 | 28 |
| 5. | कुछ-बुज | 533 | 71 |
| 6. | जामनगर | 740 | 113 |
| 7. | पन्चमहल | 876 | 176 |
| | [illegible]न्ता | 669 | 4 |
| | [illegible]नगर | 598 | 59 |
| 10. | जुनगढ़ | 848 | 73 |
| 11. | मेहसाना | 987 | 58 |
| 12. | केहदा | 899 | 0 |
| 13. | बानस्कन्ता | 779 | 46 |
| 14. | राजकोट | 814 | 26 |
| 15. | सुरेन्द्र नगर | 620 | 0 |
| 16. | सूरत | 731 | 126 |
| 17. | वडोदरा | 750 | 156 |
| 18. | वल्साद | 602 | 86 |
| 19. | दंग | 53 | 17 |
| | कुल | 12396 | 1092 |

*[अनुवाद]*

**अन्वेषण और उत्पादन स्थलों पर प्रदूषण**

3439. **श्री मोहम्द अनवारुल हक:**
**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:**

**क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या गहरे समुद्र में होने वाले प्रदूषण का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है जहां गैस और तेल का अन्वेषण और उत्पादन कार्य किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जामनगर गुजरात में जहाजों और टैंकरों से तेल रिसने की घटनाएं आम हैं जिससे यह क्षेत्र बंजर होता जा रहा है। और मछलियां मर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा तेल प्रदूषण रोकने के किन विकल्पों की योजना बनाई गयी हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री संतोष कुमार गंगवार ):** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**चलते-फिरते चिड़ियाघर**

3440. **डा. जसवंतसिंह यादव:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने पंजीकृत और अपंजीकृत चलते-फिरते चिड़ियाघर हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में अपंजीकृत चलते-फिरते चिड़ियाघरों पर प्रतिबंध लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे पंजीकृत चलते-फिरते चिड़ियाघरों को यदि कोई सहायता दी जाती है तो उसका ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बाबू लाल मरांडी ):** (क से (घ) चलते-फिरते चिड़ियाघरों की राज्य-वार सूची जिन्होंने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, संलग्न है यह सूची 4.8.1993 यानी उन चिड़ियाघरों द्वारा आवेदन करने की अन्तिम तारीख तक की है जो कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत चिड़ियाघर नियमावली 1992 को मान्यता दिए जाने की अधिसूचिना के पहले चल रहे थे।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किसी चलते-फिरते चिड़ियाघर को देश में चलाने के लिए पंजीकृत नहीं किया गया है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38 न के अंतर्गत देश में अपंजीकृत चिड़ियाघरों का संचालन गैर-कानूनी है। चलते-फिरते चिड़ियाघरों के मूल्यांकन के दौरान यह पाया गया कि जानवर एक छोटे तंग

पिजड़ों में बिल्कुल अस्वास्थकर स्थिति में रखे जा रहे हैं। यह देखा गया है कि ये चलते-फिरते चिड़ियाघर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के उल्लंघन में वन्य जन्तुओं को रखते हैं। इन जांच परिणामों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और केन्द्र सरकार ने चलते-फिरते चिड़ियाघरों को मान्यता न देने का निर्णय लिया है। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को समर्थन दिया है। सरकार द्वारा किसी चलते-फिरते चिड़ियाघर को वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

विवरण

चलते-फिरते उन चिड़ियाघरों के नाम जिन्होंने अंतिम तारीख अर्थात् 4.8.93 तक केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था जो इस अधिनियम के संशोधन से पूर्व चलाए जा रहे थे।

**बिहार**

1. अजंता टूरिस्ट जू, पटना बिहार।
2. अमर टूरिस्ट जू, पटना बिहार।
3. बजरंग जू, दरभंगा, बिहार।
4. भारत जू, गुलजार बाग, पटना।
5. डायमण्ड टूरिस्ट जू, पटना।
6. जैमिनी टूरिस्ट जू, पटना।
7. न्यू जनता ट्रैवलिंग जू, पटना।
8. न्यू रेमण्ड टूरिस्ट जू, पटना।
9. रेमण्ड टूरिस्ट जू, पटना।
10. श्री प्रमोद (टूरिंग जू), मुजफ्फरपुर, बिहार।
11. टूरिस्ट जनता जू, पटना।

**तमिलनाडु**

12. मनियन्त मिनी जू (मोबाइल)

**उत्तर प्रदेश**

13. आजाद चिड़याघर (टूरिंग), उत्तर प्रदेश
14. बजरंग टूरिंग जू, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
15. भारत मिनी जू, चिलकाना, उत्तर प्रदेश।
16. भारतीय टूरिंग जू, लाल बाग, उत्तर प्रदेश।
17. बीना कमल गोल्डन जू, उत्तर प्रदेश।
18. न्यू परदेशी टूरिंग जू, हरदोई।
19. परदेसी चिड़ियाघर, सीतापुर।

**पश्चिम बंगाल**

20. अनीता मोबाइल जू, बेरूपुर, परगना साऊथ।
21. चित्रा टूरिंग जू, जे एन सरकार स्ट्रीट, कलकत्ता।
22. फेमस मोबाइल जू, हावड़ा।
23. जय मोबाइल जू, हावड़ा।

**ऐसे चिड़ियाघर जिन्होंने 4.8.93 के बाद आवेदन किया।**

24. न्यू जय हिन्द जू, आगरा, उत्तर प्रदेश।
25. जय हिंद जू, आगरा उत्तर प्रदेश।

टिप्पणी : निम्नलिखित तीन चलते-फिरते चिड़ियाघरों 2 मध्य प्रदेश से और एक राजस्थान से, ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में रिट याचिका दायर की। हालांकि उन्होंने केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को कोई आवेदन नहीं किया।

1. लक्ष्मी टूरिंग जू, मध्य प्रदेश
2. हीरा गोल्डन जू, मध्य प्रदेश
3. गणेश टूरिंग जू, राजस्थान

*[हिन्दी]*

**नए टेलीफोन कनेक्शन**

**3441. श्री थावर चंद गेहलोत:**
**श्री विजय गोयल:**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में राज्य-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उन टेलीफोनों के सुचारू ढंग से काम करने और उनकी मरम्मत करने के लिए कोई सुव्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो अनुरक्षण कर्मचारियों द्वारा टेलीफोन को ठीक करने के लिए कितना अधिकतम समय लिया जाता है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित टेलीफोन कनेक्शनों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। जब भी खराबियों की सूचना प्राप्त होती है उस पर कार्रवाई की जाती है और उनकी मरम्मत की जाती हैं। 48 घण्टे के विनिर्दिष्ट समय के भीतर अधिकांश खराबियों को ठीक कर दिया जाता है।

*विवरण-I*

| क्रम संख्या | राज्य का नाम | वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रदान किये गये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 655088 |
| 2. | असम | 61162 |
| 3. | बिहार | 125170 |
| 4. | गुजरात | 374022 |
| | [illegible]णा | 117436 |
| | [illegible]चल प्रदेश | 60027 |
| 7. | जम्मू व कश्मीर | 22158 |
| 8. | कर्नाटक | 364716 |
| 9. | केरल | 350055 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 154816 |
| 11. | महाराष्ट्र | 657868 |
| 12. | नार्थ-ईस्ट | 43801 |
| 13. | उड़ीसा | 89036 |
| 14. | पंजाब | 208288 |
| 15. | राजस्थान | 182395 |
| 16. | तमिलनाडु | 546170 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 418217 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 31093 |
| 19. | दिल्ली | 176733 |
| | कुल | 4917659 |

टिप्पणी: गुजरात राज्य में दादर, दयू, दमन और नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र) शामिल हैं।
केरल राज्य में लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र) सम्मिलित हैं।
महाराष्ट्र राज्य में गोवा और मुम्बई शामिल हैं।
उत्तर-पूर्व दूरसंचार परिमण्डल में अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेंघालय मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य सम्मिलित हैं।
पंजाब राज्य में चंडीगढ (संघ शासित क्षेत्र) शामिल है।
तमिलनाडु में चेन्नई और पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र) शामिल है।
पश्चिम बंगाल में सिक्किम राज्य, कलकत्ता और अंडमान और निकोबार शामिल है।

*विवरण-II*

| क्रम संख्या | राज्य का नाम | वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रदान किये गये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 575000 |
| 2. | असम | 55000 |
| 3. | बिहार | 260000 |
| 4. | गुजरात | 250000 |
| 5. | हरियाणा | 150000 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 60000 |
| 7. | जम्मू व कश्मीर | 50000 |
| 8. | कर्नाटक | 425000 |
| 9. | केरल | 450000 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 120000 |
| 11. | महाराष्ट्र | 740000 |
| 12. | नार्थ-ईस्ट | 50000 |
| 13. | उड़ीसा | 100000 |
| 14. | पंजाब | 250000 |
| 15. | राजस्थान | 210000 |
| 16. | तमिलनाडु | 700000 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 490000 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 445000 |
| 19. | दिल्ली | 200000 |
| | कुल | 5580000 |

टिप्पणी: गुजरात राज्य में दादर, दयू, दमन और नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र) शामिल हैं।
केरल राज्य में लक्षद्वीप (संघ शासित क्षेत्र) सम्मिलित हैं।
महाराष्ट्र राज्य में गोवा और मुम्बई शामिल हैं।
उत्तर-पूर्व दूरसंचार परिमण्डल में अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेंघालय मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य सम्मिलित हैं।
पंजाब राज्य में चंडीगढ (संघ शासित क्षेत्र) शामिल है।
तमिलनाडु में चेन्नई और पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र) शामिल है।
पश्चिम बंगाल में सिक्किम राज्य, कलकत्ता और अंडमान और निकोबार शामिल है।

**उत्तर प्रदेश में एल.पी.जी. एजेन्सियां/पेट्रोल पम्प**

**3442. श्रीमती सुशीला सरोज:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में इस समय कितनी एल पी जी एजेंसियां और पेट्रोल पम्प काम कर रहे हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त जिले में वर्ष-वार कितनी एल पी जी एजेंसियां/पेट्रोल पम्प खोले गए हैं;

(ग) वर्ष 2000 और 2001 के दौरान उक्त जिले में कितनी एल पी जी एजेंसियां/पेट्रोल पम्प खोले जाने की संभावना है; और

(घ) उपरोक्त जिले में एल पी जी कनेक्शन के लिए कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं और प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) और (ख) वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 16 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 4 एल पी जी डिस्ट्ब्यूटरशिपें प्रचालन में हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान इस जिले में 1 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 1 एल पी जी डिस्ट्ब्यूटरशिप स्थापित की गई थी।

(ग) बर्द्धित मांग को पूरा करने के लिए जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में 5 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 4 एल पी जी डिस्ट्ब्यूटरशिपें स्थापित की जानी हैं।

(घ) फतेहपुर जिले में 1 फरवरी, 2000 को नए एल पी जी कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची लगभग 3328 है। 1 दिसम्बर, 1999 तक की प्रतीक्षा सूची 31 दिसम्बर, 2000 तक निपटा दिए जाने की संभावना है।

*[अनुवाद]*

**दूरसंचार सुविधाएं**

**3443. श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के करजाट और खोपोली क्षेत्रों के टेलीफोन उपभोक्ताओं ने केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल, मुम्बई को कोई अनुरोध/शिकायतें भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अनुरोधों/शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**किसानों को टेलीफोन सुविधा**

**3444. श्री पी.आर. खुंटे:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को कम दर पर टेलीफोन सुविधा प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) और (ख) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं (किसानों सहित) के लिए 1995 में एक रियायती पैकेज की घोषणा की है। इन रियायतों में पंजीकरण, किराया, नि:शुल्क काल की समय-सीमा और काल प्रभारों इत्यादि से सम्बन्धित रियायतें शामिल हैं। दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मार्च 89 के टैरिफ आदेश जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में काल प्रभारों तथा किराये में वृद्धि की शर्त थी, के बावजूद सरकार ने ग्रामीण उपभोक्ताओं को वे रियायतें देने का निर्णय लिया जो उन्हें 1995 में उपलब्ध थी।

*[अनुवाद]*

**कुरियाकुट्टी-करप्पारा परियोजना को स्वीकृति**

**3445. श्री टी. गोविन्दन:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में कुरियाकुट्टी-करप्पारा परियोजना के प्रस्ताव पर पुनर्विचार हेतु सहमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) और (ख) यह प्रस्ताव क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण के हित में वानिकी और प्रर्यावरण दोनों दृष्टियों से पहले नामंजूर कर दिया गया था। केरल सरकार से वानिकी मंजूरी के लिए संशोधित प्रस्ताव जनवरी 2000 में प्राप्त हुआ था। वानिकी मंजूरी पर निर्णय लेने के बाद ही पर्यावरण मंजूरी हेतु प्रस्ताव पर पुन: विचार किया जाएगा।

**पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में पेट्रोल पम्प**

**3446. श्री सुनील खां:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के सोनामुखी नगरपालिका क्षेत्र में एक पेट्रोल पम्प स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए विज्ञापन कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार गुण-दोष के आधार पर उक्त पेट्रोल पम्प को, "ए.डी.पी. फार्मस सर्विस को-आपरेटिव सोसायटी" को आबंटित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) से (ङ) तेल कम्पनियों ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में सोनामुखी में 2 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। वर्तमान नीति के अनुसार डीलरों का चयन तेल कंपनियों के प्रति आवेदन करने वाले पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार दोष के आधार पर राज्य के डीलर चयन ना है। सहकारी समितियां भी इन विज्ञापनों के प्रात डालराशपा/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए आवेदन कर सकती हैं।

## गैस और पेट्रोल के भंडार

**3447. श्री विजय गोयल:**
**श्री होलखोमांग हौकिप:**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाल ही में गैस और पेट्रोल के कोई नए भंडार पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार इन कुओं से कितनी गैस और पेट्रोल का दोहन किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन भंडारों से गैस और पेट्रोल के दोहन के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) बचत, खोजे गए क्षेत्रों से वास्तविक रूप से उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा गुणवत्ता व अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर निर्भर करेगी।

## सिक्किम में रसोई गैस की मांग और आपूर्ति

**3448. श्री भीम दाहाल:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सिक्किम में रसोई गैस को कितनी मांग और आपूर्ति हुई;

(ख) क्या उक्त राज्य में रसोई गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति में कोई कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त राज्य में रसोई गैस की कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम प्रस्तावित हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) पिछले दो वर्षों के दौरान सिक्किम में एल.पी.जी. की मांग और बिक्री निम्नानुसार है:-

| वर्ष | 1997-98 | 1998-99 |
|---|---|---|
| मांग | 2599 (एम टी) | 2922 (एम टी) |
| बिक्री | 2617 (एम टी) | 2868 (एम टी) |

(ख) से (घ) नए एल पी जी कनेक्शन एल पी जी की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लेक और उनकी व्यवहार्यता के आधार पर देश भर में चरणबद्ध ढंग से जारी किए जाते हैं। तथापि सरकार की योजना 1.12.1999 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत सारी की सारी प्रतीक्षा सूची निपटाने के लिए वर्ष 2000 के दौरान 1 करोड़ एल पी जी कनेक्शन जारी करने की है।

*[हिन्दी]*

## उत्तर प्रदेश में पर्यावरण और वनों के विकास हेतु योजना आवंटन

**3449. श्री जवाहरलाल जायसवाल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वेतन और रख-रखाव पर हुए खर्चों को छोड़कर उत्तर प्रदेश में पर्यावरण और वनों के विकास हेतु आवंटन में से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण एवं वनों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान क्रमश: 6422.64 लाख रुपये 6538.16 लाख रुपये तथा 7948.76 लाख रुपये रिलीज किए है। राज्य सरकार ने 1997-98 तथा 1998-99 में क्रमश: 6350.42 लाख रुपये तथा 9565.79 लाख रुपये का उपयोग किया है। 1999-2000 के लिए उपयोगिता आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस पूरी राशि को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विकासात्मक गतिविधियां शुरू करने के लिए अनुमोदित घटकों पर खर्च किया जाना है।

## राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग

**3450. प्रो. रासासिंह रावत:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इनके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी और कितनी धनराशि उन पर खर्च की गयी;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के बाइपासों और पुलों के निर्माण से संबंधित कोई योजना सरकार के पास कार्यान्वयन हेतु लंबित पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है;

(घ) राजस्थान से गुजरने वाले उन राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं जिन्हें चार लाइनों वाले राजमार्गों में बदला जाना है और उनकी लम्बाई क्या है;

(ङ) किस सीमा तक कार्य पूरा कर लिया गया है और कब तक शेष कार्य को पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है; और

(च) इन राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान की गयी है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान):** (क) 4410 कि.मी. की कुल लम्बाई के ग्यारह राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान राज्य से गुजरते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आवंटित निधियों और तत्संबंधी व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

| वर्ष | आबंटन (लाख रु.) | व्यय |
|---|---|---|
| 1997-98 | 8265 | 8365 |
| 1999-99 | 13174 | 13111 |
| 1999-2000 | 24428 | 22018 |

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव संस्वीकृति के लिए लम्बित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:-

| रा.रा. सं. | कार्य का नाम | लम्बाई | कार्य निष्पादन की निर्धारित तारीख/अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|
| 3 | (1) आगरा-धोलपुर खंड | 11 कि.मी. | मई, 2001 |
| | (2) आगरा-धोलपुर खंड | 17 कि.मी. | परियोजना तैयार करने के लिए परामर्शदाता को कार्य पर लगा दिया गया है। |
| 8. | (1) शाहजहांपुर-कोटपुतली खंड | 55 कि.मी. | दिसम्बर, 2000 |
| | (2) कोटपुतली-आमेर खंड | 86 कि.मी. | पहले ही चार लेन में चौड़ा कर दिया गया है। |
| | (3) जयपुर-किशनगढ़ खंड | 93 कि.मी. | इस कार्य को बी ओ टी आधार पर 6-लेन में विभाजित कैरिजवे के रूप में शुरू किया जा रहा और यह कार्य दिसम्बर, 2000 तक शुरू होने की संभावना है। |
| | (4) किशनगढ़-उदयपुर खंड | 312 कि.मी. | इस समय विस्तृत इंजीनियरी/परियोजना तैयार करने के लिए और भीलवाड़ा तथा चितौडगढ़ के रास्ते अधिमान्य रूप से संरेखण का अभिनिर्धारण करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। विस्तृत इंजीनियरी जुलाई, 2001 तक पूरा होने की संभावना है। |
| | (5) उदयपुर-रत्नपुर खंड | 125 कि.मी. | कार्य दिसम्बर, 2000 तक सौंपे जाने की संभावना है। |

(च) 1999-2000 के दौरान राजस्थान में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों अनुरक्षण के लिए 4447 लाख रुपये की राशि आंबटित की गई । इसके अतिरिक्त, विशेष मरम्मत कार्यक्रम के तहत 4967 लाख ये की राशि आबंटित की गई थी।

*[अनुवाद]*

**आई.आर.सी.सी. में सुरक्षा तंत्र की स्वीकृति**

**3451. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
**श्री अनादि साहू:**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आई.आर.सी.सी. के बन्द होने की स्थिति में इसके कर्मचारियों के लिए घोषित स्वीकार्य सुरक्षा तंत्र के तहत कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(ख) प्रबंधकों द्वारा प्रत्येक मान्यता प्राप्त संघों/परिसंघों के साथ आज तक कुल कितनी बैठकें की गई हैं;

(ग) सुरक्षा तंत्र संबंधी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए/किए जाने वाले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और प्रबन्धकों द्वारा शेष मान्यता प्राप्त परिसंघों को न बुलाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क)विद्यमान कर्मचारी मौजूदा स्कीम के अनुसार सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए विकल्प दे सकते हैं। विकल्प न दिए जाने पर वे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार बंद होने पर मुआवजे के हकदार होंगे।

(ख) भारतीय सड़क निर्माण निगम (आई आर सी सी) को बंद करने का सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात् प्रबंधन ने किसी बैठक के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनियन/एसोसिएशन को नहीं बुलाया है। तथापि, आई आर सी सी की आफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन और आई आर सीसी एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि मंडल, आई आर सी सी को बंद करने के सरकार के निर्णय से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए दिनांक 9.3.2000 को आई आर सी सी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से मिला था।

(ग) बोर्ड ने दिनांक 16.3.2000 को हुई बैठक में आई आर सी सी को बंद करने के सरकारी निर्णय और कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाने वाली मौजूदा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम का मुआवजा पैकेज भी अंगीकार कर लिया। बोर्ड के निर्णय को आई आर सी सी के कर्मचारियों की सूचना के लिए अधिसूचित किया जा चुका है।

(घ) आई आर सी सी के प्रबंधन को आई आर सी सी *आफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन और आई आर सी सी एम्पलाइज यूनियन से दिनांक 15.3.2000 को सचिव, जल भूतल परिवहन* मंत्रालय को संबोधित दो अलग-अलग प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन पर विचार किया जा रहा है।

**चेरत्तला-एल्लेपी कायमकुलम राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाना**

**3452. श्री वी. एम. सुधीरन:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग के चेरत्तला-एल्लेपी कायमकुलम तक के हिस्से को चार लेन वाला बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाये जाने का विचार है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**तार सेवाओं का आधुनिकीकरण**

**3453. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में तार सेवाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो जिले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कोई बजटीय प्रावधान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आधुनिकीकरण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) जी हां।

(ख) संपर्कता के लिए माइक्रोप्रेसेसर पर आधारित इलैक्ट्रानिक मैसेज स्विच जैसे स्टोर एंड फॉरवर्ड मैसेज, स्विचिंग सिस्टम (एसएफएमएसएस) तथा इलैक्ट्रानिक की बोर्ड कन्सेन्ट्रेटर्स (ईकेबीसी) तथा तारों के शीघ्र पारेषण के लिए नेटवर्क तार-घर प्रदान किए गए हैं। फैक्स सुविधाओं के लिए ब्यूरोफैक्स सेवा प्रदान की गई है। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) तार सेवाओं के लिए अलग से कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है।

(ङ) आधुनिकीकरण एक जारी प्रक्रिया है और आवश्यकता के आधार पर शेष जिलों को भी शामिल किया जाएगा।

*विवरण*

*जम्मू और कश्मीर में आधुनिकीकरण कार्य का ब्यौरा*

| क्र.सं. | जिले का नाम | क्या आधुनिकीकृत है | उपलब्ध सुविधाएं |
|---|---|---|---|
| 1. | जम्मू | हाँ | ईकेबीसी एफएएक्स |
| 2. | कठुआ | -वही- | ईकेबीसी पोर्ट एफएएक्स |
| 3. | उधमपुर | ,, | -वही- |
| 4. | राजौरी | ,, | -वही- |
| 5. | पूंछ | ,, | एफएएक्स |
| 6. | श्रीनगर | ,, | एसएफएम एसएसपोर्ट ईकेबीसी पोर्ट |
| 7. | लेह | ,, | ईकेबीसी पोर्ट,एफएएक्स |
| 8. | अनन्तनाग | अभी नहीं | - |
| 9. | बारामुला | -वही- | - |
| 10. | कुपवाड़ा | ,, | - |
| 11. | पुलवामा | ,, | - |
| 12. | डोडा | ,, | - |
| 13. | कारगिल | ,, | - |

**बिहार में पम्पसेटों को सक्रिय बनाना**

**3454. श्री राजो सिंह:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई पम्पसेटों को क्रियाशील बनाने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा उनमें से कितने की प्राप्ति की गई और उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या कार्यक्रम के अंतर्गत उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त होने के बावजूद उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत निधियों का प्रावधान लगभग स्थिर रहा; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और वर्ष 2000-2001 तथा नौवीं योजना अवधि के दौरान पम्पों को क्रियाशील बनाने हेतु राज्यों को कितना धन उपलब्ध कराने की संभावना है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) और (ख) जी, हां। आठवीं योजना अवधि के दौरान पम्पसेटों के वास्तविक लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के ब्यौरे तथा पम्पसेट लगाने सहित विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरईसी द्वारा जारी निधियां संलग्न विवरण I तथा II में दी गई हैं।

(ग) और (घ) पम्पसेट लगाने का कार्यक्रम राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा प्रायोजित स्कीमों को ऋण सहायता देता है बशर्ते कि वे

तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य तथा वित्तीय दृष्टि से ठीक हों। राज्य विद्युत बोर्ड कार्यक्रम, जो पूरी नौवीं योजना अर्थात 2000-01 के दौरान पम्पसेट लगाने से संबंधित है, अभी प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर ई सी) ने नौवीं योजना अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान 7,40,000 पम्पसेट लगाने का लक्ष्य रखा है। निर्धारित लक्ष्य में से आरईसी ने दिसम्बर, 1999 के अन्त तक 6,49,000 पम्पसेट लगाने का लक्ष्य पहले ही पूरा कर लिया है।

*विवरण-I*

*आर.ई.सी. कार्यक्रमों के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पम्पसेट ऊर्जीकरण की प्रगति (संख्या)*

| क्र.सं. | राज्य | 1992-93 | | 1993-94 | | 1994-95 | | 1995-96 | | 1996-97 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | प्रदेश | 48000 | 102978 | 53000 | 91485 | 53000 | 87742 | 53000 | 37145 | 22500 | 44914 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | असम | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | बिहार | 2955 | 2592 | 1000 | 1909 | 1000 | 1746 | 1000 | 610 | 1300 | 1689 |
| 5. | गोवा | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. | गुजरात | 14500 | 12260 | 16000 | 16030 | 18000 | 18001 | 28000 | 15084 | 17450 | 20370 |
| 7. | हरियाणा | 5000 | 8692 | 6500 | 4005 | 5000 | 3230 | 6000 | 2501 | 4000 | 1849 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | – | 92 | 100 | 148 | 150 | 150 | 150 | 201 | 150 | 254 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | – | 216 | 200 | 210 | 100 | 667 | 150 | 1012 | 150 | 305 |
| 10. | कर्नाटक | 11000 | 15718 | 19500 | 23249 | 5000 | 55962 | 55000 | 38601 | 35000 | 30516 |
| 11. | केरल | 7000 | 11778 | 1800 | 8636 | 1000 | 13035 | 15000 | 12517 | 9000 | 11029 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 25000 | 50198 | 15000 | 38478 | 12000 | 45026 | 12800 | 41855 | 32500 | 44882 |
| 13. | महाराष्ट्र | 35000 | 46284 | 44000 | 54261 | 43000 | 87954 | 47000 | 92395 | 53500 | 62655 |
| 14. | मणिपुर | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15. | मेघालय | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16. | मिजोरम | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17. | नागालैंड | 45 | – | 20 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 18. | उड़ीसा | 5500 | 3241 | 3500 | 2607 | 3500 | 2772 | 3500 | 2260 | 1600 | 702 |
| 19. | पंजाब | 6000 | 6096 | 3500 | 5495 | 4000 | 10224 | 5000 | 11004 | 7500 | 7552 |
| 20. | राजस्थान | 18000 | 19594 | 16300 | 22544 | 13350 | 21058 | 17530 | 17616 | 15650 | 20779 |
| 21. | सिक्किम | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | तमिलनाडु | 18000 | 38405 | 37400 | 40587 | 40000 | 40617 | 40000 | 40649 | 32000 | 37113 |
| 23 | त्रिपुरा | – | 100 | 60 | 90 | 1000 | 40 | 100 | 26 | – | – |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 11500 | 10562 | 9500 | 11760 | 11769 | 9305 | 14239 | 20963 | 16500 | 15846 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 6500 | 2021 | 4650 | 1931 | 800 | 1348 | 1910 | 1007 | 1200 | 337 |
| | कुल | 214000 | 330827 | 232030 | 323429 | 211769 | 398877 | 300379 | 335446 | 250000 | 300792 |

*विवरण-II*

*पम्पसेट ऊर्जीकरण समेत आर.ई.सी. कार्यक्रमों के अंतर्गत आठवीं योजना अवधि के दौरान निधियों का संवितरण*

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | कुल आठवीं योजना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4815 | 10493 | 13221 | 10329 | 1787 | 40645 |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश | 450 | 525 | 2779 | 1555 | 1199 | 6508 |
| 3. | असम | 276 | 0 | 3600 | 3000 | 13 | 6889 |
| 4. | बिहार | 377 | 289 | 588 | 0 | 0 | 1254 |
| 5. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 |
| 6. | गुजरात | 2503 | 3658 | 4409 | 4640 | 4205 | 19415 |
| 7. | हरियाणा | 2123 | 1825 | 1598 | 1053 | 1076 | 7675 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 431 | 481 | 1307 | 1299 | 1470 | 4988 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 706 | 404 | 926 | 1567 | 1800 | 5403 |
| 10. | कर्नाटक | 2970 | 3512 | 5004 | 6871 | 8520 | 26877 |
| 11. | केरल | 909 | 1431 | 1597 | 4179 | 4824 | 12940 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 9134 | 12221 | 16158 | 15055 | 13362 | 65930 |
| 13. | महाराष्ट्र | 3301 | 5647 | 9299 | 9730 | 8599 | 36576 |
| 14. | मणिपुर | 729 | 943 | 709 | 1348 | 1980 | 5709 |
| 15. | मेघालय | 558 | 210 | 0 | 386 | 0 | 1154 |
| 16. | मिजोरम | 763 | 1227 | 819 | 741 | 337 | 3887 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | नागालैंड | 200 | 212 | 11 | 80 | 175 | 678 |
| 18. | उड़ीसा | 1079 | 2363 | 1700 | 1582 | 2052 | 8776 |
| 19. | पंजाब | 1060 | 1592 | 2497 | 2153 | 3219 | 10521 |
| 20. | राजस्थान | 5804 | 7221 | 7704 | 7085 | 9200 | 36994 |
| 21. | सिक्किम | 320 | 317 | 30 | 0 | 0 | 667 |
| 22. | तमिलनाडु | 2500 | 4952 | 7779 | 7243 | 7646 | 30120 |
| 23. | त्रिपुरा | 476 | 793 | 648 | 565 | 633 | 3115 |
| | उत्तर प्रदेश | 4168 | 7129 | 9253 | 1886 | 6004 | 28440 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 1774 | 1753 | 2089 | 566 | 423 | 6605 |
| 26. | दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | अन्य | | | 9072 | | | 9702 |
| | कुल | 47426 | 69198 | 102797 | 82893 | 78721 | 381035 |

*[अनुवाद]*

**वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं**

**3455. श्री अमर रायप्रधान:**
**श्री जयभद्र सिंह:**

**क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुजुर्गों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को टेलीफोन कालों और टेलीफोन बिलों में कुछ रियायतें देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख)यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को इस उम्र में कुछ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) जी, नहीं। तथापि, गैर-ओ वाई टी श्रेणी के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक प्राथमिकता आधार पर टेलीफोन कनेक्शन लेने के हकदार हैं।

(ख) और (ग) संभाव्यत: कम कॉल करने वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी कम कॉल करने वाले उपभोक्ताओं पर लागू वैकल्पिक टेरिफ पैकेज के अंतर्गत कवर किया जाता है।

**पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण**

**3456. श्री एम.के. सुब्बा:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 86 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में पूर्वोत्तर राज्यों में केवी 73 प्रतिशत विद्युतीकृत गांव रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युतीकरण की इस सुविधा से वंचित जनसंख्या की राज्य-वार प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं योजना अवधि हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं तथा राष्ट्रीय औसत की तुलना में इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि रही है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1999 के अंत तक उत्तर-पूर्वी राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण के प्रतिशत और नौवीं योजनावधि के

पहले तीन वर्षों के दौरान आरईसी कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धि के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:-

| क्र.सं. | राज्य | कुल गांव 1991 की जनगणना | दिसंबर, 1999 तक विद्युतीकृत गांव | प्रतिशतता | नौवीं योजनावधि | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | लक्ष्य | उपलब्धियां (अनंतिम) |
| 1. | अरूणाचल प्रदेश | 3649 | 2147 | 59 | 265 | 100 |
| 2. | असम | 24685 | 19019 | 77 | 310 | 20 |
| 3. | मणिपुर | 2182 | 1992 | 91 | 195 | 104 |
| 4. | मेघालय | 5484 | 2510 | 46 | 80 | 43 |
| 5. | मिजोरम | 698 | 688 | 99 | 23 | 16 |
| 6. | नागालैंड | 1216 | 1163 | 96 | 0 | 10 |
| 7. | त्रिपुरा | 855 | 808 | 95 | 55 | 20 |
| | कुल | 38769 | 28327 | 73 | 928 | 313 |
| | अखिल भारत | 587258 | 506144 | 86 | 7000 | 7464 |

* ग्रामीण विद्युतीकरण के आंकड़े के.वि.प्रा. के स्रोतों से।

** नौवीं योजनावधि 1997-98 से 1999-2000 (दिसंबर, 1999 तक आरईसी के अधीन)

**राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-52 पर बाइपास का निर्माण**

**3457. श्री माधव राजवंशी:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के मंगलदोई शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-52 पर भारी यातायात को कम करने के लिए एक बाईपास के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान इसके लिए बजट में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो मंगलदोई नगर के लोगों की आवश्यकताओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री डा. देवेन्द्र प्रधान ):** (क) जी हां।

(ख) वार्षिक योजना 2000-2001 में बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 2.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

(ग) मंगलदोई बाइपास के निर्माण के लिए अभी से कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

**उड़ीसा में पेट्रोल की अनधिकृत बिक्री**

**3458. श्री अनन्त नायक :**क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उड़ीसा में अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा सड़कों पर पेट्रोल की बिक्री की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस राज्य में पेट्रोल की अनधिकृत बिक्री को रोकने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री संतोष कुमार गंगवार ):** (क) तेल विपणन कम्पनियों ने यह सूचित किया है कि उन्हें उड़ीसा में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा मार्गों पर पेट्रोल की बिक्री के संबंध में जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**डाक टिकटों पर अपर्याप्त गोंद**

**3459. श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषरूप से एक तथा तीन रुपये के मूल्य वाली डाक टिकटों के पीछे गोंद/सुरेश नहीं के बराबर होता है। जिसके परिणामस्वरूप टिकट लिफाफे पर नहीं चिपकती हैं तथा पत्र प्राप्तकर्ता को अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि पारगमन के दौरान डाक टिकट कहीं खो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सभी मूल्यों के डाक टिकटों के पीछे पर्याप्त सुरेश सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर)** : (क) डाक-टिकटों में पर्याप्त गोंद न होने की कुछ शिकायतें पूर्व में [illegible] तथा भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक, जो ये डाक-[illegible]रता है, को विनिर्धारित मानदण्डों के अनुसार गोंद [illegible] चिपकान की क्षमता की गुणवत्ता में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने के तत्काल निदेश जारी कर दिए गए थे कि इस प्रयोजनार्थ अच्छी क्वालिटी की गोंद प्रयोग में लाई जाए।

इस दौरान, विभाग डाकघर काउंटरों पर अतिरिक्त गोंद उपलब्ध करा रहा है।

(ख) जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।

**दिल्ली में मतदाताओं को पहचान-पत्र**

**3460. श्री जी. गंगा रेड्डी:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2000 तक दिल्ली के निर्वाचन पंजीयन अधिकारियों के पास निर्वाचन फोटो पहचान-पत्र बनाने संबंधी कितने आवेदन लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) क्या फोटो-सत्र का काम पूरा करने और सभी आवेदकों को क्रम से पहचान-पत्र जारी करने के लिए निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कोई निश्चित तिथि तय की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में व्यापक प्रचार किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल)**: (क) दिल्ली के मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुल 8,707,531 व्यक्तियों के निर्वाचक मंडल में से 5,800,683 व्यक्तियों को त्रुटि रहित निर्वाचन फोटो पहचान-पत्र जारी किए जा चुके हैं। शेष 2,906,848 निर्वाचकों (33%) को फोटो पहचान-पत्र अभी जारी किए जाने हैं।

(ख) से (घ) जी, नहीं, भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, निर्वाचकों को फोटो पहचान-पत्र जारी करने की स्कीम एक परियोजना नहीं है किन्तु यह एक निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है तथा ऐसे कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा नियत नहीं की जा सकती। निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण एक अनवरत प्रक्रिया है (नामदेशन फाइल करने और निर्वाचन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अंतिम तारीख के बीच की अल्पावधि को छोड़कर)। इसलिए, रजिस्ट्रीकृत निर्वाचकों को पहचान-पत्र जारी करने की स्कीम भी एक अनवरत कार्यक्रम है और प्रत्येक नया निर्वाचक इस स्कीम के अंतर्गत आता है। आयोग शेष निर्वाचकों को इस स्कीम के अंतर्गत लाने और उन्हें फोटो पहचान-पत्र देने का प्रयास कर रहा है।

(ङ) से (छ) जब कभी भी फोटो पहचान-पत्र जारी करने का अभियान चलाया जाएगा भारत निर्वाचन आयोग इसका व्यापक प्रचार करेगा।

**दिल्ली से बाहर एम आर टी पी की बैठकें**

**3461. डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के बाहर आयोग की कई बैठकें निश्चित की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और बैठक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक बैठक पर कुल कितना खर्च आया और उक्त अवधि के दौरान बैठक-वार अलग-अलग कितने मामलों का निपटारा किया गया; और

(घ) इस संबंध में अनुचित खर्च में कटौती करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल)**: (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एम आर टी पी आयोग) दिल्ली में स्थित एक अर्द्धन्यायिक निकाय है। एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक अधिनियम, 1969 की धारा 16 (1) के अनुसार आयोग अपनी शक्तियों या कार्यों का प्रयोग करने के लिए भारत में किसी ऐसे स्थान पर और किसी ऐसे समय में अपनी बैठक बुला सकता है जो सबसे अधिक सुविधाजनक हो। आयोग ने सूचित किया है कि दिल्ली से बाहर अधिकतर बैठकें रिकार्डिंग एविडेंस के लिए आयोजित की गई थी ताकि ऐसे वादियों और गवाहों की जरूरतों को पूरा किया जा सके जिन्हें दिल्ली में आवश्यकतानुसार होने वाली कार्यवाहियों में उपस्थित होने में कठिनाई होती है। आयोग ने यह भी रिपोर्ट दी है कि दिल्ली से बाहर बैठकें आयोजित करके मामलों का निपटान ही नहीं किया जा सकता बल्कि बाहर की ऐसी बैठकें और अधिक मामलों के निपटान में सहायक भी होंगी। आयोग में आवास की कमी को देखते हुए ही दिल्ली से बाहर बैठकें आयोजित की गई थी। जांच एवं पंजीकरण महानिदेशक (डी जी आई आर) के कार्यालय को भी अपने अधिकारियों/अधिवक्ताओं को उन मामलों में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त करना था जिनके बारे में उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई थी। सरकार कठोर बजट व्यवस्था और सख्त मितव्ययिता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से बाहर बैठकों की सुनवाई न किए जाने पर विचार करने के लिए एम आर टी पी आयोग पर दबाव डालती रही है।

*विवरण*

| क्र.सं. | दिल्ली से बाहर की गई बैठकों का स्थान | तारीख/अवधि | उपगत व्यय | निपटाए गए मामले |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1997-98 | | | | |
| 1. | हैदराबाद | 27 अप्रैल, 97 से 01 मई, 1997 तक | प्रत्येक बैठकवार व्यय आयोग में नहीं रखा जाता | आयोग की दिल्ली से बाहर की गई बैठकें आमतौर पर "रिकार्डिंग एविडेंस" के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। मामलों का निपटान पीठ की एक बैठक में नहीं किया जाता है। |
| 2. | मुम्बई | 14-16 मई, 97 | है। 1997-98 के दौरान | |
| 3. | अहमदाबाद | 17-23 मई, 97 | हुआ अनुमानित व्यय | |
| 4. | चेन्नै | 17 जुलाई, 97 | 2,85,000/-रुपये है। | |
| 5. | चेन्नै | 28 जुलाई से 1 अगस्त, 97 तक | | |
| 6. | अहमदाबाद | 6-12 दिसम्बर, 1997 | | |
| 7. | बंगलूर | 18-26 सितम्बर, 1997 | | |
| 8. | चेन्नै | 19-21 नवम्बर, 97 | | |
| 9. | थ्रिरुवनन्तपुरम | 25-28 नवम्बर, 97 | | |
| 10. | मुम्बई | 12-16 सितम्बर, 97 | | |
| 11. | अहमदाबाद | 17-18 दिसम्बर, 97 | | |
| 12. | मुम्बई | 3-6 फरवरी, 98 | | |
| 13. | बंगलूर | 22-24 मार्च, 98 | | |
| 14. | सिकन्दराबाद | 25-26 मार्च, 98 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | | | | |
| 1. | अहमदाबाद | 4-12 अप्रैल,98 | प्रत्येक बैठकवार व्यय आयोग में नहीं रखा जाता है। 1998-99 के दौरान हुआ अनुमानित व्यय 2,46,000/- रुपये है। | |
| 2. | अहमदाबाद | 27-29 जुलाई,98 | | |
| 3. | थिरूवनन्तपुरम | 12-16 सितम्बर, 98 | | |
| 4. | चेन्नै/हैदराबाद | 16-22 नवम्बर, 98 | | |
| 5. | चेन्नै | 13-18 फरवरी, 99 | | |
| 6. | बंगलूर | 3-8 मार्च, 99 | | |
| 7. | सिकन्दराबाद | 9-10 मार्च, 99 | | |
| 1999-2000 | | | | |
| 1. | अहमदाबाद | 26-30 अप्रैल, 99 | प्रत्येक बैठकवार व्यय आयोग में नहीं रखा जाता है। 1999-2000 के दौरान हुआ अनुमानित व्यय 2,20,000/-रुपये हैं। | आयोग की दिल्ली से बाहर की बैठकें आमतौर पर "रिकार्डिंग एविडेंस" के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। पीठ की एक बैठक में मामलों का निपटान नहीं किया जाता है। |
| | [illegible] | 24-25 सितम्बर, 99 | | |
| | [illegible]बाद | 11-15 अक्तूबर, 99 | | |
| 4. | इलाहाबाद | 23-26 अक्तूबर, 99 | | |
| 5. | अहमदाबाद | 27-28 दिसम्बर, 99 | | |
| 6. | चेन्नै | 30 जनवरी-3 फरवरी, 2000 तक | | |
| 7. | अहमदाबाद | 13-16 फरवरी, 2000 | | |
| 8. | चेन्नै | 23-24 मार्च, 2000 | | |

*[हिन्दी]*

**राजस्थान में दूरसंचार सुविधाएं**

**3462. श्री रामसिंह कस्वां:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के चुरू जिले में ग्रामीण टेलीफोन की स्थिति चरमरा गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक जिले में कितने पी.सी.ओ. मंजूर किए गए हैं और संस्थापित किए गए हैं;

(घ) इनमें से कितने पी.सी.ओ. बंद पड़े हैं;

(ङ) इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार टेलीफोन सेवाओं में सुधार करके बंद पड़े पी.सी.ओ. को क्रियाशील बनाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री तपन सिकदर ) :** (क) जी नहीं। राजस्थान के चुरू जिले में ग्रामीण टेलीफोन सामान्यता संतोषप्रद ढंग से काम कर रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) मंजूर किए गए पी.सी.ओ.

| वर्ष | वीपीटी | एसटीडी | स्थानीय | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| 97-98 | 182 | 144 | 45 | 371 |
| 98-99 | 46 | 120 | 25 | 191 |
| 99-2000 | 18 | 410 | - | 428 |

संस्थापित पी सी ओ:

| वर्ष | वीपीटी | एसटीडी | स्थानीय | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| 97-98 | 182 | 86 | 45 | 313 |
| 98-99 | 46 | 130 | 25 | 201 |
| 99-2000 | 17 | 141 | - | 158 |

(ङ) भुगतान न होने के कारण 31 पी सी ओ काट दिए गए हैं और 67 पी सी ओ खराब हैं।

(च) जी, हां।

(छ) खराब वीपीटी को ठीक करवाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और अगले तीन माह के भीतर 67 खराब वीपीटी ठीक कर दिए जाएंगे।

*[अनुवाद]*

## मिट्टी के तेल पर आयात शुल्क

**3463. श्री सी. श्रीनिवासन:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पाद मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप इन उत्पादों के आयात शुल्क में कमी किए जाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ कोई बजट पूर्व विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) यदि हां, तो केवल मिट्टी के तेल पर आयात शुल्क में वृद्धि किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मिट्टी के तेल पर आयात शुल्क में कमी करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) से (घ) वैश्विक उत्पाद मूल्यों में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आयात शुल्क कम करने के विषय में विचार करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के बीच बजट-पूर्व परामर्श हुए थे। यह शुल्क अब 29 फरवरी, 2000 को संसद में प्रस्तुत किए केन्द्रीय बजट के अंतर्गत संशोधित कर दिए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल पर कोई आयात शुल्क नहीं है। तथापि, उपभोक्ताओं एवं पेट्रोलियम क्षेत्र के समग्र हित को ध्यान में रखते हुए समानान्तर विपणन योजना के तहत मिट्टी तेल पर आयात शुल्क में 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के लिए वृद्धि कर दी गई है। यह डीजल की मिट्टी तेल के साथ मिलावट करने के किसी प्रयास को भी हतोत्साहित करेगा। मिट्टी तेल पर शुल्क कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## गांवों में टेलीफोन सुविधा

**3464. श्री पी. मोहन:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय बिना टेलीफोन की सुविधा वाले गांवों की संख्या कितनी है तथा इसका राज्य-वार प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तथा उत्तर प्रदेश को उक्त सुविधा प्रदान करने में प्राथमिकता देने का है;

(ग)यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) देश में 1.4.2000 को 232,886 गांव (38.3%) बिना टेलीफोन सुविधा के हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) सरकार की नीति, मार्च, 2002 तक बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना है।

*विवरण*

| राज्य | गांवों की कुल सं. | शामिल न किए गए गांव | शामिल न किए गए गांवों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| अंडमान व निकोबार | 282 | 8 | 2.8 |
| आन्ध्र प्रदेश | 29460 | 6081 | 20.6 |
| असम | 22224 | 8043 | 36.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| बिहार | 79208 | 54285 | 68.2 |
| गुजरात | 18125 | 4202 | 23.2 |
| हरियाणा | 6850 | 43 | 0.6 |
| हिमाचल प्रदेश | 16997 | 6633 | 39.0 |
| जम्मू व कश्मीर | 6764 | 2971 | 43.9 |
| कर्नाटक | 27066 | 1265 | 4.7 |
| केरल | 1530 | 0 | 0.0 |
| | 71526 | 25028 | 35.0 |
| महाराष्ट्र | 42060 | 10890 | 25.9 |
| गोवा | 407 | 36 | 8.8 |
| अरूणाचल प्रदेश | 3599 | 3003 | 83.4 |
| मणिपुर | 2394 | 1710 | 71.4 |
| मेघालय | 5629 | 4443 | 78.9 |
| मिजोरम | 770 | 151 | 19.0 |
| नागालैंड | 1192 | 597 | 50.1 |
| त्रिपुरा | 862 | 206 | 23.9 |
| उड़ीसा | 46989 | 24061 | 51.2 |
| पंजाब | 12687 | 564 | 4.4 |
| राजस्थान | 38634 | 14907 | 38.6 |
| तमिलनाडु | 17991 | 146 | 0.8 |
| उत्तर प्रदेश | 115249 | 45226 | 39.2 |
| पश्चिम बंगाल | 38378 | 18223 | 47.5 |
| सिक्किम | 427 | 164 | 38.4 |
| दिल्ली | 191 | _ | 0.0 |
| कुल | 607491 | 232886 | 38.3 |

**एन.टी.पी.सी. द्वारा विद्युत परियोजनाओं को ऋण**

**3465. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम विश्व में नौवां सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय ताप

विद्युत निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना विद्युत उत्पादन किया गया;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अपनी चालू परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऋण जुटाया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा चल रही परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) और (ख) मार्केट लाईन इंटरनेशनल लिमिटेड, यू.के. द्वारा थर्मल जनरेशन आउटपुट (गेगावाट घंटा) 1996 के तहत यूटीलिटियों की विश्वस्तरीय तुलना के अनुसार नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) का विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नौवां रैंक था। तथापि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में इसकी रैंकिंग में और अधिक सुधार हुआ और डाटा मानीटर पीएलसी यू.के. के 1998 की रिपोर्ट के अनुसार 1997 में यह छठी पोजिशन पर था।

गत तीन वर्षों के दौरान एनटीपीसी संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं।

| वर्ष | उत्पादन (एमयूज) |
|---|---|
| 1997-98 | 106290 |
| 1998-99 | 109505 |
| 1999-2000 | 118677 |

(ग) और (घ) जी, हाँ। 1999-2000 के दौरान एनटीपीसी द्वारा घरेलू वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से 1850 करोड़ रुपये के ऋण सुनिश्चित किए गए हैं। एनटीपीसी ने बाद में भी 5000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है जिसकी सेवा शर्तों के निमित्त विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से बातचीत चल रही है।

(ङ) एनटीपीसी परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था सामान्यत: 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात पर आधारित है, इक्विटी मांग एनटीपीसी के आंतरिक संसाधनों से होता है।

*[हिन्दी]*

**महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के बैंक खाते**

**3466. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम टी एन एल के बैंक खातों को खील कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एमटीएनएल द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) आयकर विभाग ने 27.4.2000 को एमटीएनएल के सभी बैंक खाते कुर्क कर लिए थे।

(ख) निर्धारण-अधिकारी ने [illegible] 1997-98 की आय का निर्धारण कर लाइसेंस शुल्क नामंजूर कर दिया था तथा आयकर विभाग ने, तदानुसार 209 करोड़ रुपये का मांग-पत्र जारी किया था। एमटीएनएल ने, निर्धारण-अधिकारी (1) आयकर-आयुक्त (2) तथा केन्द्रीय प्रत्यक्षकर-बोर्ड (3) से मांग के स्थगन हेतु सम्पर्क किया, क्योंकि निर्धारण-आदेश के विरूद्ध याचिका दायर कर दी गई थी।

चूंकि उक्त सभी अधिकारियों ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, अत: एमटीएनएल-बोर्ड ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का निश्चय किया 1947 (70) ईएलटी, 45 (सुप्रीम कोर्ट) तथा सूचित ओएनजीसी बनाम कलेक्टर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुरूप मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा जारी 24.1.94 के कार्यालय आदेश के अनुसार एमटीएनएल ने, निर्धारण-अधिकारी, अर्थात संयुक्त आयुक्त आयकर तथा आयुक्त, आयकर को अनुरोध पूर्वक कहा कि यह मामला सीओडी के समक्ष लंबित है, अत: एमटीएनएल के विरूद्ध कोई प्रतिकूल कार्रवाई न की जाए। एमटीएनएल को विश्वास था कि आयकर विभाग उसके विरूद्ध उसके बैंक-खातों की कुर्की की कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि [illegible] निर्धारिती नहीं है। निर्धारण-अधिकारी ने, 27.3.2000 को एमटीएनएल के दिल्ली तथा मुम्बई स्थित सभी खाते कुर्क कर लिए, उच्च न्यायालय में 28 मार्च, 2000 को सुनवाई के बाद न्यायालय ने आयकर प्राधिकारियों को एमटीएनएल के बैंक -खातों से कुर्की तत्काल समाप्त करने के निर्देश दिए ताकि एमटीएनएल भुगतान कर सके। अत: आयकर-प्राधिकारियों ने 29 मार्च, 2000 को कुर्की के आदेश वापिस ले लिए।

(ग) एमटीएनएल को माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के समक्ष याचिका दायर करने को विवश होना पड़ा। आयकर विभाग की इस दलील पर कि उन्हें अपना संग्रहण लक्ष्य पूरा करना है, न्यायालय ने महसूस किया कि एमटीएनएल की भुगतान-क्षमता

200 करोड़ रुपये देने की है एमटीएनएल को उक्त राशि जमा कराने के निदेश दिए। मामले के गुणदोषों (मेरिट्स) की जांच हेतु, 26 अप्रैल, 2000 को सुनवाई तय की है।

*[अनुवाद]*

**एम.ए.आर.आर प्रणाली का कार्य न करना**

**3467. श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित अधिकांश मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो प्रणाली कार्य नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार देश में विशेषकर महाराष्ट्र और यवतमाल दूरसंचार जिलें में "ओ" मीटर रीडिंग दर्शाने वाली कितनी एम.ए.आर.आर. ईकाइयां हैं;

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्र से संपर्क हेतु किये गये निवेश का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो विशेषकर ग्राम पंचायत स्तर पर रखरखाव प्रावधान व्यवस्था के संबंध में वित्तीय स्थिति क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री तपन सिकदर ) :** (क) और (ख) देश में चालू किए गए कुल 211313 एम ए आर आर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों में से 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार एम एम आर आर प्रणाली पर कार्य कर रहे 41417 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन खराब हैं तथा 24284 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन भुगतान नहीं किए जाने के कारण काट दिए गए हैं। एम ए आर आर प्रणाली पर कार्यरत खराब टेलीफोनों का विवरण इस प्रकार हैं:-

| राज्य | चालू किए गए एमएआरआर वीपीटी | खराब एमएआर आर वीपीटी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| अंडमान व निकोबार | 146 | 18 |
| आंध्र प्रदेश | 12399 | 206 |
| असम | 9293 | 2629 |
| बिहार | 14281 | 6443 |
| गुजरात | 7413 | 292 |
| हरियाणा | 3634 | 604 |
| हिमाचल प्रदेश | 2842 | 642 |
| जम्मू व कश्मीर | 2601 | 489 |
| कर्नाटक | 14692 | 463 |
| केरल | 32 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 25553 | 7165 |
| महाराष्ट्र | 18750 | 805 |
| गोवा | 98 | 4 |
| उड़ीसा | 11542 | 6683 |
| पंजाब | 6195 | 192 (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र सहित) |
| राजस्थान | 17703 | 2685 |
| तमिलनाडु | 7200 | 710 |
| उत्तर प्रदेश | 41103 | 7380 |
| पश्चिम बंगाल | 12059 | 2477 |
| कलकत्ता दूरसंचार जिला | 56 | 12 |
| अरूणाचल प्रदेश | 437 | 185 |
| मणिपुर | 623 | 338 |
| मेघालय | 1105 | 259 |
| मिजोरम | 522 | 153 |
| नागालैण्ड | 510 | 107 |
| त्रिपुरा | 425 | 175 |
| सिक्किम | 70 | 30 |
| पांडिचेरी | 29 | 1 |
| जोड़ | 211313 | 41147 |

(ग) 1. एक्सचेंज से प्रतिदिन वीपीटी की जांच की जाती है यदि किसी वीपीटी से दो दिनों तक उत्तर नहीं मिलता है तो उसे खराब मान लिया जाता है।

2. बेस स्टेशन से एम ए आर आर लिंकों की प्रतिदिन जांच की जाती है।

3. प्रति पंद्रह दिनों में मीटर रीडिंग ली जाती हैं तथा यदि रीडिंग कम आती है तो यह माना जाता है कि यह प्रणाली खराब है और उसकी विशेष जांच की जाती है।

4. वीपीटी धारकों की अपनी खराबियों को टेलीफोन एक्सचेंज/प्रभारी जे टी ओ को दर्ज कराने के लिए कहा गया है।

5. प्रत्येक सर्किल में मरम्मत केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

6. प्रणाली आपूर्तिदाता के साथ ए एम सी किया जा रहा है।

7. एन पी सी द्वारा प्रस्तावित, मासिक/साप्ताहिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट क्रियान्वित कर दी गई हैं।

8. शिकायतें दूर करने के लिए एस एस ए प्रमुख ग्रामीणों के साथ बैठकें करते हैं।

9. सर्किल दूरसंचार आयोग मुख्यालय स्तर पर उड़नदस्तों का गठन किया गया है।

10. नेटवर्क निम्नलिखित नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत करने के लिए इन पर प्रयोग किया जा रहा है।

    * डब्ल्यू एल एल (वायर लेस इन लोकल लूप)

    * सी-डॉट टीडीएमए पी एम पी प्रणाली (सी-डॉट ने टाइम डिवीजन मल्टिपल एक्सेस प्वाइंट टु मल्टी प्वाइंट प्रणाली विकसित की है।

    * दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए उपग्रह आधारित टर्मिनल।

11. शेष गांवों में वीपीटी प्रदान करने के बाद क्रमिक रूप से खराब एम.ए.आर.आर. प्रणालियों को बदला जाएगा।

12. गैर अदायगी के कारण काटे गए वीपीटी को 3 महीने की प्रतीक्षा के बाद नए स्थलों/प्रचालकों के पास शिफ्ट कर दिया जाएगा।

(घ) देश में एम ए आर आर प्रणाली पर कार्यरत कुल 29958 वीपीटी शून्य मीटर रीडिंग दिखाते हैं। महाराष्ट्र तथा यवतमाल दूर संचार जिलों में शून्य मीटर रीडिंग दिखाने वाले एम ए आर आर वीपीटी की संख्या क्रमश: 1193 तथा 288 है।

(ङ) जी नहीं, निम्नलिखित को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिए निवेश का प्रयोग किया जा रहा है।

1. बिलों का भुगतान नहीं किए जाने के कारण कुछ एम ए आर आर वीपीटी काटे जा रहे हैं। इन्हें दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करने की कार्रवाई की जा रही है।

2. कुछ एम ए आर आर वी पी टी ग्राम पंचायत कार्यालयों या शाखा डाक घरों में लगे हैं जो कुछ सीमित समय के लिए खुलते हैं।

3. कुछ खराब एम ए आर आर वी पी टी ।

(च) एम ए आर आर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के अनुरक्षण हेतु कोई अलग से फंड आबंटित नहीं किया जाता है। इनका अनुरक्षण एक्सचेंज प्रणालियों के रखरखाव के लिए फंड से ही किया जाता है।

## ऑप्टिकल फाइबर केबल

**3468. श्री जितेन्द्र प्रसाद:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अस्सी के दशक से दूरसंचार विभाग द्वारा देश भर में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने पर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आई.यू. नेट लाकर अपनी ही एजेंसियों द्वारा अपने ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाकर एक नेचुरल हाई स्पीड डाटा नेटवर्क कार्यान्वित करने के दावे की उपेक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) और (ख) जी, हां। मार्च, 2000 तक विभाग द्वारा 1,71,297 किलो मीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया है। फरवरी 2000 तक इस पर लगभग 4888 करोड़ रुपये व्यय हुआ है।

(ग) और (घ) जी नहीं, सरकार तथा भारत में अन्य एजेन्सियों की उपेक्षा नहीं की गई है। वस्तुतः प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर के रूप में उनकी हिस्सेदारी से, प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन सहित प्रोजेक्ट के सभी क्रिया कलापों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। आई यू नेट अपने साथ हाई स्पीड नेटवर्किंग तथा कंप्यूटिंग के क्षेत्र में कारनेजी मेलॉन विश्वविद्यालय यू एस ए का ज्ञान तथा अनुभव लाया है जो कि प्रस्तावित हाईस्पीड डाटा उपस्कर के प्रभावी प्रयोग शुरू करने से पहले आवश्यक है।

*[हिन्दी]*

**हरियाणा में टेलीफोन कनेक्शन**

श्री **अजयसिंह चौटाला:** क्या **संचार मंत्री** यह कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा में जिले-वार विशेषकर भिवानी जिले में 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार नए टेलीफोन कनेक्शन हेतु कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्य में जिले-वार विशेषकर उक्त जिले में कितने टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए गए;

(ग) राज्य में प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान जिले-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) हरियाणा में 31.03.2000 की स्थिति के अनुसार नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रणाली प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 73262 थी और भिवानी जिले में 2672 थी। प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों का जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) हरियाणा में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों का जिले-वार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान भिवानी जिले में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है:-

| जिले का नाम | निम्न वर्षों के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 |
| भिवानी | 1916 | 4325 | 2830 |

(ग) और (घ) प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान हरियाणा में 1,50,000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है। जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है। वर्ष 2001-2002 के दौरान हरियाणा में मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

***विवरण-I***

| क्र. सं. | जिले का नाम | 31.03.2000 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची |
|---|---|---|
| 1. | अम्बाला | 3552 |
| 2. | यमुनानगर | 2194 |
| 3. | पंचकुला | 1752 |
| 4. | करनाल | 4264 |
| 5. | कैथल | 4291 |
| 6. | कुरूक्षेत्र | 4691 |
| 7. | पानीपत | 3202 |
| 8. | फरीदाबाद | 8272 |
| 9. | गुड़गांव | 4716 |
| 10. | हिसार | 4801 |
| 11. | सिरसा | 4243 |
| 12. | फतेहाबाद | 3055 |
| 13. | रोहतक | 2250 |
| 14. | भिवानी | 2672 |
| 15. | झाझर | 2641 |
| 16. | सोनीपत | 9410 |
| 17. | जींद | 586 |
| 18. | रेवाड़ी | 3144 |
| 19. | मोहिन्दरगढ़ | 3526 |
| | कुल | 73262 |

*विवरण -2*

| क्र.सं. | जिला | 97-98 के दौरान प्रदान की गई सीधी एक्सचेंज लाइनें | 98-99 के दौरान प्रदान की गई सीधी एक्सचेंज नाइनें | 99-2000 के दौरान प्रदान की गई सीधी एक्सचेंज लाइनें |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अम्बाला | 7281 | 7469 | 8738 |
| 2. | यमुनानगर | 3418 | 8024 | 6309 |
| 3. | पंचकुला | 511 | 1177 | 1453 |
| 4. | करनाल | 2869 | 7071 | 7427 |
| 5. | कैथल | 1046 | 4095 | 3294 |
| 6. | कुरूक्षेत्र | 4289 | 7012 | 7531 |
| 7. | पानीपत | 7807 | 7573 | 5760 |
| 8. | फरीदाबाद | 10986 | 9881 | 14292 |
| 9. | गुड़गांव | 9491 | 8525 | 18511 |
| 10. | हिसार | 7973 | 3454 | 5571 |
| 11. | सिरसा | 3216 | 2592 | 5597 |
| 12. | फतेहाबाद | 1681 | 2972 | 3834 |
| 13. | राहतक | 2050 | 5320 | 2709 |
| 14. | भिवानी | 1816 | 4325 | 2930 |
| 15. | झाझर | 1238 | 4615 | 1976 |
| 16. | सोनीपत | 2390 | 7001 | 8057 |
| 17. | जींद | 2981 | 3028 | 7007 |
| 18. | रेवाड़ी | 1869 | 1253 | 4614 |
| 19. | मोहिन्दरगढ़ | 1631 | 651 | 1926 |
| | कुल | 74543 | 96238 | 117436 |

*विवरण-III*

| क्र. सं. | जिला | 2000-2001 के दौरान प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सीधी एक्सचेंज लाइनें |
|---|---|---|
| 1. | अम्बाला | 7000 |
| 2. | यमुनानगर | 6000 |
| 3. | पंचकुला | 2000 |
| 4. | करनाल | 8000 |
| 5. | कैथल | 5000 |
| 6. | कुरूक्षेत्र | 8000 |
| | पत | 4000 |
| 8. | फरीदाबाद | 27000 |
| 9. | गुड़गांव | 20000 |
| 10. | हिसार | 7500 |
| 11. | सिरसा | 7500 |
| 12. | फतेहाबाद | 5000 |
| 13. | रोहतक | 6000 |
| 14. | भिवानी | 6000 |
| 15. | झाझर | 4000 |
| 16. | सोनीपत | 10000 |
| 17. | जींद | 7000 |
| 18. | रेवाड़ी | 6000 |
| 19. | मोहिन्दरगढ़ | 4000 |
| | कुल | 150000 |

*[अनुवाद]*

**सिंगापुर से ऑप्टीकल फाइबर केबल सम्पर्क**

**3470. श्री त्रिरूनावकरसू:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और सिंगापुर के बीच ऑप्टीकल फाइबर केबल सम्पर्क शुरू करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना पर कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर)** : (क) फिलहाल, ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक पर भारत के साथ सिंगापुर को जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार**

**3471. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राज्य तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 1,62,000 किलोमीटर की लम्बाई में से इसका प्रमुख भाग अर्थात 64 प्रतिशत एक लेन वाला मार्ग, केवल दो प्रतिशत चार लेन तथा शेष भाग दो लेन वाले मार्ग हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का देश में सड़क मार्ग द्वारा अत्यधिक परिवहन की समस्या से किस प्रकार निपटने का विचार है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान):** (क) रा.रा. नेटवर्क देश में कुल सड़क लम्बाई का लगभग 1.7% है।

(ख) जी हां।

(ग) सड़क परिवहन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर रा.रा. नेटवर्क का लगातार उन्नयन किया जा रहा है।

*[अनुवाद]*

**प्रदूषण नियंत्रण हेतु युक्ति**

**3472. श्री के. पी सिंह देव:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कोयले से जलने वाले ईंट भट्टों के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कोई युक्ति विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) और (ख) सरकार ने ईंट के भट्टों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए पर्यावरणीय मानक विकसित किए हैं। पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अन्तर्गत लघु, मध्यम और बड़े आकार के ईंट के भट्टों के लिए अपेक्षित स्टैक ऊंचाई और विविक्त पदार्थों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। मौजूदा चल चिमनी ट्रैंच भट्टों को बन्द करना होगा और नए चल चिमनी वाले भट्टों की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्थिर (फिक्स्ड) चिमनी हाई ड्राट भट्टा और/अथवा सेटलिंग चैम्बर के अधिष्ठापन द्वारा विविक्त पदार्थ उत्सर्जन सीमा को पूरा किया जा सकता है।

**वेस्टर्न राऊरकेला इस्पात संयंत्र को इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी द्वारा विद्युत की आपूर्ति बंद करना**

**3473. श्री नरेश पुगलिया:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेस्टर्न इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (डब्ल्यू.ई.एस.सी.ओ.) द्वारा राऊरकेला इस्पात संयंत्र तथा राऊरकेला शहरी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राऊरकेला इस्पात संयंत्र को विद्युत आपूर्ति पुन: बहाल करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) से (ग) राउरकेला स्टील प्लांट तथा राउरकेला टाउनशिप की विद्युत आपूर्ति 11.2.2000 को 13.95 करोड़ रुपये के भुगतान नहीं करने के कारण 18.25 बजे काट दी गई तथा 12.2.2000 को 21.20 बजे पुन: विद्युत आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई। तदनुसार यह विवाद उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग (ओ.ई.आर.सी.) के साथ मिलकर सुलझा लिया गया ।

**भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की संवीक्षा**

**3474. श्री वरकला राधाकृष्णन:**
**श्री रूपचन्द पाल:**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के संवीक्षा क्षेत्र से बाहर रखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को लेखा-परीक्षा की सीमा में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाने का प्रस्ताव है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) और (ख) जी, नहीं, टीआरएआई अधिनियम की धारा 23(2) के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक टीआरएआई के लेखों की लेखा-परीक्षा अपने द्वारा विनिर्दिष्ट अंतरालों में करेंगे। इस अधिनियम की धारा 23 (2) को संशोधित करने से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा से संबंधित अधिकार प्रदान करने वाले उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं क्योंकि इस संशोधन के द्वारा स्पष्टीकरण समाविष्ट करके केवल इस शंका का समाधान किया गया है कि उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा धारा 11 और धारा 13 की उपधारा (2) के तहत टीआरएआई द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के फलस्वरूप लिए गए निर्णयों की इस धारा के तहत लेखा परीक्षा नहीं की जाएगी क्योंकि इन निर्णयों के विरूद्ध अपील अधिकरण में अपील की जा सकती है।

(ग) उपर्युक्त भाग(क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**"सशन रसायन लिमिटेड"**

**3475. श्री एम.ओ. एच. फारूक:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशन रसायन लिमिटेड और केमफेब लिमिटेड ने प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के ग्रीन बैंच के निर्णय के अनुपालन में व्यक्त किए गए मानदंडों के अनुसार अपने लाइसेंसों का नवीकरण करा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सशन रसायन लिमिटेड के आरम्भ होने के समय से अब तक इसकी रसायन पिट के भीतर कितने श्रमिक मर चुके हैं और कितने आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं और वर्तमान समय में उनकी स्थिति क्या है;

(घ) क्या समुद्र में प्रवाहित किये जाने वाले हानिकारक पदार्थों से मछलियां मर रही हैं और क्या इससे समुद्री जीवन खतरे में पड़ गया है और विभिन्न प्रजातियों के प्रजनन स्थलों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस रसायन उद्योग के बंद करने का है; और

(च) नहीं, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) और (ख) जी, हां। पांडिचेरी प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुसार इन इकाइयों ने प्रदूषण और पर्यावरण जोखिमों के नियंत्रण के लिए कदम उठाए हैं।

(ग) 1991 में पांच कर्मचारी मरे थे। अपर जिला मजिस्ट्रेट पांडिचेरी द्वारा 1991 में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था और फैक्ट्री को तुरन्त बन्द किए जाने के संबंध में एक सशर्त आदेश पारित किया गया था। इसके बाद इकाई को विशेषज्ञों के सक्षम दल द्वारा यूनिट की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रमाणित किए जाने के पश्चात् ही फैक्टरियों को मुख्य निरीक्षक द्वारा पुन: खोले जाने की अनुमती प्रदान की गई थी और दांडिक कार्यवाही जून, 1992 में बन्द कर दी गई थी।

(घ) पांडिचेरी प्रदूषण समिति के अनुसार समुद्री जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव देखने में नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) पांडिचेरी प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इकाईयों की समय-समय पर मानीटरिंग की जाती है।

*[हिन्दी]*

## कांडला पत्तन की भूमि का आवंटन

**3476. श्री रामसिंह राठवा:**
**श्री दिलीप संघाणी:**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कांडला पत्तन के लिए कुल कितने क्षेत्रफल भूमि निर्धारित की गई है;

(ख) पत्तन और अन्य गतिविधियों के लिए वास्तव में कितनी भूमि प्रयुक्त हुई है;

(ग) कितने क्षेत्रफल की भूमि अप्रयुक्त पड़ी है;

(घ) क्या सरकार का इस पिछड़े क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए कांडला क्षेत्र की अतिरिक्त भूमि को छोड़ने के लिए कांडला पत्तन न्यास को राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) से (ग) कांडला पत्तन न्यास की भूमि का कुल क्षेत्रफल 2,29,511 एकड़ है जिसमें 2,20,416 एकड़ पानी में डूबी हुई भूमि भी शामिल है। कांडला पत्तन न्यास ने कुल 23,031 एकड़ भूमि का उपयोग किया है। जिस भूमि का अभी उपयोग नहीं किया जा रहा, वह भूमि भविष्य में पत्तन और पत्तन संबंधी सुविधाओं के विस्तार के लिए नियत है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कर्मचारियों का वेतन

**3477. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन विश्व में सर्वाधिक वेतन पाने वाले सिविल सेवा के अधिकारियों से अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) के परामर्श से उनकी परिलब्धियों तथा शक्तियों में कमी करने हेतु क्या उपाय किए गये हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**पदों की पुनः संरचना**

**3478. डा. बलिराम:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्थायी श्रमिकों की टेलीफोन मेकेनिक, टेलीफोन मेकेनिक की टी.टी.ए. और टी.टी. ए. की जे.टी.ओ. के पदों पर पदोन्नति करने के बारे में कोई प्रस्ताव पारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अगस्त, 1999 से पहले इस संबंध में नियम बनाया गया था कि किसी टेलीफोन मेकेनिक को पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद जांच परीक्षा उत्तीर्ण करने पर टी.टी.ए. के पद पर पद्रोन्नत किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो उक्त नियमों में किन परिस्थितियों के कारण परिवर्तन करने और टी.टी.ए. के पदों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने की आवश्यकता पड़ी;

(घ) क्या इस समय अस्थायी और स्थायी दोनों सेवा में 15 से 25 वर्ष पूरे करने के बाद टेलीफोन मेकेनिक के पद पर पदोन्नति की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस स्थिति में क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिक भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो जाता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अगस्त, 1999 के आदेशों को बहाल करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) जी नहीं। तथापि, समूह "घ" के कर्मचारियों को टेलीफोन मैकेनिक के संवर्ग की अर्हकारी जांच परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) में भाग लेने के लिए पात्र किया गया था।

(ख) जी, हाँ। बशर्ते रिक्तियाँ उपलब्ध हों।

(ग) तेजी से होने वाली प्रौद्योगिकीय उन्नति और टी टी ए की नौकरी की प्रकृति दोनों के लिए अर्हता बढ़ाए जाने और बेहतर अर्हता प्राप्त कर्मचारियों की आवश्यकता थी। इसलिए, प्रवेश के लिए अर्हता बढ़ाने, और चयन प्रक्रिया के लिय भर्ती नियमों में परिवर्तन किया गया।

(घ) टेलीफोन मैकेनिक एक पुनर्गठित संवर्ग है और जिन कर्मचारियों ने इस पुनर्गठित संवर्ग में आने का विकल्प चुना और जो पात्र थे, उन्हें टॉक-इन ग्रुप/स्क्रीनिंग टैस्ट के अंतर्गत टेलीफोन मेकेनिक बना दिया गया है। इसलिए टेलीफोन मेकेनिक बनने के लिए लगने वाले वर्षों की संख्या विभिन्न पैरामीटरों पर निर्भर करती है और इसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता।

(ङ) जी नहीं।

(च) टेलीफोन मेकेनिक के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के भर्ती नियमों का कोई प्रावधान नहीं है

(छ) जी, नहीं।

(ज) उक्त (छ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय राजधानी से कोचीन पत्तन को जोड़ना**

**3479. श्री के. करूणाकरन:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोचीन पत्तन, केरल को राष्ट्रीय राजधानी को सभी मुख्य पत्तनों से जोड़ने वाली नई प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के लिए धनराशि किस तरह जुटाई जाने का प्रस्ताव है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) जी, हां।

(ख) रा.रा.-47 के सलेम-कोचीन खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल किया जा चुका है।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बजटगत स्रोतों, पेट्रोल और डीजल पर उपकर, विदेशी सहायता (विश्व बैंक, ए डी बी ऋण इत्यादि), बाजार से उधार लेकर और निजी निवेश के जरिए इस परियोजना का वित्त पोषण करेगा।

*[हिन्दी]*

**प्लास्टिक के अपशिष्ट पदार्थों का व्ययन**

**3480. श्री रामशकल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्लास्टिक के अपशिष्ट पदार्थों को लेकर अत्यंत गंभीर है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक के अपशिष्ट पदार्थों से पर्यावरण को जिस हद तक क्षति पहुंची [illegible] में कोई अध्ययन किया गया है;

[illegible] हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (सैन्ट्रल टयूबर क्राप्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट) ने प्लास्टिक के अपशिष्ट पदार्थो को जैव अपघटनीय अपशिष्टों में बदलने की एक आसान प्रक्रिया को विकसित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) से (ग) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध कार्य बल ने प्लास्टिक अपशिष्टों के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति की समस्या का अध्ययन किया है और इस समस्या से निपटने के लिए निवारक, प्रोत्साहनात्मक तथा उपशमन उपायों के एक पैकेज की सिफारिश की हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय कंद फसल संस्थान, तिरूवनंथपुरम ने एक स्टार्च आधारित जैव अपघटनीय थर्मोप्लास्टिक विकसित किया है जिसका प्रयोग कम सघनता पोलीथिलीन (एलडीपीई) के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। इस सामग्री का प्रयोग फिल्मों एवं निपटान योग्य प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जा सकता है। यह पदार्थ भूमि पर जैव अपघटनीय होता है और पदार्थ में स्टार्च की मात्रा के आधार पर जैव-अपघटनीय के लिए 4-6 माह या 2-5 वर्ष का समय अपेक्षित है।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31**

**3481. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "आई" नदी से होने वाला अपक्षरण असम में बोंगाइगांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 तक पहुंच गया है;

(ख) क्या यह अपक्षरण आगामी बरसात के मौसम में और अधिक बढ़कर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-31 के एक हिस्से को बहा ले जाएगा और पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से अलग-थलग कर देगा; और

यदि हां, तो ऐसी बरबादी से बचाव हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान):** (क) से (ग) पिछले वर्ष आई नदी की धारा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 की ओर अन्तरित हो जाने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के 967 कि.मी. पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। भू-क्षरण तब शुरू हुआ जब नदी राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 80 मीटर दूर थी और भू-क्षरण तब तक होता रहा जब नदी तट की दूरी राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग केवल 30 मीटर रह गई थी। आगे और भू-क्षरण को रोकने के लिए तट संरक्षण कार्यों के जरिए उपाय किए गए हैं।

**संविधान में संशोधन**

**3482. श्री रामनायडू दग्गुबाटि:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यकरण में सुधार लाने की दृष्टि से संविधान में कुछ संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संशोधनों को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल):** (क) सरकार का इस समय विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की बाबत संविधान में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने, संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की है जो विगत 50 वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, यह समीक्षा करेगा कि संविधान संसदीय लोकतंत्र के ढांचे के भीतर किस प्रकार शासन की दक्षतापूर्ण, अबाध और प्रभावकारी प्रणाली की परिवर्तनशील आवश्यकताओं और आधुनिक भारत के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के प्रति अधिक से अधिक अनुक्रियाशील हो सकता है और साथ ही ऐसे

परिवर्तनों की, यदि कोई हों, सिफारिश करेगा जो संविधान के उपबंधों में, उसके मूल ढांचे या उसकी मूल विशेषताओं में हस्तक्षेप किए बिना, करना अपेक्षित है। आयोग अपनी रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**बिहार को वन रोपण हेतु सहायता**

**3483. श्री राधा मोहन सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बिहार को पिछले तीन वर्षों के दौरान वन रोपण हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत लगाए गए पौधों की किस्मों तथा इनकी संख्या का ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित वनीकरण योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार को 523.62 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

(ख) बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 (ख) के अन्तर्गत सभी राज्यों में वन भूमियों सहित सार्वजनिक भूमियों पर वृक्षारोपण को मॉनीटर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में लगभग 37,500 हेक्टयर भूमि पर वृक्ष लगाए गए। प्रति हेक्टयर भूमि पर लगाए गए वृक्षों की संख्या संबंधित योजनाओं के दिशा-निर्देशों पर निर्भर करती है। राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय जलवायु और मृदा संबंधी स्थितियों को ध्यान में रखकर रोपित की जाने वाली प्रजातियों का चयन किया जाता है।

*[अनुवाद]*

**अमरीकी "एचलॉन" निगरानी प्रणाली**

**3484. श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी "एचलॉन" निगरानी प्रणाली उपग्रह द्वारा प्रसारित टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल संचार माध्यमों की निगरानी रखने की क्षमता रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप भारत के संचार माध्यम, व्यापारिक हित और सुरक्षा हित को नुकसान पहुँचने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/प्रस्तावित है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) से (ग) संचार मंत्रालय के पास, ऐसी निगरानी प्रणाली होने संबंधी ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, संबंधित मंत्रालयों को लिखा गया है कि वे ब्यौरे भेजें, यदि उनके पास उपलब्ध हों।

*[हिन्दी]*

**ताजमहल और कोणार्क मंदिर को प्रदूषण का खतरा**

**3485. श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ताजमहल और उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को प्रदूषण के खतरे से बचाने तथा स्मारकों को क्षति पहुंचाने वाली इसी तरह की अन्य गतिविधियों से बचाने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) और (ख) ताजमहल को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए ताज सुरक्षा मिशन नामक योजना पहले से ही कार्यान्वित की जा रही है। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ताज सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत कुछ परियोजनाएं निर्धारित की हैं जिनसे ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार होगा। ये परियोजनाएं बिजली आपूर्ति में सुधार, पीने के पानी की आपूर्ति को बढ़ाने, जल निकासी और मलजल प्रणाली, सड़कों के निर्माण, नागर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वनीकरण से संबंधित हैं। अधिक स्वच्छ ईधन के प्रयोग द्वारा उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम और औद्योगिक प्रक्रियाओं में सुधार लाने हेतु परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। मथुरा रिफाइनरी द्वारा मथुरा और आगरा के बीच परिवेश वायु गुणवत्ता मॉनीटरी केन्द्रों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ताजमहल के आस-पास कुछ परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनीटर केन्द्रों की व्यवस्था भी की है। केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत ताज ट्रेपेजियम प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन

किया है जिसे इस क्षेत्र में पर्यावरण की मॉनीटरी, आयोजन और उसमें सुधार लाने के लिए कई शक्तियां प्रदान की गई हैं और कार्य सौंपे गए हैं।

*[अनुवाद]*

## बिजली का निजीकरण

**3486. श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में बिजली के निजीकरण के बाद निजी संचालक राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने से इन्कार कर रहे हैं;

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार के लिए उड़ीसा सरकार निजी विद्युत कम्पनियों से निरंतर बातचीत कर रही है।

*[हिन्दी]*

## राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

**3487. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:**
**श्री पुन्नूलाल मोहले:**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से राज्य-वार कितने टूटे फूटे पड़े हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए क्या योजना बनाई गयी है;

(घ) इन राष्ट्रीय राजमार्गों के कब तक मरम्मत कराये जाने का लक्ष्य है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) विवरण संलग्न है।

(ख) उपलब्ध संसाधनों के तहत् सम्पूर्ण नेटवर्क यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव और मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, सरकार ने एक चरणबद्ध रूप में विशेष मरम्मत कार्यक्रम के तहत सभी रा.रा. की गुणता में सुधार लाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है।

***विवरण***

*देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य-वार सूची*

| क्र.स. | राज्य का नाम | रा.रा. संख्या | कुल लम्बाई (कि.मी.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205 और 214 | 3910 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 52 और 52 क | 352 |
| 3. | असम | 31, 31ख, 31ग, 36, 37, 37क, 38, 39, 44, 51, 52, 52क, 52ख, 53, 54, 61, 62, 151 और 152 | 2706 |
| 4. | बिहार | 2, 6,19, 23, 28, 28क, 30, 30क, 31, 32, 33, 57, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84 और 85 | 3539 |
| 5. | चंडीगढ़ | 21 | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | दिल्ली | 1, 2, 8, 10 और 24 | 72 |
| 7. | गोवा | 4क, 17, 17क और 17ख | 269 |
| 8. | गुजरात | एन ई-1,6-विस्तार, 8, 8ख, 8क, 8ग और 8घ, 14, 15 और 59 | 2241 |
| 9. | हरियाणा | 1, 2, 8, 10, 21क, 22, 65, 71, 71क, 72 और 73 | 1361 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 1क, 20, 21, 21क, 22, 70, 72 और 88 | 1188 |
| 11. | जम्मू एवं कश्मीर | 1क, 1ख, और 1ग | 738 |
| 12. | कर्नाटक | 4, 4क, 7, 9, 13, 48, 63, 206, 207, 209 और 212 | 3394 |
| 13. | केरल | 17, 47, 47क, 49, 208, 212 और 213 | 1230 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 3, 6, 7, 12, 16, 25, 26, 27, 43, 59, 69, 75, 76, 78, 79, 86 और 200 | 5174 |
| 15. | महाराष्ट्र | 3, 4, 4ख, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 59, 204 और 211 | 3626 |
| 16. | मणिपुर | 39, 53 और 150 | 954 |
| 17. | मेघालय | 40, 44, 51 और 62 | 717 |
| 18. | मिजोरम | 44क, 54, 54क, 54ख और 150 | 857 |
| 19. | नागालैण्ड | 36, 39, 61 और 150 | 369 |
| 20. | उड़ीसा | 5, 5क, 6, 23, 42, 43, 60, 200, 201, 203 और 215 | 2863 |
| 21. | पांडिचेरी | 45क और 66 | 53 |
| 22. | पंजाब | 1, 1क, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70 और 71 | 1328 |
| 23. | राजस्थान | 3, 8, 11, 11क, 12, 14, 15, 65, 76, 79 और 89 | 4381 |
| 24. | सिक्किम | 31क | 62 |
| 25. | तमिलनाडु | 4, 5, 7, 7क, 45, 45क, 45ख, 46, 47, 49, 66, 67, 68, 205, 207, 208, 209 और 210 | 3681 |
| 26. | त्रिपुरा | 44 और 44क | 400 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 2, 3, 7, 11, 19, 24, 24क, 25, 25क, 26, 27, 28, 29, 56, 56क, 56ख, 58, 72, 73, 74, 75, 76, 86 और 87 | 4570 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 2, 6, 31, 31क, 31ग, 32, 34, 35, 41, 55, 60, 80, 81 | 1951 |
| | | कुल | 52,010 |

## जामनगर में दूरभाष केन्द्र और एसटीडी/ आईएसडी सुविधाएं

**3488. श्री चन्द्रेश पटेल:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान गुजरात के जामनगर जिले के विभिन्न दूरभाष केन्द्रों में एस टी डी/ आई एस डी सुविधाएं प्रदान करने और उनके आधुनिकीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी दूरभाष केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है;

[illegible]वधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी [illegible]की गयी है; और

(घ) उक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) और (ख) जी हां। जामनगर जिले में 73 कार्यरत एक्सचेंजों में से 61 टेलीफोन एक्सचेंजों में पहले से ही एस टीडी/ आई एस डी सुविधा उपलब्ध है। शेष निम्नांकित 12 एक्सचेंजों में 2000-2001 के दौरान एस टी डी/आई एस डी सुविधा प्रदान करने की योजना है।

1. बेराजा 2. जामवनधली 3. खनधेरा 4. खरेन्डी 5. मेदी, 6. भोटा पंचदेवदा 7. नाना वदाला, 8. नवगांव, 9. पिधाड, 10. रिनारी 11. सदोदर 12. वदपंचसारा।

(ग) एस टी डी सुविधा प्रदान करने के लिए निधियों का अलग से आबंटन नहीं किया जाता है।

(घ) उपरोक्त कार्य के 2000-2001 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

*[अनुवाद]*

## महाराष्ट्र में सड़क परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

**3489. श्री चिंतामन वनगा:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार की सहायता के उपयोग का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़क परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई/ कराए जाने की संभावना है?

**जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) से (ग) केन्द्र सरकार मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर अन्य सड़कों का विषय अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों का है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1997-98 से बसीन क्रीक और मनोर के बीच चार लेन बनाने की एक परियोजना चल रही है जिसकी लागत 263.52 करोड़ रुपये है। फरवरी, 2000 तक 157.88 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इस परियोजना की 9वीं योजना अवधि में पूरा हो जाने की संभावना है।

## तमिलनाडु में टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची

**3490. डा. ए.डी.के. जयशीलन:**
**डा. वी. सरोजा:**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु के तिरूचेन्दूर और रासीपुरम क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) उक्त क्षेत्रों में 2000-2001 और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अलग-अलग कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतीक्षा सूची में उल्लिखित सभी व्यक्तियों को कनेक्शन देने के लिए उक्त क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में प्रतीक्षा सूची में उल्लिखित सभी व्यक्तियों को कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क)दिनांक 31.03.2000 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु केतिरूचेन्दूर में टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 3097 तथा रासीपुरम क्षेत्र में यह संख्या 4288 है।

(ख) उक्त क्षेत्रों में 2000-2001 तथा अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अलग-अलग रूप से दिए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या निम्नानुसार है:-

| क्षेत्र का नाम | वर्ष के दौरान दिए जाने वाले संभावित टेलीफोन कनेक्शन | |
|---|---|---|
| | 2000-2001 | 2001-20002 |
| तिरूचेन्दूर | 4000 | पर्याप्त टेलीफोन प्रदान किए जाएंगे ताकि मार्च, 2002 तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध हो सके। |
| रासीपुरम | 3000 | पर्याप्त टेलीफोन प्रदान किए जाएंगे ताकि मार्च, 2002 तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध हो सके। |

(ग) से (ङ) जी हां। वर्ष 2000-2001 के दौरान तिरूचेन्दूर में 12 इलेक्ट्रानिक एक्चेंज तथा रासीपुरम क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू/विस्तारित किए जाएंगे तथा अगले वित्तीय वर्ष दौरान मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

## कर्मचारियों की कमी

**3491. श्री जयभान सिंह पवैया: क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1999 की तिथि के अनुसार मध्य प्रदेश में दूरसंचार सर्किलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन सर्किलों में कर्मचारियों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इन खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) 31 दिसम्बर, 1999 को मध्य प्रदेश में केवल एक दूरसंचार सर्किल है।

(ख) जी हाँ।

(ग) कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों (जे टी ओ) को छोड़कर ग्रुप ग और घ संवर्गों में भर्ती न किए जाने के कारण तकनीकी संवर्गों में स्टाफ की सामान्यत: कमी है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन के परिणामस्वरूप 1996 के पश्चात् जे.टी.ओ. के पद पर कोई सीधी भर्ती नहीं की गई है।

(घ) मध्य प्रदेश दूर संचार सर्किल को दूरसंचार तकनीकी सहायकों (टीटीए) और ड्राइवरों के संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए अनुमति दे दी गई है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित जे टी ओ के भर्ती नियमों में संशोधन करके वेतनमान को बढ़ाकर संशोधित कर दिया गया है और प्रविष्टी अर्हताएं बढ़ा दी गई हैं। जे टी ओ की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग कार्रवाई कर रहा है क्योंकि अब यह राजपत्रित ग्रुप "ख" संवर्ग हो गया है।

*[हिन्दी]*

## घटिया रसोई गैस सिलिंडरों और रेगुलेटरों का निर्माण

**3492. श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
**श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में घटिया रसोई गैस सिलिंडरों और रेगुलेटरों के निर्माण में लगी इकाइयों/ फैक्ट्रियों में अब तक कोई छापे मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक रसोई गैस सिलिंडरों के निर्माण के लिए निजी कम्पनियों/व्यक्तियों को दिए गए लाइसेंसों की शर्तों के उल्लंघन के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) से (घ) तेल विपणन कंपनियां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित ऐसे विनिर्माताओं से एल पी जी सिलेन्डर प्राप्त कर रही हैं जिनके पास मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (सी सी

ओ ई) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) का कानूनी अनुमोदन है।

तेल उद्योग का तकनीकी दल भारतीय मानक विनिर्देश के अनुसार विनिर्माण कार्य/गुणता की जांच करने के लिए सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं के यहां औचक दौरा करता है तथा दौरे के दौरान तकनीकी कमियां देखे जाने की स्थिति में उद्योग द्वारा ऐसी इकाइयों को आदेश दिया जाना निलम्बित कर दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे किसी विनिर्माता द्वारा उल्लंघन करने की कोई सूचना नहीं है जिससे तेल उद्योग एल पी जी सिलेन्डर प्राप्त करता रहा है।

## चुनावों में बाहुबल का उपयोग

**3493. श्री माधव राव सिंधिया:**
**श्री सुशील कुमार शिंदे:**

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चुनावों के दौरान अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग और प्रदर्शन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में बाधा डालने वाले इन हथियारों के प्रयोग अथवा प्रदर्शन को रोकने हेतु कोई संशोधन किया गया है अथवा किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल):** (क) से (ग) भारत निर्वाचन आयोग ने, यह सूचित किया है कि वह निर्वाचन की घोषणा की तारीख से आरंभ होने वाली और निर्वाचन पूरा होने के साथ समाप्त होने वाली अवधि के दौरान आयुध कब्जे में रखने पर निबंधन लगाने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को अनुदेश देता रहा है। 1994 की सी.ए.सं. 4298 में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त मतों को ध्यान में रखते हुए, इन आदेशों को यह उपबंध करने के लिए हाल ही में उपांतरित किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधात्मक आदेश, जब वह ऐसा करना आवश्यक समझे, जारी कर सकेगा।

## विदेशों से वित्तीय सहायता

**3494. श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1999-2000 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के नए निर्माण अथवा पुनर्निर्माण हेतु विदेशों से किसी प्रकार की सरकारी अथवा गैर-सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कर्नाटक सरकार को वितरित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा चालू वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के नवीकरण हेतु कोई विशेष परियोजना सृजित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, सरकार ने अभी हाल में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम नामक एक महत्वपूर्ण परियोजना को अनुमोदित प्रदान किया है। इस परियोजना के अंतर्गत दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै और कलकत्ता महानगरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों तथा कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले उत्तर-दक्षिण गलियारे और सौराष्ट्र को सिल्चर से जोड़ने वाले पूर्व-पश्चिम गलियारे को 4/6 लेन का बनाने का प्रस्ताव है। इनकी कुल लम्बाई लगभग 13,000 कि.मी. है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 54,000 करोड़ रुपये है।

*[हिन्दी]*

## पारेषण और वितरण संबंधी घाटे

**3495. श्री राम टहल चौधरी:**
**डा. नीतिश सेन गुप्ता:**
**श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पारेषण और वितरण घाटे को कम करने हेतु विद्युत क्षेत्र में किसी प्रकार की कटौती का कोई लक्ष्य रखा था;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ और अन्त में इस घाटे का कुल अनुमानित प्रतिशत कितना था;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के इस घाटे को कम करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) जनवरी, 1993 में आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि आठवीं योजना के दौरान पारेषण एवं वितरण हानियों को 5% तक कम किया जाये।

(ख) आठवीं योजना अर्थात् 1991-92 के आरंभ में पूरे देश के लिए आपूर्ति हेतु ऊर्जा उपलब्धता के प्रतिशत के रूप में पारेषण एवं वितरण हानियां 22.83% थी। आठवीं योजना के अंत अर्थात् 1996-97 के अंतिम वर्ष में हानियां 24.53% थी।

(ग) और (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार पारेषण एवं वितरण हानियों को नौवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान कम से कम 1% तक कम किया जाना चाहिए।

*[अनुवाद]*

## उड़ीसा में दूरभाष केन्द्र

**3496. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:**
**श्री प्रभात सामन्तराय:**
**श्री भर्तृहरि महताब:**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उड़ीसा में, विशेषरूप से कटक में कार्यरत दूरभाष केन्द्रों की जिला-वार संख्या कितनी है तथा उनकी क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य में और उक्त जिले में मौजूदा दूरभाष केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ङ) क्या राज्य में खर्दा जिले के अंतर्गत मालिदापुर नामक स्थान के लिए मंजूर किए गए दूरभाष केन्द्र की स्थापना कर दी गई है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इसे कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) इस समय उड़ीसा में 526061 लाइनों की कुल क्षमता वाले 862 एक्सचेंज कार्यरत हैं। जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) वर्ष 2000-2001 की अनुदान मागों को अभी संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना है। वर्ष 2000-2001 के लिए उड़ीसा में नए टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने और मौजूदा एक्सचेंजों के आधुनिक बनाने के लिए निधियों का निर्धारण वर्ष 2000-2001 की अनुदान मांगों पर संसद द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद ही किया जाएगा।

(ङ) से (छ) मालीपाड़ा, जंकिया एक्सचेंज के स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जंकिया से मालीपाड़ा तक भूमिगत केबल बिछाकर सभी 30 आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं।

***विवरण***

| क्र.सं. | जिले का नाम | एक्सचेंजों की सं. | सज्जित क्षमता | 2000-01 के दौरान क्षमता संवर्धन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बालासोर | 44 | 24436 | 6000 |
| 2. | भद्रक | 27 | 12472 | 5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | नवपाड़ा | 10 | 3792 | 2000 |
| 4. | कालाहण्डी | 23 | 11212 | 3000 |
| 5. | धेनकनाल | 32 | 12648 | 4000 |
| 6. | अंगुल | 32 | 25048 | 6000 |
| 7. | क्योंझर | 33 | 15054 | 3000 |
| 8. | संबलपुर | 26 | 22485 | 5500 |
| 9. | बारगढ़ | 35 | 11748 | 3000 |
| | [illegible]ड़ा | 15 | 12040 | 4500 |
| | [illegible]ढ़ | 4 | 1544 | 500 |
| 12. | कटक | 48 | 61272 | 15000 |
| 13. | जाजपुर | 34 | 12228 | 3000 |
| 14. | जगतसिंहपुर | 30 | 10008 | 3000 |
| 15. | केंद्रपाड़ा | 21 | 6600 | 3000 |
| 16. | खुर्दा | 56 | 93480 | 16000 |
| 17. | नयागढ़ | 16 | 4392 | 4500 |
| 18. | पुरी | 28 | 19312 | 6000 |
| 19. | बोलनगिरी | 26 | 14112 | 5000 |
| 20. | सोनपुर | 11 | 2800 | 1000 |
| 21. | मयूरभंज | 41 | 15292 | 4500 |
| 22. | सुंदरगढ़ | 53 | 45296 | 13000 |
| 23. | गंजम | 93 | 45596 | 9000 |
| 24. | गजापति | 13 | 3024 | 2000 |
| 25. | बौध | 10 | 2392 | 1500 |
| 26. | कंधामाला | 25 | 5660 | 2500 |
| 27. | कोरापुट | 31 | 17602 | 4500 |
| 28. | रायगढ़ | 24 | 8940 | 4000 |
| 29. | नवरंगपुर | 14 | 3712 | 3000 |
| 30. | मल्कानगिरी | 07 | 1864 | 2000 |
| | कुल | 862 | 526061 | 145000 |

**कटक-भुवनेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का करना**

**3497. श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क का कटक-भुवनेश्वर खंड को 4 लेन करने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ख) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर भुवनेश्वर-खुर्दा खंड को 4 लेन करने के कार्य शुरू करने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उक्त सड़क के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) कटक-भुवनेश्वर खंड के कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) इस कार्य को 3.6.2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ख) जी हां।

(ग) निर्माण लागत को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए आबंटित धनराशि में से विशेष धनराशि आबंटित की जानी है।

(घ) जल भूतल परिवहन मंत्रालय और वित्तपोषण एजेंसियां नियमित रूप से निगरानी रखती हैं। यह कार्य प्रगति की अग्रवर्ती अवस्था में हैं।

**कोंकण तटीय क्षेत्र का विकास**

**3498. श्री अनंत गंगाराम गीते:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से कोंकण तटीय क्षेत्र के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार के पास ये प्रस्ताव किस तारीख से मंजूरी के लिए लंबित पड़े हैं;

(घ) क्या रत्नागिरी जिले से संबंधित कोई योजना प्रस्ताव में शामिल की गई है; और

(ङ) लंबित प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिल जायेगी?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) से (ग) मुम्बई महानगर एक्सप्रैस के निर्माण से संबंधित एक प्रस्ताव पर्यावरणीय मंजूरी के लिए इस मंत्रालय को प्राप्त हुआ है। तथापि, महाराष्ट्र सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त न होने के कारण उपर्युक्त प्रस्ताव से संबंधित फाइल बंद कर दी गई है;

(घ) रत्नागिरी जिले से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ङ) महाराष्ट्र सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त होने के पश्चात् इस परियोजना के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**बिहार के भागलपुर में एल.पी.जी. बाटलिंग संयंत्र**

**3499. श्री सुबोध राय:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भागलपुर जिला के मौजा, कुर्बा, अम्बाई, महेशपुर और बदर आलापुर में बाटलिंग संयंत्र लगाए जाने को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने इस प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ग) यदि हां, तो बाटलिंग संयंत्र को लगाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक लगाए जाने और इसके कब से चालू होने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) से (ग) एल पी जी भरण संयंत्र नजदीकी खपत क्षेत्रों में डिब्बा बंद एल पी जी की मांग संभाव्यता पर विचार करने के पश्चात तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर स्थापित किए जाते हैं।

9वीं योजना के तहत इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड को भागलपुर में एक एल पी जी भरण संयंत्र स्थापित कराना है। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड इस भरण संयंत्र को स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि के प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रही है। सामान्यतया एल पी जी भरण संयंत्र के निर्माण में भूमि के अधिग्रहण की तारीख से लगभग 36 माह लगते हैं।

*[अनुवाद]*

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निर्धारित मानदण्ड से हटकर कार्य करना**

**3500. श्री राम मोहन गाड्डे:**
**श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
**श्री जी.जे. जावीया:**
**श्री चन्द्रकांत खैरे:**
**श्री आर.एस.पाटिल:**

क्या **भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मार्च, 2000 को 'दि हिन्दू' में "पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सरकमवेंटिंग नार्मस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) *यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;*

(ग) क्या सरकार ने कार्य के लिए बाहर की एजेंसियों को किराये पर लेने की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी विभागों की असहयोगी प्रवृति को गंभीरता से लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार दोषी उपक्रमों या सरकारी विभागों को निर्धारित मानदण्डों और निर्देशों का पालन करने हेतु निर्देश जारी करने का हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा टैंकरों की खरीदारी**

**3501. मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूडी:** क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा टैंकरों की खरीदारी के बारे में 28 फरवरी, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 500 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 7 जलयानों अर्थात् अलग-अलग 4 अफ्रामैक्स टैंकरों और 3 एल.आर.-II कच्चे तेल के टैंकरों की खरीद के लिए शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया से सरकार को प्राप्त दो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों की व्यक्तिगत स्तर पर लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों को सरकार द्वारा कितनी बार शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया को वापस किया गया और कितनी बार शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया से इन्हें फिर प्राप्त किया गया तथा उन प्रस्तावों की संशोधित लागत तथा वर्तमान लागत कितनी है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

**जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) और (ख) भा.नौ.नि. ने सरकार के विचारार्थ दो प्रस्ताव पेश किए हैं। इनके ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(1) हुंदई हैवी इंडस्ट्रीज लि., दक्षिण कोरिया से प्रति जलयान 35.98 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से प्रत्येक 110,000 डी डब्ल्यू टी के 4 एफ्रामेक्स टैंकरों की खरीद।

(2) प्रत्येक 83,000 डी डब्ल्यू टी तीन के एल आर-II क्रूड आयल टैंकरों की खरीद-दो टैंकर प्रति जलयान 35.46 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से हुंदई हैवी इंडस्ट्रीज लि., दक्षिण कोरिया से और एक 34.4 मिलियन अमरीकी डालर के निवल मूल्यांकन मूल्य पर भारतीय शिपयाई अर्थात् कोचीन शिपयार्ड लि.,कोचीन से।

(ग) सरकार ने ये प्रस्ताव भा. नौ. नि. को वापस नहीं भेजे। तथापि, भा.नौ.नि. से "उचित परिश्रम" करने के लिए कहा गया ताकि विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे जलयानों के मूल्यों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रतियोगी और लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित किए जा सकें। इस प्रक्रिया में भा. नौ.नि. और सरकार के बीच पत्राचार हुआ है। अब भा.नौ.नि. ने भारतीय तेल निगम द्वारा ऐसे टैंकरों की भावी आवश्यकता के संदर्भ में क्रूड आयल टैंकरों की आवश्यकता का पुन: आकलन किया है और पूर्व प्रस्तावित सभी तीन टैंकरों के बजाय सीमित संख्या में टैंकरों की खरीद करने का निर्णय लिया है। अब सरकार के पास तीन एल आर II क्रूड आयल टैंकरों की खरीद का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती फिर भी शीघ्र से शीघ्र निवेश निर्णय लिया जा सकता है।

**कर्नाटक में वनों का विकास**

**3502. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में वनों के विकास के लिए कोई अध्यन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) और (ख) राज्य सरकार ने विस्तृत अध्ययन किया है और राज्य में वनों के सतत विकास के लिए राज्य वानिकी कार्य योजना के नाम से एक बीस वर्षीय व्यापक योजना तैयार की है। इस अवधि के दौरान राज्य में संस्थाओं का विकास करने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के अतिरिक्त 3.09 मिलियन हेक्टेयर प्राकृतिक वनों के पुनरूद्धार और 0.12 मिलियन हेक्टेयर गैर-वन भूमियों के रोपण हेतु एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया है। 20 वर्षों के इन कार्यक्रमों के लिए 113377 मिलियन रुपये की कुल वित्तीय आवश्यकता है जो कि राज्य के वानिकी क्षेत्र में वित्तीय निवेश के वर्तमान स्तर से काफी अधिक है।

*[हिन्दी]*

**स्वयंसेवी संगठनों को सहायता**

**3503. प्रो. दुखा भगत:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को कोई सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गयी;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अनियमितता बरती गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे संगठनों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी/करने का प्रस्ताव है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) और (ख) जी, हां। राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) वनीकरण के लिए सहायतानुदान स्कीमों के संबंध में कम जीवितता प्रतिशत तथा अपर्याप्त रोपण-पश्च रख रखाव आदि के बारे में समय-समय पर कुछ अनियमितताएं के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इनकी जांच राज्य वन विभागों के द्वारा करवाई गई थी तथा तदनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की गई।

***विवरण***

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 52.99 | 48.69 | 60.21 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 00 | 00 | 9.39 |
| 3. | असम | 8.03 | 7.42 | 6.93 |
| 4. | बिहार | 38.69 | 36.17 | 53.74 |
| 5. | चण्डीगढ़ | 00 | 00 | 2.39 |
| 6. | दादर एवं नागर हवेली | 00 | 00 | 0.20 |
| 7. | दिल्ली | 32.40 | 48.94 | 27.98 |
| 8. | गोआ | 1.02 | 1.02 | 0.58 |
| 9. | गुजरात | 11.62 | 21.15 | 11.27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10. | हरियाणा | 00 | 0.30 | 3.38 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 00 | 00 | 14.46 |
| 12. | जम्मू एवं कश्मीर | 2.93 | 2.14 | 9.36 |
| 13. | कर्नाटक | 41.49 | 24.89 | 29.31 |
| 14. | केरल | 00 | 0.51 | 13.21 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 0.58 | 7.21 | 19.62 |
| 16. | महाराष्ट्र | 11.95 | 13.05 | 14.67 |
| 17. | मणिपुर | 00 | 3.84 | 34.11 |
| 18. | मेघालय | 00 | 1.09 | 0.27 |
| 19. | मिजोरम | 00 | 00 | 2.37 |
| 20. | नागालैंड | 00 | 15.72 | 25.00 |
| 21. | उड़ीसा | 7.78 | 2.22 | 22.45 |
| 22. | पांडिचेरी | 00 | 00 | 2.37 |
| 23. | पंजाब | 00 | 0.27 | 4.28 |
| 24. | राजस्थान | 12.08 | 8.57 | 10.25 |
| 25. | सिक्किम | 00 | 1.00 | 2 |
| 26. | तमिलनाडु | 37.64 | 30.73 | 18.02 |
| 27. | त्रिपुरा | 00 | 0.22 | 3.37 |
| 28. | उत्तर प्रदेश | 38.76 | 46.52 | 52.58 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 27.71 | 30.52 | 24.16 |

*[अनुवाद]*

**पर्यावरण संबंधी भारत-अमेरिका समझौता**

**3504. श्री अशोक ना. मोहोल:**
**श्री ए.वेंकटेश नायक:**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण संबंधी भारत-अमेरिका समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों ने इस संबंध में आपत्तियां उठाई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी): (क) जी नहीं, तथापि ऊर्जा एवं पर्यावरण के क्षेत्र

सहयोग पर विदेश मंत्री और अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बीच 22.3.2000 को आगरा में एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) यह संयुक्त वक्तव्य ऊर्जा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच सहयोग के लिए अवसंरचना प्रदान करता है और इसके अतिरिक्त और अधिक द्विपक्षीय सहयोग, सरकार से सरकार की बातचीत और इन क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहयोग को और प्रोत्साहित करने हेतु मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति के सृजन संबंधी दोनों देशों के संकल्प को अभिव्यक्त करता है।

(ग) और (घ) टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने एक प्रकाशित लेख में भारत और जलवायु परिवर्तन संबंधी फ्रेमवर्क कन्वैंशन के तहत वार्ता में शामिल अन्य विकासशील देशों के हितों की आशंका को व्यक्त किया है।

(ङ) सरकार ने ऐसी कोई वचनबद्धता नहीं की है जो पर्यावरणीय मुद्दों पर चालू बहुपक्षीय वार्ताओं या सतत आर्थिक विकास की दिशा के इसके लक्ष्यों की स्थिति के अनुरूप नहीं है।

## टेलीफोन शुल्क में कमी

3505. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:**
**श्री पी.डी. एलानगोवन:**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा एस.टी.डी. और आई.एस.डी कॉल के वर्तमान टेलीफोन शुल्क में कमी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार की देश में सेलुलर टेलीफोन/मोबाईल टेलीफोन प्रयोक्ताओं की संख्या में वृद्धि करने हेतु कोई विशेष योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार को दूरसंचार नेटवर्क क्षेत्र में गैर-सरकारी भागीदारी से हुई आय का ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) टीआरएआई अधिनियम-1997 की धारा 11 (2) के द्वारा टैरिफ के निर्धारण/संशोधन की शक्तियां भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी गई हैं। तदनुसार इस प्राधिकरण ने दिनांक 15.3.99 को दूरसंचार टैरिफ आर्डर 1999 अधिसूचित किया जिसके द्वारा प्रथम वर्ष के लिए एसटीडी की दरों तथा आईएसडी की दरों को क्रमश: 20 तथा 21 प्रतिशत कम कर दिया गया है। एक सेवा आप्रेटर के रूप में "दूरसंचार सेवा विभाग" ने उपर्युक्त कटौतियों को लागू कर दिया है।

(ख) और (ग) सेल्यूलर टेलीफोनों की संख्या में वृद्धि करने की दृष्टि से सरकार ने सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं प्रदान की प्रक्रिया में निजी प्रचालकों की भागीदारी की शुरूआत की और इसके लिए प्रारंभ में 42 लाइसेंस दिए गए हैं। इन सेवाओं के प्रचालन के लिए एमटीएनएल तथा दूरसंचार सेवा विभाग को भी लाइसेंस दिए गए हैं।

(घ) 1994-95 से 1999-2000 तक की अवधियों की आय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

### विवरण

*संग्रहित लाइसेंस-शुल्क का विवरण (प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान)*

| वर्ष | राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| 1994-95 | 5.39 |
| 1995-96 | 1360.38 |
| 1996-97 | 1249.40 |
| 1997-98 | 2011.79 |
| 1998-99 | 742.59 |
| 1999-2000 | 2680.05 |
| कुल | 8049.60 |

## तेल शोधक कारखानों द्वारा एल.पी.जी. का उत्पादन

3506. **डा. बी.बी. रमैया:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी तेल शोधक कारखानों में उनकी अधिस्थापित क्षमता के अनुसार एल.पी.जी. का उत्पादन हो रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एल पी जी की घरेलू मांग पूरी करने के लिए उसका पूरी क्षमता से उत्पादन करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री संतोष कुमार गंगवार ):** (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और संयुक्त उद्यम कंपनी/निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों के लिए आरंभिक अनुमानों की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में कुल एल.पी.जी. का उत्पादन फ्रैक्शनेटरों सहित) निम्नानुसार हैं:-

(मात्रा हजार मीट्रिक टनों में)

| | आरंभिक अनुमान | वास्तविक (अनन्तिम) |
|---|---|---|
| सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम रिफाइनरियां | 1723 | 1684 |
| संयुक्त उद्यम कंपनी/निजी रिफाइनरी | 1785 | 805 |
| | 1732 | 1991 |
| कुल | 5240 | 4480 |

यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष के दौरान एल पी जी उत्पादन मुख्यत: संयुक्त उद्यम कंपनी/निजी रिफाइनरियों में अपेक्षाकृत कम है।

(ग) 2000-2001 के लिए कुल उत्पादन 6216 टी एम टी होने की आशा है जो 1999-2000 की तुलना में 1736 टी एम टी अधिक है। वर्ष 2000-2001 के अनुमानों के अनुसार एल पी जी की घरेलू मांग 6707 हजार मीट्रिक टन (टी एम टी) है। इसलिए घरेलू मांग पूरी करने के लिए आयात किए जाएंगे।

## राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना

**3507. श्री टी.एम. सेल्वागनपति:**
**श्री तिरूनावकरसू:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वानिकी निधि को बढावा देने हेतु बैंकिंग संस्था स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना को क्रियान्वित करने हेतु वानिकी क्षेत्र में निवेश का स्तर बढाये जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो वानिकी क्षेत्र में निवेश का स्तर बढ़ाए जाने हेतु सरकार ने किस परियोजना की परिकल्पना की है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बाबू लाल मरांडी ):** (क) और (ख) राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए निधियों की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु कुछ विकल्पों की जांच की गई हैं जिनमें से एक वन विकास बैंक की स्थापना भी शामिल है। वन विकास बैंक स्थापित करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) जी, हां। राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए वानिकी क्षेत्र में निवेश का स्तर बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

(घ) यह अनुमान लगाया गया है कि राष्ट्रीय वानिकी कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए अगले 20 वर्षों की अवधि हेतु 1339 बिलियन रुपये की आवश्यकता होगी। केन्द्र सरकार द्वारा वानिकी क्षेत्र के लिए वार्षिक आबंटन में वृद्धि की गई है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे भी वानिकी क्षेत्र में अपने-अपने आबंटनों में वृद्धि करें। योजना आयोग से 9वीं और 10वीं योजना के शेष वर्षों में वानिकी क्षेत्र के लिए आवंटनों में वृद्धि करने हेतु अनुरोध किया गया है। विदेशी एजेंसियों से सहायता सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं का विवरण तैयार किया गया है।

## पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ

**3508. श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने हेतु कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(घ) उक्त पीठ की स्थापना कब तक कर दी जाएगी?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ओ. राजगोपाल ):** (क) से (घ) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए विभिन्न विधिज्ञ संगमों से समय-समय पर, अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। तथापि, इस संबंध में, जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, इलाहाबाद

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उत्तर प्रदेश सरकार का पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, केन्द्रीय सरकार के लिए इस मामलों में कोई कार्रवाई करना संभव नहीं हो पाया है।

*[हिन्दी]*

**डाकघर**

**3509. श्री हरिभाई चौधरी:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के नए डाकघरों के निर्धारित मानदण्ड पूरा करने के बावजूद उनकी स्थापना नहीं की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) देश में नए डाकघर खोले जा रहे हैं बशर्ते कि मानदण्ड पूरे होते हों तथा वित्त मंत्रालय मंजूर किए जाने वाले अतिरिक्त विभागीय पद तथा धनराशि उपलब्ध रहे।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए उत्तर अपेक्षित नहीं।

*[अनुवाद]*

**टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची**

**3510. श्री आर.एल. जालप्पा:**
**कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य:**
**श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2000 की तिथि के अनुसार हिमाचल प्रदेश विशेषकर शिमला में जम्मू और कश्मीर के बड़े शहरों और चिकबालापुर क्षेत्र के प्रत्येक ताल्लुका में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) 31.3.2000 को टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में शामिल किए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:-

31.3.2000 की प्रतीक्षा-सूची के अनुसार

| | |
|---|---|
| हिमाचल प्रदेश | 23905 |
| शिमला | शून्य |
| **जम्मू व कश्मीर के बड़े शहरों में** | |
| जम्मू | 12226 |
| श्रीनगर | 14411 |
| **चिक्काबल्लापुर क्षेत्र (कर्नाटक)** | |
| चिक्काबल्लापुर (ताल्लुका) | 579 |
| गुडीवंडा (ताल्लुका) | 252 |
| बागेपल्ली (ताल्लुका) | 377 |
| गोरीबिदानूर (ताल्लुका) | 1476 |
| सिदलाघटटा (ताल्लुका) | 722 |

(ख) उपर्युक्त (क) के सामने दर्शाई गई वर्तमान प्रतीक्षा-सूची विद्यमान एक्सचेंजों की क्षमता में विस्तार करके और मांग के स्थानों पर नए एक्सचेंज स्थापित करके, उत्तरोत्तर रूप से चालू वित्तीय वर्ष में समाप्त होने की संभावना है।

*[हिन्दी]*

**संविधान की समीक्षा**

**3511. श्री उत्तमराव पाटील:**
**श्री महबूब जहेदी:**

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 52 वर्षों के दौरान 80 संशोधनों के बाद भी भूमि सुधार, बेरोजगारी, दुर्भावनापूर्ण और घृणित कार्य, बाल शिक्षा और बाल श्रम से संबंधित समस्यायें नहीं सुलझ पाई हैं;

(ख) क्या प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य राष्ट्रपति शासन प्रणाली, संसद का 5 वर्षों का अनिवार्य कार्यकाल और न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन करना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कुछ और संशोधनों का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल):** (क) अब तक संविधान में 79 संशोधन किए जाने के बावजूद भूमि सुधार, बेरोजगारी, विद्वेषपूर्ण और विद्वेषी कार्यों, बाल शिक्षा और बाल श्रमिकों से संबंधित समस्याओं के बारे में अभी तक बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अत: ''संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग'' का गठन किया गया है ताकि वह यह समीक्षा कर सके कि संविधान संसदीय लोकतंत्र के ढांचे के भीतर किस प्रकार शासन की दक्षतापूर्ण, अबाध और ुत्तकारी प्रणाली की परिवर्तनशील आवश्यकताओं और आधुनिक के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के प्रति अधिक से अधिक अनुक्रियाशील हो सकता है और साथ ही ऐसे परिवर्तनों की, यदि कोई हों, सिफारिश कर सके जो संविधान के उपबंधों में, उसके मूल ढांचे या उसकी मूल विशेषताओं में हस्तक्षेप किए बिना, करना अपेक्षित है।

(ख) सरकार का इस समय राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अपनाने, संसद् का कार्यकाल अनिवार्य रूप से पांच वर्ष करने या न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए संविधान में कोई संशोधन करने के प्रस्ताव नहीं हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

*[अनुवाद]*

## तटवर्ती राजमार्ग का निर्माण

**3512. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दमनगंगा नदी के आर-पार पुल का निर्माण करने और कच्छ में लकपथ में महाराष्ट्र सीमा तक तटवर्ती राजमार्ग बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संघ राज्य प्रशासन द्वारा योजना आयोग के निर्देशों के अनुसार क्या इस राजमार्ग का निर्माण करने और दमनगंगा नदी के आर-पार पुल को बनाने का कार्य शुरू किया गया है;

(घ) क्या जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा पहले तैयार किए गए अनुमान अनुमोदन के लिए लंबित पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो परियोजना को वर्तमान स्थिति क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) और (ख) जी, हां, दमन में तटवर्ती राजमार्ग का और दमनगंज नदी पर पुल का निर्माण संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा शुरू करने प्रस्ताव है परन्तु इसके ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। कच्छ में लकपथ से महाराष्ट्र सीमा तक शेष तटवर्ती राजमार्ग का निर्माण और विकास राज्य का विषय है।

(ग) जी हां। परियोजना तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।

(घ) और (ङ) जल भूतल परिवहन मंत्रालय आकलन तैयार नहीं करता है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया आकलन आशोधन और पुन: प्रस्तुत करने के लिए वापस भेज दिया गया है।

## दूरसंचार बकाया में विसंगति

**3513. श्रीमती श्यामा सिंह:**
**श्री नरेश पुगलिया:**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक मार्च 10, 2000 के ''द स्टेट्समैन'' में ''रूपीज 100 करोड़ डिस्क्रिपेंसी इन टेलीकाम ड्यूज'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित तथ्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस समाचार में मुख्य रूप से बकाया देय राशियों के ब्याज के परिकलन में ''भिन्नता'' के बारे में बताया गया है जो मैट्रो सेल्युलर ऑपरेटरों के मामले में उपभोक्ता आधार और ऑपरेटरों की सभी बकाया राशियों के भुगतान के लिए अंतिम तिथि 15 मार्च, 2000 तक बढ़ाए जाने से संबंधित है। इस मामले के तथ्य और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया इस प्रकार है:-

मौजूदा लाइसेंस करारों के अनुसार, आठ सेल्युलर (मैट्रो) ऑपरेटरों के मामले में पहले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क की एक निश्चित राशि है। चौथे वर्ष के बाद इसका संबंध उपभोक्ता आधार से जुड़ जाता है और लाइसेंसधारकों द्वारा प्रस्तुत उपभोक्ता आंकड़ों के आधार पर लाइसेंस शुल्क अनन्तिम रूप से प्रभारित किया जाता है। उपभोक्ताओं के आंकड़ों का

सत्यापन करने पर यह पाया गया कि न तो लाइसेंसधारकों द्वारा ये आंकड़े सही रूप से बताए गए हैं, और न ही इन आठ लाइसेंधारकों में से अधिकाश द्वारा सत्यापन हेतु उपयुक्त रिकॉर्ड रखे गये हैं। उपभोक्ता आधार के सत्यापन के उद्देश्य से नियुक्त तीन सदस्यों की समिति के प्रेक्षणों के आधार पर जो उपभोक्ता आधार निकाला गया, वह लाइसेंसधारकों द्वारा बताए गए आंकड़ों से अधिक था। परिणामस्वरूप, लाइसेंसशुल्क तथा इसके बाद लम्बित भुगतानों पर ब्याज भी संशोधित करके बढ़ा दिए गए। माइग्रेशन पैकेज के अनुसार उपभोक्ता आधार के सत्यापन के बाद 31.7.1999 की कट ऑफ डेट को लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि 86.87 करोड़ रुपये बढ़ गई (146.52 करोड़ रुपये से 233.39 करोड़ रुपये) और साथ ही भुगतान की वास्तविक तारीख/तारीखों तक तदनुसार ब्याज की देय राशि भी 30.03 करोड़ रुपये बढ़ गई । कुल अंतर 116.90 करोड़ रुपये का हो गया।

जहां तक गलत परिकलन करने के आरोप का संबंध है, यह बताया जाता है कि परिकलन सही है, और यह उपभोक्ताओं के संशोधित आंकड़ों के आधार पर किया गया है। तथापि, ऑपरेटरों को जारी किए गए पत्र में यह बताया गया था कि बाद में अन्तिम रूप दिए जाने तक ये राशियां अनन्तिम है तथा यह राशियां और रिकॉर्ड यदि कोई होतीं, के प्राप्त होने पर आधारित होंगी, बशर्ते उनका सत्यापन किया जा सके।

जहां तक मैसर्स भारती और मैसर्स रिलायन्स का संबंध है, जिनके पास बुनियादी सेवा लाइसेंस है, उनकी मांग भुगतान की प्रभावी तिथि बढ़ाने की नहीं है, जैसा कि समाचार में बताया गया है, बल्कि इनकी मांग माइग्रेशन पैकेज के अनुसार लाइसेंस की प्रभावी तिथि बढ़ाने की है। लाइसेंस धारकों को जिस माइग्रेशन पैकेज की पेशकश की गई थी, इसमें माइग्रेशन की कट-ऑफ तारीख तक लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि का परिकलन करने के उद्देश्य से लाइसेंस की प्रभावी तिथि काल्पनिक रूप से छह महीने की अवधि तक के लिए बढ़ाने की परिकल्पना इस शर्त पर की गई थी, कि जहां, पहले किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण लाइसेंस की प्रभावी तिथि बढ़ाई गई थी, वहां पहले बढ़ाई गई अवधि घटाने के बाद ही आगे और बढ़ाई जाएगी, बशर्ते बढ़ाई गई कुल अवधि छह माह से अधिक न हो।

नई दूरसंचार नीति-1999 (एनटीपी -99) कार्यान्वित किए जाने, और मौजूदा ऑपरेटरों की समस्याओं के समाधान के संदर्भ में राजस्व-हिस्सेदारी व्यवस्था, की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-99 व्यवस्था को मौजूदा लाइसेंस माइग्रेट करने संबंधी एक नीति सरकार द्वारा 6.7.1999 को अनुमोदित की गई थी। परिणामस्वरूप, मौजूदा बुनियादी और सेल्युलर सेवा के लाइसेंस धारकों को 22.7.1999 को एक माइग्रेशन पैकेज की पेशकश की गई थी। माइग्रेशन पैकेज की शर्तों के अनुसार देय लाइसेंस शुल्क के पूर्ण बकाये के भुगतान की देय तिथि 31.1.2000 निर्धारित थी जिसे बढ़ाकर 15.3.2000 कर दिया गया था परन्तु 31.12.2000 के बाद के विलंब के लिए प्रतिभूति जमा राशि में कमी आने पर यथानुपात आधार पर अतिरिक्त अर्थ-दण्ड अर्थात 2% प्रति माह की दर से और 31.1.2000 के बाद भुगतान में विलंब होने पर यथानुपात आधार पर 3% प्रति माह अर्थ दण्ड के साथ एक मात्र कंपनी मैसर्स स्पाइस कम्यूनिकेशन लि., जो बढ़ाई गई तारीख तक शर्तें पूरी नहीं कर पाई, के मामले में सरकार ने और अतिरिक्त अर्थ दण्ड के साथ भुगतान की देय तिथि पुनः बढ़ाकर 15.4.2000 तक कर दिया ।

*[हिन्दी]*

**डाक-तार विभाग जबलपुर के अधीन औषधालय**

**3514. श्रीमती जयश्री बैनर्जी:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डाक-तार विभाग, जबलपुर के अधीन कितने औषधालय काम कर रहे हैं और यह किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) इन औषधालयों को औषधियों और अन्य सामग्रियों की खरीद के लिए प्रति वर्ष कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है और गत तीन वर्ष के दौरान इनको कितनी राशि प्रदान की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष किन-किन सामग्रियों पर और कितनी-कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) क्या सरकार को औषधियों की खरीद में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की हैं;

(च) क्या इस संबंध में वहां तैनात चिकित्सीय और अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत संख्या से कहीं कम है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

**संचार मंत्रालय में राज्य में मंत्री ( श्री तपन सिकदर ):** (क) जबलपुर में तीन डाक-तार औषधालय हैं तथा ये औषधालय इन स्थानों पर स्थित हैं:

औषधालय सं. I- टेलीकॉम फैक्ट्री कंपाउंड, राइट टाउन, जबलपुर

औषधालय सं. II- सीटीओ कंपाउड, उच्च न्यायालय के पास, जबलपुर

औषधालय सं. III- टीटीसी कंपाउड, रिज रोड. जबलपुर

(ख) निम्न अवधि के दौरान इन औषधालयों का कुल बजट प्रावधान निम्नानुसार था:

(रुपये लाक में)

| | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 |
|---|---|---|---|
| औषधालय सं. I- | 27.28 | 20.55 | 44.51 |
| औषधालय सं. II- | 21.09 | 15.89 | 28.03 |
| औषधालय सं. III- | 9.46 | 7.13 | 10.11 |

(ग) निम्न अवधि के दौरान दवाइयों पर खर्च की गई राशि:

(रुपये लाख में)

| | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 |
|---|---|---|---|
| औषधालय सं. 1- | 32.16 | 28.78 | 44.51 |
| औषधालय सं. 2- | 22.60 | 15.88 | 23.03 |
| औषधालय सं. 3- | 7.44 | 6.36 (15.12.99 तक) | 5.04 |

जबलपुर में सभी औषधालय के लिय अन्य सामग्रियों पर किया गया व्यय

(रुपये लाख में)

| 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 |
|---|---|---|
| 1.03 | 1.14 | 1.14 |

(घ) जी हां, एक स्थानीय कैमिस्ट के खिलाफ मरीजों को प्रतिदिन दी जाने वाली दवाइयों की आपूर्ति बार-बार रोकने तथा ज्यादा राशि के बिल बनाने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ङ) ज्यादा राशि के बनाए गए बिलों की अतिरिक्त राशि बाद में प्राप्त हुए बिलों में समायोजित कर ली गई, जो उस समय लंबित थे।

(च) और (छ) चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा संवर्गों में स्टाफ की कुछ कमी है, जिसे नीचे दर्शाया गया है:

| औषधालय सं. I | रिक्त | स्वीकृत संख्या |
|---|---|---|
| फार्मासिस्ट | 2 | 3 |
| लैब टैक्नीशियन | 1 | 2 |
| स्टाफ नर्स | 1 | 1 |
| **औषधालय सं. II** | | |
| चिकित्सा अधिकारी | 1 | तैनाती की गई है परन्तु, अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है |
| स्टाफ नर्स | 1 | 1 |
| नर्सिंग अर्दली | 1 | 1 |
| औषधालय सं. III | | |
| चिकित्सा अधिकारी | 1 | 2 |

(ज) अर्ध-चिकित्सा स्टाफ की भर्ती की कार्रवाई चल रही है। जहां तक चिकित्सा अधिकारी का संबंध है, रिक्त पद तभी भरा जा सकेगा जब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय चिकित्सा अधिकारी नामित करेगा।

*[अनुवाद]*

**केरल में एल.पी.जी. से लाभान्वित गांव**

**3515. श्री के. मुरलीधरन:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में कितने गांवों में एल.पी.जी. उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) राज्य में एल.पी.जी. की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) वर्तमान नीति के अनुसार एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें किसी

स्वतंत्र एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्रदान करने वाले स्थानों पर खोली जाती हैं। फिलहाल 225 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें केरल राज्य में प्रचालनरत हैं जो शहरी-ग्रामीण और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सेवा प्रदान करती है।

(ख) फिलहाल केरल राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कंपनियों के पास पंजीकृत एल पी जी ग्राहकों की मांग कमोबेश पूरी की जा रही है।

*[हिन्दी]*

**पोस्टल आर्डरों की कमी**

**3516. श्री पी.आर. खुंटे:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मूल्यों के पोस्टल आर्डरों की कमी है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सभी छोटे और बड़े डाकघरों में सभी मूल्य वर्गों के पोस्टल आर्डर उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकें?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न मूल्यवर्गों के भारतीय पोस्टल आर्डरों की आमतौर पर कमी होने की सूचना नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल तथा हिमाचल प्रदेश में 20/- रुपये मूल्यवर्ग वाले, बिहार तथा मध्य प्रदेश में 10/-रुपये मूल्यवर्ग वाले तथा जम्मू-कश्मीर सर्किल में 2/-रुपये मूल्यवर्ग वाले भारतीय पोस्टल आर्डरों की अस्थायी कमी देखी गई ।

(ख) ऐसा भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिकद्वारा मांग की पूर्ति न कर पाने के कारण हुआ है।

(ग) उक्त मूल्यवर्गों के पोस्टल आर्डरों की प्राप्ति तथा आपूर्ति के लिए उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

*[अनुवाद]*

**अनु. जातियों/अनु. जनजातियों को लुब्रीकेन्ट (स्नेहक) की डीलरशिप**

**3517. श्री सुरेश पासी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र की विभिन्न तेल कंपनियां विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों, जैसे लुब्रीकेंट्स के परिवहन, लाने तथा ले जाने और बिक्री के लिए डीलरों/व्यक्तियों/फर्मों की नियुक्ति करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी डीलरशिप/एजेंसियों में अनु. जातियों/अनु. जनजातियों के लिए कोटा आरक्षित करने हेतु कोई प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कुल डीलरशिप की तुलना में अनु. जाति/अनु. जनजाति के व्यक्तियों को ऐसी कितनी डीलरशिप प्रदान की गई तथा उसका प्रतिशत क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) तेल विपणन कंपनियां विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों, जिनमें स्नेहक सम्मिलित हैं, के विपणन के लिए डीलरों/पुनरविक्रेताओं, परिवहनकर्ताओं तथा वितरकों के रूप में व्यक्तियों/फर्मों को नियुक्त करती हैं तथा उन्होंने यह उत्पद प्राप्त करने वाले तथा इन्हें आगे भेजने वाले एजेन्ट नियुक्त किए हैं।

(ख) से (घ)सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 25 प्रतिशत के डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित हैं। डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है तथा अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अपेक्षित आरक्षण प्रतिशत का रख रखाव करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र विपणन कंपनियों के द्वारा हर प्रयास किया जाता है। तथापि, परिवहन संविदा, निविदा आधार पर एवार्ड की जाती है तथा न्यूनतम बोलीदाता को यह कार्य प्राप्त होता है।

**रसोई गैस कनेक्शनों की मांग और आपूर्ति**

**3518. डा. गिरिजा व्यास:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में रसोई गैस मांग के अनुसार रसोई गैस कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):**

(क) से (ग) नए एल पी जी कनेक्शन एल पी जी की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, वितरकों के पास उपलब्ध बकाया एवं उनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए देश भर में चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं। तथापि, सरकार की 1 दिसम्बर, 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए वर्ष 2000 के दौरान लगभग 1 करोड़ एल पी जी कनेक्शन जारी करने की योजना है।

**कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों पर माल यातायात**

3519. **श्री अकबर अली खांदोकर:** क्या **जल-भूतल** परिवहन **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान कलकत्ता पत्तन और हल्दिया पत्तन द्वारा संचालित माल यातायात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान पत्तनों पर माल संचालन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया गया;

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान इस पत्तनों द्वारा अधिक माल यातायात को संचालित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) पिछले दो वर्षों के दौरान कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों द्वारा हैंडल किए गए कार्गो यातायात के ब्यौरे इस प्रकार है:-

(मिलियन टन)

| कलकत्ता गोदी प्रणाली | 1998-99 | 1999-2000 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| पी ओ एल (कच्चा) | 3.08 | 3.67 |
| पी ओ एल उत्पाद, वनस्पति तेल और अन्य तरल उत्पाद | 2.63 | 2.61 |
| अन्य कार्गो (कंटेनेरीकृत कार्गो सहित) | 3.45 | 4.03 |
| | 9.16 | 10.31 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| कंटेनर (टी ई यू. में) | 1,32,291 | 1,47,296 |
| **हल्दिया गोदी परिसर** | | |
| पी ओ एल (कच्चा) | 5.30 | 6.74 |
| पी ओ एल उत्पाद | 5.20 | 4.10 |
| थर्मल कोयला | 4.02 | 3.22 |
| कोकिंग कोयला | 3.05 | 3.28 |
| उर्वरक | 0.11 | 0.12 |
| उर्वरक कच्चा माल | 0.29 | 0.35 |
| कंटेनर | 0.43 | 0.43 |
| अन्य | 1.82 | 2.46 |
| | 20.2 | 20.70 |

(ख) और (ग) जी नहीं। पिछले दो वर्षों के दौरान कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों में यातायात न होने के कारण कार्गो हैंडल करने की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया/हल्दिया गोदी परिसर में मै. सेल (एस ए आई एल) ने पट्टे पर ली हुई बर्थ क्षमता (बर्थ सं. 5) का पूर्ण उपयोग नहीं किया है।

(घ) और (ङ) चालू वर्ष के दौरान कलकत्ता गोदी प्रणाली के लिए यातायात का लगभग वही पुराना स्तर बने रहने की संभावना है। चीनी, वनस्पति तेल इत्यादि जैसी कतिपय जिंसों का आयात कम होने की संभावना है जबकि, इंजीनियरी माल जैसी कतिपय मदों का निर्यात बढ़ने की संभावना है। जहां तक हल्दिया गोदी परिसर का संबंध है, ऐसी संभावना है कि यह पत्तन चालू वित्त वर्ष के दौरान अधिक कार्गो यातायात हैंडल करेगा। वर्ष 2000-2001 के लिए कलकत्ता गोदी प्रणाली और हल्दिया गोदी परिसर के लिए क्रमश: 10.10 मिलियन टन और 22.70 मिलियन टन यातायात का अनुमान है।

**प्रदूषण स्तर में गिरावट**

**3520. श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोटरवाहनों में यूरो-दो मानक अपनाने और वाणिज्यिक वाहनों में सी.एन.जी. ईंधन प्रयोग करने के परिणामस्वरूप दिल्ली में प्रदूषण स्तर में कोई खास गिरावट देखने को मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मुख्य यातायात जंक्शनों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण स्तर को दर्शाते हुए तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) मुम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में ऐसे प्रदूषण पदार्थों की उपस्थिति को दर्शाते हुए तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) और (ख) दिल्ली में पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जैसे ईंधन की गुणवत्ता में सुधार करना, यातायात प्रबंध और अननुकूल क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को बन्द करना आदि और यूरो-II मानक अपनाना तथा मोटर वाहनों में सी.एन.जी. को ईंधन के रूप में प्रयोग करना इन्हीं उपायों का हिस्सा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली में 1997 के परिवेशी वायु गुणवत्ता स्तरों में 1998 की तुलना में सुधार हुआ है जो इस प्रकार है-

**दिल्ली में विभिन्न प्रदूषकों का वार्षिक औसत**

| | 1998 | | | | | 1999 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एस ओ 2 (यू जी/ एम3) | एन ओ 2 (यू जी/) एम3) | एस पी एम (यू जी/एम3 | पर्टिकुलेट लोड (एन जी/एम3) | कार्बन मोनोक्सा-इड(एमजी) एम3) | एस ओ 2 (यू जी/ एम3) | एन ओ 2 (यू जी/) एम3 | एस पी एम (यू जी/एम3 | पर्टिकुलेट लोड (एन जी/एम3 | कार्बन मोनोक्स इड (एम जी/एम3) |
| ट्रैफिक जंक्शन | 25.0 | 63.0 | 426.0 | 136.0 | 5.45 | 22.0 | 60.0 | 418.0 | 70.0 | 4.24 |
| औद्योगिक क्षेत्र | 20.2 | 34.7 | 367 | 105.0 | - | 19.7 | 33.7 | 365.0 | 65.0 | - |

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 1 अप्रैल, 2000 से 8 साल से अधिक पुरानी बसों और 1990 से पहले के ऑटों रिक्शा एवं टैक्सियों को न चलाने की वजह से दिल्ली की परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है जैसाकि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

**आई टी ओ स्टेशन दिल्ली में परिवेशी वायु गुणवत्ता आंकड़े**

| | बस,ऑटो | रिक्शा और | टैक्सी पर | प्रतिबंध से | पहले | बस,ऑटो | रिक्शा और | टैक्सी पर | प्रतिबंध से | पहले | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तारीख | 27.3.2000 | 28.3.2000 | 29.3.2000 | 30.3.2000 | 31.3.2000 | 1.4.2000 | 2.4.2000 | 3.4.2000 | 4.4.2000 | 5.4.2000 | 6.4.2000 |
| पैरा मीटर (24 घंटे में) | | | | | | | | | | | |
| एस ओ2 | 20 | 24 | 26 | 22 | 36 | - | - | 20 | 27 | 22 | 17 |
| एन ओ2 | 64 | 72 | 84 | 70 | 86 | - | - | 46 | 57 | 53 | 49 |
| एसपीएम | 466 | 588 | 528 | 470 | 473 | - | - | 426 | 349 | 445 | 439 |
| आरएसपीएम | 222 | 198 | 243 | 209 | 243 | - | - | 185 | 223 | 218 | 113 |

(ग) मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषकों का परिवेशी स्तर नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

| नगर | 1998 | | | 1999 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एस ओ 2 (यू जी/एम3) | एन ओ 2 (यू जी/एम3) | एस पी एम (यू जी/एम3) | एस ओ 2 (यू जी/एम3) | एन ओ 2 (यू जी/एम3) | एस पी एम (यू जी/एम3) |
| मुम्बई | 21.7 | 24.9 | 226.0 | 22.9 | 45.1 | 451.0 |
| कलकत्ता | 40.8 | 34.3 | 286.0 | 64.8 | 37.9 | 310.0 |
| मद्रास | 13.1 | 15.7 | 126.0 | 8.7 | 14.0 | 113.0 |

**सुरक्षित वाहन चालन नियम पुस्तिका**

**3521. श्री राशिद अलवी:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक विशिष्ट आस्ट्रियन एजेंसी ने सड़कों के नियमों की स्पष्ट नियम संबंधी "सुरक्षित वाहन चालन नियम पुस्तिका" निकाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अभियान को देश भर में त्वित करने और सड़क दुर्घटनाओं और उसमें होने वाली मौतों को कम करने के लिए वाहन चालकों को प्रशिक्षित करने का है;

(घ) क्या सरकार ने सिंगापुर, जर्मनी और अमरीका जैसे विकसित देशों की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथ्य क्या है?

**जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) जी हां।

(ख) इस मैनुअल में चालकों के लिए विशद जानकारी दी गई है और प्रशिक्षण का संरचनात्मक मार्ग अपनाने के लिए यह चालक प्रशिक्षकों के लिए एक लाभप्रद साधन का भी कार्य करेगा। इससे यातायात नियंत्रण उपकरणों, सड़क नियमों, कुशलता और दृष्टिकोण को भली-भांति समझने में मदद मिलेगी, जो एक जिम्मेदार तथा कुशल चालक तैयार करने के लिए आवश्यक है।

(ग) भारत सरकार इस प्रकार के कार्यकलापों को सहायता प्रदान करती है बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**बिहार में रसोई गैस एजेंसियां**

**3522. श्री राम प्रसाद सिंह:**
**श्री राजो सिंह:**
**श्रीमती कांति सिंह:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में कितनी रसोई गैस एजेंसियों को स्वीकृति मिली है और कितनी रसोई गैस एजेंसियां खोली गई हैं;

(ख) राज्य में प्रत्येक जिले में वर्तमान में कितनी रसोई गैस एजेंसियां काम कर रही हैं;

(ग) चालू वर्ष और अगले वर्ष के दौरान खोले जाने वाली रसोई गैस एजेंसियां का ब्यौरा क्या है;

(घ) बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस एजेंसियां स्थापित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कितने विज्ञापन जारी किए गए; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितने रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गये और आबंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में 19 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोली गई थी।

(ख) 1.10.1999 की स्थिति के अनुसार बिहार में 217 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालनरत थीं।

(ग) से (ङ) पिछली विपणन योजनाओं से लम्बित स्थानों के अतिरिक्त वर्तमान विपणन योजना 1996-98 में 105 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल की गई हैं। विपणन योजना में शामिल स्थानों को तेल कंपनियों द्वारा समय समय पर विज्ञापित किया जाता है। चयन, पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार पर आधारित गुण-दोष के आधार पर डीलर चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है। डीलरशिप/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करने में सामान्यत: साक्षात्कार की तारीख से लगभग 6-12 महीने लग जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में लगभग 311446 एल पी जी कनेक्शन जारी किए गए।

*[हिन्दी]*

**पूर्व मंत्री द्वारा रसोई गैस कनेक्शनों को स्वीकृति**

**3523. श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** पूर्व मंत्री द्वारा रसोई गैस कनेक्शनों को स्वीकृति के बारे में 20 दिसम्बर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2983 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व मंत्री द्वारा रसोई गैस कनक्शनों को स्वीकृति के बारे में मांगी गई सूचना तब से एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) से (ग) पूरी जानकारी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल विपणन कंपनियों के विभिन्न क्षेत्र कार्यालयों से अभी एकत्र की जानी अपेक्षित है।

*[अनुवाद]*

## उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े दीवानी और फौजदारी मामले

**3524. श्री होलखोमांग हौकिप:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2000 की तिथि के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कितने दीवानी और फौजदारी मामले लंबित पड़े हैं; और

(ख) सरकार ने, इन मामलों के त्वरित निपटान के लिए क्या कदम उठाए हैं ताकि संतप्त पक्ष को न्याय दिलाकर उनकी सहायता की जा सके?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल):** (क) विवरण संलग्न है।

(ख) व्यथित पक्षकारों को न्याय प्रदान करने के लिए सरकार ने, सिविल और दांडिक, दोनों मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। जिनमें सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के पदों की संख्या में वृद्धि, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना, विशेष न्यायिक/मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और विवादों के समाधान के लिए माध्यस्थम् और सुलह जैसी आनुकल्पिक पद्धतियों का अपनाया जाना भी है, सम्मिलित है। लोक अदालतों को विवादों के समाधान के लिए एक अनुपूरक मंच के रूप में कानूनी आधार प्रदान किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 समाज के आर्थिक रूप से कुछ कमजोर वर्गों को विधिक सहायता देने का उपबंध करती है।

***विवरण***

*भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित सिविल और दांडिक मामलों का विवरण*

| | सिविल | दांडिक | निम्नलिखित तारीख को |
|---|---|---|---|
| उच्चतम न्यायालय | 16,590 | 3,674 | 1.4.2000 |

| क्र.सं. | उच्च न्यायालय का नाम | सिविल | दांडिक | निम्नलिखित तारीख को |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | इलाहाबाद | 690666 | 125366 | 9/99 |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | 127047 | 8518 | 12/99 |
| 3. | बम्बई | 260105 | 24098 | 12/99 |
| 4. | कलकत्ता | 268342 | 37356 | 9/99 |
| 5. | दिल्ली | 152308 | 18593 | 6/99 |
| 6. | गौहाटी | 33034 | 5003 | 12/99 |
| 7. | गुजरात | 105403 | 16129 | 12/99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 9345 | 2583 | 12/99 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 69917 | 2034 | 9/99 |
| 10. | कर्नाटक | 78128 | 4359 | 9/99 |
| 11. | केरल | 87015 | 9888 | 12/99 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 63121 | 40699 | 12/99 |
| 13. | मद्रास | 323712 | 33383 | 9/99 |
| 14. | उड़ीसा | 105242 | 9306 | 9/99 |
| | पटना | 66962 | 15950 | 9/99 |
| 16. | पंजाब और हरियाणा | 148837 | 29160 | 9/99 |
| 17. | राजस्थान | 97720 | 21778 | 9/99 |
| 18. | सिक्किम | 170 | 33 | 9/99 |
| | कुल | 2687074 | 404236 | |

**कलकत्ता पत्तन न्यास का बंद होना**

**3525. श्री मोईनुल हसन:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कलकत्ता पत्तन न्यास को बंद करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कलकत्ता पत्तन न्यास की परिसंपत्ति को बेचने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो इससे कितने संसाधन जुटाए जाने की उम्मीद है; और

(घ) यदि नहीं, तो वित्तीय मामले में न्यास की देनदारी क्या है और सरकार का इन्हें किस प्रकार निपटाने का विचार है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान):** (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

**बिहार में बिजली की कमी**

**3526. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
**श्रीमती कान्ति सिंह:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में बिजली की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्य में बिजली की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) बिजली की कमी को दूर करने के लिए एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी. और पावर ग्रिड कार्पोरेशन ने राज्य सरकार के साथ मिलकर क्या कदम उठाए हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) से (ग) पूर्वी क्षेत्र में जिसका बिहार एक घटक है, बिजली की कोई कमी नहीं है। वर्ष 1999-2000 के दौरान बिहार में प्रचलित विद्युत आपूर्ति के ब्यौरे निम्नवत् हैं।

| | |
|---|---|
| आवश्यकता- | 8912 मि.यू. |
| उपलब्धता | 8348 मि.यू. |
| कमी- | 564 मि.यू. |
| (प्रतिशत)% | (6.3%) |

बिहार राज्य अपनी पारेषण एवं वितरण प्रणाली और अपनी पूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत की अपेक्षित मात्रा प्राप्त करने के लिए एन.टी.पी.सी. और पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पूर्ण भुगतान संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए असमर्थता बाधाओं के कारण मुख्यत: ऊर्जा संबंधी कमी अनुभव करता रहा है।

पावर ग्रिड कारपोरेशन लि. इंडिया ने बिहार में विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण समेत पूर्वी क्षेत्र पावर ग्रिड की मजबूती के लिए अनेक परियोजनाएं हाथ में ली हैं।

**केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा वन्य जीव अपराधों का संज्ञान**

**3527. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्य जीव अपराधों का संज्ञान करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) जी, हांछ

(ख) केन्द्रीय सरकार ने वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 55 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (सी बी आई) के प्राधिकारियों को, जो उप अधीक्षक (पुलिस) के रैंक से नीचे के रैंक के नहीं होने चाहिए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के संबंध में शिकायतें दर्ज करने हेतु प्राधिकृत किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**पंजाब में पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्र और एल.पी.जी. एजेंसियां**

**3528. श्री आर.एल. भाटिया:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा आमंत्रित पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्रों और एल पी जी एजेंसियों के आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल आवेदन पत्रों में से कितने आवेदन पत्रों पर इनके आबंटन के लिए विचार किया गया; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल कम्पनियों ने पंजाब में 49 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा 94 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। उपर्युक्त में से ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान 8 खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा 11 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए आबंटन किया जा चुका है।

*[हिन्दी]*

**पेंच बाघ अभयारण्य**

**3529. श्री प्रहलाद सिंह पटेल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के सिवान जिले में पेंज बाघ अभयारण्य (कर्मगिरी राष्ट्रीय पार्क) को बाघ परियोजना के रूप में संरक्षित किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां बाघ परियोजना की क्या प्रगति हुई है;

(ग) गत तीन महीनों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं, बिजली के झटके लगने या अवैध शिकारियों के कारण कितने बाघ मारे गए; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) जी, हां।

(ख) पेंच बाघ रिजर्व वर्ष 1992 में 757.897 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्थापित किया गया था। बाघ परियोजना के प्रमुख कार्यकलाप हैं- वासस्थल में सुधार, संचार नेटवर्क का विकास, आग से सुरक्षा और वन्यजीव सुरक्षा हेतु अवसंरचना का विकास। भारत सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान बाघ परियोजना स्कीम के अन्तर्गत पेंच बाघ रिजर्व के लिए निम्नलिखित राशियां स्वीकृत की हैं।

| | |
|---|---|
| 1997-98 | 36.558 लाख रुपये |
| 1998-99 | 27.080 लाख रुपये |
| 1999-2000 | 41.80 लाख रुपये |

इन प्रयासों के कारण बाघों और अन्य प्राणियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा सूचित जनसंख्या अनुमानत: निम्नलिखित है:

| प्राणी | 1998 | 1999 |
|---|---|---|
| बाघ | 45-46 | 47-51 |
| तेंदुआ | 29-34 | 3036 |
| बृषभ | 525-575 | 544-574 |
| चीतल | 6800-6900 | 7510-7600 |
| सांबर | 2200-2300 | 2300-2380 |
| नीलगाय | 1350-1400 | 1390-1530 |

(ग) कोई नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## गुजरात में दूरभाष केन्द्र

3530. **श्री बाबूभाई के. कटारा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में विशेषकर दाहोद क्षेत्र में इस समय जिले-वार कितने दूरभाष केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्य में और उक्त क्षेत्र में कितने दूरभाष केन्द्र स्थापित किए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार सन् 2000-2001 के दौरान राज्य और उक्त क्षेत्र में कुछ नए दूरभाष केन्द्रों की स्थापना करने और मौजूदा केन्द्रों को आधुनिक बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात तथा दाहोद जिले में कार्यरत तथा स्थापित दूरभाष केन्द्रों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सभी मौजूदा 2163 टेलीफोन एक्सचेंज इलैक्ट्रानिक तथा आधुनिकीकृत हैं। गुजरात में वर्ष 2000-2001 के दौरान 100 नए टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(घ) दाहोद में कदवाला, बोरदी, चोसाला, मीराखेड़ी पेठापुर तथा कालिया कोटा में 6 नए एक्सचेंज लगाए जाने का प्रस्ताव है। शेष नए एक्सचेंज हेतु स्थान-निर्धारण को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) वर्ष 2000-2001 हेतु अनुदान मांगों को अभी संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना है। वर्ष 2000-2001 हेतु गुजरात में नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने हेतु राशि वर्ष 2000-2001 की अनुदान मांगों के संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् ही निर्धारित की जाएगी।

(च) भवन को किराए पर लेने की कार्रवाई की जा रही है तथा उपस्कर के लिए आदेश दिया जा रहा है।

***विवरण***

*गुजरात और दहोद जिले में गत तीन वर्षों के दौरान कार्यरत और स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों के जिले-वार ब्यौरे*

| क्र.सं. | जिले का नाम | 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या | वर्ष के दौरान स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | अहमदाबाद | 44 | 03 | 01 | 03 |
| 2. | गांधीनगर | 107 | 04 | 04 | 02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | अमरेली | 117 | 03 | 06 | 05 |
| 4. | भडुंच | 84 | 02 | 04 | 03 |
| 5. | नर्मदा | 16 | - | 01 | 01 |
| 6. | भावनगर | 104 | 05 | 01 | 02 |
| 7. | कच्छ (भुज) | 130 | 04 | 04 | 08 |
| 8. | दाहोद | 33 | - | 01 | 01 |
| 9. | पंचमहल | 73 | 02 | 02 | 04 |
| 10. | जामनगर | 100 | - | 01 | 02 |
| 11. | जुनागढ़ | 87 | 01 | 03 | 15 |
| 12. | पोरबंदर | 26 | 01 | - | 03 |
| 13. | सावरकंठा (हिम्मत नगर) | 126 | 01 | 03 | 07 |
| 14. | मेहसाना | 146 | 04 | 10 | 06 |
| 15. | पटना | 70 | - | 04 | 10 |
| 16. | खेड़ा (नाडियाड) | 94 | 01 | 01 | 05 |
| 17. | आनंद | 74 | - | - | 01 |
| 18. | बनासकांठा (पालनपुर) | 189 | 07 | 11 | 16 |
| 19. | राजकोट | 138 | 06 | 12 | 06 |
| 20. | सूरत | 99 | 02 | 01 | 01 |
| 21. | सुरेन्दर नगर | 99 | 04 | 07 | 10 |
| 22. | वदोदरा | 109 | 07 | 06 | 05 |
| 23. | बलसाड | 36 | 01 | 01 | 01 |
| 24. | नवसारी | 59 | - | - | 01 |
| 25. | डांग | 03 | - | - | 04 |
| | जोड़ | 2163 | 58 | 84 | 121 |

*[अनुवाद]*

**मुंबई पत्तन में डूबे पोत**

**3531. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आजादी के पहले और बाद में मुंबई पत्तन में कई पोत डूबे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पत्तन की सफाई न करने से ऐसे पोतों के मलबे अभी भी डूबे पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या मुंबई पत्तन आने वाले पोतों और मछुआरों की नावों को ऐसे डूबे मलबों से खतरा उत्पन्न हो रहा है.

(घ) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान इन डूबे पोतों के मलबों से टकराने के कारण पत्तन में डूबे पोतों/ मछुआरों की नावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप मछुआरों और व्यापारियों को हुई जान-माल की क्षति का ब्यौरा क्या है;

(च) पत्तन प्राधिकरण द्वारा पत्तन से पोतों के डूबे मलबों की सफाई न करने के क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है और इन डूबे पोतों के मलबों की कब तक सफाई कर दी जाएगी?

**जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**तेल कम्पनियों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आर्डर**

**3532. डा. अशोक पटेल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम कंपनियों का विचार इंटरनेट की बढ़ती उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए और वाणिज्यिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए इंटरनेट के माध्यम से अपने ग्राहकों के आर्डर बुक करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) से (ग) फिलहाल रीफिल सिलेंडर की बुकिंग टेलीफोन करके, डिस्ट्रीब्यूटर को पोस्ट कार्ड भेजकर, रीफिल बुकिंग बाक्स के माध्यम से बुकिंग। स्लिप द्वारा अथवा शोरूम पर व्यक्तिगत रूप में जाकर कराई जा सकती है। रीफिल सिलेंडर बुक कराने के लिए अधिकाधिक स्वचालित और पारस्परिक क्रिया आधारित पद्धतियां आरम्भ करने के प्रयास जारी हैं। जिनमें अन्य बातों के अतिरिक्त पेजर पद्धति, पारस्परिक स्वर प्रत्युत्तर पद्धति (आई वी आर एस) विभिन्न बाजारों के लिए इन्टरनेट आदि शामिल हैं।

**मध्य प्रदेश में समेकित वानिकी और पारिस्थितिकीय विकास योजना**

**3533. श्री लक्ष्मण सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के पास विभिन्न जिलों के लिए समेकित वानिकी और पारिस्थितिकीय विकास योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजना को कब तक मंजूरी प्रदान किए गए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस योजना को मंजूरी न प्रदान करने के क्या कारण हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा "एकीकृत वानिकी एवं पारि-विकास स्कीम" नामक कोई स्कीम नहीं चलाई जा रही है। तथापि, केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक स्कीम "एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम" इस समय कार्यान्वित की जा रही है। मध्य प्रदेश राज्य में क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अवक्रमित वनों और उनके आस-पास की भूमियों के पुनरूद्धार हेतु बालाघाट, छिंदवाड़ा, राजगढ़ और दमोह जिलों के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त चार प्रस्तावों को स्कीम के तहत पर्याप्त धन की कमी की वजह से स्वीकृत नहीं किया जा सका।

*विवरण*

*मध्य प्रदेश राज्य के लिए एकीकृत वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम के तहत स्वीकृत नौवीं योजना के लिए अनुमोदित वित्तीय परिव्ययों सहित परियोजनाओं का विवरण*

(लाख रुपये में)

| जिला | वित्तीय व्यय |
|---|---|
| भिंड | 166.90 |
| रायसेन | 163.20 |
| मंदसौर | 140.04 |
| पश्चिमी नीयर | 176.51 |
| बस्तर | 43.63 |
| होशंगाबाद | 114.36 |
| छत्तरपुर | 161.82 |
| धार | 123.83 |
| गुना | 186.30 |
| सरगुजा | 175.95 |
| राजनन्दगांव | 144.97 |
| दतिया | 175.34 |
| छिंदवाड़ा | 158.94 |
| मांडला | 70.69 |
| कुल | 2002.48 |

*[अनुवाद]*

**बदरपुर बिजलीघर का टाटा द्वारा अधिग्रहण**

**3534. श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 2000 के "नवभारत" में "बदरपुर बिजलीघर टाटा को बेचने की योजना" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) से (ग) टाटा इलैक्ट्रिक कंपनी ने जनवरी, 2000 में बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के संबंध में विद्युत मंत्रालय के समक्ष प्रजेंटेशन किया। टाटा इलैक्ट्रिक कंपनी द्वारा किया गया प्रजेंटेशन एक मॉडल पर था जिसमें प्रचालनात्मक दक्षता और राजकोषीय अनुशासन लाने के लिए विद्युत केन्द्र में सरकार द्वारा विनिवेश का सुझाव दिया गया था। सरकार ने बदरपुर ताप केन्द्र को बेचने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

**गंगा नहर के साथ-साथ दो सड़कें**

**3535. श्री चन्द्र विजय सिंह:** क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी मार्ग पर यातायात में हुई कई गुना वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को आरंभ से ही पूरी गंगा नहर के साथ-साथ दो सड़कें होने की जानकारी है;

(ग) इस समय अत्यधिक यातायात वाले राजमार्ग पर यातायात कम करने के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से नहर के दोनों ओर इन सड़कों को विकसित करने की कितनी संभावना है;

(घ) क्या सरकार इस वैकल्पिक मार्ग को अधिग्रहित करने तथा इसे विकसित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) जी, हां। दिल्ली-हरिद्वार-ऋषिकेश-बद्रीनाथ मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-58 है जबकि ऋषिकेश-देहरादून सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग-72 है। तथापि, देहरादून-मसूरी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है।

(ख) जी, हां। यह दोनों सड़कें उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सिंचाई विभाग की सर्विस रोड़ है और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है।

(ग) इन शहरी सड़कों का विकास उत्तर प्रदेश राज्य-वार सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। इस प्रकार केन्द्र सरकार का उनसे कोई संबंध नहीं है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में इन सड़कों का उत्तरदायित्व लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**पत्तन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता**

**3536. श्री दिग्शा पटेल:** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पत्तन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कुछ मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को इस संबंध में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने में किस सीमा तक सफलता मिली है; और

(घ) क्या इस संबंध में कुछ बातचीत चल रही है और यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) और (ख) जी हां, महापत्तनों में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए मार्गनिदेशों में निम्नलिखित क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं:-

(1) पत्तन की मौजूदा परिसम्पतियों को पट्टे पर देना।

(2) अतिरिक्ति परिसम्पतियों का निर्माण/सृजन।

(3) पत्तन हैंडलिंग के लिए उपस्कर पट्टे पर देना और निजी सैक्टर से फ्लोटिंग क्राफ्ट पट्टे पर लेना।

(4) पायलटेज

(5) पत्तन स्थित उद्योगों के लिए आबद्ध सुविधाएं।

(ग) और (घ) अभी तक 52.80 एम टी क्षमता की 13 परियोजनाओं के लिए 3926 करोड़ रुपये का निवेश अनुमोदित किया गया है। 34.4 एम टी क्षमता की 8 परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैं, जिनके 3500 करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित है।

*[हिन्दी]*

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु रसोई गैस एजेन्सियां/पेट्रोल पम्प आबंटित करना**

**3537. श्री रतन लाल कटारिया:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अब तक आबंटित कुल पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेन्सियों मे पेट्रोल पम्प/रसोई गैस एजेन्सियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अब तक आबंटित कुल पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेन्सियों में पेट्रोल पम्पों के आबंटन हेतु आरक्षित कोटे के बैकलाग को भरने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) से (ग) 1 अक्तूबर, 1999 को विभिन्न श्रेणियों को आबंटित कुल 17299 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें, 5838 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें थी, जो कि देश भर में कार्य कर रही थीं। उपर्युक्त में से 1579 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 941 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणियों से संबंधित है। अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के लिए चिन्हित स्थान उस श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे जाते हैं।

*[अनुवाद]*

**निजी आपरेटरों द्वारा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन**

**3538. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 मार्च, 2000 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्प" में "डॉटा इस्स्यूज अल्टीमेटम टू दि बेसिक आपरेटर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सभी निजी आपरेटरों ने ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध करने के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो उन आपरेटरों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने आधा लक्ष्य भी हासिल नहीं किया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन आपरेटरों के लाइसेंस रद्द करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार ने कुछ आपरेटरों द्वारा अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय बढ़ा दिया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) और (ख) सरकार को उल्लिखित समाचार-पत्र में प्रभावित समाचार की जानकारी है। आपरेटरों के पूर्वानुमान उनकी अपनी विफलताओं के कारण निरर्थक हो गए। सरकार ने उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए समुचित उपाय किए हैं ताकि लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार परियोजनाओं की अर्थ-क्षमता को सुविधा जनक बनाया जा सके। इन आपरेटरों को दिये गये माइग्रेशन पैकेज में उनके प्रतिबद्ध निष्पादन दायित्वों को कम करने अथवा विलोपन की कोई परिकल्पना नहीं है और नई दूरसंचार नीति, 1999 को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि नया नीतिगत ढांचा केवल नये/भावी लाइसेंस धारकों के लिए ही लागू होगा।

(ग) जी, हां। छः लाइसेंस धारकों में से पांच लाइसेंस धारकों को एक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान नहीं किया है। छठवें लाइसेंस धारक मेसर्स बीटीएनएल द्वारा अभी तक केवल 12 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किये गये है।

(घ) किसी ने लक्ष्य हासिल नहीं किया है।

(ङ) और (च) लाइसेंस करारों में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार उपर्युक्त कार्रवाई कर रही है ।

(छ) और (ज) आपरेटरों को यह बता दिया गया है कि लाइसेंस करारों में उनके प्रतिबद्ध निष्पादन से संबंधित दायित्वों में प्रतिबद्धता के न तो कोई कमी की जाएगी और न उन्हें समाप्त किया जाएगा।

## एल.पी.जी. सिलेंडरों की उत्पादन लागत

**3539. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक एक 14.2 किलोग्राम एल पी जी सिलेंडर की माल भाड़े, वितरकों का कमीशन आदि सहित कंपनी वार उत्पादन लागत कितनी है;

(ख) क्या तेल कंपनियों को एल.पी.जी. के सिलेंडरों की उत्पादन लागत में कमी करने को कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) एल पी जी सहित पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन लागत कच्चे तेल की लागत, संसाधन खर्चों, विपणन लागत, भराई खर्चों, भाड़े, डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन, करों, अन्य शुल्कों आदि के आधार पर रिफाईनरी दर रिफाइनरी भिन्न होगी। तथापि, तेल कंपनियों को थोक में उठाई गई पी एल जी के लिए समता मूल्य का भुगतान किया जाता है। अप्रैल, 2000 माह के लिए भारी औसत मूल्य जिसे प्रशुल्क समायोजित आयात समता रिफाइनरी द्वार मूल्य कहा जाता है, अनन्तिम रूप से 16106.68 रुपये प्रति एम टी निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) लागत कम करने के उपाय करना एक सतत प्रक्रिया है। तेल कंपनियों द्वारा एल पी जी सहित पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन लागत जैसे कि परिशोधन विपणन और परिवहन के वैकल्पिक युक्तियुक्त नियोजन, प्रचालन क्षतियों पर कड़े नियंत्रण आदि सहित भराई लागत कम करने के उपाय किए गए हैं।

## उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग

**3540. श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **जल भतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन राजमार्गों पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और यह लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उड़ीसा में नए राष्ट्रीय राजमार्गों और मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गो के अनुरक्षण कार्य हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है?

**जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

## शाखा डाकघर

**3541. श्रीमती निवेदिता माने:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जिला-वार अलग-अलग महाराष्ट्र और गुजरात में कितने शाखा डाकघर स्वीकृत और खोले गए;

(ख) इन राज्यों में कितने गांवों में जिलावार डाकघर नहीं खोले गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उपरोक्त दोनों राज्यों में गांवों में डाक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? *

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) महाराष्ट्र तथा गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर किए गए तथा खोले गए शाखा डाकघरों की संख्या क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दी गयी है।

(ख) इन राज्यों में ऐसे गांवों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण III में दी गई है, जहां डाकघर नहीं हैं।

(ग) मानदण्डों के अनुसार औचित्यपूर्ण प्रस्तावों वाले डाकघर वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूर किए जाने वाले पद तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध रहने पर खोले जाते हैं।

**विवरण-I**

*महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर किए गए तथा खोले गए शाखा डाकघरों की संख्या।*

| जिले का नाम | महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर किए गए तथा खोले गए शाखा डाकघरों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| औरंगाबाद | | 1 | 1 |
| जालना | | | 1 |
| बीड | | | 2 |
| धुले | 3 | 5 | |
| नन्दुबार | | 1 | 3 |
| नासिक | 1 | | 1 |
| नानदेड़ | | 2 | 5 |
| परभनी | 2 | | 1 |
| लातूर | 1 | 1 | |
| जलगांव | 2 | 3 | 2 |
| उस्मानाबाद | 1 | 6 | |
| रत्नागिरी | 2 | 6 | 6 |
| कोल्हापुर | 1 | 6 | |
| सांगली | | 4 | 1 |
| सिंधुदुर्ग | 3 | 7 | 3 |
| थाणे | | 2 | 4 |
| रायगढ़ | 3 | 7 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| मुंबई | | | |
| सतारा | 2 | 2 | 1 |
| शोलापुर | 1 | 1 | |
| अहमदनगर | 2 | 4 | 2 |
| पुणे | 3 | 1 | 1 |
| अकोला | | 3 | |
| अमरावती | | 1 | 2 |
| बुल्दाना | 2 | 1 | 1 |
| भंडारा | 2 | 1 | |
| चन्द्रपुर | 2 | 1 | |
| गढ़चिरोली | 1 | 1 | 2 |
| नागपुर | | 1 | 4 |
| वर्धा | | | |
| यवतमाल | 1 | 1 | 1 |
| कुल | 35 | 69 | 46 |

**विवरण-*II***

*गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर किए गए तथा खोले गए शाखा डाकघरों की संख्या।*

| जिले का नाम | पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर किए गए तथा खोले गए शाखा डाकघर | | |
|---|---|---|---|
| | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| अहमदाबाद | 1 | 2 | |
| बनासकांठा | 1 | 1 | 5 |
| गांधीनगर | 1 | | |
| महेसाणा | 3 | 1 | |
| पाटन | | 1 | |
| साबरकांठा | 2 | 2 | 4 |
| अमरेली | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| भावनगर | | | |
| जामनगर | | | |
| जूनागढ़ | 1 | 2 | |
| कच्छ | | | |
| पोरबंदर | | | 1 |
| राजकोट | 1 | | 1 |
| एस' नगर | 1 | | |
| आनंद | | | |
| | 1 | | 2 |
| ाहोद | | 8 | |
| डांग | | | |
| खेडा | | 1 | 1 |
| नर्मदा | | | |
| नवसारी | | 1 | 1 |
| पंचमहल | 2 | 8 | 6 |
| सूरत | 2 | 1 | 1 |
| वडोदरा | 1 | | 4 |
| वलसाड | 2 | 3 | 2 |
| कुल | 18 | 31 | 28 |

***विवरण-III***

*महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के उन गांवों की संख्या जहां डाकघर नही हैं।*

| महाराष्ट्र | | गुजरात | |
|---|---|---|---|
| जिले का नाम | 31.3.99 की स्थिति के अनुसार बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या | जिले का नाम | 31.3.99 की स्थिति के अनुसार बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| औरंगाबाद | 1057 | अहमदाबाद | 224 |
| जालना | 756 | बनासकांठा | 936 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| बीड | 958 | गांधी नगर | 6 |
| धुले | 547 | मेहसाणा | 356 |
| नन्दुरबार | 608 | पाटन | 216 |
| नासिक | 1225 | साबरकांठा | 832 |
| नांदेड़ | 1081 | अमरेली | 309 |
| परभनी | 1137 | भावनगर | 468 |
| लातूर | 643 | जामनगर | 431 |
| जलगांव | 1006 | जूनागढ़ | 457 |
| उस्मानाबाद | 449 | कच्छ | 488 |
| रत्नागिरी | 908 | पोरबन्दर | 119 |
| कोल्हापुर | 679 | राजकोट | 434 |
| सांगली | 336 | एस, नगर | 341 |
| सिंधुदुर्ग | 380 | आनंद | 136 |
| थाणे | 1701 | भरूच | 337 |
| रायगढ़ | 1457 | दाहोद | 753 |
| मुंबई | | डांग | 253 |
| सतारा | 921 | खेडा | 265 |
| शोलापुर | 536 | नर्मदा | 347 |
| अहमदनगर | 918 | नवसारी | 101 |
| पुणे | 1182 | पंचमहल | 618 |
| अकोला | 1207 | सूरत | 693 |
| अमरावती | 1285 | वडोदरा | 1087 |
| बुल्धाना | 959 | वलसाड | 179 |
| भंडारा | 1606 | | |
| चन्द्रपुर | 1487 | | |
| गढ़चिरोली | 1302 | | |
| नागपुर | 1373 | | |
| वर्धा | 810 | | |
| यवतमाल | 1495 | | |
| कुल | 30009 | | 10386 |

**बुलढाना में टेलीफोन कनेक्शन**

**3542. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में विभिन्न दूरभाष केन्द्रों में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदनपत्र हैं;

(ख) तत्संबंधी दूरभाष केन्द्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त जिले में यथाशीघ्र टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने और दूरभाष केन्द्रों के विस्तार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) (ख) महाराष्ट्र के बुलढ़ाना जिले के अन्तर्गत टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची संबंधी आवेदन पत्रों की संख्या 31.03.2000 को 2260 थी। एक्सचेंजवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान, बुलढ़ाना जिले के मुख्य एक्सचेंजों में नए एक्सचेंज खोल कर तथा विद्यमान एक्सचेंजों में विस्तार करके 8300 लाइनें जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि प्रतीक्षा-सूची के व्यक्तियों और नए आवेदकों को नए कनेक्शन उपलब्ध कराए जा सकें।

***विवरण***

**जिले का नाम:** बुलढ़ाना

*1.4.2000 को प्रतीक्षा-सूची की एक्सचेंजवार स्थिति*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | बुलढ़ाना | 248 |
| 2. | धाड़ | 3 |
| 3. | चन्दोल | 5 |
| 4. | दिओलघाट | 16 |
| 5. | दुधा | 16 |
| 6. | डोंगररखान | 51 |
| 7. | मसरूल | 13 |
| 8. | मध | 12 |
| 9. | रायपुर | 10 |
| 10. | पडली | 29 |
| 11. | सरवाली बक | 74 |
| 12. | महसला बक | 0 |
| 13. | चिखली | 63 |
| 14. | अम्दापुर | 60 |
| 15. | उन्द्री | 20 |
| 16. | सखारखेरदा | 34 |
| 17. | खेलवाद | 31 |
| 18. | इकलारा | 10 |
| 19. | उत्तराडपेथ | 21 |
| 20. | शेंडूजन | 19 |
| 21. | मेरा बक | 0 |
| 22. | मेरा ख्र | 36 |
| 23. | इसोली | 0 |
| 24. | दिओलगांव राजा | 75 |
| 25. | सिंदखेड़ राजा | 20 |
| 26. | किंगोन राजा | 25 |
| 27. | दूसराबिड | 10 |
| 28. | दिओलगांव माही | 2 |
| 29. | अंधेरा | 42 |
| 30. | जम्भोरा | 44 |
| 31. | मलकापुर पंगारा | 6 |
| 32. | सिंगॉन जाहागीर | 18 |
| 33. | जलगांव जामेद | 73 |
| 34. | जामोद | 9 |
| 35. | मदखेड़ | 25 |
| 36. | पिंपलगांव काले | 26 |
| 37. | संग्रामपुर | 49 |
| 38. | सोनाला | 16 |
| 39. | असलगांव | 14 |
| 40. | पतुरदा | 9 |

| | |
|---|---|
| 41. बवनबीर | 11 |
| 42. खामपुर | 87 |
| 43. खामपुर एम आईडीसी | 0 |
| 44. गोंधनापुर | 7 |
| 45. रोहाना | 2 |
| 46. मलकापुर | 120 |
| 47. नारवल | 1 |
| 48. दसरखेड़ | 16 |
| 49. दताला | 9 |
| 50. माटोला | 17 |
| 51. कोथाली | 29 |
| 52. शेलगांव बाजार | 46 |
| 53. पोफाली | 13 |
| 54. रोहिनखेड़ | 3 |
| 55. धमनगांव बधे | 5 |
| 56. कोरहाला बाजार | 1 |
| 57. शेलापुर बक | 34 |
| 58. पिंपरी गवाली | 25 |
| 59. वडजी | 10 |
| 60. वारखेड़ | 1 |
| 61. लीहा बक | 21 |
| 62. नीमखेड़ | 1 |
| 63. शेगांव | 75 |
| 64. मनसगांव | 8 |
| 65. जवाला | 2 |
| 66. महुरजीरा | 0 |
| 67. मटेरगांव | 4 |
| 68. जनोरी | 0 |
| 69. पिम्पलगांव राजा | 6 |
| 70. कालेगांव | 0 |
| 71. हीवरखेड़ | 15 |
| 72. बोरेड गांव | 11 |
| 73. शिरला | 0 |
| 74. पालशी | 2 |
| 75. शाहपुर | 0 |
| 76. पिम्परी गवाली | 7 |
| 77. नन्दूरा | 59 |
| 78. टिकोड़ी | 22 |
| 79. शेम्बा | 19 |
| 80. वाडनेर | 17 |
| 81. चन्दूरबिसवा | 7 |
| 82. वसादी | 16 |
| 83. नारधेड़ | 3 |
| 84. मेहाकार | 103 |
| 85. डोनगांव | 22 |
| 86. जानेफल | 26 |
| 87. दिउलगांव सखरशा | 0 |
| 88. शेनिया | 7 |
| 89. दिओलगांव माली | 8 |
| 90. सुल्तानपुर | 0 |
| 91. बीबी | 28 |
| 92. हिरदिओ | 12 |
| 93. हिवारा बक | 33 |
| 94. अन्जानी बक | 3 |
| 95. लोनार | 24 |
| 96. शेलगांव देशमुख | 28 |
| जोड़ | 2260 |

## महाराष्ट्र में दूरसंचार नेटवर्क

**3543. श्री नामदेव हरबाजी दिवाये:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में ग्रामीण दूरसंचार नेटवर्क ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है और अधिकार खराब रहता है;

(ख) यदि हां, तो तकनीकी समिति द्वारा इस संबंध में किए गए मूल्यांकन समेत तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार क्रने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार 2000-2001 के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार करने, विकास उन्नत बनाने और आधुनिकीकरण करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) महाराष्ट्र में ग्रामीण संचार नेटवर्क सामान्यत: संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा हैं।

(ख) उक्त ''क'' को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनाई गई हैं:-

| क्र.सं. | मद | महाराष्ट्र | गोवा | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | नए एक्सचेंज | 345 | 5 | 350 |
| 2. | सीधी एक्सचेंज लाइनें | 95,000 | 5000 | 1,00,000 |
| 3. | नेट एस/डब्लू क्षमता | 1,45,000 | 5000 | 1,50,000 |
| 4. | ओ एफसी (किमी.) | 9000 | 200 | 9200 |

(च) वर्ष 2000-2001 के लिए दूरसंचार विभाग की अनुदान मांगें अभी तक संसद द्वारा अनुमोदित नहीं की गई हैं। निधियों का राज्य-वार आबंटन संसद द्वारा अनुदान मांगें अनुमोदित किए जाने के बाद ही किया जाएगा।

### *विवरण*

*ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम*

**टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए**

1. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित कर दिया गया है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों के सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय माध्यम प्रदान किया जा रहा है और वर्ष 2002 तक सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय माध्यम से जोड़ा जाएगा।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में बार-बार होने वाले पॉवर फेलियर का ध्यान करने के लिए स्टैंड-बाय जनरेटर्स और अनुरक्षण मुक्त बैटरियां संस्थापित की जा रही हैं।
4. उपभोक्ता लाइनों की रोज जांच करने का कार्य एक्सचेंजों के माध्यम से किया जाता है।
5. टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु ओपन वायर लाइनों की लम्बाई कम करने के लिए अधिक से अधिक भूमिगत केबल बिछाना।

**ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन:**

1. एक्सचेंज से रोजाना ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की जांच करना।
2. बेस स्टेशन से रोजाना एम ए आर लिंकों की जांच करना।
3. सर्किल/दूरसंचार मुख्यालय के स्तर पर फ्लाइंग स्क्वैड गठित किए गए हैं।
4. प्रणाली प्रदान करने वाले के साथ वार्षिक अनुरक्षण ठेके को अंतिम रूप दिया जा रहा हैं।
5. ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए नेटवर्क में नई प्रौद्योगिकियां आरंभ करने का प्रयास किया जा रहा है यथा डब्लू एल एल (वायरलैस इन लोकल लूप) सी-डॉट, टी डी एम ए पी एम पी प्रणालियां तथा दूरस्थ और कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों के लिए उपग्रह पर आधारित टर्मिनल।

**महाराष्ट्र के औरंगाबाद और अहमदनगर में रसोई गैस एजेन्सियां**

**3544. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के औरंगाबाद और अहमदनगर जिलों में अनेक खंड ऐसे हैं जहां कोई भी रसोई गैस एजेन्सी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन जिलों में रसोई गैस एजेन्सियां खोलने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) से (घ) महाराष्ट्र के औरंगाबाद और अहमदनगर जिलों सहित देशभर के आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्थानों पर चरणबद्ध ढंग से एल पी जी एजेंसियां खोली जाती हैं। वर्तमान मांग पूरी करने के लिए औरंगाबाद में 11 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और अहमदनगर में 20 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कार्यरत हैं। बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद और अहमदनगर जिलों के लिए विपणन योजनाओं में क्रमश: 8 और 9 अतिरिक्त एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल की गई हैं।

**वैकल्पिक ईंधन के रूप में एल.पी.जी. का प्रयोग**

**3545. श्री कोलुर बसवनागौड़:** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को वैकल्पिक ईंधन के रूप में एल.पी.जी. के प्रयोग को अनुमति देते समय अपनाए जाने वाले मानकों को स्पष्ट करते हुए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) जी हां।

(ख) मोटर यान अधिनियम, 1988 के संगत प्रावधानों को संशोधित करने के लिए सरकार ने आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

*[हिन्दी]*

**बम्बई हाई तेलक्षेत्र के कच्चा तेल**

**3546. श्री हरिभाऊ शंकर महाले:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के मुम्बई हाई तेल क्षेत्र से कच्चे तेल का कुल कितना उत्पादन किया गया;

(ख) क्या कच्चे तेल का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा मुम्बई हाई तेल क्षेत्र से अधिकतम कच्चे तेल के गवेषण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्ष्यों की तुलना में बंबई हाई से कच्चे तेल का उत्पादन निम्नानुसार था:-

(आंकड़े एम एम टी में)

| वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धि |
|---|---|---|
| 1996-97 | 13.928 | 12.040 |
| 1997-98 | 10.769 | 12.434 |
| 1998-99 | 12.050 | 11.586 |

उत्पादन में कमी का मुख्य कारण यह है कि तेलक्षेत्र के मुख्य उत्पादन रिजर्वायर स्वाभाविक ह्रासमान चरण में पहुंच गए हैं। कुछ कूपों में उच्च गैस तेल अनुपात तथा बढ़ता हुआ जल कटाव है।

(घ) क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में सुधार करने और निकासी घटक बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा एक निगरानी योग्य कार्य योजना तैयार की गई है। जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) हाल ही में प्राप्त किए गए त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़ों के माध्यम से बंबई हाई क्षेत्र के अनेक परतों वाले रिजर्वायर की जटिलताओं की बेहतर समझ के लिए रिजर्वायर चित्रण।

(2) विशाल क्षेत्रों के छोड़ दिए गए अनुत्साहित भागों का दोहन करने के लिए इनफिल कूपों का वेधन।

(3) उन्नत समरूपता के लिए अन्त:क्षेपण जल का पुनर्वितरण।

(4) कम उत्पादन वाले कूप पुन: पूरे करना।

(5) क्षेत्र से निकासी में सुधार करने के लिए भविष्य की विकास कार्यनीति की आयोजना के लिए ओ एन जी सी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के रिजर्वायर परामर्शदाता की नियुक्ति ।

(6) अतिरिक्त गैस तथा जल उत्पादन के नियंत्रण तथा क्षेपकों में समरूपता नियंत्रण के लिए कुछ पहचाने गए क्षेत्रों में परीक्षण आधार पर जेल प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संबंध में ओ एन जी सी द्वारा विशेषज्ञों की सेवाएं लेना।

**मिथेन गैस की खोज**

**3547. श्री रमाकांत आंग्ले:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला आधारित मिथेन गैस की खोज आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की खोज हेतु किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री संतोष कुमार गंगवार ):** (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में उत्तरी रानीगंज में कोल बेड मिथेन (सी बी एम) के अन्वेषण के लिए ओ एन जी सी को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है। ओ एन जी सी ने अनुसंधान तथा विकास परियोजना के रूप में सी बी एम का अन्वेषण भी आरंभ कर दिया है और अपने अनुसंधान तथा विकास कार्यों के भाग के रूप में छह कूपों-पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में दो तथा झरिया कोलक्षेत्र में पर्वतपुर ब्लाक में चार का वेधन किया है।

भारत सरकार ने देश में सी बी एम के अन्वेषण तथा दोहन के लिए नीति का अनुमोदन कर दिया है। इस नीति में मुक्त विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से सी बी एम के अन्वेषण तथा दोहन के लिए ब्लाक प्रस्ताव करने का प्रावधान है। बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों में नौ ब्लाक पहचाने गए हैं तथा ब्लाकों के प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श आरंभ कर दिए गए है।

**मार्मागांव पत्तन न्यास द्वारा सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए कार्य**

**3548. श्री श्रीपाद येसो नाईक:** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्मागांव पत्तन न्यास द्वारा सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कार्य शुरू कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो कार्य कब तक पूरे कर लिए जाएंगे; और

(घ) इस संबंध में क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डा. देबेन्द्र प्रधान ):** (क) से (ग) मुरंगाव पत्तन न्यास द्वारा सीमा सड़क संगठन (बी आर ओ) को सौंपे गए कार्यों के ब्यौरे तथा उनके पूरा होने की तारीख/संभावित तारीख नीचे दी गई है:-

| क्रम. सं. | कार्य का नाम | अनुमानित लागत | पूरा होने की तारीख/ संभावित तारीख |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | वर्ना जंक्शन से सदा जंक्शन तक 18.348 कि.मी. लम्बाई में चार लेन सड़क का निर्माण और वास्को रोड़ ओवर ब्रिज (आरओबी) से मुरगांव बन्दरगाह जाने वाली सड़क में 2.825 कि.मी. लम्बाई में सुधार करके 2 लेन करना। | 74.03 करोड़ रुपये (बीआरओ को सौंपे गए कार्य की लागत 53.00 करोड़ रुपये है) | जून, 2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | आर ओ बी और गेट नं. 9 के बीच पुराने बिजली-घर के आस पास तथा सामान्य कार्गो बर्थ सं. 10 और 11 पर बड़ी रेलवे लाइन के साथ-साथ केवमेंट बनाना। | 3.92 करोड़ रुपये | अप्रैल, 2000 |
| 3. | गेट नं. 9 और डम्पर हाउस के बीच वाले क्षेत्र में डामर डालना | 0.81 करोड़ रुपये | 31.5.1999 |
| 4. | गेट नं. 9 पर आपरेशन बिल्डिंग के निकट 10,000 वर्ग मी. में पेवमेंट बनाना। | 1.00 करोड़ रुपये | मई, 2000 |
| 5. | ए ओ बिल्डिंग से पोर्ट सिग्नल स्टेशन तक सड़क का निर्माण क्रम सं. 1 से 3 पर दर्शाए गए कार्य शुरू हो चुके हैं। | 1.26 करोड़ रुपये | दिसम्बर, 2000 |

(घ) सड़क निर्माण के क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन की सक्षमता, विशेषज्ञता और अनुभव को ध्यान में रखकर नामांकन के आधार पर उक्त कार्य सौंपे गए हैं।

**विद्युत क्षेत्र में सुधार**

**3549. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में आरंभ किए गए विद्युत सुधारों की उपलब्धियों अथवा लक्ष्यों का विश्लेषण करने हेतु हाल ही में कोई प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत सुधारों के कार्यक्रम के वांछित परिणामों की प्राप्ति में विफलता के लिए पहचान किए गए मुख्य कारणों का ब्यौरा क्या है तथा असंतोषजनक निष्पादन के क्षेत्र कौन से हैं; और

(घ) इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) और (ख) जी, हां। अभी तक पांच राज्यों नामश: उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने अपने-अपने सुधार अधिनियमों को पारित किया है और अपने विद्युत बोर्डों के कार्यों का विकेन्द्रीयकरण किया है। केवल उड़ीसा ने वितरण का निजीकरण किया है। राजस्थान ने अपना सुधार अधिनियम तो पारित कर दिया है लेकिन अभी इसका क्रियान्वयन किया जाना है। इसके अतिरिक्त चौदह राज्यों नामश: उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल ने राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के गठन को अधिसूचित कर दिया है तथापि टैरिफ आदेश केवल उड़ीसा राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी किए गए हैं।

(ग) उड़ीसा ही एक ऐसा राज्य है जिसने अपने समस्त वितरण का निजीकरण किया है। तीव्र तूफान द्वारा प्रणाली को व्यापक नुकसान होने के बावजूद भी वितरण कंपनियों के कार्य निष्पादन में सुधार प्रदर्शित होने लगा है। यह प्रत्याशा की जाती है कि चालू वर्ष के अन्त तक वितरण कम्पनियां अपनी विद्युत खरीद के लिए वर्तमान भुगतान करना आरम्भ कर पायेंगे। जिससे कि वित्तीय व्यवहार्यता की प्राप्ति हो सकेगी। अन्य राज्यों के संबंध में सुधार कार्य के प्रभाव का मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी।

(घ) भारत सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों के सुधार कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई है ताकि वे वाणिज्यिक लाईनों पर कार्य कर सकें। 26.2.2000 को आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि दृढ़निश्चय और आवश्यकता के अनुरूप सुधार किए जाने चाहिए। सुधार नीति के ये मुख्य घटक हैं:-

(1) सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा,

(2) दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं के 100% मीटरिंग का समयबद्ध कार्यक्रम।

(3) विशेष समय-सीमा के भीतर विद्युत चोरी में कमी लाना और अंतत: पूर्ण रूप से बिजली चोरी को समाप्त करना।

(4) सब-स्टेशन को प्राथमिकता आधार पर एक सीमा मानते हुए सब-पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना/उन्नयन करना।

यदि विद्यमान अधिनियम के तहत् उपरोक्त प्राप्त होने योग्य प्रतीत नहीं होता है तो वितरण का निजीकरण/सह-निजीकरण/निगमीकरण करना पड़ेगा।

**राज्य सभा के चुनावों में धन-बल का प्रयोग**

**श्रीमती रीना चौधरी:**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
**श्री भीम दाहाल:**

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में संपन्न हुए राज्य सभा के चुनावों में धन-बल ने अहम भूमिका अदा की है; और

(ख) यदि हां, तो समूची संसदीय प्रणाली को बदनाम करने के लिए धन-बल के खुलेआम प्रयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल):** (क) और (ख) सरकार को, जैसाकि समाचार पत्रों में रिपोर्ट किया गया है, इस संबंध में, लगाए गए आरोपों की जानकारी है। इस बाबत कुछ सुधारात्मक उपाय भी सुझाए गए हैं, जो सरकार के समीक्षाधीन हैं।

**तमिलनाडु में पेट्रोल/डीजल की अवैध बिक्री**

**3551. श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा तमिलनाडु में मद्रास पेट्रोल के नाम से ज्ञात पेट्रोल पंप से मिलावटी पेट्रोल/डीजल की अवैध बिक्री रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान तमिलनाडु में मिलावट डीजल/पेट्रोल बेचने के लिए कितनी फुटकर दुकानें पकड़ी गई और बंद की गई; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रति माह देश में गुणवत्ता और मूल्य-वार डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति और बिक्री की स्थिति क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) तेल विपणन कंपनियां अपमिश्रण सहित विभिन्न कदाचारों पर नियंत्रण रखने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित/औचक निरीक्षण करती हैं। इसके अलावा कदाचारों की रोकथाम के लिए तेल कंपनियों द्वारा अपने आप और सरकार के दिशानिर्देश के अंतर्गत भी समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। मिलावट की रोकथाम करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा मिट्टी के तेल (पी डी एस) को नीला रंगने, फरफरल डोपिंग, फिल्टर पेपर परीक्षण, भंड़ार मिलान, चल प्रयोगशालाओं द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों की जांच करने आदि जैसे विभिन्न उपाय किए जाते हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान तेल विपणन कंपनियों ने मिलावटी डीजल/पेट्रोल बेचने के लिए तमिलनाडु में 46 खुदरा बिक्री केन्द्रों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान आपूर्ति की स्थिति सामान्यत: मांग के अनरूप रही है।

**तमिलनाडु में रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल पंप**

**3552. श्री ए. कृष्णास्वामी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कुल कितने पेट्रोल पंप और रसोई गैस एजेंसियां हैं जिन्हें अनुमोदित किया गया किन्तु उन्हें मंजूरी नहीं दी गई अथवा साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया;

(ख) उस राज्य में पेट्रोल पंपो/रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु के तिरूवल्लू जिले में रसोई गैस कनेक्शन पाने के लिए बड़ी संख्या में पंजीकृत लोग तीन वर्षों से भी अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रतीक्षा सूचियों का निपटान कब तक किए जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री संतोष कुमार गंगवार ):** (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य में, पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अतिरिक्त, 59 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 155 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें, खुदरा बिक्री केन्द्र एवं एल पी जी विपणन योजना 1996-98 में शामिल की गई हैं। विपणन योजना में सम्मिलित खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विषय में चरणबद्ध तरीके से डीलरों/ डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए तेल विपणन कंपनियों के द्वारा समय-समय पर विज्ञापन दिए जाते हैं। आम चुनावों की घोषणा तथा आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के कारण चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। डीलर चयन बोर्ड अब भंग कर दिए गए हैं। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने में साक्षात्कार की तारीख से सामान्यतया सगभग 6-12 माह लग जाते हैं।

(ग) से (ङ) 01 अप्रैल, 2000 को जिला थिरूवल्लूर, तमिलनाडु में एल पी जी कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची लगभग 22819 थी। 01 दिसम्बर, 1999 की प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए वर्ष 2000 के दौरान 1 करोड़ नए एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लिए तेल कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

## जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन बनाना

3553. **वैद्य विष्णु दत्त शर्मा:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का उन्नयन कर उसे चार लेन वाली सड़क बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कार्पोरेट जगत से वित्तीय सहायता मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक से भी वित्तीय सहायता हेतु संपर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) वर्ष 1998-99 के दौरान इस राजमार्ग पर हुई दुर्घटनाओं में कितनी मौतें हुई?

**जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डा. देवेन्द्र प्रधान ):** (क) जम्मू-पठानकोट खंड (रा.रा.-1ए) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर-दक्षिण कारिडोर पर पड़ता है। जम्मू-पठानकोट खंड के 80-97ड कि.मी. भाग में चार लेन बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्श ठेका 10.4.2000 को दिया जा चुका है और इसे 6 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। इस रा.रा. के शेष भाग के लिए वरीयता-अध्ययन एनएचएआई द्वारा किया जा रहा है।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पुलिस प्राधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही है।

## जैविक-विविधता संबंधी विधान

3554. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्थानीय क्षेत्रों में जैविक संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए स्थानीय सरकारों की भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए विधान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जैविक विविधता संबंधी विधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कोई समिति गठिति की गई है और उसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बाबू लाल मरांडी ):** (क) और (ख) जी हां। सरकार जैव विविधता के संरक्षण और सतत प्रयोग और जैविक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों में बराबर की हिस्सेदारी संबंधी मुख्य उद्देश्यों के साथ जैवविविधता पर एक कानून बना रही है। प्रस्तावित कानून में स्थानीय शासनों द्वारा जैव विविधता प्रबंध समितियां स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) से (ङ) जी हां। सरकार ने जैव विविधता कानून के उपयुक्त मसौदे की सिफारिश करने के लिए अगस्त 1998 में डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति

गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1998 में प्रस्तुत कर दी थी। सरकार ने जैवविविधता कानून तैयार करते समय इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा है।

**एम.टी.एन.एल. के शेयर**

**3555. डा. जसवंत सिंह यादव:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. ने न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयरों को सूची-बद्ध करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एम.टी.एन.एल. के शेयर कब तक सूची-बद्ध कर दिए जाएंगे; और

(घ) इससे इस कंपनी के शेयरों के मूल्य किस सीमा तक बढ़ जायेंगे?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) जी हां।

(ख) न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज (एन वाई एस ई) में लिस्टिंग के बाद, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध मौजूदा जी डी आर धारकों को सबसे पहले ए डी आर (अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट) में बदलने का विकल्प दिया जाएगा।

(ग) अगले 2 माह के अंदर सूचीबद्ध किये जाने की संभावना है। तथापि, लिस्टिंग की उपरोक्त तारीख, यू एस नियामक (एस इ सी) के उत्तर देने के समय सहित अन्य कई मुद्दों पर निर्भर करेगा।

(घ) एन वाई एस ई विश्व का सबसे बड़ा प्रतिभूति बाजार है। एन वाई एस ई में लिस्टिंग तथा एस इ सी रजिस्ट्रेशन से एम टी एन एल का मूल्य बढ़ेगा जैसा कि निवेशकर्ता महसूस करते हैं। चूंकि एम टी एन एल के लेखे का बारीकी से जांच किया जाता है अत: इससे निवेशकर्ता के समय इस कंपनी की छवि बहुत ही पारदर्शी कंपनी के रूप में उभरेगी। साथ ही एन वाई एस ई में लिस्टिंग से विदेशों में रहने वाले एन आर आई भारत के ब्लू चिप कंपनी में इक्विटी खरीदने में सक्षम होंगे ।

**आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति**

**3556. सरदार बूटा सिंह:**
**श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर:**

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षों, के पदों के लिए नियुक्ति करते समय अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार, आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षों और सदस्यों के रूप में कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए और उक्त पदों पर उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया और कुल पदों में उनका क्या प्रतिशत था?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल):** (क) से (ग) आय-कर अपील अधिकरण में अध्यक्ष, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पद समूह 'क' के पद हैं और ये प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। इसलिए, आरक्षण आदेश इन पदों को लागू नहीं होते। तथापि, आय-कर अपील अधिकरण में सदस्यों के पदों, जो समूह 'क' पद भी हैं, के लिए नियुक्ति सीधे भर्ती द्वारा की जाती है। इसलिए, इन पदों की भर्ती के लिए आरक्षण आदेशों का अनुसरण किया जाता है। 1.1.1996 को आय-कर अपील अधिकरण में अध्यक्ष, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के रूप में कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या 62 थी। इनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या क्रमश: 8 और 6 थी। उनकी कुल पदों के प्रति प्रतिशतता क्रमश: 10.53% और 7.89%थी।

**पानवेल डाकघर का आधुनिकीकरण**

**3557. श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में पानवेल डाकघर का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) से (ग) वर्ष 1996-97 के दौरान पनवेल प्रधान डाकघर को आंशिक रूप से आधुनिक बनाया गया था। पनवेल प्रधान डाकघर को आधुनिक बनाए जाने का शेष कार्य चालू वित्त वर्ष अर्थात 2000-2001 के दौरान प्रारंभ किया जाएगा।

**माहे नदी से नौवहन योग्य नहर का निर्माण**

**3558. श्री टी. गोविन्दन:** क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को माहे नदी से वलापलनम नदी के पश्चिमी तटवर्ती नहर तक नौवहन योग्य नहर के निर्माण और विकास के लिए केरल से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

**पश्चिम बंगाल में डीलरों द्वारा जबरदस्ती एल पी जी चूल्हों का बेचा जाना**

**3559. श्री सुनील खां:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के दुर्गापुर तथा रानीगंज में कुछ डीलरों, ग्राहकों को नए गैस कनैक्शन जारी करते समय, उनके यहां से गैस चूल्हे ऊंचे मूल्य पर खरीदने पर जोर दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों को पश्चिम बंगाल में वर्द्धवान जिलान्तर्गत दुर्गापुर तथा रानीगंज में प्रचालन कर रहे उनके एल पी जी वितरकों के विरूद्ध अभी हाल में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**कर्नाटक में पेट्रोल पंप**

**3560. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में कितने डीजल/पेट्रोल पंप केन्द्र काम कर रहे हैं और ये कहां-कहां है;

(ख) क्या राज्य में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के लिए डीलरशिप के आबंटन के वास्ते आवेदन आमंत्रित किए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) फिलहाल कर्नाटक में 1049 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप प्रचालनरत हैं।

(ख) और (ग) तेल कंपनियों ने 43 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों, 9 एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपों और 195 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। उपर्युक्त में से 18 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों, 1 एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपों और 101 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए आशयपत्र पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

*[हिन्दी]*

**राजस्थान में एलपीजी एजेंसियां और पेट्रोल पंप**

**3561. प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्थान में किन-किन स्थानों पर नए पेट्रोल पंप और एल पी जी एजेंसियां स्थापित किए जाने का विचार है;

(ख) क्या राज्य में एल पी जी एजेंसियां/पेट्रोल पंप खोलने के उद्देश्य से जगह का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में एल पी जी कनेक्शन चाहने वालों को यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री संतोष कुमार गंगवार ):** (क) से (घ) तेल कंपनियां राजस्थान सहित देश के विभिन्न भागों में डीरलशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए व्यवहार्य स्थानों की पहचान के लिए सावधि रूप से व्यवहार्यता अध्ययन करती हैं। व्यवहार्य पाए गए स्थान विपणन योजनाओं में सम्मिलित किए जाते हैं तथा तेल कंपनियों द्वारा डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए स्थानों के संबंध में समय समय पर विज्ञापन दिया जाता है। साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिप/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आरंभ होने में प्राय: 6-12 माह लगते हैं। तदनुसार पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अलावा राजस्थान के लिए 1996-98 की विपणन योजना में 40 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 115 एल पी जी डिस्ट्रब्यूटरशिपें सम्मिलित कर ली गई हैं।

*[अनुवाद]*

## आंध्र प्रदेश में टेलीफोन के कनेक्शन

**श्री वाई.एस.विवेकानन्द रेड्डी:** क्या संचार मंत्री कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश शीघ्र ही देश में सबसे अधिक टेलीफोन कनेक्शन वाला राज्य बनने वाला है;

(ख) क्या इस समय महाराष्ट्र में सबसे अधिक टेलीफोन कनेक्शन हैं;

(ग) यदि हां, तो दोनों राज्यों का जिला-वार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(घ) आंध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गये हैं;

(ङ) राज्य में इस समय जिला-वार कितने व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शन लगाए जाने की प्रतीक्षा सूची में शामिल है;

(च) सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या राज्य के सभी गांवों में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है; और

(ज) यदि नहीं, तो उक्त सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री तपन सिकदर ):** (क) से (ग) इस समय देश में महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक टेलीफोन कनेक्शन हैं जिनकी संख्या 44.16 लाख है जबकि आंध्र प्रदेश में 22.2 लाख टेलीफोन कनेक्शन हैं। आंध्र प्रदेश में 1999-2000 के दौरान टेलीफोन कनेक्शनों की वृद्धि दर 41.66% दर्ज की गयी जबकि महाराष्ट्र में यह वृद्धि दर 16.91% रही। दोनों राज्यों के जिला-वार तुलनात्मक ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों के जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण III में दिए गए हैं।

(ङ) राज्य में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण IV में दी गई हैं।

(च) टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है तथा मार्च, 2001तक प्रतीक्षा-सूची के निपटान हेतु उत्तरोत्तर रूप से नए एक्सचेंज खोले जा रहे हैं।

(छ) और (ज) जी नहीं। 29460 गांवों में से 23370 गांवों को टेलीफोन सुविधा दी जा चुकी हैं। शेष 6081 गांवों को मार्च 2002 तक क्रमिक रूप से टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

***विवरण-I***

***आंध्र प्रदेश***

*31-3-2000 की स्थिति के अनुसार जिलावार टेलीफोन कनेक्शन*

| क्र. स. | जिले का नाम | टेलीफोन कनेक्शन |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अदिलाबाद | 42706 |
| 2. | अनंतपुर | 74901 |
| 3. | चित्तूर | 93835 |
| 4. | कुडप्पहा | 53779 |
| 5. | पूर्व गोदावरी | 132026 |
| 6. | गुंटूर | 130042 |
| 7. | हैदराबाद | 611226 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 8. | करीम नगर | 74901 |
| 9. | खामम्म | 60413 |
| 10. | कृष्णा | 165177 |
| 11. | कुरनूल | 70822 |
| 12. | महबूब नगर | 43009 |
| 13. | मेड़क | 45563 |
| 14. | नालगोंडा | 61043 |
| 15. | नेल्लोर | 64095 |
| 16. | निजामाबाद | 57484 |
| 17. | प्रकाशम | 55459 |
| 18. | रंगरेड्डी | 31927 |
| 19. | श्रीकाकुलम | 28647 |
| 20. | विशाखापट्नम | 121354 |
| 21. | विधियानगरम | 29869 |
| 22. | वारंगल | 56708 |
| 23. | पश्चिम गोदावरी | 122501 |
| | कुल | 2227487 |

*विवरण-II*

*31-3-2000 के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों की स्थिति*

| क्र. सं. | एसएसए/जिले का नाम | टेलीफोन कनेक्शन |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अहमदनगर | 91086 |
| 2. | वाशिम सहित अकोला | 45744 |
| 3. | अमरावती | 49969 |
| 4. | औरंगाबाद | 73139 |
| 5. | बीड | 21920 |
| 6. | गोंडिया सहित भांद्रा | 26240 |
| 7. | बुलढ़ाना | 27973 |
| 8. | चन्द्रपुर | 33245 |
| 9. | नांदुरबार सहित धुले | 42274 |
| 10. | गडचिरोली | 5506 |
| 11. | जलगांव | 75720 |
| 12. | जालना | 16045 |
| 13. | कल्याण | 283471 |
| 14. | कोल्हापुर | 119693 |
| 15. | लातूर | 32518 |
| 16. | नागपुर | 150031 |
| 17. | नांदेड़ | 38865 |
| 18. | नासिक | 154222 |
| 19. | उसमानाबाद | 17490 |
| 20. | हिंगोली सहित परभानी | 25574 |
| 21. | पुणे | 461429 |
| 22. | रायगढ़ | 68194 |
| 23. | रत्नगिरी | 39581 |
| 24. | सांगली | 98642 |
| 25. | सतारा | 65486 |
| 26. | सिंहदुर्ग | 18524 |
| 27. | सोलापुर | 71359 |
| 28. | वर्धा | 23309 |
| 29. | यवतमाल | 25196 |
| 30. | मुंबई | 2213388 |
| | कुल | 4415833 |

*विवरण-III*

*गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की जिलेवार संख्या*

| क्र.सं. | जिले का नाम | प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 |
| 1. | अदिलाबाद | 7679 | 8008 | 12347 |
| 2. | अनंतपुर | 7282 | 15508 | 27413 |
| 3. | चित्तूर | 8608 | 21048 | 31009 |
| 4. | कुडप्पाह | 4563 | 11517 | 19020 |
| 5. | पूर्व गोदावरी | 13027 | 20440 | 45036 |
| 6. | गुंटूर | 11365 | 23072 | 39153 |
| 7. | हैदराबाद | 47020 | 95077 | 126196 |
| ९ | करीम नगर | 11007 | 16900 | 25884 |
| | खामम्म | 4048 | 15032 | 21685 |
| 10. | कृष्णा | 16068 | 24809 | 40259 |
| 11. | कुरनूल | 8155 | 12270 | 23144 |
| 12. | महबूब नगर | 3941 | 7405 | 15333 |
| 13. | मेड़क | 4500 | 8100 | 12956 |
| 14. | नालगोंडा | 7497 | 13560 | 22426 |
| 15. | नेल्लोर | 9098 | 13505 | 22502 |
| 16. | निजामाबाद | 7742 | 11500 | 22542 |
| 17. | प्रकाशम | 9002 | 11533 | 10948 |
| 18. | रंगरेड्डी | 2428 | 6978 | 20577 |
| 19. | श्रीकाकुलम | 2069 | 5756 | 11022 |
| 20. | विशाखापट्नम | 12022 | 23754 | 30319 |
| 21. | विधियानगरम | 3490 | 4772 | 10484 |
| 22. | वारंगल | 2900 | 7514 | 22604 |
| 23. | पूर्व गोदावरी | 12976 | 26922 | 42229 |
| | कुल | 216487 | 404980 | 655088 |

*विवरण IV*

*आंध्र प्रदेश*

*31-3-2000 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षासूची में दर्ज व्यक्तियों की जिलावार संख्या*

| क्र.सं. | जिले का नाम | प्रतीक्षासूची में दर्ज व्यक्ति |
|---|---|---|
| 1. | अदिलाबाद | 7314 |
| 2. | अनंतपुर | 8709 |
| 3. | चित्तूर | 31949 |
| 4. | कुडप्पहा | 15607 |
| 5. | पूर्व गोदावरी | 24685 |
| 6. | गुंटूर | 17250 |
| 7. | हैदराबाद | 45774 |
| 8. | करीम नगर | 25661 |
| 9. | खामम्म | 15109 |
| 10. | कृष्णा | 14278 |
| 11. | कुरनूल | 7417 |
| 12. | महबूब नगर | 12819 |
| 13. | मेड़क | 11796 |
| 14. | नालगोंडा | 27175 |
| 15. | नेल्लोर | 13268 |
| 16. | निजामाबाद | 9436 |
| 17. | प्रकाशम | 9241 |
| 18. | रंगारेड्डी | 14269 |
| 19. | श्रीकाकुलम | 3360 |
| 20. | विशाखापट्नम | 23261 |
| 21. | विधियानगरम | 1986 |
| 22. | वारंगल | 25011 |
| 23. | पश्चिम गोदावरी | 11683 |
| | कुल | 377058 |

*[हिन्दी]*

**बिहार में डाकघरों की इमारतों का निर्माण**

**3563. श्री राजो सिंह:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में इस समय जिलेवार कितने डाकघर किराए की इमारतों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में डाकघरों, विशेषकर प्रधान डाकघर की इमारतों का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) बिहार में इस समय किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या 1380 है। जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी नहीं। सरकार का राज्य में विशेष रूप से जीपीओ के लिए डाकघर भवन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि राज्य में केवल एक जीपीओ है जो पटना में पहले ही विभागीय भवन में कार्य कर रहा है। अन्य डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण करने के संबंध में प्रचालनात्मक आवश्यकताओं, योजना प्राथमिकता तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए उत्तर अपेक्षित नहीं हैं।

(घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए उत्तर अपेक्षित नहीं हैं।

*विवरण*

अनुबंध "क"

| क्र.सं. | जिले का नाम | किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | पटना | 99 |
| 2. | नालन्दा | 29 |
| 3. | भागलपुर | 39 |
| 4. | बांका | 09 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | मुंगेर | 15 |
| 6. | भोजपुर | 38 |
| 7. | बक्सर | 29 |
| 8. | गया | 41 |
| 9. | जहानाबाद | 21 |
| 10. | नवादा | 15 |
| 11. | वैशाली (हाजीपुर) | 26 |
| 12. | जमुई | 10 |
| 13. | लखीसराय | 05 |
| 14. | शेखपुरा | 07 |
| 15. | औरंगाबाद | 27 |
| | धनबाद | 58 |
| | बोकारो | 33 |
| 18. | गिरिडीह | 20 |
| 19. | हजारीबाग | 47 |
| 20. | छतरा | 05 |
| 21. | कोडरमा | 07 |
| 22. | पलामू | 26 |
| 23. | गढ़वा | 06 |
| 24. | रांची | 57 |
| 25. | गुमला | 10 |
| 26. | लोहारडगा | 03 |
| 27. | कैमूर | 08 |
| 28. | सिंहभूम (ई), जमशेदपुर | 35 |
| 29. | सिंहभूम (डब्ल्यू), चाईबासा | 33 |
| 30. | दुमका | 29 |
| 31. | बी. देवघर | 20 |
| 32. | गोड्डा | 08 |
| 33. | साहेबगंज | 13 |
| 34. | पाकुर | 08 |
| 35. | बेगूसराय | 29 |
| 36. | खगड़िया | 13 |
| 37. | चम्पारण (ईस्ट). मोतीहारी | 38 |
| 38. | चम्पारण (वेस्ट), बेतियाह | 21 |
| 39. | दरभंगा | 43 |
| 40. | मुजफ्फरपुर | 57 |
| 41. | मधुबनी | 38 |
| 42. | पूर्णिया | 20 |
| 43. | कटिहार | 21 |
| 44. | अररिया | 09 |
| 45. | किशनगंज | 05 |
| 46. | समस्तीपुर | 38 |
| 47. | सहरसा | 15 |
| 48. | मधेपुरा | 16 |
| 49. | सुपौल | 17 |
| 50. | सीतामढ़ी | 23 |
| 51. | सिहोर | 01 |
| 52. | सीवान | 36 |
| 53. | गोपालगंज | 20 |
| 54. | सारन | 49 |
| 55. | रोहतास | 35 |
| | कुल | 1380 |

*[अनुवाद]*

**आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में रसोई गैस कनेक्शन**

**3564. श्री शिवाजी माने :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में रसोई गैस कनेक्शन के लिए राज्य-वार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) ये व्यक्ति कितने समय से प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूचियों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां पंजीकृत प्रतीक्षा सूची में 1.1.2000 की तारीख के अनुसार व्यक्तियों की संख्या आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 8.87 लाख है तथा महाराष्ट्र राज्य में लगभग 5.53 लाख थी।

नए एल पी जी कनेक्शन एल पी जी की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां उपलब्ध स्लेक तथा उनकी व्यवहार्यता के आधार पर पूरे देश में चरणबद्ध ढंग से जारी किए जाते हैं। तथापि सरकार की 1.12.1999 की तारीख के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां पंजीकृत सारी प्रतीक्षा सूची निपटाने के लिए वर्ष 2000 के दौरान लगभग 1 करोड़ एल पी जी कनेक्शन जारी करने की योजना है।

*[हिन्दी]*

## प्रदूषण संबंधी पर्यावरण नीति

**3565. श्री सुरेश चन्देल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए किसी पर्यावरण नीति की घोषणा की गई है/किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रदूषण की रोकथाम के लिए अभी तक अधिनियमित नियमों और विनियमों का ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बाबू लाल मरांडी ):** (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1999 में पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट जारी की है जिसमें प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट, परिसंकटमय पदार्थ प्रबंधन, स्वच्छ प्रौद्योगिकियां और इनसे सम्बद्ध विषयों से संबंधित मामले शामिल हैं। पर्यावरण पर सरकार की नीति, राष्ट्रीय संरक्षण कार्य नीति और पर्यावरण एवं विकास पर नीति विवरण 1992, प्रदूषण निवारण के लिए नीति विवरण 1992 तथा राष्ट्रीय वन नीति 1988 में भी दी गई है।

(ग) प्रदूषण को नियंत्रित करने के सांविधक फ्रेमवर्क में निम्नलिखित शामिल है:

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम।
2. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम।
3. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1981 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम।
4. पर्यावरण (निवारण) अधिनियम, 1986 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम।
5. लोक देयता बीमा अधिनियम 1991 और इनके अन्तर्गत बनाए गए नियम।
6. राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम, 1995
7. राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम।

*[अनुवाद]*

## केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

**3566. श्री कोडीकुनील सुरेश :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और विकास के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या केरल में किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार लेन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि राज्य में चार लेन बनाने का काम चल रहा हो, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) केरल राज्य में सात राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनकी कुल लम्बाई 1350 कि.मी. है।

(ख) चार पुल कार्य, एक सड़क एवं पुल कार्य तथा 8 सड़क कार्य जैसे 13 बड़े कार्य प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) 9वीं योजना प्रथम चार वर्षों अर्थात् 1.4.1997 से 31.3.2001 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और विकास पर कुल 288.50 करोड़ रु. खर्च किए जाने हैं। 9वीं योजना के शेष 1 वर्ष अर्थात् 2001-2002 में खर्च की जाने वाली धनराशि निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करती है।

(घ) और (ङ) रा.रा. 47 को अलूवा और अरूर से चेरथला तक चार लेन बनाने का कार्य पूरा होने वाला है। रा.रा. 47 को कोची से वालायर राज्य सीमा तक चार लेन का बनाने का कार्य उत्तर-दक्षिण गलियारे के भुजरोध के रूप में किया जाना है और यह कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। फिलहाल अलूवा से चार लेन बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य

## उड़ीसा उच्च न्यायालय की अलग खंडपीठ

**3567. श्री अनन्त नायक :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केंझरगढ़ में उड़ीसा उच्च न्यायालय की अलग खंडपीठ स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस खंडपीठ के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

## चीतों का विलुप्त होना

**3568. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चीते की मरजर प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में चीतों के संरक्षण हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) और (ख) जी, हां। एशियाई चीता 1947 से देश से विलुप्त हो गया है। इसके विलुप्त होने का प्रमुख कारण वास स्थल की क्षति और अत्यधिक शिकार किया जाना था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा

**3569. श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार कितने गांवों को सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा दिए जाने का विचार है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** मार्च, 2002 तक देश में सभी गांवों को कवर करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, नवीं योजना में 339,659 गांवों को कवर करने का लक्ष्य नियत किया गया था। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

***विवरण***

| क्र.सं. | राज्य | गांवों की कुल संख्या | नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने गांवों को सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अंडमान व निकोबार | 282 | 171 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 29,460 | 8,188 |
| 3. | असम | 22,224 | 14,360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | बिहार | 79,208 | 03,639 |
| 5. | गुजरात | 18,125 | 4,202 |
| 6. | हरियाणा | 6,850 | 340 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 16,997 | 11,922 |
| 8. | जम्मू व कश्मीर | 6,764 | 4,711 |
| 9. | कर्नाटक | 27,066 | 9,585 |
| 10. | केरल | 1,530 | — |
| 11. | मध्य प्रदेश | 71,526 | 36,159 |
| 12. | महाराष्ट्र | 42,060 | 15,935 |
| 13. | गोवा | 407 | 82 |
| 14. | अरूणाचल प्रदेश | 3,599 | 3,092 |
| 15. | मणिपुर | 2,394 | 1,917 |
| 16. | मेघालय | 5,629 | 4,977 |
| 17. | मिजोरम | 770 | 219 |
| 18. | नागालैंड | 1,102 | 720 |
| 19. | त्रिपुरा | 862 | 385 |
| 20. | उड़ीसा | 46,989 | 30,816 |
| 21. | पंजाब | 12,687 | 680 |
| 22. | राजस्थान | 38,634 | 21,309 |
| 23. | तमिलनाडु | 17,991 | 953 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 115,249 | 77,898 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 38,378 | 27,171 |
| 26. | सिक्किम | 427 | 228 |
| 27. | दिल्ली | [illegible] | — |
| | कुल | 607,491 | 339,659 |

**जमाकर्ताओं को भुगतान**

**3570. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :** क्या **वित्त, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** 29 नवम्बर, 1999 के अतारांकित प्रश्न सं. 14 और 20 दिसम्बर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2998 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सी एल बी" आदेशों के अनुसार मैसर्स हीलियोज कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना ने जमाकर्ताओं को 29 फरवरी, 2000 को देय पहली किश्त का अद्यतन ब्याज के साथ पुनर्भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जमाकर्ताओं को समय पर भुगतान और चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को निदेश जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी ने क्या कदम उठाए हैं?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ राजगोपाल):** (क) मैसर्स हीलियोज कार्पोरेशन लिमिटेड एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है। ऐसी कम्पनियों के निक्षेपों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अभी तक इसे मैसर्स हीलियोज कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना से दिनांक 7.10.99 के कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश का अनुपालन किए जाने संबंधी कोई शपथ पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक को जमाकर्ताओं से हीलियोज समूह की कम्पनियों द्वारा निक्षेपों की गैर-अदायगी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) में स्थिति का पहले ही उल्लेख कर दिया गया है।

(घ) मैसर्स हीलीयोज कार्पोरेशन लिमिटेड मैसर्स हैलियोज फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर सामूहिक रूप से कम्पनी विधि बोर्ड के दिनांक 7.10.99 के आदेशों के विरूद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में चले गए हैं। शिकायतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने मैसर्स हीलियोज कार्पोरेशन लिमिटेड के मामले में पटना उच्च न्यायालय में परिसमापन याचिका दायर करने का निर्णय लिया है।

**रामागुन्डम में बड़ा ताप विद्युत स्टेशन**

**3571. श्री राजैया मल्याला :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार रामागुंडम स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बड़े ताप विद्युत घर द्वारा कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम रामागुंडम मे विद्युत उत्पादन बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) वर्ष 1997-98, 1998-99 और वर्ष 1999-2000 के दौरान एनटीपीसी के रामागुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र (2100 मे.वा.) का ऊर्जा उत्पादन निम्नवत है:-

| वर्ष | ऊर्जा उत्पादन (मि.यू.) |
|---|---|
| 1997-98 | 16366 |
| 1998-99 | 15863 |
| 1999-2000 | 16651 |

(ख) और (ग) वर्ष 1999-2000 के लिए निर्धारित 15120 मि.यू. लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2000-01 के लिए रामागुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए 16000 मि.यू. ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एनटीपीसी 1818 करोड़ रु. (1998 की तीसरी तिमाही मूल्य स्तर पर) की अनुमानित लागत पर चरण-III क्षमता अभिवृद्धि के द्वारा रामागुंडम एसटीपीएस का विभिन्न लिंकेज/स्वीकृतियां केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति परियोजना के लिए प्राप्त कर ली गई है।

### विद्युत उत्पादन की लागत

**3572. श्री अधीर चौधरी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना की वर्तमान अवधि के दौरान विद्युत की अपेक्षित औसत लागत कितनी है;

(ख) क्या देश में विद्युत उत्पादन की लागत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 की अवधि के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकृत जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाट अधिष्ठापना की अनुमानित लागत जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 3.40 करोड़ रु. से 7.47 करोड़ रु. और कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए 4.50 करोड़ रु. और सीसीजीटी परियोजनाओं के लिए 2.80 करोड़ रु. से 3.20 करोड़ रु. भिन्न-भिन्न होती है (संयंत्र के आकार पर निर्भर)।

(ख) से (घ) ईंधन, परिवहन, पूंजीगत लागत में भिन्नता और टैक्स रिजिम में अन्तर के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर और देश में विद्युत उत्पादन की लागत की तुलना करना कठिन है।

### पोस्टल मेल नेटवर्क

**3573. श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलैक्ट्रानिक संचार के प्रारम्भ होने में विशेषकर महानगरों में डाक विभाग में वनिक डाक यातायात में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान नगर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की गिरावट से डाक संबंधी बुनियादी सुविधाएं प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) विश्वव्यापी नेटवर्क की तुलना में भारतीय पोस्टल मेल नेटवर्क की वर्तमान स्थिति क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) और (ख) इलेक्ट्रानिक संचार की शुरूआत होने के बावजूद, देश में डाक परियात में कुल मिलाकर कोई कमी नहीं हुई है। यह विभाग द्वारा निपटाए गए कुल डाक परियात से स्पष्ट है, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान निपटाए गए डाक परियात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

| वर्ष | कुल डाक परियात |
|---|---|
| 1996-97 | 1479.52 करोड़ |
| 1997-98 | 1545.75 करोड़ |
| 1998-99 | 1549.82 करोड़ |

वस्तुत:, बैंगलूर, चेन्नई, कलकत्ता और हैदराबाद जैसे कुछ महानगरों में डाक की मात्रा में या तो वृद्धि हुई है अथवा वह

स्थिर रही है। हालांकि, दिल्ली में डाक परियात में कुछ मामूली कमी आई है। मुम्बई में वर्ष 1997-98 के महानगर डाक परियात में 1996-97 के आंकड़ों की तुलना में कमी आई लेकिन यह कमी पड़ोसी जिलों में डाक संचालन और वितरण में तेजी लाने के लिए उन क्षेत्रों की डाक को सीधे वैकल्पिक मार्गों द्वारा भेजकर मुम्बई में डाक परियात के संकुलन को कम करने की विभाग की नीति के कारण आई।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हालांकि, विभाग द्वारा निपटाए गए डाक परियात में कोई कमी नहीं आई है, फिर भी, सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाकर डाक परियात बढ़ाने के लिए नियमित आधार पर कदम उठाए गए हैं। कुछ कदम इस प्रकार हैं:

(1) मुम्बई और चेन्नई में आटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग प्रणालियों की संस्थापना।

(2) डाक कार्यालयों में पंजीकरण छंटाई कार्य का कम्प्यूटरीकरण।

(3) ट्रांजिट डाक कार्यालयों का चरणबद्ध ढंग से कम्प्यूटरीकरण।

(4) डाक का ग्रीन चैनल, मेट्रो चैनल, राजधानी चैनल, बिजनैस चैनल आदि जैसे विभिन्न चैनलों में पृथक्कीकरण।

(5) मेल प्रोसेसिंग प्रणाली तथा वितरण कार्य की नियमित मॉनीटरिंग।

(6) डाक प्रेषण तथा वितरण प्रणाली को कारगर बनाने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर खाइव मेल सर्वे।

(ङ) जहां तक विश्वव्यापी डाक नेटवर्क की तुलना में भारत के पोस्टल मेल नेटवर्क की स्थिति का संबंध है, 1993 से 1997 की अवधि के दौरान, विश्व भर में पत्र डाक की मद की मात्रा में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि उसकी तुलना में उसी अवधि के दौरान भारत में 21.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जहां तक डाक नेटवर्क का संबंध है, विश्व में भारत का डाक नेटवर्क सबसे बड़ा है जिसमें समूचे देश में 1,54,149 डाकघर हैं।

*[हिन्दी]*

**मध्य प्रदेश में छतरपुर डाक संभाग में अनियमितताएं**

**3574. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जनप्रतिनिधियों द्वारा मध्य प्रदेश के छतरपुर डाक संभाग में कर्मचारियों की समस्याओं और अनियमितताओं के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1) वर्ष 1996-97 में प्राप्त अभ्यावेदन

- श्री एस.डी. वशिष्ठ द्वारा डिवीजनल प्रमुख, छतरपुर के पद की शक्तियों का दुरूपयोग तथा उनके तत्काल स्थानांतरण के बारे में तत्कालीन संचार मंत्री को संबोधित श्री जार्ज फर्नांडीज, संसद सदस्य का दिनांक 6.12.96 का अभ्यावेदन।

- श्री एस.डी. वशिष्ठ द्वारा डिवीजनल प्रमुख, छतरपुर के पद की शक्तियों का दुरुपयोग तथा उनके तत्काल स्थानान्तरण के बारे में तत्कालीन संचार मंत्री को संबोधित सुश्री उमा भारती, संसद सदस्य का दिनांक 4.1.97 का अभ्यावेदन।

(2) वर्ष 1999 में प्राप्त अभ्यावेदन

- श्री एस.डी. वशिष्ठ, अधीक्षक डाकघर, छतरपुर द्वारा स्टाफ के सदस्य के साथ दुव्यर्वहार, नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन, एएसपीओ, टीकमगढ़ द्वारा भ्रष्टाचार, अतिरिक्त विभागीय पदों पर अनियमित नियुक्तियां, कर्मचारियों को परेशान करना तथा भत्तों की मंजूरी में अनियमितताओं के बारे में संचार मंत्री को संबोधित श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, संसद सदस्य का अभ्यावेदन।

(ग) वर्ष 1996-97 में प्राप्त उक्त अभ्यावेदनों की जांच कराई गई थी।

श्री एस.डी. वशिष्ठ, अधीक्षक डाकघर छतरपुर के विरुद्ध लगाए गए अधिकांश आरोप सिद्ध नहीं हुए। अधिकारी के विरुद्ध विजिलेंस का भी कोई मामला नहीं था। अत: अधिकारी को किसी वैध कारण के बिना उक्त डिवीजन से स्थानांतरित करना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया। जन प्रतिनिधियों को भी उपयुक्त उत्तर भेज दिए गए जिन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं तथा छतरपुर डिवीजन में बरती गई अनियमितताओं का मामला उठाया था।

जहां तक अधिकारी के विरुद्ध 1999 में प्राप्त अभ्यावेदन का संबंध है, इसकी जांच की जा रही है।

*[अनुवाद]*

**प्रतिस्पर्द्धात्मक एस.टी.डी. कॉल मूल्य प्रणाली**

3575. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **संचार मंत्री** यह ...ा करेंगे कि:

(क) क्या सस्ती दरों पर दूर-संचार सेवा मुहैया कराये जाने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सामान्य और व्यस्ततम अवधि के दौरान एस.टी.डी. कॉलें सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी:

(घ) यदि हां, तो क्या वर्तमान उपकरण और एस.टी.डी. लाइनें दिन के अधिकांश समय के दौरान पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक एस.टी.डी. कॉल मूल्य-प्रणाली शुरू करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) इससे कितने अतिरिक्त राजस्व की वसूली की जाने की संभावना है; और

(झ) सरकार द्वारा कम मूल्य वाली एस.टी.डी. कॉलों और कुल राजस्व के बीच संभावित सहसंबंधों का अध्ययन करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री तपन सिकदर):** (क) और (ख) समय-समय पर दूरसंचार सेवाओं की दरें कम करने के लिए आम जनता और उपभोक्ता संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। अब दूरसंचार सेवाओं के लिए शुल्क नियत करने की शक्तियां, टी.आर.ए.आई. अधिनियम, 1997 के खंड 11(2) के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सौंप दी गई हैं।

(ग) 1 मई, 1999 से एस टी डी दरें लगभग 20% तक कम की गई हैं। इसके अतिरिक्त अव्यस्त घंटों के दौरान पहले से ही रियायती दरें लागू हैं।

(घ) और (ङ) एस टी डी उपस्कर का डिजाइन, व्यस्त घंटों के परियात को संभालने के लिए, बनाया गया है। तथापि 24 घंटों के दौरान परियात, 4 टायर शुल्क ढांचे और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के कारण, अलग-अलग हैं। दिन के कुछ भाग और देर रात के घंटों के दौरान जब परियात कम होता है, सरकिट परियात को अपनी पूरी क्षमता तक नहीं ले जाते हैं। किन्तु, यह विश्व के लगभग सभी दूरसंचार नेटवर्कों में सामान्य बात है।

(च) से (ज) टी आर ए आई ने अपने टैरिफ आदेश में ऑपरेटरों को छूट दी है कि वे निर्धारित उच्चतम सीमाओं के भीतर, अपने उपभोक्ताओं को वैकल्पिक शुल्क पैकेज प्रदान करें।

इस प्रकार इससे एस टी डी कॉलों के मूल्य में प्रतियोगिता आ जाती है। तथापि, जैसा कि उपर्युक्त (ग) के उत्तर में स्पष्ट किया गया है, अतिरिक्त राजस्व का प्रश्न नहीं उठता।

(झ) अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, एस टी डी प्रभारों की कमी से, राजस्व के बढ़ने की अपेक्षा इसमें कमी आई है, जिससे कम मूल्य की एस टी डी कॉलों और कुल राजस्व के बीच एकारात्मक लोचकता का अभाव प्रदर्शित होता है।

**हिन्दी का प्रयोग**

3576. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजभाषा के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण***

*राजभाषा स्वर्ण जयन्ती वर्ष के दौरान आयोजित किए जा रहे/ प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण*

1. स्वर्ण जयन्ती वर्ष के आरम्भ में ही 14 सितम्बर से 30 सितम्बर, 1999 के दौरान हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न कार्यक्रम/प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

2. हिन्दी कार्यशालाएं प्रत्येक तिमाही पर आयोजित की जा रही हैं।

3. मंत्रालय के अलग-अलग फील्ड कार्यालयों द्वारा गृह पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने ''तरंग'' नामक पत्रिका प्रकाशित की है और हिन्दी में ''नमन'' नामक एक पुस्तक का संकलन भी किया है।

4. हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिंदी टेलीफोन डायरेक्टरियां हिन्दी में उपलब्ध करायी जा रही हैं।

5. मंत्रालय के सभी तीनों विभागों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है और कम्प्यूटर पर हिन्दी का इस्तेमाल करने के लिए स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया है तथा हिन्दी साफ्टवेयर उसमें लोड भी कर दिया गया है।

6. डाक, दूरसंचार और दूरसंचार सेवा विभाग की हिन्दी सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है।

7. सभी कार्यालयों को, रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने और राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं।

8. विभिन्न सर्किल कार्यालयों में वर्ष के दौरान अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं/ किए जाने का प्रस्ताव है।

9. विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक कलेण्डर बनाया गया है, और तदनुसार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभाग के कर्मचारियों के परिवारजनों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

**मतदाताओं को पहचान पत्र**

**3577. श्री किरीट सोमैया :**
**श्री अजय सिंह चौटाला :**

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने सन्  से देश के सभी मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने  व्यवस्था करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर 1999 तक किन-किन राज्यों में सभी मतदाताओं को पहचान पत्र जारी कर दिये गये हैं;

(ग) वे कौन से राज्य हैं जिनमें फरवरी, 2000 में हुए चुनाव में पहचान पत्र दिखाने पर ही मत डालना आवश्यक कर दिया गया था और किस आधार पर यह निर्णय लिया गया;

(घ) क्या हरियाणा सरकार ने अपने सभी नागरिकों को पहचान पत्र जारी कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो किन राज्यों ने पहचान पत्र जारी करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(च) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार ने निर्वाचन आयोग के आदेशों को लागू करने और प्रत्येक राज्य में पहचान पत्र के आधार पर मत डालने को अनिवार्य करने के लिये क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल):** (क) जी, हां।

(ख) देश के सभी निर्वाचकों को अभी तक फोटो पहचान-पत्र जारी नहीं किए जा सके हैं। अब तक अड़तीस करोड़ निर्वाचकों को, जो देश के पात्र निर्वाचकों के 62 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, फोटो पहचान-पत्र प्रदान किए गए हैं। यह स्कीम जम्मू-कश्मीर राज्य में अभी तक विस्तारित नहीं की गई है।

असम और मिजोरम में भी अभी तक यह कार्य आरम्भ नहीं हुआ है जबकि इन राज्यों में यह कार्यक्रम विस्तारित किया जा चुका है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, निर्वाचकों को फोटो पहचान-पत्र दिए जाने की स्कीम कोई परियोजना नहीं है बल्कि यह एक अनवरत कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम के पूरा होने की कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती। निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण एक निरंतर (नामनिर्देशन फाइल करने की अंतिम तारीख तथा निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक की बीच की अल्पावधि के सिवाय) प्रक्रिया है। अत:, रजिस्ट्रीकृत निर्वाचकों को फोटो पहचान-पत्र देने की स्कीम भी एक अनवरत कार्यक्रम है और इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक नया निर्वाचक आता है।

(ग) हरियाणा विधान-मंडल के लिए फरवरी 2000 में हुए साधारण निर्वाचन में निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत किए जाने के लिए जोर डाला गया था। आयोग ने, ऐसे निर्वाचकों की पहचान के लिए, जिन्हें फोटो पहचान-पत्र नहीं दिए गए हैं, अन्य उपाय भी विहित किए थे।

नहीं। कुल 11,107,835 निर्वाचकों में से 9831,338 फोटो पहचान-पत्र दिए गए हैं।

(ङ) किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने, निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त नहीं की है। तथापि, यह स्कीम अभी तक जम्मू-कश्मीर राज्य में विस्तारित नहीं की गई है। असम और मिजोरम में भी अभी तक यह कार्य आरम्भ नहीं किया गया है जबकि इन राज्यों में यह कार्यक्रम विस्तारित किया जा चुका है।

(च) सरकार ने, इस कार्यक्रम के लिए अपना समर्थन दिया है और वह इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक निधि की भी व्यवस्था कर रही है। यह निधि संघ और राज्य सरकार के अंश के द्वारा 50 : 50 के आधार पर बराबर-बराबर उपलब्ध कराई जाएगी।

(छ) स्कीम को निर्वाचन आयोग द्वारा मानीटर किया जा रहा है। आयोग ने बताया है कि निर्वाचक नामावली में नए नाम शामिल किए जाने के कारण किसी नियत समय बिन्दु पर सभी निर्वाचकों को संपूर्णतया इस स्कीम के अंतर्गत लाना संभव नहीं है। फिलहाल मतदान के समय फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करना आज्ञापक बनाने के लिए सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग के 1994 के आदेश उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायाधीन हैं।

*[अनुवाद]*

**फौजदारी न्यायालयों में लम्बित मामले**

**3578. श्री वैको :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित फौजदारी के मामलों की संख्या दीवानी के मामलों की संख्या से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दीवानी मामलों की तरह इन मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल):** (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, उपलब्ध जानकारी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार ने, विधि आयोग आदि जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह और सिफारिशों के आधार पर, प्रक्रिया को सरल बनाने और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनको ध्यान में रखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 संसद् के विचाराधीन है। विधि आयोग ने भी अपनी 154वीं रिपोर्ट में इस संबंध में, अनेक सिफारिशें की हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने, मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अनेक उपाय किए हैं, जैसे विधि के समान प्रश्न वाले मामलों का समूहन और वर्गीकरण, विशेषित न्यायपीठों की स्थापना, अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण आदि।

सरकार द्वारा विभिन्न अन्य उपाय भी किए गए हैं जिनमें छोटे-छोटे आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायिक/मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, 1996 की रिट याचिका (सिविल) सं. 1128-कामन काज बनाम भारत संघ में तारीख 1-5-96 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिए गए निदेशों के अनुसरण में, अधीनस्थ न्यायालयों को छोटे अपराधों से संबंधित ऐसे मामले, जो दो या अधिक वर्षों से लंबित हैं, और जिनमें कार्यवाहियां आरंभ नहीं हुई हैं, बंद करने के निदेश दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में, उच्चतम न्यायालय के 13.10.1999 और

7.12.1999 को पारित आदेशों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ने, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ऐसे विचाराधीन कैदियों, जो देश की विभिन्न जेलों में पड़े हुए हैं, के मामलों का शीघ्रतापूर्ण निपटान करने के लिए अति आवश्यक कदम उठाने के लिए भी लिखा है।

*विवरण*

*उच्च न्यायालयों में लंबित सिविल और दांडिक मामलों का विवरण*

| क्र.सं. | उच्च न्यायालय का नाम | सिविल | दांडिक | निम्नलिखित तारीख को |
|---|---|---|---|---|
| 1. | इलाहाबाद | 690666 | 125366 | 9/99 |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | 127047 | 8518 | 12/99 |
| 3. | बम्बई | 260105 | 24098 | 12/99 |
| 4. | कलकत्ता | 268342 | 37356 | 9/99 |
| 5. | दिल्ली | 152308 | 18593 | 6/99 |
| 6. | गौहाटी | 33034 | 5003 | 12/99 |
| 7. | गुजरात | 105403 | 16129 | 12/99 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 9345 | 2583 | 12/99 |
| 9. | जम्मू-कश्मीर | 69917 | 2034 | 9/99 |
| 10. | कर्नाटक | 78128 | 4359 | 9/99 |
| 11. | केरल | 87015 | 9888 | 12/99 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 63121 | 40699 | 12/99 |
| 13. | मद्रास | 323712 | 33383 | 9/99 |
| 14. | उड़ीसा | 105242 | 9306 | 9/99 |
| 15. | पटना | 66962 | 15950 | 9/99 |
| 16. | पंजाब और हरियाणा | 148837 | 29160 | 9/99 |
| 17. | राजस्थान | 97720 | 21778 | 9/99 |
| 18. | सिक्किम | 170 | 33 | 9/99 |
| | कुल | 26,87,074 | 4,04,236 | |

**प्राकृतिक मिनरल वाटर उत्पाद**

**3579. श्री सुकदेव पासवान :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 फरवरी, 2000 को "दि टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हिमालयन नेचुरल वाटर के विज्ञापन की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी कोई अनुमति दी है या विज्ञापन के जरिए इस उत्पाद के विपणन के पहले इसकी परीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो एम आर टी पी अधिनियम के अन्तर्गत विज्ञापनदाता के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल):** (क) जी, नही।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

## इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वालों को सुविधाएं

**3580. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जनवरी, 2000 के "इकॉनामिक टाइम्स" में "डॉट प्रपोजेज फाइव ईयर आई टी ब्लूप्रिंट फॉर नेट एक्सेस प्रोवाइडर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस उद्योग के विकास की संभावना की तुलना में इस प्रस्ताव के वित्तीय प्रभावों का ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) और (ख) जी हां। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करने के प्रश्न सहित, प्रमुख समाचार-पत्रों (विशेषकर वित्तीय समाचार पत्रों) में प्रकाशित नीति संबंधी मुद्दों को प्रभावित करने वाली सभी न्यूज आइटमों पर बजटीय प्रक्रिया के समय विचार किया जाता है।

(ग) इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई.एस.पी.) की अनुसंरचना सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटि) को परिभाषा के अधीन शामिल करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विधिवत रूप से विचार किया गया था तथा आयकर अधिनियम के अंतर्गत इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इस परिभाषा के अंतर्गत शामिल न करने का निर्णय लिया गया। तथापि, अपने नेटवर्क के संस्थापना के लिए आई.एस.पी. को कुछ विशेष अवसंरचना उपस्कर के आयात पर सीमा शुल्क में छूट का लाभ प्रदान किया गया है।

(घ) चूंकि इस प्रस्ताव की वित्तीय विवक्षाएं इस को लेने वाली सेवा प्रदाताओं की संख्या तथा उनके द्वारा लिये जाने वाले लाभ की सीमा, यदि कोई हो, पर निर्भर करती है, अत: वित्तीय विवक्षाओं का आंकलन करना संभव नहीं है।

## पाकिस्तान से बिजली की खरीद

**3581. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान से बिजली खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रति मेगावाट बिजली की दर क्या होगी और दोनों देशों के मध्य ट्रांसमिशन मूल्य का बंटवारा किस प्रकार होगा?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) से (ग) पाकिस्तान से विद्युत की खरीद करने का एक प्रस्ताव तैयार किया गया था। पाकिस्तान से विद्युत की आपूर्ति के संबंध में दो दौर की वार्ताएं हुई थीं। वार्ता के दूसरे दौर के दौरान पाकिस्तान सरकार ने अगले 10 वर्षों के लिए भारत को निर्यात हेतु 300 मे.वा. क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित की है। इस क्षमता को दोनों तरफ प्रणाली की तकनीकी सीमाओं के आधार पर कुछ समयावधि के दौरान उपलब्धता के अनुसार 600 मे.वा. तक बढ़ाया जा सकता है। विद्युत की खरीद हेतु प्रचालन समझौतों, दरों और टैरिफ के संबंध में निर्णय लेने की पद्धति पर भी चर्चा की गई थी तथापि, इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

*[हिन्दी]*

## ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का विस्तार

**3582. श्री शिवराज सिंह चौहान :**
**श्रीमती शीला गौतम :**
**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस हेतु निर्धारित अनुमानित राशि कितनी है और इस योजना से राज्यों में राज्यवार कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) से (ग) योजना आयोग वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा विस्तृत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम निष्पादित करने के प्रति राज्यों की तत्परता के आधार पर राज्यों के लिए लक्ष्यों और वित्तीय परिव्ययों को वार्षिक आधार पर अंतिम रूप प्रदान करता है। योजना आयोग ने नौवीं योजना अवधि के दौरान देश में 30000 गांवों के विद्युतीकरण तथा 20,00,000 पमपसेटों के ऊर्जीकरण की परिकल्पना की है। तथापि, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने नौवीं योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 7000 गांवों के विद्युतीकरण और 740,000 पम्पसेटों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। दिसम्बर, 1999 के अंत में आरईसी ने 6281 गांवों के विद्युतीकरण और 649000 पम्पसेटों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया है।

*[अनुवाद]*

## लाहौर बस सेवा

**3583. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लाहौर बस सेवा को बंद करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो उससे देश को होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

## अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/विकलांग व्यक्तियों हेतु रिक्त पद

**3584. श्री राधामोहन सिंह :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/विकलांग व्यक्तियों हेतु कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) ये पद किस तारीख से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) इन रिक्तियों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

## प्राकृतिक गैस का उत्पादन और खपत

**3585. श्री नवल किशोर राय :**
**श्री अनंत कुमार :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा दिसंबर, 1999 तक देश में प्राकृतिक गैस का वर्षवार कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्राकृतिक गैस की कुल मात्रा के कितने प्रतिशत का उपयोग किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उपयोग नहीं किया जा सका तथा इसका अनुमानित मूल्य कितना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) और (ख) विगत तीन वर्षों तथा दिसंबर, 1999 तक उत्पादित प्राकृतिक गैस की कुल मात्रा तथा इसका उपयोजित प्रतिशत निम्नवत् हैं:-

(बिलियन घन मीटर) (बी सी एम)

| वर्ष | उत्पादन | प्रतिशत उपयोजित |
|---|---|---|
| 1996-97 | 23.255 | 92.4 |
| 1997-98 | 26.401 | 92.9 |
| 1998-99 | 27.428 | 93.8 |
| अप्रैल से दिसंबर, 99 तक | 21.348 | 94.5 |

(ग) विगत तीन वर्षों तथा दिसंबर, 1999 तक प्राकृतिक गैस की वह मात्रा जो उपयोग में नहीं लाई जा सकी निम्नवत् हैं:-

अनउपयोजित

| वर्ष | (बिलियन घन मीटर) |
|---|---|
| 1996-97 | 1.760 |
| 1997-98 | 1.879 |
| 1998-99 | 1.712 |
| अप्रैल से दिसंबर, 99 तक | 1.168 |

अनउपयोजित गैस के लिए कोई निश्चित मूल्य नहीं बताया जा सकता है क्योंकि गैस की ऐसी मात्रा या तो तकनीकी कारणों से अथवा विकास के प्रतिकूल अर्थतंत्र के कारण या क्षेत्रों की विकास अवस्थाओं की तात्कालिकताओं के कारण विक्रय योग्य

**भराली नदी पर पुल का निर्माण**

**3586. श्री एम.के. सुब्बा :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तेजपुर को जमुगुरीघाट से जोड़ने के लिए जिया भराली नदी पर एक सड़क पुल के निर्माण हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) यह पुल कब तक पूरा हो जाएगा?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) से (घ) रा.रा.-52 के घुमावदार रास्ते में पर्याप्त कमी लाने के लिए चौकीघाट के निकट जिया भराली नदी पर एक पुल बनाने का प्रस्ताव है। चूंकि, पिछली मानसून के दौरान नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है अत: परामर्शदाता द्वारा पहले प्रस्तावित परियोजना रिपोर्ट की पूर्णतया समीक्षा करनी पड़ेगी। परामर्शदाता ने नए प्रस्ताव तैयार करने से पहले परियोजना हेतु माडल अध्ययन का सुझाव दिया है। असम लो.नि.वि. माडल अध्ययन संबंधी कार्य किसी विशिष्ट एजेंसी को सौंपने के लिए आवश्यक प्रयास कर रहा है।

अभी से पुल की अनुमानित लागत और इसे पूरा करने की समय सीमा के बारे में बताना कठिन है।

**राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना**

**3587. श्री विलास मुत्तेमवार :**
**श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :**
**श्री चन्द्रभूषण सिंह :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समूचे देश को सड़कों के नेटवर्क से जोड़ने के उद्देश्य से किसी राष्ट्रीय राजमार्ग से किसी क्षेत्र को लिंक करने हेतु दूरी की कोई सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बाद के चरण में इस सीमा को आधा कर दिया जाएगा;

(घ) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण और उनको पूरा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की यदि कोई योजनाएं हैं तो वे योजनाएं क्या हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) जी हां।

(ख) रा.रा. नेटवर्क में इस अंतिम लक्ष्य के साथ धीरे-धीरे विस्तार किया जाना है कि किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर देश के किसी भी भाग से 50 कि.मी. की दूरी के भीतर पहुंचना सुनिश्चित हो सके।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) रा.रा. नेटवर्क का विस्तार-कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(च) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना निष्पादित करने का अधिदेश दिया गया है। कार्यान्वयन के लिए वित्त की उपलब्धता पेट्रोल और डीजल संबंधी

उपकर, विदेशी सहायता (विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक इत्यादि से ऋण), बाजार से उधार लेकर और निजी निवेश इत्यादि के जरिए कराई जाएगी।

*[हिन्दी]*

**काण्डला पत्तन पर जन प्रतिनिधियों की नियुक्ति**

**3588. श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काण्डला पत्तन न्यास पर जन प्रतिनिधियों की नियुक्ति के संबंध में सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) वाडिनार पत्तन पर गत पांच वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी राशि का व्यापार हुआ है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार को कितना वित्तीय लाभ और अन्य लाभ प्राप्त हुए?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान वडीनार पत्तन पर हुए व्यापार की कुल राशि निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु.)

| वर्ष | नियोजित पूंजी | राजस्व |
|---|---|---|
| 1994-95 | 187.52 | 33.09 |
| 1995-96 | 208.27 | 35.38 |
| 1996-97 | 228.26 | 37.32 |
| 1997-98 | 250.60 | 42.68 |
| 1998-99 | 287.45 | 61.62 |

उक्त अवधि के दौरान केन्द्र और राज्य सरकार को कोई वित्तीय लाभ और अन्य लाभ नहीं हुए।

*[अनुवाद]*

**महाराष्ट्र में एम ए आर आर प्रणाली**

**3589. श्री चिंतामन वनगा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में विशेषकर थाणे जिले में दूरसंचार विभाग द्वारा मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो (एमएआरआर) प्रणाली के कितने टेलीफोन लगाए गये हैं;

(ख) क्या सरकार को इस प्रणाली के न काम करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर)**: (क) सम्पूर्ण महाराष्ट्र में एम ए आर आर प्रणाली पर संस्थापित किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या 18,848 है जिनमें से थाने जिले में 576 गांवों में इस प्रणाली पर टेलीफोन संस्थापित किए गए हैं।

(ख) से (घ) एम ए आर आर प्रणालियों के असंतोषजनक कार्यकरण की शिकायतें मिली हैं। इस प्रौद्योगिकी का कार्य निष्पादन आशा के अनुरूप नहीं रहा है। सरकार ने इसकी सेवा को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

(1) सुबह के पर्यवेक्षन को बढ़ा दिया गया है।

(2) खराब/गायब बैटरी उपस्कर तथा सौर पैनलों को यथावश्यक रूप से बदला जा रहा है।

(3) उपस्कर की मरम्मत के लिए आपेक्षकृत अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा हैं। खराब उपस्करों की मरम्मत के लिए कतिपय सर्किलों में कार्यशालाओं की स्थापना की गई हैं। वार्षिक मरम्मत संविदा के तहत आपूर्तिदाता भी खराब उपस्करों की मरम्मत करते हैं।

[हिन्दी]

**बिहार में जल विद्युत और ताप विद्युत केन्द्र**

**3590. श्री ब्रज मोहन राम**: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के पलामु और गढ़वा में वे कौन-से स्थान हैं जहां सरकार का विचार जल विद्युत या ताप विद्युत केन्द्र लगाने का है और इस संबंध में अन्य ब्यौरें क्या हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** बिहार में गढ़वा/रोहतास तथा पलामु जिलों में निम्नांकित हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा परियोजना अधिकारियों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए लौटा दी गई हैं:-

1. कधवान एच.ई. प्रोजेक्ट (450 मे.वा.) बिहार के गढ़वा व रोहतास जिलों में कधवान एच.ई. प्रोजेक्ट (5×90 मे.वा.) का 759.90 करोड़ रुपये (जनवरी, 1994 कीमत स्तर) का अनुमानित डीपीआर फरवरी, 1995 में बिहार हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (बीएचपीसी) से सीईए में प्राप्त हुआ। कधवान सिंचाई, हाइड्रो पावर तथा बाढ़ नियंत्रण जैसे प्रमुख लक्ष्यों सहित सोन नदी पर स्थित बहुद्देशीय परियोजना है। डीपीआर मार्च, 1995 में बीएचपीसी को इस अनुरोध के साथ वापस किया था। कि जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार समन्वय से बहुद्देशीय परियोजना के लिए समन्वित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।

2. कन्हार पम्पड स्टोरेज स्कोम (300 मे.वा.):- बिहार के पलामू जिले में 242.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 1989 की कीमत पर (कन्हार पम्पड स्टोरेज स्कीम (3×100 मे.वा.), जनवरी 1990 में बीएचपीसी से प्राप्त हुई थी। जुलाई, 1990 में डीपीआर बीएचपीसी को वापस कर दिया गया था ताकि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के साथ परामर्श से संशोधन किया जा सके और सीईए/सीडब्ल्यूसी की सिफारिशों का अनुपालन किया जा सके।

बिहार के पलामू तथा गढ़वा में थर्मल विद्युत स्टेशन की स्थापना के लिए बीएसईबी अथवा किसी अन्य एजेंसी से सीईए में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*[अनुवाद]*

**"यमुना में प्रदूषण"**

**3591. श्री माधवराव सिंधिया:**
**श्री उत्तमराव पाटील:**
**श्री पी एस गड़वी:**
**श्रीमती कान्ति सिंह:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यमुना में कचरा बहाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यमुना के हरियाणा और दिल्ली में प्रवेश करने से पहले और उससे गुजरने के बाद उसको प्रदूषित करने वाले तत्वों की कितनी मात्रा का पता लगाया गया है;

(ग) क्या दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई करने और उसमें प्रदूषण के स्तर को कम करने हेतु केन्द्र सरकार से किसी सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पर्यावरणीय पहलू के संबंध में फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में गैर सरकारी संगठनों के सतर्कता समूहों द्वारा कौन सी पी.आई.एल. दर्ज करायी गयी है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) यमुना नदी में बहिस्राव निस्तारण करने वाले उद्योगों का विवरण नीचे दिया गया है:-

| क्र.सं. | राज्य | उद्योगों की संख्या | उद्योगों की किस्म |
|---|---|---|---|
| 1. | हरियाणा | 302 | चीनी, स्टार्च, डिस्टिलरी, कागज, उर्वरक, रिफाइनरी, कपड़ा, आर्गेनिक, चर्मशोधन शाला, रंगाई, इलैक्ट्रोप्लेटिंग और कीटनाशी |
| 2. | दिल्ली | 2616 | इलैक्ट्रोप्लेटिंग, एनोडाइजिंग, अचार, रंगाई, हीट ट्रीटमेंट और कारों और वाहनों के लिए सर्विस स्टेशन |
| 3. | उत्तर प्रदेश | 63 | कपड़ा, इलैक्ट्रोप्लेटिंग, दवाईयां और फर्मास्युटिकल्स, डेरी उत्पाद रसायन, चीनी, चर्मशोधनशाला, कागज, पेट्रो रसायन डिस्टिलरी, साफ्टड्रिंक। |

(ख) नदी जल में प्रदूषण जैव-रसायन आक्सीजन मांग, घुलित आक्सीजन और फीकल कॉलीफार्म के माध्यम से दर्शाया गया है। अप्रैल, 1998 से मार्च 1999 की अवधि के लिए नदी जल में इन पैरामीटरों का औसत मान निर्धारित मानक मूल्यों के साथ नीचे दिया गया है।

| पैरामीटर | हथिनीकुंड (हरियाणा में प्रवेश) | पल्ला (दिल्ली में प्रवेश) | आगरा नहर (दिल्ली बाहर) | मानक मान |
|---|---|---|---|---|
| घुलित ऑक्सीजन (मिलीग्राम/लीटर) | 10.3 | 9.7 | 1.4 | 5.0 न्यूनतम |
| जैव रसायन आक्सीजन मांग (मिलिग्राम/लीटर) | 1.0 | 1.7 | 10.6 | 3.0 अधिकतम |
| फीकल कॉलीफार्म अत्यधिक समभाव्य संख्या/100 मिली लीटर | 4732 | 1232 | 1287 | 1379070 |

(ग) और (घ) यमुना कार्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक 10 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले ग्रे सीवेज उपचार संयंत्रों और एक विद्युत शवदाहगृह के निर्माण के लिए दिल्ली को 16.29 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली की सीवेज प्रणाली को पुन: स्थापित करने के लिए सरकार की मार्फत बाह्य वित्तीय सहायता मांगी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 436 करोड़ रुपये है जिसमें सरकार का प्रस्तावित हिस्सा 320 करोड़ रुपये है और दिल्ली का 116 करोड़ रुपये है। प्रस्ताव को बाह्य सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने पर्यावरणीय पहलुओं और यमुना नदी को साफ रखने के लिए फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षित करने और जागरूकता करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. यमुना नदी में मुख्य रूप से जल प्रदूषण फैलाने वाले 5 मुख्य नालों की जल गुणता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए 5 परियोजना निदेशक नियुक्त किए हैं।
2. दोषी यूनिटों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 5 सतर्कता स्क्वैड बनाए गए हैं।
3. 21 औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक बहिस्राव के उपचार के लिए पन्द्रह साझे बहिस्राव उपचार संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। तीन साझे बहिस्राव उपचार संयंत्रों अर्थात् मंगोलपुरी, मायापुरी और वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य आदेश पहले ही दे दिए गए हैं।
4. सोलह नए सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें से 8 पहले ही पूरे हो चुके हैं।

इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार ने अभिनिर्धारित सभी उद्योगों की नियमित निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों एवं फील्ड स्टाफ के तकनीकी दल का गठन किया है। मुख्य प्रदूषणकारी उद्योगों के आकस्मिक निरीक्षण के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निगरानी दस्तों का गठन किया है।

## महानदी-बेसिन में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का भंडार

**3592. श्री प्रभात सामन्तराय :**
**श्री त्रिलोचन कानूनगो :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानदी-बेसिन के तटवर्ती और दूर-दराज इलाकों तथा बंगाल की खाड़ी में पेट्रोल, तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार होने का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में पेट्रोल, तेल और प्राकृतिक गैस के समुचित दोहन के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलिय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): 

(क) और (ख) महानदी के तटीय और अपतटीय क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के किसी बड़े भंडार की खोज नहीं हुई है। तथापि, कृष्णा-गोदावरी, कावेरी बेसिनों और अंडमान अपतट में 13 हाइड्रोकार्बनधारक संरचनाओं की खोज हुई है। इनमें से तीन तेल धारक संरचनाएं वाणिज्यिक उत्पादन के तहत हैं। वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य खोजों के विकास के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

**पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अंतर**

**3593. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पड़ोसी देशों में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अंतर है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री संतोष कुमार गंगवार ):** (क) और (ख) भारत तथा पड़ोसी देशों के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के बीच अंतर उत्पाद दर उत्पाद अलग होता है। 1.3.2000 की तारीख के अनुसार तेल समन्वय समिति द्वारा संबंधित बाजार स्रोतों से एकत्र किए गए मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य, जो भारत में प्रशासित हैं, तथा पड़ौसी देशों में इनके मूल्य निम्न हैं:-

| देश | मिट्टी तेल | | डीजल | | एल पी जी | | पेट्रोल | | ए टी एफ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | रु./लीटर | प्रतिशत | रु./लीटर | प्रतिशत | रु./कि.ग्रा. | प्रतिशत | रु./लीटर | प्रतिशत | रु./लीटर | प्रतिशत |
| [illegible] (दिल्ली) | 2.67 | 100.0 | 14.04 | 100.0 | 10.68 | 100.0 | 25.94 | 100.0 | 14.54 | 100.0 |
| बांग्लादेश | 11.04 | 413.5 | 11.04 | 78.6 | 17.19 | 161.0 | 17.91 | 69.0 | 13.77 | 94.7 |
| श्रीलंका | 9.15 | 342.7 | 11.41 | 81.3 | 16.68 | 156.2 | 29.70 | 114.5 | 12.21 | 84.0 |
| पाकिस्तान | 9.46 | 354.3 | 9.67 | 68.9 | 15.95 | 149.3 | 24.37 | 93.9 | 9.40 | 64.7 |

*प्रतिशत भारतीय मूल्य के साथ आधार के रूप में दर्शाया गया है।

**ईरान के बलाल तेल क्षेत्र में भारतीय तेल निगम ( आई.ओ.सी. ) की हिस्सेदारी**

**3594. श्री अनंत गंगाराम गीते :**
**श्री सुरेश रामराम जाधव :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईरान के बलाल तेल क्षेत्र में 35 प्रतिशत हिस्सेदारी को प्राप्त करने के लिए भारतीय तेल निगम ने फ्रांस की बहुराष्ट्रीय कंपनी ई एल एफ से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के कदम उठाने के पीछे क्या उद्देश्य है;

(ग) उक्त परियोजना में अमरीकी डालरों में कितनी धनराशि का निवेश किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या यह परियोजना देश में कच्चे तेल की अतिरिक्त आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा;

(ङ) यदि हां, तो इसकी मात्रा कितनी होगी और उसमें शामिल उत्खनन मूल्य क्या होगा;

(च) क्या आई ओ सी और ई एल एफ का विचार भारत में संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास गतिविधियां चलाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री संतोष कुमार गंगवार ):** (क) से (छ) इंडियन आयल कार्पोरेशन ने एल्फ एक्विटेन के साथ उस क्षेत्र में प्रतिभागिता के विषय में अपने हित के संबंध में कुछ चर्चायें की थीं। तथापि, इंडियन आयल कार्पोरेशन तथा एल्फ ने चुनिंदा क्षेत्रों, जिनमें अनुसंधान एवं विकास सम्मिलित हैं, के अंतर्गत सहयोजन के लिए समझौता ज्ञापन किया है।

*[हिन्दी]*

**बिहार में स्पीड पोस्ट सेवा**

**3595. श्री सुबोध राय :**
**श्री राजो सिंह :**

**क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **क्या** सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान बिहार के भागलपुर, शेखपुरा, लखीसराय और जमुई जिलों में स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन जिलों में उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध हो जाएगी?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) बिहार के भागलपुर, शेखपुरा, लखीसराय तथा जामुई जिलों के जिला मुख्यालयों में राज्य स्पीड पोस्ट नेटवर्क प्रणाली के अंतर्गत स्पीड पोस्ट सुविधा पहले ही उपलब्ध है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

*[अनुवाद]*

**दूर संचार संबंधी उपदल का प्रतिवेदन**

**3596. श्री के.पी. सिंह देव :**
**श्री रामशेठ ठाकुर :**
**श्री ए. वेंकटेश नायक :**

**क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **क्या** दूर संचार आपरेटरों की समस्याओं की जांच कर रहे उपदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) **सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;**

(घ) **क्या** दल की सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या वी.एस.एन.एल. तथा एफ.एल.ए.जी. टेलीकॉम के बीच कोई विवाद है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार हेतु कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) से (ङ) सरकार ने दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी कन्वर्जेन्स से संबंधित एक दल का गठन किया है। इस दल ने इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) संबंधी नीति के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं का निदान करने एवं उनकी शिनाख्त करने के साथ-साथ नई दूरसंचार नीति, 1999 का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार के क्षेत्र में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु उपायों की अनुशंसा करने एवं उनकी शिनाख्त करने तथा ई-कामर्स के त्वरित प्रसार के उपायों की अनुशंसा करने के लिए एक उप दल का गठन किया गया है।

उपदल की सिफारिशों पर दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी कन्वर्जेन्स से संबंधित दल द्वारा विचार किया जाना होता है। सरकार मामले से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् दल की सिफारिशों पर कार्रवाई करेगी।

सरकार ने माइग्रेशन पैकेज के अन्तर्गत लाइसेंस शुल्क की 65% शेष धनराशि का भुगतान करने की अन्तिम तिथि 31 जनवरी, 2000 को 15 मार्च, 2000 तक बढ़ाने के संबंध में उप दल की प्रथम अन्तरिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। इस निर्णय को कार्यान्वित कर दिया गया है।

उप दल की द्वितीय अन्तरिम रिपोर्ट दल को प्रस्तुत कर दी गयी है। दल द्वारा इस रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की जानी हैं।

उप दल की तृतीय अन्तरिम रिपोर्ट दल को भी प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है।

(च) से (ज) इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) ने इस बात का एक अभ्यावेदन किया है कि उन्हें फ्लैग सबमैरिन केबुल से सीधी सम्पर्कता की अनुमति दी जानी चाहिए। यह मामला वीएसएनएल और फ्लैग के बीच व्यावसायिक व्यवस्था के अन्तर्गत आता है। यह मामला उप दल के विचाराधीन है। दल की सिफारिशों के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

## उत्तरांचल में दूरसंचार और डाक सुविधाएं

**3597. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी :** क्या संचार मंत्री अपर्याप्त दूरसंचार और डाक नेटवर्क के बारे में 6 मार्च, 2000 के तारांकित प्रश्न संख्या 141 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तरांचल के दूरस्थ, अल्प विकसित पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार और डाक नेटवर्क सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना और इसके लिए पहचाने गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पौड़ी गढ़वाल, चमोली और रूद्रप्रयाग जिलों के कितने ग्रामों में ये सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं और इनमें से जिले-वार कितने गांवों में ये अभी उपलब्ध कराई जानी बाकी हैं;

(घ) क्या इन जिलों के छोटे कस्बों और गांवों में वर्तमान सुविधाएं कार्य नहीं कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और उन्हें सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) जी, हां। दूरसंचार सुविधा रहित सभी गांवों को मार्च, 2002 तक उत्तरोत्तर रूप से कवर किए जाने का प्रस्ताव है। निर्धारित मानकों के आधार औचित्य सिद्ध होने पर तथा संसाधन उपलब्ध होने पर नए डाक-घर खोलकर डाक नेटवर्क सुविधाएं प्रदान किए जाने का भी प्रस्ताव है। तथापि डाक वितरण सेवा सभी गांवों में उपलब्ध है।

(ख)(1) **दूरसंचार सुविधाओं के लिए योजनाएं :** शेष सभी गांवों में वी पी टी प्रदान करने, 19 नए टेलीफोन एक्सचेंज और लगभग 51,000 टेलीफोन प्रदान किए जाने की योजना है। दूरसंचार जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण की तालिका-1 में दिए गए हैं।

(2) **डाक नेटवर्क सुविधाओं के लिये योजनाएं :**

मानकों के अनुसार उत्तरांचल के विभिन्न जिलों के 6 स्थानों (ब्यौरे विवरण की तालिका-2 में दिए गए हैं) पर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक-घरों (ई डी बी पी ओ) का औचित्य बनता है। इन्हें खोला जाएगा बशर्ते कि निधियों की उपलब्धता हो और वित्त मंत्रालय द्वारा ई डी पदों की स्वीकृति प्राप्त हो।

(ग) (1) **दूरसंचार नेटवर्क :** जिला-वार सूचना नीचे दी गई है।

| जिले का नाम | गांवों की कुल संख्या | दूरसंचार सुविधा युक्त गांव (वी पी टी) |
|---|---|---|
| पौड़ी गढ़वाल | 3471 | 559 |
| चमोली | 1081 | 274 |
| रूद्रप्रयाग | 480 | 240 |

शेष गांवों में अभी दूरसंचार सुविधाएं नहीं हैं।

(2) **डाक नेटवर्क सुविधाएं :** डाकघरों के जिला-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:

| जिले का नाम | डाक-घरों वाले गांव |
|---|---|
| पौड़ी गढ़वाल | 418 |
| चमोली | 221 |
| रूद्रप्रयाग | 114 |

शेष गांवों में डाक-घर नहीं हैं परन्तु डाक वितरण सेवा उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। टेलीफोन एक्सचेंज समुचित रूप से काम कर रहे हैं। तथापि, एम.ए.आर.आर. पर कुछ वी.पी.टी. का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है। एम.ए.आर.आर. प्रौद्योगिकी अधिक विश्वसनीय नहीं पाई गई है। स्थायी पावर सप्लाई, सुचारू रोड व्यवस्था जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी होने जैसे कई अन्य कारण वी.पी.टी. का असंतोषजनक कार्य-निष्पादन दर्शाते हैं। सेवा में सुधार लाने के लिए सरकार ने कई निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

(1) मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण बढ़ाया गया है।

(2) जहां कही आवश्यक हो, दोषपूर्ण/मिसिंग बैटरियों और सोलर पैनलों तथा उपस्करों को बदला जा रहा है।

(3) उपस्करों की मरम्मत के लिए अधिक से अधिक स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया है। दोषपूर्ण उपस्कर की मरम्मत के लिए कई सर्किलों में कार्यशालाएं स्थापित की गई हैं। वार्षिक मरम्मत ठेकों के तहत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दोषपूर्ण उपस्कर की मरम्मत की जा रही है।

(4) विश्वसनीय पारेषण माध्यम उत्तरोत्तर रूप से प्रदान किया जा रहा है।

*विवरण*

तालिका-1

दूरसंचार

| क्र.सं. | एसएसए | सीधी एक्सचेंज लाइनों के लक्ष्य | नियोजित एक्सचेंज |
|---|---|---|---|
| 1. | अलमोड़ा | 6000 | 2 |
| 2. | कोटद्वार | 8000 | 1 |
| 3. | नैनीताल | 16000 | 2 |
| 4. | देहरादून | 18000 | 2 |
| 5. | उत्तर काशी | 3000 | 7 |

*तालिका-2*

डाक

| क्र.सं. | गांव | जिला | डिविजन |
|---|---|---|---|
| 1. | शिरी | उत्तरकाशी | टिहरी |
| 2. | बांसू | रूद्रप्रयाग | चमोली |
| 3. | देवली-भानीग्राम | रूद्रप्रयाग | चमोली |
| 4. | सांकरी | टिहरी | टिहरी |
| 5. | मवाकोट | पौड़ी | पौड़ी |
| 6. | साधूनगर | ऊधमसिंह नगर | नैनीताल |

**मंगलौर-हासन राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइपास सड़क का निर्माण**

**3598. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंगलोर-हासन राष्ट्रीय राजमार्ग पर चन्नारायापटना के निकट बाइपास सड़क और सकलेशपुर के निकट एक समांतर पुल के निर्माण के लिए प्राक्कलन तैयार कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान):** (क) से (ग) अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य लोक निर्माण विभाग से संरेखण संबंधी प्रस्ताव और भूमि अधिग्रहण हेतु 510.00 लाख रु. का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा हो जाने पर ही बाइपास का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है।

रा.रा.-48 के मंगलूर-हासन खंड में सकलेशपुर के निकट एक समानान्तर पुल के निर्माण के बारे में राज्य लो.नि.वि. से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

**विनियामक आयोगों का विलय**

**3599. श्री अशोक ना. मोहोल :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने सरकार को कुछ विनियामक आयोगों का एक में विलय करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) से (ग) भारत सरकार को कुछ विनियामक आयोगों का विलय करने से संबंधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि चार राज्यों नामशः असम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के लिए एक संयुक्त उत्तर क्षेत्रीय विद्युत विनियामक आयोग का गठन करने के लिए विद्युत मंत्रालय को नागालैंड सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। चूंकि दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य विद्युत विनियामक का गठन करने के लिए विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 में कोई अभिव्यक्त प्रावधान नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने गत शीतकालीन सत्र के दौरान लोक सभा में विद्युत विनियामक आयोग (संशोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत किया है। विधेयक में दो या अधिक राज्यों अथवा एक या अधिक राज्यों के बीच समझौता होने और संघ शासित क्षेत्र के मामले में केन्द्रीय सरकार के साथ समझौता हो जाने पर एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। विधेयक ऊर्जा संबंधी स्थाई समिति को भेज दिया गया है।

**असम को डीजल की आपूर्ति**

**3600. श्री अब्दुल हमीद :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान असम को वर्षवार कुल कितनी मात्रा में डीजल की आपूर्ति की गई;

(ख) क्या आपूर्ति की गई मात्रा राज्य की आवश्यकता को पूरा करने हेतु पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान असम को आपूर्त डीजल की कुल मात्रा निम्नवत है:

(आंकड़े टी.एम.टी. में)

| वर्ष | मात्रा |
|---|---|
| 1996-97 | 355 |
| 1997-98 | 319 |
| 1998-99 | 328 |

आपूर्त मात्रा राज्य की अपेक्षानुसार रही है।

**इको-क्लबों की स्थापना**

**3601. श्री सुरेश रामराम जाधव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यावरण संबंधी शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों में इको-क्लबों की स्थापना करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान समूचे देश में कितने "इको-क्लबों" की स्थापना की गई और प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) विभिन्न पर्यावरणीय संरक्षण गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें उनके निवास क्षेत्रों में इस प्रयोजन हेतु एकत्र करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों (1998-99 और 1999-2000) के दौरान देशभर में स्थापित/नवीकृत किए गए इको-क्लबों की संख्या क्रमश: 1604 और 1879 है। राज्य-वार वित्तीय सहायता दर्शाते हुए विवरण संलग्न है।

(ग) इको-क्लबों के माध्यम से विभिन्न पर्यावरणीय संरक्षण गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित और लामबन्द करने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:

- स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में व्याख्यानों, वैज्ञानिक प्रयोगों, श्रव्य-दृश्य उपकरणों आदि के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना।
- समन्वयकर्ता एजेंसियों द्वारा इको-क्लबों की गतिविधियों की नियमित मॉनीटरिंग करना।
- 50 समूहों में से उनकी गतिविधियों के आधार पर प्रत्येक में से 3 श्रेष्ठ इको-क्लबों को ईनाम देना।

***विवरण***

(धनराशि रु. में)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | प्रदान की गई वित्तीय सहायता | |
|---|---|---|---|
| | | 1998-99 | 1999-2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 2,12,400 | 1,27,000 |
| 2. | असम | 27,800 | 27,800 |
| 3. | बिहार | 48,800 | 80,600 |
| 4. | गोवा | 1,61,800 | 3,18,800 |
| 5. | हरियाणा | 29,800 | — |
| 6. | जम्मू और कश्मीर | 38,800 | 49,800 |
| 7. | कर्नाटक | 72,600 | 1,04,400 |
| 8. | केरल | 50,800 | 50,300 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 1,27,200 | 1,84,000 |
| 10. | महाराष्ट्र | 26,800 | 66,800 |
| 11. | मणिपुर | — | 31,800 |
| 12. | नागालैंड | 31,800 | 38,800 |
| 13. | उड़ीसा | 1,38,200 | 1,57,000 |
| 14. | पंजाब | 26,800 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 15. | राजस्थान | — | 36,800 |
| 16. | त्रिपुरा | 21,800 | 49,800 |
| 17. | तमिलनाडु | 84,400 | 1,34,000 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 3,22,200 | 4,20,000 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 92,400 | 1,15,000 |
| | भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि., नई दिल्ली, विभिन्न राज्यों में स्थित इसके संयंत्रों हेतु | 2,48,000 | 2,47,000 |
| | कुल | 17,62,400 | 22,39,700 |

**प्रत्येक घर को बिजली**

**3602. श्री उत्तमराव पाटील** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सन् 2012 तक देश में प्रत्येक घर को विद्युत उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता)**: (क) और (ख) संदर्शी योजना अध्ययनों के आधार पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2012 तक अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टरों को मांग पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2,40,000 मे.वा. संस्थापित क्षमता की आवश्यकता बताई है।

सरकार का निम्नांकित उपायों के जरिए बिजली उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रस्ताव है:

- केन्द्रीय सार्वजनिक सेक्टर यूटिलिटीज तथा राज्य यूटिलिटीज के जरिए तीव्र क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम।
- नवीकरण/आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से मौजूदा बिजली संयंत्रों से प्रचालनात्मक क्षमता तथा उपलब्धता में सुधार।
- सब-ट्रांसमिशन तथा वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए परियोजना क्रियान्वयन के जरिए पारेषण तथा वितरण हानियों में कटौती।
- ऊर्जा क्षमता तथा संरक्षण को प्रोत्साहन।
- राज्य विद्युत बोर्डों तथा यूटिलिटीज के अनिवार्य निगमीकरण तथा व्यवसायीकरण के लिए वैधानिक ढांचा उपलब्ध कराना ताकि उनकी वित्तीय हालत में सुधार हो सके।
- आवश्यक पारेषण नेटवर्क की स्थापना के जरिए विद्युत के अंतर क्षेत्रीय अंतरण को सरल बनाना, और
- उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रशासनिक, वित्तीय तथा नियामक ढांचे की स्थापना।

**नई परियोजनाओं से विद्युत आबंटन संबंधी नीति**

**3603. श्रीमती श्यामा सिंह** :
**श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल में मौजूदा गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन करते हुए अपनी नई परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के आबंटन संबंधी नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछेक राज्य विद्युत बोर्ड इन विद्युत सुधारों को लागू करने पर सहमत हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त नई नीति राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण को कहां तक प्रभावित करेगी तथा उससे देश में विद्युत की कमी को कहां तक पूरा किया जा सकेगा?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता)**: (क) जी, हां। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विद्युत के आवंटन हेतु "गाडगिल फार्मूले" को नये केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में माने जाने का निर्णय लिया गया है।

(ख) और (ग) मुख्यमंत्रियों और विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन 26.2.2000 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में अनिवार्य मीटरिंग और वितरण सुधारों समेत राज्य बिजली बोर्डों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन के निष्कर्ष विवरण में दिए गए हैं।

(घ) मार्गदर्शी सिद्धांत केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से 15% अनाबंटित कोटे से विद्युत का अतिरिक्ति आवंटन प्राप्त करने में सुधारवादी राज्य समर्थ होंगे।

**विवरण**

*मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के दिनांक 26.2.2000 को आयोजित सम्मेलन का संकल्प*

विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में समग्र क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में गिरावट के कारण देश में विद्युत आपूर्ति उद्योग के सम्मुख उत्पन्न कठिन स्थिति पर विचार किया गया। इसमें इन तथ्यों पर ध्यान दिया गया:

1. सीपीएसयू का बकाया बढ़ रहा है और यह 23,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है। अगर इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला तो भावी विस्तार योजनाओं के अलावा वर्तमान प्रचालन स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

2. निजी विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय समापन प्राप्त करना लगातार कठिन होता जा रहा है।

3. राज्य अपने स्तर पर नई परियोजनाओं के वित्त पोषण में असमर्थ है।

4. राजकोषीय घाटे के कारण राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार से इस क्षेत्र के लिए बजटीय सहायता में वृद्धि व्यवहारिक नहीं है।

2. इस अस्थिर वित्तीय स्थिति के लिए जिम्मेदार प्राथमिक घटक निम्न हैं:-

(1) न्यूनतम स्तर पर चोरी के लिए वार्षिक 20,000 करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित किया गया है।

(2) देश में पारेषण एवं वितरण में तकनीकी हानियां भी बहुत अधिक है।

(3) राज्य क्षेत्र में अधिक संख्या में ताप विद्युत केन्द्र 40% से कम प्रचालनात्मक क्षमता पर कार्य करते हैं।

(4) देश के लिए राज्य विद्युत क्षेत्र की औसतन वार्षिक प्रचालनात्मक हानियां 12,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

3. यह भी स्वीकार किया गया था कि यदि औद्योगिक टैरिफ मात्रात्मक और अन्य प्रतिबंधों को दूर करने के लिए बढ़ते विश्वीकरण के नये वातावरण में उद्योग को गैर प्रतिस्पर्धात्मक बनाते हैं तो क्रास सब्सिडी को बरकरार नहीं रखा जा सकता। यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि असंतोषजनक विद्युत आपूर्ति के द्वारा या टैरिफ के द्वारा जो कि इसे गैर प्रतिस्पर्धात्मक बनाती है, भारतीय उद्योग असहाय न हो सकें। इसके अतिरिक्त कृषक समेत उपभोक्ता का अच्छी गुणवत्ता वाली गैर-अवरूद्ध विद्युत आपूर्ति पर वैध अधिकार है। युक्तिसंगत लागतों को भुगतान करने के लिए उसकी इच्छा को कम आंका जाता है।

**संकल्प**

1. विद्युत मंत्रियों ने विद्युत क्षेत्र में व्याप्त सभी समस्याओं पर विचार करने के पश्चात् यह प्रस्ताव पारित किया है कि वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करने और सभी को युक्तिसंगत दर पर विद्युत प्रदान करने के आशय से सुधार कार्य दृढ़ संकल्प, उत्साह और अनिवार्यता के भाव से किए जाने चाहिए। सुधार कार्य में विलम्ब होने से सुधार कार्य की वित्तीय लागत बढ़ती है और देयताओं का भार बढ़ जाता है। अगले 2-3 वर्षों के भीतर परिणाम प्रदर्शित करने के लिए सुधार कार्य आरम्भ होने चाहिए। सुधार नीति के मुख्य तत्व निम्न हैं:-

   क. सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा।

   ख. दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं को 100% मीटरिंग का समयबद्ध कार्यक्रम।

   ग. विशिष्ट सीमा के भीतर विद्युत चोरियों को घटाना एवं कटौती करना।

   घ. प्राथमिकता के आधार पर उपकेन्द्रों को एक यूनिट के रूप में लेते हुए उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़/उन्नत करना।

2. यदि उपरोक्त कार्यों को वर्तमान व्यवस्था में किया जाना असाध्य है तो वितरण का निगमीकरण/सहकारीकरण/निजीकरण करना होगा।

3. यूंकि राज्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में ताप केन्द्रों का पीएलएफ 40% से कम है, अत: तत्काल आधार पर नवीकरण एवं आधुनिकीकरण सहित जीवन स्तर पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। इसी प्रकार पुराने जल विद्युत संयंत्रों के लिए प्राथमिकता के आधार पर आर एंड एम/एल ई करना अपेक्षित होगा।

4. राज्य विद्युत नियामक आयोगों के प्रभावी कार्य संचालन उपभोक्ताओं के लाभों में संतुलन बनाए रखने तथा ऐसे परिवेश में जहां उद्योग में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता धीरे-धीरे बढ़ रही हो उनके लिए शुल्क को पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है।

5. पृथक वितरण लाभ केन्द्र/निगमों/कम्पनियों के जरिए राज्य बिजली बोर्डों/बैच मार्किंग का निगमीकरण और विकेन्द्रीकरण निम्न दरों के मूलभूत आधार होने के कारण विद्युत आपूर्ति उद्योग प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने में विनियामक आयोगों को सुविधाजनक बनाएगा।

6. यह देखा गया है कि देश में विद्युत प्रणाली नेटवर्क उपभोक्ताओं की पहुंच से मेल नहीं खाती है तथा आगामी वर्षों में आप्टिक फाइबर केबलों की स्थापना सहित वर्तमान विद्युत लाइनों के सही उपयोग के द्वारा केबल टी.वी. आई.टी. सर्विस, टेलीकॉम सर्विस आदि का इस्तेमाल करते हुए बहुउद्देशीय संचार सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में सक्षम होगा। इस अभिसरण से अधिक मात्रा में राजस्व की इस शक्यता वाले रूप का सृजनात्मक रूप से दोहन करने का प्रयास किया जाना अपेक्षित है।

7. सुधारों को प्रोन्नत करने के लिए एक नया केन्द्रीय विधायी मसौदा जो कि राज्यों के लिए पृथक अधिनियम के लिए आवश्यक निराकरण करता है, पर विचार किया जा रहा है। एनसीएईआर द्वारा प्रस्तुत मसौदा बिल एक राष्ट्रीय बहस एवं नये बिल पर आम सहमति का आधार बनाएगा। इस मसौदा बिल पर राज्यों द्वारा उनकी विस्तृत टिप्पणियां विद्युत मंत्रालय को शीघ्रातिशीघ्र भेजी जाएंगी।

**ओपेक द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी**

**3604. श्री दहयाभाई वल्लभ भाई पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओपेक (ओ.पी.ई.सी.) ने हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ओपेक (ओ.पी.ई.सी.) द्वारा पेट्रोलियम के मूल्यों में प्रस्तावित कमी के अनुरूप पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री संतोष कुमार गंगवार ):** (क) से (घ) ईरान के अलावा ओपेक सदस्य अपनी 27.3.2000 को आयोजित बैठक में कच्चे तेल के उत्पादन में 1.45 मिलियन बैरल प्रतिदिन की वृद्धि करने पर सहमत हो गए। कच्चे तेल के उत्पादन तथा उपलब्धता में वृद्धि होने से कच्चे तेल के मूल्य में कमी होने की संभावना है जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों पर प्रभाव पड़ सकता है। सरकार इन घटनाओं की निरंतर निगरानी करती है जिससे देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में उपयुक्त समायोजन किया जा सके।

**बामर लारी एण्ड कंपनी को बंद करना**

**3605. श्री के. मुरलीधरन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बामर लारी एण्ड कंपनी लि., अल्लैपे को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस इकाई में नई परियोजना चलाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री संतोष कुमार गंगवार ):** (क) और (ख) केरल के अलापुझा जिले में अरूर स्थित बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड का द मैरीन फ्रेट कन्टेनर डिवीजन आदेश न मिलने से नवंबर, 1998 से निष्क्रिय पड़ा है। इस इकाई की व्यवहार्यता तब से दबाव में आ गई थी तथा संयंत्र का प्रचालन ठप हो गया। प्रभाग के सतत प्रचालन से सारी कंपनी रूग्ण हो जाने का खतरा हो गया।

(ग) और (घ) केरल की राज्य सरकार के साथ 13 अप्रैल, 2000 को चर्चा की गई है जो एक महीने के भीतर एक व्यवहार्य पुनरारम्भ प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत करने पर सहमत हो गई है।

**प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए विदेश भेजे गए अधिकारी**

**3606. श्री सुरेश पासी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में अधिकारियों की शैक्षिक, प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासकीय क्षमताओं के उत्कर्ष के लिए उन्हें सार्वजनिक राजकोष और प्रायोजन के माध्यम से प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं को प्रशिक्षणार्थ भेजने के लिए नाम-निर्दिष्ट करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा लघु और दीर्घावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए विदेश भेजे गए व्यक्तियों के संबंध में विवरण क्या है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों में कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के थे और ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या में इनका प्रतिशत क्या था; और

(घ) उक्त प्रशिक्षण के लिए अ.जा./अ.ज.जा. के अधिकारियों को पर्याप्त संख्या में नाम-निर्दिष्ट न किए जाने का क्या कारण है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री संतोष कुमार गंगवार ):** (क) इस मंत्रालय ने विदेश में प्रशिक्षण के लिए स्वयं किसी भी अधिकारी को नामित नहीं किया है। तथापि, जब कभी विदेश में प्रशिक्षण हेतु नामांकन आमंत्रित करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र प्राप्त होते हैं तो उनके परिपत्रों के प्रत्युत्तर में नामांकन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजे जाते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

**ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा निधियों का उपयोग**

**3607. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्यों को आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों में इन निधियों का उचित रूप से उपयोग किया है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक विद्युत संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती जयवंती मेहता ):** (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) द्वारा आर.ई. कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को आवंटित की गई निधियों तथा राज्यों द्वारा समुपयोजित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आर.ई.सी. लघु विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करती है। नौवीं योजना के दौरान आर.ई.सी. ने लघु विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की लगभग 30 मे.वा. क्षमता के लिए ऋण स्वीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त नौवीं योजना के दौरान अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने 3 लाख सौर लालटेन, 2 लाख घरेलू प्रकाश प्रणाली, 4 हजार पम्प, 2.1 मे.वा. के ग्रामीण विद्युत संयंत्र और पथ-प्रकाश समेत अन्य प्रणालियों के विकास हेतु परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

*विवरण*

*पिछले दो वर्षों के दौरान आर.ई.सी. वित्त पोषित स्कीमों के अन्तर्गत निधियों का आवंटन और वितरण*

| क्र.सं. | राज्य | 1998-99 | | 1997-98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | वितरण | आवंटन | वितरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 5530 | 24866 | 4865 | 6094 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 1450 | 662 | 1225 | 1174 |
| 3. | असम | 850 | 82 | 1975 | 0 |
| 4. | बिहार | 3450 | 0 | 1765 | 147 |
| 5. | गोवा | 700 | 361 | 25 | 386 |
| 6. | गुजरात | 5300 | 31296 | 3570 | 3931 |
| 7. | हरियाणा | 970 | 2357 | 1435 | 836 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1100 | 3041 | 750 | 2060 |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 3000 | 3178 | 1250 | 2187 |
| 10. | कर्नाटक | 9100 | 29486 | 4800 | 8655 |
| 11. | केरल | 2900 | 13703 | 1765 | 5200 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 16000 | 13461 | 9900 | 6826 |
| 13. | महाराष्ट्र | 10350 | 23991 | 7160 | 26976 |
| 14. | मणिपुर | 1200 | 1326 | 1020 | 1359 |
| 15. | मेघालय | 900 | 0 | 680 | 0 |
| 16. | मिजोरम | 800 | 444 | 450 | 256 |
| 17. | नागालैंड | 450 | 333 | 175 | 173 |
| 18. | उड़ीसा | 3600 | 8841 | 2240 | 3612 |
| 19. | पंजाब | 1750 | 3614 | 1655 | 3314 |
| 20. | राजस्थान | 12800 | 22872 | 8330 | 12009 |
| 21. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | तमिलनाडु | 7850 | 16433 | 5200 | 11476 |
| 23. | त्रिपुरा | 600 | 753 | 500 | 323 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 8800 | 13719 | 6920 | 9011 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 2050 | 29 | 2320 | 322 |
| 26. | दिल्ली | 0 | 0 | 25 | 0 |
| | उप जोड़ | 101500 | 214848 | 70000 | 106327 |
| | अन्य* | 23500 | 5412 | 7500 | 3054 |
| | जोड़ | 125000 | 220260 | 77500 | 109381 |

*के.जे.पी./ई.सी.पी. के लिए अनुदान राशि तथा आर.ई. सहकारिताओं और एस.पी.डी.जी.एस. के लिए संवितरण शामिल है।

**विभिन्न बन्दरगाहों द्वारा मशीनों को पट्टे पर लिया जाना/खरीदना**

**3608. श्री नरेश पुगलिया :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न बंदरगाहों पर एक जैसी समुद्री और यांत्रिक मशीनें पट्टे पर ली जा रही हैं/खरीदी जा रही हैं;

(ख) क्या विभिन्न बन्दरगाहों पर ऐसी मशीनों को पट्टे पर लेने/खरीदने के लिए नियम और शर्तें अलग-अलग हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस तरह के पट्टों/खरीदों की लागतों में कमी, विभिन्न बन्दरगाहों द्वारा एक ही काम किए जाने से बचने,

नियम और शर्तों को एक समान बनाने आदि पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) जी हां।

(ख) से (च) पत्तनों के अपने स्वयं के मानक निविदा दस्तावेज हैं जिनमें पत्तनों की अलग-अलग परिस्थितियों के अनुकूल विशेष शर्तों के साथ-साथ कमोबेश समान मूल शर्तें हैं। अलग-अलग पत्तनों द्वारा विक्रेताओं की पूर्व अर्हता/चयन में विलम्ब से बचने के लिए मेरीन और यांत्रिक उपस्करों की आपूर्ति हेतु अभी हाल में विक्रेताओं का केन्द्रीयकृत चयन किया गया है। पत्तनों को इन चयनित विक्रेताओं से ही वाणिज्यिक/वित्तीय निविदाएं मंगानी होंगी जिससे समय की बचत होगी।

## नौवहन क्षेत्र का परिव्यय

3609. **श्री अकबर अली खांदोकर** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नौवहन क्षेत्र के लिए निर्धारित परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नौवीं योजना अवधि के पहले दो वर्षों के दौरान योजना परिव्यय का उपयोग आनुपातिक रूप में किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान और नई योजनाओं पर आये खर्चों का ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) सरकार ने नौवीं योजना के दौरान जलयानों की खरीद के लिए भारतीय नौहवन निगम को 5752 करोड़ रु. का परिव्यय आबंटित किया है।

(ख) और (ग) जी नहीं। मौजूदा और नई स्कीमों के लिए आबंटित परिव्यय तथा इन पर हुए व्यय के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

| वर्ष | आवंटित परिव्यय | वास्तविक व्यय | | |
|---|---|---|---|---|
| | | मौजूदा स्कीमें | नई स्कीमें (करोड़ रु.) | कुल |
| 1997-98 | 885.19 | 145.41 | 169.64 | 315.05 |
| 1998-99 | 1162.61 | 629.49 | 242.52 | 872.01 |

*[हिन्दी]*

## दूरसंचार सुविधाएं

3610. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल :**
**श्री मानसिंह पटेल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1999-2000 के दौरान गुजरात और बिहार के क्रमश: मांडवी और बेतिया क्षेत्रों में कार्यरत वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने और आधुनिक संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये कोई कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में कार्यरत कितने दूरसंचार और डाक कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित प्रगति हुई है:-

मांडवी क्षेत्र (कच्छ, गुजरात)

- 128 पोर्ट के 5 एक्सचेंजों का विस्तार करके 256 पोर्ट कर दिया गया है।
- 2 सैटेलाइट (उपग्रह) एक्सचेंज खोले गए।
- 200 लाइनों के 1 एक्सचेंज के स्थान पर 512 पोर्ट एक्सचेंज प्रतिस्थापित किया गया।
- 424 लाइनों के 1 एक्सचेंज का विस्तार करके 1000 लाइनों तक बढ़ा दिया गया।
- 5 एक्सचेंजों को आप्टीकल फाइबरकनेक्टीविटी प्रदान की गई।

मांडवी क्षेत्र (सूरत, गुजरात)

सभी एक्सचेंजों में आप्टीकल फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

- वर्ष 2000-2001 हेतु 2000 लाइनों के एक्सचेंज की योजना बनाई गई है।

**बेतिया क्षेत्र (बिहार)**

- बेतिया एक्सचेंज का 2000 लाइनों तक विस्तार किया गया।
- बाघा एक्सचेंज का 1400 लाइनों तक विस्तार किया गया।
- नरकजतियागंज एक्सचेंज का विस्तार 400 लाइनों तक किया गया।
- बाल्मीकी नगर एक्सचेंज का विस्तार 72 लाइनों तक किया गया।

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान गुजरात तथा बिहार के क्रमश: मांडवी और बेतिया क्षेत्रों में कोई भी दूरसंचार तथा डाक कर्मचारी भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त नहीं पाए गए।

**जंगलों में आग**

**3611. श्री धावर चन्द गेहलोत : क्या पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार सरकारी वन क्षेत्रों में लगी आग और अन्य रोगों के कारण कितनी हानि हुई और इस हानि का स्वरूप क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा वनों में लगी आग को रोकने और वृक्षों को रोगों से बचाने के लिए कोई विशेष उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में वन आग और अन्य बीमारियों के कारण वनों को क्षति पहुंचती है। यह विषय मुख्य रूप से राज्य सरकारों से संबंधित है जो वन आग व अन्य बीमारियों आदि के संबंध में आंकड़ों का रखरखाव करते हैं। तथापि, वन आग के संबंध में भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों में देश के लगभग 50 प्रतिशत वन क्षेत्र को आग संभावित क्षेत्र बताया गया है और वार्षिक रूप से लगभग 3.73 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र आग से प्रभावित होता है जिससे वार्षिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है जोकि साधारणत: 440 करोड़ रुपए तक आंका गया है। नुकसान का अनुमान लगाते समय केवल पौध/वनस्पतियों की प्रतिस्थापन लागत पर ही विचार किया गया है और अन्य अप्रत्यक्ष नुकसानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इनका हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। राज्य सरकारों द्वारा यथासूचित अनुसार पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में साल छिद्रकों के कारण साल वनों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा यह भी सूचित किया गया है कि असामान्य जलवायु स्थितियों था जड़ों पर फुंगी द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण 1997 में बिहार में बड़े पैमाने पर शीशम के वृक्ष सूख गए थे। वन आग व अन्य बीमारियों के निवारण और उनके नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं:-

(1) "आधुनिक वन आग नियंत्रण प्रणाली" नामक एक स्कीम देश के ग्यारह राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है।

(2) संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम. के अन्तर्गत वनों की सुरक्षा में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(3) और ज्यादा वित्तीय परिव्यय उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे वन सुरक्षा कार्य को एक योजना मद के तौर पर लें।

(4) स्थिति से निपटने तथा रोगग्रस्त वृक्षों को काटने के लिए साल छिद्रकों (साल बोरर) से प्रभावित साल वृक्षों को श्रेणीवार चिन्हित किया गया है ताकि बीमारी और अधिक न फैल सके।

(5) ऐसे क्षेत्रों के संबंध में, जहां शीशण के वृक्ष सूख गए हैं, राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे सूखे व सूख रहे वृक्षों को कटवा दें तथा सड़कों और नहरों के किनारों पर लगे वृक्षों की छाल उतारने के कार्यों को रोकें और एक ही फसल उगाने के बजाए मिश्रित फसल ही उगाएं।

*[अनुवाद]*

**सिक्किम में डाकघर**

**3612. श्री भीम दाहाल : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिक्किम में फिलहाल कितने डाकघर काम कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में कितने डाकघर खोले गए;

(ग) क्या सरकार का राज्य में कुछ और डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर)**: (क) सिक्किम में इस समय, 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है:

| | |
|---|---|
| (1) प्रधान डाकघर | 01 |
| (2) उप डाकघर | 19 |
| (3) अतिरिक्त विभागीय उपडाकघर | 06 |
| (4) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर | 180 |
| कुल | 206 |

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में खोले गए डाकघरों की संख्या निम्नानुसार है:

| | |
|---|---|
| 1997-98 | 3 |
| 1998-99 | 7 |
| 1999-2000 | 2 |

(ग) दो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है बशर्ते कि मानदंडों के अनुसार ये औचित्यपूर्ण हों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूर किए जाने वाले पद उपलब्ध रहें और साथ ही धनराशि भी उपलब्ध रहे।

(घ) ये डाकघर जहां खोले जाने हैं, वे स्थान हैं:

(1) मेल्ली

(2) निया मेजिंग

**राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन**

**3613. मोहम्मद अनवारूल हक :**
**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :**
**डा. वी. सरोजा :**

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायपालिका सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन के प्रस्ताव का विरोध कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निदेश पद क्या हैं और इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल)**: (क) से (ङ) सरकार का राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है जो उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिश करेगा तथा न्यायपालिका के लिए आचार संहिता तैयार करेगा। तथापि, इस प्रस्ताव के लिए, संसदीय विधान अपेक्षित होगा।

भारत सरकार को अभी तक इस संबंध में न्यायपालिका की ओर से किसी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है।

**भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता**

**3614. श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में दूरसंचार के विकास के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते से किन क्षेत्रों को तुरन्त लाभ मिलेगा और दूरसंचार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर)**: (क) जी नहीं। संचार मंत्रालय के अन्तर्गत दूरसंचार विभाग/दूरसंचार सेवा विभाग ने दूरसंचार विकास के लिए, अमेरिका के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(ख) और (ग) (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

**पेट्रो उत्पादों का बांग्लादेश होते हुए पारगमन और व्यापार**

**3615. श्री आर.एल. भाटिया :**
**श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी :**
**श्री सुरेश रामराव जाधव :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 मार्च, 2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "प्रपोजल टु शिप पेट्री प्रोडक्ट्स थ्रु बांग्ला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा;

(ङ) क्या यह प्रस्ताव बांग्लादेश के जलमार्गों से पेट्रोलियम उत्पादों के आवागमन हेतु वर्तमान अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुई सैद्धांतिक सहमति के अंतर्गत है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक इस संबंध में क्या परिणाम निकले हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**उपकरण संबंधी संविदाओं हेतु पुनः बोलियां**

3616. **श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**
**श्री नरेश पुगलिया :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मार्च, 2000 के "बिजनेस स्टैन्डर्ड" में "एन.टी.पी.सी. डिसाइडेड टु इग्नोर मिनिस्ट्री ऑन रिबिड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कुछ गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं हेतु उपकरणों संबंधी ठेकों के लिए पुनः बोलियों के संबंध में संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय के परामर्श का उल्लंघन कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य तथा ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) ने चार गैस आधारित परियोजनाओं अर्थात् कावस सी.सी.पी.पी.-II, झानौर-गन्धार सी.सी.पी.पी.-II, अन्टा सी.सी.पी.पी.-II तथा औरूबा सी.सी.पी.पी.-II के विस्तार की योजना तैयार की है। मौजूदा में इनमें से प्रत्येक की क्षमता 650 मे.वा. है जिसे नौवीं योजना अवधि में कुल मिलाकर 2600 मे.वा. बढ़ाने का लक्ष्य है। इन परियोजनाओं की बोली प्रक्रिया 1998 के दौरान एन.टी.पी.सी. द्वारा आरंभ की गई थी तथा विभिन्न तकनीकी कारणों से आज तक बोलियों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। चूंकि परियोजनाएं राष्ट्रीय महत्व की हैं, अतएव सरकार चिन्तित है कि भविष्य में विभिन्न प्रचालनात्मक कारणों से इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कोई विलम्ब न किया जाये।

एन.टी.पी.सी. को मंत्रालय द्वारा यह सलाह दी गई है कि वह एडीशनल सॉलिस्टर जनरल से कानूनी राय के आधार पर बोली कर्ताओं से बातचीत करके जनहित में बोलियों को अंतिम रूप दे।

बहरहाल एन.टी.पी.सी. ने विभिन्न विनिर्देशों तथा जरूरतों संबंधी कतिपय प्रमुख विचलनों को ध्यान में रखते हुए दोनों बोलियों को अनुत्तरदायी माना और पुनः बोली आयोजन का निर्णय लिया। सरकार ने मामला संबंधी निर्णय नवरत्न कम्पनी होने के नाते एन.टी.पी.सी. बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया है। एन.टी.पी.सी. ने बोली स्थितियों को समीक्षा की है और बेहतर प्रतिस्पर्द्धा तथा उत्तर के लिए बोलीकर्ताओं को पर्याप्त समय देकर पुनः बोली का आयोजन किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर उपरिपुल का निर्माण**

3617. **श्री रामानंद सिंह :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के मैहर नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 पर उपरिपुल के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या रेल विभाग ने अपने बजट में उपरोक्त उपरिपुल की मंजूरी दे दी है परन्तु पुल के दोनों सिरों को मिलाने का काम लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है;

(ग) क्या जल-भूतल परिवहन विभाग ने इस संबंध में रेल विभाग के साथ कोई सम्पर्क अथवा पत्राचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) से (घ) मैहर नगर में रा.रा.-7 पर आर.ओ.बी.

के निर्माण के लिए भूमि-अधिग्रहण कर लिया गया है और मंत्रालय ने सामान्य व्यवस्था ड्राइंग को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस कार्य को बी.ओ.टी. आधार पर शुरू करने का प्रस्ताव है, इसलिए इस कार्य को रेलवे के बजट में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

**जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास**

**3618. श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के निर्माण से तटीय खाड़ी क्षेत्र संकरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या लहरों के समय अपनी नावों को किनारे लगाने में स्थानीय मछुआरे कठिनाइयों का सामना कर रहे

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मछुआरों के प्रवेश को सुगम बनाने के लिये इस संकरे तटीय खाड़ी क्षेत्र को चौड़ा करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम या पैकेज योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) से (घ) मुख्य बंदरगाह और अप्रोच चैनल जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के निर्माण के कारण संकरे नहीं हुए हैं। बर्थों के लम्बवत् न्हावा नामक एक संकरी खाड़ी (क्रीक) है और इसमें लगभग 150 मीटर चौड़ा प्रवेश स्थल है जिसमें से मछुआरे अपने गांवों में पहुंचते हैं। पत्तन ने इस मार्ग के साथ-साथ संकेतक (मार्कर्स) लगाए हैं ताकि नौचालन सुरक्षा में सुधार हो सके। पत्तन निर्माण से पहले भी चैनल में गहरे जल स्थल सीमित थे और मछुवारे उच्च ज्वार के समय ही इस संकरे खाड़ी में प्रवेश कर सकते थे।

मुंबई बंदरगाह में न्हावा संकरी खाड़ी के अतिरिक्त मछुआरों के ट्रालरों की आवाजाही के लिए किसी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है।

**एलकोहल का ईंधन के रूप में उपयोग**

**3619. डा. अशोक पटेल :**
**श्री रामपाल सिंह :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मोटर वाहनों को ऐलकोहल से चलाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना को सर्वप्रथम किन स्थानों पर लागू करने की योजना है; और

(घ) इस योजना को लागू करने से पेट्रोल की कितनी बचत होने की संभावना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) से (ग) सरकार का एथनाल मिश्रित वाहन ईंधन के उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी हासिल करने के लिए तथा अन्य प्रचालनीय पहलुओं की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में 2 या 3 स्थानों पर प्रायोगिक परियोजनायें आरंभ करने का प्रस्ताव है।

(घ) यह केवल प्रायोगिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् ही प्रमाणित किया जा सकता है।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु आवंटन**

**3620. श्री अमर रायप्रधान :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु आबंटन में प्रत्येक योजना में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए बजटीय आबंटन में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 2000-2001 में पश्चिम बंगाल को कितनी धनराशि आबंटित की गई?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) और (ख) जी हां। रा.रा. परियोजनाओं के लिए आबंटन में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के प्रतिशत की दृष्टि से धीरे-धीरे गिरावट आ रही है। अन्य क्षेत्रों से मांग के दबाव में ऐसा हुआ है।

(ग) और (घ) जी हां। वर्ष 2000-2001 के लिए योजना आबंटन को 1999-2000 के 2163 करोड़ रु. की तुलना में बढ़ाकर 2506.00 करोड़ रु. करने का प्रस्ताव है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल हेतु आबंटित राशि निम्न प्रकार है:-

| राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास | | (लाख रु.) |
|---|---|---|
| 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 |
| 5375.00 | 7150.94 | 5138.02 |

| रख-रखाव और मरम्मत | | (लाख रु.) |
|---|---|---|
| 1997-98 | 1998-99 | 1999-2000 |
| 3264.94 | 2757.83 | 3700.00* |

*विशेष मरम्मत कार्यक्रम के तहत 2560 लाख रु. की अतिरिक्त राशि भी आबंटित की गई।

वर्ष 2000-2001 के लिए बजट अभी संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है।

**बोंगइगांव ताप विद्युत स्टेशन**

**3621. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असम में सलाकाटि में स्थित बोंगईगांव ताप विद्युत स्टेशन का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नियम और शर्तें क्या हैं; और

(ग) विद्युत उत्पादन के विनिवेश और इसमें सुधार के संबंध में बोंगइगांव ताप विद्युत स्टेशन की वर्तमान स्थिति क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता)**: (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन**

**3622. श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ ने राज्य बिजली बोर्डों के पुनर्गठन हेतु तीन-सूत्री रणनीति सुझायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता)**: (क) और (ख) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफ.आई.सी.सी.आई.) के अध्यक्ष श्री जी.पी. गोयनका की अध्यक्षता में प्राईम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए विद्युत क्षेत्र सुधार संबंधी दल ने राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित सिफारिशें कीं:-

- थर्मल उत्पादन, हाईडल उत्पादन, पारेषण तथा वितरण की देखरख के लिए मोनोलिथिक राज्य बिजली बोर्डों को चार निगमों में विभक्त करना।

- प्रबंधन अनुबंधों, संयुक्त उपक्रमों अथवा पूर्ण लाइसेंसों के जरिए वितरण का निजीकरण। इसे प्रतिस्पर्धात्मक बोली तथा पारदर्शी मानदंड के जरिए किया जाना चाहिए।

- संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से पूर्णरूपेण या आर्थिक रूप से पारेषण का निजीकरण। इसमें सरकारी इक्विटी 26% से अधिक न हो।

- यह समझना कि सुधार पारेषण तथा वितरण से आरंभ हो, विशेषतया वितरण से न कि उत्पादन से।

- कृषि के लिए टैरिफ को पूर्व घोषणा के अनुसार तीन वर्षों की अवधि में 0.50 रु., 0.75 रु. तथा 1.10 रु. प्रति यूनिट की दर से बढ़ाना।

- राज्य विद्युत बोर्डों की सब्सिडी रोककर इसे राज्य बजट की ओर मोड़ना। सब्सिडी का रूख सिर्फ गरीबों तक रखना, बशर्ते कि बिजली की मासिक खपत आरंभिक खपत से अधिक न हो।

(ग) भारत सरकार ने राज्य बिजली बोर्डों के सुधार में सक्रिय भूमिका निभाई है ताकि वे व्यावसायिक दृष्टि से कार्य कर सकें। विद्युत मंत्रियों की दिनांक 26.2.2000 को आयोजित सम्मेलन में यह संकल्प किया गया कि दृढ़ निश्चय, उत्साह तथा अत्यधिक जरूरत के रूप में सुधारों को आगे बढ़ाया जाये। सुधार कार्यनीति के मुख्य घटक ये हैं:-

(1) सभी स्तरों पर ऊर्जा ऑडिट।

(2) दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत मीटर देने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम।

(3) कटौती तथा अन्तत: बिजली चोरी को विनिर्दिष्ट समयावधि में समाप्त करना।

(4) सब-स्टेशन को प्राथमिकता देने के जरिए सब-ट्रांसमिशन तथा वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन।

यदि मौजूदा अधिनियम निगमीकरण में यह हासिल नहीं हो पाता तो सह-निजीकरण वितरण का निजीकरण करना ही होगा।

*[हिन्दी]*

**केन्द्र और राज्य की विद्युत परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश को विद्युत आपूर्ति**

०23. **डा. बलिराम:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र और राज्य की विद्युत परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश को अलग-अलग विद्युत की आपूर्ति किस दर पर की जा रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक उत्तर प्रदेश की कितनी विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं और कितनी सरकार के पास विचाराधीन हैं;

(ग) इन परियोजनाओं के किस प्रकार से वित्तपोषण का प्रस्ताव है; और

(घ) इन परियोजनाओं के सुचारू ढंग से संचालन हेतु सरकार ने क्या कार्य योजना तैयार की हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) से (घ) उत्तरी क्षेत्र में एनपीसीआईएल और एनटीपीसी, एनएचपीसी की विद्यमान केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की बिक्री के लिए टैरिफ के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए है।

वर्ष 1998-99 के लिए यूपीएसईबी की विद्यमान ताप विद्युत और जल विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन लागत को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान यू.पी. में जांचाधीन स्कीमें और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण III में दिए गए हैं।

यू.पी. में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय पैकेज के ब्यौरे संलग्न विवरण IV में दिए गए हैं।

यू.पी. में उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के विभिन्न मुद्दों पर विद्युत मंत्री जी की अध्यक्षता में क्राइसिस रजुलेशन ग्रुप की बैठकों में भी चर्चा की थी ताकि वित्तीय समापन प्राप्त करने में आ रही अंतिम समस्या का निपटारा किया जा सके।

***विवरण I***

*एनटीपीसी के विद्यमान विद्युत केन्द्रों से विद्युत बिक्री हेतु टैरिफ (14.5.99 की स्थितिनुसार)*

| क्र.सं. | विद्युत केन्द्रों के नाम | क्षमता (मे.वा.) | राज्य | भिन्नता संबंधी प्रभार* (प्र./कि.वा.घं.) | वार्षिक नियत प्रभार (रु./करोड़) 16%आरओई 1.11.98 से | टैरिफ** (प्र./कि.वा./टैरिफ) विद्यमान घं. 68.5% पीएलएफ का मानक स्तर पर | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | सिंगरोली एसटीपीएस | 2000 | उ.प्र. | 37.05 | 325.90 | 66.65 | 1.11.97 से *संशोधन के लिए देय टैरिफ* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | रिहन्द एसटीपीएस | 1000 | उ.प्र. | 34.83 | 478.74 | 122.51 | *1.11.97 से संशोधन के लिए देय टैरिफ* |
| 3. | एफयूजीटीपीएस चरण-1 | 420 | उ.प्र. | 55.83 | 221.71 | 153.03 | 1.4.97 से देय और संशोधन |
| 4. | दादरी जीपीएस | 829.78 | उ.प्र. | 69.39 | 240.14 | 119.40 | 1.4.97 से 31.3.99 तक |
| 5. | औरया जीपीएस | 663.36 | उ.प्र. | 61.92 | 160.20 | 103.41 | 1.4.97 से संशोधन के लिए देय टैरिफ |
| 6. | अन्ता जीपीएस | 419.33 | राज. | 61.27 | 92.92 | 99.34 | –वही |

*ईंधन नीति समायोजन को छोड़कर विभिन्न प्रभार।

**एनटीपीसी द्वारा किए गए अतिरिक्त पूंजीकरण और एफईवी के प्रभार के कारण टैरिफ प्रभाव को छोड़कर।

वर्ष 1992-93 से 1996-97 की अवधि के दौरान भिन्नता की हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।

*एनपीसीआईएल के न्यूक्लियर विद्युत केन्द्रों से विद्युत की बिक्री के लिए टैरिफ*

| क्र.सं. | विद्युत केन्द्र का नाम | क्षमता (मे.वा.) | टैरिफ (प्र./कि.वा.घं.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | नरोरा एपीएस | 440 | 163.71 | 17.7.96 से 19.5.98 तक |
| | | | 164.27 | 20.5.98 से आगे |

***एनएचपीसी* की जल विद्युत परियोजनाओं के वर्ष वार टैरिफ का ब्यौरा (14.5.99 की स्थितिनुसार)**

एसीसी एवं एईसी आंकड़े करोड़ रु. में

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | क्षमता | 1997-98 | | 1998-99 | | 1999-00 | | 2000-01 | | 2000-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (मे.वा.) | एसीसी | एईसी | एसीसी | एईसी | एसीसी | एईसी | एसीसी | एईसी | एसीसी | एईसी |
| 1. | शैलाल चरण I एवं II | 690 | 63.09 | 103.64 | 67.64 | 106.30 | 50.55 | 108.72 | 40.59 | 111.59 | 32.30 | 114.80 |
| | (पैसे/कि.वा.घं.) | | | 38.60 | | 39.59 | | 40.49 | | 41.56 | | |
| 2. | चमेरा चरण-I | 540 | 251.90 | 144.83 | 217.56 | 147.94 | 184.92 | 151.61 | 150.74 | 155.53 | 91.15 | 159.37 |
| | (पैसे/कि.वा. घं.) | | | 99.87 | | 102.02 | | 104.54 | | 107.25 | | 109.90 |
| 3. | तनकपुर | 94.2 | 49.28 | 24.21 | 40.27 | 24.85 | 32.43 | 25.53 | 21.15 | 26.21 | 31.65 | 27.08 |
| | (पैसे कि.वा.घं.) | | | 61.33 | | 63.07 | | 64.80 | | 66.53 | | 68.75 |
| 4. | ठरी | 480 | | | 344.78 | 219.16 | 356.50 | 224.53 | 335.98 | 229.70 | 293.82 | 234.95 |
| | | | | | | 97.23 | | 99.61 | | 101.90 | | 104.23 |

एसीसी–वार्षिक क्षमता प्रभार

एईसी–वार्षिक ऊर्जा प्रभार

*विवरण-II*

*वर्ष 1998-99 के दौरान यूपीएसईबी में ताप और जल विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन लागत को दर्शाने वाला विवरण*

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | क्षमता (मे.वा.) | जनरेटर की लागत (पी/कि.वा.घं.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **(क) ताप विद्युत** | | |
| 1. | ओबरा "क" | 5×50=250 | 181.07 |
| 2. | ओबरा "ख" | 3×100=300 (550<br>5×200=1000 | 110.81 |
| 3. | हरदुआगंज "ख" | 2×50=100 | 333.88 |
| | हरदुआगंज "ग" | 2×55=110 ]230<br>2×60= ]120 | 325.93 |
| 5. | पनकी विस्तार | 1×110=110 ]230<br>2×110= ]220 | 216.31 |
| 6. | परिचा | 2×110=220 | 255.59 |
| 7. | टाडा | 4×110=440 | 258.53 |
| 8. | अनपारा "क" | 3×210=630 | 94.04 |
| 9. | अनपारा "ख" | 2×500=1000 | 159.91 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **(ख) जल विद्युत** | | |
| 1. | दखरानी | 3×11.25=33.75 | 20.58 |
| 2. | दुधालीपुर | 3×17=51 | 9.81 |
| 3. | कृहल | 3×10=30 | 15.23 |
| 4. | खारा | 3×24=72 | 63.13 |
| 5. | राम गंगा | 3×66=198 | 21.84 |
| 6. | तिलोथ | 3×30=90 | 31.31 |
| 7. | गलोगी | 3.00 | 1.07 |
| 8. | मुहम्मदपुर | 3×31=93 | 27.15 |
| 9. | हीर गजनी | 2×2.5=5.0 | 22.6 |
| 10. | चित्तौरा | 2×1.5=3 | 37.62 |
| 11. | सलावा | 2×1.5=3 | 57.51 |
| 12. | भोला | 4×375=1.50<br>2×6=1.20 | 88.35 |
| 13. | चिबरी | 4×60=240 | 14.88 |
| 14. | पथरी | 3×6.8=20.4 | 24.02 |
| 15. | रिहन्द | 300 | 12.96 |
| 16. | माताटीला | 3×10.2=30.6 | 16.70 |

*विवरण III*

*उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा*

**(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत स्कीमें**

| क्र.सं. | स्कीम का नाम | क्षमता (मे.वा.) | परियोजना का वित्त पोषण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | विष्णुप्रयाग एचईपी<br>मै. जे.पी. इंडस्ट्रीज द्वारा | 4×100 | इस परियोजना के वित्त पोषण का ब्यौरा अनुबंध-4 में दिया गया है। |
| 2. | रोजा टीपीएस<br>मै. इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर एंड कैमिकल कार्पोरेशन द्वारा | 2×283.5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | औरैया सीसीपीपी चरण-2 एनटीपीसी द्वारा | 650 | |
| 4. | रिहन्द एसटीपीपी एनटीपीसी द्वारा | 2×500 | |
| 5. | मनेरी भाली एचईपी चरण-2 | 4×76 | |
| (ख) | **जांचाधीन स्कीमें:** | | |
| 1. | श्रीनगर एचईपी मै. डंकन्स नार्थ हाइड्रो पावर कं. लि. द्वारा | | 4×82.5* |
| 2. | जवाहरपुर टीपीएस मै. जमशेदपुर पावर (इंडिया) प्रा.लि. द्वारा | | 2×400 |

*केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृति प्राप्त यूपीएसईबी की 5×66 मे.वा. श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के स्थान पर तथा तदुपरांत यूपीएसईबी से टीईसी 26.11.99 को डीएनएचपीसी को हस्ताक्षरित की गई।

***विवरण IV***

*अनंतिम वित्तीय पैकेज*

| क्र.सं. | वित्त का स्रोत | विदेशी घटक मिलियन यूएस डॉलर | भारतीय घटक करोड़ रुपये |
|---|---|---|---|
| 1. | **इक्विटी** | | |
| | 1.1 जे.पी. इंडस्ट्रीज | – | 190.00 |
| | *1.2 पब्लिक इश्यू* | – | *185.00* |
| | 1.3 यूपीएसईबी | – | 25.00 |
| | **उप जोड़ (1.1 से 1.3)** | | 400.00 |
| 2. | ऋण | | |
| | 2.1 पैकेज 1-भारतीय वित्तीय संस्थान | 619.00 | |
| | 2.2 पैकेज 2-सार्वजनिक एनसीडी इश्यू | 159.42 | |
| | 2.3 पैकेज 3-ईसीए के जरिए क्रेता की क्रेडिट फाइनेंस 63.75 | – | |
| | 2.4 पैकेज 4-एफसी क्रेता की क्रेडिट फाइनेंस 59.14 | – | |
| | उप जोड़ (2.1 से 2.4) | 122.89 | 778.42 |
| | कुल परियोजना लागत | 122.89 | 1178.42 |

*पैकेज शर्तें जैसा कि कम्पनी द्वारा प्रस्तावित है*

| मदें | पैकेज-1 | पैकेज-2 | पैकेज-3 | पैकेज-4 |
|---|---|---|---|---|
| स्रोत का नाम | आईएफआई | एनसीडी | ईसीए के जरिए क्रेता की क्रेडिट फाइनेंस | एफसी में क्रेता क्रेडिट फाइनेंस |
| | (करोड़ रुपये) | (करोड़ रुपये) | मिलियन यू.एस. डॉलर | मिलियन यूएस डॉलर |
| राशि | 619.00 | 159.42 | 63.75 | 59.14 |
| ब्याज दर | 19.055% | 17.50% | 8.00% | 8.00% |
| पुन:वसूली की अवधि | 12 | 10 | 12 | 7 |
| स्थगन | (a) | 0 | (a) | (a) |
| अवधि (वर्ष) | | | | |
| — फ्रंट | 1.05% | – | – | – |
| निर्गमन व्यय नोट | | 6% | – | – |

टिप्पणी (a) निर्माणावधि 5 वर्ष जो भी कम हो।

*मै. इन्डो गल्फ फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल कारपोरेशन लि. (आई जी एफ सी सी द्वारा उ.प्र. में 2×283.5 मे.वा. क्षमता की रोसा ताप विद्युत परियोजना*

*अनंतिम वित्तीय पैकेज*
*(आईजीएफसीसी के दिनांक 21 अगस्त, 1997 के पत्र के अनुसार)*

| | | |
|---|---|---|
| ऋण/इक्विटी अनुपात | ऋण | 70% |
| | इक्विटी | 30% |
| इक्विटी | | |
| भारतीय | (1) प्रोमोटरस बिड़ला ग्रुप | 1970.008 मिलियन रु. |
| | (2) पब्लिक | 3429.271 मिलियन रु. |
| विदेशी | पावर जनरेशन पीएलई | 53.4376 मिलियन अमेरिकन डालर |

ऋण*

| स्रोत | मुद्रा | राशि | वसूली अवधि (वर्ष) | स्थगन (वर्ष) | ब्याज दर |
|---|---|---|---|---|---|
| विदेशी ऋण | | | | 0 | |
| फोरेक्स आवधिक ऋण | अमेरिकन डालर | 261.354 | 12 | 0 | 7.35%** |
| रुपया आवधिक ऋण भारतीय वित्तीय संस्थान/भारतीय बैंक | करोड़ रु. | 774.669 | 10 | 0 | 17.00% |

*कुल परियोजना परिव्यय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित परियोजना की पूंजीगत लागत तक सीमित होगी।

**निर्माण अवधि के लिए लागू। प्रचालन अवधि के लिए ब्याज दर 9% होगी जिसमें 1.6% वार्षिक दर से बैंक गारन्टी प्रभार शामिल होंगे।

*उ.प्र. में मै. एनटीपीसी द्वारा औरया सीसीजीटी स्थित परियोजना*

1. अनंतिम वित्तीय पैकेज

एफ ई रेट 1 अमेरिकी डालर 39.50 रु.

| | एफसी (मिलियन अमेरिकी डालर) | आईसी (करोड़ रु.) | जोड़ (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|
| (क) इक्विटी | | | |
| (1) आन्तरिक संसाधन | – | 546.22 | 546.22 |
| (ख) ऋण | | | |
| (1) ईसीबी | 243.84 | – | 963.20 |
| (2) डीसीबी | – | 311.37 | 311.37 |
| जोड़ (ऋण+इक्विटी) | 243.84 | 857.59 | 1820.79 |

2. वित्त पोषण की शर्तें (सम्पूर्ण लागत)

| | ईसीबी अमेरिकी डालर (मिलियन) | डीसीबी (करोड़ रु.) |
|---|---|---|
| 1. ऋण धनराशि | 243.84 | 311.37 |
| 2. ब्याज दर (स्थिर) | 8.5% | 17.0% |
| 3. वसूली अवधि | 7 वर्ष बूलट | 7 वर्ष बूलट |
| 4. अपफन्ट चार्जेज | 1.5% | 1.5% |

एनटीपीसी द्वारा उ.प्र. में रिहन्द एसटीपीपी-चरण-2 (2×500 मे.वा.)

1. अनंतिम वित्तीय पैकेज

ऋण/इक्विटी अनपात 70:30

एक अमेरिकी डॉलर = 42.50 रुपये

| | एफसी (यू.एस. डॉलर) | आईसी (करोड़ रु.) | कुल (करोड़ रुपये) |
|---|---|---|---|
| (क) इक्विटी | | | |
| (1) आंतरिक संसाधन | – | 1214.90 | 1214.90 |
| (ख) ऋण | | | |
| (1) ई..सी.बी. | 368.35 | – | 1565.49 |
| (2) डी.सी.बी. | – | 1269.10 | 1269.10 |
| कुल (ऋण+इक्विटी) | 368.35 | 2484.00 | 4049.49 |

2. वित्त की शर्तें (सम्पूर्ण लागत)

| | ईसीबी यूएस डॉलर (मिलियन) | डीसीबी (करोड़ रुपये) |
|---|---|---|
| (1) ऋण राशि | 368.35 | 1269.10 |
| (2) ब्याज दर (स्थिर) | 8.5% | 16.0% |
| (3) पुन: भुगतान अवधि | 7 वर्ष बुलेट | 7 वर्ष बुलेट |
| (4) अपफ्रंट प्रभार | 1.5% | 1.5% |

*उ.प्र. जल विद्युत निगम लि. द्वारा मनेरी-भाली जल विद्युत परियोजना चरण-2 (4×76 मे.वा.)-उत्तर प्रदेश*

1. अनंतिम वित्तीय पैकेज
सम्पूर्ण लागत

| क्र.सं. | वित्तपोषण के स्रोत | राशि | कुल परिव्यय का % |
|---|---|---|---|
| 1. | **ऋण** | | |
| | (1) पीएफसी | 600.00 | 67.68 |
| | (2) उ.प्र. सरकार | 245.50 | |
| | कुल | 845.50 | |
| 2. | **इक्विटी** | | |
| | (1) यूपी जेवीएन लि. | 403.68 | 32.33 |
| | जोड़ | 1249.18 | 100% |

**2. वित्तीय शर्तें**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | ऋण वित्तपोषण के स्रोत | पीएफसी | उ.प्र. सरकार |
| (2) | ऋण राशि | 600 करोड़ रुपये | 245.5 करोड़ रुपये |
| (3) | ब्याज दर (स्थिर) | 15% | 12% |
| (4) | ब्याज कर | 2% (ब्याज पर) | |
| (5) | पुन:भुगतान अवधि | 10 वर्ष<br>त्रैमासिक पुन:भुगतान | 20 वर्ष |
| (6) | मोरेटोरियम अवधि | सीओडी के बाद 6 माह | 2 वर्ष |
| (7) | वित्तीय प्रभार | 1% | |
| (8) | ब्याज पुन: भुगतान | त्रैमासिक भुगतान<br>आहरण के 6 माह बाद | |

**तमिलनाडु के पुडुक्कोट्टई जिले में एल पी जी एजेंसियां**

**3624. श्री तिरुनावक्करसू:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु के पुडुक्कोट्टई जिले में विभिन्न तेल कंपनियों के एल पी जी डीलरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आसपास के गांवों में सेवा प्रदान करने हेतु ताल्लुक मुख्यालयों में एल पी जी डीलरों को नियुक्त नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सभी क्षेत्रों में बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु अधिक एल पी जी डीलरशिप आवंटित करने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) से (ग) तमिलनाडु में पुडाक्कोट्टई जिले में फिलहाल 2 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें काम कर रही हैं। तालुका मुख्यालयों सहित और अधिक क्षेत्र सम्मिलित करने के लिए तमिलनाडु में पुडाक्कोट्टई जिले में 6 और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें एल पी जी विपणन योजना में सम्मिलित कर ली गई हैं।

**एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ**

**3625. श्री रतन लाल कटारिया:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. बूथ कार्य कर रहे हैं; और

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने बूथ स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यन सिकदर):** (क) और (ख) इस समय कार्यरत तथा 2000-2001 के दौरान प्रस्तावित एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ की सर्किल-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

*विवरण*

| सर्किल का नाम | एसटीडी/ आईएसडी/ पीसीओ की संख्या (29.2.2000 की स्थिति के अनुसार) | 2000-2001 के लिए लक्ष्य |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. अंडमान-निकोबार | 154 | 35 |
| 2. आंध्र प्रदेश | 29248 | 7500 |
| 3. असम | 5355 | 1125 |
| 4. बिहार | 11950 | 5250 |
| 5. गुजरात (दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली सहित) | 30260 | 7500 |
| 6. हरियाणा | 8404 | 2250 |
| 7. हिमाचल प्रदेश | 1864 | 750 |
| 8. जम्मू एवं कश्मीर | 2125 | 750 |
| 9. कर्नाटक | 26295 | 4500 |
| 10. केरल (लक्षद्वीप सहित) | 17008 | 2250 |
| 11. मध्य प्रदेश | 18485 | 5250 |
| 12. महाराष्ट्र (गोवा सहित) | 32724 | 6000 |
| 13. उत्तर-पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा सहित) | 2326 | 715 |
| 14. उड़ीसा | 4954 | 750 |
| 15. पंजाब (चंडीगढ़ सहित) | 21071 | 1875 |
| 16. राजस्थान | 19082 | 2250 |
| 17. तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित) | 11974 | 6000 |
| 18. उ.प्र. (पूर्व) | 27191 | 7500 |
| 19. उ.प्र. (प.) | 16460 | 3750 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 20. पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित) | 5653 | 3750 |
| 21. मुंबई | 16730 | 6000 |
| 22. कलकत्ता | 11734 | 4500 |
| 23. दिल्ली | 11563 | 3750 |
| 24. चेन्नई | 7596 | 6000 |
| जोड़ | 3,40,206 | 90,000 |

**उड़ीसा में डाकघरों में टेलीफोन कनैक्शन**

**3626. श्री भर्तृहरि महताब:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के सभी डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने डाकघरों में अभी यह सुविधा प्रदान की जाती है; और

(ग) राज्य के सभी डाकघरों में कब तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिये जायेंगे?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) जी नहीं।

(ख) उड़ीसा सर्किल में 3946 डाकघरों में टेलीफोन सुविधा नहीं है।

(ग) जिन डाकघरों में टेलीफोन कनेक्शन नहीं हैं, उन्हें टेलीफोन कनेक्शन दूरसंचार प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

**बिहार में रसोई गैस एजेंसियां**

**3627. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी जिलों में किन-किन स्थानों पर रसोई गैस एजेंसियां स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है और कब तक ये एजेंसियां स्थापित की जाएंगी;

(ख) उपर्युक्त सभी जिलों में सभी प्रखंड मुख्यालयों में रसोई गैस एजेंसियां, पेट्रोल पंप और मिट्टी के तेल, की बिक्री केन्द्र खोलने के लिए तैयार की गई योजनाओ और तत्संबंधी लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन जिलों में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है; और

(घ) इन उत्पादों की कमी के क्या कारण हैं और इस समस्या के समाधान हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) तेल कंपनियों का बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में 7-7 और सीतामढ़ी जिले में 5 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें, पेट्रोल पंप तथा एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपें ब्लाक मुख्यालयों सहित तेल उद्योग के व्यवहार्यता मानक पूरा करने वाले विभिन्न स्थानों पर खोले जाते हैं। तदनुसार तेल कंपनियों का उपुर्यक्त जिलों में निम्नानुसार डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना करने का प्रस्ताव है:

| उत्पाद | मुजफ्फरपुर | सीतामढ़ी | वैशाली |
|---|---|---|---|
| खुदरा बिक्री केन्द्र | 10 | 8 | 4 |
| एसकेओ-एलडीओ | 1 | 5 | 2 |
| एलपीजी | 7 | 5 | 7 |

(ग) और (घ) आम तौर पर उपर्युक्त जिलों में पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी तेल की मांग पूर्णतया पूरी की जा रही है। जनवरी, 2000 में एक पखवाड़े के दौरान कतिपय तकनीकी समस्याओं के कारण एच पी सी ने पेट्रोल की कमी अनुभव की। तथापि, डीजल तथा पेट्रोल की कोई कमी नहीं थी। बाद में स्थिति सामान्य हो गई।

**इंडियन मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट 1958 में संशोधन**

**3628. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार "इंडियन मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958" में संशोधन करने का है ताकि लघु और प्रमुख पत्तनों को संयुक्त उद्यमों में प्रवेश कराया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बुनियादी विकास हेतु लघु पत्तन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान):** (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में संशोधन करने के प्रस्ताव का एक विधेयक संसद के विचाराधीन है ताकि महापत्तन न्यास लघु पत्तनों सहित कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर सकें।

(ग) और (घ) लघु पत्तन संबंधित तटवर्ती राज्य के प्रशासनिक कार्यक्षेत्र के अधीन होते हैं।

## ग्रामीण विद्युतीकरण

**3629. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी :**
**श्री अनन्त नायक :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक गांव में बिजली उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार आज तक कितनी प्रगति हुई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत देश में कुल कितने एक प्वाइंट के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं; और

(घ) नौवीं योजना अवधि के दौरान राज्य-वार कुल कितने गांवों में विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) ग्राम विद्युतीकरण के लिए प्राथमिकता संबंधी क्षेत्रों का निर्धारण और निर्णय राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, जो कि राज्यों में विद्युत की उपलब्धता और अवसंरचनात्मक प्रणालियों के सृजन हेतु वित्त संबंधी संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

(ख) फरवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार गांवों की विद्युतीकरण संबंधी राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत देश में उपलब्ध कराए गए सिंगल प्वाइंट कनैक्शनों की कुल संख्या निम्न प्रकार से है:-

| वर्ष | संख्या |
|---|---|
| 1999-2000 | 1,98,416 |
| 1998-1999 | 5,29,914 |
| 1997-1998 | 3,72,692 |

(घ) राज्य बिजली बोर्डों की विगत के कार्य निष्पादनों और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वार्षिक आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य योजना आयोग निर्धारित करता है। ग्रामीण विद्युतीकरण (आर.ई.सी.) ने नौवीं योजनावधि के पहले तीन वर्षों के दौरान 7000 गांवों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। निर्धारित लक्ष्यों में से आर.ई.सी. ने दिसम्बर, 1999 के अंत तक 6281 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया है, जो संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

***विवरण-I***

***फरवरी, 2000 की स्थितिनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण की राज्यवार स्थिति***

| क्र.सं. | राज्य | कुल आबाद गांवों की संख्या (1999 की जन-गणनानुसार) | फरवरी, 2000 की स्थितिनुसार विद्युतीकृत गांव की सं. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 26586 | 26565 | पूर्णत: विद्युतीकृत। शेष व्यवहार्य नहीं। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 3649 | 2147 | |
| 3. | असम | 24685 | 19019 | प्रगति 11/99 के अंत तक रिपोर्ट |
| 4. | बिहार | 67513 | 47862 | |
| 5. | गोवा | 360 | 360 | |
| 6. | गुजरात | 18028 | 17940 | पूर्णत: विद्युतीकृत। शेष व्यवहार्य नहीं। |
| 7. | हरियाणा | 6759 | 6759 | |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 16997 | 16826 | |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 6477 | 6315 | प्रगति 3/98 के अंत में दर्ज की गई। |
| 10. | कर्नाटक | 27066 | 26681 | प्रगति 1/2000 के अंत में दर्ज की गई। |
| 11. | केरल | 1384 | 1384 | |
| [illegible] | मध्य प्रदेश | 71526 | 68313 | |
| | महाराष्ट्र | 40412 | 40412 | |
| 14. | मणिपुर | 2182 | 2001 | |
| 15. | मेघालय | 5484 | 2510 | प्रगति 12/99 के अंत में दर्ज की गई। |
| 16. | मिजोरम | 698 | 691 | |
| 17. | नागालैंड | 1216 | 1163 | प्रगति 11/99 के अंत में दर्ज की गई। |
| 18. | उड़ीसा | 46989 | 35172 | |
| 19. | पंजाब | 12428 | 12428 | |
| 20. | राजस्थान | 37889 | 35172 | |
| 21. | सिक्किम | 447 | 405 | |
| 22. | तमिलनाडु | 15822 | 15822 | |
| 23. | त्रिपुरा | 855 | 810 | |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 112803 | 89038 | |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 37910 | 29563 | |
| | जोड़ (राज्य) | 586165 | 505311 | |
| | जोड़ यू.टी. | 1093 | 1090 | पूर्णत: विद्युतीकृत। शेष व्यवहार्य नहीं। |
| | जोड़ (अखिल भारत) | 587258 | 506401 | |

*विवरण-II*

*नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में विद्युतीकृत गांवों की संख्या*

| क्र.सं. | राज्य | 1997-98 | | 1998-99 | | 1999-2000 (दिस. 99) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | आवश्यकता | लक्ष्य | आवश्यकता | लक्ष्य | आवश्यकता |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | * | * | * | 0 | * | 0 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 100 | 100 | 85 | 0 | 80 | 0 |
| 3. | असम | 230 | 20 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 4. | बिहार | 330 | 5 | 100 | 8 | 0 | 6 |
| 5. | दिल्ली | * | * | * | 0 | * | 0 |
| 6. | गोवा* | * | * | * | 0 | * | * |
| 7. | गुजरात | 0 | 9 | 0 | 4 | * | 0 |
| 8. | हरियाणा | * | * | * | 0 | * | * |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 |
| 10. | जम्मू एवं कश्मीर | 30 | 14 | 30 | 184 | 15 | 0 |
| 11. | कर्नाटक | 0 | 217 | * | 13 | 15 | 2 |
| 12. | केरल* | * | * | * | 0 | * | 0 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 500 | 463 | 300 | 300 | 300 | 37 |
| 14. | महाराष्ट्र* | * | * | * | 0 | * | 0 |
| 15. | मणिपुर | 80 | 52 | 40 | 50 | 75 | 2 |
| 16. | मेघालय | 50 | 27 | 30 | 16 | 0 | 0 |
| 17. | मिजोरम | 15 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 18. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 19. | उड़ीसा | 250 | 800 | 450 | 817 | 580 | 636 |
| 20. | पंजाब | * | * | * | 0 | * | 0 |
| 21. | राजस्थान | 480 | 698 | 450 | 685 | 450 | 132 |
| 22. | सिक्किम | * | * | * | 0 | * | 0 |
| 23. | तमिलनाडु* | * | * | * | 0 | * | 0 |
| 24. | त्रिपुरा | 35 | 15 | 10 | 3 | 10 | 2 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 500 | 851 | 450 | 711 | 400 | 357 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 400 | 48 | 10 | 83 | 0 | 142 |
| | जोड़ | 3000 | 3270 | 2000 | 2873** | 2000 | 1321 |

(*) 100% विद्युतीकृत राज्य।

(-) इनमें आ.प्र. के 21 गांव और नागालैंड के 40 गांवों को के.वि.प्रा. द्वारा अव्यवहार्य घोषित किया गया है को छोड़कर।

(**) इनमें अरूणाचल प्रदेश के 14 गांवों को के.वि.प्रा. द्वारा अव्यवहार्य घोषित किया गया है, को छोड़कर।

*[हिन्दी]*

**विद्युत उपस्कर**

**3630. श्री रामशकल :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घटिया स्तर के विद्युत उपस्करों के कारण देश में बड़ी मात्रा में बिजली की बरबादी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार घटिया विद्युत उपस्कर निर्माताओं को दण्डित करने हेतु कोई कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) से (घ) ऊर्जा अक्षम और घटिया स्तर के उपस्करों/उपकरणों से बड़ी मात्रा में बिजली की बर्बादी होती है। सरकार ने दक्ष उपयोग और इसके संवर्धन के लिए लोक सभा में ऊर्जा संवर्धन बिल 2000 प्रस्तुत किया है। बिल अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को निम्न प्रकार से समर्थ बनाएगा:-

(क) किसी उपस्कर, उपकरण के लिए जो ऊर्जा का उपभोग, उत्पादन, पारेषण अथवा ऊर्जा प्रदान करता है, प्रक्रिया के लिए मान और ऊर्जा उपभोग के मानक विनिर्दिष्ट करना;

(ख) विनिर्दिष्ट उपस्कर अथवा उपकरणों के विनिर्माण या विक्रय अथवा क्रय को तब तक के लिए निषिद्ध करना जब तक कि ऐसा उपस्कर अथवा उपकरण ऊर्जा उपभोग के मानकों के अनुरूप न हों; और

(ग) विनिर्दिष्ट उपस्कर अथवा उपकरणों पर लेवलों पर ऐसी विशिष्टियों का सीधा सम्प्रदर्शन करना।

बिल में यह भी व्यवस्था है कि यदि कोई भी विनिर्माणकर्ता उल्लिखित उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए ऐसी शक्ति का जो एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी और असफलता जारी रहने की दशा में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है। ऐसी अतिरिक्त शास्ति का जो 10,000 रु. तक हो सकेगी, दायी होगा।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय पर्यावरणीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1995**

**3631. श्री नामदेव हरबाजी दिवाडे :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरणीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना हेतु कार्रवाई की जा रही है।

**कर्नाटक में एल.एन.जी. आधारित वृहत् विद्युत संयंत्र**

**3632. श्री कोल्लूर बासवन गौड़ :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में तटीय क्षेत्र में एल.एन.जी. आधारित वृहत् विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिये केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय तथा कर्नाटक सरकार के मध्य 12 फरवरी, 2000 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इनके सुधार कार्यक्रम के समर्थन में एल.एन.जी. आधारित 2000 मेगावाट की जेनरेटिंग स्टेशन को कर्नाटक में स्थापित करने के लिए एन.टी.पी.सी. को अनुरोध किया गया। भारत सरकार इस व्यवहार्यता पर विचार करेगी।

*[हिन्दी]*

**महाराष्ट्र में अभयारण्यों और पार्कों का विकास**

**3633. श्री हरिभाऊ शंकर महाले :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अभयारण्यों, राष्ट्रीय पार्कों और आरक्षित वनों के विकास और रख-रखाव के संबंध में केन्द्र सरकार को मंजूरी हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं में से अब तक स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री बाबू लाल मरांडी ):** (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और आरक्षित वनों के विकास और रखरखाव के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत महाराष्ट्र सरकार को दी गई राशियां निम्नलिखित हैं।

| क्र.सं. | योजना का नाम | जारी की गई धनराशि (लाख रुपए में) |
|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास | 124.43 |
| 2. | बाघ परियोजना | 134.765 |
| 3. | आधुनिक दावानल नियंत्रण | 10.00 |
| 4. | अवक्रमित वनों के पुनरूद्धार में अनुसूचित जनजातियों और निर्धन ग्रामीण व्यक्तियों को भोगाधिकार हिस्सेदारी के आधार पर सम्मिलित करना | 37.94 |
| 5. | एकीकृत वनीकरण एवं पारिविकास परियोजना | 17.18 |
| 6. | क्षेत्रोन्मुखी ईंधन की लकड़ी और चारा परियोजना | 120.91 |

*[अनुवाद]*

**मारमागांवो पत्तन न्यास द्वारा कर्मचारियों की भर्ती**

**3634. श्री श्रीपाद येसो नाईक :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मारमागांवो पत्तन न्यास द्वारा पत्तनवार कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई;

(ख) क्या ये नियुक्तियां निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान):** (क) अप्रैल, 1997 से मार्च, 2000 तक गत तीन वर्षों के दौरान की गई भर्ती

| श्रेणी | I | II | III | IV | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | 2 | 165 | 195 | 373 |

(ख) श्रेणी I, II, III और IV के पदों के संबंध में भर्ती नियम विहित दिशानिर्देशों तथा समय-समय पर गोवा सरकार द्वारा श्रेणी III एवं IV के मदों के संबंध में जारी परिपत्र के अनुसार हैं।

(ग) श्रेणी I एवं II के पदों के संबंध में विहित दिशानिर्देशों के अनुसार रिक्त स्थानों के विज्ञापन स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में दिए जाते हैं। श्रेणी III एवं IV के मामले में रिक्तियों की सूचना स्थानीय रोजगार कार्यालय को दी जाती है और इसके अतिरिक्त यदि रोजगार कार्यालय से पर्याप्त प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता तो अधिक खपत वाले समाचार पत्रों में रिक्त स्थानों का विज्ञापन दिया जाता है।

**संविधान की समीक्षा का विरोध**

**3635. श्री सुशील कुमार शिंदे :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दलित, अल्पसंख्यक और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों ने देश के विभिन्न भागों में भारत के संविधान की समीक्षा करने की पहल का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में विशेषकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए और घायल हुए लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल):** (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

## ग्रामीण विद्युतीकरण

**3636. श्री दिग्गा पटेल :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अभी हाल ही में जनजातीय ग्रामों और राज्य की दलित बस्तियों के ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कुछ राज सहायता देने का निर्णय लिया है;

यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित राजसहायता राज्य-वार कितने जनजातीय ग्रामों और दलित बस्तियों में उपलब्ध कराई जाएगी?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) जी, हां। सरकार ने देश में आदिवासी गांवों और दलित बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए वर्ष 2000-2001 के लिए 16.67 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता प्रदान करने का हाल ही में निर्णय लिया है। आर्थिक सहायता ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के जरिए प्रदान की जायेगी।

(ख) और (ग) आदिवासी गांवों और दलित बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

### *विवरण*

*आदिवासी गांवों और दलित बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए राज्यवार प्रस्तावित लक्ष्य*

| क्र.सं. | राज्य | आदिवासी गांवों का विद्युतीकरण (संख्या) | दलित बस्तियों का विद्युतीकरण (संख्या) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 0 | 250 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 60 | 0 |
| 3. | असम | 20 | 0 |
| 4. | बिहार | 0 | 84 |
| 5. | जम्मू एवं कश्मीर | 0 | 16 |
| 6. | कर्नाटक | 0 | 100 |
| 7. | केरल | 0 | 80 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 100 | 700 |
| 9. | महाराष्ट्र | 0 | 100 |
| 10. | मणिपुर | 60 | 0 |
| 11. | मेघालय | 10 | 0 |
| 12. | मिजोरम | 3 | 0 |
| 13. | नागालैंड | 2 | 0 |
| 14. | उड़ीसा | 100 | 300 |
| 15. | राजस्थान | 50 | 300 |
| 16. | त्रिपुरा | 10 | 0 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 0 | 500 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 0 | 10 |
| | कुल राज्य | 415 | 2440 |

## महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा ग्राहकों को हुई असुविधा

**3637. श्रीमती रीना चौधरी :**
**श्री रवि प्रकाश वर्मा :**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ग्राहकों द्वारा देय तारीख से बहुत पहले महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के रिकार्ड में बकाया दर्शाई राशि का भुगतान करने के बावजूद भी इस आधार पर कि 'टेलीफोन बिल का भुगतान नहीं किया गया है' टेलीफोन उपभोक्ताओं की बाह्य टेलीफोन सेवा काट देता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के प्राधिकारियों को ग्राहकों को असुविधा न पहुंचाने के लिए

अपना रिकार्ड अद्यतन रखने के संबंध में निर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) और (ख) जी नहीं। भुगतान कर दिए जाने पर, निष्कपट/अनजाने में हुई चूक को छोड़कर बाहर जाने वाली टेलीफोन सेवा को समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई अनुदेश नहीं हैं।

(ग) और (घ) टेलीफोनों की डिस्कनेक्शन सूची की विशुद्धता सुनिश्चित करने के संबंध में अनुदेश है। उपभोक्ताओं को एम.टी.एन.एल. में यह भी सुविधा है कि जहां आन लाइन के लिए भुगतान किया जाता है, वे पे-इन स्लिप्स के माध्यम से भुगतान करें। वास्तविक समय-आधार पर भुगतान की गणना में तेजी लाने के लिए नये काउंटर इक्विपमेंट की भी खरीद की गयी है जिससे कोई गलत डिस्कनेक्शन न हो सके।

**तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों की नई परियोजनाएं**

**3638. श्री पी.डी. एलानगोवन :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु आरंभ की गई नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजन हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं को अनुमानित कितने समय में पूर्ण किया जाएगा;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 को चार लेन वाला बनाने संबंधी कार्य की स्थिति क्या है;

(घ) कार्य के प्रत्येक खंड हेतु कितनी निधियां आवंटित की गई हैं; और

(ङ) तमिलनाडु में थोप्पुर तथा होसुर, धर्मापुरी (खंड) में धीमी गति से कार्य होने के क्या कारण हैं?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान):** (क) और (ख) मंत्रालय ने वार्षिक योजना 1999-2000 में 61.97 करोड़ रु. लागत के 46 कार्य संस्वीकृत किए हैं। इन सभी कार्यों को मार्च, 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) रा.रा.-7 (लखनादौन के दक्षिण में) को चार लेन का बनाने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) द्वारा अपनी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन.एच.डी.पी.) के तहत चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है। चरण-1 के तहत करीब 120 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 40.58 कि.मी. लम्बाई में चार लेन बनाने का कार्य पहले ही सौंपा जा चुका है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 120 करोड़ रु. होगी। ये कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें दिसम्बर, 2001 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(घ) प्रत्येक कार्य की प्रगति और आवश्यकता के आधार पर एन.एच.ए.आई. के समग्र बजट से राशि उपलब्ध कराई जाती है।

(ङ) थोपुर और होसुर के बीच धर्मपुरी कस्बे के निकट चार लेन बनाने के लिए पर्याप्त चौड़ाई की भूमि उपलब्ध न होने के कारण एन.एच.ए.आई. ने चार लेन बनाने का कार्य शुरू नहीं किया है।

**अभिहीत वन्य जीव न्यायालय**

**3639. श्री ए. कृष्णास्वामी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 मार्च, 2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "शहतूश टरेड थ्राइव्स, कर्टसी लैक आफ कन्विक्सन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभिहीत न्यायालयों या विशेषज्ञ वकीलों को स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण है तथा न्यायालयों में शहतूश जब्त किए जाने संबंधी कुल कितने मामले लंबित हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) और (ख) जी, हां। तिब्बती बारहसिंगा (एन्टीलोप), जिससे शहतूश निकाला जाता है, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल है। तिब्बती एन्टीलोप का शिकार और इसके उत्पादों का व्यापार करना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत निषिद्ध है। तिब्बती बारहसिंगा (एन्टीलोप) जिसे शहतूश शाल बनाने के लिए मार दिया जाता है, अत्यधिक संकटापन्न प्रजाति है। शहतूश के अवैध व्यापार का एक प्रमुख कारण यह है कि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य लाभदायक है। प्रवर्तन एजेंसियों ने अपराधियों से कई अवैध शाल जब्त किए हैं और उनके विरूद्ध मामले दर्ज किए हैं।

(ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे उच्च न्यायालयों के परामर्श से एक विशेष न्यायालय स्थापित करें, जोकि वन और वन्यजीवों से संबंधित अपराधों पर कार्रवाई

करे। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार विधि न्यायालय में शहतुश की जब्ती के 14 मामले लम्बित पड़े हैं।

### जम्मू और कश्मीर में विद्युत का अभाव

3640. **वैद्य विष्णु दत्त शर्मा :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर की कुल विद्युत आवश्यकता कितनी है तथा राज्य के बाहर स्थित विभिन्न विद्युत केन्द्रों से वास्तव में कितनी मात्रा में विद्युत की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार जम्मू और कश्मीर सरकार के ऊपर विद्युत मंत्रालय की कुल कितनी बकाया राशि देय है; और

(ग) अभी तक राज्य से कितनी धनराशि की वसूली हो पाई है तथा शेष बकाया राशियों की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती जयवंती मेहता ):** (क) जनवरी, 2000 से मार्च, 2000 तक पिछले तीन महीनों में जम्मू व कश्मीर की विद्युत आवश्यकता तथा राज्य को विभिन्न विद्युत स्टेशनों से आपूर्ति की गई विद्युत का ब्यौरा निम्नवत है:-

(आंकड़े मि.यू. में)

| | | जनवरी, 2000 | फरवरी, 2000 | मार्च, 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आवश्यकता | 595 | 545 | 580 |
| | उपलब्धता | | | |
| | (1) राज्य का अपना उत्पादन | 24.9 | 35.6 | 56.4 |
| | (2) जम्मू व कश्मीर में अवस्थित एनएचपीसी की सलाल एवं उड़ी (एचपीएस) सहित केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशन | 30.5 | 355.7 | 381.3 |
| | (3) से सहायता: | | | |
| | (क) पंजाब | 20.4 | 18.3 | 13.8 |
| | (ख) पश्चिमी क्षेत्र | 3.4 | 0.4 | 0.5 |
| | (4) कुल उपलब्धता | 354 | 410 | 452 |
| 3. | कमी | 241 | 135 | 128 |
| | (%) | (40.5) | (24.8) | (22.1) |

(ख) 29.2.2000 की स्थितिनुसार जम्मू व कश्मीर द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत निगमों द्वारा आर.ई.सी., एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी. तथा पी.जी.सी.आई.एल. को देय बकाया राशियां 518.41 करोड़ रुपये के अधिभार सहित 1235.56 करोड़ रुपये थी।

(ग) 31.12.1996 की स्थितिनुसार 465.03 करोड़ रुपये की कुल बकाया धनराशि में से मार्च, 2000 तक जम्मू व कश्मीर के केन्द्रीय विनियोजन के माध्यम से 285.80 करोड़ रुपये तक की वसूली की जा चुकी है।

बकाया राशियों के परिसमापन हेतु विद्युत मंत्रालय जम्मू व कश्मीर सरकार को तथा गृह मंत्रालय और सी.पी.एस.यू. जम्मू व कश्मीर के विद्युत विकास विभाग को समय-समय पर लिखते रहे हैं।

### मेजिया ताप विद्युत परियोजना

3641. **श्री सुनील खां :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मेजिया ताप विद्युत परियोजना की चौथी यूनिट को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक शुरू हो जायेगी?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्रीमती जयवंती मेहता )**: (क) और (ख) मेजिया थर्मल पावर परियोजना की चौथी यूनिट को अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। किंतु दामोदर वैली कारपोरेशन ने 20 लाख रु. पर व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया है। व्यवहार्यता स्थापित होने के उपरान्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेज दी जायेगी।

**सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ**

3642. **श्री अनन्त नायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ का कंपनी-वार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री संतोष कुमार गंगवार )**: एक विवरण संलग्न है।

*विवरण*

(करोड़ रुपए में)

| क्र.सं. | सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम | वर्षों के दौरान कर पश्चात् लाभ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1996-97 | 1997-98 | 1998-99 |
| 1. | आयल एंड नेचुरल गैस कार्पो. लि. | 2033.65 | 2677.78 | 2754.49 |
| 2. | आयल इंडिया लि. | 220.14 | 288.84 | 291.60 |
| 3. | गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. | 606.87 | 1020.31 | 1059.92 |
| 4. | इंडियन आयल कार्पो. लि. | 1408.22 | 1706.50 | 2213.52 |
| 5. | हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि. | 612.22 | 701.16 | 901.26 |
| 6. | भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. | 432.6 | 532.7 | 701.23 |
| 7. | आई.बी.पी. कं. लि. | 25.54 | 31.56 | 35.23 |
| 8. | बामर लारी एंड कं. लि. | 14.21 | 16.41 | 16.83 |
| 9. | बीको लारी लि. | (-)2.69 | (-)4.88 | 0.45 |
| 10. | मद्रास रिफाइनरीज लि. | 102.18 | 129.28 | 204.93 |
| 11. | कोचीन रिफाइनरीज लि. | 92.93 | 220.41 | 338.23 |
| 12. | बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. | 29.07 | 67.99 | 34.26 |
| 13. | लुब्रीझाल इंडिया लि. | 33.84 | 31.05 | 41.24 |
| 14. | इंजीनियर्स इंडिया लि. | 72.05 | 73.24 | 117.77 |

**सिलिंडरों की प्रतिभूति राशि पर ब्याज**

3643. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसोई गैस एजेंसियों के सिलिंडरों की प्रतिभूति के रूप में उपभोक्ताओं द्वारा अदा की गई राशि पर ब्याज देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री संतोष कुमार गंगवार )**: (क) जी नहीं।

(ख) जमा राशि तेल कंपनियों द्वारा ग्राहकों को उधार के रूप में दिए गए एल.पी.जी. उपकरणों के लिए सुरक्षा राशि के रूप में

ली जाती है जोकि उपकरण वापस जमा कराने के समय लौटा दी जाती है।

यह जमा राशि एल पी जी उपकरणों का पर्याप्त भंडार हर समय उपयोग योग्य हालत में बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तेल कंपनियों द्वारा ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति ग्राहक औसतन 1.5 सिलेंडर बनाए रखना अपेक्षित होता है। इसलिए प्रतिभूति जमाराशि पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता।

## टेलीफोन निर्देशिका

**3644. श्री राजैया मल्याला :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैदराबाद शहर की टेलीफोन निर्देशिका के मुद्रण तथा वितरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) शहर में नई टेलीफोन निर्देशिकाएं कब तक वितरित कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या टेलीफोन निर्देशिका की आपूर्ति न किए जाने के कारण टेलीफोन उपभोक्ताओं को कुछ रियायत दिए जाने के संबंध में हैदराबाद टेलीकाम जिले के समक्ष कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) येलो पेज डायरेक्ट्री के मुद्रण के लिए निविदा आमंत्रित की गई थीं किन्तु जवाब संतोषजनक नहीं था। डायरेक्ट्री के विभागीय तौर पर मुद्रण का निर्णय किया गया है। तथापि, डायरेक्ट्री सी डी रोम और आन्ध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल "डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए.पी.-टेलीकॉम जी.ओ.वी.आई.एन." के वेब साइट पर उपलब्ध है।

(ख) डायरेक्ट्री चार माह के भीतर उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) डायरेक्ट्री सी डी रोम और वेब साइट पर उपलब्ध है। डायरेक्ट्री पूछताछ सेवा 197 निशुल्क रूप से उपलब्ध है।

## महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा आवंटन

**3645. श्री शिवाजी माने :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक द्वारा महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन/विकास किया जाना है, उनका ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग में कितनी धनराशि सन्निहित है; और

(ग) कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान):** (क) से (ग) केन्द्र सरकार मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कें अनिवार्यत: राज्य सरकार का विषय है। महाराष्ट्र में बसीन क्रीक और मनोर के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेन बनाने की एक परियोजना विश्व बैंक की सहायता से चल रही है। इसकी लागत 263.52 करोड़ रु. है। फरवरी, 2000 तक 157.88 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं। विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं की है।

*[हिन्दी]*

## डाकघर के लिए भवनों का निर्माण

**3646. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गुलगंज और टिकमगढ़ जिले में जतारा नामक स्थलों पर डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण करने हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस भूमि का अधिग्रहण कब किया गया था और भवन का निर्माण कब तक किया जाना था;

(ग) क्या सरकार को बाहरी व्यक्तियों द्वारा विभागीय सम्पत्ति का अतिक्रमण करने के बारे में जन प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) छतरपुर जिले में गुलगंज तथा टीकमगढ़ जिले में जतारा में डाकघर भवनों का निर्माण करने के लिए भूमि उपलब्ध है।

(ख) गुलगंज में जो भूमि है, वह विभाग द्वारा नहीं खरीदी गई है। ब्रिटिश राज के दौरान यह भूमि डाक वाहकों के ठहरने

के लिए डाक विभाग को दी गई थी। बाद में, ग्राम पंचायत गुलगंज ने यह भूमि बिना किसी लागत के डाक विभाग को अंतरित कर दी थी। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1380 वर्गफुट है। जतारा में जो भूमि है, उसे विभाग ने 9.3.1979 को खरीदा था। इसकी लागत 20,650/- रु. थी। इन दोनों स्थानों पर, इस समय, डाकघर भवन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) इन दोनों परिसम्पत्तियों का कथित अधिक्रमण होने के बारे में विभाग को श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, संसद सदस्य (लोक सभा) से 7.12.1999 का एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था।

(घ) उपर्युक्त दोनों परिसम्पत्तियों का अधिक्रमण नहीं हुआ है।

**राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोटलों का निर्माण**

**3647. श्री रामदास आठवले :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोटलों/विश्राम स्थलों के निर्माण की कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इन मांगों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देबेन्द्र प्रधान):** (क) से (ग) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों पर विश्राम स्थल और मार्गस्थ सुविधाएं मुहैया कराने के बारे में मांग उठती रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुरू की जा रही/शुरू की जाने वाली संभावित विभिन्न परियोजनाओं में ट्रक पार्किंग, बस विश्रामस्थल जैसी मार्गस्थ सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

**वन्य जीव प्रजातियों का लुप्तप्राय होना**

**3648. श्री राधा मोहन सिंह :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वन्य जीव प्रजातियों के नाम क्या-क्या हैं तथा इनमें से कौन-कौन सी प्रजातियां लुप्तप्राय होने की स्थिति में हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन प्रजातियों को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी):** (क) भारत में पौधों की लगभग 46,000 प्रजातियां तथा ज्ञात प्राणिजात की लगभग 81,000 प्रजातियां हैं जो देश में वन्यजीव वासस्थल का एक भाग है। इनमें से पौधों की लगभग 622 प्रजातियां और जानवरों की 276 प्रजातियां संकट के विभिन्न स्तरों से ग्रस्त हैं।

(ख) संकटग्रस्त प्रजातियों सहित पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

* भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणि सर्वेक्षण द्वारा क्रमश: वनस्पतिजात और प्राणिजात संसाधनों का सर्वेक्षण उनकी पहचान और मॉनीटरिंग करना।

* राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों वाले सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के माध्यम से स्व: स्थाने संरक्षण जीवमण्डल आरक्षित क्षेत्र जैसी प्रतिनिधिक पारि-प्रणालियां निर्दिष्ट करना, बाघ परियोजना तथा हाथी परियोजना जैसे प्रजाति विशिष्ट संरक्षण कार्यक्रम।

* सुरक्षित क्षेत्रों के भीतर तथा उनके आस-पास पारि-विकास संबंधी गतिविधियां।

* परती भूमियों, कच्छ वनस्पति और प्रवाल भित्तियों के वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन और सही ढंग से प्रयोग के लिए कार्यक्रम।

* वनस्पति उद्यानों और प्राणी उद्यानों के माध्यम से स्थान बाह्य संरक्षण।

* वन्यजीवों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय वन अधिनियम, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आदि जैसे विभिन्न कानून बनाना।

**संविधान की पुनरीक्षा**

**3649. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
**श्री एम.के. सुब्बा :**

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संविधान के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव की नियुक्ति करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों से उक्त आयोग में उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल):** (क) संविधान के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का चयन सांविधानिक मुद्दों पर उनकी सुविज्ञता और राष्ट्र की लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यकरण की जानकारी के आधार पर किया गया है। आयोग के सदस्यों का चयन सांविधानिक विधि, अर्थशास्त्र, राजनीति, विधि, समाज शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और अन्य सुसंगत विषयों में उनकी सुविज्ञता तथा ज्ञान के आधार पर किया गया है।

ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**रसोई गैस का आयात**

3650. **श्री नवल किशोर राय :**
**श्री सुकदेव पासवान :**
**श्री अरूण कुमार :**
**श्री शंकर सिंह वाघेला :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में रसोई गैस की मांग को पूरा करने के लिए इसका आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में रसोई गैस का आयात किया गया तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में रसोई गैस की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष-वार इसका घरेलू उत्पादन कितना रहा;

(ग) क्या सरकार ने देश में उत्पादित रसोई गैस तथा आयातित रसोई गैस की लागत का अलग-अलग आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित रसोई गैस की उत्पादन लागत कितनी है तथा इसकी लागत में अंतर के क्या कारण हैं;

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में रसोई गैस की मांग और आपूर्ति में किस दर से वृद्धि हुई है; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान देश में घरेलू तथा वाणिज्यिक उपभोग के लिए औसतन कितनी प्रतिशत रसोई गैस की आपूर्ति की गई?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एल पी जी का उत्पादन और आयातित एल पी जी की मात्रा निम्नवत् थे:-

(मात्रा हजार टनों में)

| वर्ष | उत्पादन | आयात* |
|---|---|---|
| 1997-98 | 3454 | 1087 |
| 1998-99 | 3568 | 1525 |
| 1999-2000 | 4480 (अनंतिम) | 1324 (अनंतिम)** |

*निजी पक्षकारों द्वारा आयात शामिल नहीं है।

**अप्रैल, 1999 से फरवरी, 2000 तक के आंकड़े

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान एल पी जी की मांग और आपूर्ति में वृद्धि की दर निम्नानुसार थी:

| | |
|---|---|
| 1997-98 | 12.6 प्रतिशत |
| 1998-99 | 11.40 प्रतिशत |
| 1999-2000 | 17.6 प्रतिशत |

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग के लिए एल पी जी की मात्रा का औसत प्रतिशत क्रमशः लगभग 94.6 प्रतिशत और 5.4 प्रतिशत था।

*[अनुवाद]*

**राज्य विद्युत बोर्डों की "एसोसिएबिलिटी"**

3651. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 2000 के "इकोनामिक टाइम्स" में "वारी एफआईज टर्न हीट ऑन सेब्स, रिवाइज एस्क्रो प्रोजेक्शन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनेक राज्यों में राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा या केन्द्रीय विद्युत उत्पादक कंपनियों द्वारा आरंभ की जा रही परियोजनाओं समेत निजी क्षेत्र में नियोजित की गई सभी परियोजनाओं की संयुक्त क्षमता इन परियोजनाओं को एस्क्रो कवर प्रदान करने के लिए राज्यों की क्षमता से अधिक है, राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय कमजोरी, प्रतिस्पर्द्धा के अभाव तथा टैरिफ युक्तियुक्तकरण असमर्थता के कारण निजी क्षेत्र बिजली उत्पादक बिजली क्षेत्र में पूंजी लगाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति कमजोर हो रही है जिससे उनकी एस्क्रोएवल क्षमता कम हो रही है। विद्युत मंत्रियों के दिनांक 26.2.2000 को आयोजित सम्मेलन में इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था और सभी उपभोक्ताओं को उचित दरों पर मांग पर बिजली उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह संकल्प लिया गया था। सुधारों को दृढ़निश्चय तथा अत्यावश्यकता के रूप में आगे बढ़ाया जाये। सुधार नीति का मुख्य घटक होगा : बिजली चोरी में कटौती/कमी, ऊर्जा ऑडिट तथा सब ट्रांसमिशन एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और राज्य बिजली बोर्डों आदि का विकेन्द्रीकरण।

इन उपायों, जिन पर विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया है और उपायों जैसे कि विद्युत के वितरण के क्षेत्र में निगमीकरण/निजीकरण सभी उपभोक्ता आदि की शत-प्रतिशत मीटरिंग से राज्यों में टैरिफ युक्तिकरण करने की प्रत्याशा है। इसके फलस्वरूप वे अपनी लागत को वसूल करने और समर्थित क्षमता अभिवृद्धि के लिए अत्यधिक संसाधन सृजित करने और उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदान करने की पर्याप्तता और सुनिश्चितता में सुधार करने में समर्थ हो सकेंगे। मामले पर क्राइसिज रेजोल्यूशन ग्रुप (सीआरजी) की मीटिंग में भी विचार-विमर्श किया गया था और एस्क्रो कवर के अलावा उनके द्वारा किए गए सुधार उपायों के आधार पर राज्य विद्युत बोर्डों की स्ट्रेंथ का मूल्यांकन करने का तर्क आई एफ आईज को दिया गया था।

**विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा आवंटित रसोई गैस एजेंसियां/पेट्रोलियम उत्पाद**

**3652. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान "आयल डीलर्स सेलेक्शन बोर्ड" की अनदेखी कर एच.पी.सी.एल., आई.ओ.सी. तथा बी.पी.सी. द्वारा वर्षवार तथा राज्यवार कितने खुदरा पेट्रोलियम बिक्री केन्द्रों तथा रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या यह चयन किन्हीं नियमों या दिशा-निर्देशों के आधार पर किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या इनके आवंटन के संबंध में यह उच्चतम न्यायालय के अनुदेशों की अनदेखी नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे पट्टों को स्थायी आबंटन में परिवर्तित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऐसे पट्टा संबंधी अनुबंधों की संख्या कितनी है जहां पट्टे का समय तीन वर्ष से अधिक हो चुका है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** (क) से (छ) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन, इंडियन आयल कार्पोरेशन तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन ने बताया है कि विगत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने डीलर चयन बोर्डों की अवहेलना करते हुए कोई खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें अथवा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित नहीं की हैं। तथापि, सरकारी नीति के अनुसार उन्होंने कारगिल शहीदों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों को आशय पत्र जारी किए हैं, जिसमें चयन, डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से नहीं किए गए हैं।

**ईरानी गैस पाइप लाईन**

***3653. श्री विलास मुत्तेमवार :***
***डा. अशोक पटेल :***
***श्री चन्द्रकांत खैरे :***
**श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :**
**श्री सदाशिवराव दादोबा मंडिलक :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान अंततः अपने क्षेत्र से होते हुये ईरान से भारत तक गैस पाइप लाइन बिछाने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सहमति की शर्तें क्या हैं;

(ग) ईरान और भारत के बीच गैस पाइप लाइन बिछाने का काम कब तक शुरू हो जायेगा और इसके कब पूरा होने की संभावना है; और

(घ) भारत को यह पारगमन सुविधा देने के लिये पाकिस्तान को किये जाने वाले भुगतान का ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री संतोष कुमार गंगवार ):** (क) इस संबंध में पाकिस्तान से कोई औपचारिक संदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

**तार अधिनियम, 1885**

**3654. श्री सुकदेव पासवान:**
**श्रीमती कान्ति सिंह:**
**डा. रमेश चंद तोमर:**
**मोहम्मद अनवारुल हक:**

क्या **संचार मंत्री** तार अधिनियम के बारे में 28 फरवरी, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 970 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किए गए परिवर्तन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक सौंपे जाने की संभावना है;

(घ) इस समय डाक विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे अन्य पुराने अधिनियमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियमों के स्थान पर नए अधिनियम लाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री तपन सिकदर ):** महोदय, संभाव्यतः दिनांक 28 फरवरी, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 570 में उल्लेख किया गया है, प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार से है:

(क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आशा है कि इस आशय के लिए गठित उप-दल द्वारा एक रिपोर्ट दल को प्रस्तुत की जाएगी जिसके बाद दल मामले पर विचार करेगा। उप-दल की रिपोर्ट को अभी भी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

(घ) से (च) भारतीय डाक अधिनियम, 1898 में कुछ संशोधन विचाराधीन हैं।

**महाराष्ट्र में डाभोल से तालासारी तक गैस पाइप लाइन**

**3655. श्री चिंतामन वनगा:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मेटा गैस कंपनी द्वारा महाराष्ट्र में डाभोल से तालासारी तक गैस पाइपलाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस प्रस्तावित गैस पाइपलाइन के विरोध के कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री संतोष कुमार गंगवार ):** (क) और (ख) जी, नहीं। मैसर्स पेट्रोपोलिस गैस कंपनी प्राइवेट लि. (मैट गैस), जो मैसर्स एनरान की एक सहायक कंपनी है, का राज्य में औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए पुनरगैसीकृत गैस के परिवहन के लिए दाभोल से तालासारी तक लगभग 360 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन (शाखा पाइपलाइनों को छोड़कर), जो रायगढ़ जिला से होकर गुजरेगी, बिछाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार की भूमिका, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने तथा भूमि में उपयोग के

अधिकार (आर ओ यू) के अर्जन के लिए अधिनियम के तहत प्रासंगिक अधिसूचना जारी करने की है। अधिनियम के अनुसार भूमि में उपयोग के अधिकार (आर ओ यू) के अर्जन से संबंधित आपत्तियों का निपटान सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना है। मुआवजे से संबंधित अपीलें संबंधित जिला जज के पास हैं। यह स्थिति संबंधित पक्षकारों को स्पष्ट कर दी गई है।

**एम.टी.एन.एल. द्वारा सेल्यूलर टेलीफोन सेवाएं**

**3656. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. की सेल्युलर टेलीफोन सेवाएं "ड्राप्ड काल" के कारण अक्सर बाधित होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या एम.टी.एन.एल. अब तक इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अपनी सेल्यूलर सेवा में सुधार करने हेतु एम.टी.एन.एल. द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** (क) एम टी एन एल द्वारा मुहैया की गई वर्तमान सेवा सी डी एम ए प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाने से हैं। इस सेवा को आरम्भ करते समय, इस सेवा द्वारा प्रदान कराई जाने वाली कवरेज को दर्शाते हुए एक डायग्राम सभी उपभोक्ताओं को दिया गया तथा इसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। इस सीमित कवरेज हेतु कारण विभिन्न आधार अवस्थानों के बीच गैर निकटस्थ क्षेत्र की वजह से था।

(ख) और (ग) सी डी एम ए प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा इस सेवा के आरंभ करने के पश्चात् विभिन्न पहलुओं जैसे नेटवर्क स्थान-विज्ञान, परियात पैटर्न का अध्ययन किया गया है और इन निवेशों के आधार पर एम टी एन एल कवरेज क्षेत्र को बढ़ाने के लिए समुचित कार्रवाई की जा रही है। बेस स्टेशनों की संख्या 5 से 9 तक बढ़ाई जा रही है ताकि हम न्यूनाधिक एक निकटस्थ क्षेत्र कवर कर सकें।

(घ) (1) उत्तर के भाग (ख) तथा (ग) में उल्लिखित किए अनुसार बेस केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की योजना है।

(2) लगभग 5600 संख्या वाले इन मोबाइल टेलीफोनों के अतिरिक्त, एम टी एन एल का मोबाइल टेलीफोन की संख्या 6500 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त 3000 मोबाइल टेलीफोनों की व्यवस्था दिल्ली में समान सी.डी.एस.ए. तकनोलोजी के प्रयोग से उपस्कर चालू करके भी की जा रही है। इस उपस्कर को 6 माह की अवधि के भीतर लगाए जाने की संभावना है। एम टी एन एल दिल्ली में 100 हजार वाहनों के जी एस एम सेल्लुलर मोबाइल प्रणाली चालू करने की प्रक्रिया चल रही हैं। यह पूरे शहर को एक पूर्ण निकटस्थ कवरेज प्रदान करेगी। इस सेवा के इस वर्ष की तीसरी तिमाही में आरम्भ होने की संभावना है। यह सेवा पी एस एम 2 + मानकों की पूर्णता पुष्टि करेगी। यह सेवा टेलीफोन सेवाएं, वयिरर सेवाएं, एवं सपलीमेन्टरी सेवाएं को सहायता प्रदान करेगी। यह सेवा वाइस मेल सेवा तथा शार्ट मैसेज सर्विज सेल ब्राडकास्ट सहित होगी। यह सेवा इंटेलीजेंट नेटवर्क प्लेटफार्म वाली होगी। पूर्वदत्त एस आई एम बर्चुअल पर्सनल नम्बर निजी नेटवर्क सेवा, फ्री फोन सेवाएं प्रीमियम रेट सेवा इस प्लेटफार्म के प्रयोग द्वारा यूनिवर्सल सेवाएं इससे संभव हो सकेगी।

*[हिन्दी]*

**बिहार के डाल्टनगंज और गढ़वा जिलों में रसोई गैस कनेक्शनों का आबंटन**

**3657. श्री ब्रजमोहन राम:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के डाल्टनगंज और गढ़वा जिलों में स्थित विभिन्न रसोई गैस एजेंसियों द्वारा कुल कितने नए रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए;

(ख) आज की तिथि के अनुसार इन जिलों में रसोई गैस कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जिलों में कुछ रसोई गैस एजेंसियां कुछ अवधि से बंद पड़ी हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार बिहार में निकट भविष्य में रसोई गैस की और एजेंसियां खोलने का है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पता लगाए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):**

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के पलामू (डाल्टनगंज) और गढ़वा जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी किए गए नए एल पी जी कनेक्शनों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

| | पलामू | गढ़वा |
|---|---|---|
| 1997-98 | 342 | 444 |
| 1998-99 | 2122 | 780 |
| अप्रैल, 99 से जनवरी, 2000 तक | 2214 | 1799 |

(ख) आज की तारीख तक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां पंजीकृत प्रतीक्षा सूची बिहार के डाल्टनगंज में 2005 है और गढ़वा जिले में "शून्य" है।

और (घ) इन जिलों में सितंबर, 1997 से मई, 1999 के दौरान केवल एक डिस्ट्रीब्यूटर अर्थात मैसर्स अरूण इंटरप्राइसस को डिस्ट्रीब्यूटर के कदाचारों/अनियमितताओं आदि में लिप्त रहने के कारण निलम्बित किया गया।

(ङ) और (च) बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए बिहार के लिए 1996-98 की वर्तमान विपणन योजना में 105 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित की गई हैं।

*[अनुवाद]*

## राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान योजना

**3658. श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समूचे देश में क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान योजना संयुक्त वन प्रबंध समितियों को विधिक समर्थन देने पर बल देती है;

(ख) संयुक्त वन प्रबंधन को राष्ट्रीय अनुसंधान योजना की प्राथमिकताओं के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित अनसंधान परियोजनाओं को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद तथा राज्य वन विभागों द्वारा तैयार किया गया है और उन्हें प्राथमिकता दी गई है।

---

**अपराह्न 12.01 बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[हिन्दी]*

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):** महोदय, मैं इंडिया हाइड्रोकार्बन वीजन-2025 संबंधी ग्रुप के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1610/2000]

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति) विनियम, 1999 जो 13 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 25-1/98-टीआरएआई (ए एण्ड आर) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**अपराह्न 12.01½ बजे**

*[अनुवाद]*

## विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

**महासचिव:** महोदय, मैं 24 फरवरी, 2000 को सभा में दी गई सूचना के बाद चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2000;

(2) विनियोग (रेल) विधेयक, 2000;

(3) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2000;

(4) विनियोग विधेयक, 2000; और

(5) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2000

---

**अपराह्न 12.02 बजे**

## संचार संबंधी स्थायी समिति

### छठे से ग्यारहवां प्रतिवेदन

*[हिन्दी]*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर): महोदय, मैं संचार संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) संचार मंत्रालय (दूर संचार विभाग) से संबंधित "मल्टी एक्सेस रिले रेडियो (एम.ए.आर.आर.) प्रौद्योगिकी का चयन" के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(2) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित "डाक नेटवर्क" के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(3) संचार मंत्रालय (दूर संचार विभाग) से संबंधित "टेलीकॉम फैक्टरियों का कार्यकरण" के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(4) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2000-2001) के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) का नौवां प्रतिवेदन।

(5) संचार मंत्रालय (दूर संचार विभाग और दूर संचार सेवा विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2000-2001) के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) का दसवां प्रतिवेदन।

(6) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2000-2001) के बारे में संचार संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा) का ग्यारहवां प्रतिवेदन।

---

**अपराह्न 12.02½ बजे**

## रेल संबंधी स्थायी समिति

### पहला प्रतिवेदन

*[हिन्दी]*

**श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम):** महोदय, मैं, रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय:** लगता है, सबको मुलायम सिंह जी की डायरेक्शन्स हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री माधवराव सिंधिया** (गुना): महोदय, इससे पहले कि मंत्री महोदय अपना वक्तव्य आरम्भ करें, हमें स्थगन प्रस्ताव का मामला लेना चाहिए। हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें स्थगन प्रस्ताव पर अपनी स्थिति बताने का अवसर दिया जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय:** मंत्री महोदय का वक्तव्य अपराह्न 2 बजे दिया जायेगा।

**श्री माधवराव सिंधिया:** क्या आप अब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति देंगे?

**अध्यक्ष महोदय:** अभी अन्य मुद्दे लिये जाने हैं।

मद संख्या 8 श्री मुरासोली मारन।

**अपराह्न 12.03 बजे**

## समितियों के लिए निर्वाचन

*[अनुवाद]*

### (एक) रबड़ बोर्ड

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण):** महोदय, मैं, श्री मुरासोली मारन की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा 3 (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐस रीति से जैसा कि

---

अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन अपने में से दो सदस्यों को रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।''

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय** (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय, रबड़ बोर्ड देश में विद्यमान नहीं है। मैं इस बोर्ड का सदस्य था।

**श्री के. येरन्नायडू (श्रीकाकुलम)**: हमें इस बोर्ड की पुनरीक्षा करनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय**: यह हस्तक्षेप करने का समय नहीं है। प्रश्न यह है कि:

''कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन अपने में से दो [illegible] को रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के [illegible] निर्वाचित करें।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय**: देश में यह रबड़ बोर्ड विद्यमान नहीं है। हम ऐसे संस्थान के लिए सदस्यों को कैसे नामांकित कर सकते हैं? यहां कोई आफिस अथवा कोई अन्य चीज नहीं है। यह तो मजाक चल रहा है।

## (दो) कॉफी बोर्ड

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण)**: महोदय, मैं, मुरासोली मारन की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

''कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4 (1) के साथ पठित काफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन अपने में से दो सदस्यों को कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।''

**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है कि:

''कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित काफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन अपने में से दो सदस्यों को कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

## (तीन) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमण)**: महोदय, मैं श्री मुरासोली मारन की ओर से, निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

''कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4(1) के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4(3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है कि:

''कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4(1) के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 4(3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 12.05 बजे**

# अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

## स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में

रसोई गैस, मिट्टी का तेल, डीजल, यूरिया जैसी वस्तुओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने वालों को वितरित की जाने वाली मदों के मूल्यों में भारी वृद्धि।

**अध्यक्ष महोदय:** सभा में अब शून्य-काल आरम्भ होगा।

**श्रीमती सोनिया गांधी** (अमेठी): हमारा देश रा.ज.ग. सरकार की निर्धन विरोधी नीतियों के कारण अत्यंत गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहा है। सरकार ने अत्यन्त निर्दयतापूर्वक चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल और रसोई गैस तथा डीजल और यूरिया के मूल्यों में भारी वृद्धि कर दी है। यह हमारी कृषि पर बुरा प्रभाव डालेगा, जिसमें कुछ पिछले समय से निरन्तर गिरावट हो रही है। यह भी उस समय किया गया जब एक जिम्मेवार और लोगों का ध्यान रखने वाली सरकार को किसानों का बोझ कम करने में मदद हेतु अपने हाथ बढ़ाने चाहिए। ऐसा करने की बजाय, इस सरकार ने यूरिया के मूल्य में 15 प्रतिशत वृद्धि कर दी। किसानों की आय में कमी के साथ उत्पादन की लागत में वृद्धि के कारण गम्भीर कठिनाइयां उत्पन्न हुई जिसने हमारे छोटे और मध्यम किसानों को निराशा की ओर धकेल दिया। किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले प्रकाशित हुए हैं। ऐसे मामलों की रिपोर्टें समृद्ध कृषि क्षेत्रों जैसे पंजाब और आंध्र प्रदेश से भी मिली हैं। मानो इतना ही पर्याप्त नहीं था कि सरकार ने हाल ही में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किये जाने वाले गेहूं, चावल और चीनी के मूल्यों में वृद्धि कर दी। गेहूं और चावल के मामले में वृद्धि मेरे विचार से 60 प्रतिशत है *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

**श्रीमती सोनिया गांधी:** गेहूं और चावल में वृद्धि 60 प्रतिशत तक है और हम अपने देश के गरीब लोगों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का आसानी से अन्दाजा लगा सकते हैं। रसोई गैस और मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि भी मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों पर अत्यधिक दबाव डाल रही है।

मेरा मानना है कि मूल्यों में भारी वृद्धि ने गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों, कृषक समुदाय, मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग को अत्यधिक प्रभावित किया है। मेरा ऐसा मानना है कि यह एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए। हमारा मानना है कि हम केवल स्थगन प्रस्ताव के द्वारा ही सरकार, देश और लोगों का ध्यान उस विनाशकारी प्रभाव की ओर दिला सकते हैं जो इन उपायों के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर पड़ेगा।

महोदय, इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें ताकि इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा हो सके। मैं आशा करती हूं कि इस स्थगन प्रस्ताव के द्वारा हम सरकार के मूर्खतापूर्ण कार्य के बारे में इसकी चेतना को जगा सकते हैं।

**श्री एन.एन. कृष्णादास** (पालघाट): महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। सारे देश में गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल तथा रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि करने पर आन्दोलन हो रहा है *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** निर्देशों के बावजूद माननीय सदस्य प्रकोष्ठ में सेलूलर फोन ला रहे हैं। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।

*...(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर): कृपया इन फोनों को जब्त कर लिया जाए।

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव** (सम्भल): जब्त कर लिया जाए। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** इसका अर्थ यह हुआ कि वे सभा में कुछ भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। यह क्या हो रहा है?

*...(व्यवधान)*

**श्री एन. एन. कृष्णादास:** महोदय भारत सरकार ने अपने एक कार्यकारी आदेश के द्वारा चावल और मिट्टी के तेल जैसी उन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की है जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दिया जाता है। आज लोग इस पर आंदोलन कर रहे हैं तथा भारत सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यकारी आदेश का विरोध कर रहे हैं। यह कदम उन लोगों के खिलाफ है जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सरकार को इसके बारे में पता भी है या नहीं। जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं वे अपनी दिन प्रतिदिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए पूरे देश की मांग है कि सरकार मिट्टी के तेल, रसोई गैस, उर्वरकों और खासकर खाद्यान्नों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में की गई वृद्धि को वापस ले।

**श्री वरकला राधाकृष्णन** (चिरायिंकिल): महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस देश के लाख लोगों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले को उठाने की अनुमति दी। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक हमने अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में ऐसे संकट का सामना कभी भी नहीं किया है। इस संकट ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को प्रभावित किया है और इससे गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले लोग भी प्रभावित हुए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि केरल मेरा गृह राज्य है। यह खाद्यान्नों के मामले में समस्याओं का सामना कर रहा है। केरल राज्य के गठन के समय राज्य का केन्द्र के साथ एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार केन्द्र सरकार को खाद्यान्नों विशेषकर चावल की आपूर्ति में केरल को प्राथमिकता देना था। भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों की वजह से केरल एक ऐसा राज्य है जहां रबर, नारियल और इलायची जैसी फसलों का उत्पादन होता है। यह भूमि बागानों के लिए उचित है। हम अपनी जरूरतों का केवल चालीस प्रतिशत ही उत्पादन कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* मैं केवल केरल राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। बल्कि मैं सभी दक्षिणी राज्यों तथा अन्य राज्यों में बात कर रहा हूं जहां भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी किये गये आदेश से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रभाव पड़ा है। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। यह प्रभावी ढंग से चल रही थी तथा लगभग सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा इसकी प्रशंसा की गयी थी कि यह ठीक ढंग से कार्य कर रही है। देश भर में केरल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श के रूप में जानी जाती थी। यह प्रणाली गत पांच दशकों से कार्य कर रही है और इस प्रणाली के बारे में कभी कोई शिकायतें नहीं आई। अब पूरी व्यवस्था खतरे में पड़ गयी है। पूरा केरल राज्य बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है।

मैं इस सम्माननीय सभा के सामने एक और मुद्दा उठाना चाहता हूं। यह मुद्दा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हुई वृद्धि के बारे में है। क्या सरकार की ओर से ऐसा करना ठीक है? बजट सत्र चल रहा है और हम विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान की मांगों की जांच कर रहे हैं।

सभा इस मुद्दे से अवगत है। हालांकि मंत्री जी ने वायदा किया था कि वह इस सभा की सहमति के बिना कीमतों में वृद्धि नहीं करेंगे तथा उन्होंने इसकी सार्वजनिक घोषणा भी की है फिर भी उन्होंने कीमतें बढ़ा डाली। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि की गयी है। हमारे दक्षिणी राज्यों को बड़े संकट में डाल दिया गया है। खाद्य सामग्री का परिवहन बहुत कठिन हो गया है। स्थिति बहुत गंभीर हो गयी है। यह सब सरकार द्वारा उदारीकरण, विश्व्यापीकरण और निजीकरण के नाम पर गलत नीति का पालन किये जाने के कारण हो रहा है। यह सब बातें तबाही की ओर ले गयी हैं और गरीब लोगों को भूखा मारा जा रहा है। हमारे लिये आगे बढ़ना असंभव है।

मैं समझता हूं केरल के मंत्री यहां उपस्थित हैं। केरल के मुख्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। कल वह संसद भवन के सामने धरने पर बैठने जा रहे हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक राज्य के मंत्री और मुख्य मंत्री डीजल की कीमत में संशोधन की मांग करने के लिए यहां केन्द्र में आये हैं। सरकार ने बहुत ही बुरा इतिहास रचा है। हमारा राज्य एक संघीय राज्य है। अपनी सारी राजनीतिक शक्ति के साथ हमारे मुख्य मंत्री इस सदन के सामने धरने पर बैठने के लिए बाध्य हुए हैं। सरकार ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है और वे संघवाद की बात करते हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी**: महोदय, वे सभी हमारा समर्थन कर रहे हैं। यह ऐसा मामला है जो जिसके बारे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सहित सभी पार्टियां हमारे साथ हैं। इसीलिए इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। वे सभी इसका समर्थन कर रहे हैं। यह मामला केवल विपक्ष का ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष का भी है। इसलिए यह एक ऐसा मामला है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इसका पूरे देश पर भारी असर पड़ा है।

**श्री पी.एच. पांडियन** (तिरुनेलवेली): मैं सार्वजनिक महत्व का मामला उठाना चाहता हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस सभा को स्थगित कर दें और इस मामले पर चर्चा करवाये जिसका संबंध पूरे राष्ट्र, विशेषकर हमारे देश के निर्धन वर्ग से है। हम सांसद अपने समाज के निर्धन वर्गों के द्वारा चुनकर आये हैं। अत: हमें अपने विचार, आकांक्षाएं और आशाओं को व्यक्त करना चाहिए। कानूनी तौर पर किसी भी चुनावी वायदे को अमल में लाने की बाध्यता नहीं है और इसीलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वह कीमतों में वृद्धि नहीं करेंगे। लेकिन, मतों की गिनती से पहले ही उन्होंने डीजल की कीमतों में वृद्धि कर दी। सत्ता में आने से पहले कामचलाऊ सरकार के रूप में उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की। अब जबकि सत्र नहीं चल रहा है, उन्होंने रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि कर दी है। उन्होंने सभा को अपने विश्वास में भी नहीं लिया है। संसद को कार्यपालिका की कठपुतली नहीं होना चाहिए।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** (रायगंज): सरकार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगियों को भी नजरअंदाज किया है।

**श्री पी.एच. पांडियन**: सरकार का यह कार्य समाज के गरीब वर्ग के लोगों की उपेक्षा करने जैसा है। रसोई गैस के सिलिंडर का उपयोग समाज के मध्यम वर्ग और गरीब वर्गों के लोगों द्वारा

प्रतिदिन किया जाता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इसकी कीमतों में की गई वृद्धि वापस ली जाए।

जहां तक उर्वरकों की कीमतों में की गई वृद्धि का सवाल है, तो सरकार गैस आधारित संयंत्रों और नैप्था आधारित संयंत्रों में विभेद नहीं कर पायी है। वे इन दोनों के बीच वैज्ञानिक रूप से अन्तर स्पष्ट नहीं कर पायी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या गैस आधारित संयंत्रों और नैप्था आधारित संयंत्रों के आरंभिक वर्ष में उपयोग की क्षमता केवल 80 प्रतिशत है।

अगर सरकार कच्चे माल पर आधारित इन उर्वरक संयंत्रों में विभेद कर पायी है, चाहे ये संयंत्र गैस, नैप्था, ईंधन आयल अथवा कोयले पर आधारित हो और यदि प्रतिधारण कीमत की पुनर्अदायगी सरकार द्वारा कर दी जाती है तो उर्वरक की कीमतों में वृद्धि नहीं हो सकती है। सरकार इस प्रक्रिया का वैज्ञानिक तौर पर पालन नहीं कर पायी है। अत: मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह उर्वरकों की कीमतों में की गई वृद्धि को वापस ले। मैं सरकार से मांग और आग्रह करता हूँ कि वह रसोई गैस के सिलिंडर की कीमतों में की गई वृद्धि को वापस ले।

हम अन्नाद्रमुक पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर इस महीने की 20 तारीख को समाहरणालय के सामने प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पूरी पार्टी इस मुद्दे पर तमिलनाडु में प्रदर्शन करने जा रही है।

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): उर्वरक, खाद्यान्नों और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में की गई वृद्धि अप्रत्याशित है। वित्त मंत्री द्वारा उर्वरकों पर दी जाने वाली राज सहायता को भी कम कर दिया गया।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, हमें भी मौका दें।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** आपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

**श्री राजेश पायलट** (दौसा): महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी भी इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। उन्हें भी मौका दिया जाए। हम उनकी बात सुनना चाहते हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** उन माननीय सदस्यों का क्या होगा जिन्होंने सूचना दी है?

**श्री बसुदेव आचार्य:** यूरिया और डी ए पी की कीमतों को पहले ही बढ़ा दिया गया है और ये कीमतें किसानों की खरीदने की शक्ति से बाहर हैं। इसके परिणामस्वरूप यह होगा कि उर्वरकों की खपत कम होती चली जायेगी और इससे कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। गत वर्ष पहले ही खाद्यान्नों का 55 लाख टन कम उत्पादन हुआ था। इससे खाद्य का संकट खड़ा हो जायेगा। भविष्य में हमें खाद्यान्नों के आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए आपूर्ति किये जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों में वृद्धि ने उन पर प्रहार किया है।

1997 में संयुक्त मोर्चा सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए 50 प्रतिशत मूल्य पर दस किलोग्राम खाद्यान्न आपूर्ति करने की योजना शुरू की थी। इस सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को दिये जाने वाले गेहूं और चावल की कीमतों को दुगुना कर दिया है। यदि गेहूं और चावल की कीमतों को और दुगना कर दिया जाता है जैसे कि ये कीमतें पहले ही बढ़ा दी जा चुकी हैं गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग खाद्यान्नों की खरीद नहीं कर पाएंगे जो उनके लिए ही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली तहस-नहस करना है।

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया इस बात को समझिए कि हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप सूचना की ग्राह्यता के बारे में संक्षेप रूप से बोल सकते हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य:** हमारे देश में निर्धन लोगों तथा मध्यम वर्गीय लोगों को न्यून दर अथवा कम दरों पर अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई। लेकिन सरकार यह प्रणाली समाप्त करने पर तुली हुई है। इसके परिणामस्वरूप सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं।

इस बजट सत्र के प्रथम चरण समाप्त होते ही उन्होंने मूल्य बढ़ा दिए हैं सरकार ने संसद की उपेक्षा करते हुए मिट्टी के तेल का मूल्य बढ़ा दिया है। तीस से पैंतीस प्रतिशत गांवों में कोई बिजली नहीं है। गरीब लोग मिट्टी का तेल उपयोग करते हैं। अब मिट्टी के तेल का मूल्य 151 प्रतिशत बढ़ गया है आजादी से लेकर अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ।

रसोई गैस का मूल्य प्रति सिलेंडर 51 रुपये तक बढ़ गया है। अत: सरकार की गलत नीतियों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों तथा मध्यमवर्गीय लोगों पर आक्रमण हुआ है और मैं यह मांग करता हूँ कि हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए और आज हमें अपने गरीब तथा मध्यम वर्गीय

लोगों को प्रभावित करने वाले आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के बारे में चर्चा करनी चाहिए।

*[हिन्दी]*

**सरदार बूटा सिंह** (जालौर): अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर जो विपक्ष की नेता ने उठाया है, सदन में युनेनिमिटी हो गई है। *...(व्यवधान)*

**श्री सुबोध राय** (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की नीतियों से ऐसा लगता है कि इसने गरीबों के खिलाफ बड़ी बेरहमी से जंग छेड़ने का काम किया है। सरकार आधी रात में यह फैसला करती है कि किस तरह से चीजों की कीमतों में वृद्धि की जाए। जिस तरह से चीजों की कीमतों में वृद्धि की गई है उससे राशन के सामान की कीमतों में भी वृद्धि हो गई है। आज गांवों में हाहाकार मचा हुआ है। गरीब तबाह हो रहे हैं, छात्र तबाह हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोग महंगाई की मार से भीषण तबाही के शिकार हो रहे हैं। सरकार ने जिस तरह से ों और जमाखोरों को खुली छूट दे दी है आम लोगों की क साथ खिलवाड़ करने के लिए और उनको लूटने के लिए, मैं यह मांग करता हूं कि इस महंगाई को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाया गया है उसको तत्काल वापस लिया जाए और गरीबों को राहत देने का काम किया जाए।

*[अनुवाद]*

**श्री ई. अहमद** (मंजेरी): महोदय विपक्ष के नेता तथा अन्य नेताओं द्वारा गंभीरता से चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत करने पर व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करते हुए क्या मैं इस सभा के समक्ष यह कह सकता हूं कि इस सरकार ने इस देश के लोगों, मुख्यत: गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को छला है? आम आदमी की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मजदूरों का जहां तक प्रश्न है तो उनकी मजदूरी में भी कोई वृद्धि नहीं हुई। इस देश में आम आदमी अथवा गरीब लोगों की आय को बढ़ाने का कोई स्रोत नहीं है जबकि सरकार ने अपना व्यय बढ़ा दिया है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, विशेषकर यूरिया और चावल की मूल्य वृद्धि ने इस देश की सम्पूर्ण व्यवस्था को चरमरा दिया है।

जहां तक केरल जैसे राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है जहां यह कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है सरकार के निर्णय ने सम्पूर्ण प्रणाली को संकट में डाल दिया है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने इस संसद की पीठ पीछे यह निर्णय क्यों लिया। यह सरकार प्रत्येक निर्णय संसद की पीठ पीछे लेती है, चाहे वह संविधान की समीक्षा हेतु समीक्षा आयोग का गठन हो अथवा आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि हो। सब काम इस संसद की पीठ पीछे होते हैं। क्या यह लोकतंत्र है? क्या यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन का कार्यकरण है? सरकार अब केवल एक ही काम कर सकती है और वह है मूल्यवृद्धि को वापिस लेना। यदि नहीं, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे स्थगन प्रस्ताव के जरिए हमें इस मुद्दे पर बारीकी से चर्चा करने का अवसर दिया जाए।

**श्री रूपचंद पाल** (हुगली): महोदय, इस सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि विशेषकर चावल और चीनी जैसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की मूल्यवृद्धि, इस संबंध में सब कुछ जानते हुए जो क्रूर निर्णय लिया है उसके परिणाम अपरिहार्य हैं और वह लाखों गरीब वर्गों के लोगों पर बोझ है। आज देश भर में प्रदर्शन किये जा रहे हैं। कुछ राजग सदस्य खुले आम कह रहे हैं कि वे इस मूल्यवृद्धि का विरोध करते हैं लेकिन इस निर्णय में वे भी सम्मिलित थे। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे खुल कर सामने आएं और सरकार के इस निर्णय का विरोध करें तथा इस सरकार को मूल्यवृद्धि वापिस लेने पर बाध्य करें क्योंकि यह वृद्धि उन्होंने सब कुछ जानते हुए और सोचे समझे की है लोगों के प्रति उन्होंने क्रूरता दिखाई है। पूरे देश में लोग व्याकुल हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं।

महोदय, यह केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रश्न नहीं है। यहां तक कि तकनीकी तौर पर जिन लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर कहा जाता है वे भी गरीब वर्गों में आते हैं। ऐसे ही मध्यम वर्गीय लोग हैं और निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं। वे सभी अनाज, मिट्टी के तेल, रसोई गैस, उर्वरक और सभी चीजों की मूल्य वृद्धि से पीड़ित हैं। अत: सरकार को मूल्यवृद्धि वापिस ले लेनी चाहिए। यह राजग के संभागियों के समक्ष एक प्रकार की परीक्षा है जो खुले आम यह कहते रहते हैं कि वे इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें सामने आना चाहिए और सरकार को इसे वापस लेने पर बाध्य करना चाहिए *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** जिन्होंने सूचना दी है उन्हें अनुमति दे दी गई है। कृपया समझने का प्रयास करें। यह स्थगन प्रस्ताव की सूचना है। कृपया कार्यवाही को समझने का प्रयास करें।

*...(व्यवधान)*

**श्री राजेश पायलट:** महोदय, उन्हें शून्यकाल के दौरान बोलने का अधिकार है। यह सही नहीं है। यह 'शून्य काल' है। आप उन्हें रोक नहीं सकते। आप आम राय ले सकते हैं *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने कोई कोई सूचना नहीं दी है। मैं सभा की आम राय कैसे ले सकता हूं?

*...(व्यवधान)*

**श्री राजेश पायलट:** यह 'शून्य काल' है। आप उन्हें रोक नहीं सकते।

**अध्यक्ष महोदय:** यह स्थगन प्रस्ताव की सूचना है। कृपया प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको भी प्रक्रिया का पता है। मैंने उन माननीय सदस्यों का नाम पुकारा है जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

**श्री राजेश पायलट:** मैं आपसे सहमत हूं। वे वही कहना चाहते हैं जो हम कहना चाहते हैं। आपको उन्हें अनुमति देनी चाहिए। यह संसदीय लोकतंत्र है। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दे देनी चाहिए वे बोलना चाहते हैं *...(व्यवधान)* तेलगू देशम पार्टी बोलना चाहती है वे बोलना चाहते हैं। कृपया उन्हें बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे अपनी राय व्यक्त करनी है। कृपया समझने का प्रयास करें।

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली): सर, हमने भी नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)* विपक्ष के नेता ने एडजर्नमेंट मोशन का सवाल उठाया था। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने कोई सूचना नहीं दी है। श्री रघुवंश प्रसाद सिंह आपने किसी और विषय पर सूचना दी है न कि इस पर। कृपया इस बात को समझें।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्यों, श्रीमती सोनिया गांधी सर्वश्री एन.एन. कृष्णदास, बरकला राधाकृष्णन, पी.एच. पांडियन, बसुदेव आचार्य, कमलनाथ, माधव राव सिंधिया, सुबोध राय, रुपचंद पाल और ई. अहमद, संसद सदस्यों ने निम्नलिखित विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है:

"सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णयों से लोगों को, विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों और किसानों को अत्यधिक कष्ट पहुंचा है जो रसोई गैस, मिट्टी के तेल, डीजल, यूरिया जैसी वस्तुओं तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित वस्तुओं के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम है।"

मैंने विपक्ष की नेता माननीया श्रीमती सोनिया गांधी तथा अन्य माननीय नेताओं को सुना है। मानते हैं कि यह मुद्दा अहम है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह विषय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है जो आज की कार्य सूची में सूचीबद्ध है। मानते हैं कि यह विषय अहम है लेकिन यह आज ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया मेरी बात सुनें।

**श्री संतोष मोहन देव** (सिल्चर) आपने हमें सुनने का निर्णय लिया है। कृपया सभी सुनें *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** यह मुद्दा भी वित्त विधेयक पर चर्चा के समय उठाया जा सकता है। अत: आप आज के सूचीबद्ध कार्य में विघ्न न डालें।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** अत: मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस मुद्दे को उठाने अनुमति नहीं देता।

इसी प्रकार श्री मुलायम सिंह यादव और श्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में निर्दोष सिक्खों की हत्या के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की अन्य सूचनाएं आई हैं, और श्री जी.एम. बनातवाला द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के परिसर में छात्रों पर पुलिस कार्यवाही के संबंध में सूचनाएं दी गई हैं। वे मुद्दे राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी उठाए जा सकते हैं। अत: मैं इन सूचनाओं को भी अनुमति नहीं देता।

**अपराह्न 12.34 बजे**

*इस समय श्रीमती सोनिया गांधी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए*

**श्री पी.एच. पांडियन:** राजग सरकार का यह कदम जनविरोधी है। चूंकि सरकार सभा में रसोई गैस, मिट्टी के तेल तथा उर्वरकों की मूल्यवृद्धि को वापिस लेने के संबंध में अ.भा.अ.द्र.मु.क. की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर सामने नहीं आई है। हम सभा से बाहर जा रहे हैं।

**अपराह्न 12.35 बजे**

*इस समय, श्री पी.एच. पांडियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए*

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव** (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका और समय भी नहीं दिया ...*(व्यवधान)* सरकार के इस कदम से महंगाई बढ़ेगी और विदेशी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा।

इसलिए हमें आपके निर्णय से संतोष नहीं है। सरकार ने बढ़ी हुई कीमतों को वापस नहीं लिया इसलिए हम इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करते हैं।

**अपराह्न 12.36 बजे**

*इस समय श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए*

---

श्री **कीर्ति झा आजाद** (दरभंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। 1983 का विश्व कप जब खेला गया था तो मैं उसका सदस्य था। मैं उस समय प्रसन्नता से फूला नहीं समाया था। मैच फिक्सिंग की जो घटना सामने आई है, उसे देख कर एक क्रिकेटर होने के नाते हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। मैं सबसे पहले दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह पूरे प्रकरण को सामने लेकर आई। मैं आपनी बात को सदन के सामने रखना चाहूंगा और आशा करूंगा कि सरकार पूरे तरीके से कड़ी कार्रवाई करेगी। जो लोग सट्टा करते हैं, उनको पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने काफी लोगों का नाम दिया है लेकिन पता लगा है कि दिल्ली पुलिस के पास ऐसे भारतीय खिलाड़ियों के भी नाम हैं जिन पर सट्टे में लिप्त होने का आरोप हो सकता है। मैं इसे पूर्णरूपेण तो नहीं कह सकता लेकिन सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों के इसमें नाम हैं, उनके नाम सामने लाए जाएं और उनसे पता करके इसे कम से कम एक बार में खत्म किया जाए। कई लोगों ने चाहे प्रेस के माध्यम से या दूसरे माध्यम से कहा है कि उनको पैसे दिए गए थे या ऑफर किया गया था कि वे मैच फिक्स करें। उनमें से कुछ एक नाम जो पूर्णरूपेण सभी लोग जानते हैं, श्री मनोज प्रभाकर का है। वह एक बहुत अच्छे सटीक भारतीय खिलाड़ी रहे हैं, वे चन्द्रचूड़ कमेटी के सामने भी पेश हुए थे लेकिन किन कारणों से उन्होंने उस खिलाड़ी का नाम नहीं बताया, यह बात समझ में नहीं आती है। अगर उन्हें किसी प्रकार से भी लगता हो कि उनके जान-माल को खतरा है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए। कम से कम वह सामने आकर नाम बताएं कि ऐसे कौन-कौन व्यक्ति थे जिन्हें सिंगर कप 1994 में 25 लाख रुपए की ऑफर की थी। मेरे ख्याल में वे ऐसा करके राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। भारतीय टीम के मैनेजर सुनील देव जो साउथ अफ्रीका गए थे, उन्होंने मुझ से कई बार कहा है और मेरी उनसे टेलीविजन पर बातों-बात में बहस भी हुई थी जिस में उन्होंने पूर्णरूपेण कहा था कि मैं पूरी तरह से जानता हूं कि सट्टेबाजी होती है और इसके अन्दर खिलाड़ी लिप्त हैं। उनसे भी यह जानना आवश्यक है कि वे कौन लोग हैं और वे किन के बारे में जानते हैं? मेरे पास एक किताब नॉट व्हाइट क्रिकेट है। वह एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं और क्रिकेट को फॉलो करते रहे हैं। उनका नाम प्रदीप मैगजीन है। उन्होंने इस किताब में काफी कुछ विस्तार से और विवरण के साथ बताया है कि उन्होंने किस प्रकार से भारतीय टीम के मैनेजर्स, कैप्टन्स और दूसरे लोगों से बात की। जितने भी पुराने क्रिकेट के लैजंड रहे हैं, किसी ने भी सामने आकर नहीं कहा कि मैच फिक्सिंग होती है। ...*(व्यवधान)* क्रिकेट इस समय बहुत पापुलर है। आप चाहे किसी गांव में चले जाएं, घरों के पीछे चले जाएं, सब जगह लोग क्रिकेट खेलते मिलेंगे।

**श्री लाल मुनी चौबे:** क्रिकेट का खेल समाप्त होना चाहिए। इसमें पैसा बरबाद हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

**श्री मुलायम सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, यह एक विदेशी खेल है। यह बंद होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया उन्हें बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री कीर्ति आजाद, यह शून्यकाल है। इस विषय पर बोलने के लिए अन्य माननीय सदस्य भी हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री कीर्ति झा आजाद:** इन तथ्यों को सामने लाया जाए और जो आरोपी व्यक्ति हैं, अगर आवश्यकता पड़े तो

*[अनुवाद]*

उन्हें पकड़ा जाए क्योंकि यह बहुत बड़ा आपराधिक षड्यंत्र है।

*[हिन्दी]*

इससे देश को बहुत नुकसान हो रहा है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** मुझे लगता है अन्य माननीय सदस्यों जैसे श्री किरीट सोमैया, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, श्री लक्ष्मण सेठ ने भी इसी विषय पर सूचनाएं दी हैं।

*...(व्यवधान)*

**श्री कमलनाथ** (छिन्दवाड़ा): मैंने भी इस पर एक ध्यानाकर्षण सूचना दी है।

*[हिन्दी]*

**श्री किरीट सोमैया** (मुम्बई उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री आजाद ने जो कहा है, मैं खुद को इनसे एसोसिएट कर रहा हूं और साथ में माननीय मंत्री जी और सरकार से प्रार्थना करुंगा कि श्री चन्द्रचूड़ कमेटी की रिपोर्ट पर इस सदन में विचार हो। क्या सरकार मैच फिक्सिंग को लीगलाइज कर रही है? मैं चाहता हूं कि न केवल साउथ अफ्रीका टूअर बल्कि बाकी जो मैच फिक्सिंग के मामले हैं, उनकी भी इन्क्वायरी कराई जाये।

**श्री लाल मुनी चौबे** (बक्सर): अध्यक्ष महोदय *...(व्यवधान)**

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

**श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा):** अध्यक्ष महोदय, क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का मामला कलंक है क्योंकि इसमें न केवल भारत का नाम लिप्त है बल्कि मेरे विचार से यह घोटाला हमारी सीमाओं के पार भी हो रहा है। इसने अन्तर्राष्ट्रीय रूप ले लिया है और यह राष्ट्र के लिए अपमान की बात है कि इसकी शुरुआत भारत मे हुई है।

महोदय, न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ समिति की रिपोर्ट हमारे पास है और सरकार की ओर से अत्यन्त भ्रामक वक्तव्य आ रहे हैं कि इसे सभा में पुर:स्थापित किया जाएगा अथवा नहीं। इसके अलावा, इस समूचे घटनाक्रम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में यह प्रकाशित हो रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड तक, जिन निकायों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे क्रिकेट खेल का संचालन करेंगे, इस बात को जानते थे, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा रहा था और 'सट्टा' के रूप में एक समकक्ष अर्थतंत्र चल रहा था।

इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की अनुमति दें जिसके लिए मैंने सूचना दी हुई है और सरकार सभा को यह जरूर बताए कि इस मामले में वे किस प्रकार की जांच करा रहे हैं। एक जांच प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है, दिल्ली पुलिस दूसरी जांच कर रही है और हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि सच्चाई कैसे सामने आएगी। इसलिए, हम सरकार की तरफ से वक्तव्य चाहते हैं, और मेरे विचार से, इसे करने का एक ही तरीका है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा इस सभा को जानकारी दी जाए, जिसकी आप शीघ्र अनुमति दें। यह ऐसे ही चलता नहीं रह सकता, जबकि सभा का सत्र चल रहा है और जब सारी दुनिया के लोग हमारी ओर देख रहे हैं कि हमारा देश ऐसे समय में क्या कर रहा है जब इस प्रकार का घोटाला सामने आया है।

*[हिन्दी]*

**श्री बूटा सिंह** (जालोर): अध्यक्ष महोदय, आपने वायदा किया था कि हमे बोलने देंगे।

**अध्यक्ष महोदय:** बाद में अलाऊ करूंगा।

*[अनुवाद]*

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय** (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगा।

**अध्यक्ष महोदय:** श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, आप दूसरे माननीय सदस्यों के साथ अपने को शामिल कर लें। उन्होंने पहले ही इस विषय के कथ्य का उल्लेख कर दिया है।

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय:** महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री कीर्ति आजाद, जो एक भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं, के द्वारा उठाए गए मुद्दे का समर्थन करता हूं। जो घटना घटी है वह एक कलंक है।

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव** (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, हमें समय दिया जाये।

**अध्यक्ष महोदय:** इसके बाद। आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री मुलायम सिंह यादव:** मैंने दो विषय पर नोटिस दिया है।

**अध्यक्ष महोदय:** लेकिन इस लिस्ट में कोई नोटिस नहीं है।

*[अनुवाद]*

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय:** महाशय, जो कुछ घटित हुआ है वह अपमानजनक है और क्रिकेट के लिए एक आघात है। इस मामले में, कुछ भारतीय क्रिकेटरों का भी नाम लिया जा रहा है। जैसाकि श्री कीर्ति आजाद कह रहे थे, श्री मनोज प्रभाकर और कुछ अन्य लोग भी मैच फिक्सिंग के बारे में कुछ न कुछ आरोप लगा रहे हैं। अब, एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर भी काफी भ्रामक है कि क्या सट्टेबाजी को कानूनन वैध किया जा रहा है अथवा नहीं। स्वयं प्रधानमंत्री को वक्तव्य देना पड़ा कि यह सत्य नहीं है। इसलिए यह उचित समय है कि सरकार दिल्ली पुलिस को धन्यवाद दे। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और दिल्ली शहर में पुलिस बल के सम्मान को बढ़ाया है। अत:, मैं अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर शीघ्र चर्चा की अनुमति दी जाए और विषय पर शीघ्र ही वक्तव्य जारी करे।

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव:** अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल उठाया है।

जो दीवानी प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया है, उसके चलते जो हमारे देश के गरीब हैं, कर्मचारी हैं, वेतनभोगी लोग हैं, उनमें मुकदमे के लिए न्यायालय में जाने की कभी क्षमता ही नहीं हो सकती है। जब पांच हजार से लेकर पचास हजार रुपये तक की जमानत देनी पड़ेगी और उसी के साथ-साथ अगर अपील करनी है या स्टे ऑर्डर लेना है तो उसी वक्त हलफनामा से लेकर जितना और खर्चा होता है, उसे जमा करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की खुशी है और वहीं अफसोस है कि आप एक वकील हैं, दूसरी तरफ हमारे मंत्री जी जेटली साहब भी देश के माने हुए वकील हैं और कानून मंत्री जी भी वकील हैं। लेकिन दीवानी आचार संहिता और दूसरी तरफ जो वकीलों के संबंध में संशोधन आया है, उसके चलते उन्हें पांच साल बाद परीक्षा देनी पड़ेगी, रिव्यू करना पड़ेगा, लाइसेंस का नवीनीकरण कराना पड़ेगा। हम जानना चाहते हैं कि क्या यह वकीलों पर ही लागू होगा, क्या यह आई.ए.एस. पर लागू नहीं होगा, जो फाइलें बना रहे हैं, क्या न्यायालयों के नयायाधीशों के लिए भी लागू होगा और जितने भी क्लास-1 अधिकारी, आई.ए.एस., आई.पी.एस. हैं, क्या हर पांच साल बाद उनके लिए भी यह व्यवस्था होगी। यह सरकार धीरे-धीरे पूरे देश की व्यवस्था को नष्ट करने पर उतारू है। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप एक वकील भी हैं। वह वकील तो चले गये। यह तो मंत्री के मद में हो गये। चाहे कानून मंत्री हों। जेटली साहब तो हमारे बड़े हमदर्द हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** क्या आप लॉयर नहीं हैं?

**श्री मुलायम सिंह यादव:** देश के इतने बड़े वकील होते हुए आप वकीलों के खिलाफ यह सब कर रहे हो, जब वकील आवाज उठायेंगे तो वकीलों पर पुलिस लाठीचार्ज करेगी और उनके खिलाफ ये कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, समझौते की बात करेंगे और मामले को ठंडा करेंगे। जेटली जी आप इस फंदे में मत फंसिये। इसलिए हमारी मांग है कि सबसे पहले केन्द्र सरकार के द्वारा यह संशोधन वापिस होना चाहिए।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि इस घटना में करीब 200-300 वकील घायल हो गए हैं और उसके विरोध में आज मजबूर होकर महिला अधिवक्ताएं आमरण अनशन पर हैं। आप जानते हैं कि महिलाओं की भावनाएं कैसी होती हैं। इसलिए महिलाओं के साथ जिद मत कीजिए। यदि महिलाएं जिद करती हैं तो सारी सीमाओं तक जाती हैं। यह याद रखिए उन्होंने वकील होते हुए आमरणन अनशन किया है। यह खतरे की बात है, महिला अधिवक्ताओं की जान भी जा सकती है। इसलिए आप इसे गंभीरता से लीजिए। सारा काम-काज बंद कीजिए। 50 दिन से पूरे जनपद के न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट तक पूरी तरह से बंद हैं। दूसरा कानून में जो संशोधन है, उससे केवल वकीलों का रिश्ता नहीं है। आम जनता, गरीब लोग जो सस्ता न्याय चाहते हैं, लेकिन न्याय महंगा होने जा रहा है। जबकि नीति यह रही है कि न्याय हमेशा सस्ता मिले। लेकिन वह महंगा हो रहा है। दूसरी तरफ वकीलों जैसे बुद्धिजीवियों को दबाने की साजिश है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** क्या सरकार की ओर से कुछ कहा जाना है?

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव:** पहले राज्य कर्मचारियों को दबाया और अब वकीलों को दबाने का षडयंत्र है। इसलिए अध्यक्ष महोदय सारा काम-काज बंद करके इस मामले पर बहस की जाए,

यह हमारी मांग है। माननीय जेटली साहब मंत्री पद अमर नहीं है, आखिर में आपको बार में ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि इस संशोधन को वापिस लीजिए और कार्रवाई को स्थगित करके इस पर चर्चा और बहस कराई जाए। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री पवन कुमार बंसल** (चंडीगढ़): महोदय, कृपया समान व्यवहार करें ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** क्या आप भी इसी विषय पर बोलने वाले हैं।

**श्री पवन कुमार बंसल:** जी हां, महोदय, मैंने सूचना दी है। ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** अब, श्री पवन कुमार बंसल। वे भी इसी विषय पर बोलेंगे। उन्होंने सूचना दी है।

...*(व्यवधान)*

**श्री वरकला राधाकृष्णन** (चिरायिंकिल): महोदय, मैंने भी अधिवक्ताओं की दशा के विषय में कई बार सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री वरकला राधाकृष्णन:** मैं इनके विचारों से पूर्णत: सहमत हूं कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है।

**अध्यक्ष महोदय:** आप श्री मुलायम सिंह के साथ शामिल हो सकते हैं। श्री राधाकृष्णन कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** सर, हमारा भी इसी विषय पर नोटिस है।

**अध्यक्ष महोदय:** आपका अलग है।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** सर, जो वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ है, उसी के बारे में है।

*[अनुवाद]*

**श्री पवन कुमार बंसल:** अध्यक्ष महोदय, लगभग दो महीना पहले 24 फरवरी को देश के सभी भागों से अधिवक्ता यहां सरकार के कुछ निर्णयों का शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे।

उन पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। तब से, देश में लगभग चार सौ अदालतों में वकील हड़ताल पर हैं। दुर्भाग्य से, सरकार इस मामले में जरा भी संवेदनशील अथवा चिन्तित नहीं है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं यह कहूंगा कि सरकार ने पूरे देश के वकील समुदाय की मांगों के प्रति अपने कान बन्द कर लिए हैं।

महोदय, जो सरकार लोकतंत्र की नीतियों पर चलने का दावा करती है, उसे कम-से-कम विभिन्न बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को उनके साथ इस विषय पर, बारीकी से चर्चा करने के लिए बुलाना चाहिए था। इसके विपरीत, मैं नहीं जानता किस प्रकार, मात्र लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, तीन कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जो मात्र कांस्टेबल दर्जे के हैं, पर जिम्मेदारी डाल दी गई जिनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही की जा रही है। यह स्थिति को और गम्भीर बनाता है।

हमें सरकार से आशा है कि वह इस विषय में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाए, वकीलों से इस विषय पर विस्तृत चर्चा करे और जो आवश्यक समझा जाए, तो वकीलों की शंकाओं को दूर करने के लिए संशोधन किये जाएं। अधिवक्ता अधिनियम में जो संशोधन लाए जाने की बात हो रही है, उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। वे बड़े गम्भीर और चिन्ताकारक प्रकृति के हैं। जबकि आप स्थानीय वकीलों या बड़े वरिष्ठ वकीलों के लिए यह शर्त रख रहे हैं कि प्रत्येक पांचवें वर्ष उन्हें परीक्षा देनी होगी, वहीं आप दूसरे देशों के वकील को यहां अदालतों में उपस्थित होने की खुली छूट दे रहे हैं।

महोदय, यह ऐसा मामला है, और मैं इस पर जोर डालने के लिए यह दोहराना चाहूंगा कि इस पर शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकार को मिथ्या अभिमान में बैठे नहीं रहना चाहिए। कम से कम जो कुछ वे कर सकते हैं, जैसा दूसरी तरफ बैठे माननीय सदस्यगण भी महसूस करते हैं कि इस स्थिति को सुधारने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिवक्ता गरिमा और आत्मसम्मान के साथ अदालतों में लौट सकें।

*[हिन्दी]*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसी विषय पर कालिंग अटैन्शन नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** अध्यक्ष महोदय, हाल ही में सरकार ने जो सीआर.पी.सी. में अनाप-शनाप संशोधन किये हैं, उससे गरीबों को न्याय नहीं मिला और देश भर में अफवाह है कि ऐडवोकेट्स लॉ में ऐसा संशोधन हो रहा है जिससे विदेश से वकील भी आएंगे। इस वजह से देश भर के वकील आंदोलित हैं और आंदोलन पर हैं। अनशन भी हो रहा है। जो कानून मंत्री हैं, उनको बार ऐसोसियेशन से सारे वकीलों ने निकाल दिया, अरूण जेटली जी की भी निकाल बाहर करेंगे, यह ऐसा कानून ऐडवोटकेट्स के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ ला रही है जिससे वकील लोगों [illegible] आंदोलन और प्रदर्शन किया। उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस [illegible]ना से हमला किया गया जिसमें 30 वकील घायल हुए [illegible] कई वकीलों की आंखें चली गई। इस तरह से जब कोई भी हुकूमत वकीलों पर बर्बरता से आक्रमण करती है तो वह सरकार सत्ता में नहीं रहती है, वह सरकार चली जाती है। आजादी के जमाने से वकील लोगों ने आंदोलनों में अगुवाई की है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादाभाई नौरोजी सभी वकील लोगों ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की। अगर वकीलों पर इस तरह का जुल्म होगा और उनकी यह दुर्दशा होगी तो उसको सहन नहीं किया जा सकता है जबकि कहते हैं कि भारी वकील लोग मंत्रिमंडल में सदस्य हैं और उस मंत्रिमंडल के द्वारा इस तरह का काला कानून आए जिससे न्याय महंगा हो जाए, अपील करने का अधिकार खत्म हो जाए, 50,000 रुपया जुर्माना करके तब उस पर फैसला होगा, यह सारा कानून गलत है, काला कानून है। इस कानून के खिलाफ देश भर के कानूनविद उद्वेलित हैं और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय मंत्री महोदय, उत्तर देने जा रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : इसलिए सरकार को निर्देश दिया जाए कि वकीलों की समस्या पर जो गलत कानून आया है, उसमें सुधार करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे और वकीलों पर जोर जुल्म हुआ, बर्बरतापूर्ण आक्रमण हुआ, पुलिस द्वारा पीटा गया, गिराया गया, उनके कपाल फाड़ दिये, मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया।

वकीलों पर इस तरह के जुल्म हुए। उनके जुल्मियों के विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जुल्मियों के विरुद्ध कार्रवाई हो और इस काले कानून को तुरंत रद्द किया जाये।

*[अनुवाद]*

**श्री लक्ष्मण सेठ** (तामलुक): महोदय, मैंने प्रात: एक सूचना दी थी। *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपकी सूचना इस विषय पर नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**श्री लक्ष्मण सेठ** : महोदय, मेरी सूचना क्रिकेट के संबंध में है *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी के संबंध में नोटिस है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, इन्होंने ध्यानाकर्षण सूचना दी है *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इनकी सूचना पृथक विषय से संबंधित है।

*...(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : महोदय, इनकी सूचना तो उसी विषय पर है, किन्तु इन्होंने ध्यानाकर्षण सूचना दी है *...(व्यवधान)*

**श्री के. येरन्नायडू** (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, वकीलों की हड़ताल पर श्री मुलायम सिंह यादव ने जो कहा है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : अध्यक्ष महोदय, आपने सबको एलाऊ किया है इसलिए हमको भी बोलने का मौका दीजिए। *...(व्यवधान)* आप मुझे केवल दो मिनट का समय दे दीजिए।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : इस परिस्थिति में, आपको अपनी ध्यानाकर्षण सूचना वापस लेनी होगी।

*...(व्यवधान)*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : महोदय, मैं इसे वापस लेता हूं। पूरा देश चाहता है कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया जाये। देश का प्रत्येक नागरिक चाहता है। *...(व्यवधान)*

**श्री लक्ष्मण सेठ** : महोदय, मैंने क्रिकेट पर सूचना दी है *...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैच समाप्त हो गवा है।

*...(व्यवधान)*

**श्री लक्ष्मण सेठ** : महोदय, मैच खत्म नहीं हुआ। यह अभी चल रहा है।

*[हिन्दी]*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : मैंच से भी इम्पोर्टेंट सब्जैक्ट यह है। पूरा देश चाहता है कि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया जाये। भारत सरकार ने जो सुधार प्रस्तुत किये हैं, वे ठीक उसी तरह के सुधार हैं जैसे पूरा देश चाहता है कि देश से गरीबी का उन्मूलन किया जाये, गरीबी को दूर किया जावे लेकिन क्या गरीबी को दूर करने के लिए 80 फीसदी गरीबों को मार दिया जाये? देश से गरीबी दूर करने का यह क्या तरीका है? इसी तरीके से न्यायिक व्यवस्था में जो सुधार किया गया है, उसमें इस देश के 80 फीसदी गरीबों को न्याय न देने का संकल्प लिया गया है। आप इस एक्ट की एक-एक धारा देखिये जो इन्होंने पास कराई है। इसमें इन्होंने एक प्रावधान किया है कि 25 हजार तक के किसी भी मुकदमे की फिर से अपील नहीं की जा सकती जबकि इस देश में ज्यादातर मुकदमे गरीबों के, कमजोरों के, मजदूरों और किसानों के होते हैं। अगर 25 हजार तक के मुकदमे की अपील की ही नहीं की जा सकती तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस देश में आने वाले समय में किस तरह का न्याय मिलेगा। इसी तरीके से इन्होंने और भी मनमाने ढंग से संशोधन किये हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करता हूं कि वकीलों की जो स्ट्राइक पूरे देश में चल रही है, उसके संबंध में शासन से कहें कि वे इस पर पुनर्विचार करें। इन्होंने जो कानून बना दिया, वह कोई पत्थर की लकीर नहीं हो सकती। अगर पूरे देश के वकील आंदोलित हैं, पूरे देश की जनता आंदोलित है और यह चाहती है कि इस तरह का कानून न बने तो आप इनसे अपील करें कि इस कानून में संशोधन करें और वकीलों के रिप्रैजेंटेटिव को बैठाकर *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप मंत्री महोदय को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। यह क्या है?

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : मैम्बर्स ऑफ पार्लियामैंट को बैठाकर इस तरह से संशोधन करें कि वह सबको स्वीकार्य हो।

**श्री राशिद अल्वी** (अमरोहा): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी इश्यू पर नोटिस है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राशिद अल्वी, आपने दो विषयों पर सूचना दी है। कृपया इसे समझें। *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राशिद अल्वी** : जामिया मिलिया के लड़कों और वकीलों दोनों के बारे में नोटिस है। *...(व्यवधान)*

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)**: माननीय मुलायम सिंह जी एवं कई सदस्यों ने इस विषय में अपनी भावनायें रखी हैं। *...(व्यवधान)*

**श्री राशिद अल्वी** : वकीलों और लड़कों के साथ जो ज्यादती हुई है, उन दोनों के लिए मेरा नोटिस है। *...(व्यवधान)*

**श्री अरुण जेटली** : हम उसका आदर करते हैं लेकिन कुछ ऐसे वाकयात हैं। *...(व्यवधान)*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : मंत्री जी, और लोगों ने भी अपनी भावनायें रखी हैं। *...(व्यवधान)*

**श्री अरुण जेटली** : लेकिन जो कुछ फैक्ट्स हैं, मैं उसको स्पष्ट कर दूं। जब यह हड़ताल आरंभ हुई थी। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राशिद अल्वी, आप दो विषयों पर सूचना कैसे दे सकते हैं? आपने दो विषयों पर सूचना दी है दिल्ली पुलिस द्वारा जामिया मिलिया के विद्यार्थियों और दिल्ली में वकीलों पर अत्याचार।

**अपराह्न 1.00 बजे**

आप ऐसे कैसे दे सकते हैं? आपको पहले प्रक्रिया का अनुपालन करना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री राशिद अल्वी** : जब पुलिस वकीलों और लड़कों को ...गी तो यह ईशू निकलेगा ...*(व्यवधान)* मुझे बोलने की इजाजत ... जाए। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप इसी विषय पर बोलना चाहते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री राशिद अल्वी** : मैंने पुलिस की ज्यादती पर नोटिस दिया है।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप कृपया पहले इसे समझें। आप अध्यक्षपीठ की बात नहीं सुन रहे हैं। यह क्या है? क्या आप सिर्फ वकीलों वाला मामला उठाने जा रहे हैं?

*[हिन्दी]*

**श्री राशिद अल्वी** : पुलिस की ज्यादती जो वकीलों और जामिया मिलिया के लड़कों के साथ हुई ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया इसे समझें। क्या आप केवल एक विषय उठाने जा रहे हैं?

*[हिन्दी]*

**श्री राशिद अल्वी** : मुझे जामिया के लड़कों के बारे में बोलने दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : अभी नहीं, बाद में बोलिए।

**श्री अरुण जेटली** : जब वकीलों की हड़ताल आरंभ हुई तो बार एसोसिएशन ने तीन विषय रेज किए थे जिसके संबंध में अभी कुछ विचार रखे गए। क्या विदेशी वकीलों को देश में प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया जा रहा है? 25 फरवरी को बार काऊंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारी, बार ऐसोसिएशन के पदाधिकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को मले थे और यह स्पष्ट कर दिया गया कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है। क्या हर 5 वर्ष बाद वकीलों को एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी, यह हड़ताल का दूसरा मुद्दा था। इसका भी कोई विषय सरकार के सामने कभी था नहीं। तीसरा विषय यह था कि जो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों के संबंध में पुन: विचार किया जाए। ये संशोधन सदन के दोनों सदनों ने पूरी बहस के बाद सर्वसम्मति से पारित किए थे। माननीय रघुवंश प्रसाद जी ने भी उसका समर्थन किया था। ...*(व्यवधान)*

**अपराह्न 1.02 बजे**

**(उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

**श्री मुलायम सिंह यादव** : पुलि ज्यादती के बारे में भी बताइए।

**श्री अरुण जेटली** : मैं उसके संबंध में भी कह रहा हूं। जब यह विषय आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया क्योंकि उस कानून को अभी नोटीफाई नहीं किया गया है। नोटीफाई करने से पूर्व अगर बार ऐसोसिएशन के कुछ विचार, सुझाव हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो वापिस सदन के सामने जा सकते हैं। वह विषय भी उस दिन सुलझा लिया गया।

चौथा विषय पुलिस लाठी चार्ज का था कि पुलिस ने अगर ज्यादती की है तो हम तुरन्त जज या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमीशन ऑफ इन्क्वारी ऐप्वाइंट करते हैं। उस कमीशन ऑफ इन्क्वारी की जो फाईंडिंग्स आएगी, सरकार उसकी सलाह के अनुसार आगे कार्यवाही करेगी।

जब उनकी ये चारों बातें स्वीकार कर ली गईं तो बार काऊंसिल ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव पास करके अपनी हड़ताल को वापिस ले लिया। कुछ बार ऐसोसिएशन्स की एक अन्य मांग थी कि जो अधिकारी इसके संबंध में दोषी हैं, उन अधिकारियों को निलंबित किया जाए। उस बार ऐसोसिएशन की हड़ताल उसके बाद भी चलती रही। उसके पश्चात् दिल्ली प्रशासन ने तीन पुलिस कर्मचारी, जो विडियो के अंदर आईडेंटीफाई होते थे कि उन्होंने ज्यादती की है, ...*(व्यवधान)* तीन को सस्पैंड कर दिया।

*[अनुवाद]*

**श्री पवन कुमार बंसल** : तीन कांस्टेबल निलम्बित किए गए हैं जबकि दो अन्य अधिकारियों को बेहतर स्थान दिया गया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें पूरा बोलने दीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री अरुण जेटली** : दो ए.सी. पीज को वहां से सस्पैंड कर दिया गया। जो कमीशन ऑफ इन्क्वारी ऐप्वाइंट हुआ है, मैं माफी चाहूंगा, दो ए.सी. पीज को ट्रांसफर किया गया। ...*(व्यवधान)*

**श्री राशिद अल्वी** : ट्रांसफर करके उससे बेहतर पोस्टिंग दे दी। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें पूरा बोलने दीजिए।

*[हिन्दी]*

**श्री अरुण जेटली** : जो कमीशन आफ इन्क्वारी ऐप्वाइंट हुआ है, उसे यह अधिकार दिया गया कि आप इस घटना के संबंध में अपनी फाईनल रिपोर्ट तो देंगे ...*(व्यवधान)*

**श्री मुलायम सिंह यादव** : उन अधिकारियों को महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया। ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अरुण जेटली** : उन अधिकारियों को प्रैजैंट ड्यूटी से ट्रांसफर किया गया है। इसके अतिरिक्त जो कमीशन ऑफ इन्क्वारी है, उसे इंटरिम पावर देने का भी अधिकार दिया गया है कि उनकी सस्पैंशन के संबंध में जांच करने के बाद अगर कमीशन कोई अंतरिम फाईंडिंग देना चाहता है तो वह भी दे सकता है। ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी को बात पूरी करने दीजिये। उन्हें बात पूरी करने दीजिये।

...*(व्यवधान)*

**श्री अरुण जेटली** : सरकार ने इस हड़ताल को समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया है। अत:, सरकार श्री मुलायम सिंह यादव को हमारे साथ मिलकर वकीलों से हड़ताल खत्म करने का अनुरोध करने का निवेदन करेगी। इसके साथ ही एक जनहित याचिका भी दायर की गयी है। इस संबंध में उसके निर्णय का भी इन्तजार है। न्यायालय का जो भी निर्णय आयेगा, हमें वह भी स्वीकार्य है।

*[हिन्दी]*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि तुरन्त वकीलों के डेलीगेशन को बुलाकर उनको यह आश्वासन दें। आप टेबल पर बैठें और बताइये कि कौन-कौन से संशोधन आपत्तिजनक हैं, जितने उसमें आपत्तिजनक हों, उनको बैठाकर सुलझाकर आप संशोधन करें। आपकी यह ड्यूटी है कि आप वकीलों के डेलीगेशन को यह एश्योरेंस दें।

**श्री अरुण जेटली** : माननीय प्रधान मंत्री जी ने उनके डेलीगेशन को आश्वासन दिया है। ...*(व्यवधान)*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : अगर आप उनको यह आश्वासन देने को तैयार होंगे तो वकील स्ट्राइक वापस ले लेंगे।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने आश्वासन दे दिया है। अब श्री वैको बोलें।

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने आश्वासन दे दिया है। अब श्री वैको बोलें।

...*(व्यवधान)*

**श्री अरुण जेटली** : भारतीय बार काउंसिल ने भारत के प्रधानमंत्री को उनकी मांगें स्वीकार करने के लिये धन्यवाद देते हुये एक-एक संकल्प प्रकाशित किया है ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से आश्वासन नहीं दिया है। ये उनके नुमाइन्दों को बुलाकर बात करें और उन्हें स्पष्ट आश्वासन दें। आज सारे वकील स्ट्राइक पर हैं।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह शून्य काल है। उन्होंने पहले ही आश्वासन दे दिया है। यह प्रश्न काल नहीं है। अब श्री वैको बोलें।

...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : वकीलों से सम्पर्क बनाने पर आपको कोई आपत्ति है क्या?

*[हिन्दी]*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : आज सारी कोर्ट बन्द पड़ी हैं, वहां कोई काम नहीं हो रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सरकार से आप यह कहिये कि वकीलों को बुलाकर स्पष्ट आश्वासन दें कि हम आपके साथ बैठकर विचार करेंगे और उनकी जो आपत्ति है, उसका निराकरण किया जायेगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं बोल रहा हूं।

*...(व्यवधान)*

**श्री अरुण जेटली** : हमें बताया गया है कि वे आज से पुन: आन्दोलन कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

**को (शिवकाशी)**: उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को आश्वासन *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

*[हिन्दी]*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)**: यह काम प्रधान मंत्री जी कर चुके हैं। अब इनको भी करना है तो ये भी कर सकते हैं।

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : ये कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी यह काम कर चुके। आप सरकार को कहिये कि स्पष्ट आश्वासन दें। अभी नोटिफिकेशन नहीं किया गया है। जब आपकी राय बन जायेगी *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं बोल रहा हूं। आप मुझे क्यों नहीं सुन रहे? श्री बूटा सिंह जी, यह एक गम्भीर मामला है। वे प्रधानमंत्री से मिले थे। उन्होंने पहले ही आश्वासन दिया है। मंत्री जी भी उनसे मिलने को तैयार हैं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**सरदार बूटा सिंह (जालौर)**: आपने मुझे बुलाने का वायदा किया था।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपको बुलाएंगे।

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया है।

**श्री चन्द्रनाथ सिंह** : उसमें जमानतें नहीं हो पा रही हैं।

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : अगर यही बात आप बुलाकर कहते तो वकील हड़ताल वापस ले लेते।

*[अनुवाद]*

**श्री अरुण जेटली** : चर्चा हेतु दरवाजे सदैव खुले हैं और यह उनको बातचीत के लिये आमंत्रित करना है। *...(व्यवधान)*

**श्री सन्तोष मोहन देव** : आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, जो बुरी संगति में है। आप उन्हें बुलायें, चर्चा करें और मामला खत्म करें।

*[हिन्दी]*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : बार-बार आश्वासन देने में सरकार को शर्म नहीं आनी चाहिए।

**श्री मुलायम सिंह यादव** : सवाल यह नहीं है। आप इसको गम्भीरता से लीजिए। दो महीने से कोर्ट बन्द हैं, इससे निर्दोष लोग जेलों में बन्द हैं। अगर हड़ताल समाप्त हो जाये तो उनकी जमानतें हो सकती हैं, वे बाहर आ सकते हैं। आपने उन पुलिस अधिकारियों को ईनाम दिया है। इसमें आप हड़ताल को बन्द कराइये, महिला अधिवक्ताओं को हड़ताल से हटाइये और उनकी मांगें स्वीकार करिये। आप महिला अधिवक्ताओं को हड़ताल से हटवाइये और अदालतों को चलवाइये। आप इसका समाधान निकालिये, जिससे लोगों का काम चल सके।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप बोल रहे हैं, वे आश्वासन दे रहे हैं।

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : जो भाषा मंत्री जी आज बोल रहे हैं, अगर यही भाषा उस दिन बोलते तो यह स्ट्राइक खत्म हो जाती। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[अनुवाद]*

**श्री वैको** : श्री मुलायम सिंह यादव, कृपया मुझे बोलने दें *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री राधाकृष्णन, उन्होंने बार-बार आश्वासन दिया है। आप और क्या चाहते हैं? मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री वरकला राधाकृष्णन** : महोदय, हड़ताल मुद्दा नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : तो फिर क्या मुद्दा है?

*...(व्यवधान)*

**श्री वरकला राधाकृष्णन** : सात महिला वकील भूख-हड़ताल पर हैं और अन्य भी उसका अनुसरण करेंगे। यह स्थिति है। उन्होंने इस का उत्तर नहीं दिया है।

**श्री वैको** : सरकार ने कुछ उपाय किये हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यन्त गम्भीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। इस देश के उन्नीस मछुआरे लगभग 11 महीने से पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं। वे काफी दयनीय स्थिति में हैं। मैंने इस सभा में 13 मार्च को यह मुद्दा उठाया था। अनेक राजनीतिक दलों के अधिकांश नेताओं ने इस मुद्दे का समर्थन किया था और माननीय गृह मंत्री ने हमारे दु:ख और चिन्ता को समझकर अत्यंत विनम्रता से उसका जवाब दिया और हमें आश्वासन दिया था कि माननीय विदेश मंत्री इस सभा में एक वक्तव्य देंगे।

16 फरवरी, 1999 को 19 भारतीय मछुआरे, जो सभी तमिलाडु के रहने वाले हैं और अधिकतर कन्याकुमारी जिले से सम्बन्ध रखते हैं, सऊदी अरब मत्स्यन कम्पनी के साथ एक समझौते के अन्तर्गत कार्य कर रहे थे, किन्तु गलती से जब वे सऊदी अरब कम्पनी के लिये कार्य कर रहे थे ईरान की समुद्री सीमा में प्रवेश कर गये थे। उन्हें ईरानी जल सीमा में घुसने के आरोप में 16 फरवरी को ईरानी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 42 दिनों बाद, 28 मार्च, को यह मामला तेहरान में हमारे भारतीय मिशन की जानकारी में लाया गया कि कम से कम 19 भारतीय नागरिकों को सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जब मिशन ने उनको मुक्त कराने के लिये ईरानी अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया तो उन्हें ईरान द्वारा 67 दिन बाद पाकिस्तान में भेज दिया गया। महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मामला हमारे मिशन की जानकारी में लाने के 67 दिन बाद उन्हें पाकिस्तानी भूभाग में धकेल दिया गया। मिशन तेहरान में जो कुछ भी कर रहा था, मंत्रालय जो कुछ भी कर रहा था, 35 दिन बाद 9 जुलाई को पाकिस्तानी अधिकारियों को पहला मौखिक संदेश भेजा गया।

तत्पश्चात् पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने 14 सितम्बर, 1999 को इस्लामाबाद में हमारे दूतावास को सूचित किया कि ये मछुआरे पाकिस्तान की हिरासत में हैं। 5 जून को, उन्हें क्वेटा जेल में रखा गया और तत्पश्चात् 5 दिसम्बर को उन्हें कराची जेल में स्थानान्तरित कर दिया गया। जब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह संकेत दिया कि वे हमारे उच्चायोग अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल को इन मछुआरों से मिलने देने को तैयार हैं ताकि उनकी रिहाई हो सके और भारत को उनका प्रत्यावर्तन किया जा सके, तो हमारे उच्चायोग ने सुझाव दिया कि प्रतिनिधिमंडल को तुरन्त उनसे मिलने की अनुमति दी जाये।

बार-बार अनुरोध करने के बाद, पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस्लामाबाद स्थित हमारे उच्चायोग के प्रतिनिधियों को 3 जनवरी, 2000 को जेल में इन मछुआरों से मिलने की अनुमति दे दी। उनके परिवार के सदस्यों को पाकिस्तान से पत्र प्राप्त हुये हैं और मुझे अत्यधिक भय है कि उनका जीवन खतरे में है। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और पाकिस्तानी शासन जनरल परवेज मुशर्रफ का शासन हमारे भारतीय नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। यह अत्यंत गंभीर मामला है और जैसा मैंने पहले बताया है कि सम्पूर्ण कन्याकुमारी जिले में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठनबंधन सहित सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा समर्थित हड़ताल, बंद और आन्दोलन किये गये हैं।

तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री, डा. कलाईगनार ने ईमानदारी से इस मुद्दे को उठाया और कन्याकुमारी के जिले में बंद आयोजित करने से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री से सम्पर्क किया। उन्होंने स्वयं उनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि उपाय किए जायेंगे और वे लोग जिन्हें पाकिस्तानी जेलों में प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें रिहा करवाया जायेगा। जब माननीय प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान वहां आये और कन्याकुमारी जिले के मुख्यालय नगरकोइल, में भारी जनसमूह को सम्बोधित किया, तो उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है और कि सरकार तमिलनाडु के भारतीय मछुआरों को जिन्हें पाकिस्तान की जेलों में प्रताड़ित किया जा रहा है, वापिस लाने के सभी उपाय किये जायेंगे।

महोदय, अब तक ग्यारह महीने बीत चुके हैं। मामला अत्यन्त गम्भीर है। सरकार को इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये। तभी मामला सुलझाया जा सकता है। सरकार को पाकिस्तान

सरकार के साथ गम्भीरतापूर्वक इस मुद्दे को उठाना चाहिये। इस देश के 19 नागरिकों को पाकिस्तान की जेलों में यातना दी जा रही है। यह कोई छोटा मामला नहीं है।

अत: समय आ गया है कि सरकार इस मुद्दे पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। जब तक पाकिस्तानी शासक हमारे मछुआरों को रिहा करने की हमारी मांग को न मान लें, यह मामला मानव अधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र के सामने उठाया जाना चाहिये। यह कोई छोटा मामला नहीं है।

अत:, मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार और विशेष रूप से माननीय विदेश मंत्री को वक्तव्य देना चाहिये। हमारे माननीय गृह मंत्री ने पिछली बार आश्वासन दिया था कि वे हमारे दु:ख और चिंता में शामिल हैं और उन्होंने आश्वासन दिया था कि माननीय विदेश मंत्री वक्तव्य देंगे। महोदय, मामला अत्यन्त गम्भीर है और हम सभी इस मुद्दे पर क्षुब्ध हैं। समस्त राष्ट्र इस मुद्दे पर क्षुब्ध है। समय आ गया है कि सरकार को इसे प्राथमिकता के आधार — लेना चाहिये। धन्यवाद।

श्री **एस.एस. पलानीमनिक्कम** (तंजावूर): महोदय, मुझे इसी विषय पर एक मिनट बोलने का अवसर दें। इसी मामले के संबंध में, माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था और माननीय प्रधानमंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप करने हेतु सहमति व्यक्त की है ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह चर्चा का विषय नहीं है।

**श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम** : महोदय, मैं सरकार और माननीय प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने तथा पाकिस्तानी जेलों से मछुआरों को रिहा करवाने के लिये तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

*[हिन्दी]*

**सरदार बूटा सिंह:** उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग बहुत दुखी हृदय के साथ इस सत्र के लिए सुबह जब यहां मिले तो हमने प्रयास किया कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले देश के अन्दर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने और खास तौर से पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का जो बहुत बड़ा हमला किया, उसकी निन्दा की जाए। कश्मीर की वादी में चट्टीसिंहपुरा के गुरुद्वारे में प्रार्थना करते हुए बहुत सारे सिख भाईयों, बच्चों, देवियों, वृद्धों को बंदूक का निशा बना कर भून डाला और वह भी उस दिन जब भारतवर्ष में अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति महोदय का पदार्पण हुआ। उस दिन देश के बड़े-बड़े समाचार पत्रों में उन देशभक्त सिख भाईयों, बहनों, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की लाशों की तस्वीरें छपीं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्यों को केन्द्रीय कक्ष में सम्बोधित कर रहे थे तो उनके हृदय से हमदर्दी के शब्द उतरे। उन्होंने कहा कि मुझे दुख है और मेरी सहानुभूति उन बच्चों, बहनों, माताओं और बुजुर्गों के साथ है, जिनको आतंकवादियों ने भून दिया। हमने कल के अखबार में भी पढ़ा कि वह अमेरिका जाकर इस त्रासदी को नहीं भूले। उन्होंने वहां जाकर इस बात की पुष्टि कर दी कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कश्मीर में निहत्थे, इन्नोसेंट और देशभक्त सिखों का नरसंहार किया। इसकी निन्दा पूरे विश्व में हो रही है। आज पाकिस्तान का रूप अफगानिस्तान और यूरोप में भी देखने को मिल रहा है लेकिन हिन्दुस्तान को इसकी सबसे बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है। अगर इस सदन में भारत सरकार की ओर से ऐसा प्रस्ताव आता तो पूरे देश के लोग इस बात के प्रति बहुत हमदर्दी रखते। मेरे साथी श्री जे.एस. बराड़ और पंजाब के हमारे पार्टी के दूसरे सभी सदस्य सुबह से इंतजार कर रहे थे कि हमें इस विषय पर बोलने का मौका मिलेगा। हम आशा करते थे कि बहुत गंभीरता और प्यार के साथ उन सिखों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सदन में मौन धारण किया जाएगा। सर्वोच्च सदन की ओर से हम उन परिवारों के प्रति, समूचे सिख समुदाय के प्रति दुनिया के लोगों के सामने यह सिद्ध कर दें कि पाकिस्तान कैसा दरिंदा देश है और कैसे आतंकवादी हिन्दुस्तान में घुसपैठ करके रोजाना सैकड़ों लोगों को मार रहे हैं?

आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि औपचारिक रूप से जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हो, चाहे माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा ही क्यों न हो, सबसे पहले पूरे सदन, के सभी दल, सभी पक्ष उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मौन धारण करके शोक प्रस्ताव पास करें।

**श्री जगमीत सिंह बराड़** (फरीदकोट): आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, सरदार बूटा सिंह जी द्वारा जिस अफसोसनाक घटना का जिक्र किया गया है, मैं अपने आपको उससे जोड़ता हूं। मैं ज्यादा समय न लेकर दो तीन बातें आपके जरिये इस सदन से कहना चाहूंगा। एक मामला क्रास बार्डर टैरेरिज्म का है जिसमें 35 निर्दोष सिक्खों की हत्या कर दी गई। पहले तो वहां कश्मीरी पंडितों को निकाला गया। अब पाकिस्तान की साजिश है कि कश्मीर के 140 गांवों में जो सिक्ख रहते हैं, उन्हें वहां से निकालकर वह अपने षडयंत्र में कामयाब हो जाये। उन 35 सिक्खों की हत्या के बाद अंतिम अरदास में 25 हजार से ज्यादा लोग वहां आये जहां यह खतरा था कि पता नहीं कब उन लोगों को गोली मार दी जाये। इसमें किसी पार्टी का कोई दोष नहीं

हो सकता लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि उस अंतिम अरदास के वक्त न इस देश के प्रधानमंत्री जी, न गृह मंत्री जी और न ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इससे वहां के लोगों में बहुत बड़ा रोष पाया गया कि इतने बड़े दुखदायी कांड पर देश का कोई जिम्मेदार नेता उनके साथ सहानुभूति करने के लिए नहीं आ सकता तो इससे बड़ी अफसोस की बात और क्या हो सकती है।

हमने सुबह इस बात को माननीय स्पीकर साहब के सामने बड़ी गंभीरता से रखा था। जिस दिन क्लिंटन साहब यहां आये थे, हम उस दिन इस मामले को उठाने जा रहे थे लेकिन भारत की अपनी प्रतिष्ठा, हमारे देश की सरकार और एक मेन अपोजीशन पार्टी के नाते हम खामोश रहे क्योंकि इस घटना को केवल 12 घंटे ही हुए थे लेकिन आज जब हमने सदन में बोलने के लिए नोटिस दिया है यह सम्पूर्ण राष्ट्र विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा है। मैं इस मुद्दे पर आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि आज जब दोपहर को दो-ढाई बजे धन्यवाद प्रस्ताव शुरु होगा, उससे पहले अगर सदन में दो मिनट का मौन प्रस्ताव सरकार लेकर आये, इससे सारे देश पर यह इम्प्रेशन पड़ेगा कि पार्लियामेंट और यह देश इस मुद्दे को लेकर कितना गंभीर है और मैं समझता हूं कि सारे सदन की सहानुभूति उन 35 निर्दोष शहीद सिक्खों के परिवार के प्रति जाहिर होगी।

इससे ज्यादा बात मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने डरबन में कॉमनवैल्थ मीटिंग्स से आते समय यह बात कही कि हम वहां डैमोक्रेसी बहाल करने के लिए हिस्सा डालेंगे लेकिन जनरल मुशरफ ने कैम्पों में जो लोग क्रॉस बार्डर टैरेरिज्म फैला रहे हैं, उनको मुखातिब करते हुये कहा कि हालांकि इस्लाम एक शांतिप्रिय धर्म है लेकिन जिहाद को हम सैंक्शन देते हैं और उन्होंने क्रॉस बार्डर टैरेरिज्म को रिकगनाइज किया है। इस प्रकार हमारी विदेश नीति बिलकुल फेल हो गई है। प्रधानमंत्री जी और सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बात मानेंगे और दो मनट के मौन के लिए इनकी तरफ से प्रस्ताव लायेंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय:** मि. हन्नान मोल्लाह।

**श्री बलबीर सिंह** (जालंधर): डिप्टी स्पीकर साहब, सरदार बूटा सिंह जी और श्री बराड़ जी ने जो कहा है, मैं उनसे एसोसिएट करते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से दो मिनट मौन के लिए प्रस्ताव आये।

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन):** हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर सारा सदन श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है।

**श्री पवन कुमार बंसल:** यह सब तरह की बात है।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रिबरंजन दासमुंशी:** महोदय, संसदीय कार्यमंत्री ने सहमति दे दी है। कल की कार्यसूची में पहला विषय, निधन संबंधी उल्लेख होना चाहिये।

*[हिन्दी]*

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:** उपाध्यक्ष महोदय, उसी विषय पर हमारा भी नोटिस है। चट्टीसिंहपुरा में जो आतंकवादियों ने नर-संहार किया गया है, उस पर हमने नोटिस दिया है।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** यदि आप उन्हें बोलने नहीं देंगे, तो मुझे सभा स्थगित करनी पड़ेगी।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैंने पहले ही बता दिया है। अब आप अपने स्थान पर बैठ जायें।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री हन्नान मोल्लाह** (उलूबेरिया): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि चाहे प्राइस राइज का मामला हो या वकीलों पर हमले की बात हो, मैं इसमें एक और बात सरकार के अपराध की जोड़ना चाहता हूं।

आप जानते हैं दिल्ली और देश का एक मशहूर विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया है। उस विश्वविद्यालय में नौ तारीख की रात को दिल्ली पुलिस के 100-200 लोगों ने हॉस्टल में घुसकर जिस बर्बरता के साथ स्टूडेंट्स की पिटाई की है, मैंने खुद वहां दो घंटे जाकर हर कमरे को देखा है। कम से कम 25 कमरों के पूरे दरवाजे टूटे हुए हैं, कमरे के अंदर की सारी चीजें तितर-बितर हैं। वहां दो सौ से ज्यादा स्टूडेंट्स की पिटाई की गई और उन्हें जेल में बंद किया है। मस्जिद में जाकर देखा, वहां टीयर गैस सैल्स हैं, उसकी मैट जली हुई है। मस्जिद के

इमाम साहब जो हमारे बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से आते हैं, उनकी अंदर जाकर इतनी पिटाई की गई और उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें तिहाड़ जेल में डाल दिया गया है। इतनी बर्बरता और साम्प्रदायिक ढंग से वहां पुलिस बात कर रही थी, यह भी बहुत शर्म की बात है। मैंने वहां खुद जाकर देखा एक विदेशी स्टूडेंट—यमन की एक स्टूडेंट है उसके हाथ-पैर में बहुत पिटाई लगाई है। बंगलादेश के तीन स्टूडेंट्स हैं। मैंने हिन्दुस्तान की ओर से उससे माफी मांगी कि हमारे देश में पढ़ने आये और तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म हुआ, यह हमारे देश के लिए अपमान की बात है। सर, वहां दो सौ से ज्यादा स्टूडेंट्स के कमरों को तोड़-फोड़ दिया, उनके पैसे लूटे गये, डॉलर लूटे गये। यह एक छोटी सी घटना हो सकती थी, यदि पुलिस इसे आसानी से और तरीके से हैंडिल करती। स्टूडेंट्स का मामला सैंसिटिव होता है। यदि थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए तो पुलिस उसे तरीके से हैंडिल कर सकती थी। लेकिन जिस तरह बेरहमी से, भेदभाव के दृष्टिकोण से दिल्ली की पुलिस ने उन पर जुल्म किया, मुझे देखकर बहुत [illegible] मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा कि [illegible] में इस तरह का हमला हुआ हो। उसमें वाइस चांसलर भी नहीं गया और कोई हमदर्दी नहीं जताई।

इसलिए मेरी मांग है कि इस मामले में जूडीशल इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस डी.सी.पी. के नेतृत्व में यह जुल्म हुआ, उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स पर जो झूठे इल्जाम लगाये गये, उन्हें हॉस्टल में मारा पीटा गया और उनके खिलाफ दफा 302 के मुकदमे लगाये गये, ये सारे मुकदमें वापिस होने चाहिए और उनके नुकसान की क्षतिपूर्ति होनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए और जो अपराधी हैं, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। यह मेरी सरकार से मांग है। सर, अभी तक होम मिनिस्टर या किसी अन्य मिनिस्टर ने इसके बारे में कोई स्टेटमैंट दिया और न कोई उधर पहुंचा और न आश्वासन दिया। इसलिए मैं अपील करूंगा कि सरकार इस बारे में एक सही कदम उठाये, यही मेरी मांग है।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, एयरलाइंस के जहाज ...*(व्यवधान)*

**श्री राशिद अल्वी:** सर, इस मामले में हमारा नाम भी है।

**श्री जी.एम. बनातवाला** (पोन्नानी): डिप्टी स्पीकर सर, मेरा भी यही मामला है।

**श्रीमती फूलन देवी** (मिर्जापुर): सर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

**श्री जी.एम. बनातवाला:** डिप्टी स्पीकर सर, जो जुल्म-ओ-सितम दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया के तलबा पर ढाये हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। मैंने इस सवाल पर आज एडजर्नमैंट मोशन तक दिया था और यह नोटिस भी दिया था कि इस पर बोलने दिया जाए। शायद यह हद है इस महीने की नौ तारीख को बगैर किसी इजाजत के, एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत लिए बगैर, एक अनप्रीसीडेन्टिड मैनर पर, यह किया गया, ऐसा मालूम होता है कि दिल्ली पुलिस अपनी जहनी तवाजुन खो चुकी है। इक्तेदार के नशे में चूर यह जामिया मिलिया के अंदर घुसती है और वहां पर बर्बरियत की वह मिसाल सामने आती हैं कि इंसानियत शर्म से सिर झुका ले। तलबा को मारा-पीटा गया, उनके सामान को लूटा गया, उनका रुपया-पैसा तक लूटा गया। वह तलबा जो इम्तिहान की तैयारियां कर रहे थे। उनमें से एक को तीसरे माले की बालकनी से नीचे फेंक दिया गया, जो बुरी तरह जख्मी है।

वहां पर जो बरूनी ममालिक के तलबा पढ़ते हैं, उनके साथ भी बेरहमाना तशद्दुद भरा जो सूलक हुआ है, वह इन्तिहाई शर्मनाक है। साहब, ये पुलिस बार-बार हमारे इन तालिबां को कहती रही है कि हमारी दरसगाहें, हमारी यूनिवर्सिटिया, हमारे मदरसे और हमारे मुस्लिम्स सेन्टर्स ऑफ लर्निंग आई.एस.आई. एजेन्ट के मराकिज बन चुके हैं। उन्हें आई.एस.आई. एजेन्ट कहा गया और बुरी तरह से पीटा गया। उनमें से कुछ को गिरफ्तार करके, वहां से ले जाकर पुलिस स्टेशन पर भी बेतहाशा मारा और पीटा गया। उनकी दाढ़ियां नोंच-नोंचकर कहा गया कि ये अल्लाह के नूर की निशानी नहीं बल्कि ये दाढ़ी हिन्दुस्तान के अंदर आई.एस.आई. एजेन्ट होने की निशानी है। ये हालात वहां पर बने। वहां मस्जिद में जूतों समेत घुसकर वहां पर इमाम साहब को भी मारा-पीटा गया और उनकी टांगें तोड़ी गई। कहां तक इस बर्बरता का जिक्र हम करते रहें। आज मैं यह कहने पर मजबूर हूं कि इतना सब कुछ होने पर भी हुकूमत के कानों तक जूं तक नहीं रेंगी है। वह पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने इस तरह जुल्मो-सितम और बर्बरता मचाई और तास्सुब और कम्यूनल प्रीज्यूडिस पेश किया, कोई ऐक्शन उनके खिलाफ अभी तक नहीं हुआ है। उनको सस्पेन्ड करो, यह पहला काम है। ज्यूडीशियल इनक्वायरी करो और बिल्कुल गलत तौर पर चार्जेज फ्रेम करने की कोशिश की गई है। वह स्टूडेंट्स जो इम्तिहान की तैयारियों में लगे हुए थे, उनको ले जाकर बंद किया गया। अब उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दायर किये जा रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, लेकिन इस ऐवान को सोचना है कि पुलिस को यह क्या हो गया है। यह सब इसी वजह से हुआ जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। यह सरकार और जो हालाती हैं उनमें बार-बार यह प्रपोगण्डा किया है कि मुसलमानों के पढ़ाई केन्द्र आतंकवाद और आई एस आई

एजेन्टों के केन्द्र हैं और आज इस प्रपोगन्डा के होते हुए भी एक भी मदरसे या एक भी दार-उल-उलूम से कोई आई.एस.आई. एजेन्ट बरामद नहीं हुआ, लेकिन यह चीज है प्रपोगन्डा जिसने कम्यूनलिज्म को फैला रखा है और अकलियत खिलाफ जज्बात को उभार रखा है और इसी अकलियत-खिलाफ जज्बात से हुकूमत द्वारा और संघ परिवार की तरफ से इस तरह के प्रचार किये जा रहे हों तो फिर पुलिस और जो सरकारी लोग हैं, उनको भी ऐनकरेजमेंट मिलती है, उनकी भी हौंसलाफजाई होती है। बगैर ज्यादा वक्त लिये मैं इस बात का मुतालबा करता हूं कि ज्यूडीशियल इनक्वायरी की जाए। जो जिम्मेदार पुलिस अफसर हैं, उनको सस्पेन्ड किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, फर्जी मुकदमे हटाए जाएं। खुद होम मिनिस्टर को चाहिए कि तलबा को बुलाएं, उनके साथ बैठें, उनके साथ गुफ्तगू करें, यह भी बहुत जरूरी है। आज वह स्टूडेन्ट्स भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। होम मिनिस्टर उनके साथ गुफ्तगू करें और यह जो जुल्मो-सितम हुआ है, इसकी तदारुक फौरी तौर पर होनी चाहिए। इसकी तमाम जिम्मेदारी अगर किसी पर आयद होती है तो वह हमारी हुकूमत पर आयद होती है।

**जनाब जी॰ ایم॰ बनातवाला (पोननानि)**: جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب، میرا بھی یہی سوال ہے۔

**محترمہ پھولن دیوی (مرزاپور)**: سر یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے۔...(مداخلت)

**जनाब जी॰ ایم॰ बनातवाला (पोननानि)**: جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب، جو ظلم و ستم دہلی پولیس نے جامعہ ملیہ کے طلباء پر ڈھائے ہیں، اسکی مثال نہیں ملتی ہے۔ میں نے اس سوال پر آج ایڈجرنمنٹ موشن تک دیا تھا اور اس نوٹس بھی دیا تھا کہ اس پر بولنے دیا جائے۔ شاید یہ حق ہے اس ہاؤس کی تو تارخ کو بغیر کسی اجازت کے، ایڈمنسٹریشن سے اجازت لئے بغیر، ایک ان پریسیڈنٹڈ سٹیپ، یہ کیا گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہلی پولیس اپنی ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ اقتدار کے نشے میں چور یہ جامعہ ملیہ میں اندر گھستی ہے اور وہاں پر بربریت کی وہ مثال سامنے آئی ہے کہ انسانیت شرم سے سر جھکا لے۔ طلباء کو مارا پیٹا گیا، انکے سامان کو لوٹا گیا، انکا روپیہ پیسہ تک لوٹا گیا۔ وہ طلباء جو امتحان کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کو تیسری منزل کی بالکونی سے نیچے پھینک دیا گیا، جو بری طرح زخمی ہے۔ وہاں پر [illegible] ممالک کے طلباء پڑھتے ہیں، انکے ساتھ بھی یہ روحانہ تشدد بھرا جو سلوک ہوا ہے، [illegible] ہے۔ صاحب، یہ پولیس بار بار ہمارے ان طلباء کو کہتی رہی ہے کہ ہماری درسگاہیں، ہمارے یونیورسٹیاں، ہمارے مدرسے اور ہمارے مسلم سینٹرس آف لرننگ آئی۔ آئی۔ ایس۔ آئی۔ ایجنٹ کے مراکز بن چکے ہیں۔ انہیں آئی۔ آئی۔ ایس۔ آئی۔ ایجنٹ کہا گیا اور بری طرح سے پیٹا گیا۔ ان میں سے کچھ کو گرفتار کر کے تھانے سے لے جا کر پولیس اسٹیشن پر بھی بے تحاشہ مارا اور پیٹا گیا۔ انکی وڈیوز بھی نوٹ کر کہا گیا کہ یہ طلبہ کے اور ان نشانی نہیں بلکہ یہ دلی کی ہندوستان کے اندر آئی۔ ایس۔ آئی ایجنٹ ہونے کی نشانی ہے۔ یہ حالات وہاں پر بنے۔ وہاں مسجد میں جو توں سمیت گھس کر وہاں پر امام صاحب کو بھی مارا پیٹا گیا اور انکی ٹوپی توڑی گئیں۔ کہاں تک اس بربرتا کا ذکر ہم کرتے رہیں۔ آج میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ انتہائی بیکر ہونے پر بھی حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی ہے۔ وہ پولیس آفیسرس جنہوں نے اس طرح ظلم و ستم اور بربرتا پھیلائی اور تعصب اور کمیونل پریجوڈیس پیش کیا کوئی ایکشن انکے خلاف ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ انکو سسپینڈ کرو، یہ پہلا کام ہے۔ جیوڈیشل انکوائری کرو اور بالکل فلط طور پر چارجیز فریم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس جو امتحان کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، انکو لے جا کر بند کیا گیا۔ اب انکے اوپر فرضی مقدمے دائر کئے جا رہے ہیں۔ میں زیادہ وقت آپکا نہیں لوں گا، لیکن اس بات کو سوچنا ہے کہ پولیس کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ یہ سب اسی وجہ سے ہوا جسکی ذمہ داری سرکار پر ہے۔ یہ سرکار اور جو حالانکہ ہیں ان میں بار بار یہ پروپیگنڈہ کیا ہے کہ Muslims centre of learning are centres of terrorist and ISI agents اور آج اس پروپیگنڈہ کے ہوتے ہوئے بھی ایک بھی مدرسے، یا کسی بھی دارالعلوم سے کوئی آئی۔ ایس۔ آئی۔ ایجنٹ برآمد نہیں ہوا، لیکن یہ چیز ہے پروپیگنڈہ جس نے کیسے متوسط کو پھیلا رکھا ہے اور اقلیت کے خلاف جذبات کو ابھار رکھا ہے اور اسی اقلیت مخالف جذبات سے حکومت کے

[अनुवाद]

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त शर्म की बात है ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** यह शून्यकाल है। प्रत्येक को संक्षेप में बोलना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री जी.एम. बनातवाला:** हमने एडजर्नमेंट मोशन के बारे में नोटिस दिया था। ...*(व्यवधान)* ऐसी हकूमत को तो हक हासिल नहीं हकूमत करने का ...*(व्यवधान)*

**جناب جی॰ ایم॰ بنات والا (پوننانی)**: ہم نے ایڈجرنمنٹ موشن کے بارے میں نوٹس دیا تھا...(مداخلت) ایسی حکومت کو تو حق حاصل نہیں کرنے کا...(مداخلت)

[अनवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय:** यह सत्य है, किन्तु हम शून्य काल में हैं, किन्तु स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:** उपाध्यक्ष महोदय, छात्रों पर जो अत्याचार हुए, उसके बारे में श्री बनातवाला जी ने बयान दिया और सरकार चुपचाप सुनती रही। क्या सरकार को इस बारे में कोई बयान नहीं देना चाहिए? यह बड़ा संबेदनशील मामला है। जामिया मिलिया के लड़कों पर होस्टल में अत्याचार हुए। ...*(व्यवधान)*

**श्री जी.एम. बनातवाला:** उपाध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर साहब यहां पर बयान दें और तालिबां के साथ बातचीत की जाये। ...*(व्यवधान)*

**جناب جی॰ ایم॰ بنات والا (پوننانی)**: جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب، ہوم منسٹر صاحب یہاں پر بیان دیں اور طلبہ کے ساتھ بات چیت کی جائے۔...(مداخلت)

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** उपाध्यक्ष महोदय, जामिया मिलिया इस्लामिया में जो हुआ, वह अत्यन्त आघात पहुंचाने वाला है ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब 1.35 हो चुके हैं। अभी भी इसी विषय पर दो तीन माननीय सदस्य बोलने वाले बाकी हैं। मैं उन्हें अनुरोध कर रहा हूं कि वे उन्हें भी अन्य सदस्यों के साथ जोड़ें, जो पहले ही बोल चुके हैं।

हां, श्री प्रियरंजन दासमुंशी कृपया बोलिये।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** (रायगंज): उपाध्यक्ष महोदय, जामिया मिलिया इस्लामिया में जो कुछ हुआ वह एक घटनामात्र ही नहीं है। यह तो एक षडयंत्र है और अब इस षडयंत्र का सभी को पता चल गया है।

मैं भी विद्यार्थी आन्दोलन का हिस्सा रहा हूं। मैं न के माध्यम से ही सार्वजनिक जीवन में आया हूं। अतः, देश और विश्व से संबंधित मुख्य मुद्दों की आधारशिला विद्यार्थियों ने ही रखी है। विद्यार्थी ही मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं तथा लोग फिर उसे आगे बढ़ाते हैं तथा प्रोत्साहित करते हैं और उनका पालन करते हैं।

जामिया मिलिया इस्लामिया मात्र दिल्ली में स्थित एक विश्वविद्यालय ही नहीं है। जब मैंने इस घटना के बारे में सुना तो मुझे एकदम स्वर्गीय राष्ट्रपति डा. जाकिर हुसैन की याद आई जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अपने सपने को साकार किया था। इस विश्वविद्यालय में केवल भारत के ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व से विशेष तौर पर मुस्लिम राष्ट्रों से विद्यार्थी आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले एक सुस्थापित संहिता थी, मुझे स्मरण है कि छठे दशक में बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। कुलपतियों के सम्मेलन में उस संहिता में यह कहा गया था, "जब तक प्रशासन, कुलपति अथवा प्रधानाचार्य, जैसा भी मामला हो, किसी स्थिति विशेष के संबंध में हस्तक्षेप करने के लिए स्वयं पुलिस आमंत्रित नहीं करता तब तक पुलिस को बिना पूर्वानुमति के शैक्षणिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यह एक सुस्थापित सत्य था। छठवें दशक में सभी कुलपतियों ने इसकी भरपूर प्रशंसा की थी। उस समय, मैं विद्यार्थियों का नेता था।

परन्तु, महोदय, गत सप्ताह जामिया मिलिया इस्लामिया में एक दुःखद घटना हुई। विद्यार्थी मुझसे मिले और उन्होंने संपूर्ण घटना मुझे सुनाई। जैसाकि श्री हन्नान मोल्लाह ने ठीक ही कहा है कि इमाम, जो मुर्शिदाबाद के हैं, एक विश्व स्तर के व्यक्ति हैं। वह मस्जिद में प्रार्थना करवाया करते थे और किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते। परन्तु पुलिस द्वारा जिस प्रकार उन्हें प्रताड़ित किया गया, जिस प्रकार की उन्हें गालियां दी गई, इस राष्ट्र का नागरिक होने के नाते मुझे बहुत दुःख होता है कि पुलिस अधिकारी ऐसा भी करते हैं। जो विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त थे, पुस्तकें पढ़ रहे थे, उन्हें प्रताड़ित किया गया। उनके हाथ बांध दिये गये और उन्हें पीटा गया। एक विद्यार्थी ने मुझे अपनी कहानी बताई। चूंकि उसने अपना नाम छिपाया है, अतः मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। परंतु जिस प्रकार उसे नग्न करके पुलिस ने लाठी और बन्दूक की नोक से उसे मारा गया उसे सहन नहीं किया जा सकता। यह शर्मनाक है। पुलिस ने कहा:

*[हिन्दी]*

तुम मुसलमान लोग देश में बगावत करते हो
और अब यहां पर भी आये हो।'

*[अनुवाद]*

वह खड़े होकर चिल्लाया। परंतु उसे छोड़ा नहीं गया। जो विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कह रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। आंसू गैस सिर्फ मस्जिद में ही नहीं, अपितु पुस्तकों की मेज पर, जहां विद्यार्थी पढ़ रहे थे, छोड़ी गयी। इन सब, के बावजूद अनेक विद्यार्थी गिरफ्तार किए गए और धारा 302 के अंतर्गत उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। यहां तक कि इमाम को पुलिस हिरासत में रखा गया। अनेक विद्यार्थियों को झूठे मामलों में गिरफ्तार किया गया। यहां तक कि बंगलादेश के विद्यार्थियों को भी प्रताड़ित किया गया।

अतः मैं समझता हूं कि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार को जामिया मिलिया इस्लामिया को मात्र एक विश्वविद्यालय कैम्पस ही नहीं समझना चाहिए अपितु उसे प्रतिष्ठा के रूप में लेना चाहिए जो हम विदेशों से प्राप्त करना चाहते हैं, तथा जिम्मेवारी से स्थिति से निपटना चाहिए। कम से कम उसे इसके बारे में सोचने का प्रयास तो करना चाहिए।

अतः मैं मांग करता हूं कि न केवल तुरंत न्यायिक जांच कराई जाये अपितु उन बेकसूर विद्यार्थियों के विरुद्ध लगाये गये सभी आरोपों और मामलों को वापिस लिया जाना चाहिए। सभी गिरफ्तार विद्यार्थियों को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए और प्रशासन की ओर से भरपूर माफी मांग कर इमाम का सम्मान बरकरार रखा जाये। इतना ही नहीं, मुझे यह भी महसूस होता है कि माननीय गृह मंत्री को इसी सभा में कल आकर उन

मुद्दों का उत्तर वक्तव्य देकर देना चाहिए, जिन्हें हमने आज उठाया है।

अपने दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं यह मांग करता हूं और जामिया मिलिया के विद्यार्थियों के प्रति पूर्ण चिंता और सहानुभूति व्यक्त करता हूँ।

*[हिन्दी]*

**प्रो. आई.जी. सनदी** (धारवाड़ दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी उनकी बात का सपोर्ट करता हूं।

**श्री राशिद अल्वी:** डिप्टी स्पीकर साहब, जामिया मिलिया महज एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। जामिया मिलिया इस देश के अंदर एक मूवमैंट है और हिन्दुस्तान की आजादी से पहले स्टालवाड फ्रीडम फाईटर ने इसकी बुनियाद इसलिए डाली कि जामिया मिलिया में पढ़ने वाले लड़के फ्रीडम फाईटर हों।

उस जामिया मिलिया के अंदर 9 तारीख को पुलिस दो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए गई। वे क्रिमिनिल्स जो सड़क पर दौड़ रहे थे, वे दोनों होस्टल के अंदर दाखिल हो गए। पुलिस उनके पीछे-पीछे होस्टल के अंदर पहुंची। वे दो क्रिमिनल्स पकड़े गए या नहीं, यह नहीं मालूम लेकिन उन होस्टल्स के अंदर बेदर्दी के साथ, वहशियाना तरीके से जो जुल्म और बर्बरियत की कहानी दिल्ली की पुलिस ने की है, उसकी कोई मिसाल तारीख के अंदर नहीं मिलती। मैं होस्टल के अंदर गया। मैंने होस्टल में देखा, मुझे तकलीफ होती है, मेरा दिल रोता है यह कहते हुए कि जो बच्चे होस्टल में पढ़ रहे थे, कमरों के दरवाजे तोड़ दिए गए, खिंडो तोड़ दी गई और अंदर जाकर उन पर डंडे बरसाए और बंदूक की नालियों से उन्हें मारा गया। मेरी कार के अंदर वह डंडा रखा है जो मैं जामिया मिलिया से लेकर आया हूं। इस हाउस की इज्जत करता हूं इसलिए इस हाउस के अंदर नहीं लाया। लेकिन अगर आप इजाजत देंगे तो मैं वह डंडा दिखा सकता हूं जिसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए वहां के लड़कों को मार-मारकर। यही नहीं, एक लड़का जो किडनैप्ड है, जिसकी दो टांगे टूट गई हैं, दो टांगे काट दी गई, उस लड़के को उठाकर मारा गया। उस लड़के का क्या कसूर था। वह कैसे आई.एस.आई. का एजैंट हो जाएगा। तीसरी मंजिल से लड़के को उठाकर फैंक दिया। उसकी पतलून लोहे की सलाख में फंस गई, लड़का फंस गया। उसे बंदूक से जबरदस्ती नीचे फेंक दिया गया। पतलून वहीं अटकी रह गई। लड़का तीसरी मंजिल से नीचे आकर गिरा। यह है पुलिस का काम। वहां तकरीबन डेढ़ सौ लड़कों की पिटाई की गई और जो लड़का ज्यादा जख्मी था, उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया। बाकी लड़कों को छोड़ दिया गया। करीब 66 लड़कों को बंद किया गया। वाइस चांसलर की परमीशन नहीं थी। वी.सी. ने कहा कि मेरी इजाजत के बगैर पुलिस जामिया मिलिया के अंदर आई थी। पुलिस की तादाद 50-60 नहीं थी, पुलिस की तादाद, जो मुझे बताई गई, 500-600 थी। मैं तिहाड़ जेल गया। सारे लड़कों से मिल कर आया। मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत तकलीफ से कहता हूं, जो आंसू उनकी आंखों से निकल रहे थे कि हमारा कसूर क्या है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में टैरोरिज्म की बात करती है, यह सरकार टैरोरिस्ट्स की बात करती है, यह टैरोरिस्ट्स पैदा करने का काम करती है। मैं हिन्दू लड़कों से मिला था जो जामिया के अंदर पढ़ते हैं। मैं इस हाउस से यह कहता हूं कि उन्हीं लड़कों से बयान लेकर फैसला कर देना चाहिए। वे लड़के रोते थे कि हम हिन्दू और मुसलमान भाई-भाई की हैसियत से जामिया के अंदर रहते हैं। लेकिन जिस तरह का सलूक पुलिस ने किया, जिस तरह की जुबान पुलिस ने बोली कि ये आई.एस.आई. के एजैंट हैं, यहां से इन्होंने दूसरे मुल्कों की एजेंसी ले रखी और इस होस्टल में रहते हैं। वे हिन्दू मासूम बच्चे मुझे बयान कर रहे थे। इमाम को पकड़ा गया। उन्हें मारा गया। मैं उनसे मिला। वे तिहाड़ जेल के अंदर रो-रोकर अपनी कहानी बयान करते हैं कि मैं मस्जिद के अंदर बैठा था, कुरान-ए-पाक के साथ बेइज्जती की गई। क्या यह सैकुलर देश है? क्या यह तवक्को की जा सकती है कि जिन लड़कों के साथ आज यह जुल्म हो रहा है, कल वे बहुत पैट्रियौटिक होंगे, बहुत नैशनलिस्ट होंगे? बी.जे.पी. की सरकार इस देश में टैरोरिज्म पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। मैं तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं, आज 17 तारीख है, 9 दिन हो गए, एक पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह कैसा जुल्म है कि लड़कों के खिलाफ 307 इरादा-ए-कत्ल की दफा लगाई जा रही है और पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि होम मिनिस्टर को जामिया के अंदर जाकर माफी मांगनी चाहिए। पुलिस आफिसर्स के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। ज्यूडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए और उसके साथ-साथ मुखतलिफ पार्टीज के एम.पीज को कमेटी बनाकर वहां जाकर देखकर आना चाहिए कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है। इस देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के बच्चों के साथ क्या हो रहा है। इसके बाद बी.जे.पी. की सरकार कहती है कि हम सैकुलर हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मस्जिद और मदरसों का कानून बनाया है, उससे हमें शुबहा पैदा हो जाता है। वही काम जामिया मिलिया के अंदर हो रहा है। मैं पूरे जोर-शोर, पूरी ताकत के साथ अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से इससे एहतजाज करता हूं और मुतालबा करता हूं कि फौरन पुलिस आफिसर्स के खिलाफ कार्यवाही करानी चाहिए। पुलिस का ऐटीट्यूड यह है। जब मैं तिहाड़ जेल मिलने गया, बी.जे.पी. की सरकार के एक मंत्री बैठे हैं, ये भी मिलने गए।

इनसे भी पूछा जा सकता है कि क्या हुआ। जब मैं जेल के अन्दर मिलने के लिए गया, मैं पुलिस का एटीट्यूड बता रहा हूं, जब मैं दोपहर को बाहर वापस आया तो मेरा ड्राइवर गायब था। मैं उसे तलाश करते हुए घूमा कि कहां है तो पता चला कि ए.सी.पी. की कार आ रही थी और मेरी कार उसके बीच में खड़ी थी, इसलिए मेरे ड्राइवर को उस ए.सी.पी. के आर्डर्स पर बन्द कर दिया गया है। वकीलों के साथ पुलिस ज्यादती करेगी, जामिया मिलिया के लड़कों के साथ करेगी, एम.पीज. के साथ करेगी, पुलिस का यह एटीट्यूड है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ड्राईवर को सिर्फ इसलिए बन्द कर दिया कि ए.सी.पी. की कार जा रही है तो बीच में कोई कार कैसे आ सकती है। वे तो ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ऊंचे होते हैं, वे कोई इंसान थोड़े ही हैं, वे तो इंसानों से बड़ी चीज है। मैं उनके खिलाफ प्रिवलेज मोशन भी पेस करूंगा कि दिल्ली पुलिस का क्या एटीट्यूड है। बी.जे.पी. की सरकार को खत्म करने के लिए [illegible] की जरूरत नहीं, मुजे पूरा यकीन है कि दिल्ली पुलिस [illegible]रकार को खत्म कर देगी।

**श्रीमती फूलन देवी** (मिर्जापुर): उपाध्यक्ष जी, हम भी जामिया मिलिया में गये थे, हमें भी एक मिनट का समय दिया जाये। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय अध्यक्ष को आपका विशेषाधिकार प्रश्न का नोटिस मिल चुका है। यह उनके विचारार्थ है।

*...(व्यवधान)*

**श्री ई. अहमद:** इसे इस प्रकार नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता। हम सरकार से उत्तर चाहते हैं। स्वतंत्र भारत में किसी विश्वविद्यालय, किसी समुदाय अथवा इस देश के लोगों के विरुद्ध इस प्रकार की बर्बरता हमने नहीं सुनी। *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री अहमद, क्या आप जानते हैं कि पीठासीन अधिकारी सरकार को प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

*...(व्यवधान)*

**श्री हन्नान मोल्लाह:** मैं माननीय मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं। गृह मंत्री जी को अपना वक्तव्य देना चाहिए *...(व्यवधान)*

**श्री ई. अहमद:** मुसलमान भी भारत के नागरिक हैं। हम चाहते हैं कि न्याय किया जाये।

*[हिन्दी]*

**श्री हन्नान मोल्लाह:** मंत्री जी, इस पर भी कुछ बोलिये।

**श्रीमती फूलन देवी:** जामिया मिलिया इस्लामिया में हम भी होकर आये हैं, एक मिनट का समय हमें भी दिया जाये। वहां पर छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। छात्रों को मारा-पीटा गया है, छात्रों का *...(व्यवधान)*

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** सरकार संवेदनहीन हो जाये तो देश में क्या होगा। जिस तरह के जुल्म का वाकया माननीय सदस्यों ने सुनाया, वह आंखों देखी बात है। *...(व्यवधान)*

**श्रीमती फूलन देवी:** उपाध्यक्ष जी, हम भी दौरा करके आये, घूमकर आये। वहां बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देखे जा रहे।

**उपाध्यक्ष महोदय:** आप जामिया के बारे में बोलना चाहती हैं? एक महिला के नाते उनको बोलने दीजिए।

**श्रीमती फूलन देवी:** जामिया मिलिया इस्लामिया में हम भी गये। जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर बच्चे ऐसे रोने लगे, जैसे छोटे बच्चे मां को देखकर रो पड़ते हैं। पुलिस ने, पी.ए.सी. ने वहां पर घुसकर बच्चों को बुरी तरह से मारा, उनको नंगा-उघाड़ा करके, रूम्स को तोड़कर, घर में घुसकर उनको मारा-पीटा और उनका जो सामान था, उसको डकैतों की तरह लूट लिया। दूसरे उनको 307 में बन्द किया गया। जो बच्चे वहां भविष्य बनाने आये थे, उन बच्चों का भविष्य इन लोगों ने बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। 307 और 302 के केस लगाकर उनको जेल में बन्द कर दिया। जिन मां-बाप ने मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए वहां भेजा था, उनका भविष्य बनाने के लिए भेजा था, आज दिल्ली पुलिस प्रशासन ने उन बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया है। मैं मांग करती हूं कि इस तरह के पुलिस प्रशासन के साथ कड़ा रवैया अख्तियार किया जाये। जांच करके जो भी शासन के लोग हों, उनको दंड दिया जाये। बलिया में इसी तरह हुआ और बनारस में भी इसी तरह हुआ और छात्रों के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया में भी इसी तरह हुआ। मैं इस सरकार से मांग करती हूं कि जांच करके पुलिस प्रशासन के अधिकारी या जो भी इसमें लिप्त हैं, उनको सजा दी जाये, सस्पेंड किया जाये। बच्चों पर जो भी फर्जी केस लगाये गये हैं, उनके केस वापस हों। बच्चों से यहां की सरकार जाकर माफी मांगे। इस सरकार के अधिकारियों के कारण पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती की, उनको सजा मिले। बताओ क्या कानून व्यवस्था है, पुलिस ही सब कुछ है, जो चाहे पुलिस कर सकती है। कहीं किसी को पकड़कर मार सकती है, किसी को आरोपी

बना सकती है। आप उन बच्चों के साथ सहानुभूति प्रकट करें और उनके केस वापस लेकर उन बच्चों से भारत सरकार माफी मांगे, गृह मंत्री जाकर माफी मांगें।

**श्री हन्नान मोल्लाह:** इतना जुल्म हुआ है, आप कुछ तो बोलें।

*[अनुवाद]*

**श्री ई. अहमद:** हम सरकार से उत्तर चाहते हैं *...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री अहमद, मैं सरकार को मजबूर नहीं कर सकता।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** हमें आपने तीन बार बिठाया है।

**उपाध्यक्ष महोदय:** क्या करें, मंत्री जी बोल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं।

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ( श्री प्रमोद महाजन ):** इस चर्चा के दौरान जितनी जानकारी मैं अपने साथी शाहनवाज हुसैन से ले पाया हूं, उसके आधार पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर कोई गलती हो तो मैं पहले ही क्षमा चाहता हूं। इस घटना के संबंध में विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री जी से मिला था। हमारे मंत्री शाहनवाज हुसैन जी स्वयं उस प्रतिनिधिमंडल को लेकर गृह मंत्री जी के पास गए थे। उनको जो भी शिकायत थी, जिसका कुछ बयान यहां भी हुआ, वह गृह मंत्री जी के पास रखी। गृह मंत्री जी ने एल.जी. को इसकी जांच करने के लिए कहा है। शायद कोई मजिस्ट्रेट लेवल की जांच हो रही है।

**श्री जी.एम. बनातवाला:** मजिस्ट्रेट लेवल की जांच से क्या होगा *...(व्यवधान)*

**جناب جی۔ ایم۔ بنات والا (پونتانی):** مجسٹریٹ لیول کی جانچ سے کیا ہوگا۔

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। आप उनकी बात सुनिए। यदि आप और स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वह आप बाद में ले सकते हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रमोद महाजन:** पहले मुझे पूरा करने दें। अगर कोई समस्या हो तो मैं गृह मंत्री जी के पास रखूंगा, लेकिन मुझे कम से कम क्या हुआ, यह तो बताने दें। अगर जांच के स्तर से आप सहमत नहीं हैं, अगर आप और उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं तो मैं गृह मंत्री जी को आपकी इस मांग से भी अवगत करा दूंगा। मैं केवल स्थिति को बयान कर रहा हूं। गृह मंत्री जी इन विद्यार्थियों से मिल चुके हैं। एल.जी. को जांच करने को कहा है। एल.जी. की ओर से जांच हो रही है। गृह मंत्री जी ने हमारे मंत्रिपरिषद के सहयोगी शाहनवाज हुसैन से कहा कि वे स्वयं जेल जाकर इनसे मिलें। वे मिले भी हैं और उनकी शिकायतें फिर गृह मंत्री जी के पास रखी हैं। उसके आधार पर उनकी जमानत जब होने लगी तो सरकार की ओर से जमानत का विरोध नहीं किया गया। इसके पश्चात भी सदस्यों ने जो विभिन्न मुद्दे उठाए हैं, उनमें से जो मांगें बनती हैं, उन सारी मांगों को कंसोलिडेट करके मैं गृह मंत्री जी के पास फिर से आप सबका निवेदन भेजूंगा।

**कुंवर अखिलेश सिंह** (महाराजगंज, उ.प्र.)**:** विद्यार्थियों के ऊपर जो फर्जी मुकदमा दायर किया है, पहले वह वापस लिया जाए। यह कोई सहानुभूति की बात नहीं है कि पहले मुकदमा लगा दिया और फिर जमानत का विरोध नहीं कर रहे हैं। यह बड़ा गम्भीर मामला है।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** माननीय मंत्री ने कहा है कि वह आगे कार्यवाही हेतु माननीय सदस्यगण द्वारा व्यक्त विचार गृह मंत्री जी तक पहुंचा देंगे।

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह:** संसदीय कार्य मंत्री जी के बयान से यह परिलक्षित हो रहा है कि यह प्रथम दृष्टया मामला बनता है और सरकार भी इसे मान रही है। *...(व्यवधान)* इसीलिए जमानत का विरोध नहीं कर रही है।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं खड़ा हूं।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं मंत्री जी से उत्तर देने के लिए नहीं कहूंगा।

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह:** यह गम्भीर मामला है। सरकार पहले मुकदमा वापस ले। यह कोई अच्छा तरीका नहीं है पुलिस जिस

संस्था में चाहे घुस जाए उन्हें मारे पीटे और फर्जी मुकदमा दायर करके जेल भेज दो। ...*(व्यवधान)* लोगों की जमानत कराकर उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दायर कर दिया जाए, यह कोई बात नहीं हुई। ...*(व्यवधान)* ये जमानत का विरोध नहीं कर रहे हैं, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकार भी मान रही है कि छात्रों के साथ ज्यादती हुई है। हमारा अनुरोध है कि इस मामले की जांच के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाए।

*[अनुवाद]*

**श्री ई. अहमद:** इस मुद्दे को मनमाने ढंग से हल नहीं किया जा सकता। बर्बरतापूर्ण ढंग से नहीं निपटा जा सकता ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** आपके कहने पर माननीय मंत्री ने हस्तक्षेप किया और उनके पास जो भी जानकारी थी, वह उन्होंने दी।

मद: मंत्री जी को वक्तव्य देने दीजिए।

**उपाध्यक्ष महोदय:** वह पहले ही कह चुके हैं कि संपूर्ण सभा की भावनाओं से मंत्री जी को अवगत करा दिया जायेगा।

**श्री प्रमोद महाजन:** महोदय, यहां तक कि मेरे हस्तक्षेप पर हुई प्रतिक्रिया की जानकारी भी गृह मंत्री जी को दी जायेगी।

**श्री जी.एम. बनातवाला:** गृह मंत्री जी को यहां वक्तव्य अवश्य देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

**श्री ई. अहमद:** यदि गृह मंत्री जी सभा में आयें और वक्तव्य दें, तो हमें संतुष्टि होगी। उन्हें सभा की भावनाओं की जानकारी देने दें। ...*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** श्री अहमद, बार-बार वह यही कह रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री राज बब्बर:** उपाध्यक्ष जी, जब सारे सदन में इसकी निंदा की जा रही है तो आपकी तरफ से गृह मंत्री जी को यहां सदन में बुलाकर जवाब देने के लिए कहा जाये। वे सारे सदस्यों की भावनाओं को समझें और उनका आदर करें कि सारा सदन इस बात पर गहरी चिंता प्रकट कर रहा है। करीब 67-68 निर्दोष विद्यार्थियों को धारा 302-307 लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वी.सी. साहब ने कहा है कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कोई इजाजत नहीं दी थी और उनकी इजाजत के बगैर कोई भी अधिकारी अंदर नहीं जा सकता है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। गृह मंत्री को यहां आकर जवाब देना चाहिए। पूरा सदन इस बात पर एकमत है, सारी पार्टियां एकमत हैं कि विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। गृह मंत्री जी को यहां बुलाया जाये और जवाब देने के लिए कहा जाये।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** इस पर चर्चा की जानी चाहिए। मंत्री जी ने प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि संपूर्ण सभा की भावनाओं से गृह मंत्री जी को अवगत करा दिया जायेगा।

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह:** मान्यवर, यह गंभीर मामला है। गृह मंत्री जी यहां आयें। सरकार को आपकी तरफ से जवाब देने का निर्देश दिया जाये। यह गंभीर मामला है।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** यह शून्य-काल है। आप अभी सभा में नये हैं।

**श्री जी.एम. बनातवाला:** परंतु मैं एक अनुभवी सदस्य हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं आपको नहीं अपितु श्री अखिलेश सिंह को नया सदस्य कहा है।

आपकी भावनाओं से मंत्री जी पहले ही भिज्ञ हैं।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** यह नौजवान हैं, इसलिए बोल रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं भी बोल रहा हूं और आप भी बोल रहे हैं तो कैसे चलेगा।

*[अनुवाद]*

मैंने आप सभी की बात सुनी है और मध्याह्न भोजन के लिए सभा को स्थगित करने के पहले मैं श्री प्रभुनाथ सिंह जी की बात सुनूंगा।

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह:** उपाध्यक्ष जी, 67 छात्रों के भविष्य का सवाल है और एक शिक्षण संस्था के अंदर पुलिस द्वारा छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। इस सवाल को ऐसे ही मत छोड़िये। मान्यवर, अगर इस सवाल को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो पुलिस का मनोबल बढ़ जायेगा। आज सारे लोग इसके खिलाफ हैं। दिल्ली पुलिस बर्बरता के सभी रिकार्ड तोड़ चुकी है।

**श्री राज बब्बर:** यह लगातार तीसरी घटना है। ए.एम.यू. में हुआ, बनारस यूनिवर्सिटी में हुआ और अब जामिया में हुआ। यह तीसरी घटना है। आप सरकार को निर्देश दें कि गृह मंत्री जी सदन में आकर जवाब दें।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैं गृह मंत्री जी को यहां बुलाने हेतु सरकार को बाध्य नहीं कर सकता।

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह:** इतना अत्याचार हो रहा है तो हाउस से निर्देश दिया जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय:** यहां से निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

**कुंवर अखिलेश सिंह:** ऐसे मामलों में देना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय:** जो नियम बनाये गये हैं उन्हीं के अनुसार हम बता सकते हैं। पीठासीन अधिकारी सरकार को कोई निर्देश नहीं दे सकता।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** जो संवेदनशील सरकार है उसको निर्देश देने की परिपाटी नहीं है, लेकिन जो सरकार संवेदनहीन हो जाये, जुल्म करने लगे, उस हालत में उपाध्यक्ष जी, आपको निर्देश देना चाहिए।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय:** कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए।

*...(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय:** मैंने आपकी बात सुनी है। अब उनकी बारी है। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह:** उपाध्यक्ष महोदय, एलाइंस एअर का जहाज 7411 सीधे दिल्ली से लखनऊ, पटना होते हुए कलकत्ता जाता है। वह दिल्ली से 5.40 पर जाता है। यह अति गंभीर सवाल है। 20 दिसम्बर को मेरी माताजी का देहान्त हो गया था। मुझे दाह संस्कार के लिए जाना था लेकिन उस जहाज को लखनऊ में रोक दिया गया और कहा कि इसमें तकनीकी खराबी है। मैं समय पर नहीं पहुंच सका। 27 जनवरी 2000 को हम उस फ्लाइट से गए। मुझे याद है कि उस फ्लाइट में राजो सिंह जी, रघुनाथ झा जी, 15-20 और दूसरे एम.पीज. बैठे थे। उस दिन भी लखनऊ जाकर कहा कि तकनीकी खराबी है। वहां से हमें कलकत्ता ले गए। कलकत्ता से लखनऊ रात में उतार दिया। हम लखनऊ बैठे रहे। 14 तारीख को जब मैं उस फ्लाइट से जा रहा था तो पटना साढ़े ग्यारह बजे पहुंचा। सैंकड़ों लोग उसमें प्रतिदिन जाते हैं। इस जहाज में लोगों को जो परेशानी होती है, उससे लगता है कि सरकार बिल्कुल शून्य हो गई है। सरकार इस मामले को गम्भीरता से ले। अगर उसमें तकनीकी खराबी है तो वह उसे ठीक करो। अगर उसका जहाज खराब है तो बदल कर दूसरा जहाज दे। वह जहाज निर्धारित समय पर चले। 14 तारीख को एक कप चाय भी उस जहाज में नहीं मिली। उसमें घंटों तक लोग बैठे रहे। मंत्री जी बैठे हैं। वह संवेदनशील और गम्भीर भी हैं। रघुवंश बाबू जो चाहे कहें। हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वह इसे गम्भीरता से ले। हमें शंका है कि उसके कर्मचारी जानबूझकर ऐसी हरकत करते हैं। इसलिए आप इसकी जांच कराएं। अगर जानबूझ कर ऐसी हरकत होती है तो गम्भीर से गम्भीर कार्रवाई करिए। यही मेरा निवेदन है।

**अपराह्न 2.02 बजे**

*(तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

---

**अपराह्न 3.07 बजे**

*(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3 बजकर 7 मिनट पर पुन: समवेत हुई।)*

**(श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए)**

## मंत्री द्वारा वक्तव्य

### कुछ पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि

*[अनुवाद]*

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक):** माननीय सदस्यों को कच्चे तेल के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के बारे

[श्री राम नाईक]

में ज्ञात ही होगा जो पिछले एक वर्ष से देखी जा रही थी। कच्चे तेल के अन्तरराष्ट्रीय मूल्य जो फरवरी, 1999 में 3210 रुपए प्रति टन थे, वे मार्च 2000 में बढ़कर लगभग 7906 रुपए प्रति टन तक हो गए। यह वृद्धि 146 प्रतिशत से अधिक थी। इसके फलस्वरूप तेल आयात बिल भी बढ़ गया है तथा इस बिल के वर्ष 1998-99 में 27,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में लगभग 57000 करोड़ रुपए तक हो जाने का अनुमान है।

श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान, हाईड्रोकार्बन क्षेत्र में सुधारों पर सिफारिशें करने के लिए 25 जून, 1996 को एक विशेषज्ञ तकनीकी दल (ई टी जी) की नियुक्ति की गई थी। विशेषज्ञ तकनीकी दल ने अपनी दो रिपोर्टें तब प्रस्तुत की जब श्री एच. डी. देव गौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में थी। विशेषज्ञ तकनीकी दल की दूसरी रिपोर्ट 20 नवम्बर, श्री आई.के. गुजराल के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा ली गई जब प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए पी एम) को समाप्त करने तथा मार्च, 2002 की समाप्ति तक पूर्ण नियंत्रणमुक्ति करने का फैसला किया गया। निम्न निर्णय लिए गए:

(1) कि सार्वजिनक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के मिट्टी तेल पर राजसहायता वर्ष 2001-02 तक आयात समता मूल्य के 33.3 प्रतिशत तक कम कर दी जाएगी।

(2) कि घरेलू एल पी जी (पैक्ड घरेलू) पर राजसहायता वर्ष 2000-01 के दौरन 15 प्रतिशत तक कम कर दी जाएगी;

(3) मोटर स्पिरिट (एम एस) तथा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ए टी एफ) के विक्रय मूल्य आयात समता की तरफ ले जाए जाएंगे, तथा

(4) डीजल का मूल्य मंत्रिमंडल के 1 सितम्बर, 1997 के पिछले फैसले के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप रखा जाएगा।

माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होगा कि तेल पूल खाता, एम एस तथा ए टी एफ के माध्यम से अर्जित राजस्व से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल तथा एल पी जी (पैक्ड घरेलू) के मूल्यों को प्रति राजसहायता देकर सन्तुलित रखा जाता है। डीजल के मूल्य आयात समता पर रखे जाने अपेक्षित हैं तथा इनका तेल पूल खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंतरराष्ट्रीय क्रूड मूल्यों में तीव्र वृद्धि से आयात समता मूल्यों तथा राजसहायता वाले उत्पादों के मूल्यों में अन्तर बढ़ गया है और इस प्रकार तेल पूल खाते में घाटे पर अत्यधिक भार पड़ गया है।

पिछले वर्ष अर्थात् 1999-2000 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल के लिए संशोधनपूर्व मूल्यों के आधार पर राजसहायता लगभग 8100 करोड़ रुपये और एल पी जी (पैक्ड घरेलू) के लिए लगभग 4700 करोड़ रुपए होने का अनुमान था। मार्च, 2000 के मूल्यों के आधार पर यह घाटा बहुत ज्यादा हो जाता और वर्ष 2000-01 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल के लिए 11,000 करोड़ रुपये और एल पी जी (पैक्ड घरेलू) के लिए 7000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया होता। तेल पूल खाते में घाटे का यह स्तर लगातार नहीं रखा जा सकता क्योंकि कच्चे तेल का आयात करने और उसका संसाधन करने एवं उत्पादों का विपणन करने के लिए तेल कंपनियों के पास कोई धन उपलब्ध नहीं रहेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल के आधारभूत मूल्य में 25 जुलाई, 1991 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। डीजल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के मिट्टी तेल के मूल्यों के बीच का अन्तर पिछले दो दशकों से लगातार बढ़ता रहा है। डीजल और पी डी एस मिट्टी तेल के मूल्यों के बीच का अन्तर 1975 में केवल एक पैसा, 1980 में 66 पैसे, 1985 में 1.19 रुपये, 1990 में 2.09 रुपये और वर्ष 1995 में 3.72 रुपये था। पहले की सरकारों ने राजसहायता में कमी लाने और बाजार प्रक्रमों के बारे में बोला परन्तु, उन्होंने पी डी एस मिट्टी तेल के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। 22 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में डीजल के मूल्य और पी डी एस मिट्टी के तेल के खुदरा मूल्य के बीच अन्तर 11.37 रुपये था। जब हम अपने पड़ोसी देशों की ओर गौर करते हैं तो यह अन्तर श्रीलंका में 3.61 रुपये प्रति लीटर और पाकिस्तान में 1.30 रुपए प्रति लीटर है। बंगलादेश में डीजल और मिट्टी तेल के मूल्य एक समान स्तर पर हैं।

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली): अमेरिका में पैट्रोल का क्या भाव है वह बताइए। वहां एक डॉलर में एक गैलन है और यहां क्या रेट है?

**श्री राम नाईक** : आप अमेरिका में रहने जाइए। पहले सुनिये।

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** : यहां हमें पढ़ा रहे हैं। मिट्टी तेल का दोगुना दाम कर दिया है। सात रुपये के हिसाब से मिल रहा है। गरीब मर रहा है। इसको छोड़ा नहीं जाएगा वह कह रहे हैं।

**श्री राम नाईक** : यह फैसला आपकी सरकार ने किया था।

*[अनुवाद]*

मूल्यों में इस अन्तर के फलस्वरूप भी मिलावट और कालाबाजारी को बहुत बढ़ावा मिलता रहा है। वर्ष 1994 के दौरान टाटा इकानामिक कन्सल्टेंसी सर्विसेज द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई कि सार्वजनिक वितरण के मिट्टी तेल का लगभग 30 प्रतिशत का विपथन कालाबाजारी और डीजल में मिलावट सहित अन्य उपयोगों के लिए किया जा रहा था। चूंकि मूल्यों में अन्तर कई गुणा हो गया है इसलिए यह अर्थ निकाला जा सकता है कि ऐसा विपथन, फिलहाल बहुत अधिक रहेगा।

जन साधारण, संचार माध्यमों के साथ अपनी बातचीत में और विभिन्न मंचों पर चर्चाओं में, मैं पी डी एस मिट्टी तेल और अन्य उत्पादों के मूल्यों में बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप वृद्धि करने की जरूरत के बारे में बोलता रहा हूं। इस मुद्दे पर पेट्रोलियम मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति और विभिन्न राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रियों की बैठकों में भी व्यापकत: सर्वसम्मति प्रकट की जाती रही है।

अंतरराष्ट्रीय मूल्यों, प्रचलित राजसहायता स्तर, डीजल और पी डी एस मिट्टी तेल के मूल्यों में अन्तर और पड़ौसी देशों में मिट्टी तेल के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रशासित मूल्य पद्धति को समाप्त करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा 20 नवम्बर, 1997 को लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन के अनुरूप, सरकार ने पी डी एस मिट्टी तेल के भण्डारण स्थल पर मूल्य को 22-23 मार्च, 2000 की अर्धरात्रि से 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 4.50 रुपये प्रति लीटर करने का निर्णय लिया।

एल पी जी (पैक्ड घरेलू) न केवल मध्य वर्गीय एवं शहरी गृहिणियों के लिए बल्कि वास्तव में सभी वर्गों के लोगों के लिए एक आम ईंधन है। हमने निर्णय लिया है कि एल पी जी (पैक्ड घरेलू) प्रत्याशियों की प्रतीक्षा सूची को 31 दिसम्बर, 2000 तक निपटा लिया जाए इसका मतलब है लगभग एक करोड़ अतिरिक्त एल पी जी (पैक्ड घरेलू) कनेक्शनों की मंजूरी देना। एल पी जी के मार्च, 2000 के मूल्य स्तर पर, तेल कंपनियों के द्वारा बिक्री किए गए प्रत्येक सिलेन्डर को 162 रुपए की राजसहायता प्राप्त थी। राज सहायता का आंशिक रूप से भुगतान तेल पूल खाते से किया जाता है तता कुछ सीमा तक यह तेल कंपनियों के द्वारा वहन की जाती है। यदि हमें यह सुनिश्चित करना है कि एल पी जी (पैक्ड घरेलू) प्रत्येक परिवार तक पहुंचे तो हमें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तेल कंपनियां एल पी जी (पैक्ड घरेलू) कनेक्शन उपलब्ध कराने में भारी क्षति न उठाएं, बिक्री मूल्य वास्तविक करने होंगे। मैं समझता हूं कि साधारण गृहिणी के लिए राजसहायता के एक बारगी पूरे समापन को वहन करना संभव नहीं है। राजसहायता में कमी तथा गृहिणियों पर पड़ने वाले भार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार ने 22-23 मार्च, 2000 की मध्यरात्रि से एल पी जी (पैक्ड घरेलू) सिलेन्डर के भण्डार बिन्दुगत मूल्य में प्रति सिलेन्डर 30 रुपए तक की वृद्धि करने का निर्णय लिया था।

जैसा मैंने पहले उल्लेख किया है, ए टी एफ मूल्य घरेलू एल पी जी (पैक्ड घरेलू) तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल को प्रति राजसहायता प्रदान करता है। तथापि, उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि से 22 मार्च, 2000 को ए टी एफ का मूल्य इसके आयात समता मूल्य से 1.06 रुपए कम पर निर्धारित किया गया था। इसलिए 22-23 मार्च, 2000 मध्य रात्रि से भंडार बिन्दुगत स्तर पर ए टी एफ के मूल्य में भी 2.00 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया था।

मूल्यों के अन्तर्गत वृद्धियों, जिनका कि मैंने अभी उल्लेख किया है, से तेल पूल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल से प्रति वर्ष 3,440 करोड़ रुपए, एल पी जी से (पैक्ड घरेलू) प्रतिवर्ष 1,660 करोड़ रुपए तथा ए टी एफ से प्रति वर्ष 320 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।

मंत्रिमंडल के 1 सितम्बर, 1997 के निर्णय के अनुसार डीजल का विक्रय मूल्य आयात समता के सिद्धान्त पर नियत किया जाना है। देश में डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य पहले ही अधिक हैं। डीजल के मूल्यों के वर्तमान स्तर के विषय में विचार करते हुए तथा डीजल एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल के विक्रय मूल्यों के बीच भारी अन्तरभिन्नता के कारण भी वर्तमान में डीजल मूल्यों में वृद्धि न करने के विषय में निर्णय लिया गया है। ऐसा डीजल उपभोक्ताओं, जिसमें अन्यों के साथ-साथ कृषक, यात्री, माल परिवहन, इत्यादि शामिल है, के हितों के संरक्षण के लिए किया गया है।

मोटर स्पिरिट का मूल्य, वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल तथा घरेलू एल पी जी (पैक्ड घरेलू) के लिए प्रति राजसहायता उपलब्ध कराने हेतु, आयात समता से अपेक्षाकृत अधिक है। मंत्रिमंडल के नवम्बर, 1997 के निर्णय के अनुसार पेट्रोल का बिक्री मूल्य आयात समता मूल्य की ओर ले जाया जाना है। फिलहाल एम एस के बिक्री मूल्य को नहीं छुआ गया है।

अपने तेल उत्पादन में 1.45 मिलियन बैरल प्रतिदिन (इरान द्वारा की गई वृद्धि शामिल न करते हुए) की वृद्धि करने के

[श्री राम नाईक]

ओपेक के हाल के निर्णय के फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड मूल्यों में कुछ कमी आई है, परन्तु इसे ओपेक के जून, 2000 के अंत तक अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के वक्तव्य की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। तथापि, तेल पूल खाते में पहले से ही एकत्र हुए भारी घाटों का समाधान केवल मूल्य समायोजनों के माध्यम से ही करना होगा।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है। आप क्या चाहते हैं।

*..(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह** : सरकार ने डीजल का दाम बढ़ाया, का दाम बढ़ाया, पेट्रोल का दाम बढ़ाया। रसोई बढ़ाया। *...(व्यवधान)* केवल दाम बढ़ाना ही इनका काम है। *...(व्यवधान)* गरीबों की झोंपड़ी की रोशनी को इन्होंने छीन लिया है। *...(व्यवधान)* इस सरकार को गरीबों की कोई चिन्ता नहीं है। *...(व्यवधान)* उन्हें बर्बाद करना चाहती है। *...(व्यवधान)* गरीबों की झोंपड़ी में मिट्टी के तेल से रोशनी होती थी, उस रोशनी को भी आपने छीन लिया है। *...(व्यवधान)* आज गरीब अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हैं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : नियमों के अनुसार, मंत्री जी के वक्तव्य के पश्चात् सदस्यगण को कोई स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**श्री राजेश पायलट** : सभापति महोदय, मैं नियम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल आपकी विशेष अनुमति चाहता हूं क्योंकि यह एक विशेष अवसर है और यह वृद्धि किसानों के ऊपर अत्यधिक बोझ डाल रही है *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : यह नियम इसकी अनुमति नहीं देता। चूंकि यह मामला राष्ट्र से संबंधित है, अतः मैं एक सदस्य को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दूंगा आप अपने में से चुन लीजिए। परंतु यह परंपरा नहीं होगी।

*...(व्यवधान)*

**श्री एस. बंगरप्पा** (शिमोगा): सभापति महोदय, आप केवल एक सदस्य को अनुमति कैसे दे सकते हैं? आपको दो या तीन सदस्यों को अनुमति देनी चाहिए *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मैं तीन सदस्यों को अनुमति दूंगा। बस और कुछ नहीं।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : यह एक असाधारण स्थिति है। अतः, मैं, तीन सदस्यों को माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दे रहा हूं। श्री राजेश पायलट बोलेंगे।

*...(व्यवधान)*

**श्री एस. बंगरप्पा** : महोदय, आप किसी दल के एक ही सदस्य के हितों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप सभी एक दल से संबद्ध हैं। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह** : आज गरीब मर रहा है। ये गांव में जाकर देखें कि क्या हालत है? *...(व्यवधान)* आज गरीब आदमी बढ़े हुए दर पर मिट्टी का तेल नहीं खरीद पा रहा है।

*[अनुवाद]*

**श्री एस. बंगरप्पा** : महोदय, आप मामले की गंभीरता समझते हैं *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मैं मामले की गंभीरता से वाकिफ हूं। इसलिए, मैंने तीन सदस्यों को स्पष्टीकरण लेने की अनुमति दी है, हालांकि यह नियम 372 के विरुद्ध है। परंतु भविष्य में यह परंपरा स्थापित नहीं होगी। अब श्री राजेश पायलट स्पष्टीकरण मांगेंगे।

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह** : यह गंभीर सवाल है। *...(व्यवधान)* आप नियमों को शिथिल कीजिए। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री एस. बंगरप्पा** : महोदय, मुझे अनुमति दी जानी चाहिए।

**सभापति महोदय** : मैं आपको बुलाऊंगा।

मैं एक बार फिर इस सभा को यह स्पष्ट कर रहा हूं कि मैं केवल एक विशेष अनुमति दे रहा हूं और यह भविष्य में पूर्वोदाहरण नहीं बनेगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री किरीट सोमैया** (मुम्बई उत्तर-पूर्व): सभापति महोदय, क्या वे केवल स्पष्टीकरण ही मांगेंगे या भाषण भी देंगे?

**सभापति महोदय** : वे भाषण नहीं देंगे। श्री राजेश पायलट।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह** : इस सवाल पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में ही मतभेद है। *...(व्यवधान)* राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तेलगू देशम, जनता दल युनाइटेड इसका विरोध कर रहे हैं।

**श्री राजेश पायलट** : मैं इस बात से सहमत हूं कि लोक सभा में मंत्री की स्टेटमेंट के बाद क्लेरीफिकेशन नहीं होता है। *...(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : मैं सभा की कार्यवाही चला रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** (कनारा): सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा गत माह की 17 तारीख को स्थगित की गई थी। इसका सत्रावसान नहीं किया गया। तकनीकी दृष्टि से बजट सत्र चल रहा था और इस सरकार ने इसी दौरान सभा के स्थगित होने के पांच दिन बाद ही मूल्यों में वृद्धि कर दी। मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह बजट सत्र की परम्पराओं के अनुरूप है जिनके अनुसार ऐसा है कि जो भी मूल्य वृद्धि की जाये वह सभा में घोषणा की जानी चाहिए, सभा के बाहर नहीं वह भी तब जबकि बजट सत्र चल रहा है। अत: मैं इस बारे में आपका विनिर्णय चाहती हूं कि क्या यह सभा के नियमों के अनुसार है या नहीं।

**श्री राम नाईक** : सभापति महोदय, मैं इस मुद्दे पर कहना चाहता हूं कि मेरे पास 1989 से 1999 तक पेट्रोल, मिट्टी के तेल तथा अन्य उत्पादों की कीमतों में की गयी वृद्धि संबंधी आंकड़े हैं *...(व्यवधान)*

**श्री राजेश पायलट** : यह कोई उत्तर नहीं है *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

*...(व्यवधान)*

**श्री राम नाईक** : महोदय, मुझे ऐसी सूचना दी गयी है कि सभा में ऐसा वक्तव्य कभी भी नहीं दिया गया। सारी कीमतों में वृद्धि बजट सत्र के दौरान आधी रात से ही की गयी है। मेरे पास इस सबके बारे में आंकड़े हैं। इस प्रकार से 1989 से अभी तक सभा में ऐसा वक्तव्य कभी नहीं दिया गया और मैं वह पहला व्यक्ति हूं जिसने सभा में स्वत: ही यह वक्तव्य दिया है। अभी तक किसी भी मंत्री ने स्वत: इस प्रकार का वक्तव्य कभी नहीं दिया है *...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राजेश पायलट** : मैं इस बात से सहमत हूं कि मंत्री जी की स्टेटमैंट के बाद लोक सभा में क्लेरीफिकेशन नहीं होता लेकिन स्पेशल केसेस में पहले भी हुआ है और हमेशा होता रहा है। जहां आवश्यक महत्वपूर्ण विषय हो, वहां सांसद अपना व्यू दे सकते हैं।

पहली बात तो मार्गरिट जी ने कही, मैं उठाना चाह रहा था कि परम्पराएं तोड़ी गई हैं। पहले भी टूटी हों *...(व्यवधान)*

**श्री राम नाईक** : पहले भी परम्पराएं टूटी हैं।

**श्री राजेश पायलट** : लेकिन यह सरकार का जवाब ठीक नहीं है कि पहले परम्पराएं तोड़ी हैं तो अब भी तोड़ रहे हैं।

**श्री राम नाईक** : नहीं-नहीं, परम्पराएं तब तोड़ी जाती हैं, जब बनाई जाती हैं। इन लोगों ने कभी परम्पराएं बनाई ही नहीं।

**श्री राजेश पायलट** : हमने परम्पराएं बनाई हैं, हमारी सरकार में कभी बजट के दौरान पैसे नहीं बढ़े।

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)**: आपने तोड़ने की परम्परा बनाई है।

**श्री राजेश पायलट** : कभी भी जब बजट सैशन चल रहा हो तो ऐसा रेयरली हुआ होगा, मुझे याद नहीं है कि कभी हुआ हो तो मैं कहूं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट सैशन के दौरान कीमतें बजट एनाउंसमेंट से पहले बढ़ाई हों, ऐसा नहीं हुआ है।

दूसरा मेरा सवाल यह है, जो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार की तकलीफ हम समझते हैं, हम सरकार की परेशानी भी समझते हैं। हमारी सरकार के जमाने में भी कीमतें बढ़ी हैं। हम यह नहीं कहते कि कीमतें नहीं बढ़ीं, लेकिन हमने कोशिश की है कि डीजल और कैरोसीन जैसे दो आइटम्स पर जो आम आदमी से जुड़ी बात है, जो गरीब किसान और गरीब परिवारों से जुड़ी बात है, उस पर हमने हमेशा सब्सिडी देकर उसको बेलेंस किया है। आज सरकार उससे दूर क्यों भाग रही है और कोट कर रही है? हमारी सरकार में फैसला हुआ था, उसके बावजूद हमने कैरोसीन और डीजल की कीमत नहीं बढ़ने दी थी, उस मात्रा में, जिसमें आपने बढ़ाई है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि क्या आप इसे विचाराधीन करेंगे कि डीजल और कैरोसीन, ये दो ऐसे आइटम्स हैं, जो आम आदमी [illegible] हैं। मंत्री जी, आज मैं अभी किसानों के एजीटेशन [illegible]हा हूं, उनकी भावनाएं उछल-उछल कर बोल [illegible] डाजल के भाव जो आपने एकदम 15 परसेंट बढ़ा दिये, खाद पर बढ़ा दिये, उससे किसान आज बिल्कुल तंग है। अभी हमारे साथी जसवन्त जी बोल रहे थे कि किसान के गेहूं की कीमत 580 रुपये है, क्यों नहीं बोल रहे हो और पी.डी.एस. की 900 रुपये है तो किसान की नीति इस सरकार ने बिल्कुल दबा दी है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि आप इसको विचाराधीन रखेंगे, डीजल और कैरोसीन पर कुछ कमी लाएंगे या नहीं लाएंगे?

**श्री राम नाईक** : सभापति जी, हमारी सरकार ऐसी है जो विचारपूर्वक फैसले करती है, उनको हम अमल में लाते हैं। यह जो सितम्बर, 1997 का फैसला है, यह यूनाइटिड फ्रण्ट की सरकार ने किया है, जिसे आपने उस समय पर समर्थन भी दिया था और इसलिए मैं मानता हूं कि यह पैट्रोलियम प्राइस इन्क्रीज जो हुई ...*(व्यवधान)*

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी** (रायगंज): हमने उसे लागू नहीं करने दिया। फैसला किया, लेकिन कांग्रेस ने उसे लागू नहीं करने दिया। आपने इसे जबरदस्ती लागू किया। ...*(व्यवधान)*

**श्री राम नाईक** : इसलिए पैट्रोलियम प्राइस इन्क्रीज में बियोंड पार्टी पोलिटिक्स लाये, आपने उसमें सहमति दी थी, उसको अमल में लाने का काम कर रहे हैं, इसलिए एक भी मत कम होने की संभावना नहीं है। ...*(व्यवधान)*

**श्री राजेश पायलट** : कैरोसीन और डीजल निकालकर?

*[अनुवाद]*

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): छः महीनों तक संयुक्त मोर्चा की सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि नहीं करने दी गई।

**सभापति महोदय** : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आपको नियमों का पालन करना है।

**श्री बसुदेव आचार्य** : आपने मुझे अनुमति दे दी है।

**सभापति महोदय** : नहीं, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

**श्री बसुदेव आचार्य** : अब, आप मुझे अनुमति दे रहे हैं।

**सभापति महोदय** : नहीं।

**श्री बसुदेव आचार्य** : हमारा मत है कि उन्होंने अतीत में की गई कुछ घोषणाओं का हवाला है।

**सभापति महोदय** : आपको पहले से अनुमति लेनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : हमें नियमों का पालन करना चाहिए।

**श्री बसुदेव आचार्य** : मैं नियमों का पालन कर रहा हूं।

**सभापति महोदय** : नियम 372 के अंतर्गत कोई भी सदस्य मंत्री जी के वक्तव्य पर वाद-विवाद नहीं कर सकता है। चूंकि यह राष्ट्र से संबंधित मामला है मैंने श्री राजेश पायलट को एक विशष मामले के रूप में अनुमति दी है।

**श्री बसुदेव आचार्य** : आप मुझे भी अनुमति दें। मैं केवल आधा मिनट लूंगा।

**श्री एस. बंगरप्पा** : ऐसा आपकी अनुमति से होगा।

**सभापति महोदय** : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। क्या आपने अनुमति ली?

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : क्या मैंने आपको अनुमति दी थी?

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : यह भविष्य में एक पूर्व उदाहरण नहीं बनेगा।

*...(व्यवधान)*

**श्री किरीट सोमैया** : आपने उन्हें एक या दो स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी थी *...(व्यवधान)* वे इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मैंने अनुमति नहीं दी है।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मैंने श्री बंगरपा को अनुमति दी थी।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कृपया सहयोग दीजिए।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आपने ही इसे शुरू किया है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं?

*...(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, कृपया श्री बंगरप्पा जी के बाद मुझे मौका अवश्य देना *...(व्यवधान)*

**श्री रूपचन्द पाल** (हुगली): महोदय, आपने मुझे भी आश्वासन दिया था *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : नहीं, मैंने किसी को भी आश्वासन नहीं दिया।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नियम 372 के अंतर्गत कोई भी वाद-विवाद नहीं किया जा सकता है। लेकिन चूंकि यह एक असाधारण समस्या है मैंने तीन सदस्यों को बोलने की अनुमति दे दी है।

*...(व्यवधान)*

**श्री किरीट सोमैया** : महोदय, चार सदस्य पहले ही बोल चुके हैं *...(व्यवधान)*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)**: महोदय आपने तीन सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है। दो सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। फिर श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा और राजेश पायलट बोले। फिर आपने एक और सदस्य को बोलने की अनुमति दी *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री बंगरप्पा, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

*...(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** : मुझे भी बोलने की अनुमति प्रदान करें *...(व्यवधान)*

**श्री किरीट सोमैया** : महोदय, आप इतने सारे सदस्यों को नियम 372 के अंतर्गत बोलने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मैंने अवशिष्ट अधिकारों के अंतर्गत अनुमति दी है।

**श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर** (भीलवाड़ा): महोदय माननीय मंत्री जी के भाषण के बाद या तो आप अनुमति दें अथवा न दें *...(व्यवधान)*

**श्री एस. बंगरप्पा** : महोदय मैं समझता हूं नियम 372 के अंतर्गत किसी वाद-विवाद की अनुमति नहीं है *...(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाइं** (बालासोर): महोदय, एक बार आपने मुझे ऐसी ही स्थिति में बोलने की अनुमति नहीं दी थी और अब आप उन्हें बोलने की अनुमति दे रहे हैं। यह ठीक नहीं है *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति इसलिए दी है क्योंकि यह मुद्दा राष्ट्र से जुड़ा है। यह आम आदमी से जुड़ा है।

*...(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाइं** : महोदय, मैं भी राष्ट्र और आम आदमी से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता था लेकिन आपने मुझे उस समय अनुमति नहीं दी *...(व्यवधान)*

**श्री एस. बंगरप्पा** : महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की अनुमति नहीं है ...*(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं** : महोदय, यदि नियम इस बात की अनुमति नहीं देते तो आप किसी को भी बोलने की अनुमति मत दीजिए ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति इसलिए दी है क्योंकि रसोई गैस और मिट्टी के तेल की कीमतों का मुद्दा राष्ट्र और आम आदमी से जुड़ा है।

...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री बंगरप्पा जी, कृपया अपना भाषण अब समाप्त करें।

**श्री एस. बंगरप्पा** : महोदय, आपकी अनुमति से मैं कुछ [illegible] चाहता हूं। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं क्योंकि [illegible] कि इस नियम के अन्तर्गत किसी चर्चा या वाद-विवाद की अनुमति नहीं दी जाती ...*(व्यवधान)*। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि जैसा कि आपने ठीक ही कहा है कि मामला इतना गम्भीर और महत्वपूर्ण है कि यह पूरे भारत में समाज के गरीब लोगों और आम आदमी से सम्बन्धित है। यह कोई छोटा मामला नहीं है।

हम मानते हैं कि पहले भी पेट्रोलियम पदार्थों सहित उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। लेकिन हम इस बात से चिंतित हैं कि इतनी बड़ी वृद्धि क्यों की गई और वह भी ऐसे समय में जबकि अन्तराष्ट्रीय कीमतें कम हुई हैं। कुछ दिन पहले प्रेस में यह बताया गया था कि अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटी हैं। हम पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अन्तरराष्ट्रीय स्तर के अनुसार रखना चाहते हैं। इस तरह जब कभी पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोलियम उत्पादक देशों से आयात किए जाते हैं तो इसका हमारे देश में भी मूल्य-वृद्धि पर कुछ प्रभाव पड़ता है। जहां तक इस बात का संबंध है, हम इससे सहमत हैं।

लेकिन यह मूल्य वृद्धि बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए, मिट्टी का तेल जो कि आम आदमी द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। पहले इसकी कीमत 2 रु. प्रति लीटर थी।

अब इसमें छह सात रु. की वृद्धि कर दी गई है। हमारे क्षेत्र में इसमें छः रु. और कुछ पैसे प्रति लीटर बढ़ोत्तरी हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में इसमें रु. 6.67 प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की गई है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से दो दिन पहले लौटा हूं। कृपया गरीब आदमी के बारे में सोचें। बात यह है कि इस तरह की वृद्धि, प्रति लीटर छः रुपये की वृद्धि पहले कभी भी नहीं हुई। कृपया इस वृद्धि के सभी तथ्यों और आंकड़ों को देखें। यह एक बात है।

हम जानना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : क्या आप चाहते हैं कि मैं पुनः वाद-विवाद की अनुमति दूं। यह मुद्दा पहले ही सुबह शून्य काल के दौरान उठाया जा चुका है।

...*(व्यवधान)*

**श्री एस बंगरप्पा** : कृपया अपने स्तर पर इस मामले पर पुनः विचार करें। यह मंत्रीमंडल में चर्चा करा के हो सकता है। हम वह ब्यौरा देने के लिए नहीं कह रहे हैं लेकिन आप दुबारा वक्तव्य दें। आपको न केवल मिट्टी के तेल अपितु रसोई गैस और यूरिया के मूल्यों में भी कमी करने के लिए निर्णय लेना होगा ...*(व्यवधान)*

**श्री राजेश पायलट** : आप टी डी पी का समर्थन भी प्राप्त करें ...*(व्यवधान)*

**श्री एस. बंगरप्पा** : मैंने प्रेस में देखा कि टी डी पी और अन्य सहयोगी पार्टियों ने यह मुद्दा उठाया है ...*(व्यवधान)*

**श्री के. येरननायडू** (श्रीकाकुलम): इस मुद्दे पर मेरी पार्टी का दृष्टिकोण पहले ही दर्ज कर लिया गया है। हर कोई इसके बारे में जानता है। पूरा देश इसके बारे में जानता है ...*(व्यवधान)*

**श्री एस. बंगरप्पा** : इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाए और तत्पश्चात् कोई निर्णय ले। आप इस पर न केवल सभा में चर्चा की अनुमति दे सकते हैं अपितु इस पर अनौपचारिक रूप से एक बैठक बुलाकर चर्चा की भी अनुमति दे सकते हैं। यह मेरा सुझाव है।

**श्री रूपचन्द पाल** : सभापति महोदय, हम मूल्य-वृद्धि के मुद्दे को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के अवसर पर और बजट पर चर्चा के दौरान भी विचार-विमर्श कर सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार ने सुपरीक्षित और सुस्थापित परम्परा को तोड़ा है। जबकि अभी बजट सत्र जारी है, उन्होंने सभा को विश्वास में लिए बिना यह निर्णय लिया। इतनी जल्दी क्या थी? उन्हें इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली): सभापति महोदय, जब से देश में सरकारें चल रही हैं, तब से आयल-पूल में बराबर घाटा होता ही रहा है। उसके बाद भी जो लोकप्रिय और गरीबप्रिय सरकार होती थी, वह गरीबों के इस्तेमाल की चीजों के ऊपर किसी-न-किसी तरह से सब्सिडी देकर आयल-पूल का घाटा सहन करती थी। मिट्टी का तेल देश के करोड़ों गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, स्टोव जला कर रोटी बनाते हैं, कारण यह कि इन लोगों को बिजली नहीं मिलती है। सरकार द्वारा उन सभी गरीबों को सस्ते दामों पर सामान मिले, यह प्रबन्ध होता था, लेकिन इस सरकार ने दाम बढ़ा दिया और कहा कि माननीय राम नाईक जी पुनर्विचार करेंगे और पुनर्विचार करने में घटाने का काम नहीं किया, बल्कि बढ़ाने का काम किया तथा साथ ही देश को गुमराह करने का काम किया। दुनिया भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम घटे हैं, लेकिन हमारे यहां दुगुने दाम पर तेल मिल रहा है। गरीब आदमी आठ रुपए से दस रुपए प्रति लिटर मिट्टी का तेल नहीं खरीद रहा है, बल्कि 14-15 रुपए प्रति लिटर मिट्टी का तेल खरीद रहा है। इसलिए गरीबों के प्रति इनके रुख को हम देख रहे हैं।

इसी प्रकार रसोई गैस का दाम आठ आना या चार आना बढ़ता, तो गरीब सहन कर लेता, लेकिन उसका दाम भी बढ़ा दिया है। अन्तरराष्ट्रीय बाजार में दाम गिरा है और अमरीका में एक गैलन पैट्रोल का दाम एक डालर है, मतलब कि छः-सात रुपए लिटर, लेकिन यहां ये दाम बढ़ा रहे हैं। विदेशों में दाम घट रहा है, लेकिन यहां दाम दुगुने हो रहे हैं। हम यह कहते हैं, चूंकि मिट्टी का तेल और डीजल देश के 35 करोड़ गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सरकार सब्सिडी देती थी, लेकिन आप सब्सिडी कम्प्युटर पर बढ़ा रहे हैं, सब्सिडी सैल्युलर फोन पर बढ़ा रहे हैं, जिनको अमीर आदमी इस्तेमाल करते हैं। यह सरकार अमीर के इस्तेमाल में आने वाली चीजों के दाम घटा रही है और गरीब के इस्तेमाल में आने वाली चीजों के दाम बढ़ा रही है। यह सरकार गरीबों की दुश्मन है, दुश्मन है और गरीबों के खिलाफ काम कर रही है। सरकार इस बारे में जवाब दे?

*[अनुवाद]*

**श्री सुरेश कुरुप** (कोट्टायम): सभापति महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : हर चीज की कोई न कोई अन्त होना चाहिए।

**श्री सुरेश कुरुप** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार की नीति है कि जब भी अन्तरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में परिवर्तन होता है सरकार भी उनके मूल्य बढ़ा देती है।

**सभापति महोदय** : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

*...(व्यवधान)*

**श्री सुरेश कुरुप** : क्या यही उनकी नीति है?

**सभापति महोदय** : आप यह कैसे कह सकते हैं जबकि मैंने आपको अनुमति नहीं दी है?

**श्री सुरेश कुरुप** : यदि वे देश के आम आदमी को अन्तरराष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितता की मर्जी पर छोड़ना चाहते हैं तो तब संहिता की कोई आवश्यकता नहीं है ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

**श्री सुरेश कुरुप** : महोदय, आपको मुझे बोलने की अनुमति देनी चाहिए।

**सभापति महोदय** : एक प्रक्रिया निर्धारित है। सुबह सभी को बोलने की अनुमति दी गई थी।

**श्री सुरेश कुरुप** : यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

**सभापति महोदय** : इसीलिए, मैंने तीन सदस्यों को अनुमति दी थी।

**श्री सुरेश कुरुप** : आपको मुझे भी अनुमति देनी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी नीति मूल्यों को बढ़ाने की है।

**सभापति महोदय** : अब माननीय मंत्री बोलें।

**श्री सुरेश कुरुप** : यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपने दूसरे सदस्यों को अनुमति दी है। मैं भी आपकी अनुमति चाहता हूं। आपको मुझे भी अनुमति देनी चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री राम नाईक** : सभापति महोदय, यहां जो तीन-चार सवाल माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए हैं, उनमें से एक बात यह आई

[श्री राम नाईक]

कि हमने जो सब्सिडी कम की, वह इतनी कम नहीं करनी चाहिए। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस समय कैरोसिन पर सब्सिडी पर लीटर 7 रुपए 86 पैसे है। उसमें से हमने एक-तिहाई, मतलब 2 रुपए 50 पैसे सब्सिडी कम की है, यह सब्सिडी सन् 2002 तक समाप्त करनी चाहिए, ऐसा सितम्बर, 1997 का युनाइटेड फ्रंट सरकार का निर्णय है। दूसरा, जहां तक एल.पी.जी. सिलैंडर का सवाल है, ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री सुरेश कुरुप** : क्या आप संयुक्त मोर्चे के निर्णय का अनुसरण कर रहे हैं?

**सभापति महोदय** : आप सीधे बातचीत में उलझा रहे हैं।

**श्री सुरेश कुरुप** : इस सरकार की नीति क्या है?

**सभापति महोदय** : जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं, उन्हें

**श्री सुरेश कुरुप** : उनकी नीति क्या है? वे यहां संयुक्त मोर्चे की नीति बताने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। उनकी नीति क्या है?

**श्री राम नाईक** : आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? कृपया बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए।

**श्री सुरेश कुरुप** : आप हमेशा पिछली सरकारों की नीतियों के बारे में ही बोलते रहते हैं।

**सभापति महोदय** : कृपया बैठिए।

**श्री सुरेश कुरुप** : आपको मुझे भी स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति देनी चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री राम नाईक** : जहां तक एल.पी.जी. सिलैंडर का सवाल है, उसमें इस समय 162 रुपए सब्सिडी है। ...*(व्यवधान)* उसमें से हमने केवल 30 रुपए कम की है। यह सब्सिडी पहले के निर्णय से सन् 2001 में पूरी की पूरी समाप्त करनी चाहिए। अब मैं केवल यह बता रहा हूं, क्योंकि बार-बार यह पूछा जा रहा है कि हम युनाइटेड फ्रंट सरकार के सभी निर्णय करेंगे। जब लिब्रलाइजेशन और ग्लोबलाइजशन का सवाल आया, उस समय जो इंटरनेशनल सैक्टर में निर्णय लिए गए और हम जब अपना 70 प्रतिशत आयल इम्पोर्ट करते हैं तब हमें विदेशों की कीमतों का ख्याल करना पड़ता है। यद्यपि यह बोझा सामान्य आदमी पर है लेकिन हमने मजबूरी में यह काम किया है। जहां तक ओपेक प्राइसेस का सवाल है, इसमें मैं एक बार फिर स्पष्ट करता हूं कि ओपेक की प्राइस कम हुई हैं, वह दो महीने के बाद जून में सारी रिव्यू करने वाले हैं। इस समय हमारा जो आयल पूल एकाउंट का घाटा है वह बहुत बड़ा है।

*[अनुवाद]*

हम जून के महीने में मूल्यों की समीक्षा करेंगे।

**श्री राजेश पायलट** : यही सही नहीं है। जब आप अन्तर-राष्ट्रीय मूल्य का अनुसरण कर रहे हैं तो अब मूल्यों को कम करो। आप जून में इसकी समीक्षा क्यों करेंगे?

**श्री राम नाईक** : तीसरा मुद्दा यह है कि इसकी घोषणा संसद के बाहर क्यों की गई। मैं इस बात को एक बार स्पष्ट कर चुका हूं। संसद के बाहर कुछ नहीं किया गया है। मैं पहला मंत्री हूं जिसने स्वत: संसद के समक्ष वक्तव्य दिया है। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं।

**श्री सुरेश कुरुप** : इसलिए, आप यह मेहरबानी दिखा रहे हैं ...*(व्यवधान)* यह बहुत अच्छा है। हम आपके आभारी हैं ...*(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया** (गुना): बीच के समय में, आपको अपनी ओर से वक्तव्य देना चाहिए। आप कम से कम ऐसा तो कर ही सकते हैं।

**श्री राम नाईक** : यही काम आपने कभी नहीं किया।

**श्री माधवराव सिंधिया** : आप संसद से मुकर गए हैं। आपने संसद की उपेक्षा की है। आप संसद से डरे हुए हैं। आप संसद का सामना करने से डरते हैं। तभी आपने सत्रावकाश की अवधि का इंतजार किया है।

**श्री राम नाईक** : आप यही करते रहे हैं ...*(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया** : हम हमेशा इसे संसद के समक्ष लाते रहे हैं। हम सभा का सामना करने से कभी नहीं कतराये।

*[हिन्दी]*

**श्री राम नाईक** : अंत में मेरा यह कहना है कि हमें गरीबों की चिन्ता है, लेकिन दुनिया में जो कीमतें बढ़ रही हैं, इसमें मैं एक छोटी सी बात बताकर समाप्त करूंगा। हमारे बाजू में तीन देश हैं-बंग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका।

*[अनुवाद]*

**श्री सुरेश कुरुप** : आप बंग्लादेश और पाकिस्तान से तुलना क्यों कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

**श्री राम नाईक** : मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

**सभापति महोदय** : मंत्री महोदय को बोलने दीजिए।

**श्री सुरेश कुरुप** : वे इस देश की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं।

**सभापति महोदय** : मैं आपको पर्याप्त समय दे चुका हूं।

*...(व्यवधान)*

**श्री राजेश पायलट** : वे पुन: नीति की बात कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

**श्री राम नाईक** : मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

**सभापति महोदय** : कृपया बैठ जाइए। पहले मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम नाईक** : हमारे बाजू में जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वे देश अपने से गरीब हैं। मैं दाम बढ़ाने के बाद कैरोसिन की स्थिति बताना चाहता हूं।

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय** : कार्यवाही में व्यवधान डालने का यह कोई तरीका नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप सभा की कार्यवाही में विघ्न डाल रहे हैं। मैंने चार व्यक्तियों को अनुमति दी है। मैं बहुत नरम रहा हूं। कृपया माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दें।

*...(व्यवधान)*

**श्री वैको** (शिवकाशी): माननीय मंत्री जी को सुन लें। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। यह उन पर है। यह सभा का सर्वोच्च मंच है।

*...(व्यवधान)*

**श्री वैको** : आप चाहे सहमत न हों। किंतु उन्हें सुन तो लें।

**सभापति महोदय** : उन्हें ठीक प्रकार से उत्तर देना होगा। यदि आप उत्तर से संतुष्ट न हों, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको संतुष्ट करने के लिए मंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकता।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम नाईक** : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि हमारे तीन पड़ोसी देश हमसे गरीब हैं, कम विकसित हैं। मैं कैरोसीन की स्थिति बताना चाहता हूं। दिल्ली में इस समय कैरोसीन 5.46 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है *...(व्यवधान)*

**श्री रूपचन्द पाल** (हुगली): गांव में तो 8-10 रुपये लीटर मिल रहा है।

**श्री राम नाईक** : मैं पी.डी.एस. के बारे में बता रहा हूं। श्रीलंका में 9.12 रुपये लीटर है, पाकिस्तान में 9.46 रुपये और बंगला देश में 11.05 रुपये प्रति लीटर है।

*[अनुवाद]*

ये चार देश और हम इसलिए ज्यादा मूल्य दे रहे हैं क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जरूरी है। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कृपया बैठ जाएं। इस स्थिति को कैसे सुधारें? आपको उनका उत्तर स्वीकार करना होगा। वह मंत्री हैं और आप सदस्य हैं। आपको मंत्री के वक्तव्य को स्वीकार करना होगा। यह सर्वोच्च संवैधानिक मंच है। आप स्वयं को संतुष्ट करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकते।

**श्री रूपचंद पाल** : मंत्री जी को सभा को भ्रमित करने का कोई अधिकार नहीं है।

**श्री एस. बंगरप्पा** : महोदय, आप इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दें।

**श्री राम नाईक** : उसकी अनुमति दी जा सकती है। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : कृपया आप बैठ जाइए। आप उन्हें अपनी संतुष्टि के अनुरूप उत्तर देने पर बाध्य नहीं कर सकते। वे मंत्री हैं। जब सभा के सामने कोई वक्तव्य दिया जाता है, तो वह अंतिम होता है। यह सर्वोच्च संवैधानिक मंच है। यह संप्रभुता संपन्न मंच है। कृपया बैठ जाएं। मैं आपकी भावनाओं को समझ गया हूं। यदि इसे संसद के समक्ष लाया गया होता, तो मैं मंत्री जी को परामर्श देता कुछ भी नहीं होता। यही कारण है कि उन्होंने संवैधानिक परम्परा पर प्रश्न उठाया है। सरकार ने सत्रावकाश के दौरान मूल्यवृद्धि की है। यदि इस मूल्यवृद्धि के पहले ही इसे संसद के समक्ष लाया गया होता, तो इससे समस्या का समाधान हो जाता। किंतु यह सरकार पर है। आप उन्हें बाध्य नहीं कर सकते।

श्री वैको : आपको निष्पक्ष होना चाहिए।

महोदय : नहीं, मैं अध्यक्षपीठ से सरकार को परामर्श दन के लिए खड़ा हूं कि संवैधानिक परम्परा का पालन किया जाना चाहिए।

**श्री वैको** : यह सही नहीं है। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : यह उचित नहीं है।

**श्री माधवराव सिंधिया** : वे संसद के अभिरक्षक हैं। वे संसद इस प्रकार से नहीं चला सकते। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : सत्रावकाश के दौरान, संसद का सत्रावसान नहीं होता। सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। उन्होंने सभा को विश्वास में नहीं लिया है। तभी वहां शोर-गुल है। आपको भावना को स्वीकार करना होगा किंतु मंत्री जी का वक्तव्य अंतिम है। हम मंत्री जी के वक्तव्य को चुनौती नहीं दे सकते।

*...(व्यवधान)*

**श्री राजीव प्रताप रुडी** (छपरा): यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने जिस ढंग से इन बातों को कहा है उस पर हमें खेद है। हमें आपके रवैये पर खेद है। यदि आपको इस प्रकार बोलना है, तो आप अपनी सीट पर आएं और बोलें। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : जब मैं कहता हूं कि यह संवैधानिक स्थिति है, तो क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि यह उचित नहीं था? यह संवैधानिक परम्परा है। कृपया बैठ जाएं। यदि अध्यक्षपीठ का निर्णय आपके हक में है, तो आप उसकी प्रशंसा करेंगे और यदि वह आपके अनुकूल नहीं है, तो आप कहेंगे कि वह गलत है। ऐसा नहीं होता।

अध्यक्षपीठ से मैं यह निर्णय देता हूं कि सत्रावकाश के दौरान सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। यह संवैधानिक स्थिति है। यदि अन्यथा होता है, तो मुझे बताइए।

**श्री राजीव प्रताप रुडी** : महोदय, आप यहां से आकर बोलें, आपका स्वागत है। इस सभा की परम्पराओं को तोड़ा जा रहा है *...(व्यवधान)* मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि प्रस्ताव प्रस्तुत किए बिना आपने निर्णय दे दिया है *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : यदि यह फैसला संवैधानिक परम्परा के अनुरूप नहीं है, तो मुझे बताएं। मैं इसे तत्काल संशोधित करूंगा। यदि फैसला उचित नहीं है, तो आप मुझे बताएं।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : अध्यक्षपीठ से हम सरकार को परामर्श दे सकते हैं।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : अब मैं नियम 377 के अधीन मामले लेता हूं। डा. अशोक पटेल।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप अध्यक्षपीठ को पीछे हटने को कह रहे हैं। यह उचित नहीं है।

*...(व्यवधान)*

**श्री खारवेल स्वाइं** : आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, महोदय? *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : यह संवैधानिक स्थिति है। मैंने सभा को संवैधानिक स्थिति के बारे में बता दिया है। क्या मुझे इससे कोई लाभ पहुंचने वाला है?

*...(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया** : महोदय, आपने सभा के सम्मान की रक्षा की है जिसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मुझे इससे क्या लाभ पहुंचने वाला है? क्या मुझे कुछ मिलने वाला है?

*...(व्यवधान)*

**श्री राजीव प्रताप रुडी** : सभा की परम्पराओं का हनन किया जा रहा है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : यह क्या है? मंत्री महोदय, कृपया मुझे बताएं कि क्या मेरा फैसला संवैधानिक तौर पर गलत है। यदि यह संवैधानिक तौर पर गलत है, तो मैं इसे तत्काल संशोधित करूंगा। मुझे बताएं। एक संवैधानिक परम्परा होती है।

*...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मैंने सभा को संवैधानिक परम्परा से अवगत करा दिया। मैं स्वयं अध्यक्ष रहा हूं। तमिलनाडु में हमने उन मंत्रियों के विरुद्ध कार्यवाही की थी जो सभा से बाहर पत्रकारों से मिले थे। वह संवैधानिक परम्परा है।

*...(व्यवधान)*

**श्री राम नाईक** : महोदय, कृपया मुझे उत्तर देने दें। आपने अपना फैसला दे दिया है। *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : मुझे इस फैसले से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। मैंने आपको संवैधानिक स्थिति से अवगत करा दिया है। क्या यह पाप है? क्या यह अपराध है? मुझे बताइए। मुझे इस फैसले से कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं न तो इस पक्ष में हूं और न ही उस पक्ष में।

*...(व्यवधान)*

**श्री खारबेल स्वाईं** : आप इस प्रकार का फैसला कैसे दे सकते हैं? *...(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : आप इस प्रकार नहीं बोल सकते। अध्यक्षपीठ के लिए यह महत्व का दिन है।

*...(व्यवधान)*

**श्री राम नाईक** : महोदय, आपको मेरे उत्तर की प्रतीक्षा थी। हम आपके फैसले पर विवाद नहीं कर रहे हैं। केवल यही बात है कि यह फैसला असाधारण है, इसलिए सदस्य क्षुब्ध हैं। आप भी देख सकते हैं और यदि आवश्यक समझें तो इसे संशोधित कर सकते हैं।

**सभापति महोदय** : अवश्य।

**श्री राजीव प्रताप रुडी** : महोदय, हमें आपके फैसले पर बहुत खेद है। *...(व्यवधान)*

**श्री राशिद अलवी** (अमरोहा) हम बधाई देते हैं, महोदय।

**सभापति महोदय** : अब नियम 377 के अधीन मामले। डा. अशोक पटेल।

---

**अपराह्न 3.53 बजे**

## नियम 377 के अधीन मामले

### (एक) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बिंदकी रोड रेलवे क्रासिंग पर उपरिपुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

*[हिन्दी]*

**डा. अशोक पटेल** (फतेहपुर): सभापति महोदय, कानपुर बांदा रोड और मुगल रोड जो इटावा होकर फतेहपुर जाती है, वहां अक्सर बहुत भीड़-भाड़ रहती है। भीड़-भाड़ का मुख्य कारण रेलवे फाटक का बंद रहना है। इस मार्ग से अनेक रेलगाड़ियां गुजरती हैं जिससे फाटक घंटों बंद रहता है। फाटक के इतने अधिक समय तक बंद रहने के कारण जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोगों को फाटक खुलने का घंटों इंतजार करना पड़ता है। फाटक के बंद रहने के कारण लोग इधर-उधर से रेल लाइन पार करने की कोशिश करते हैं जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। अत: बिंदकी रोड रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी पुल की नितान्त आवश्यकता है। ऊपरि पुल के निर्माण से जहां एक ओर यातायात अवरुद्ध नहीं होगा वहीं दूसरी ओर दुर्घटनाओं की सम्भावना नहीं रहेगी।

अत: अनुरोध है कि बिंदकी रोड रेलवे क्रासिंग पर शीघ्र ही ऊपरी पुल का निर्माण किया जाए ताकि जनता को भारी कठिनाइयों से छुटकारा मिल सके।

### (दो) पानीपत और गोहाना दिल्ली के बीच और रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता

*[अनुवाद]*

**श्री किशन सिंह सांगवान** (सोनीपत): महोदय, मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान उत्तर रेलवे के अंतर्गत पानीपत-सोनीपत-

[श्री किशन सिंह सांगवान]

दिल्ली तथा गोहाना-रोहतक-बहादुरगढ़-दिल्ली खंडों पर दैनिक रेल यात्रियों की दयनीत स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं।

इन क्षेत्रों में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसका कोई न कोई सदस्य अपनी आजीविका कमाने के लिए दिल्ली न आता हो और यही स्थिति केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कार्यालयों की है जहां पर इन्हीं क्षेत्रों के लोग काम करने आते हैं। वर्तमान में इस मार्ग पर जो गाड़ियां उपलब्ध हैं, वह लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए नितान्त अपर्याप्त है। लोगों, यहां तक कि महिलाओं को भी, अत्यंत कष्टपूर्ण स्थिति में यात्रा करनी पड़ती है। इस मार्ग पर सुबह और शाम के समय अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि इस मार्ग पर चलने वाले दैनिक यात्रियों को यात्रा करने में सुविधा हो और उन्हें कुछ राहत प्रदान की जा सके।

**राजस्थान में सवाई माधोपुर को गंगापुर से बरास्ता करौली, धौलपुर रेल मार्ग द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्रीमती जसकौर मीणा** (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, रेलों ने औद्योगिक उत्पादन, केन्द्रों को कच्ची सामग्री के स्रोतों से जोड़ा है और औद्योगिक विकास सुदृढ़ बनाया है। कृषि उत्पादनों एवं कच्चे माल को दूरस्थ बाजारों (उत्पादकों) तक पहुंचाया है। इस प्रकार तीव्र विकास को बढ़ावा दिया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रेलों ने विभिन्न दुर्गम स्थलों को सुविधाजनक स्थलों से जोड़कर दुर्गम स्थलों की जनता को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया है। इसी संदर्भ में मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान ऐतिहासिक इमारतों में लगने वाले लाल पत्थर के भारत के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र सवाई माधोपुर, सरमथुरा करौली, धौलपुर की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जहां का जनजीवन आज भी रेलगाड़ी के दर्शन को तरस रहा है।

इस क्षेत्र को रेल मार्ग से गंगापुर से वाया करौली, सरमथुरा धौलपुर जोड़ा जाये। इस क्षेत्र से लाल पत्थर का निर्यात विदेशों में काफी मात्रा में किया जा रहा है। इस रेल मार्ग के बन जाने से लाल पत्थर का अधिक मात्रा में निर्यात किया जा सकेगा और इससे देश को काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा तो प्राप्त होगी ही साथ-साथ क्षेत्र के लोगों को आर्थिक लाभ होने के कारण उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

अत: मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहती हूं कि गंगापुर से वाया करौली, धौलपुर को रेल मार्ग से जोड़ने के आदेश पारित करने का कष्ट करेंगी।

**(चार) पटना और हावड़ा के बीच गया, शेखपुरा और किऊल (बिहार) होते हुए एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता**

**श्री राजो सिंह** (बेगूसराय): सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र की हजारों जनता को व्यापार एवं रोजी रोटी के संबंध में प्रतिदिन हावड़ा जाना पड़ता है, पर इस क्षेत्र से होकर हावड़ा जाने के लिए एक भी एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है। इसकी वजह से यहां की जनता को काफी समय लग जाता है और उन्हें बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है। मैं रेल मंत्री का ध्यान पटना से हावड़ा वाया गया, शेखपुरा, किउल के रास्ते अविलम्ब एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

**अपराह्न 4.00 बजे**

**(पांच) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रोजा विद्युत परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता**

**श्री जितेन्द्र प्रसाद** (शाहजहांपुर): सभापति महोदय, शाहजहांपुर जनपद में 2,587 करोड़ की लागत से 567 मेगावाट बिजली उत्पादन की रोजा ताप बिजली परियोजना नामक एक परियोजना बनायी गयी थी। इस परियोजना को दो चरणों (2×283.5) में पूरा किया जाना था। यह परियोजना पूरे उत्तर प्रदेश को बिजली उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान देगी, जहां बिजली का अत्यधिक संकट है। इसके संबंध में आवश्यक कार्यवाही, जैसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मंजूरी, मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी, तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्रदान करना, लागत का आकलन, सहयोगकर्ताओं के साथ आवश्यक अनुबंध, भूमि अधिग्रहण, भूमि का मुआवजा देना आदि सभी आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है। यह ज्ञात हुआ है कि इंडो गल्फ कंपनी जिसे इस परियोजना को स्थापित करना है इस कार्य में ढील बरत रही है।

प्रारंभ में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने नवम्बर, 1994 में इसे सिद्धांत रूप से स्वीकृति प्रदान की थी तथा तदनुसार इसे सितंबर, 1999 में पूरा कर लिया जाना था। बिजली की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है और प्रदेश में बिजली के उत्पादन में कोई वृद्धि न होने के कारण यहां के बिजली संकट की गंभीरता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा आम तौर पर महंगाई बढ़ने के कारण इस परियोजना की निर्माण लागत में भी निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। मेरी सरकार से मांग है कि इस क्षेत्र में कृषि, औद्योगिक, आर्थिक पिछड़ेपन को तथा इसके निर्माण

संबंधी सभी आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाहियां पूरी कर ली गयी हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के लिए यथाशीघ्र कार्यवाही करें।

**(छह) सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली राज-सहायता को बहाल किये जाने तथा केरल राज्य के लिए चावल के राशन कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता**

**श्री टी. गोविन्दन** (कासरगौड़): महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्रियों पर से सरकार द्वारा राजसहायता कम किये जाने के कदम की ओर दिलाना चाहूंगा।

यह मेरे ध्यान में आया है कि केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध सामग्रियों के मूल्यों का पुनर्निर्धारण करने का विचार कर रही है। सरकार ने मध्यम वर्गीय लोगों के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली खाद्य सामग्रियों पर राजसहायता समाप्त करने का विचार किया है और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को दी जा रही राजसहायता को 70 प्रतिशत से घटा कर 50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। केरल में, उनके लिए जो चावल है उस पर राजसहायता कम करने के फलस्वरूप इसे 42 प्रतिशत मान लेने से चावल का वर्तमान मूल्य 4 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 6.50 रु. प्रति किलोग्राम हो जाएगा। स्वास्थ्य रिपोर्टों के अनुसार, औसतन पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए चावल की न्यूनतम आवश्यकता प्रतिमाह 30 किलोग्राम है। गरीबों पर बोझ बढ़ेगा और राज्य सरकार पर भी 111 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। निस्सन्देह, इसका हमारे देश के लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और उनका जीवन दुष्कर हो जाएगा।

जैसा कि आप जानते हैं, केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली अत्यन्त कुशलता और सफलता से कार्य कर रही है। यह कदम 40 सालों से केरल में जारी सुव्यवस्थित राशन वितरण प्रणाली को बर्बाद कर देगा। इन परिस्थितियों में, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विपरण की जाने वाली खाद्य सामग्रियों को दी जाने वाली राजसहायता को बहाल करे और केरल के लिए चावल के राशन कोटा को बढ़ाए जिससे राज्य सरकार आम आदमी की जरूरतों को पूरा कर सके।

**(सात) दिविसीमा द्वीप पर तटबंध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता**

**प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** (तेनाली): आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में, बंगाल की खाड़ी के तट पर जहां समुद्र से कृष्णा नदी मिलती है, उसके मुहाने पर दिवीसीमा एक द्वीप है। इस द्वीप को कई बार चक्रवात, ज्वारभाटे, समुद्री तूफान, बाढ़ और इसी प्रकार की अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है जिसके कारण सम्पत्ति, जन धन और पशु धन का भारी नुकसान होता है। 1977 में, ज्वारीय लहरों में लगभग 10,000 लोग मर गए थे।

दिवीसीमा को बचाने के लिए और बाढ़ इत्यादि के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने द्वीप के दोनों तरफ कृष्णा नदी के तटों को मजबूत करने पर लगभग 20 करोड़ रु. खर्च किया है। किन्तु, दूसरी ओर जो कि बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला भाग है, वह अब भी खुला है और इस द्वीप के लिए एक भारी और निरन्तर विद्यमान खतरा ज्वारीय लहरों के आक्रमण के लिए सम्भावित क्षेत्र है। इसलिए 'कोना ज्वारीय तट' कहे जाने वाले ज्वारीय तट को मजबूत किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

यह तट 18.550 किलोमीटर के क्षेत्र में पोलटिव-टिप्पा और मलकायलंका गांव तक फैला हुआ है। इस ज्वारीय तट रेखा पर ही, भीतर के अनेक गांवों के अतिरिक्त तटवर्ती 10 और गांव हैं। वर्ष 1990-91 के समुद्री तूफान के दौरान, जो नाममात्र का उपलब्ध ज्वारीय तट था, भी बह गया। यद्यपि 1991 में अस्थायी मरम्मत कार्य शुरू किये गए थे परन्तु वहां एक ठोस सीमेन्ट की दीवार का निर्माण कर इसके स्थायी समाधान की आवश्यकता है। समुद्र का पानी प्रायः गांव में घुस जाता है। प्रत्येक बरसात के मौसम में ग्रामवासी सदैव दहशत में रहते हैं।

मनुष्यों और मवेशियों के जीवन और अन्य सम्पत्तियों के हितों की रक्षा हेतु मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि 'कोना ज्वारीय तट' सुदृढ़ करने के लिए तट को पूरे समुद्र तट के साथ साथ कंक्रीट की दीवार बना कर स्थायी समाधान किया जाए।

**(आठ) बिहार के जहानाबाद जिले में रायपुर चौरम में हुए नरसंहार से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान किये जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री अरुण कुमार** (जहानाबाद): महोदय, बिहार राज्य का पलामू, गया, जहानाबाद, भोजपुर, पटना और औरंगाबाद आज उग्र

[श्री अरुण कुमार]

हिंसा के शिकार बने हुए हैं। एक ओर वामपंथी उग्रवादी सी.पी.आई.एम.एल. और सी.पी.एम.एल. पीपल्स वार के द्वारा होड़ लगी है, तो दूसरी ओर निजी सेनाओं में अपनी-अपनी ताकत प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा बनी है। दोनों ओर से हिंसा की वारदातों का सिलसिला बनाये रखा जा रहा है। गत वर्षों में सरकार ने नीति अपनायी थी कि जो परिवार इन हिंसक वारदातों के शिकार होंगे उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी, उन परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। सरकार इस कदम से जहां पीड़ित परिवारों को सहारा मिलता था, उग्रवादियों के हौसले भी पस्त होते थे। जिन्हें वे मटियामेट करना चाहते थे, वे सरकारी सहारा पाकर विनाश से बच जाते थे। जहानाबाद जिले के रामपुर चौरम में इसी वर्ष के प्रारंभ में नरसंहार हुआ किंतु हिंसा के शिकार परिवारों को न कोई आर्थिक सहायता पहुंचाई गई, न नौकरियां आदि देकर उनकी क्षतिपूर्ति की चेष्टा हुई। अत: मेरा ...ह है कि अविलंब इस नरसंहार के शिकार परिवारों ... जाए ताकि उग्रवादियों का मनोबल गिरे, वारदातों ... और आम नागरिक राहत की सांस ले।

**(नी) बिहार में अमनौर-सोनोहू-परसा और तरैया-अमनौर-मढ़ौरा नगरा, मशरक राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने तथा उनके रख-रखाव के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्री राजीव प्रताप रुडी** (छपरा): बिहार के सारण जिले में ग्रामीण और शहरी सड़कों की अत्यन्त दयनीय स्थिति है और जो सड़कें हैं उनका रखरखाव अत्यधिक खराब है जबकि इस जिले का समृद्ध चीनी क्षेत्र एवं यहां उद्योग होने के कारण अत्यन्त आर्थिक महत्व है। मैंने जल भूतल परिवहन मंत्रालय का भी ध्यान आकर्षित किया है कि अमनौर-सोनही-परसा सड़क और तरैया-अमनौर-मढ़ौरा/नगरा-मशरक सड़क वर्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए अथवा इसे ई आई पी योजना के अंतर्गत लिया जाए या मंत्रालय की किसी अन्य योजना के अंतर्गत लिया जाए जिससे इन सड़कों के लिए धन राशि मुहैया हो सके जो अभी राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त, निर्माणाधीन छपरा-हाजीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में कई गति अवरोधक, अतिक्रमण हैं और सड़क समतल नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय में आवश्यक कार्य करे।

---

**अपराह्न 4.08 बजे**

## राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*

*[अनुवाद]*

**सभापति महोदय:** अब सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। डा. नीतिश सेन गुप्ता अपना भाषण जारी रखें।

**डा. नीतिश सेनगुप्ता** (कोन्टाई): सभापति महोदय, मैं श्री मदन लाल खुराना द्वारा प्रस्तावित धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपने भाषण को जारी रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, मैंने कहा था कि राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण देश में वर्तमान शताब्दी में कार्यवाही के लिए एक समयोचित अत्युत्तम रूपरेखा है। यह न केवल उन बुराइयों के बारे में हमें बताता है जो हमने की हैं या वो बातें जो गलत हुई हैं, बल्कि गलत किए गए कार्यों को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यह भी बताता है। उन्होंने ठीक ही इस बात पर बल दिया कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक भारतीय के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के एक प्रभावी माध्यम के रूप में हम अपने लोकतंत्र को रुपान्तरित करें।

उन्होंने संविधान समीक्षा की अवधारणा का सही समर्थन किया है। जब हम संविधान की बात करते हैं, तो वास्तव में पंडित जवाहर लाल नेहरू और बाबासाहेब अम्बेडकर जैसे महान लोग याद आते हैं। लेकिन मूलत: वह एक अत्यन्त छोटा निकाय था जो इस देश की मात्र एक प्रतिशत जनता द्वारा चुना गया था। तब से पचास वर्ष बीत चुके हैं और इस संविधान के कार्यकरण से जो एक अद्भुत दस्तावेज है, कुछ अनुभव प्राप्त हुए हैं। लेकिन विषय यह है कि परिवर्तन के प्रयास किए गए हैं और तबसे लगभग 90 संशोधन किए गए हैं। इसलिए, मैं सरकार के इस पहल में कोई नुकसान नहीं देखता कि रा.ज.ग. के घोषणापत्र में जो भी वायदा किया गया है, उसके अनुसार कुछ सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ-निकाय का गठन हो। ये सिफारिशें किसी भी स्थिति में अंतिम रूप से देखने के लिए संसद के सामने आएंगी।

इसलिए इसमें संसद की या जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का कोई इरादा नहीं है। सम्पूर्ण संविधान की जांच करने के लिए विशेषज्ञों का एक छोटा निकाय गठित किया गया है। इसकी मूल विशेषताओं को बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए, मेरे विचार से इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राष्ट्रपति ने इसकी आवश्यकता पर उचित ही जोर दिया *...(व्यवधान)*

**श्री एस. बंगरप्पा** (शिमोगा): क्या समिति के सभी सदस्य इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं?

**डा. नीतिश सेनगुप्ता:** मेरी जानकारी के अनुसार, सभी विशेषज्ञ हैं। मेरे विचार से हमें अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करना चाहिए। मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

**सभापति महोदय:** कृपया सदस्य को बोलने दें। कृपया सहयोग करें।

**डा. नीतिश सेनगुप्ता:** सभापति महोदय, मैं नहीं समझता कि इस समय दूसरों को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। मुझे मेरा भाषण पूरा करने दिया जाए।

*[हिन्दी]*

**श्री मुलायम सिंह यादव** (सम्भल): सभापति जी, वे विद्वान सदस्य हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देश की राजनीति की दिशा राजनीतिज्ञ और लोक सभा तय करती है, एक्सपर्ट नहीं करते हैं। ये विद्वान हैं, वकील हैं और कानून जानते हैं लेकिन लोक सभा का कानून यह नहीं है। मैं माननीय सदस्य का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि देश की राजनीति की दिशा राजनीतिज्ञ और लोक सभा तय करती है। अगर ये समीक्षा करते हैं तो एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। एक्सपर्ट देश की राजनीति की दशा थोड़ी तय करेंगे।

*[अनुवाद]*

**डा. नीतिश सेनगुप्ता:** सभापति महोदय, आवश्यक पृष्ठभूमि यह है कि हमने देश में सबसे बड़ी संख्या में निरक्षरों और गरीबों के साथ 21वीं शताब्दी में प्रवेश किया है। ऐसा क्यों हुआ? मैं प्रसन्न हूं कि राष्ट्रपति महोदय ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने उन सभी विकृतियों का उल्लेख किया है जो इस देश में घुस गई हैं। मैं साहस के साथ यह कह सकता हूं कि यह देश गरीब नहीं है, यह देश प्राकृतिक और मानव संसाधनों से सम्पन्न है। इस देश में कम विकास जैसी कोई बात नहीं है। यह मात्र प्रबंधन में कमी है। भारत एक अल्पविकसित देश नहीं है यह अल्प प्रबंधित देश है। चीजों का उचित प्रबंधन नहीं किया गया है। मैं प्रसन्न हूं कि कुछ समय पहले पूरे मुद्दे पर चर्चा की गयी और बहुत से विद्वतापूर्ण विचार व्यक्त किए गए। कुछ विकृतियों का हवाला दूं, तो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है–भारत गोल्ड। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, प्रति 10 ग्राम सोने के उत्पादन का खर्चा 20,000 रु. है और बिक्री मूल्य, शायद मात्र 5000 या 6000 रु. प्रति 10 ग्राम है। भारत सरकार किसे राजसहायता दे रही है? यह केवल धनाढ्य वर्ग है, जो सोना खरीद सकते हैं। वैसे भी, सोना निःशुल्क आयात किया जाता है। इस महंगी, अव्यवहार्य सोने की कम्पनी को बंद करने से सम्भवतः सरकार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। कुल मिलाकर काफी प्रगति होगी।

खाद्य तथा उर्वरकों पर चर्चा हुई। भारत में खाद्य वस्तुएं विश्व की खाद्य वस्तुओं की तुलना में काफी महंगी हैं। यह कैसे हुआ? यह हमारे कुप्रबंधन के कारण हुआ है। हम राजसहायता और बहुत सारी चीजें देते रहे हैं। शायद आपको यह बात सुनने में नई लगेगी कि हमारे देश में प्रति वर्ष इतने मूल्य के खाद्यान्न नष्ट हो जाते हैं जितने मूल्य का आस्ट्रेलिया खाद्य निर्यात करता है। भारत में, खराब गोदामों और भंडारण सुविधाओं में कमी तथा सब कुछ भंडार करके रखने की जिद में हम वह सारा धन बेकार कर देते हैं चूंकि वह सारा अनाज चूहे खा जाते हैं। यह अत्यधिक कुप्रबंधन का उदाहरण है। आज पूरा विश्व एक है। क्यों नहीं हम कुछ देशों से किसी प्रकार की व्यवस्था कर लेते कि जिन देशों को खाद्यों की आवश्यकता है वे किसी प्रकार का खाद्य ऋण हम से ले लें? आप निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न दूसरे देशों को भेजें बाद में आप उन देशों से खाद्यान्न वापिस ले सकते हैं। इससे हमें किसी प्रकार की गोदामों की अप्रत्यक्ष सुविधा मिल जाएगी और इससे देश भी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेगा। फिर भी हम देश में सारे खाद्यान्नों को ढंग से भंडार करने पर आग्रह करते हैं जो पूर्णतया: अवैज्ञानिक होता है। अंततः बहुत सारा खाद्यान्न नष्ट हो जाता है। सभापति महोदय, मैं ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकता हूं जब भारत पूरे विश्व के लिए खाद्य उत्पादक बन सकता है यदि हम केवल अपनी कृषि को विज्ञान पर ज्यादा आधारित बनाएं और प्रक्रिया को और अधिक लचीला बनाएं।

अब मैं खाद्य पदार्थों पर राजसहायता की बात करता हूं विशेष रूप से भारतीय खाद्य निगम पर किये जाने वाले व्यय पर। आप जानते हैं उस पर क्या खर्च किया जाता है। बहुत सारा धन व्यर्थ में ही खर्च किया जाता है। सम्भवतः अब समय आ गया है जब हम इन सारी विकृतियों को निकालें और यह देखें कि हम वैज्ञानिक प्रबंधन के आधार पर वैज्ञानिक ढंग से कार्य करें।

उर्वरक राजसहायता 1978-79 के लगभग इस मूल विचार के साथ प्रारम्भ की गई ताकि उर्वरक कारखाने अपनी लागत को पूरा कर सकें। यह किसानों की मदद करने के उद्देश्य से नहीं अपितु उर्वरक कारखानों की उत्पादन लागत की क्षतिपूर्ति करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था। उस समय यह ५क वर्ष में 300 करोड़ रुपये मात्र था।

**अपराह्न 4.16 बजे**

**(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*)**

300 करोड़ रुपये से अब यह लगभग 16,000 करोड़ प्रति वर्ष हो गया है। अत: सारा राजस्व जो हम कहें कि, आयात कर अथवा आबकारी शुल्क से अर्जित करते हैं उर्वरक पर खर्च किया जाता है। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि उर्वरकों पर राजसहायता आवश्यक नहीं है। लेकिन इस पर कुछ पुनर्विचार और निरन्तर पुनर्विलोकन करना चाहिए था ताकि हम 300 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के व्यय को 16,000 करोड़ रुपये के असामान्य अनुपात तक बढ़ने ही नहीं देते।

सभापति महोदय, जब मैं राजस्व सचिव था, तब मैं यह देखकर अचंभित हुआ था कि एक ओर तो हम उर्वरक उद्योग को राजसहायता दे रहे हैं और दूसरी ओर उनसे आबकारी शुल्क मैंने वहां कहा, तो क्यों न हम उनसे आबकारी ...र उन्हें राजसहायता भी न दें? हम भूल जाते ह ...क उन्ह धनराशि बाँटने पर लागत बहुत ज्यादा है और उनसे पैसा इकट्ठा करने पर लागत भी कम नहीं है। और हम केवल उर्वरक मूल्य को बनाए रखने के लिए इन बे-सिर पैर के खर्चों में उलझा लेते हैं।

महोदय, मैं राजसहायता के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि यह उन वर्गों को दी जानी चाहिए जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। दूसरे यह उन क्षेत्रों से मिलनी चाहिए जो फालतू उत्पादन करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के 50 वर्षों के कार्यकाल में हम ऐसा ही शानदार प्रावधान कर पाए. कोई भी अकेला क्षेत्र फालतू उत्पादन नहीं करता। आपको घाटे में चल रही अव्यवहार्य सरकारी क्षेत्र की उन इकाईयों को प्रतिवर्ष नगदी घाटे को पूरा करके चलाना है।

माननीय प्रधान मंत्री ने कुछ दिन पहले एक महत्वपूर्ण कार्य किया जब वह स्कोप (एससीओपीई), के सरकारी क्षेत्र के मुख्य अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे तब उन्होंने यह उल्लेख किया कि पिछले कुछ वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपये के कुल घाटे के लिए केन्द्रीय सरकार के 234 सरकारी क्षेत्र की इकाइयां उत्तरदायी रही हैं आप देख सकते हैं कि किस हद तक राजसहायता दी गई।

सभापति महोदय, मैं कलकत्ता से हूं, जो आज रुग्ण अव्यवहार्य औद्योगिक क्षेत्र की इकाईयों का केन्द्र बन गया है। और वहां सामान्यत: यह नीति रही है कि ओ.के. ब्रैथवे एंड बर्न को उदाहरण के तौर पर 80,00,000 रुपये का नकदी घाटा हुआ है। तो, सरकार इन्हें खैरात में उन्हें प्रति वर्ष 80,00,000 रुपये प्रतिवर्ष दे देगी ताकि वे अपने नकदी घाटे को पूरा कर सकें और सरकार पर वे एक बोझा बने रहें। मेरे कहने का अर्थ है कि इस प्रकार नहीं चल सकता। कुछ समय पहले, मैंने सरकारी क्षेत्र की प्रणाली के बारे मैं एक अनुमान लगाया था। मैंने पता लगाया कि यदि आप उदाहरण के तौर पर विद्युत बोर्ड आदि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को लें तो किसी भी इकाई पर प्रति दिन लगभग 6,00,000 करोड़ रुपये कुल व्यय होता है। महोदय, इस सभा के समक्ष मेरा यह निवेदन है कि क्या इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर बिना किसी आय के 6,00,000 करोड़ रुपये की इतनी बड़ी धनराशि निवेश करना अपराध नहीं है? यदि 6,00,000 करोड़ रुपये की राशि निवेश करने से प्रति वर्ष पांच, दस प्रतिशत की आय भी होती तो सरकार की आर्थिक दशा ऐसी न होती। अत: हमें प्रति वर्ष उसे बहुत बड़ी राजसहायता से चलाना पड़ता है। अन्यथा, यह धनराशि उन गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने पर व्यय की जा सकती थी जहां पर पेयजल व्यवस्था पर खर्च करने के लिए हमारे पास धन नहीं है और इस देश के प्रत्येक गांव में स्कूल की व्यवस्था करने के लिए उन गांवों को भी धन दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी, हमारे पास उन सरकारी क्षेत्र की इकाईयों के नकदी घाटे को पूरा करने के लिए धन है जो कभी भी चालू नहीं की जा सकती और न ही उनमें पूरा परिवर्तन लाया जा सकता है।

अत: सभापति महोदय, इस देश में कुछ भारी कमी है। आप मानिए या न मानिए, मेरा यह विचार है कि हम अपनी चीजों का उचित रूप से प्रबंधन कर सकते हैं यदि हम यह सुनिश्चित कर पाएं कि सरकारी क्षेत्र प्रणाली से हमें आय हो सकती है, यदि हम यह सुनिश्चित कर पाएं कि उर्वरकों पर राजसहायता एक उचित स्तर तक रखी जाए, और यह उन्हें ही दी जानी चाहिए जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है और धनराशि हमारे हाथ से कहीं और न लगे तो हमारा राष्ट्र सम्पन्न देश बन सकता है।

सभापति महोदय, उर्वरक राजसहायता के विषय पर पुन: लौटते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मैं यह देखकर हैरान हूं कि वस्तुत: पूरी प्रणाली. सरकारी क्षेत्र के उर्वरक बनाने वाली इकाईयों के घाटे को पूरा करने के लिए बनाई गई है और निजी क्षेत्र की उर्वरक बनाने वाली इकाईयां ज्यादा धन कमा रही हैं। वे इसलिए ज्यादा धन कमा लेती हैं क्योंकि सरकारी क्षेत्र की इकाइयां काफी अकुशल हैं जिन्हें राजसहायता देकर ही जीवित रखा जाता है। स्थिति को अब समाप्त करना चाहिए।

हम आज इस पृष्ठभूमि में यूरिया मामलों पर चर्चा कर रहे हैं जबकि आर्थिक विकास को न केवल हमारे देश में अपितु

अन्य बहुत से देशों में पचास वर्ष बीत चुके हैं। जब हमारी विकास प्रक्रिया प्रारंभ हुई, वर्ष 1948 अथवा 1949 अथवा 1950 में वह एक बहुत शानदार प्रक्रिया थी। विकासशील अर्थशास्त्र एक बहुत ही नीरस सैद्धांतिक विषय था जिसे बहुत से व्यक्ति नापसंद करते थे। तब सोवियत योजना अथवा ब्रिटेन की लेबर पार्टी के फेबियन समाजवाद के उदाहरण के अतिरिक्त ज्यादा उदाहरण नहीं थे। हमने देखा है कि सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था का क्या हुआ।

आज विकासशील अर्थशास्त्र एक बहुत विस्तृत और साम्राज्यवादी अध्ययन है जहाँ पर हमारे पास कुछ ठोस उदाहरण हैं कि किस प्रकार कुछ देशों का कुछ नीतियों का पालन करने के कारण पतन हुआ और किस प्रकार कुछ अन्य देशों ने भिन्न प्रकार की नीतियों का पालन कर के प्रगति की। हमने सोवियत अर्थव्यवस्था का शानदार उत्थान तथा अपने आपको बदल पाने की असमर्थता के कारण इसका पतन भी देखा। वह बदल नहीं सका; यह कुछ सिद्धांतों के साथ अटका रहा। मेरा अपने कम्यूनिस्ट मित्रों से अनुरोध है कि 'अपने आप को बदलें, ऐसा न सोचें कि विश्व ने 1848 के बाद कोई प्रगति नहीं की' *...(व्यवधान)*

मैं 'एशियाई शक्ति' के विषय पर आ रहा हूं। क्या आप मानते हैं कि 1960 के दशक में भी सिंगापुर भारत से काफी पीछे था? सिंगापुर, मलेशिया, थाइलैंड, कोरिया व अन्य सभी देश कैसे आगे बढ़ गए और भारत जैसे विशाल देश को काफी पीछे छोड़ दिया? पिछले दो वर्षों में कुछ व्यवधान आए किंतु वे उससे उबर चुके हैं क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था वास्तव में मजबूत थी।

चलिए इतिहास में लौट चलते हैं। 1960 में, शैक्षिक स्तर पर कोरिया भारत से काफी पीछे था किंतु आज कोरिया में शत प्रतिशत साक्षरता है। सिंगापुर में भी शत प्रतिशत साक्षरता है। भारत में हम अपने संविधान की अवमानना करते आ रहे हैं-उसी संविधान जिसकी हम बात करते हैं-जो कहता है कि 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देना, राज्य नीति के नीति निदेशक तत्व हैं। हम ऐसा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के घाटे को वहन करते रहे हैं।

हमें निजी क्षेत्र से बहुत सारे उपक्रमों का सरकारी क्षेत्र को हस्तांतरण करना पड़ा क्योंकि हमारी उदारनीतियों के कारण निजी क्षेत्र प्रबंधन ने उन्हें घाटे में डाल दिया। हमें कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। उस समय यह आवश्यक नहीं था। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी को गलत परामर्श दिया गया था। उस समय कोयले का मूल्य हम क्या दे रहे थे और अब क्या दे रहे हैं? सरकार को जनता को नीतियों का स्पष्टीकरण देना होगा।

यह देखकर अच्छा लगता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोयला उद्योग के गैर सरकारीकरण का उल्लेख है। किंतु हमें यह लोगों को स्पष्ट करना होगा कि इससे अंततः लोगों को ही सहायता मिलेगी और इससे उनको बहुत से लाभ पहुंचेंगे।

मेरे विचार में, पहले बहुत कुछ गलत हुआ। हमें भारतीय लौह और इस्पात कम्पनी को राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जबकि उस वर्ष भी, इस कम्पनी द्वारा यह लाभांश घोषित किया गया था। यह हमेशा लाभांश घोषित करती थी। उसके बाद देखिए इसकी क्या दशा हुई और देखिए कि किस प्रकार सरकारी प्रबंधन के अंतर्गत हमने इतने शानदार उद्योग को जो किसी समय टाटा लौह और इस्पात कम्पनी से भी ऊपर समझा जाता था आज उसकी हालत बुरे से खराब तथा खराब से सबसे खराब हो गई और आज इसे कोई भी लेने वाला नहीं है। यह सरकारी प्रबंधन और अनिश्चितता के कारण हुआ है। अतः तर्क यह है कि हमें इन देशों के अनुभव से सीखना चाहिए।

आधुनिक शताब्दी के महानतम व्यक्तियों में से एक थे श्री ली क्वान यू, उन्होंने कहा था, 'मैं इसे अपनी बड़ी उपलब्धियों में से ही एक मानता हूं कि मैंने सामान्य सिंगापुर वासियों को सिखाया कि शौच के लिए वे मैदानों मे न जाएं बल्कि आधुनिक शौचालय सुविधाओं का उपयोग करें जिसे मैंने सबको उपलब्ध कराया है। हमें सिंगापुर को बिना किसी संसाधन के विकास के आदर्श उदाहरण के रूप में देखना चाहिए।

हम तेल के सवाल पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर राजसहायता दी जाती है। मूलतः, राजसहायता के रूप में मूल्यों में कमी के माध्यम से लाभ पहुंचाने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यदि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अचानक वृद्धि होती है तो हम क्या कर सकते हैं? हमें तो वह पैसा कहीं न कहीं से प्राप्त करना होता है। सरकार वह पैसा कहां से प्राप्त करे? यह एक सामान्य अवधारणा है कि सरकार किसी न किसी तरह से व्यवस्था कर लेगी। सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को चलाना हमारे परिवार के बजट को चलाने से ज्यादा अलग नहीं है जिसमें हमें अपनी आय के हिसाब से अपने व्यय को समायोजित करना पड़ता है। यह एक बुनियादी सच्चाई है जिसे हमें अवश्य समझना होगा। सरकार अन्य राजनीतिक दलों को भी इस बात को अवश्य समझाए और उन्हें एक साथ ले और केवल यह न कहे कि ऐसा हो गया। अन्यथा, वे पूछेंगे, सरकार ने इसको समाज के अन्य वर्गों को अन्तरित करने के लिए क्या किया? 'प्रभावित वर्गों को संरक्षण कैसे मिलेगा?'

[डा. नीतिश सेनगुप्ता]

लेकिन बात यह है कि वित्त मंत्री जी को सभी दलों को विश्वास में लेना होगा और उन्हें बताना होगा कि यह स्थिति है, ये वह क्षेत्र हैं जहां उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र से कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है; राजस्व रुका पड़ा है। आप क्या सलाह देते हैं, क्या किया जाना चाहिए और वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें राजसहायता दिया जाना सर्वाधिक अपेक्षित है, राजसहायता कहां से आनी चाहिए, इत्यादि। मेरी राय में सरकार के लिए ऐसा कोई क्षेत्र अपने नियंत्रण में रखना आवश्यक नहीं जिससे कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। सरकार को होटल उद्योग में प्रवेश करने की क्या जरूरत है? सरकार को साइकिल-उद्योग में जाने की क्या जरूरत है? सरकार को ब्रेड बनाने या बिस्कुट बनाने वाले उद्योग में जाने की क्या जरूरत है? जब हम विदेशी निवेश को आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं, हम विपरीत दिशा में बढ़ते हैं और यह बिल्कुल प्रतिकूल दिशा में जाने जैसा है। मुझे यह कहते हुए खेद है। यह सच है कि उस समय वर्तमान सरकार सत्ता में नहीं थी। किन्तु उस समय उन लोगों ने निर्णय लिया कोका कोला को देश में आने की अनुमति दी उसके परिणामस्वरूप आज पूरे देश में, सारे स्वदेशी स्रोत बिल्कुल गायब हो गये हैं। उन्होंने देश में ऐसा होने की अनुमति दी और यह वर्तमान सरकार द्वारा नहीं किया गया था। मुझे यह कहते हुए खेद कि यह उस सरकार द्वारा किया गया जो 1990 के शुरु में सत्ता में थी।

मैं देश में विदेशी निवेश में विश्वास रखने वालों में से हूं। मैं विदेशी निवेश का समर्थन उस समय से करता आ रहा हूं जब किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया था और सरकार में शामिल कुछ ही लोगों ने विदेशी निवेश का समर्थन किया था। वित्त मंत्री और अन्य लोगों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष या विश्व बैंक ऋण के लिए भीख का कटोरा लिए हुए वाशिंगटन या टोकियो जाने से विदेशी निवेश अत्यन्त सस्ता, ज्यादा किफायती और ज्यादा उत्पादक है।

जब हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक से ऋण लेते हैं तो समस्या लौटाने की होती है। यह कैसे लौटाया जाएगा? यह देखे बिना कि धान का सदुपयोग हुआ है या नहीं वापस करना अगले वर्ष से ही अत्यधिक ऊंचे दरों पर शुरू हो जाता है। किन्तु जब हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आमंत्रित करते हैं तब भुगतान कैसे होता है? यह उद्यम द्वारा अर्जित लाभ के निश्चित प्रतिशत का रूप लेता है जब कुछ वर्षों में उद्यम उत्पादन के स्तर पर चला जाता है। पहले दक्षता का अन्तरण होता है, प्रौद्योगिकी आती है, आर्थिक पूंजी आती है लोगों को रोजगार दिया जाता है वस्तुओं का उत्पादन किया जाना होता है, सरकार को उत्पाद राजस्व अर्जित करना होता है और तब लाभ में से जो भी लाभांश घोषित होता है उसका एक निश्चित प्रतिशत विदेशी शेयर-धारकों को उनके शेयर के हिसाब से मिलेगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह ज्यादा गरिमापूर्ण है। मैं एक बार पुन: अपने वामपंथी मित्रों से अपील करता हूं कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कुछ भी गलत नहीं है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बहुत कम है। यह मात्र एक या दो प्रतिशत है। सारे आंकड़े 'द इकोनॉमिक सर्वे' में दिए गए हैं। हम और अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आमंत्रित कर सकते हैं। जब तक कि भुगतान का समय शुरू हो, जैसा कि मैंने कहा वह केवल लाभांश के रूप में है, यह देश के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा होता है। श्री यशवंत सिन्हा इस बात का श्रेय ले सकते हैं कि यह भारत के 38 बिलियन डालर विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है। इसलिए हमें इस बात को अवश्य समझना चाहिए कि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और अन्य विदेशी सरकारों के पास जाने से जहां आपको पैसे का भुगतान जल्दी करना पड़ता है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बहुत अधिक सम्मानजनक है।

**श्री हन्नान मोल्लाह** (उलूबेरिया): क्या आप एक बात स्पष्ट करेंगे? आपने कहा कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मात्र एक या दो प्रतिशत ...*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : श्री हन्नान मोल्लाह, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

*...(व्यवधान)*

**श्री हन्नान मोल्लाह** : पिछले 20 वर्षों से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आमंत्रित कर रहे हैं तो यह अभी तक क्यों नहीं आ सका?

**डा. नीतिश सेनगुप्ता** : यहां, अब मैं आपको राज की बात बताता हूं। 1980 में, जब मैं बहुराष्ट्रीय निगमों संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग के भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष के तौर पर न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भाग ले रहा था तो चीन के एक प्रतिनिधि ने मुझसे अलग से भेंट करने की इच्छा व्यक्त की। हमने अलग से रात्रि भोज में भेंट की। उन्होंने कहा कि वे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं और पूछा कि क्या वह हमसे यह सीखने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल को भारत भेज सकते हैं कि हम यह कैसे कर रहे हैं, हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं, हम प्रस्ताव कैसे रखते हैं, इत्यादि। तब मैंने कहा कि वे यहां आ सकते हैं। उन दिनों चीनवासियों को यहां आने और हमारे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की इकाइयों में जाने की अनुमति दिया जाना मुश्किल था। लेकिन फिर भी उन्हें अनुमति दी गई और उससे वे बहुत खुश हुए तथा हमसे सीखने के लिए उन्होंने दूसरा और तीसरा

प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहा। उन्होंने हमसे प्राप्त ज्ञान को इस हद तक त्रुटिहीन बनाया कि अब वे हमसे काफी आगे निकल गए हैं।

हमें चीन के विदेशी मुद्रा भंडार को देखना चाहिए। यह लगभग 150 बिलियन डालर है, जबकि हम मात्र 38 बिलियन डालर तक पहुंचे हैं। हमने काफी प्रगति की है, किन्तु फिर भी वे काफी आगे हैं और उन्होंने हमें काफी पीछे छोड़ दिया है। मुख्य बात यह है कि - हमसे ही सीख कर वे हमसे ही काफी आगे निकल गए हैं। हम अपनी प्रक्रियाओं से चिपके हुए हैं।

अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के दूसरे पक्ष का उल्लेख करूंगा। यह सरकार के आकार को कम करने से संबद्ध है। इसके विषय में बात करना बहुत आसान है लेकिन इसे करना बहुत कठिन है। इसके लिए मैं यहां कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 1990 के दशक में जब हमने वस्तुत: नई सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ अपने आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए तब सरकारी सेवा में इतने अधिक लोगों की जरूरत नहीं रह गयी, यह और कम होती जा रही है।

वर्ष 1991 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या 4.08 मिलियन थी। 1996 में यह घट कर 3.77 मिलियन और 1999 में यह और कम होकर 3.75 मिलियन हो गयी किन्तु फिर यह मुख्यत: पुलिसवालों और सुरक्षाकर्मियों की संख्या में वृद्धि के कारण बढ़कर 3.86 मिलियन हो गयी। हमारे जैसा देश कितने दिनों तक इस प्रकार की विशालकाय सुरक्षा व्यवस्था का वहन कर सकता है? यह हैसियत का प्रतीक बन गयी है। भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को मारने में किसकी रुचि है? इसमें किसी की भी दिलचस्पी नहीं है। यदि सुरक्षा दी ही जानी है तो आप एक या दो सादी वर्दी में सुरक्षाकर्मियों को रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों की टुकड़ी या बटालियन जहां भी ये जाएं उनके साथ-साथ जाए चाहे वह विवाह जैसा व्यक्तिगत समारोह ही हो। आम जनता इससे परेशान होती है। मैं सरकार से सिफारिश करूंगा कि वह चीनी उदाहरण का अनुसरण करे। वे अपने सारे नेताओं को जहां उनके कार्यालय हैं उन्हीं ऊंची दीवारों से घिरे शहरों में रहने की व्यवस्था करते हैं। वे उन्हीं मकानों में रहते हैं जो उनके दफ्तरों के सड़क पार बने होते हैं। हम आधे अशोक होटल के ले लें और जिनको भी सुरक्षा संबंधी खतरा है वे वहां रहे और उनके दफ्तर भी वहीं हों जिससे उन्हें हर दिन घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जाने की जरूरत नहीं रहे।

सभापति महोदय, हमने सुरक्षा का मजाक बना दिया है। हमें इतनी सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? जब तक हम सरकारी व्यय में वास्तव में कटौती नहीं करते तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। मैं प्रसन्न हूं और श्री मुरासोली मारन को दो सचिवों की संख्या कम करने पर बधाई देता हूं। वर्ष 1990 में सचिवों की संख्या क्या थी? अब यह क्यों बढ़ गयी है? मैं उस वर्ग से सम्बद्ध हूं जिसका इसमें निहित स्वार्थ है।

व्यय आयोग का गठन किया गया है। मेरा मानना है कि जब भी सरकार किसी विषय के प्रति गम्भीर नहीं होती तो वह एक आयोग का गठन कर देती है। वर्ष 1977-78 में तत्कालीन जनता सरकार ने एक व्यय आयोग का गठन किया था। आप उसका परिणाम जानते हैं।

तत्कालीन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1992 में एक सुंदर रिपोर्ट तैयार की गयी। इसने एक समिति की नियुक्ति की जिसकी अध्यक्षता श्री बीजू पटनायक जी कर रहे थे। डा.सी. रंगराजन इसके सदस्य-सचिव थे। इसने सरकारी व्यय कैसे कम किया जा सकता है इस विषय पर एक शानदार रिपोर्ट तैयार की। एक सिफारिश यह थी कि जीवन यापन लागत सूचकांक में जब भी बढ़ोत्तरी हो तो महंगाई भत्ता को बढ़ाने की दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा को छोड़ दिया जाए। हमें यह अवश्य छोड़ देना चाहिए। श्री बीजू पटनायक ने इसकी सिफारिश की थी। क्या लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि जब भी मुद्रास्फीति की दर में बढ़ोत्तरी होती है तब सरकार को 400 या 500 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं? नियम 377 के अधीन मामले को उठाते हुए एक माननीय सदस्य ने कहा था कि दिवी सीमा द्वीप के एक ओर तटबन्ध बनाने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार के पास इन सब कार्यों के लिए पैसा नहीं है। केवल इस वजह से कि कुछ बुद्धिमान सज्जन आंकड़े परोसते हैं कि जीवनयापन लागत सूचकांक में बढ़ोत्तरी हुई है और सरकार को 400 या 500 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। हम सभी को उससे लाभ मिलता है। लेकिन हमें इससे अवश्य बाहर निकलना चाहिए। बीजू पटनायक और डा.सी. रंगराजन ने यही बात कही थी। उन्होंने जबर्दस्त राजनैतिक इच्छा शक्ति दिखाई थी जब उन्होंने सरकार को यह प्रथा छोड़ देने की सिफारिश की थी। उन्होंने सिफारिश की कि सरकार लोगों को बताए कि जब भी कीमतें बढ़ती हैं हम महत्वपूर्ण वस्तुओं का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से करेंगे। किन्तु मुद्रास्फीति के कारण इस प्रकार का आर्थिक मुआवजा दिए जाने को टालना चाहिए क्योंकि यह केवल मुद्रास्फीति के दबाव को और बढ़ाएगा। मैं सिफारिश करता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे। वस्तुत: 1992 में इसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसे मंत्रिमण्डल समिति द्वारा स्वीकार किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में अगले एक सप्ताह के भीतर चुनाव होने वाले थे। सबने कहा कि दिल्ली में बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं और वे नाराज हो जाएंगे। इसलिए सरकार ने सब कुछ रोक दिया। इसे लम्बित रखा गया और यद्यपि कई सरकारें आयीं और गयीं इसे लम्बित ही रखा गया है।

[डा. नीतिश से ुप्ता]

सभापति म. सरकार के आकार को कम करना बहुत महत्वपूर्ण है और हमें यह करना ही पड़ेगा। अन्यथा यह भावना पनप रही है कि सरकार केवल सरकारी कर्मचारियों के लिये होती है।

यदि आप "हिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमिक्स ग्रोथ" अथवा ल्यूस द्वारा लिखी इसी तरह की कुछ पुस्तकों का अध्ययन करें, तो आप देखेंगे कि आपको ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे कि सरकारें आकार अधिक बढ़े जाने के कारण गिरी हैं। सीरिया का शासन, बेबीलोन का शासन और मुगल शासन कैसे गिरा? एक समय था जब मुगल शासन विलासितापूर्ण था, उनके शासन में इतने अधिक व्यक्ति थे कि उनका कार्य चलाना कठिन हो गया और शिवाजी के नेतृत्व में घुड़सवारों ने आसानी से उन्हें मात दे दी। महान सोवियत अर्थव्यवस्था कैसे गिरी? पुन: इसका कारण भी इसका आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाना था। अत:, यह बेहतर है कि सरकार का आकार छोटा रहे और बहुत से कार्यों से वह [illegible] ले, जैसा कि अभी तक करती आ रही है, जो केवल सरकार ही कर सकती है जैसे कानून और व्यवस्था, देश की सुरक्षा इत्यादि। अन्य कोई भी उन कार्यों को नहीं कर सकता। सरकार को केवल वही कार्य करने चाहिये। किन्तु आज के परिप्रेक्ष्य में सरकार सब कुछ कर रही है। वह ब्रेड बनाने के कारखाने, साईकिल कारखाने, जूते बनाने के कारखाने, होटल, विमान सेवायें, इत्यादि चला रही है। ये सभी कार्य आसानी से निजी क्षेत्र को सौंपे जा सकते हैं।

सभापति महोदय, पिछली आधी शताब्दी में अर्थव्यवस्था के विकास के दो महत्वपूर्ण पाठ मिले हैं। एक, वे देश, जिन्होंने बहुत-कुछ विदेश नीतियों का अनुपालन किया है, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है और जो निर्यात और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर अधिक निर्भर है, ने ही प्रगति की है। यदि आप दक्षिण पूर्वी एशियाई और पूर्व एशियाई देशों को देखें तो बहुत कुछ उन्होंने प्रगति की है क्योंकि उन्होने बहिर्मुखी नीतियों का अनुपालन किया है। वे देश, जिन्होंने अन्तर्मुखी नीतियों का पालन किया है, वे बहुत कुछ पिछड़ गये हैं और आगे प्रगति नहीं कर पाये हैं। हमें यह पाठ सीखना चाहिये। अन्य पाठ, हमें यह सीखना है कि विकास के इंजन के रूप में हमें निजी क्षेत्र पर विश्वास करना है। हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण, जब हमने अपनी योजना प्रक्रिया आरंभ की, तो हमारे कुछ विचार थे। हम यह महसूस करते थे कि भारत एक बड़ा देश है। अत:, हमें कोई विदेशी निवेश नहीं लेना चाहिये। ईस्ट इंडिया कंपनी की बुरी यादें हमारे साथ थीं। किंतु आज वह स्थिति बदल गई है। आज, यदि किसी कंपनी का स्वामित्व पूंजीपतियों के हाथ में नहीं अपितु आप और मेरे जैसे लाखों शेयरधारियों के हाथ में है। एक बार पुन: मैं सिंगापुर का उदाहरण देना चाहता हूं। सिंगापुर में अवश्य ही 5000 बहुराष्ट्रीय कंपनियां होंगी किन्तु, क्या कोई कह सकता है कि उनमें से कोई एक सिंगापुर सरकार को नियंत्रित करता है? नहीं महोदय। और उन्होंने उस धन का लाभ उठाया, जो कहीं और उपलब्ध है। आज संपूर्ण विश्व में पैसे, सस्ती निधि की कमी नहीं है। तो हम अपनी व्यवस्था पर निर्भर क्यों करें, जहां हमें भारी कीमत देकर निवेश करना पड़े और उस पैसे को हम ऊंची ब्याज दर पर लेकर निवेश करें। हम विश्व में कहीं से भी पैसा ले सकते हैं, पेंशन निधि, वित्तीय निधि से, जहां ब्याज 4, 5 अथवा 6 प्रतिशत से अधिक नहीं है। हम वह धन ला सकते हैं। जहां तक हम वह धन लौटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हम जितनी भी चाहें, उतनी धनराशि ला सकते हैं।

सभापति महोदय, विश्व एक हो गया है। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति महोदय ने विश्वव्यापीकरण, निजीकरण और विनियंत्रिकरण का उल्लेख किया। नई सूचना प्रौद्योगिकी के कारण विश्वव्यापीकरण को रोका नहीं जा सकता। जब वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा बाहर जाते हैं और 3 बिलियन डालर के ऋण के लिए विश्व बैंक से बातचीत करते हैं, तो 2 वर्ष लगाते हैं। किंतु आज न्यूयार्क अथवा टोक्यो में बैठे हुए जार्ज सोरोस जैसे वित्त प्रबन्धक कुछ मिनटों अथवा सैकेण्डों में विश्व में कहीं भी 3 बिलियन डालर भेज सकते हैं। यह हो रहा है। हम विश्वव्यापीकरण को कैसे नजरअन्दाज कर सकते हैं? जब हम केन्द्रीय कक्ष में प्रवेश करते हैं तो वहां एक शिलालेख है।

**सभापति महोदय:** कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

**डा. नीतिश सेनगुप्ता:** मेरे पास कहने को और भी बहुत सी बातें हैं। मैं करीब 10 मिनट के भीतर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं गांधी जी को उद्धृत करना चाहूंगा। विश्व में कहीं भी उनसे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था, "मैं अपना घर सभी दिशाओं में खोलना चाहता हूं। सभी दिशाओं से हवा मेरे घर में आये। लेकिन, यह मुझे नुकसान न पहुंचाए। यही विश्वव्यापीकरण का मूल है। हम सभी अवसरों, जो उपलब्ध हैं, का लाभ उठाएं किन्तु हमें इसकी खामियों को दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर विश्व्यापीकरण अपरिहार्य है और उसे रोका नहीं जा सकता। कितना भी सरकारी नियंत्रण, क्यों न हो, विश्वव्यापीकरण को और ज्यादा नहीं रोका जा सकता। अत: हमें इसे एक अपरिहार्य वस्तु के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा।

आज इंटरनेट आ चुका है। मुझे याद है, तीन वर्ष पूर्व, जब मैं सेटेलाइट चैनल पर सरकार की नीति और प्रसार भारती संबंधी समिति की अध्यक्षता कर रहा था, तो मैंने एक स्वतंत्र लाइसेंस नीति की सिफारिश की थी। मैंने महसूस किया कि एक प्रभुत्व

एजेन्सी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के स्थान पर, जो ठोस रूप में कोई कार्य नहीं करती बस नाम के लिए होती है, उस एजेन्सी को लाइसेंस देना अधिक बेहतर है, जो हमें उन पर शर्तें लगाने के लिए नियंत्रण देता है।

अत: तत्कालीन मंत्री जी ने कहा था कि वे विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दे सकते और यह भी कि यह उनके मरने पर ही संभव हो सकता है। किन्तु मैंने कहा था कि ठीक है देखेंगे। किन्तु क्या आज इंटरनेट पर नियंत्रण कर सकते हैं? यह बड़े स्तर पर आया है। आप इसे नियंत्रित कर ही नहीं सकते। कोई भी देश इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। इसे स्वीकार करना बेहतर है। अत: विश्व्यापीकरण अपरिहार्य है और इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कुछ 5000 वर्ष अथवा 6000 वर्ष पूर्व 'वसुधैव कुटुम्बकम' का उल्लेख किया था। ये शब्द केन्द्रीय कक्ष के प्रवेश द्वार पर खुदे हुये हैं। शायद, उन्होंने विश्व को एक परिवार के रूप में माना है। पुन: गांधी जी ने भी यही कहा था। हालांकि, मेरे मार्क्सवादी दोस्त हमेशा कहते हैं कि विश्वव्यापीकरण अच्छा नहीं है किन्तु फिर भी मैं उन्हें कार्ल मार्क्स कम्यूनिस्ट घोषणा पत्र के आरम्भिक वाक्य के बारे में याद दिलवाना चाहूंगा। उसमें कहा गया था, ''विश्व के श्रमिको एक हो जाओ''। यह विश्वव्यापीकरण का निचोड़ था, जो वह चाहते थे।

**श्री रूपचन्द पाल:** क्या आपकी सरकार आपके अनुचित विश्वव्यापीकरण को स्वीकार कर सकती है? ...*(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर): सभापति महोदय अत्यन्त परेशान और अप्रसन्न हैं।

**डा. नीतिश सेनगुप्ता:** अत: विश्वव्यापीकरण और नियंत्रण हटाने को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बड़ी सरकारें जैसी कि हमारी है, उनको सौंपे गये सभी कर्त्तव्यों का बहुत देर तक निर्वाह नहीं कर सकतीं। अत: हम नौकरशाही को क्यों न कम करें।

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** जब आप पेंशन ले रहे होते, तो आप ऐसा कहते। अगर आप सेवा में होते, तो ऐसा नहीं कहते ...*(व्यवधान)*

**डा. नीतिश सेनगुप्ता:** महोदय श्रीमान चटर्जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक और दिन, इन्होंने एक वक्तव्य दिया था, जो सही नहीं था। उन्होंने कहा था कि मैंने उनकी पार्टी के नामांकन के लिये कहा था।

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** मैंने मेरी पार्टी नहीं कहा था। मैंने वामपंथी दल कहा था।

**डा. नीतिश सेनगुप्ता:** जो भी है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। आप सभी मेरे अच्छे दोस्त हैं। किन्तु मैं आपकी नीतियों और बौद्धिक विपंगता को पूर्णत: नापसंद करता हूं।

**सभापति महोदय:** कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप पहले ही 40 मिनट ले चुके हैं।

**डा. नीतिश सेनगुप्ता:** महोदय, मैं पांच और मिनट के बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। अत: नियंत्रण हटाना अवश्यंभावी है क्योंकि सरकार को छोटे से छोटा बनना है और केवल उन्हीं कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये, जो केवल सरकार ही कर सकती है। सरकार का काम होटल, इत्यादि चलाना नहीं है।

मैं सरकार से अपील करूंगा कि मजदूर संघों को शामिल किये बिना निर्णय न ले। यह एक बड़ा निर्णय है और आपको मजदूर संघों को अपने साथ लेना पड़ेगा और उन्हें बताना होगा कि उपक्रमों को बन्द करने का अर्थ आवश्यक रूप से छंटनी नहीं है। उन्हें उनके सेवानिवृत्त होने तक वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाए। किसी की भी छंटनी नहीं की जानी चाहिए। इस संबंध में एक स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए। हमारे पास रफी अहमद किदवई, जो एक महान नेता थे, का उदाहरण है। 1950 के दशक में, जब खाद्य राशनिंग समाप्त की गई थी, सम्पूर्ण देश में कई लाख लोगों की नौकरी छूट गई। किन्तु उन्होंने, उन्हें कई अन्य क्षेत्रों में पुन: रोजगार देने की व्यवस्था की थी। इसी प्रकार, कम से कम वे लोग, जिनकी छंटनी की जायेगी, वे बेकार हो जायेंगे। उन्हें जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन कार्यक्रमों में लगायें। आप कह सकते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी के लिए प्रतिमाह पांच व्यक्तियों को साक्षर बनाना आवश्यक है। वह राष्ट्र के लिए अच्छा रहेगा। अत: छंटनी छोड़ देनी चाहिए। नियंत्रण हटाना और उदारीकरण तो होना चाहिए परंतु छंटनी नहीं होनी चाहिए।

महोदय, अभी भी हमारे कुछ नियम कानून हैं, जो हमें 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन से विरासत में मिले हैं, जो इस विशाल देश पर एक मुट्ठी भर गोरे लोगों को शासन करने योग्य बनाने के लिए बनाये गये थे क्योंकि वे हम पर भरोसा नहीं करते थे। वही नियम और विनियम अभी भी जारी हैं, जब कि सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरी तस्वीर को पूर्णत: बदल दिया है। अत: 21वीं सदी की समस्याओं को 19वीं सदी के यंत्रों और तकनीकों से सुलझाने का प्रयास निस्सन्देह एक असन्तुलन बनायेगा। यह हो रहा है और यह भी एक समस्या है। अत: हम एक अच्छा अभिभाषण देने के लिए राष्ट्रपति जी का धन्यवाद देते हैं, जो भावी कार्यों हेतु दिशानिर्देश है। पृष्ठ 8 और 9 पर

[डा. नीतिश सेनगुप्ता]

17 बिन्दुओं का उल्लेख है जो भविष्य के लिए वास्तव में सूचक स्तम्भ है। इनका अनुपालन करके हम उस भारत का स्वप्न साकार कर सकते हैं जो विश्व में सबसे महान देशों में से एक होगा। मैं विदेश नीति संबंधी पहलू इत्यादि पर बात कर सकता था किन्तु समय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक बार पुनः महामहिम राष्ट्रपति को इस अभिभाषण, जो भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश है और जिसका अनुपालन करके हम निःसन्देह अपने महान स्वप्न को साकार कर सकेंगे, देने पर महामहिम राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए श्री मदन लाल खुराना के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**सभापति महोदयः** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन है:-

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 23 फरवरी, 2000 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।' ''

माननीय सदस्य, जिनके धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन जारी किए गए हैं, यदि उन्होंने 16 मार्च 2000 तक जब ऐसा करने को कहा गया था नहीं किया और यदि अब वे चाहें तो अपनी पर्ची 15 मिनट के अन्दर-अन्दर सभा पटल पर संशोधन क्रमांक डालकर भेज सकते हैं। मात्र वे ही संशोधन प्रस्तुत किये माने जायेंगे।

तत्पश्चात तुरन्त सूचना पट्ट पर प्रस्तुत किए गए क्रम संख्यावार संशोधनों की एक सूची दर्शाई जाएगी जिन्हें पेश किया हुआ माना जाएगा। यदि किसी सदस्य को सूची में कोई कमी मिलती है तो वह तुरन्त उसे टेबल अधिकारी के ध्यान में लायें।

**श्री मणिशंकर अय्यर** (मईलादुतुरई): सभापति महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं किन्तु इस बात का अफसोस है कि इस सरकार का धन्यवाद देने के लिए कुछ नहीं है। राष्ट्रपति ने अपने भाषण के पैरा 3 में राष्ट्रपिता की उस बात का उल्लेख किया जिसमें वह कहा करते थे कि विकास के फल पर पहला दावा गरीबों और कमजोर वर्ग का है। सरकार ने इस कथन पर ध्यान देने के लिए क्या किया है?

कृषि में वृद्धि स्पष्ट रूप से इस बात की सूचक है कि गांवों में गरीबी के हालात सुधार रहे हैं। तथापि वर्ष 1999-2000 में कृषि उत्पादन में ठहराव आया है। एक प्रतिशत से कम वृद्धि दर मुद्रास्फीति की दर से भी कम है। वास्तव में अब हम यह जानते हैं कि वित्त मंत्री के मुद्रास्फीति पर बजट दावे मात्र खोखले ये क्योंकि उनके आंकड़े 1990-91 के मूल्यों पर आधारित थे जबकि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अन्य सभी आंकड़े 1993-94 पर आधारित थे। अब के.सां.सं. ने मूल्य वृद्धि का समायोजन 1993-94 के आधार पर कर दिया है और इसका परिणाम यह रहा कि वर्ष 1999-2000 में मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के आसपास रही। अतः कृषि उत्पादन में 1 प्रतिशत वृद्धि और मूल्य वृद्धि 4 प्रतिशत से अधिक रही। इससे यह बात स्पष्ट है कि ग्रामीण वास्तविक आय में वर्ष 1999-2000 में तेजी से गिरावट आई। यह समय ऐसा था जबकि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अत्यावश्यक थे क्योंकि इस समय में जबकि उन्हें इसकी अत्यधिक आवश्यकता थी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा के रूप में थे।

अब जो आंकड़े मैं रखने जा रहा हूं वे दर्शाते हैं कि इस सरकार ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ क्या किया। मैं इस बात पर बल दे रहा हूं कि यह मेरी खोज नहीं है। वे संयुक्त रूप से मेरे द्वारा तथा इस प्रस्ताव के सम्माननीय पेशकर्त्ता द्वारा ग्रामीण विकास और शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के कार्यनिष्पादन बजट में से उभर कर आए हैं। यह उस स्थाई समिति के समक्ष पेश किए गए जिसके मैं और श्री मदनलाल खुराना सदस्य हैं।

जो मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं उनके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ध्यान ग्रामीण विकास विभाग के कार्यनिष्पादन बजट के एक पृष्ठ पर आकृष्ट करना चाहूंगा। यह पृष्ठ है-7, भाग एक पृष्ठ। मैं प्रधानमंत्री जी का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं माननीय मंत्री महोदय, जो कि यहां सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं से अनुरोध करता हूं कि वे ग्रामीण विकास विभाग के कार्यनिष्पादन बजट के पृष्ठ 7 को प्रधानमंत्री महोदय के ध्यान में लायें। क्योंकि इस एक दस्तावेज से हमें पूरी कहानी अथवा अधिकांश कहानी का पता चलता है कि किस प्रकार इस सरकार ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को उस वर्ष में चलाया जिसमें इनकी विगत वर्षों की अपेक्षा सर्वाधिक जरूरत थी।

सर्वप्रथम, हम मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को लेते हैं। एक योजना सुनिश्चित रोजगार योजना है जिसे ई.ए.एस. के नाम से भी जाना जाता है। फिर जे.आर.वाई. है जिसे नया नाम जे.जी.एस.वाई. (जवाहर ग्राम समृद्धि योजना) दिया गया है। पृष्ठ 7 की प्रथम टेबल दर्शाती है कि गत वर्ष अर्थात 1999-2000 और उससे पिछले वर्ष अर्थात 1998-99 के बीच सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) के अंतर्गत सृजित किए गए कार्य दिवस पिछले स्तर से लगभग एक तिहाई रह गए।

ये 1998-99 के 415 मिलियन कार्य दिवस से घट कर गत दिसम्बर में मात्र 147 मिलियन कार्य दिवस रह गए। सबसे अच्छा तो कृषि के अच्छे वर्ष 1998-99 की तुलना में अंतिम आंकड़े जो कि कृषि के लिए बुरा वर्ष 1999-2000 था में आधी उपलब्धियों को दर्शाते हैं। क्या खराब कृषि की अवधि में गरीबी उन्मूलन के उपाय करने का यही तरीका है? इसी में पृष्ठ 7 में दिखाया गया है कि ई.ए.एस. की और खराब स्थिति जे.जी.एस.वाई. में खराब प्रदर्शन के कारण भयावह दिखाई पड़ती है। वर्ष 1998-99 के 376 से अधिक कार्य दिवसों की उपेक्षा जे.जी.एस.वाई. में नवम्बर 1999 तक मजदूरी रोजगार सृजन एक तिहाई अर्थात् 147 मिलियन कार्य दिवस रह गया। अंतिम आंकड़े विगत वर्ष की आधी उपलब्धि को भी सम्भवत: न छू सकें।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 5 में कहा गया है कि हमें जनता के गरीबी उन्मूलन में और अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। लेकिन, समय कौन बरबाद कर रहा है? क्या हम समय बरबाद कर रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी और श्री पी.वी. नरसिम्हाराव की सरकारें गरीबी के अनुपात को 70% से घटाकर 35% के अन्दर ले आयीं। तभी से गरीबी अनुपात स्थिर रहा है। 1990 के मध्य से गरीबी अनुपात में ठहराव आया अथवा इस बात का थोड़ा सा अहसास है कि इसकी स्थिति खराब हुई। अत: राष्ट्रपति महोदय की चेतावनी बिल्कुल ठीक थी कि हमें समय बरबाद नहीं करना चाहिए। तथापि, यह सरकार समय बरबाद कर रही है। इसने गत सहस्राब्दि का अंतिम सारा वर्ष बरबाद कर दिया। यह गरीब उन्मूलन के सभी कार्यों में पूर्णत: असफल रही। मैंने पहले ही दो मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों का उदाहरण दिया है। अब मैं दो स्वरोजगार कार्यक्रमों के आंकड़ों को लेता हूं। पहला है स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जे.जी.एस.वाई.) और दूसरा है स्वर्णजयन्ती शहरी स्वरोजगार योजना (एस.एस.एस.वाई.)

*[हिन्दी]*

क्या शानदार संस्कृत भाषा का मेल मिला है? परन्तु क्या काम किया है?

*[अनुवाद]*

मैं फिर पृष्ठ 7 पर लौटकर आता हूँ इस सरकार द्वारा गत वर्ष में खेले गये खेल में स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना सबसे बड़ी असफलता थी। पृष्ठ 7 में कहा गया है कि 1998-99 के दौरान 17 लाख स्वरोजगारों से घटकर, यह संख्या गत वर्ष दिसम्बर में 3 लाख से भी कम रह गई। यदि वह गत वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन महीनों में उस आंकड़ों को दुगना भी कर दें तो यह उपलब्धि गत वर्ष के एक तिहाई से भी अधिक नहीं होगी। रा.ज.ग. की उन्नति का विचार क्या यही है? गत वर्ष सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए नेहरू रोजगार योजना के स्थान पर एक नया फैन्सी कार्यक्रम, स्वर्णजयन्ती शहरी स्वरोजगार योजना आरम्भ किया। यह किस प्रकार चला? ग्रामीण भारत में खराब कार्यक्रमों की भांति यह भी खराब ही रहा। एस.एस.एस.वाई. के लिए बजट 180 करोड़ रुपये के बजट आकलन के मुकाबले संशोधित आकलन इस गरीब देश में 126 करोड़ रुपये रखा गया और दिसम्बर अन्त तक वास्तविक खर्च 40 करोड़ रुपये किया गया। बजट आकलन 180 करोड़ रुपये था जिसे संशोधित आकलन में 126 करोड़ रुपये तक घटा दिया गया और वे एक ऐसे देश में जो गरीबी में कराह रहा है इस पर मात्र 40 करोड़ रुपये ही खर्च कर सके।

डा. नीतिश सेन गुप्ता विश्व भर में हर एक जगह से पैसा एकत्रित करने के इच्छुक हैं। हर प्रकार के अमीर लोग उनके पास आयेंगे। मैं नहीं जानता कि वह किस प्रकार के कल्पना लोक में रहते हैं। मैं आपको बजट के 3 लाख करोड़ रुपये इस पर खर्च करने को नहीं कह रहा हूं। भारत के शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगारों के सृजन के लिए मात्र 180 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया और आप 40 करोड़ रुपये भी खर्च नहीं कर सके। आपका उद्देश्य क्या एक ऐसी सरकार के पक्ष में खड़ा होना है। क्या शहरी गरीबों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए? क्या जन गरीबी के उन्मूलन में गति लाने का यह तरीका है? क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण में अर्थहीन शब्दों को रखने का यह तरीका है?

हमारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के व्यर्थ चले जाने का मात्र एक ही मूल कारण है। यह भारतीय जनता पार्टी की, पहले जो कुछ घटित हुआ उसके प्रति ईर्ष्या की भावना है। यह बिल्कुल वही है। पूर्व के महान प्रधानमंत्रियों के नाम को मिटाने की इच्छा ने भारतीय जनता पार्टी को गरीबों के लिए भली-भांति चल रहे कार्यक्रमों के पुनर्नामकरण और उनके पुनर्गठन का आनन-फानन में प्रयास किया। यह बदलाव बिना सोचे-समझे थोप दिए गए और इसके समान दूसरे कार्यक्रमों को लाए जाने पर विचार नहीं किया गया। यह जो अंधाधुंध बदलाव बिना सोचे-समझे ईर्ष्यावश किए गए उसका सर्वाधिक असर सबसे नीचे के गरीब तबके को हुआ। मैं समझता हूं कि इसका खुलासा इन्दिरा आवास योजना के साथ जो कुछ घटित हुआ उससे स्पष्ट है।

वित्त मंत्री महोदय ने गत वर्ष अचानक ही एक नई समग्र आवास योजना की बिना सोचे-समझे घोषणा की। समग्र आवास योजना और पुरानी इन्दिरा महिला योजना दोनों की दोनों बुरी तरह फ्लाप रहीं। वे इतनी बुरी फ्लाप पहले कभी नहीं रहीं

[श्री मणिशंकर अय्यर]

जितनी कि पिछले वर्ष। अत:, नई समग्र योजना के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि, उनकी अपनी रिपोर्टों के अनुसार, लगभग नगण्य रही है अथवा यह उपलब्धियां इतनी कम रहीं कि उन्होंने इनकी रिपोर्ट तक नहीं थी। समग्र आवास योजना के अंतर्गत अपनी उपलब्धियों को उन्होंने बताने से मना कर दिया। इसी बीच पुरानी इन्दिरा आवास योजना भी धूल चाट गयी। गत वर्ष इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत कितने मकान बनाये गये? मैं ग्रामीण विकास विभाग के कार्य निष्पादन बजट के उस पृष्ठ 7 की ओर आता हूं। मैं सब कुछ एक पृष्ठ से बता रहा हूं इसी में सब कुछ है मैं पुन: उसी पृष्ठ का संदर्भ दे रहा हूं। इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाये गये मकान उससे पिछले वर्ष बनाये गये मकानों की तुलना में आधे थे। वर्ष 1998-99 के [illegible] भवन बनाये गये इसकी तुलना में वर्ष 1999-[illegible] मकान बनाये गये। मैं जानता हूं कि यह [illegible]99 तक के हैं। किन्तु, हमारी जांच से यह स्पष्ट है कि इस वर्ष के अंतिम 3 महीनों में वे कितना ही प्रयास क्यों न करें, वे 1 लाख से अधिक मकान नहीं बना सकते। इसका अभिप्राय यह है कि वर्ष 1999-2000 के अन्त तक 3 लाख ही मकान होंगे जो कि गत वर्ष बनाये गये मकानों की संख्या से कम हैं। क्या वह गरीबों के लिए चिंता का विषय है? इसीलिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 13 में कहा गया है "इसमें देश का भविष्य हमारे बच्चों और युवाओं में निहित है। इसके पैरा 15 में विकास में महिलाओं की प्रमुख भूमिका पर जोर डाला गया है। इसे मैं अब उद्धृत कर रहा हूं:

> "कोई भी राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि वहां की महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा न हो, वे शिक्षित न हों और वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में पुरुषों की सहभागी न हों।"

हम इसके प्रत्येक शब्द से सहमत हैं। परंतु महिलाओं और बच्चों के विकास के संबंध में सरकार का कार्य-निष्पादन कैसा रहा है? अब हम महिला और बाल विकास विभाग में कार्य-निष्पादन बजट पर विचार करेंगे। अब हम पृष्ठ 51 की ओर चलते हैं, जिसमें समेकित बाल विकास योजना का उल्लेख है। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि इस योजना पर इस विभाग के कुल व्यय का 70 प्रतिशत खर्च होता है।

**अपराह्न 5.00 बजे**

**(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए)**

सातवीं योजना से आठवीं योजना के मध्य स.वा.वि.पो. परियोजनाओं में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ये परियोजनाएं 2600 से बढ़कर 3946 हो गई। नौवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में, कोई भी नई स.वा.वि.पो. नहीं बनाई गई। पिछले वर्ष मात्र 130 परियोजनाएं बढ़ाई गई थीं। इस प्रकार, पिछली कांग्रेस सरकार, जो सातवीं और आठवीं योजना में सत्तासीन रहीं, के शासनकाल में उपर्युक्त परियोजनाओं में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जबकि राजग के अंतर्गत यह वृद्धि तीन प्रतिशत रही, फिर भी वे कहते हैं कि उन्होंने भारत में बच्चों को अच्छी स्थिति प्रदान की हुई है। वे राष्ट्रपति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र का भविष्य बच्चों में निहित है। विगत की तुलना में केवल तीन प्रतिशत वृद्धि हुई है। आप यह कैसे उम्मीद करते हैं कि कोई इस पर विश्वास करे।

अब महिलाओं की बात करते हैं। महोदय, पुन: पृष्ठ 7 पर आएं। मेरे विचार से यह पृष्ठ वास्तव में सरकार की निन्दा करता है। महिला और बाल विकास विभाग के कार्यनिष्पादन बजट के पृष्ठ सात और आठ यह इसे बहुत रोचक बना देता है इसमें कहा गया है कि बालिका-समृद्धि योजना हेतु 40 करोड़ में से जनवरी, 2000 तक एक पैसा भी व्यय नहीं किया गया है। बालिका वर्ष में उन्होंने इस योजना का एक पैसा खर्च नहीं किया और वे बातें करते हैं कि हमारे राष्ट्र का भविष्य हमारे बच्चों में है। क्या हमारे बच्चों को वंचित रखने का यही तरीका है? क्या यही तरीका है जिसके द्वारा आप इसके बच्चों के आधार पर राष्ट्र निर्माण करते हैं? इसमें महिलाओं के लिए 'स्वशक्ति' कार्यक्रम का भी उल्लेख है। स्वशक्ति कार्यक्रम को देखकर इस संसद ने 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। उन्होंने कितना खर्च किया? 10 करोड़ में से महिला समृद्धि योजना पर वे केवल 10 लाख रुपये खर्च कर पाये। उनके पास कितने अच्छे-अच्छे जुमले हैं। वे सभी कवि हैं; वे प्रशासक नहीं हैं।

महिला समृद्धि योजना के लिए 2 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है और मात्र 12 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। यह सबसे बुरी बात है। इंदिरा-महिला योजना हेतु 10 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की तुलना में मात्र 2 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

*[हिन्दी]*

इनको इंदिरा जी के नाम से क्यों इतनी नफरत है-समझ में नहीं आता।

*[अनुवाद]*

महोदय, जब 10 करोड़ में से वे मात्र 2 लाख रुपये खर्च करते हैं, तो हमें क्या विश्वास होगा?

मैं राष्ट्रपति महोदय, के अभिभाषण के पैरा 15 को उद्धृत करता हूँ, जिसमें यह आश्वासन दिया गया है।

> "इंदिरा महिला योजना को और अधिक प्रभावी और व्यापक बनाया जायेगा।"

वे 10 करोड़ में से 2 लाख रुपये खर्च करते हैं और हमसे यह आशा करते हैं कि हम यह विश्वास करें कि वे इंदिरा महिला योजना को और अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने में समर्थ हैं।

महोदय, मैं महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति, विशेष रूप से सभापति, श्रीमती मारग्रेट अल्वा से अनुरोध करूंगा- वह मेरी पार्टी में हैं, इसलिए, मैं स्वयं उन्हें यह सूचित कर दूंगा–कि वह इंदिरा महिला योजना की बिगड़ती स्थिति पर विशेष ध्यान दें क्योंकि इसे श्री राजीव गाँधी ने शुरू किया था जब श्रीमती मारग्रेट अल्वा उनके मंत्रिमंडल की सदस्य थीं।

इसे श्री पी.वी. नरसिंहराव, नीतिश बाबू यहां उपस्थित हैं–और उनकी मंत्री ममतादी हैं-ने आगे बढ़ाया। इस इंदिरा महिला योजना को तैयार करने के लिए मैंने ममतादी के साथ शास्त्री भवन में घंटों बैठकर काम किया और नीतिश बाबू स्वयं इस परियोजना को मंजूरी देने के लिए योजना आयोग में बैठे हुए थे। वह इसको तैयार करने के समय वहां मौजूद थे। अपने अमरीकी मित्रों से आने वाले अरबों डालर का स्वप्न देखने की बजाय, मैंने उन्हें कहा कि हमने, इस संसद ने इंदिरा महिला योजना पर 10 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति दी है परंतु केवल 2 लाख रुपये खर्च किए हैं। क्या मेरे मित्र और उनके अपने नेता, ममतादी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का यही तरीका है? अब माननीय मंत्री, श्री मुरली मनोहर जोशी ने अपने राज्य मंत्री साधवी सुश्री उमा भारती की समर्थ सहायता से इसी कार्यक्रम की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने इसे 1999-2000 में समाप्त कर दिया।

महोदय, मैं यहां मंत्रीगण को एक मिनट ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। मेरे विचार में यह नितान्त अनुचित है, हमारे पास दो कनिष्ठ मंत्री हैं। आप जरा सुन तो लीजिए। अलग बातचीत करने की बजाय, मैं इन मंत्रीगण के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि श्रीमती सुमित्रा महाजन को सुश्री उमा भारती और श्री मुरली मनोहर जोशी के मुकाबले अपनी बहनों के प्रति दयालु होना चाहिए।

महोदय, गरीबों में सबसे अधिक ऐसे लोग प्रभावित होते हैं, जो वर्षा सिंचित और शुष्क क्षेत्रों में रहते हैं, जहां तिलहन, मोटा अनाज और दालें उगाई जाती हैं। मेरे हाथ में 14 मार्च, 2000 का बिजनस स्टैण्डर्ड है, जिसमें सेंटर फार आयल इंडस्ट्री और ट्रेड तथा वी.एम.ए. आयलसीड रिसर्च एण्ड डवलपमेंट इंस्टीट्यूट के निष्कर्ष हैं। मेरे पास रेपसीड, सरसों के तेल पर राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही संबंधी 26 मार्च, 2000 के हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। इन दो संगठनों और सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष जो इन दो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं कि खरीफ की फसल वर्ष 1998-99 की तुलना में वर्ष 1999-2000 में 2.6 मिलियन टन कम थी और रबी फसल का उत्पादन 1.6 लाख टन कम हो गया। परिणामत:, खाद्य तेल का उत्पादन 13 प्रतिशत कम हो गया। उसकी मुख्य-पंक्ति यह है।

महोदय, मैं उस रिपोर्ट से उद्धरण देना चाहूंगा। इसमें कहा गया है:

> "इसी दौरान, खाद्य तेलों के बढ़ते हुए आयात ने सरसों उगाने वाले किसान और तेल निर्माताओं को बर्बाद कर दिया है।"

इन दोनों रिपोर्टों में कहा गया है कि भारत का केवल एक राज्य ऐसा है, जहां वर्ष 1999-2000 के दौरान तिलहन उत्पादन का क्षेत्र बढ़ा है और वह राज्य है, मध्य-प्रदेश, अविस्मयकारी बात यह है कि वहां कांग्रेस पार्टी का शासन है। इसी प्रकार, अन्य शुष्क-भूमि की फसलों का नुकसान हुआ है।

महोदय, पिछली बार बजट पर चर्चा के दौरान, जब आप इस आसन पर विराजमान थे, तो मैंने वित्त मंत्री को बताया था कि उनके अपने आर्थिक-सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि वर्ष 1999-2000 में ज्वार, बाजरा, मकई आदि मोटे अनाजों का उत्पादन पूर्व वर्ष की तुलना में दो मिलियन टन कम हो गया और गत वर्ष दालों का उत्पादन उससे पिछले वर्ष की तुलना में एक मिलियन टन कम था।

महोदय, ऐसे समय में, जब कृषि उत्पादन कम हो रहा है, गरीब किसान सबसे अधिक कष्ट उठा रहे हैं, गरीबी हटाओ कार्यक्रम समाप्त हो रहे हैं, मैं मंत्रीगण, सरकार और अपने मित्र, श्री नीतिश बाबू जो योजना आयोग के सचिव, वित्त सचिव तथा अनेक समितियों के सभापति रह चुके हैं, से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें याद भी है, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या उर्वरक पर राजसहायता कम करने का क्या यही उचित समय है? मैं सब कुछ समझता हूं कि उर्वरक राजसहायता को किस प्रकार विवेकपूर्ण बनाये जाने की आवश्यकता है। परंतु उन्हें ऐसा तब करना चाहिए था जबकि किसानों की फसल अच्छी हो और वे इस अतिरिक्त भार को वहन कर सकें।

परंतु वह चिंतित है कि क्या 40 वर्ष पहले उर्वरक राजसहायता 300 करोड़ रुपये थी और वह कितना वहन कर सकते हैं तथा क्या उससे अधिक उसे किया जा सकता है। यदि आप 15,000

[श्री मणिशंकर अय्यर]

करोड़ रुपये की उर्वरक राजसहायता वहन नहीं कर सकते, तो क्या गुजरात और राजस्थान के किसान उसे वहन कर सकते हैं? वे पिछले 15 वर्षों में सबसे भयंकर सूखे का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय, आप जाकर उनसे कहें, कि "चूंकि राजसहायता आपके लिए लक्षित नहीं है, अत:, मैं राजसहायता कम करने जा रहा हूं। आप चिंता न करें। इससे आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।" यदि इसका उन पर प्रभाव नहीं होगा, तो फिर संसद भवन के बाहर वे राजसहायता में कमी की मांग क्यों कर रहे हैं?

डा. नीतिश सेनगुप्ता कोई किसान नहीं है। वह अन्य सब कुछ हैं। परंतु वह किसान नहीं हैं। अत: वह नहीं जानते कि जब उर्वरक राजसहायता में कटौती की जायेगी, तो इसका प्रभाव कहां होता है। परंतु, महोदय, आप किसान है। अत:, आप को ज्ञात है कि जब उर्वरक राजसहायता कम की जाती है, तो प्रभाव होता है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: मुझे नहीं लगता कि आप भी किसान होंगे।

**श्री मणिशंकर अय्यर:** मैं किसान नहीं हूं परंतु मैं उनके प्रति बहुत अधिक चिंतित हूं।

**डा. नीतिश सेनगुप्ता:** मेरा निर्वाचन कृषक बहुल संसदीय क्षेत्र से हुआ है।

**श्री मणिशंकर अय्यर:** मैं किसान नहीं हूं। परंतु मैं निर्धन लोगों में रुचि लेता हूं। और यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं गरीब पैदा नहीं हुआ। परंतु यह बात मुझे इससे विलग नहीं करती अथवा अयोग्य नहीं ठहराती कि मैं गरीबों में रुचि रखूं। मुझे विश्वास है कि भारत के कृषक-भारत के गरीब लोग ऐसा नहीं सोचते कि इस वर्ष जबकि उनकी, उपज इतनी खराब रही है, ऐसे समय में हमें उर्वरक राजसहायता कम करनी चाहिए *...(व्यवधान)*

यह भी विडंबनापूर्ण है कि सभी सरकारों की यह सरकार पैरा 9 में राष्ट्रपति महोदय से इस बात पर जोर डालने को कहती है। यह वास्तव में हास्यास्पद है। इसमें उन्होंने राष्ट्रपतिजी से कहलवाया है: हमारे पास कृषि में पर्याप्त पूंजी निर्माण होना चाहिए। यह एक अच्छा विचार है। परंतु आपने दो वर्ष पूर्व ऐसा क्यों नहीं किया? पूंजी निर्माण में क्या किया जा रहा है?

मैं पुन: आर्थिक सर्वेक्षण पर आता हूं। डा. नीतिश सेनगुप्ता कभी यह "आर्थिक सर्वेक्षण" लिखा करते थे, वह जानते हैं कि इसे कैसे पढ़ा जाता है। और यह वह इसे पढ़ेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि पिछले कई वर्षों में बचत और निवेश अनुपात दोनों में गिरावट आई है और इसमें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कृषि ही है।

इन सबके बारे में, इकानॉमिक सर्वे में सविस्तार विवरण दिया गया है। मुझे वह सब यही दुहराने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु मुझे इस सरकार का ध्यान जिस ओर आकर्षित करने की आवश्यकता है, वह है जल संसाधन मंत्रालय का संसाधन बजट। आज एक बार फिर मैं उसी पृष्ठ 51 पर आता हूं। ऐसा लगता है कि उनका दुर्भाग्य पृष्ठ 7 और पृष्ठ 51 पर ही है। उन्होंने बताया कि खेतों की सिंचाई करने वाली नहरों (फील्ड चैनल्स) और "बाड़ाबन्दी" का कार्य किस प्रकार हुआ, जिसके बिना बड़े-बड़े बांधों से पानी खेतों तक नहीं पहुंच सकता है। यह तालिका इनके संबंध में बताती है कि जबकि आठवीं योजना अर्थात् 1992-97—1996 तक हम शासन में थे-में नहरों के निर्माण संबंधी उपलब्धि 132 प्रतिशत थी। इसका अर्थ है कि हमारा कार्य निष्पादन, जो योजना बनाई गई थी, उससे एक तिहाई ज्यादा था, जबकि इन लोगों के शासन में यह 33.89 प्रतिशत तक कम हो गया है। यह उन लक्ष्यों का एक तिहाई, जो उन्होंने स्वयं निर्धारित किये थे। जब 'बाड़ाबन्दी' की बात करते हैं, तो वह वस्तुत: समान ही है। आठवीं योजना में हमारी उपलब्धि 97.15 प्रतिशत थी। जरा इसे सुनिये। आपकी उपलब्धि गत वर्ष 11.13 प्रतिशत थी। हाल ही में इसमें कुछ सुधार हुआ लगता है। अत: यदि मैं उन्हें श्रेय दूं, तो भी 97 प्रतिशत की तुलना में केवल 20 प्रतिशत उपलब्धि के लिए ही दे सकता हूं। उन्होंने 132 प्रतिशत की तुलना में 34 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की है। फिर भी वे हमसे यह विश्वास करने की अपेक्षा करते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है और हमें भारत के निर्धनों को नहीं अपितु अमरीका के अमीरों को देखने की आवश्यकता है। यह इस तरह की विकृति है, जो सुधारों के नाम पर धब्बा है। मैंने ये आंकड़े उद्धृत किये हैं। मैंने ये आंकड़े इस सभा में पिछली बार बजट पर सामान्य वाद-विवाद में बोलते हुये भी उद्धृत किये थे और मेरे मित्रों ने तुरन्त ही सख्त लहजे में जवाब दिये थे कि—सौभाग्य से सबसे ज्यादा विघ्न डालने वाला व्यक्ति यहां नहीं है।

*[हिन्दी]*

ये आंकड़ों का जाल है। ये सारे आंकड़े आपके आंकड़े हैं। आंकड़े तथ्य पर आधारित है। तथ्य सत्य बोलते हैं, यह कोई माया जाल नहीं है, यह सच्चाई का जाल है।

कृपया याद कीजिए कि मैंने किसी भी तरह से उसके अलावा कुछ भी नहीं कहा, जो उन्होंने स्वयं इस सभा के पटल पर प्रस्तुत किये गये सरकारी दस्तावेजों में बताया था। महोदय, हम

इस नगण्य, दुखदायी, अनर्थकारी कार्यनिष्पादन को देखते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 11 में किये गये उन दावों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि गरीबी हटाओ कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जायेगा, उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित किया जायेगा और उनकी सतत निगरानी की जायेगी। उनकी संस्कृतप्रधान हिन्दी ही नहीं, अपितु अंग्रेजी भी शब्दों के चरम को छूती है। वे मात्र बाते करते हैं। वे कुछ नहीं कर सकते। इन शब्दों, शब्दों और शब्दों की क्या महत्ता है जबकि उनके आंकड़े वही दर्शाते हैं, जो कि भारत की गरीब जनता जानती है और वह यह है कि उनको बिल्कुल भी उनकी परवाह नहीं, भारत की गरीब जनता उनकी चिन्ता का विषय नहीं। उनकी सारी चिन्ता विश्व के शेष अमीर लोगों के बारे में है, इसलिए मैं इसे अत्यन्त अपमानजनक समझता हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** श्री खुराना की बात पर ध्यान दें।

**श्री मणिशंकर अय्यर:** खुराना साहब, आइए आपका ही जिक्र हो रहा था, तशरीफ रखिये। महोदय एक दिन प्रधानमंत्री जी ने आनन्द में कहा था कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम असफल हो गये हैं। हम इस मूल्यांकन को स्वीकार नहीं करते। वस्तुत: गरीबी हटाओ कार्यक्रम असफल नहीं हुये हैं, बल्कि यह सरकार इन गरीबी हटाओ कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में असफल हो गई है।

इस समय मेरे हाथ में ग्रामीण विकास मंत्री श्री माननीय श्री सुन्दरलाल पटवा द्वारा 16 फरवरी 2000 के "दी हिन्दुस्तान टाइम्स" में दिए गए साक्षात्कार का विवरण है। मुझे बहुत खेद है कि वे अभी अनुपस्थित हैं और इससे भी ज्यादा इस बात का दु:ख है कि वे गरीबी को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। उनका मध्य प्रदेश के एक ऐसे कांग्रेसी मुख्यमंत्री से किसी तुच्छ से मुद्दे पर बैर है, जिन्हें उनके पंचायती राज और गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के संबंध में किये जा रहे कार्यों के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा एक बार हाल ही में पुन: सम्मानित किया गया है। चूंकि मुख्यमंत्री दिग्विजिय सिंह जी, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के मुख्य राजनैतिक प्रतिस्पर्द्धी हैं, वे इस दृष्टि से बहुत सफल हैं, और विश्वभर से इसके लिए सम्मान भी पा रहे हैं, इसीलिए पंचायती राज और निर्धनता हटाओ कार्यक्रमों के प्रति ग्रामीण विकास मंत्री का रवैया पक्षपातपूर्ण है।

उन्होंने उस साक्षात्कार में बातचीत के दौरान जो कहा वह शीर्षक रूप में छपा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की पूर्णत: उपेक्षा की गई; वह कहते हैं कि नेहरूवादी शासन प्रणाली के अधीन सभी बड़ी उपलब्धियां, केवल कागजों पर हुई हैं। उनकी राय में गरीबी हटाओ केवल एक नारा मात्र है। वे चाहते हैं कि हम इस बात पर विश्वास करें कि केवल अटल बिहारी वाजपेयी के अधीन ही ग्रामीण विकास को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की गई है। चूंकि उन्हें मंत्री बनाया गया है, इसीलिए वे सोचते हैं कि ग्रामीण विकास को अभी ही शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की गई है। ऐसा लगता है कि उन्हें अभी पता नहीं है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय में कितनी धांधली है। 'नाच न जाने, आंगन टेढ़ा।'

गरीबी हटाओ कार्यक्रम चलाने का यह कोई तरीका नहीं है, भारत के निर्धनों को देखने का यह कोई तरीका नहीं है, उपलब्धि की निन्दा करने का यह कोई तरीका नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमने शासन शुरु किया तो हमारी दो तिहाई जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही थी और आज दो तिहाई से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा से ऊपर जीवनयापन कर रही है। हमने अवश्य ही कुछ न कुछ किया है। हमने पर्याप्त नहीं किया है, किन्तु आज वे सत्ता पक्ष में बैठकर उसी प्रकार बोलें, जिस प्रकार पैंतालीस वर्ष तक विपक्ष में बैठकर बोलते रहे।

*[हिन्दी]*

कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, यह आंकड़ों का जाल है।

*[अनुवाद]*

तो इससे आपका किस प्रकार का दायित्व लक्षित होता है?

मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी यह स्वीकार करें और मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन तक यह संदेश पहुंचा दें कि वर्ष 1999-2000 निर्धनों के लिए इस दशक का दूसरा सबसे खराब वर्ष रहा है। वर्ष 1990-91 और भी सबसे खराब वर्ष था, जब श्री यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैंने तथ्यों की शृंखला पेश कर दी है, यदि सत्ता पक्ष में बैठने वाले ये लोग गम्भीरता से अपना दायित्व निभाने की इच्छा रखते हैं तो वे इस बारे में घटिया मजाक करने की बजाय इसे सुन रहे होते।

महोदय वर्ष 1999-2000 भारत के निर्धनों के लिए इस दशक का दूसरा सबसे खराब वर्ष था। इस दशक का पहला सबसे खराब वर्ष 1990-91 था, जब श्री यशवंत सिन्हा, समाजवादी अवतार के रूप में, पहली बार भारत के वित्त मंत्री बने। यशवंत सिन्हा चाहे समाजवादी बने रहे अथवा केसरिया रंग में रंगे रहे, उनके वित्त मंत्री बनते ही निर्धनों पर तत्काल कहर टूट पड़ा। वास्तव में ग्रामीण आपके घटने और गरीबी हटाओ कार्यक्रमों की

[श्री मणिशंकर अय्यर]

असफलता के परिणामस्वरूप, विशेष रूप से निर्धन महिलाएं, नवजात शिशु और विद्यालय जाने वाले बच्चे पीड़ित हुए हैं, इस बारे में इस सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया कैसे जाहिर की? इस सरकार ने निर्धनों के पेट पर लात मारकर अपनी प्रतिक्रिया दर्शायी है।

महोदय, मैंने इसी शब्दावली का बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान भी प्रयोग किया था। सत्ता पक्ष की ओर से किसी ने इस पर आपत्ति की थी और अध्यक्षपीठ से इस पर निर्णय के लिए भी मांग की थी कि जिस शब्दावली का मैंने प्रयोग किया था, वह संसदीय था या असंसदीय। महोदय, वास्तव में वहां आप ही थे क्योंकि उस समय आप पीठासीन थे। वाद विवाद के रिकार्ड दर्शाते हैं कि उस शब्दावली को कार्यवाही सारांश से नहीं निकाला [illegible]लिए अत्यन्त गम्भीरता से मैं दुहराता हूं कि इस के पेट पर ऐसे समय में लात मारी, जब [illegible] वास्तविक आय घट गई है, जब कृषि क्षेत्र में आय में वृद्धि नहीं हो रही है, जब गरीबी हटाओ कार्यक्रम असफल हो गये हैं और जब गरीबों के लिए बना सामाजिक सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। ऐसे समय में यह सरकार कहती है कि हम गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यों में 60 प्रतिशत तक वृद्धि कर रहे हैं। वह कहते हैं, "हम गेहूं का मूल्य बढ़ा रहे हैं, हम चावल का मूल्य बढ़ा रहे हैं, हम चीनी का मूल्य बढ़ा रहे हैं, हम मिट्टी के तेल का मूल्य बढ़ा रहे हैं और हम रसोई गैस का मूल्य बढ़ा रहे हैं। क्या इस सरकार के पास दिल भी है? या दिमाग भी खोखला है? यहां तक कि वह अपने राजग सहयोगियों की बात भी नहीं सुनती। मैं गत सत्र के दौरान, सारे बजट संबंधी वाद विवाद के दौरान यहां बैठा रहा। मैंने पूर्व खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री डी.पी. यादव को सुना, जिन्होंने विवेकपूर्ण ढंग से हस्तक्षेप किया था। मैंने सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों की दलीलों को भी सुना और मैंने संबंधित मंत्री श्री शान्ताकुमार के भावपूर्ण उत्तर को भी सुना। मैंने सुना और हम सभी ने सुना किन्तु सरकार ने अपने कान बंद कर रखे हैं। वे दृढ़तापूर्वक इसी बात पर बल दे रहे हैं कि ये कीमतें बढ़ी ही रहेंगी। वे इतने अड़ियल क्यों हैं?

महोदय, खाद्यान्न पर कुल राजसहायता 8000 करोड़ रुपये है। इस सरकार का गैर योजना व्यय 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये है। इसप्रकार खाद्यान्न राज सहायता इस सरकार के गैर योजना व्यय का मात्र 6 प्रतिशत है। यह मात्र छह प्रतिशत है। क्या सरकार किसी अन्य क्षेत्र में बचत नहीं कर सकती? नीतिश बाबू विपक्ष में बैठकर जो भाषण दे रहे हैं कि भारतीय खाद्य निगम के प्रचालन को किस प्रकार अधिक दक्षतापूर्ण और कम भ्रष्टाचार वाला बनाया जा सकता है, उसका क्या औचित्य है? उन्होंने सरकार से हाथ मिला लिया है। वह भाषण सत्ता पक्ष को सुनाया जाना चाहिए। वह हमें सरकार के आकार [illegible] कम करने के व्यापक प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। मैं जानता हूं कि उनके नेता राजग सहयोगियों के साथ एक बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री के आवास गये थे, जैसा कि बाहर बताया गया है कि उनके द्वारा सरकार के आकार को कम करने के प्रस्ताव को अन्य किसी ने नहीं बल्कि ममता जी ने ही अस्वीकृत कर दिया। फिर भी वे हमें भाषण देने यहां आते हैं। उन्हें अर्थशास्त्र पर ममता जी को भाषण देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय** (उत्तर-पूर्वी कलकत्ता): सभापति महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ...*(व्यवधान)*

**श्री मणि शंकर अय्यर:** ठीक है, यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो ...*(व्यवधान)*

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय:** महोदय, वे शानदार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वे बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ...*(व्यवधान)*

**श्री वैको** (शिवकाशी): महोदय हम राजग के सदस्य हैं। मैं भी राजग का सदस्य हूं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वे बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ...*(व्यवधान)*

**श्री मणिशंकर अय्यर:** मैंने कहा था कि यह समाचार पत्रों में छपा था। उस दिन में उपस्थित नहीं था ...*(व्यवधान)*

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय:** वह बिलकुल गलत बोल रहे हैं। वे सब श्री गनी खां चौधरी द्वारा दिये गये वक्तव्य से डरे हुए हैं। उनका ध्यान पूरी तरह से इस बात से हट गया है ...*(व्यवधान)*

**श्री मणिशंकर अय्यर:** ये आकार कम करने का भाषण हमारे लिये नहीं है। इन भाषणों को ...*(व्यवधान)*

**डा. नीतिश सेनगुप्ता:** सभापति महोदय, वास्तव में, पिछले वर्ष के रेल बजट को विशेषता यह थी कि पहली बार किराया बढ़ाकर नहीं, बल्कि खर्चों को कम करके घाटे को पूरा किया गया था ...*(व्यवधान)*

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): इसे माल भाड़ा बढ़ाकर पूरा किया जाना था।

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय:** बिल्कुल नहीं। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। यहां तक कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने बजट पेपरों की प्रशंसा की थी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?

**डा. नीतिश सेनगुप्ता:** ऐसा व्यय में कटौती की वजह से है।

**श्री मणिशंकर अय्यर:** सभापति महोदय, सरकार के अवसर में कैसे कमी लानी है, इस विषय में किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा डा. नीतिश सेनगुप्ता बेहतर जानते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि शुरुआत रेल मंत्रालय से की जाए। देखें, वे रेलवे में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या में कैसे कटौती करते हैं और अगली बार कैसे निर्वाचित होते हैं। देखते हैं कि ये व्याख्यान नीतियों का रूप लें। हम इसे देखेंगे। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भूल जाएं। उनको कुछ सचिवों को हटाने के साथ शुरुआत करने दें। वे कहते हैं कि उन पर उन्हें बहुत गर्व है *...(व्यवधान)* नहीं, मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की है *...(व्यवधान)*

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय:** आपको कुमारी ममता बनर्जी को कोई ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं कि ये कैसे किया जाएगा और हम इसे कैसे करेंगे।

**श्री वैको:** वे पहले से ही समाप्ति की ओर हैं। चिन्ता न करें।

**श्री मणिशंकर अय्यर:** उन्होंने कहा कि उन्हें नवगठित विनिवेश मंत्रालय पर गर्व है और जिसमें एक और सचिव की आवश्यकता होगी। जिस बात का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है वह यह है कि पुराने ग्रामीण विकास मंत्रालय में कुल मिलाकर एक सचिव होता था, जहां एक सिविल सेवक के तौर पर मैंने उनके साथ काम किया था, अब उस मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग के लिए एक सचिव है। उनके पास भूमि संसाधन विभाग के लिए एक सचिव है। पेयजल विभाग के लिए एक सचिव है। एक आवास मंत्रालय है। उनके पास अब एक शहरी विकास मंत्रालय और एक शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** एक सचिव सहयोगी दलों की देखभाल के लिए है।

**श्री मणिशंकर अय्यर:** इसलिए, गैर योजना व्ययों में कटौती के लिए बहुत गुंजाइश है जिससे खाद्य पर राजसहायता बनाए रखने के लिए 6 प्रतिशत बचया की जा सकता है। लेकिन गैर योजना प्रकार के गैर जरूरी व्ययों को समाप्त करने वाले कदम उठाने और आवश्यक गैर योजना व्ययों को बनाए रखने के स्थान पर—मैं नहीं समझता कि गरीबों को सुनिश्चित भोजन उपलब्ध कराने से ज्यादा आवश्यक कोई चीज होगी—वे कटौती करना चाहते हैं, वे गरीबों को परेशान करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है कि यही एकमात्र उपाय है? *...(व्यवधान)*

**श्री वैको:** आप बिहार में ज्यादा विभाग पाने के लिए आपकी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी:** वे उत्तर प्रदेश की बराबरी कर रहे हैं जहां 93 मंत्री हैं।

**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** (कनारा): वहां 110 हैं *...(व्यवधान)*

**श्री मणिशंकर अय्यर:** जब हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम मूल्य की बात करते हैं, वित्त मंत्री जी हमें बताएं, जैसा कि उन्होंने पिछले महीने सामान्य वाद-विवाद के दौरान हमें बताया था कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। उन्होंने भी वही बात कही जो डा. नीतिश सेनगुप्ता ने कही थी कि श्री माधवराव सिंधिया महाराजा हैं और मैंने विदेश में शिक्षा पायी है। यह क्या तर्क हुआ? कांग्रेस पार्टी की श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्री माधवराव सिंधिया को महाराजापन से अलग किया था और आज वह कांग्रेस पार्टी के उपनेता हैं। मैंने विदेश से डिग्री प्राप्त करने का पाप जरूर किया है किन्तु मैं गरीबी उन्मूलन संबंधी आपके पत्रों को पढ़ने तथा गरीबों के साथ क्या हो रहा है इसे जानने का प्रयास करता हूं।

महोदय, जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस घड़ियालू आंसू बहा रही है उन्होंने तर्क दिया था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम मूल्य जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय के मूल्यों से मात्र 18 प्रतिशत अधिक है। इन्होंने यह बात कही। इन्होंने यह अच्छी बात कही है। लेकिन उस समय मुझे अवसर नहीं दिया गया। इसीलिए अब मैं इसका लाभ यह कह कर उठा रहा हूं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि हमने इन कीमतों को गरीबों पर असहनीय बोझ माना और हमने पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरु की जिसके अंतर्गत देश के सर्वाधिक गरीब वर्ग को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम मूल्य के लगभग आधे मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराए गए। बाद की सरकारें हमारे क्षेत्र दृष्टिकोण से हटकर गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा के नीचे दृष्टिकोण को अपनाया जो हमारे विचार से प्रशासनिक दृष्टिकोण से दुरुह है और इसमें कई खामियां हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर के परिवारों के बीच अन्तर करना सिद्धान्ततः उचित है। जबकि दुखद बात यह है कि अपनी विरासत को मजबूत करने के बजाय इस सरकार ने अपने सरकार संचालन के भयानक रिकार्ड के कारण उत्पन्न आर्थिक खर्चों की भरपाई के लिए गरीबों और किसानों पर कटौती की है।

हम देश के गरीबों की ओर से इसका विरोध करते हैं। हम सरकार के विरुद्ध विरोध करते हैं। उनके पास अमीरों के लिए समय है—यह सरकार अमीरों की सहायता के लिए दौड़ती है

[श्री मणिशंकर अय्यर]

लेकिन गरीबों की पुकार के प्रति अपने कान बन्द कर लेती है।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री उन बेचारे अमीर विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए 24 घंटे के भीतर उपाय ढूंढ लेते हैं जो स्वयं वित्त मंत्री द्वारा भेजे गए आयकर के नोटिसों को अवमाननापूर्वक अस्वीकार कर देते हैं। ये विदेशी संस्थागत निवेशक उसके बाद जैसे एक छोटा बच्चा वैशाखी पर पतंग के साथ खेलता हुआ उसे कभी ऊपर और कभी नीचे ले जाता है उसी प्रकार शेयर बाजार को कभी ऊपर तो कभी नीचे कर के छोटे निवेशकों को बंधक बना लेते हैं। विदेशी कर्जों को लेकर जिस क्षण एस्सार संकटग्रस्त होता है तो सरकार और उसकी वित्तीय संस्थाएं उसकी [illegible] के लिए करतब पे करतब दिखाती हैं जैसा [illegible] के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में सुश्री सुचेता दलाल ने रेखाचित्र सहित वर्णित किया है। यह विजाग विद्युत संयंत्र के मामले में हिन्दुजाओं के विषय में उतना ही सत्य है जितना भारतीय उद्योग परिसंघ वाले श्री राहुल बजाज के मामले में क्योंकि उन्हें जो कुछ वह मांगें वही उन्हें मिल जाता है। जब दुनिया में सर्वाधिक अमीर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और उनके भारतीय भागीदार, भारत में सबसे अमीर कारपोरेट फर्में जब अपने टेल्कॉम लाइसैंस शुल्क को लेकर मुसीबत में फंसी तो यह सरकार उनको उबारने के लिए सामने आयी, बिना यह विचार किए कि हम युद्ध में फंसे पड़े हैं, बिना यह विचार किए कि सरकार जो भी राजस्व उगाह सकती है उसका हरेक पैसा सरकार को चाहिए। जब अमीरों की बात सामने आती है तो सरकार पूरे तौर पर सतर्क रहती है किन्तु जब गरीबों की बात आती है तो वित्त मंत्री अपने कान बन्द कर लेते हैं और अपने लिए जर्मनी का प्रथम श्रेणी का विमान टिकट कटा लेते हैं।

महोदय यह सरकार नहीं है, यह एक अनुकृति है। कोई भी इनके बहानेबाजी को गम्भीरता से नहीं ले सकता, हम तो निश्चित रूप से नहीं ले सकते। हमें गरीबों के लिए लड़ना चाहिए। हम आश्वस्त हैं कि शेष विपक्ष इस संघर्ष में हमारे साथ रहेगा। हम जानते हैं कि राजग के घटक दल दिल से हमारे साथ हैं।

**श्री जी.एम. बनातवाला:** (पोन्नानी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत के संविधान की समीक्षा के विचार को रद्द करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं।" (119)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी कर्मचारियों को आर.एस.एस. का सदस्य बनने अथवा उससे सम्बद्ध होने से रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (120)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवन और स्थान विनियमन विधेयक, 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति न दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (121)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोगों के धर्म को अपनाने, व्यवहार में लाने और प्रचार करने के अधिकार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (122)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी उन्मूलन के लिए विशेष योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं।" (123)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु अभिभाषण में अपंग, वृद्ध और विकलांगों के लिए राष्ट्रीय [illegible] और कल्याण नीति की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (124)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विभिन्न क्षेत्रों के विकास में असन्तुलन और देश के संतुलित विकास के लिए कार्ययोजना की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (125)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए ठोस योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (126)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्दू के संरक्षण संबंधी गुजराल समिति की सिफारिशों के तीव्र क्रियान्वयन के बारे कोई उल्लेख नहीं है।" (127)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस्लामी शिक्षा केन्द्रों, मदरसों, मस्जिदों, अल्पसंख्यकों, संस्थानों और अल्पसंख्यक लोगों के विरूद्ध प्रचार के जरिये देश में साम्प्रदायिक सौहार्द और सहिष्णुता को हो रहे नुकसान को रोकने की आवश्यकता और चिन्ता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (128)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिंसा के शिकार विशेषकर साम्प्रदायिक दंगों के शिकार लोगों को मुआवजा और उनसे पुनर्वास हेतु सांविधिक योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (129)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के लिए संसद, विधायिकाओं स्थानीय निकायों, सेवाओं और शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण के बारे में उल्लेख नहीं है।" (130)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी समस्या को हल करने और देश के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों को "बेरोजगारी भत्ता" देने के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। " (131)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में 'काम के अधिकार' को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (132)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में "आश्रय के आवास अधिकार" को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (133)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दसवीं कक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता और इसे संविधान में मौलिक अधिकार बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (134)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को मुफ्त राशन तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (135)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोकने के लिए प्रभावी औद्योगिक नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (136)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शीघ्र न्याय मुहैया कराने के लिए न्यायिक प्रक्रिया में शीघ्र सुधारों की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (137)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसी न्यूनतम सीमा के बिना आनुपातिक प्रतिनिधित्व को हमारी निर्वाचन प्रणाली में लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (138)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को चुनाव में मतदान अधिकार सुनिश्चित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (139)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डालर के मुकाबले रुपये की कीमत में गिरावट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (140)

[श्री जी.एम. बनातवाला]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोगों की विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (141)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए कार्य योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (142)

= में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाबरी मस्जिद संबंधी न्यायिक मामलों के शीघ्र निपटान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (143)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल में केन्द्रीय निवेश बढ़ाने और इसके चहुंमुखी विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (144)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल में जिला मालापुरम जिसका मुख्यालय तिरूर में है, के लिए अलग से एक सेकेन्डरी स्विचिंग एरिया (दूर-संचार) की स्थापना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (145)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल में बढ़ रही बेरोजगारी और राज्य में पर्याप्त रूप से रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (146)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल के मालापुरम जिले में पोन्नई में फिशिंग हारबर के शीघ्र विकास की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (147)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल के मालापुरम जिले में पोन्नई और तीरूर को जोड़ने वाली भारतपुझा नदी पर एक पुल बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (148)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल के मालापुरम जिले में डाक और तार सुविधाओं की बढ़ती आवश्यकता के मद्देनजर इन्हें पर्याप्त रूप से बढ़ाने की नितांत आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (149)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (150)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाबरी मस्जिद को गिराने के मामले में आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में चल रहे मुकदमों को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (151)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम को मजबूत बनाने और उसके कार्यकरण में सुधार लाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (152)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनावों के दौरान एक्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपयुक्त कानून बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (153)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मछुआरा समुदाय, जो कि हमारे समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग है, के कल्याण के लिए विशेष पैकेज और तटीय अवसंरचना के एकीकृत विकास की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (154)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चेचेन्या की स्थिति के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (155)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने के संबंध में सरकार के विचार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (156)

**श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की गलत ऋण वसूली के कारण बैंकों के ऋण-जाल में फंसे उद्यमियों के लिए सहायता उपायों और उत्तर पूर्व, विशेषकर असम में उद्योगों के रूग्ण होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है" (201)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम में बाढ़ की समस्या को हल करने संबंधी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। " (202)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (203)

**श्री त्रिलोचन कानूनगो** (जगतसिंहपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक और मानव संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति के 52 वर्षों के बाद भी उड़ीसा जैसे कतिपय क्षेत्रों के सततरूप से पिछड़ेपन के कारणों और उनके निदान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (245)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों के भारी ऋण बोझ को कम करने के लिए किसी प्रभावी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (246)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयले पर काफी समय से लंबित रॉयल्टी के उर्ध्वगामी पुनरीक्षण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (247)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पारादीप पत्तन को मुम्बई, चेन्नई, और कांडला जैसे अन्य पत्तनों के समकक्ष लाने के लिए इसके विकास के लिए कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (248)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पारादीप में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (249)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भुवनेश्वर में बीजू पटनायक हवाई अड्डे को पांच वर्षों की समयावधि के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (250)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे वर्ष घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उड़ीसा में पर्यटन स्थलों का विकास करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (251)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भुवनेश्वर से लेकर पुरी तक राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 203 के विकास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (252)

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अक्तूबर, 1999 में आये भीषण तूफान (सुपरसाइक्लोन) के कारण बर्बाद हुए क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यक्रमों के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (253)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वित्तीय संसाधनों की भारी कमी, विशेष रूप से सुपर साइक्लोन के बाद, को दूर करने के लिए उड़ीसा को 'विशेष श्रेणी का राज्य' के रूप में घोषित करने और प्राकृतिक संसाधनों की ले परंतु लंबे समय से उपेक्षित इस पिछड़े विकास की गति में तेजी लाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (254)

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आयातों पर से परिमाणात्मक प्रतिबन्धों के उठा लिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (272)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने हेतु किसी विशिष्ट योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (273)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (274)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दहेज निषेद अधिनियम, 1961 के कड़े कार्यान्वयन, जिससे कि देश में दहेज व्यवस्था का उन्मूलन किया जा सके, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (275)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, जिसने देश की आम जनता को प्रभावित किया है, के बारे में को उल्लेख नहीं है।" (276)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 के लागू किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (277)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र, देशीय या विदेशी, के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (278)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से निरक्षता के उन्मूलन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (279)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नादिया, हुगली और बर्धमान जिलों में हो रहे व्यापक भू-क्षरण को रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (280)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं के लिए समान अधिकारों, मजदूरी आदि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (281)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिला स्वास्थ्य और शिशु देखभाल के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (282)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (283)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में युवाओं के संबंध में एक नीति बनाए जाने की सरकार की इच्छा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (284)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न स्तरों पर बढ़ रहे भ्रष्टाचार और उसे रोकने हेतु प्रभावी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (285)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए नीति बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (286)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक क्षेत्र की रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने और विस्थापित श्रमिकों के पुनर्वास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (287)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को बढ़ते हुए लागत मूल्यों के अनुपात में कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी कीमत प्रदान किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (288)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असाधरण वृद्धि, जिससे कि वे आम जनता की पहुंच से बाहर हो रही हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (289)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दूरदराज क्षेत्रों में गरीब वर्गों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (290)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शहरी क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की तलाश में शिक्षित युवाओं के पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए सयमबद्ध कार्यक्रम बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (291)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डाक्टरों, वैज्ञानिकों, तकनीशियनों एवं विशेषज्ञों के अबाध प्रतिभा-पलायन को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (292)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ रही बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगार युवाओं की कठिनाइयां दूर करने हेतु उन्हें बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (293)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ई.सी.एल. की 90 कोयला खदानें बंद किये जाने से 1 लाख श्रमिकों के रोजगार विहीन हो जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (294)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस्पात तथा अन्य उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए सीमा शुल्क कम किए जाने और उत्पाद-शुल्क बढ़ाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (295)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध कराए जाने हेतु विधेयक के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (296)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में भूमि सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन पर निगरानी रखे जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (297)

[श्री बसुदेव आचार्य]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों के अविकसित जिलों के चहुंमुखी विकास हेतु किसी योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (298)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वी क्षेत्र में विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (299)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

है कि अभिभाषण में देश में अल्पसंख्यकों [illegible] हितों की रक्षा हेतु कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उठाए जाने वाले सभी आवश्यक कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (300)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए और अधिक आवास इकाइयों के निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (301)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्राकृतिक विपदाओं से गरीब कृषक समुदाय को बचाने के लिए एकीकृत बीमा योजना शुरू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (302)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सर्वाधिक उपेक्षित ग्रामीण श्रमिक जोकि अपनी जीविका न तो स्वयं कमाने की तिथि में नहीं है, न ही उनके बच्चे अपने माता-पिता की सहायता करने में सक्षम हैं, के लिए पेंशन की व्यवस्था करने हेतु व्यापक कानून बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (303)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने हेतु किए जाने वाले प्रभावी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (304)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए कृषि उत्पादों विशेषकर सब्जियों, फलों आदि शीतागार के लिए, विपणन आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने संबंधी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (305)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वृक्ष लगाने के लिए बंजर भूमि का वितरण स्थानीय कृषकों को किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (306)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने जिससे कि वे अत्मनिर्भर बन सकें, के बारे में कोई उल्लेख नही है।" (307)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राजमार्गों एवं पत्तनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने वाले उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (308)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उपभोक्ताओं के प्रयोग, के लिए विद्युत की लागत को जांचने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (309)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत ढांचे के निर्माण और रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (310)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (311)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कानून बनाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (312)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की गरीब जनता को भोजन, वस्त्र और आवास की मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराए जाने के लिए किसी व्यापक योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (313)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी, विषमता और मूल्य वृद्धि के संकट को रोकने संबंधी उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (314)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बिगड़ती आर्थिक स्थिति जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बंद होते जा रहे हैं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (315)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मवेशी प्रजनन में सुधार और उनमें बीमारियां फैलने से रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (316)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जायें, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में हेपैटाइटिस-बी, तपेदिक, एच.आई.वी. जैसी बीमारियां फैलने और गुरदे तथा हृदय संबंधी बीमारियों और गरीबी जनित बीमारियों और पीड़ित व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (317)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के विकास संबंधी योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (318)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्नों, दालों और तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्यवस्था करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (319)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सब्जियों, आलू, प्याज, और खराब होने वाले अन्य खाद्य पदार्थों के भण्डारण के लिए शीतागारों की कमी पूरी करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (320)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में घाटे की अर्थ व्यवस्था, काले धन और कर चोरी के संकट से देश को बाहर निकालने के लिए उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (321)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और मिलावट आदि पर नियंत्रण पाने के लिए प्रभावी उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (322)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों को बाढ़ की विभीषिका और जनता तथा राज्य सरकारों को होने वाली क्षति से बचाने के लिए किसी योजना का उल्लेख नहीं है।" (323)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश भर के सभी गांवों को सड़क द्वारा जोड़ने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (324)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्प संख्यकों और कमजोर वर्गों को लोगों के लिए पक्के मकानों के निर्माण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (325)

[श्री बसुदेव आचार्य]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों में गरीब लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैंड पम्प लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (326)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बार-बार आने वाली बाढ़ और सूखे के कारण होने वाली राष्ट्रीय क्षति और इस समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए प्रभावी [illegible] के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (327)

[illegible] के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (328)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाल श्रम और वेश्यावृत्ति पर नियंत्रण पाने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (329)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों, श्रमिकों, युवाओं, और महिलाओं के लिए विकास योजनाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (330)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बीमार व्यक्तियों की बढ़ रही संख्या और लोगों के सामान्य स्वास्थ्य में गिरावट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (331)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कई अन्य देशों की तुलना में अधिक जनसंख्या होने के बावजूद भारत का अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खराब प्रदर्शन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (332)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नगण्य निवेश के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (333)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (334)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यायालयों में लंबित आपराधिक और सिविल मामलों के शीघ्र निपटान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (335)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (336)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए लघु उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (337)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में एड्स जैसी भयावह बीमारी के फैलाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (338)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में 50 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं की कमी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (339)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गंभीर समस्या और पेयजल पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (340)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के 'आवास के अधिकार' को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (341)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ रही गरीबी का उन्मूलन करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (342)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निजी विद्युत क्षेत्र नीति के एक महत्वपूर्ण तरीके से शुरूआत होने में असफल रहने के कारण इसकी पुन: समीक्षा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (343)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में निरंतर बढ़ रहे कैंसर, हृदय रोगों और सुरदे की बीमारियों से ग्रस्त रोगियों की चिकित्सा के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के अस्पताल में अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (344)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा प्रणाली में उपयुक्त सुधार कर रोजगारोन्मुख बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली वर्तमान समाच की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।" (345)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में हो रहे असमान औद्योगिक विकास के कारण गांवों से शहरों की ओर बड़े स्तर पर पलायन को रोकने के लिए औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन लाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (346)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में परती भूमि को एक समयबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से कृष्य भूमि में बदलने की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (347)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषाई कट्टरता और क्षेत्रीयता को समाप्त करने के लिए पर्याप्त उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (348)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में भू-जल स्तर में तेजी से आ रही कमी और जल की उपलब्धता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (349)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक कार्य योजना बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (350)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गांवों में शहरों में बड़ी संख्या में पलायन को रोकने की दृष्टि से प्रत्येक गांव में लघु उद्योग स्थापित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (351)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निरक्षरता दूर करने की दृष्टि से प्रत्येक बच्चे को उसकी मातृ भाषा में नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (352)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को पूरे वर्ष रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से नई श्रम नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (353)

[श्री बसुदेव आचार्य]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भाषायी अल्प संख्यक आयोग के प्रतिवेदन के क्रियान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (354)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर जुटाने के लिए व्यापक योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (355)

अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान माल और फसलों के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्थायी उपाय सुझाने हेतु विशेषज्ञों की समिति की नियुक्ति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (356)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में महिलाओं और बच्चों पर बढ़ रहे अत्याचार से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (357)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कुछ भागों में विद्यमान बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (358)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (359)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कुपोषण की बढ़ती समस्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (360)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में भू-संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्य योजना के बारे कोई उल्लेख नहीं है।" (361)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बाल श्रम समाप्त करने के लिए एक समयबद्ध व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (362)

**श्री रुपचन्द पाल** (हुगली): मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाने से भारत के हितों को जो खतरा उत्पन्न हुआ है, उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(363)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीतियों के कारण किसानों को हो रही कठिनाईयों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (364)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि जिससे ये वस्तुएं आम जनता की पहुंच के बाहर हो गई है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (365)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जायें, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आदानों की बढ़ती हुई लागत के अनुरूप किसानों को कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य न दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (366)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (367)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कृषि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करके तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी उपाय जैसे पेंशन, भविष्य निधि, चोट ग्रस्त कर्मकारों को प्रतिकर, चिकित्सा सुविधा, प्रसूति सुविधाएं आदि उपलब्ध कराकर एक व्यापक विधेयक लाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।" (368)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्गों को लोगों के लिए पक्के मकान बनाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।" (369)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बार-बार बाढ़ के आने और सूखा पड़ने के कारण राष्ट्र को होने वाली क्षति तथा ऐसी प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करने इन आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के बारे में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (370)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाये जाने वाले उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (371)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ रही निर्धनता का उन्मूलन करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना बनाये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।" (372)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में महिलाओं और बच्चों पर बढ़ रहे अत्याचार का मुकाबला के लिए प्रभावी उपाय किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (373)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।" (374)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में मृदा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्य योजना तैयार करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (375)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र की इकाइयों का बड़े स्तर पर निजीकरण किये जाने से पड़ने वाले गंभीर प्रभावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (376)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमजीवी वर्ग के वैधानिक अधिकारों के निराकरण के संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (377)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय सहमति बनाए बिना सीटीबीटी पर सरकार द्वारा हस्ताक्षर करने के प्रयास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (378)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कृषि उत्पादों के बेरोक-टोक प्रवेश के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (379)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में शिक्षा और संस्कृति के साम्प्रदायिककरण तथा भारत के इतिहास को गलत रूप में पेश करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (380)

[श्री बसुदेव आचार्य]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी कर्मचारियों की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल होने की अनुमति देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (381)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के धर्म-निरपेक्ष और लोकतांत्रिक आधार को बदलने के सरकार के प्रयास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (382)

**अजय चक्रवर्ती** (बसीरहाट): मैं प्रस्ताव करता हूं:

में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

किन्तु खेद है कि सरकार द्वारा स्थापित किया गया व्यापक आधार वाला संविधान-समीक्षा आयोग संविधान के संसदीय प्रजातांत्रिक और धर्म-निरपेक्ष स्वरूप को बिगाड़ देगा।" (506)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य की कोई चर्चा नहीं है कि संविधान के प्रावधानों का दोषपूर्ण अनुपालन इसके उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा है, न कि खुद संविधान।" (507)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारी योजना व्यवस्था की खामियों की कोई चर्चा नहीं है जिसके परिणामस्वरूप देश में प्रति-व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद, आय, निरक्षरता, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और सफाई संबंधी स्थिति इत्यादि के बारे में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है।" (508)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक पारिश्रमिक रोजगार पैदा करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे शहरी क्षेत्रों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन होता है, जिसके परिणामस्वरूप शहरी जनसंख्या-विस्फोट झुग्गियों का बनना, स्वास्थ्य और सफाई की स्थिति में गिरावट इत्यादि होते हैं।" (509)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (510)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (511)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोक सभा और राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटों के आरक्षण की व्यवस्था, करने वाले विधेयक को अधिनियमित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (512)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कुछ भागों में विधवाओं की बुरी हालत, जिनके साथ दुर्व्यवहार की अपेक्षा की जाती है और जिन्हें समाज द्वारा सामाजिक वर्जना समझा जाता है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (513)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की अर्थव्यवस्था पर कोयला खानों के निजीकरण के खतरनाक प्रभावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (514)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निजी क्षेत्र के आपरेटरों को लीज पर मुख्य हवाई अड्डों को देने के कारण देश की सुरक्षा को होने वाले गंभीर खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (515)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बंदरगाह प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के सरकार के प्रस्ताव के कारण देश की सुरक्षा को होने वाले गंभीर खतरे के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (516)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बीमा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने वाले बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम को लागू करने के प्रतिकूल प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे सामाजिक अवसंरचना और अन्य विकासात्मक परियोजनाओं में सरकारी निवेश प्रभावित होगा।" (517)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में घरेलू उद्योग, विशेषकर लघु-उद्योग क्षेत्र पर सरकार की नई सीधी विदेशी-निवेश के खतरनाक प्रभावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (518)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दूसरे श्रम आयोग में प्रभाव केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (519)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दूसरे श्रम आयोग के उत्सादन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, जिसका गठन विभिन्न श्रम कानूनों में परिवर्तनों का सुझाव देना है, जो कि कामगारों के हितों के विरुद्ध जाएगा और उनके सांविधिक अधिकारों को कम कर देगा।" (520)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि सभी राज-सहायताएं समाप्त करने के सरकार के प्रस्ताव से कुकिंग गैस, केरोसिन, खाद्यान जैसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली आवश्यक वस्तुएं दूध इत्यादि और उर्वरक डीजल इत्यादि की कीमतों में काफी तेजी आएगी और इसका किसानों और कृषि-उत्पादों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।" (521)



कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुजरात, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकारों द्वारा आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अनुमति देने के खतरनाक-प्रभावों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (522)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के कथिक वक्तव्य, कि वे उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर के शांतिपूर्वक निर्माण की अनुमति देंगे, से उत्पन्न चिंता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (523)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की बढ़ती हुई अलाभकारी संपत्तियों को रोकने के लिए प्रभाव कदम उठाने की आवश्यकता और ऋण न चुकाने वाले बड़े लोगों से बकाया राशि की वापसी के लिए तुरंत कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (524)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के बारे में कि अभी बड़ी संख्या में कामगार बोनस अधिनियम की परिधि से बाहर हैं और वेतन की योग्यता सीमा को हटाने के लिए अधिनियम में सुधार करने की आवश्यकता है के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (525)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश और उनके द्वारा भारतीय कंपनियों के रणनीति पूर्ण अधिग्रहण और अभिग्रहण के विनियमन की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (526)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय और राज्य सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण, विनिवेश और निगमीकरण को रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (527)

[श्री अजय चक्रवर्ती]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े व्यापारी घरानों के आने से लघु और परम्परागत भारतीय उद्योगों की रक्षा करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता और उन्हें वित्तीय और आधारभूत सहायता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (528)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पर्याप्त मात्रा में ओर अच्छी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की कता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (529)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए और बिना विलंब के एक व्यापक विधान बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (530)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर घाटी में आतंकवादी आक्रमणों की वृद्धि को रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (531)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति के साम्प्रदायिककरण तथा भारत के इतिहास को विकृत किये जाने से रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (532)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनेक सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के श्रमिकों को नियमित मजदूरी और अन्य सांविधिक बकायों के भुगतान के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (533)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनेक रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुन: चालू करने के लिए पैकेज को तीव्रता से लागू करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (534)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि अप्रैल, 2001 तक निर्यात से परिमाणात्मक प्रतिबंधों को पूरी तरह उठा लिए जाने से भारतीय उद्योग और कृषि खतरे में पड़ जाएगी।" (535)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी नागरिकों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (536)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (537)

**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** (वैशाली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समीक्षा के नाम पर संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाये रखने के लिए किसी वचनबद्धता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (553)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान को ईमानदारी से लागू करने की असफलता के कारणों की समीक्षा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (554)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पैट्रोलियम उत्पादकों के मूल्यों में वृद्धि न करने के बारे में किसी आश्वासन का कोई उल्लेख नहीं है।" (555)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देने तथा आतंकवाद के सामने समर्पण न करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (556)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (557)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता देने तथा किसानों और कृषि श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (558)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि के क्षेत्र में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए किसी विशिष्ट कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (559)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दलितों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और देश के उत्पीड़ित लोगों के उत्थान के लिए किसी विशेष कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (560)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बरोजगारी को दूर करने के लिए किसी विशेष कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (561)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों, जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और जिन्हें लाल कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, को और अधिक खाद्यान्नों की आपूर्ति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (562)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं।" (563)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोनों के सुचारू रूप से कार्य करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (564)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार और उत्तर प्रदेश की नौनिया और मल्हा जातियों को अन्य राज्यों की तरह अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (565)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में तेजी लाकर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे करोड़ों लोगों के उत्थान के लिए कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (566)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इंदिरा आवास योजना के माध्यम से गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (567)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को महिलाओं के लिए निर्धारित आरक्षण में आरक्षण उपलब्ध करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (568)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में काले धन को बाहर निकालने और कर चोरी को रोकने के लिए किसी विशेष कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (569)

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से देश के गरीब किसानों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (570)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी नीति को अधिक प्रभावी बनाकर हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए किसी कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (571)

न्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में गरीबी, बेरोजगारी आय में असमानता और मूल्य वृद्धि से बढ़ रहे संकट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (662)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीब लोगों की आशाओं तथा इच्छाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा नये प्रयास किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (663)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की गिरती हुई आर्थिक स्थिति के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बंद होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (664)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पशु प्रजनन में सुधार तथा उनमें बीमारियों के बढ़ने पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (665)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में हैपीटाइट्स-बी, टी.बी., एच.आई.वी. तथा गुर्दों पर हृदय रोगों को रोकने तथा बीमारियों से पीड़ित लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।" (666)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षाओं के विकास के लिए योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (667)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ रही जनसंख्या के अनुपात में अन्न, दालें तथा खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपाय उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (668)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आलू तथा प्याज का भंडारण करने के लिए शीतागार व्यवस्था की कमी को दूर करने के लिए उठाये जाने कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (669)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में आलू, प्याज, खाद्य तेल, दालों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।" (670)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कर अपवंचन तथा काले धन का पता लगाना तथा वित्तीय घाटे से देश को उभारने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (671)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मिलावट, जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (672)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के सभी गांवों में विद्युतीकरण के लिए आर.ई.सी. से ऋण सुविधाओं को पुनः चालू करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (673)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार विद्युत बोर्ड (आर.ई.सी. से ऋण स्वीकृत करा कर बिहार के मुज्जफ्फरपुर, सीतामढ़ी और वैशाली जिलों के सभी गांवों के विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।" (674)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सीमान्त तथा दक्षिणी बिहार में स्थित हाथीदाह और फतहुन को ट्रान्समीशन लाइन जोड़ने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।" (675)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयलकारों, काडरम, कनहार तथा शंख की जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (676)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुजफ्फरपुर, कहलगांव बाढ़, उत्तरी कर्नपुरा, तेलुघाट, नवीनगर ताप विद्युत गृहों की क्षमता को बढ़ाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (677)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के जलप्लावित क्षेत्रों के पानी को निकालने के लिए योजना बनाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।" (678)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत-नेपाल समझौते पर हस्ताक्षर करने के परिणामस्वरूप गांडक, कोसी, वागमती तथा गंगा नदियों की बाढ़ के खतरे से बिहार राज्य को बचाये जाने के लिए योजना बनाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।" (679)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में बाढ़ के विनाश से लोगों को बचाने तथा बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए धनराशि मंजूर करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (680)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के सभी गांवों को सड़क द्वारा जोड़ने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।" (681)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्ग के लोगों को पक्के मकान की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (682)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के गरीब लोगों के मोहल्लों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (683)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन मकानों को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (684)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पटना-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीता मढ़ी-मीठा मोर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (685)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में किसानों के लाभार्थ फलों तथा सब्जियों जैसे आलू, प्याज, टमाटर, केला, आम, भिन्डी, परवल, आदि को औद्योगिक शहरों तथा विदेशों में निर्यात करने के लिए एअर कार्गो तथा ए.सी. रेल डिब्बों द्वारा भेजने के लिए यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (686)

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में वैशाली को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (687)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार की पाठशालाओं जिनमें उचित भवन/अध्यापक नहीं हैं और पाठशाला के भवन जर्जर अवस्था में हैं, को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (688)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

अभिभाषण में देश के सभी गांवों विशेषकर बिहार के मुजफ्फरपुर, सीता मढ़ी और वैशाली जिलों के गावों को दूरभाष सेवायें उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (689)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (690)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाल श्रम और वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (691)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों, श्रमिकों युवाओं और महिलाओं के लिए विकास योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (692)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के समस्तीपुर जिले के दल सिंह सराय और समस्तीपुर में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित शीतागार के निर्माण की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (693)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में माल प्रबंधन सुविधा उपलब्ध कराकर पटना हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की तात्कालिक आवश्यकता, जिससे कि उत्तर बिहार के फल एवं सब्जी उत्पादक अपने उत्पाद का लाभ उठा सकें, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (694)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर बिहार के आम, लीची और हरी सब्जी उत्पादकों को निर्यात सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी उठाए गए कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (695)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरी बिहार की नदियों पर बांधों के निर्माण, जिससे कि उन नदियों से आने वाली बाढ़ों को रोका जा सके, के लिए नेपाल के साथ अन्तर्राष्ट्रीय समझौते की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (696)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गंगा के जलबहाव में वृद्धि के लिए वराह क्षेत्र में कोसी नदी पर एक बहुद्देशीय उच्च बांध के निर्माण, जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अनुरूप फरक्का बैराज से बंगलादेश को जल की समुचित आपूर्ति की जा सके, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (697)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरी बिहार के समस्तीपुर और वैशाली जिलों के दर्जनों गांव को बाढ़ से बचाने के लिए तटबंधों के निर्माण की योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (698)

**श्री पी. एच. पांडियन** (तिरूनेलवेली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य विधानमण्डलों तथा संसद् में महिलाओं के आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक में पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (633)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आसपास के गांवों को सुरक्षित पीने का पानी प्रदान करने के लिए नदियों से विशेषकर थिरूनेलवेली, तमिलनाडु में तमिरा बरानी नदी से गाद निकालने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (634)

**श्री वैको** (शिवकाशी): सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं श्री मदन लाल खुराना द्वारा प्रस्तावित तथा अपने विद्वान मित्र डा. नीतिश सेनगुप्ता द्वारा समर्थित प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत के माननीय राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

मैं अपने मित्र श्री मणिशंकर अय्यर को दत्तचित होकर सुन रहा था। अपने भाषण में, उन्होंने इस देश के लाखों लोगों की दरिद्रता और दुखों को उजागर किया जो दुख और दरिद्रता के शिकार हुए हैं। लेकिन हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि ये सारी बुराइयां जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है वह उस पार्टी के 45 वर्षों के शासन के विरासत के तौर पर हमें प्राप्त हुई हैं जिससे श्री मणिशंकर अय्यर संबद्ध हैं।

एक कार्यशील लोकतंत्र के रूप में, हम इस महान देश के नागरिक आनन्दित और गौरवान्वित हैं। गणराज्य की घोषणा के पश्चात् 50 वर्ष बीत चुके हैं। गणतंत्र के इस स्वर्णजयंती वर्ष में हम नई सहस्राब्दी के प्रवेश द्वार पर, 21वीं सदी के उषाकाल पर खड़े हैं।

हम इस बात के लिए गौरवान्वित और आनन्दित हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में निवास करते हैं। केन्द्र स्तर पर या राज्य स्तर पर राजनीतिक दल आए और गए, किन्तु यह प्रणाली बरकरार रही, यह प्रणाली पांच दशकों में बनी रही। हमारे पड़ोस में लोकतंत्र का प्रयोग विफल रहा है, बर्मा (म्यांमार) में तीन चौथाई जनमत पाने के बाद भी आन सांग सू क्यी को पांच वर्ष से भी अधिक समय तक कैद में रहना पड़ा।

जब हमारे पड़ोस इस्लामाबाद में सैन्य-तंत्र सड़कों पर घूम रहा है, भारत में लोकतंत्र की प्रणाली जीवित और सफल है, यद्यपि राजनीतिक दल आए और गए। इसलिए, हमारे देश के नागरिक गर्व के साथ अपना सिर ऊंचा किए दुनिया की राजधानियों की गलियों में यह दावा करते हुए घूम सकते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निवास करते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में पृष्ठ 1 पैरा 4 में स्पष्ट रूप से कहा है:

"यह संविधान संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों की गारंटी देने में विश्वसनीय साबित हुआ है।"

उन्होंने आगे यह भी कहा कि:

"संविधान के बुनियादी ढांचे और मुख्य विशेषताओं को अक्षुण्ण रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि संविधान में वर्णित उद्देश्यों को और बेहतर तरीके से प्राप्त करने हेतु पिछले पास वर्षों के अनुभव की जांच की जाये। इसीलिए सरकार ने एक वृहत् चहुंमुखी संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया है। इस आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जायेगा जो भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला निकाय है।"

कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्रों ने संसद के अन्दर तथा बाहर इस पर शोर-शराबा मचाया है? पिछले कुछ दिनों से वे प्रधानमंत्री और सरकार पर इस प्रकार कड़ा प्रहार कर रहे हैं मानों वर्तमान सरकार संविधान के बुनियादी ढांचे तथा इसकी मूल विशेषताओं को बदलने का प्रयास कर रही हो। हम ऐसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक घटक हैं जिसने गौरवशाली और सम्पन्न भारत के लिए एक एजेंडा बनाया है। यही वह एजेन्डा है जिसके लिए सरकार कार्य कर रही है। कोई अन्य एजेण्डा हो ही नहीं सकता है। इस एजेन्डे में हमने बड़े स्पष्ट रूप से तथा दोहरी बात न करते हुए अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में बताया है। जहां तक संविधान समीक्षा की बात है, माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निश्चित शब्दों में इस पहलू को स्पष्ट कर दिया है कि हम संविधान के बुनियादी ढांचे अथवा बुनियादी विशेषताओं को छूएंगे तक नहीं। इस समय, महोदय मैं आपके माध्यम से इस सभा के माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि डा. बाबासाहेब अम्बेडकर ने अपनी सोच से संविधान सभा की चर्चा में इस बात को स्पष्ट कर दिया था। मैं 25 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में उनके द्वारा दिये गये भाषण में से उद्धृत कर रहा हूं:

"सभा ने न केवल इस संविधान पर अंतिमता और अमोघता की मोहर ही नहीं लगने दी है जिसमें कनाडा की भांति लोगों को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं होता है अथवा अमेरिका अथवा आस्ट्रेलिया की भांति संविधान का संशोधन अतिविशेष शर्तों की पूर्ति पर निर्भर है बल्कि संविधान में संशोधन करने के लिए अति सरल प्रक्रिया का प्रावधान भी किया है।"

[श्री वैको]

इतना ही नहीं, उन्होंने भावी परिदृश्य और चुनौतियों को भी भांप लिया था। हम कंप्यूटर युग में प्रवेश कर चुके हैं और सारे विश्व में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। विश्व एक गांव में परिवर्तित हो गया है। अत: वे इसे वैश्विक गांव कहते हैं। जब परिवर्तन हो रहे हैं, तो हमें अवसर का लाभ उठाना चाहिए और चुनौतियों का सामना करना चाहिए। डा. बाबासाहेब अम्बेडकर ने जैफरसन का उद्धरण देते हुए कहा था, जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं:

"महान अमरीकी राजनीतिज्ञ, जिन्होंने अमरीकी संविधान का निर्माण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ने बहुत महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं, जिनकी संविधान निर्माता कभी उपेक्षा नहीं कर सकते।"

अम्बेडकर ने कहा:

"हम प्रत्येक पीढ़ी को एक अलग राष्ट्र मान सकते हैं और उन्हें अधिकारपूर्वक बहुमत की इच्छा से एक साथ बांध कर रख सकते हैं, किन्तु कोई भी अगली पीढ़ी को किसी अन्य देश के निवासियों से अधिक बांध कर नहीं रख सकता।"

यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं कि प्रत्येक पीढ़ी एक अलग राष्ट्र है और हम अगली पीढ़ी को बांधकर नहीं रख सकते। डा. अम्बेडकर की मूल अवधारणा यही है।

महोदय, दोनों सभाओं के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण में भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने पैरा 5 में कहा है:

"मानव इतिहास का ऐसा कभी अनुभव नहीं रहा, जबकि इतनी अधिक परंपराओं के करोड़ों लोग, उनके अधिकारों और स्वतंत्रताओं को नकारे बिना, बेहतर जीवन के लिए मिलकर प्रयासरत हों।"

●

यही अवसर है, जबकि मैं अपनी पार्टी का दृष्टिकोण आपको बता सकता हूं परंतु मुझे विश्वास है कि मेरे बहुत से वामपंथी मित्र मुझसे सहमत होंगे कि इस महान देश में लोकतंत्र की कार्य-शैली को बेहतर बनाने के लिए संघवाद की अवधारणा को स्वीकार करना चाहिए और संघवाद की अवधारणा को पुन: शामिल करना चाहिए। अत:, संविधान की समीक्षा की आवश्यकता है।

मार्च, 1955 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने संविधान (चौथा) संशोधन, विधेयक पर बोलते हुए इस सभा में कहा था:

"यह याद रखना चाहिए कि कोई भी संविधान किसी समय कितना ही अच्छा रहा हो, कुछ समय व्यतीत होने पर उसमें कमियां आ जाती हैं। कुछ भी पूर्ण रूप से सही नहीं होता और उन कमियों को दूर करने के लिए परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है।"

वर्ष 1947 में संविधान सभा की चर्चा में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था:

"ऐसा प्रतीत होता है कि हम संविधान को जड़ बनाना चाहते हैं। यदि आप कोई जड़ता लाते हैं, तो इससे राष्ट्र का विकास रूक जाएगा।"

इस तथ्य के बावजूद कि यहां विभिन्न संस्कृतियां, परंपराएं, भाषाएं और राष्ट्रीयता हैं, विविधताएं और विभिन्नताएं हैं, इस महान देश की एकता और अखंडता इन वर्षों में सुरक्षित बनी रही है। आप विश्व के अन्य देशों के अनुभव देख सकते हैं। यूगोस्लाविया और सोवियत संघ में क्या हुआ? हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि जब तक इन जातियों, संस्कृतियों, सभ्यताओं और भाषाओं की मौलिकता और व्यक्तिपरकता नहीं बनाये रखी जायेगी, तब तक देश की एकता और अखंडता को खतरा बना रहेगा। अत:, संविधान की पुनरीक्षा की आवश्यकता है।

हम संविधान की मूल संरचना के बारे में बात करते हैं। कोई भी 1973 के केशवानंद भारती मुकदमे को भुला नहीं सकता। उसमें उच्चतम न्यायालय की प्रसिद्ध निर्णय में स्पष्ट कहा गया है:

"मूल ढांचे में कोई अस्पष्ट अवधारणा नहीं है और वादियों की ओर से व्यक्त की गई आशंकाएं कि न तो नागरिक और न ही संसद इसे समझ सकेगी, आधारहीन हैं। यदि अनुच्छेद 368 सहित संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रस्तावना और संपूर्ण योजना तथा संबद्ध प्रावधानों का ध्यान रखा जाये तो यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि निम्नलिखित को संविधान के ढांचे का मूल तत्व माना जाए:

1. संविधान की सर्वोच्चता।
2. सरकार का गणतन्त्रात्मक और लोकतन्त्रात्मक स्वरूप तथा राष्ट्र की संप्रभुता।
3. संविधान की धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विशेषता।
4. विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का सीमांकन। (यह शक्तियों का पृथक्कीकरण है)।

5. विभिन्न स्वतंत्रताओं से प्राप्त व्यक्ति की मर्यादा और भाग तीन में उल्लिखित मूल अधिकार तथा भाग चार में अन्तर्विष्ट कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का अधिदेश।

6. राष्ट्र की एकता और अखण्डता।"

महोदय हमारे कांग्रेसी दोस्तों को लगभ पांच दशकों तक शासन की बागडोर संभालने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था। वे संविधान के मूल ढांचे और इसकी मूल विशेषताओं की बात करते हैं। केशवानन्द भारती के मामले में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विभिन्न स्वतंत्रताओं से प्राप्त व्यक्ति की मर्यादा और भाग तीन में उल्लिखित मूल अधिकार और भाग चार में अन्तर्विष्ट कल्याणकारी राज्य निर्मित करने के अधिदेश को नकारा नहीं जा सकता। किन्तु सत्तर के दशक में क्या हुआ? वर्ष 1975 में क्या हुआ? इस देश की जेलों की कालकोठरियां इस बारे में बहुत कुछ कह देंगी कि लोकतंत्र का गला कैसे घोंटा गया था, प्रैस का गला कैसे घोंटा गया था और कैसे हजारों लोगों को बिना कोई मुकदमा चलाये जेलों में रखा गया था और कितने लोग जेलों में मर गये थे। इस देश के इतिहास में उन काले दिनों को भुलाया नहीं जा सकता। आपातकाल (इमरजेन्सी) घोषित कर दिया गया था और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुझे याद है कि उस समय के भारत के अटॉनी-जनरल श्री नरेन डे ने उच्चतम न्यायालय जाने और यह कहने का साहस किया था कि इस देश के किसी भी नागरिक का जीवन छीना जा सकता है और न्यायालय में उसके बारे में प्रश्न नहीं किया जा सकता। क्या आपने विश्व में किसी भी लोकतंत्र में ऐसी बात सुनी है? अब मेरे मित्र घरों और छतों पर बैठकर लोकतंत्र, संविधान और मूलभूत ढांचा और संविधान की मुख्य विशेषताओं पर चिन्ता व्यक्त करते हैं। महोदय, देश अभी उस वक्त को भूला नहीं है जब अधिकांश नेताओं और संसद सदस्यों को जेलों में डाल दिया गया था। संविधान 42वां संशोधन संसद में लाया गया और उन्होंने संविधान संशोधन और कुछ मूलभूत अधिकारों और लोगों के मूल अधिकारों को समाप्त कर दिया। यहां तक कि न्यायिक समीक्षा को समाप्त कर दिया तथा लोक सभा की अवधि बढ़ाकर लोगों को प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार से वंचित कर दिया। उस शासन ने जिसने आपातकाल की घोषणा की थी एक न्यायिक निर्णय उल्ट कर दिया। किन्तु न्यायपालिका का धन्यवाद कि उसने अधिकांश संशोधनों को संविधान विरोधी करार दिया और 1977 के चुनाव में लोगों ने उस सरकार को उखाड़ फेंका। बेशक उस समय गठित सरकार भी गिर गई मैं स्वयं इस बात से सहमत हूं कि जनता सरकार का प्रयोग असफल रहा जब मैंने अपना भाषण शुरू किया था तो कहा था कि हमें अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली पर गर्व है। अत: वे लोग जिन्होंने सरकार को 1971 में भारी बहुमत से जिताया था। उन्होंने ही 1977 में उसी सरकार को उखाड़ फेंका। लोगों ने उसी सरकार को अस्वीकृत किया जो कि सत्तासीन थी। महोदय इन सब बातों के बावजूद ये लोग अब संविधान के आधारभूत ढांचे की बात करते हैं। महोदय, आज हमें किस बात की आवश्यकता है? संविधान की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या हमने देश की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है? नहीं। कांग्रेस सरकार द्वारा संसद में अनेक संशोधन लाए गए। वे कई बार इन्हें लेकर आई मुझे कांग्रेस पार्टी पर दया आती है किन्तु यह एक बड़ा और शक्तिशाली संगठन है। उसका यह हश्र क्यों हुआ?

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह राज्यों को उखाड़ फेंकना चाहते थे, उन्होंने अपनी पार्टी ढांचे में भी ऐसा ही किया। वे राज्य सरकारों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। कितनी राज्य सरकारों को गिराया गया और बर्खास्त किया गया? 1957 में जब साम्यवादी सत्ता में आये थे तो श्री नम्बूदरीपाद की पहली सरकार थी जिसे 1959 में गिरा दिया गया उन्होंने एक भ्रांति हो गई थी कि कांग्रेस के अतिरिक्त कोई भी किसी राज्य में शासन नहीं कर सकता। यह उनकी राय थी। उन्होंने किसी अन्य राजनैतिक दल को किसी राज्य पर पांच वर्ष तक शासन नहीं करने दिया। अत: 60 के दशक में महान नेता स्वर्गीय अन्ना ने आह्वान किया। उन्होंने कहा, "आप प्रयोग देखिए। केरल राज्य में क्या हुआ?" कांग्रेस पार्टी यह प्रभाव डालने का प्रयास कर रही है कि कोई भी अन्य राजनैतिक दल पांच वर्ष के लिए सरकार नहीं चला सकेगी। अत: सन् 1967 में उनके आह्वान पर मार्क्सवादी और स्वतंत्र पार्टी एक छत्र के नीचे आई और कांग्रेस पार्टी को तमिलनाडु से बाहर कर दिया। तब से कई वर्ष बीत गए हैं और वे अब भी सेंट जॉज फोर्ट के निकट आने का प्रयास कर रहे हैं। यह एक स्वप्न ही रहेगा, और वे केवल हवाई किले ही बना सकते हैं। कोई भी अब कांग्रेस पार्टी को आक्सीजन प्रदान नहीं कर पाएगा।

श्री मणि शंकर अय्यर ने बहुत शानदार भाषण दिया। मैं उनसे सहमत हूं। सन् 1947 में जब आपने "नियति से साक्षात्कार किया" आपने वायदा किया था कि योजनाओं के अंतर्गत सड़कों पर दूध और शहद बहा करेंगे। तबसे आपने कितनी योजनाएं बनाई हैं और कितनी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ, कितने करोड़ रुपये व्यय किए गए और फिर क्या हुआ? उस "समाजवादी विचारधाराओं पर आधारित समाज" के नारे का क्या हुआ और उद्घोषित "लोकतांत्रिक समाजवाद" का क्या हुआ?

[श्री वैको]

यह कांग्रेस पार्टी ही है जिसने विश्वव्यापीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए दरवाजे खोले। यह वही पार्टी है जिसने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सभी मार्ग खोले।

संघवाद की संकल्पना को स्वीकार करना होगा और क्रियान्वित करना होगा। अत: आयोग संविधान की समीक्षा कर सकता है। यह एक तथ्य है कि सभी कुछ संसद के समक्ष लाना चाहिए। संघवाद की संकल्पना को क्रियान्वित करने के लिए हमें वास्तव में सोचना चाहिए। यहां पर अरिगनार अन्ना'' को उद्धृत करना उचित होगा। वे कहते हैं:

> ''हमारा संघीय ढांचा है। तभी संविधान निर्माता एक संघीय ढांचा चाहते थे न कि एकात्मक क्योंकि बहुत सारे राजनैतिक दार्शनिकों ने कहा है कि भारत इतना विशाल है, वास्तव में क उप-महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यहां विविध धारा के लोग विविध प्रकार से रहते हैं। यहां की परम्पराएं भिन्न-भिन्न हैं। इतिहास विविध है इसलिए संविधानिक ढांचा एकात्मक नहीं हो सकता.... और हमें उन सब प्रश्नों का भी उपयुक्त उत्तर मिल सकता है जो हमने नहीं उठाए हैं बल्कि जो संविधान के चलते सामने आए हैं जिनसे राज्यों का अहित हो सकता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह संघीय ढांचे का कार्य निष्पादन कुछ इस प्रकार का है कि राज्य और कुंठित अनुभव कर रहे हैं और उनकी मांग है कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए उसका पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए।''

वर्ष 1963 में उन्होंने कहा:

> ''इस संविधान के संघीय ढांचे के एकात्मक स्वरुप का विरोध सबसे पहले द्र.मु.क. ने किया। इसे सर्वोच्च राजनीतिक अखाड़े में ले जाओ और स्वतंत्र रूप से कार्य करने दो, और संघ को वास्तविक संघ बनने दो।''

अत: हम यह मांग करते रहे हैं कि आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी प्रादेशिक भाषाओं को इस देश की राजभाषा बना देना चाहिए। इसे हमने अपनी कार्यसूची में स्वीकार किया है राजग ने इसे पहली बार स्वीकार किया है। जब कांग्रेस सरकार थी इन्होंने इसे सिद्धांतत: भी स्वीकार नहीं किया। जब हिन्दी को इस देश की राजभाषा बनाया जा चुका है तब तमिल, जो विश्व की उत्कृष्ट प्राचीनतम भाषा है, सभी द्रविड़ भाषाओं की जननी है उसे सबसे पहले इस देश की राजभाषाओं में से एक का दर्जा दिया जाना चाहिए।

हमारे कुछ मित्र संभवत: अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से आने वाले लोगों की कठिनाईयों को समझ नहीं सकते। वे कहते हैं, 'अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है।' फिर भी अंग्रेजी उन अंगलो-भारतीयों की मातृभाषा है जो इस देश के नागरिक हैं। अंग्रेजी पूर्वोत्तर राज्यों की सहभाषा है। अंग्रेजी के प्रति वैमनस्य होने के कारण हमारे कुछ मित्र हम पर हिन्दी थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे विचार में कठिनाईयों को निष्प्रभावी कर देना चाहिए। सभी व्यक्तियों की कठिनाईयां एक जैसी होनी चाहिएं। जब तक ऐसी स्थिति आती है हम चाहते हैं अंग्रेजी विद्यमान रहे। संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को तमिल को उत्कृष्ट पौराणिक भाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार पिछली सरकारों, खासतौर पर कांग्रेस सरकार द्वारा जनित दुर्भाग्य को मिटाने का प्रयास कर रही है। पिछली शताब्दी के आरम्भ में, संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री थियोडोर रूज़वेल्ट ने यह शेखी बघारी थी कि यह शताब्दी उनकी है। जब सोवियत संघ छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त हुआ तो मुझे बहुत दु:ख हुआ। जब लेनिन की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया था तब भी मुझे दु:ख हुआ। पिछले दशक में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती उससे विश्व एक ध्रुवीय विश्व बन गया।

आज हम दावा कर सकते हैं, जैसाकि प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि यह शताब्दी भारत की है। यह शताब्दी एशिया महाद्वीप की शताब्दी है। चीन और भारत कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी बनने जा रहे हैं। चूंकि मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं इन सभी मुद्दों पर विस्तार से नहीं बोल सकता। मेरे मित्र इन मुद्दों पर बोलेंगे। इन दो देशों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। कार्यशील लोकतंत्र के रूप में, हमारे युवकों की विद्वता व प्रतिभा से हम निश्चित रूप से चीन से आगे निकल सकते हैं और हम इस शताब्दी में सम्पूर्ण मानवता के पथ-प्रदर्शन बन सकते हैं।

अब हम परमाणु सम्पन्न राष्ट्र बन गए हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश को न्यूनतम परमाणु-रोधी क्षमता सहित परमाणु सम्पन्न देश बनाने का निर्णय लिया। पड़ोसी देशों से खतरे के कारण, उन्होंने यह निर्णय लिया। श्री विलियम जेफरसन क्लिंटन को यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत एक महान शक्ति है। उन्होंने अपनी एक बैठक में कहा कि 29 प्रतिशत गरीबी भारत में है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 30 प्रतिशत कम्प्यूटर विशेषज्ञ भी भारतीय हैं।

मैंने हाल ही में जर्मनी में प्रकाशित एक पत्रिका में एक रिपोर्ट को पढ़ने का मौका मिला था। पत्रिका में रोजगार सम्भावना, भारतीय इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और डाक्टरों की पत्रिका और विद्वता

के बारे में लिखा गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 38 प्रतिशत डाक्टर भारतीय हैं।

**सायं 6.00 बजे**

**श्री एन. जनार्दन रेड्डी** (नरसारावपेट): क्या आप यह स्वीकार करेंगे कि यह नेहरू की देन है?

**श्री वैको** : जी हां, मैं श्री नेहरू का बड़ा सम्मान करता हूं। नेहरू के पास दूरदृष्टि थी। जब उन्होंने भाखड़ा नांगल बांध का उद्घाटन किया था, उन्होंने कहा था कि 'यह भारत का मंदिर है।'

हम पक्षपाती नहीं हैं, लेकिन फिर भी यह तथ्य न भूलें कि कांग्रेस ने देश को बरबाद किया है। इस बारे में भी मुझे आपको याद दिलाना है ...*(व्यवधान)*। महोदय, संयुक्त राज्य अमेरिका में 38 प्रतिशत डाक्टर भारतीय हैं। नासा के 30 प्रतिशत कर्मचारी भारतीय हैं और आई.बी.एम. व माइक्रोसॉफ्ट के 28 प्रतिशत कर्मचारी भारतीय हैं। जर्मन सरकार ने भी भारतीय प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अपने दरवाले खोले हैं और किसी अन्य देश के लिए नहीं। साथ ही साथ इस सरकार ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। हम केवल 13 महीने सत्ता में थे। फिर भी पूरी ईमानदारी से श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार को, इस देश को विश्व की महान शक्ति बनाने के लिए सफलतापूर्वक चलाया।

मेरे मित्र सरकार का आकार कम करने के बारे में बोल रहे थे। मंत्रालय सचिवालय का आकार कम करने के लिए, सरकार का खर्चा कम करने के लिए यह वास्तव में बहुत अच्छा सुझाव है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

**सभापति महोदय** : अब आप अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं?

*[हिन्दी]*

छह बज चुके हैं और इस विषय पर बोलने के लिए माननीय सदस्यों की लम्बी सूची है। अगर सभा की सहमति हो तो सदन की कार्यवाही आठ बजे तक बढ़ाई जाये।

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** (खजुराहो): सभापति जी, आप इस पर दो-तीन दिन तक लगातार बहस करवा लेंगे तो क्या हर्ज है।

**श्री शंकर प्रसाद जायसवाल** (वाराणसी): आप आज बैठक स्थगित कराइये। हम कल इनका भाषण सुन लेंगे।

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** : सभापति जी, हमारे बहुत से वक्ता यह मानकर चले गये हैं कि छह बजे सदन की कार्यवाही समाप्त हो जायेगी। इसलिए आप बैठक कल के लिए स्थगित कर दीजिए। हम इनका भाषण कल सुन लेंगे।

**सभापति महोदय** : अगर आठ बजे तक नहीं बैठना चाहते तो सात बजे तक कर लेते हैं।

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** : आप आज बैठक स्थगित कर दीजिए।

*[अनुवाद]*

**श्री वैको** : महोदय, मैं दो-तीन मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आपके सहयोगी आपके लिए व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

**सभापति महोदय** : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

**श्री वैको** : महोदय, अपने भाषण के आरम्भ में, मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने राज्यों में पांच वर्षों तक किसी दूसरी पार्टी की सरकार चलाने ही नहीं दी। 1977 में जनता पार्टी का प्रयोग असफल रहा। पुनः, 1989 में दूसरा प्रयोग असफल रहा। पुनः 1996 में, देवेगौड़ा की सरकार और उसके बाद गुजराल सरकार गिराई गई। पुनः 13 महीने बाद वाजपेयी सरकार गिराई गई।

लेकिन, सभापति महोदय, यह सरकार पूरे पांच वर्ष चलेगी और यह सरकार यह सिद्ध करने जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के अलावा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार देश में पूरे पांच वर्ष चलेगी। यहां, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। अब के बाद इस देश में एक पार्टी का पूरे देश में शासन समाप्त हो गया है ...*(व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर): और आप राजा बनाने वाले या सत्ता में बिठाने वाले बने रहेंगे।

**श्री वैको** : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पांच वर्षों तक शासन करेगा। हम दुबारा भारी बहुमत से माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सत्ता में वापिस होंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं श्री मदन लाल खुराना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**सभापति महोदय** : सभा की कार्यवाही कल 18.4.2000 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

**सायं 6.05 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 18 अप्रैल, 2000/29 चैत्र, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
सोमवार, 17 अप्रैल, 2000/28 चैत्र, 1922 (शक)

का
शुद्धि - पत्र

| कॉलम | पंक्ति | के स्थान पर | पढ़िए |
|---|---|---|---|
| 127 | 18 | (ड·) | (घ) |
| 131 | नीचे से 4 | श्री मोहम्द अनारूल हक | श्री मोहम्मद अनवारूल हक |
| 315 | नीचे से 10 | श्री सुरेश रामराम जाधव | श्री सुरेश रामराव जाधव |
| 323 | नीचे से 15 | | |
| 396 | 21 के पश्चात | `(ग्रंथालय में रखे गए) देखिए संख्या एल·टी· 1611/2000)' | जोड़िए |

पी.एल.एस.—48/5/18/2000 ( एन० )



© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।